

रामजस-कालिज दिल्ली के भूतपूर्व संस्कृत-विभागाध्यक्ष,
पाणिनीय व्याकरण के अद्वितीय विद्वान्,
स्वर्गीय गुरुवर्य,
श्रद्धेय पं० गंगाराम जी शर्मा, एम०ए०, शास्त्री
की
पुण्य स्मृति में
कृतज्ञतापूर्वक सादर समर्पित

प्राक्कथन

डा० रामगोपाल के इस ग्रन्थ को इसके अधिकारी पाठकों के उपयोगार्थ प्रस्तुत करते हुए सुझे हार्दिक प्रसन्नता प्रतीत होती है, कारण, भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी में वैदिक भाषामेंबधी विशद् जानकारी प्राप्त करा सकने वाले ग्रन्थ के निर्माण करने का यह सर्व-प्रथम और पर्याप्त रूप में सफल प्रयास है। इस ग्रन्थ के महत्त्व का प्रतिपादन करने वाला यह हेतु भारत की भाषाओं में केवल हिन्दी तक ही सीमित न रह कर उक्त सभी भाषाओं पर लागू होता है।

प्राचीन समय में वेद की एक-एक शाखा से विशेषतः सम्बन्धित होने के कारण प्रातिशाख्य कहे जाने वाले ग्रन्थों में अवश्य वैदिक भाषा के स्वरूप का उपवर्णन पाया जाता है, परन्तु एक तो वह उक्त प्रकार से एक-एक शाखा की ही परिधि के अन्दर रहता है, और साथ ही, वह ध्वनि-निरूपण, सन्धि तथा पदपाठ की किन्हीं विशेषताओं के क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ पाता। व्याकरण के आदित्य-स्वरूप आचार्य पाणिनि ने अपने शब्दानुशासन के आठ अध्यायों में भिन्न-भिन्न प्रकरणों के अनुसार वैदिक भाषा की सभी विशेषताओं का उल्लेख करते जाने का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रयत्न किया है। ऐसा होते हुए भी उनकी अष्टाध्यायी को विशुद्ध वैदिक व्याकरण नहीं कहा जा सकता। क्योंकि उनके नियम-निरूपण का प्रधान क्षेत्र था उनके समय के विद्वन्-मण्डल के मध्य में व्यवहार पाने वाली संस्कृत भाषा का शिष्ट अर्थात् प्रामाणिक प्रयोग, जिससे किसी भी अंश में भिन्न रूप में पाये जाने वाले वैदिक प्रयोग को उन्होंने व्यत्ययमात्र के रूप में निर्दिष्ट किया है, अपने मुख्य लक्ष्य के रूप में नहीं। उक्त आचार्य के समय से लेकर आज दिन तक जो कुछ भी संस्कृत में अथवा भारत की दूसरी उत्तरकालीन भाषाओं में व्याकरणसम्बन्धी लेख-कार्य हुआ है, उसमें भी प्रथम तो वैदिक भाषा का प्रवेश है ही नहीं, और यदि कहीं-कहीं हुआ भी है, तो वह उन्हीं आचार्य-प्रवर की कही बातों की व्याख्या आदि के रूप में ही हुआ है। इस लिए प्रस्तुत प्रयास अत्यन्त विशिष्ट तथा महनीय है।

इस ग्रन्थ में एक ओर जहाँ पाणिनीय व्याकरण के साथ अन्य शिक्षा तथा व्याकरणसम्बन्धी प्राचीन ग्रन्थों की तुलना की गई है, वहाँ साथ ही आधुनिक पश्चिमी भाषा-शास्त्रियों की अभिमत धारणाओं को भी तुलनात्मक रीति से अंकित कर दिया गया है। इस कारण इस ग्रन्थ के पाठ द्वारा प्राचीन प्रणाली से व्याकरण-शास्त्र के पढ़ने-पढ़ाने के कार्य में लगा हुआ विद्यार्थिक वर्ग भी अपने शास्त्र से सम्बन्धित उक्त आधुनिक पश्चिमी मान्यताओं से भली भाँति परिचित हो सकेगा।

अभी इस ग्रन्थ का प्रथम भाग प्रकाशित हो रहा है, जिस के छः अध्यायों में वैदिक ध्वनि, सन्धि, पद-पाठ, नामिक, समास तथा तद्धित प्रकरणों का समावेश हुआ है। प्रत्येक प्रकरण के अन्त में जो टिप्पण दिए गए हैं, वे भी बहुत उपयोगी हैं। उनमें तुलना के लिए प्रस्तुत किए गए प्राचीन ग्रन्थों के केवल पते ही नहीं दिए गए, अपितु उनके सूत्रों आदि को भी उद्धृत कर दिया गया है। इससे उक्त मूल ग्रन्थों के साथ मिलान करके अध्ययन करने के लिए पाठकों के पास यदि वे ग्रन्थ नहीं भी होंगे, तो भी उनको इन टिप्पणों के द्वारा पूरा लाभ हो सकेगा। आशा है, वे सब लोग, अध्यापक भी और छात्र भी, जिनके उद्देश्य से इस उत्तम ग्रन्थ के योग्य लेखक ने बड़े परिश्रमपूर्वक इसका निर्माण किया है इससे पूरा-पूरा लाभ उठा सकेंगे।

विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान

साधु आश्रम, होशियारपुर।

विश्वधनु

४-८-१९६५

भूमिका

भारत में वैदिकभाषा के अध्ययन का इतिहास अतिप्राचीन है और वास्तव में भारतीय व्याकरण-शास्त्र का इतिहास वैदिकभाषा के अध्ययन से प्रारम्भ होता है। जब वैदिक मन्त्रों की भाषा दुरुह तथा कठिन प्रतीत होने लगी, तब इनके व्याख्यान का प्रयास प्रारम्भ हुआ। ब्राह्मणों में वैदिक व्याख्यान का आदि रूप उपलब्ध होता है। शाकल्य प्रमृति पदकारों ने वैदिक पदों के विश्लेषण द्वारा इनके व्याख्यान को सरल करने का स्तुत्य प्रयास किया। पदपाठ के आधार पर शौनक, कात्यायन आदि प्रातिशाख्यकारों ने वैदिक पदों के शुद्ध उच्चारण, सन्धि तथा स्वर आदि के सम्बन्ध में नियम धनाये। वैदिक पदों के अर्थबोध के निमित्त निघण्टुनामक वैदिककोष का संकलन किया गया। नैरुक्तों ने अपने-अपने ढंग से निघण्टु में संकलित वैदिक पदों का निर्वचन किया। यास्क्रीय निरुक्त के अनेक वाक्यों से यह स्पष्ट होता है कि यास्क से पूर्व अनेक प्रसिद्ध नैरुक्त तथा वैयाकरण हो चुके थे और व्याकरणशास्त्र का अध्ययन भी इतनी प्रगति कर चुका था कि निरुक्त उसका पूरक माना जाता था। इसमें सन्देह नहीं कि यास्क के पूर्ववर्ती वैयाकरणों ने वैदिकभाषा की विशेषताओं पर अवश्य ही विचार किया होगा। परन्तु खेद का विषय है कि यास्क के पूर्ववर्ती सभी नैरुक्तों तथा वैयाकरणों का नाम-मात्र अवशिष्ट है। और यास्क्रीय निरुक्त तथा पाणिनीय व्याकरण के अतिरिक्त इस विषय पर कोई प्राचीन ग्रन्थ नहीं मिलता है। आधुनिक विद्वानों के मतानुसार, पाणिनीय व्याकरण यास्क्रीय निरुक्त से अर्वाचीन है। मेरा यह मत है कि पाणिनीय व्याकरण तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य, ऋग्वेद-प्रातिशाख्य, वाजसनेयि-प्रातिशाख्य तथा अथर्ववेद-प्रातिशाख्य (शौनकीया चतुराध्यायिका) से भी अर्वाचीन है और पाणिनीय सूत्रों के साथ इन प्रातिशाख्यों के नियमों की तुलना से इस मत का समर्थन होता है (दे० प्रथम तथा द्वितीय अध्याय की टिप्पणियाँ)। परन्तु डा० सूर्यकान्त द्वारा सम्पादित अथर्वप्रातिशाख्य पाणिनीय व्याकरण, वार्तिक तथा पातञ्जल महाभाष्य से भी अर्वाचीन है।

यास्क के समय तक वैदिकभाषा के साथ-साथ तत्कालीन लौकिक संस्कृत के रूढ़ों पर भी तुलनात्मक विचार करने की प्रवृत्ति का उद्भव हो चुका था। अत

भूमिका

एव यास्क अपने निरुक्त में अनेक वार कहता है कि वैदिकभाषा में (अन्वध्यायम्) और तत्कालीन लौकिक संस्कृत (भाषायाम्) में ऐसा प्रयोग-भेद है। तु०—निरुक्त १, ४—“नेति प्रतिषेधार्थीयो भाषायाम् । उभयमन्वध्यायम् ।” १, ५—“शश्वदिति विचिकित्सार्थीयो भाषायाम् । ... । नूनमिति विचिकित्सार्थीयो भाषायाम् । उभयमन्वध्यायम्... ।” यद्यपि व्याकरण को मुख्य वेदाङ्ग माना गया है और वैदिक शब्दों की व्याकृति ही इस का मौलिक प्रयोजन रहा होगा, तथापि ज्यों-ज्यों इस शास्त्र का विकास होता गया तत्कालीन लौकिक संस्कृत के रूपों का विवेचन भी इसका अभिन्न अङ्ग बनता गया। यही कारण है कि पाणिनीय व्याकरण में वैदिकभाषा तथा तत्कालीन लौकिक संस्कृत का समन्वित वर्णन किया गया है और इसके अधिकतर सूत्र वैदिक तथा लौकिक संस्कृत दोनों के लिये समान रूप से लागू होते हैं। वास्तव में वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में आधारभूत मौलिक समानता है और केवल विकास-क्रम से उत्पन्न होने वाली विशेषताओं का अन्तर है। उदाहरणार्थ यदि ऋग्वेद और हितोपदेश की भाषाओं की तुलना की जाय, तो इनमें बहुत विशाल अन्तर प्रतीत होता है। परन्तु ऐतिहासिक क्रम से भाषा के विकास का अन्वीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि वैदिकभाषा की विशेषताएं धीरे-धीरे क्षीण होती गईं और अन्ततः यह लौकिक संस्कृत की धारा में विलीन हो गईं। प्राचीन वैदिकभाषा की शब्दावलि अंशतः भिन्न है और इसमें कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं, जो उत्तरकालीन संस्कृत में प्रयुक्त नहीं किये गये हैं। वैदिक नामों और आख्यातों के कुछ ऐसे विरल रूप भी मिलते हैं जो लौकिक संस्कृत में सर्वथा अप्राप्य हैं। ईम् इत्यादि अनेक वैदिक निपातों का लौकिक संस्कृत में कोई प्रयोग नहीं मिलता है। लौकिक संस्कृत के तुमुन् प्रत्यय के अर्थ में वैदिकभाषा में आधा दर्जन से अधिक प्रत्ययों का प्रयोग मिलता है। लेट् लकार का प्रयोग केवल वैदिकभाषा में मिलता है और अन्य लकारों के प्रयोग के सम्बन्ध में भी वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में विशेष भेद है। उपसर्गों के प्रयोग के विषय में भी वैदिक और लौकिक संस्कृत का अन्तर है। इसी प्रकार सन्धि-नियमों के सम्बन्ध में भी वैदिकभाषा की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। उदात्तादि स्वर भी प्राचीन वैदिकभाषा की विशेषता हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि रूप-रचना तथा अन्य विशेषताओं की दृष्टि से वैदिकभाषा लौकिक संस्कृत से अधिक सम्पन्न है; अर्थात् वैदिकभाषा में प्रायेण वे सब रूप मिलते हैं जो लौकिक संस्कृत में

प्रयुक्त होते हैं, और इनके अतिरिक्त वैदिकभाषा में ऐसे रूप तथा प्रयोग भी उपलब्ध होते हैं जो लौकिक संस्कृत में अप्राप्य हैं। परन्तु वैदिकभाषा की इन विशेषताओं का उत्तरोत्तर हास होता गया। ऋग्वेद की भाषा की तुलना में अथर्ववेद, यजुर्वेद तथा ब्राह्मणों की भाषा में उपर्युक्त वैदिक विशेषताएं न्यूनतर हैं और कल्पसूत्रों की भाषा लगभग लौकिक संस्कृत के समान है। अत एव वैदिक तथा लौकिक संस्कृत की समानताओं पर निरन्तर दृष्टि रखने वाले पाणिनि प्रभृति आचार्य साधारण नियमों का विधान करने के अतिरिक्त वैदिक तथा तत्कालीन लौकिक संस्कृत की विशेषताओं का भी उल्लेख करते हैं। पाणिनीय व्याकरण के जो विशेष नियम केवल तत्कालीन लौकिक संस्कृत के लिये लागू होते हैं, उनके साथ पाणिनि “भाषायाम्” जोड़ देता है (तु० पा० ३, २, १०८; ४, १, ६२; ६, १, १८१; ७, २, ८८; ८, २, ९८) और इसके अतिरिक्त उस समय भिन्न-भिन्न प्रदेशों में बोली जाने वाली संस्कृत-भाषा की विशेषताओं की ओर भी पाणिनि संकेत करता है; यथा—उद्गीचाम् (पा० ३, ४, १९; ४, १, १३०. १५३. १५७; ६, ३, ३२; ७, २, ४६), उशीनरेषु (पा० ४, २, ११८), प्राचाम् (पा० ३, १, ९०; ४, १, १७. १६०; ४, २, १२०. १२३. १३९; ७, ३, १४. २४; ८, २, ८६), प्राच्यभरतेषु (पा० २, ४, ६६; ४, २, ११३; ८, ३, ७५), सौवीरेषु (पा० ४, १, १४८), सौवीर-साल्व-प्राक्षु (पा० ४, २, ७६)। परन्तु तत्कालीन लौकिक संस्कृत की तुलना में वैदिकभाषा की विशेषताओं का निर्देश करने वाले सूत्र अधिक हैं। जो सूत्र साधारणतया वैदिक (मन्त्रों तथा ब्राह्मणों की) भाषा की विशेषता बतलाते हैं, उनके साथ पाणिनि “छन्दसि” जोड़ देता है। पाणिनीय व्याकरण के सौ से अधिक सूत्रों में “छन्दसि” का प्रयोग मिलता है और दर्जनों सूत्रों में इसकी अनुवृत्ति चलती है। “छन्दसि” के द्वारा सामान्य संकेत करके ही पाणिनि ने वैदिक भाषा के विवेचन को अस्पष्ट नहीं छोड़ा है, अपितु मन्त्रभाग (तु० “मन्त्रे”—पा० २, ४, ८०; ३, २, ७१; ३, ३, ९६; ४, ४, १२५; ६, १, १५१. २१०; ६, ३, १३१; ६, ४, ५३; “मन्त्रेषु”—पा० ६, ४, १४१; “निगमे—पा० ६, ३, ११३; ६, ४, ९; ७, २, ६४; ७, ३, ८१; ७, ४, ७४) तथा ब्राह्मणभाग (तु० “ब्राह्मणे”—पा० २, ३, ६०; “अमन्त्रे”—पा० ३, १, ३४) की भाषा की विशेषताओं का पृथक् उल्लेख भी किया है। और पाणिनि ने वैदिक वाङ्मय के विभिन्न ग्रन्थों की भाषा की विशेषताओं का भी स्पष्ट निर्देश किया है; यथा—“ऋचि” (पा०

भूमिका

कौ० के वैदिक-प्रकरणम् तथा स्वर-प्रकरणम् में वैदिकभाषा-सम्बन्धी नियमों का संग्रह करके उन का व्याख्यान किया है। इस में सन्देह नहीं कि भट्टोजिदीक्षित ने काशि० इत्यादि पूर्ववर्ती ग्रन्थों से पूर्ण सहायता ली है, तथापि अनेक स्थलों पर भट्टोजिदीक्षित का व्याख्यान काशि० के व्याख्यान से अधिक समीचीन है (दे० पृ० ३७० पर टि० ७०)। यद्यपि कहीं-कहीं काशि० तथा सि० कौ० दोनों का व्याख्यान स्वीकार्य नहीं है (दे० पृ० ३७९ पर टि० १७४), तथापि इन दोनों में दिये गये व्याख्यान वैदिकभाषा के विद्यार्थियों के लिये उपयोगी हैं। उवट, महीधर तथा सायण प्रभृति वैदिक भाष्यकारों ने अपने-अपने भाष्यों में पाणिनीय व्याकरण के आधार पर वैदिक भाषा की समस्याओं का समाधान किया है और अनेक वैदिक शब्दों के व्याख्यान में सायण आदि का काशि० तथा सि० कौ० से मतभेद है (दे० पृ० ३७९, टि० १७४; पृ० ४६६, टि० ७९; द्वितीय भाग, सप्तम अध्याय की टि० २४५, इत्यादि)। काशि० तथा सि० कौ० के अधिकतर भारतीय संस्करणों में वैदिक उदाहरणों का शुद्ध तथा सप्रमाण रूप देने का प्रयास नहीं किया गया है (उदाहरणार्थ दे० पा० ८, २, ९१ पर काशि० तथा सि० कौ० में वैदिक "वीहि" के अशुद्ध रूप; पृ० १५०, टि० २४ ङ)। इन ग्रन्थों के ऐसे संस्करणों की आवश्यकता है जिन में वैदिक उदाहरण शुद्ध रूप में, सस्वर तथा प्रमाण-सहित दिये गये हों।

उपर्युक्त संक्षिप्त परिचय से स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय विद्वानों ने वैदिक भाषा की विशेषताओं का व्याख्यान करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। यह नितान्त सत्य है कि प्राचीन भारतीय विद्वानों के वैदिक भाषा-सम्बन्धी अध्ययनों के सम्यक् ज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति वैदिकभाषा को पूर्णतया जानने का दावा नहीं कर सकता। इस के साथ यह भी मानना पड़ेगा कि वैदिक भाषा सम्बन्धी आधुनिक अनुसन्धानों के ज्ञान के बिना भी वैदिकभाषा का ज्ञान अपूर्ण रहता है और तत्सम्बन्धी दृष्टिकोण संकीर्ण रहता है।

आधुनिक युग में जब पाश्चात्य विद्वान् वैदिक वाङ्मय के अनुशीलन में रुचि लेने लगे, तो प्रारम्भ में वे सायणादि के भाष्यों के आधार पर ही वैदिकभाषा को समझने का प्रयास करते थे। और विल्सन द्वारा अंग्रेजी में अनूदित ऋग्वेद इस प्रवृत्ति का परिचायक है। परन्तु कुछ काल तक वैदिक ग्रन्थों का

६, ३, १३३; ७, ४, ३९), “ऋक्षु” (पा० ८, ३, ८), “यजुषि” (पा० ६, १, ११७; ८, ३, १०४), “यजुषि काठके” (पा० ७, ४, ३८)। इस के अतिरिक्त पाणिनि ने वैदिक रूपों के विषय में इतनी सूक्ष्मता से विचार किया है कि वैदिक पाद के अन्त में (तु० पा० ७, १, ५७; चतुर्थ अध्याय टि० २२७) और पाद के मध्य में (तु० पा० ८, ३, १०) किस प्रकार के रूप प्रयुक्त होते हैं। ऋग्वेद की भाषा की कुछेक प्रमुख विशेषताओं पर पाणिनि ने विशेष ध्यान दिया है; यथा—पा० ८, २, १०२ में ऋ० १०, १२९, ५ में प्रयुक्त प्लुति के स्वर के सम्बन्ध में (दे० अनु० ४५); पा० ७, १, ४३ में ऋ० ८, २, ३७ के “यजध्वैनम्” के सम्बन्ध में (दे० वैदिक व्याकरण के द्वितीय भाग में अनु० २१८ तथा सप्तम अध्याय की टि० ५८); इस के अतिरिक्त दे० उपर्युक्त “ऋचि” तथा “ऋक्षु”। वैदिक भाषा की जो सूक्ष्म विशेषताएं पाणिनि के सूत्रों द्वारा अस्पष्ट रह गई थीं, उन में से बहुत सी विशेषताओं की ओर कात्यायन ने अपने वार्तिकों में संकेत किया है (दे० सि० कौ० का “वैदिक-प्रकरणम्”)। मैं उन विद्वानों से पूर्णतया सहमत नहीं हूँ जो यह मानते हैं कि संस्कृत-भाषा के क्रमिक विकास के कारण उस में जो नये परिवर्तन आ गये थे उन का समाधान करने के लिये वार्तिक बनाये गये। वस्तु-स्थिति यह है कि पाणिनीय व्याकरण वैदिक तथा लौकिक संस्कृत के शब्दों के सम्बन्ध में उपदेश करने का दावा करता है। अत एव वैदिक तथा लौकिक संस्कृत के जो शब्द पाणिनि की दृष्टि से ओझल रह गये थे उन के समाधान के लिये कात्यायन ने वार्तिक बनाये और इस प्रकार पाणिनीय व्याकरण को अधिक उपयोगी बनाया। पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में वैदिक भाषा-सम्बन्धी बहुत से सूत्रों तथा वार्तिकों का स्पष्ट व्याख्यान किया है और अनेक मन्त्र अंशतः उद्धृत किये हैं। पा० ३, १, ८५ “व्यत्ययो बहुलम्” के व्याख्यान में पतञ्जलि ने एक कारिका भी दी है (दे० वैदिक व्याकरण, द्वितीय भाग, सप्तम अध्याय की टि० ७१)। काशिकावृत्ति ने सूत्र, वार्तिक तथा महाभाष्य के आधार पर वैदिक भाषा-सम्बन्धी नियमों का विशद व्याख्यान किया है और वैदिक वाङ्मय से उपयुक्त उदाहरण उद्धृत किये हैं। परन्तु काशि० में उद्धृत कतिपय वैदिक उदाहरणों का स्रोत श्रुत्य है; यथा—पा० ७, १, १०—“बहुलं छन्दसि” पर काशि० कहती है “अत इत्युक्तमनतोऽपि भवति-नद्यैरिति”। वर्तमान वैदिक वाङ्मय में “नद्यैः” रूप नहीं मिलता है। भट्टोजिदीक्षित ने सि०

भूमिका

कौ० के वैदिक-प्रकरणम् तथा स्वर-प्रकरणम् में वैदिकभाषा-सम्बन्धी नियमों का संग्रह करके उन का व्याख्यान किया है। इस में सन्देह नहीं कि भट्टोजिदीक्षित ने काशि० इत्यादि पूर्ववर्ती ग्रन्थों से पूर्ण सहायता ली है, तथापि अनेक स्थलों पर भट्टोजिदीक्षित का व्याख्यान काशि० के व्याख्यान से अधिक समीचीन है (दे० पृ० ३७० पर टि० ७०)। यद्यपि कहीं-कहीं काशि० तथा सि० कौ० दोनों का व्याख्यान स्वीकार्य नहीं है (दे० पृ० ३७९ पर टि० १७४), तथापि इन दोनों में दिये गये व्याख्यान वैदिकभाषा के विद्यार्थियों के लिये उपयोगी हैं। उवट, महीधर तथा सायण प्रभृति वैदिक भाष्यकारों ने अपने-अपने भाष्यों में पाणिनीय व्याकरण के आधार पर वैदिक भाषा की समस्याओं का समाधान किया है और अनेक वैदिक शब्दों के व्याख्यान में सायण आदि का काशि० तथा सि० कौ० से मतभेद है (दे० पृ० ३७९, टि० १७४; पृ० ४६६, टि० ७९; द्वितीय भाग, सप्तम अध्याय की टि० २४५, इत्यादि)। काशि० तथा सि० कौ० के अधिकतर भारतीय संस्करणों में वैदिक उदाहरणों का शुद्ध तथा सप्रमाण रूप देने का प्रयास नहीं किया गया है (उदाहरणार्थ दे० पा० ८, २, ९१ पर काशि० तथा सि० कौ० में वैदिक "वीहि" के अशुद्ध रूप; पृ० १५०, टि० २४ ङ)। इन ग्रन्थों के ऐसे संस्करणों की आवश्यकता है जिन में वैदिक उदाहरण शुद्ध रूप में, सस्वर तथा प्रमाण-सहित दिये गये हों।

उपर्युक्त संक्षिप्त परिचय से स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय विद्वानों ने वैदिक भाषा की विशेषताओं का व्याख्यान करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। यह नितान्त सत्य है कि प्राचीन भारतीय विद्वानों के वैदिक भाषा-सम्बन्धी अध्ययनों के सम्यक् ज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति वैदिकभाषा को पूर्णतया जानने का दावा नहीं कर सकता। इस के साथ यह भी मानना पड़ेगा कि वैदिक भाषा सम्बन्धी आधुनिक अनुसन्धानों के ज्ञान के बिना भी वैदिकभाषा का ज्ञान अपूर्ण रहता है और तत्सम्बन्धी दृष्टिकोण संकीर्ण रहता है।

आधुनिक युग में जब पाश्चात्य विद्वान् वैदिक वाङ्मय के अनुशीलन में रुचि लेने लगे, तो प्रारम्भ में वे सायणादि के भाष्यों के आधार पर ही वैदिकभाषा को समझने का प्रयास करते थे। और विल्सन द्वारा अंग्रेजी में अनूदित ऋग्वेद इस प्रवृत्ति का परिचायक है। परन्तु कुछ काल तक वैदिक ग्रन्थों का

अनुशीलन करने के पश्चात् योरोपीय संस्कृतज्ञों को सायणादि भारतीय भाष्यकारों के व्याख्यान से असन्तोष होने लगा । और वे सायणादि भाष्यकारों की इस पद्धति को दोषपूर्ण समझने लगे कि वैदिकभाषा की अधिकतर गुत्थियों को सुलझाने के लिये “व्यत्ययो बहुलम्”, “छन्दसि बहुलम्”, “वा छन्दसि” इत्यादि पाणिनीय सूत्रों का अन्धाधुन्ध प्रयोग किया जाता है और स्पष्ट अर्थ न सूझने पर एक ही शब्द के अनेक वैकल्पिक तथा काल्पनिक अर्थ सुझा दिये जाते हैं । ऐसे व्याख्यानों से तो यह सिद्ध होगा कि वैदिकभाषा में कोई निश्चित नियम नहीं है और वैदिक मन्त्रों का कोई निश्चित अर्थ नहीं है । पाश्चात्य विद्वानों ने यह सिद्धान्त रक्खा कि अन्य भाषाओं की भांति वैदिकभाषा में भी निश्चित नियम हैं और वैदिकमन्त्रों का निश्चित अर्थ है, जिसका निर्णय स्वयं वेद की सहायता से किया जा सकता है और बाह्य भाष्यों के आधार पर नहीं । अत एव रॉट प्रमृति पाश्चात्य विद्वानों ने यह अभिमत प्रस्तुत किया कि वैदिकभाषा को समझने के लिये सायण प्रमृति भारतीय भाष्यकारों का अन्धानुकरण व्यर्थ है और इसके लिये वैदिकभाषा के स्वतन्त्र अध्ययन की आवश्यकता है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये पाश्चात्य विद्वानों ने अन्तःसाक्ष्य के आधार पर वैदिकभाषा का स्वतन्त्र अनुशीलन आरम्भ किया । और इस पद्धति के अनुसार रॉट ने वैदिकभाषा के अध्ययन में जो महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है वह “St. Petersburg Wörterbuch” (S P W.; दे० संक्षेप-सूची) के रूप में चिर-स्मरणीय रहेगा । इस ग्रन्थ ने वैदिकभाषा के अध्ययन को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया । इसमें प्रत्येक वैदिक शब्द का तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक विवेचन किया गया है । इस कोष में लौकिक संस्कृत के शब्दों का विवेचन वोट्लिक द्वारा किया गया है । रॉट के पश्चात् अनेक आधुनिक विद्वानों ने वैदिकभाषा के विभिन्न पक्षों का स्वतन्त्र तथा सुव्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया है । ग्रासमैन ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “Wörterbuch Zum Rigveda” (W Z R.) में ऋग्वेद के प्रत्येक शब्द के प्रयोग, अर्थ तथा व्याकरणविषयक वैशिष्ट्य पर विचार किया है । वैदिकभाषा के अध्ययन के इतिहास में यह अनुपम ग्रन्थ है और ऋग्वेद से भिन्न वैदिकग्रन्थों के शब्दों के व्याख्यान के लिये भी ऐसे कोष की परम आवश्यकता है । डैल्लिक ने “Das Altindische Verbum” (Alt. V.) में और अँवरी ने “Verb-Inflection in Sanskrit” (Avery, J. A. O. S., Vol. X, pp. 219-

324) में वैदिकभाषा के आख्यातों के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान किया है। डैल्रिक प्रणीत "Altindische Syntax" (Alt. S.) वैदिकभाषा की वाक्य-रचना पर प्रकाश डालता है। वैदिकभाषा में प्रयुक्त नामिक रूपों के सम्बन्ध में लैन्मैन का लेख "Noun-Inflection in the Veda" (Lanman, J. A. O. S., Vol. X, pp. 325-602) विशेषतया उल्लेखनीय है। हिटने ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ "Sanskrit Grammar" (Skt. Gr.) में लौकिक संस्कृत के साथ-साथ वैदिकभाषा के नियमों और विशेषताओं का सुव्यवस्थित तथा तथ्य-युक्त परिचय दिया है और इस व्याकरण के परिशिष्ट-रूपी पृथक् पुस्तक "The Roots, Verb-forms and Primary Derivatives of the Sanskrit Language" (Roots) में वैदिक तथा लौकिक संस्कृत के धातु-रूपों का प्रामाणिक वर्णन किया है। ओल्डनवर्ग ने "Die Hymnen des Rigveda. Metrische und textgeschichtliche Prolegomena" (Prolegomena) तथा "Rigveda. Textkritische und exegetische Noten" (Rig. Noten) में ऋग्वेद के छन्द तथा भाषा की प्रमुख विशेषताओं पर विद्वत्तापूर्ण विचार किया है। गैल्डनर तथा पिशल ने "Vedische Studien" (Ved. St.) में चुने हुए कठिन वैदिक शब्दों के अर्थों पर अनुसन्धान किया है। वाकरनागल ने अपने विशाल ग्रन्थ "Altindische Grammatik" (Alt. Gr.) में वैदिक तथा लौकिक संस्कृत का ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। मोनियर-विलियम्स ने अपने सुविख्यात कोष "A Sanskrit-English Dictionary" (MWD.) में वैदिक तथा लौकिक संस्कृत के शब्दों के सम्बन्ध में प्रामाणिक तथ्य प्रस्तुत किये हैं और महत्त्वपूर्ण शब्दों के अर्थों के विषय में पाश्चात्य तथा प्राच्य पण्डितों के मतों का संक्षिप्त निर्देश किया है। आर्नोल्ड ने "Vedic Metre" (Ved. Mtr.) में वैदिक छन्दों का सूक्ष्म अध्ययन किया है। डा० विश्वबन्धु-कृत "वैदिक-पदानुक्रम-कोषः" में सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय के पदों का निश्चित परिचय दिया गया है और टिप्पणियों में महत्त्वपूर्ण पदों का विवेचन भी किया गया है। वैदिक-भाषा-सम्बन्धी अनुसन्धान के लिए यह कोष परम उपयोगी है। उपर्युक्त विद्वानों के अतिरिक्त अनेक आधुनिक विद्वानों ने वैदिक भाषा की विशेषताओं का गहन अनुशीलन करके महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान किये हैं। परन्तु यहां पर उन सब का उल्लेख असम्भव है।

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक प्रणीत संस्कृत-व्याकरणों में वैदिक तथा लौकिक संस्कृत का परिचय एक ही ग्रन्थ में साथ-साथ दिया जाता रहा। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में वैदिकभाषा के लिये स्वतन्त्र रूप से पृथक् व्याकरण लिखने की प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ। और १९१० ई० में मैक्डानल-प्रणीत "Vedic Grammar" (Ved. Gr.) के प्रकाशन से इस दिशा में प्रथम प्रयास का श्रीगणेश हुआ। इस के छः वर्ष पश्चात् १९१६ ई० में मैक्डानल के द्वितीय ग्रन्थ "A Vedic Grammar for Students" (Ved. Gr. Stu.) का प्रकाशन हुआ। यद्यपि मैक्डानल का द्वितीय ग्रन्थ अधिकांश में प्रथम ग्रन्थ का संक्षेप-मात्र है, तथापि विद्वान् लेखक ने द्वितीय ग्रन्थ में उपयोगी परिवर्तन तथा परिवर्धन भी किये हैं और कुछ प्रकरण ऐसे भी जोड़े हैं जो प्रथम ग्रन्थ में नहीं थे (यथा—वाक्यरचना और छन्द)। १९५२ ई० में रैनू द्वारा प्रणीत "Grammaire de la Langue Védique" (Gr. Lg. Ved.) का प्रकाशन हुआ। इन व्याकरणों में वैदिक-भाषा-सम्बन्धी आधुनिक अनुसन्धानों का सारांश दिया गया है। अंग्रेजी भाषा जानने वाले वैदिक विद्यार्थियों में मैक्डानल के दोनों व्याकरण गत पचास वर्षों से सर्वप्रिय रहे हैं। परन्तु इन व्याकरणों में वैदिक-भाषा का सारा वर्णन पाश्चात्य पद्धति से किया गया है और प्राचीन भारतीय विद्वानों ने वैदिक-भाषा के वर्णन में जो महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है उस की पूर्ण उपेक्षा की गई है। इस का परिणाम यह है कि जिन विद्यार्थियों का ज्ञान इन व्याकरणों तक सीमित है वे वैदिक भाषा की विशेषताओं से तो परिचित हो जाते हैं, परन्तु पदपाठ, प्रातिशाख्यों तथा सायणादि के वैदिक भाष्यों को समझने में उन्हें अवश्य काठिन्य होता है। अत एव एक ऐसे वैदिक व्याकरण की आवश्यकता थी जिस में पद-पाठ, पाणिनीय व्याकरण, प्रातिशाख्यों तथा वैदिकभाष्यों के मतों के साथ-साथ आधुनिक अनुसन्धानों का समन्वित सार प्रस्तुत किया गया हो, ताकि ऐसे वैदिक व्याकरण की सहायता से विद्यार्थी वैदिक भाषा-सम्बन्धी प्राचीन भारतीय मत तथा आधुनिक अनुसन्धानों से परिचित हो सकें। इसी अभाव की पूर्ति के लिये प्रस्तुत वैदिक व्याकरण की रचना का संकल्प किया गया था और उसका प्रथम भाग आज विद्वद्दृष्टि के कर-कमलों में समर्पित है। आशा है कि भगवत्कृपा और उदार, निष्पक्ष तथा गुणग्राही मनीषियों के आशीर्वाद से द्वितीय भाग भी शीघ्र प्रकाशित हो सकेगा।

हिटने ने अपने संस्कृत-व्याकरण की भूमिका में लिखा है कि प्रत्येक व्याकरण अवश्य ही अधिकांश में पूर्ववर्ती व्याकरणों पर आधारित होता है ।

प्रस्तुत वैदिक व्याकरण को इस साधारण नियम का अपवाद तो नहीं माना जा सकता, परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस व्याकरण की रचना में पूर्ववर्ती व्याकरणों से पूर्ण सहायता लेने के साथ-साथ वैदिक कोषों, अनुसन्धानात्मक लेखों, प्रातिशाख्यों, वैदिकभाष्यों तथा मूल वैदिक ग्रन्थों का पूर्ण उपयोग किया गया है । इस व्याकरण में सभी उदाहरणों को मूल वैदिक ग्रन्थों से मिलाकर उद्धृत किया गया है और जहाँ-कहीं पूर्ववर्ती व्याकरणों के उदाहरणों या नियमों से भेदा मत-भेद है, वहाँ पर इस बात की ओर संकेत किया गया है; यथा—पृ० ४८, ४९, ७६, १४६, १५९, १६५, १६६, १६८, १६९, ३७६, ३८२ इत्यादि पर मैक्डानल के वैदिक व्याकरण के कतिपय ऐसे स्थलों की ओर संकेत किया गया है, जिन में भेदे मतानुसार संशोधन की आवश्यकता है । वैदिक व्याकरण में वैदिक पदों के अनेक ऐसे उदाहरण दिये गये हैं जो पूर्ववर्ती वैदिक व्याकरणों में नहीं दिये गये थे; यथा—एतद्, एन, अन्य, इतर तथा सर्व इत्यादि सर्वनामों के रूपों की तुलना कीजिए । परन्तु पूर्ववर्ती व्याकरणों में उद्धृत जिन वैदिक उदाहरणों का मूल स्रोत मुझे नहीं मिला है उन के सम्बन्ध में मैंने अपनी असमर्थता प्रकट की है; यथा दे०— पृ० ३७२ टि० ९०, पृ० ३९५ टि० २९४, पृ० ३८९ टि० २३८, पृ० ३७३ टि० १००, पृ० ३६६ टि० ३५-३६, पृ० १६३ टि० ६७ ग, पृ० ३९७ टि० ३०० । जो वैदिक रूप बहुत से ग्रन्थों में मिलते हैं उन के सामने ग्रन्थ-नाम का निर्देश नहीं किया गया है । परन्तु जो रूप वैदिकभाषा में विरल हैं या किसी एक ही ग्रन्थ में मिलते हैं उनके सामने कोष्ठक में ग्रन्थ-नाम का निर्देश किया गया है; यथा— पृ० ३४० युवोः (ऋ०), पृ० २४१ युवे (अ० ७, १०९, ५), पृ० ३३९ युष्माः (वा० सं० १, १३; ११, ४७), पृ० २५४ द्रोष्णः (शत० ब्रा० ३, ८, ३, १७) । जिस किसी वैदिक उदाहरण के व्याकरण-सम्बन्धी व्याख्यान के विषय में मतभेद है, उस का संक्षिप्त परिचय टिप्पणियों में निष्पक्ष रूप से दिया गया है और आवश्यकतानुसार लेखक ने अपना मत भी व्यक्त किया है ।

पाठकों की सुविधा के लिये अंग्रेजी, जर्मन तथा फ्रेंच भाषा में लिखित ग्रन्थों का स्थल-निर्देश पाश्चात्य-पद्धति के अनुसार रोमन-लिपि में किया गया है

और ग्रन्थों के नाम तथा संक्षेप भी रोमन-लिपि में दिये गये हैं। ऋग्वेदादि जो वैदिक ग्रन्थ स्वरांकित हैं उनसे उद्धृत पद स्वर-चिह्नों के साथ दिये गये हैं और इस व्याकरण में हम ने स्वर-चिह्न लगाने की उस पद्धति का ग्रहण किया है जो ऋ०, अ०, वा० सं०, तै० सं० तथा तै० ब्रा० में प्रचलित है अर्थात् उदात्त के लिये कोई स्वर-चिह्न नहीं लगाया जाता है और यथानियम अनुदात्त तथा स्वरित का चिह्न प्रयुक्त किया जाता है (कहीं-कहीं अनुदात्त का चिह्न भी नहीं लगाया जाता है इत्यादि विस्तृत नियम वैदिक व्याकरण के “स्वर-प्रकरणम्” में मिलेंगे)। अत एव सा०, मै० सं०, का० सं० तथा शत० ब्रा० से उद्धृत पदों को भी उपर्युक्त ऋग्वेदादि में प्रचलित पद्धति के अनुसार स्वरांकित किया गया है, क्योंकि ऋग्वेदादि में प्रचलित पद्धति वैदिक वाङ्मय के अधिकतम ग्रन्थों में अपनायी गई है। इसलिये प्रधानता के आधार पर हम ने इस पद्धति का ग्रहण किया है और आधुनिक विद्वानों के पथ का अनुसरण नहीं किया है जिसके अनुसार केवल उदात्त तथा स्वतन्त्र स्वरित (Independent Svarita) का चिह्न लगाया जाता है। इस ग्रन्थ में वैदिक पदों का स्वर मूल वैदिक प्रयोग के अनुसार ही दिखलाया गया है; उदाहरणार्थ यदि किसी सम्बोधन या आख्यात पद के सभी वैदिक प्रयोग सर्वानुदात्त हैं तो उन्हें सर्वानुदात्त ही दिखलाया गया है, यथा पृ० ३११ पर रथ्या, रथ्युः। वैदिक व्याकरण में प्रयुक्त महत्त्वपूर्ण पदों की अनुक्रमणी सम्पूर्ण व्याकरण के अन्त में जोड़ी जायगी।

इस बात पर पूरा ध्यान दिया गया है कि मुद्रण की कोई अशुद्धि न रहने पाये और यह विशेष प्रसन्नता तथा गौरव का विषय है कि इतने स्वर-चिह्नों, तथा अक्षरों के होते हुए भी मुद्रण की अशुद्धियां लगभग नगण्य हैं। बीस के लगभग जो अशुद्धियां रह गई हैं उनका शुद्धि-पत्र जोड़ दिया गया है। परन्तु मुद्रण के समय मशीन में ए, ऐ आदि की मात्राएं तथा हलन्त-चिह्नों के टूटने से जो शब्द कहीं-कहीं अंशतः विकृत हो गये हैं उन्हें अशुद्धियों में नहीं गिनाया गया है, क्योंकि पाठकों को इनसे कोई भ्रान्ति नहीं हो सकती। विश्वेश्वरानन्द-वैदिक-शोध-संस्थान-प्रेस तथा पं० देवदत्त शास्त्री ने इस ग्रन्थ के शुद्ध मुद्रण में मुझे सराहनीय सहयोग दिया है जिसके लिये मैं इनका आभारी हूँ।

जिन विद्वानों के ग्रन्थों तथा लेखों से इस ग्रन्थ की रचना में सहायता ली गई है, टिप्पणियों में उन सबका यथावत् उल्लेख किया गया है और उन

सबके प्रति मैं पुनः अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। डा० विश्वबन्धु के प्रति विशेष श्राभार का प्रदर्शन करना मैं अपना सुखद कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि इन्होंने अपने सुविख्यात “वैदिकपदानुक्रमकोषः” के द्वारा दिये गये साहाय्य के श्रतिरिक्त वैदिक व्याकरण के लिये प्राक्थन लिख कर मुझे विशेषतया अनुग्रहीत किया है। अन्ततः मैं अपने श्रेष्ठ्य गुरुवर्य स्वर्गीय पं० गंगाराम शर्मा तथा स्वर्गीय डा० लक्ष्मीधर के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धाञ्जलि समर्पित करता हूँ जिनके अमर आशीर्वाद से इस ग्रन्थ की रचना सम्भव हो सकी है। पं० गंगाराम शर्मा ने जिस स्नेह तथा सौहार्द से मुझे पाणिनीय व्याकरण के मर्म समझाये उसके बिना संस्कृतभाषा का मौलिक ज्ञान असम्भव था। भाषा के मौलिक ज्ञान के अभाव में विद्यार्थी प्रायः अनुवादों के अनुचर बने रहते हैं। डा० लक्ष्मीधर ने जिस ऐतिहासिक, आलोचनात्मक, तुलनात्मक तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण का उद्बोधक दर्शन प्रदान किया उसके बिना वैदिक व्याकरण का वर्तमान रूप असम्भव था। दिल्ली-विश्वविद्यालय के संस्कृत एम० ए० में लब्धांकों का नया रेकार्ड स्थापित करने और पं० रघुवरदयाल-स्मारक-स्वर्णपदक तथा पं० गौरीशंकर-जैतली-स्वर्ण-पदक प्राप्त करने का जो उत्कर्ष मुझे प्राप्त हुआ उसका श्रेय श्रेष्ठ्य गुरुवर्यो के प्रेरणापूर्ण वैदुष्य तथा विद्यावर्धक प्रोत्साहन को ही है। दिल्ली-विश्वविद्यालय के आल-इण्डिया-रिसर्च-फैलो के रूप में डा० लक्ष्मीधर के पुनीत चरणों में बैठ कर दो वर्ष तक इनकी ज्ञानधारा से तृप्ति प्राप्त करने का जो अनुपम अवसर प्राप्त हुआ और इनके विद्वत्तापूर्ण पथ-प्रदर्शन के फलस्वरूप दिल्ली-विश्वविद्यालय की प्रथम संस्कृत पी-एच० डी० उपाधि प्राप्त करने का जो गौरवपूर्ण सुयोग मिला उसके लिये मैं सर्वदा कृतज्ञ रहूँगा।

इस ग्रन्थ में सुधार के प्रत्येक सुझाव का मैं सहर्ष स्वागत करूँगा और आगामी संस्करण में सभी उपयोगी सुझावों के लिये विद्वानों के प्रति कृतज्ञता का प्रकाशन करूँगा।

पंजाब-विश्वविद्यालय,

चण्डीगढ़.

१ जून, १९६५.

रामगोपाल

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्राक्कथन	5
भूमिका	7-17
संक्षेप-सूची	22-26
शुद्धि-पत्र	27
प्रथमोऽध्यायः— ध्वनि-प्रकरणम्	१-७६
वर्ण-समाम्नायः—१ (स्वर, १; व्यञ्जन, २); उच्चारण—३ (स्वरोच्चारण, ३; व्यञ्जनोच्चारण, ८; प्रसन्न, ८; स्थान तथा करण, १०; अन्तस्थाः, ११; य्व् का उच्चारण-वैशिष्ट्य, १२; र्ल्, १५; ऊष्माणः, १६; अयोगवाहाः, १६); संयोगविषयक उच्चारण-वैशिष्ट्य—१७ (स्वर-भक्ति, १७; अभिनिधान, १८; ध्रुव, १९; स्फोटन, कर्षण, वर्णक्रम, २०); अक्षर-विभाजन—२२; प्रयोगात्मक तथा तुलनात्मक विवेचन—२३ (समानाक्षर, २३; सन्ध्यक्षर, २६; स्वरावस्था-विकृति, २७; गुण की अवस्थाएं, २९; य व र की हासावस्था, ३१; या वा रा की हासावस्था, ३१; अ आ की अवस्थाएं, ३२; ऐ औ की अवस्थाएं, ३३; व्यञ्जन—कण्ठस्पर्श, ३४; तालव्य व्यञ्जन, ३५; पूर्वकालीन तालव्य, ३७; उत्तरकालीन तालव्य, ३८; मूर्धन्य स्पर्श, ३९; दन्त्य स्पर्श, ४०; ओष्ठ्य स्पर्श, अन्तस्थाः, ४१; ऊष्माणः, ४४; अयोगवाहाः, ४६); टिप्पणियां— ४९.	
द्वितीयोऽध्यायः— सन्धि-प्रकरणम्	७७-१८३
संहिता-भेद—७७; पद-सन्धि—७७ (पदान्तीय वर्ण, ७८; पदादि वर्ण, ७९; पद-सन्धि की अभिव्याप्ति, ७९; अवसान में वर्णों का स्वरूप, ८०); स्वर-सन्धि— ८१, (स्वर-सन्धि-भेद, ८१; सवर्णदीर्घ, ८२; गुण ८३; वृद्धि, यण्, ८५; अयादि, ८६; पूर्व-रूप, ८८; प्रकृतिभाव—८९; प्लुत, ८९; प्रगृह्य, ९२; छान्दसदीर्घ, ९६); व्यञ्जन-सन्धि— ९९ (पदान्तीय क् ट् त् प्, १००; पदादि ह्, पदान्तीय त्, १०१; पदादि श्, १०२; पदान्तीय ङ्, १०३; पदान्तीय च्, १०४; पदान्तीय म्, ११०; पदादि	

स्, ११३; पदान्तीय विसर्जनीय ११४; रिफित विसर्जनीय, ११९);
अन्तःपदसन्धि तथा पदसन्धि में मूर्धन्यभाव- १२४ (अन्तःपदसन्धि
में, १२५; पदसन्धि में, १२६); अन्तःपदसन्धि- १३० (विशेषताएं,
१३०; स्वर-सन्धि, १३१; व्यञ्जन-सन्धि, १३३); टिप्पणियां-१४२.

तृतीयोऽध्यायः— पदपाठप्रकरणम् ... १८४-२१४

पदपाठ का प्रादुर्भाव तथा महत्त्व- १८४; ऋग्वेद के पदकार शाकल्य-
१८५; सामवेद के पदकार गार्ग्य- १८६; तै० सं० के पदकार आत्रेय-
१८७; अन्य संहिताओं के पदकार- १८८; पदविभागविषयक
मतभेद- १८९; पदपाठ-सम्बन्धी नियम- १९० (समापत्ति, समापाय,
१९१; इत्तिकरण, उपस्थित, १९२; चर्चा, १९३; अवग्रह, १९४;
अवग्रह पदों की चर्चा, २००); क्रमपाठ- २०१; क्रमपाठ के नियम-
२०२ (त्रिक्रम, २०२; चतुःक्रम, पञ्चक्रम, २०४; क्रमपाठ में सन्धि-
विकार तथा प्रकृति, २०४; परिग्रह, परिहार, स्थितोपस्थित, २०५);
जटादि अन्य पाठ- २०७; टिप्पणियां- २०७.

चतुर्थोऽध्यायः— नामिकप्रकरणम् ... २१५-४०१

पदों के चार भेद- २१५; लिङ्गभेद, वचनभेद- २१६; विभक्तियां-
२१७; विभक्तियों की सरूपता- २१८; अङ्गभेद के सम्बन्ध में पाश्चात्य
तथा पाणिनीय मत- २१९; प्रातिपदिकों का वर्गीकरण- २२१; हलन्त
प्रातिपदिकों का वर्गीकरण- २२२; अविकार्यङ्ग हलन्त प्रातिपदिक- २२२
(सन्धि, २२३; क्वर्गान्त, चकारान्त, २२४; छकारान्त, जकारान्त, २२६;
टवर्गान्त, तकारान्त, २२९; थकारान्त, २३१; दकारान्त, २३२; धकारान्त,
२३५; नकारान्त, २३६; पकारान्त, २३७; भकारान्त, २३८; मकारान्त,
रेफान्त, २३९; वकारान्त, २४१; शकारान्त, २४३; फकारान्त,
सकारान्त, २४५; हकारान्त, २५५); विकार्यङ्ग हलन्त प्रातिपदिक-
२५८ (वर्गीकरण, २५८; द्वयङ्ग, २५९; व्यङ्ग, २६५; पुंस्, २८१;
अनुदुह, २८२); अजन्त प्रातिपदिक- २८२ (हलन्त से अजन्त प्राति-
पदिक बनाने की प्रशुति, २८२; अकारान्त, २८५; आकारान्त, २८८;
इकारान्त, उकारान्त, २९४; ईकारान्त, ३०४; ऊकारान्त, ३११;
ऋकारान्त, ३१५; ऐकारान्त, ३२०; ओकारान्त, ३२२; औकारान्त,

विषय-सूची

३२३); संख्यावाचक शब्द—३२३ (संख्या, ३२४; रूप-रचना, ३२६; वाक्यरचना में प्रयोग, ३३०; क्रम-वाचक, ३३२; तद्धितरूप, ३३५); सर्वनाम—३३७ (सर्वनाम, ३३७; अस्मद्, युष्मद्, ३३८; विभक्तियां, ३४०; तद्, ३४२; एतद्, ४३; त्यद्, ३४४; त्क, अत्र, अस्, त्वत्, त्व, नेम, सिम, सम, ३४५; इदम् ३४८; एन, एन, ३५०; अदस, ३५२; यद्, ३५३; किम्, ३५४; स्व, ३५६; स्वयम्, तनू, ३५७; आत्मन्, ३५८; अन्य, इतर, सर्व, विश्व, ३५८; वैकल्पिक रूपों वाले सर्वनाम, ३६१); टिप्पणियां—३६२.

पञ्चमोऽध्यायः— समास-प्रकरणम् ४०२-४४३.

समास—४०२; विशेषताम्—४०२; सन्धि—४०३; समासाश्रय-विधि—४०३; समासान्त—४०५; वर्गीकरण—४०६; लिङ्ग-वैशिष्ट्य—४०७; द्वन्द्व-समास—४०८ (इतरेतरयोग, ४०८; समाहार, ४१०; पूर्वपद, समासान्त, ४११); तत्पुरुषसमास—४१२ (द्वितीयादि, ४१२; अलुक्, ४१४; एकदेशिसमास, ४१५; उपपदसमास, ४१५; कर्मधारयसमास, ४१८; द्विगुसमास, ४१८; नञ्समास, ४१९; कुगतिप्रादिसमास, ४१९; समासान्त, ४२१); बहुव्रीहिसमास—४२२ (विशेषता, ४२२; समानाधिकरणपद बहुव्रीहि, ४२३; व्यधिकरणपद बहुव्रीहि, ४२४; समासान्त, ४२५); पूर्वपदप्रधानसमास—४२८, (अव्ययी-भावसमास, ४२८; शत्रन्तप्रधानसमास, ४२९); द्विरुक्तसमास—४३०; अन्यवस्थितसमास—४३१; टिप्पणियां—४३२.

षष्ठोऽध्यायः— तद्धितप्रकरणम् ४४४-४६७.

सामान्य परिचय—४४४; तद्धित प्रत्ययों से होने वाले विकार—४४५; पाणिनीय प्रत्ययों का वास्तविक रूप—४४५; तुलनावाचक प्रत्यय—४४६ (ईयस्, इष्ट, ४४६; तर, तम, ४४८); भाववाचक तथा कर्मवाचक प्रत्यय—४४८; मतुवादि प्रत्यय—४४९; अपत्यवाचक प्रत्यय—४५१; सर्वनामों तथा संख्यावाचक शब्दों के साथ तद्धित प्रत्यय—४५२; विभक्त्यर्थक प्रत्यय—४५३; समूहवाचक तथा ह्रस्ववाचक प्रत्यय—४५६; ताति तथा तात् प्रत्यय—४५७; सम्बन्धवाचक प्रत्यय—४५९; टिप्पणियां—४६१.

संक्षेप-सूची

अ०=अथर्ववेदसंहिता (शौनकशाखा)
 अदा०=अदादिगण
 अनु०=अनुच्छेद (Paragraph)
 अ० प्रा०=अथर्ववेदप्रातिशाख्य (द्विटने-
 सम्पादित)
 अ० प्रा० (सूर्यकान्त) = अथर्वप्राति-
 शाख्य (डा० सूर्यकान्त-सम्पादित)
 अमो० शि०=अमोघानन्दिनी शिक्षा
 अव्य०=अव्यय
 अस०=अव्ययीभावसमास
 आ०=आत्मनेपद
 आप० गृ० सू०=आपस्तम्बगृह्यसूत्र
 आप० ध० सू०=आपस्तम्बधर्मसूत्र
 आप० श्रौ० सू०=आपस्तम्बश्रौतसूत्र
 आलि०=आशीर्लिङ्
 आश्व० गृ० सू०=आश्वलायनगृह्यसूत्र
 आश्व० श्रौ० सू०=आश्वलायनश्रौतसूत्र
 इ० यो०=इण्डो-यूरोपीय (मूलभाषा)
 उ० या उ० पु०=उत्तम पुरुष
 उप०= उपनिषद्
 उप० स०=उपपदसमास
 ऋ०=ऋग्वेदसंहिता
 ऋ० प्रा०=ऋग्वेदप्रातिशाख्य
 ए०=एकवचन
 ऐ० आ०=ऐतरेयारण्यक
 ऐ० उप०=ऐतरेयोपनिषद्
 ऐ० ब्रा०=ऐतरेयब्राह्मण
 क० प्र०=कर्मप्रवचनीय

कपि० सं०=कपिष्ठलसंहिता
 कवा०=कर्मवाच्य
 कान०=कानजन्त
 काशि०=काशिकावृत्ति
 का० शि०=कात्यायनी शिक्षा
 का० श्रौ०=कात्यायनश्रौतसूत्र
 का० सं०=काठकसंहिता
 के० शि०=केशवी शिक्षा
 कौ० उप०=कौपीतिक उपनिषद्
 कौ० ब्रा०=कौपीतिक-ब्राह्मण
 कौशि०=कौशिकसूत्र
 क्रि०=क्रियापद
 क्रि० वि०=क्रियाविशेषण
 क्रया०=क्रयादिगण
 क्क०=क्कखन्त
 खि०=खिलसूक्त
 ग० स०=गतिसमास
 गृ० सू०=गृह्यसूत्र
 गो० गृ० सू०=गोभिलगृह्यसूत्र
 गो० ब्रा०=गोपथब्राह्मण
 गौ० ध० सू०=गौतमधर्मसूत्र
 च०=चतुर्थी विभक्ति
 चु०=चुरादिगण
 छा० उप०=छान्दोग्योपनिषद्
 जु०=जुहोत्यादिगण
 जै० ब्रा०=जैमिनीयब्राह्मण
 जै० सं०=जैमिनीयसंहिता
 टि०=टिप्पणी

तना०=तनादिगण
 त० वो०=तत्त्ववोधिनी टीका (सि०
 वौ० पर)
 त० स०=तत्पुरुषममास
 तु०=तुलना कीजिये
 तुदा०=तुदादिगण
 तृ०=तृतीया विभक्ति
 तै० आ०=तैत्तिरीयारण्यक
 तै० प्रा०=तैत्तिरीयप्रातिशाख्य
 तै० ब्रा०=तैत्तिरीयब्राह्मण
 तै० सं०=तैत्तिरीयसंहिता
 दि०=दिवादिगण
 दे०=देखिये
 द्वि०=द्विवचन
 द्विती०=द्वितीया विभक्ति
 ध० सू०=धर्मसूत्र
 धापा०= पाणिनीयधातुपाठ
 न०=नपुंसकलिङ्ग
 ना०=नामपद
 ना० धा०=नामधातु
 नि०=निपात
 प०=परस्मैपद
 पं०=पंचमी विभक्ति
 पं० ब्रा०=पंचविंशब्राह्मण
 पपा०=पदपाठ
 पा०=पाणिनीयाष्टाध्यायी
 पाभे०=पाठभेद
 पा० शि०=पाणिनीयशिक्षा
 पुं०=पुंलिङ्ग
 पृ०=पृष्ठ
 पै० सं०=पैलादसंहिता

प्रथ०=प्रथमा विभक्ति
 प्र० या प्र० पु०=प्रथम पुरुष
 प्र० सू०=प्रतिज्ञासूत्र
 प्रा० शि०=प्रातिशाख्यशिक्षा
 व० या बहु०=बहुवचन
 वस०=बहुव्रीहिसमास
 वृ० उप०=वृहदारण्यकोपनिषद्
 वृ० दे०=वृहदेवता
 वौ० गृ० सू०=वौधायनगृह्यसूत्र
 वौ० श्रौ० सू०=वौधायनश्रौतसूत्र
 ब्रा०=ब्राह्मणग्रन्थ
 भा० गृ० सू०=भारद्वाजगृह्यसूत्र
 भा० श्रौ० सू०=भारद्वाजश्रौतसूत्र
 भा० वि०=भाषाविज्ञान (डा० मंगलदेव
 शास्त्रिकृत)
 भ्वा०=भ्वादिगण
 म० या म० पु०=मध्यमपुरुष
 महाभा०=महाभाष्य (पातञ्जल)
 मा० गृ० सू०=मानवगृह्यसूत्र
 मा० शि०=माण्डूकीशिक्षा
 मा० श्रौ० सू०=मानवश्रौतसूत्र
 मु० उप०=मुण्डकोपनिषद्
 मै० सं०=मैत्रायणीसंहिता
 य०=यजुर्वेद
 या० शि०=याज्ञवल्क्यशिक्षा
 रुधा०=रुधादिगण
 ल० शि०=लघुमाध्यन्दिनीयशिक्षा
 ल० शे०=लघुशब्देन्दुशेखर
 ला० श्रौ०=लाट्यायनश्रौतसूत्र
 लि०=लिट्
 लु०=लुट्

लृ०=लृट्

ले०=लेट्

लो०=लोट्

लो० शि०=लोमशी शिक्षा

व० प्र० शि०=वर्णरत्नप्रदीपिका शिक्षा

वा० प्रा०=वाजसनेयिप्रातिशाख्य

वा० सं०=वाजसनेयिसंहिता (माध्यन्दिनी)

वा० सं० का०=वाजसनेयिसंहिता (काएव शाखा)

वि०=विशेषण

विमू० या वि० मू०=विधिमूलक लकार
(Injunctive)

विलि०=विधिलिङ्

वै०=वैदिक

वै० गृ० सू०=वैखानसगृह्यसूत्र

वै० प० को०=वैदिकपदानुक्रमकोपः
(डा० विश्ववन्धुकृत)

वै० स्व० मी०=वैदिकस्वरमीमांसा (पं०
युधिष्ठिरमीमांसककृत)

शत्र०=शत्रन्त

श० त्रा० या शत० त्रा०=शतपथब्राह्मण

शा० आ०=शांखायनारण्यक

शां० गृ० सू०=शांखायनगृह्यसूत्र

शां० श्रौ० सू०=शांखायनश्रौतसूत्र

शान०=शानजन्त या शाननन्त

शि० सं०=शिक्षासंग्रह (पं० युगलकिशोर
व्याससम्पादित)

श्रौ० सू०=श्रौतसूत्र

श्वे० उप०=श्वेताश्वतरोपनिषद्

प०=प्रष्टी विभक्ति

प० त्रा०=पङ्क्तिशत्राह्वण

सं०=संहिता

स०=सप्तमी विभक्ति

सना०=सर्वनाम

स० श्रौ० सू०=सत्याषाढश्रौतसूत्र

सम्बो०=सम्बोधन

सा०=सामवेद

सि० कौ०=वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी
(बालमनोरमातत्त्वबोधिनीटीका-
सहित; मोतीलाल बनारसीदास,
दिल्ली) ।

स्त्री०=स्त्रीलिङ्ग

स्वा०=स्वादिगण

हि० गृ० सू०=हिरण्यकेशिशुद्धसूत्र

AIOC. = All-India Oriental Conference (Proceedings).

Alt. S. = Altindische Syntax von B. Delbrück, Halle, 1888.

Alt. V. = Das Altindische Verbum von B. Delbrück, Halle, 1874.

A. Prat. or Pr. = The Atharva-Veda-Prātiśākhya translated
by W. D. Whitney (JAOS., Vol. VII)

Arm. = Armenian.

Av. = Avesta.

Avery = Verb-Inflection in Sanskrit by J. Avery (JAOS.
Vol. X, pp. 219-324).

Critical Studies = Critical Studies in the phonetic observations
of Indian grammarians by S. Varma, London, 1929.

f. n. = footnote.

Germ. = German.

Gk. = Greek.

Goth. = Gothic.

Gr. Lg. Ved. = Grammaire de la Langue Védique par
L. Renou, Paris, 1952.

H. S. L. = A History of Sanskrit Literature
by A. A. Macdonell, Fifth Edition Delhi, 1958.

Hitt. = Hittite.

HOS. = Harvard Oriental Series.

Ind. Stu. = Indische Studien, herausgegeben von A Weber.

I-Ir. = Indo-Iranian.

Ind. V. K. = India of Vedic Kalpa Sūtras
by Ram Gopal, Delhi, 1959.

JAOS. = Journal of the American Oriental Society.

Lat. = Latin.

Ling. Intr. = Linguistic Introduction to Sanskrit
by B K. Ghosh, Calcutta, 1937.

Lith. = Lithuanian.

MWD. = A Sanskrit-English Dictionary
by Sir Monier Monier-Williams,
Reprint of IIInd Edition Oxford, 1956.

N. = Note.

N. I. V. = Noun-Inflection in the Veda by C. R. Lanman
(JAOS., Vol. X, pp. 325-601).

O. Sl. = Old Slavonic.

N. V. N. = Notes on Vedic Noun-Inflection
by F. B. J. Kuiper.

p. = page.

Phon. An. Ind = Phonetics in ancient India
by W. S. Allen, Oxford, 1953.

- Prolegomena = Die Hymnen des Rigveda, I. Metrische und textgeschichtliche Prolegomena von H. Oldenberg, Berlin, 1888.
- Rig. Noten = Rigveda. Textkritische und exegetische Noten von H. Oldenberg, Berlin, 1909-12.
- Roots = The Roots, Verb-Forms and Primary Derivatives of the Sanskrit Language by W. D. Whitney, Reprint Delhi, 1963.
- SBE. = Sacred Books of the East.
- Skt. Gr. = Sanskrit Grammar by W. D. Whitney, Seventh Issue, 1950.
- Skt. Lg. = The Sanskrit Language by T. Burrow, London, 1955.
- SPW. = Sanskrit-Wörterbuch von O. Böhtlingk und R. Roth, St. Petersburg, 1852-1875 (popularly called St. Petersburg Wörterbuch).
- Tait. Prat. or Pr. = The Taittiriya-Prātiśākhya translated by W. D. Whitney (JAOS., Vol. IX).
- Ved. Gr. = Vedic Grammar by A. A. Macdonell, Strassburg, 1910.
- Ved. Gr. Stu. = A Vedic Grammar for Students by A. A. Macdonell, Oxford, 1916.
- Ved. Mtr. = Vedic Metre in its historical development by E. V. Arnold, Cambridge, 1905.
- Ved. Stu. = Vedische Studien von R. Pischel und K. Geldner, Stuttgart, 1889-1901.
- Ved. Skt. S. = Vedische und Sanskrit-Syntax von J. Speyer, Strassburg, 1896.
- W Z R. = Wörterbuch Zum Rigveda von H. Grassmann, Leipzig, 1873.
- Zd. = Zend.
- ZDMG. = Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
७६	३ (नीचे से)	अनुसार	अनुस्वार
८३	१८	भुवन्तुक्षण	भुवन्तुक्षणः
८४	७	इन्द्र	इन्द्र
११७	१२	देवधिद्	देवीषद्
१२२	१९	दुडाश्	दुडाश्
१३१	१६	तन्वम्	तन्वम्
१३१	१८	विभ्वम्	विभ्वम्
१९९	८	प्र० ए०	प्रथ० ए०
२०५	१३	टि० ९०	अनु० ९०
२०६	२ (नीचे से)	इति मीळहुषे	इति मीळहुषे
२१६	८ (नीचे से)	द्यावापृथिवी	द्यावापृथिवी
२२०	१२	अक्ताङ्ग	अशक्ताङ्ग
२२१	२	अजादि । अमर्वनामस्थान	अजादि असर्वनामस्थान
२२५	२ (नीचे से)	उरुव्यञ्च्	उरुव्यञ्च्
२३२	१०	द्वि०	द्विती०
२३४	४	पादः	पादः
२३५	९	द्वि०	द्विती०
२३६	१२	उपवृध	उपवृधे
२८७	१४	प्रियाणाम्	प्रियाणाम्
२९३	१३	स० ए०	स० व०
३१६	११	प्र० ए०	प्रथ० ए०
३१९	९	प्रातिपादिकों	प्रातिपादिकों

प्रथमोऽध्यायः

ध्वनि-प्रकरणम्

१. वर्ण-सामान्यायः (Alphabet)

१. वैदिक भाषा के वर्ण-सामान्याय में वाचन ऐसे वर्ण मिलते हैं जिन का लिखित आकार निश्चित है, और इन के अतिरिक्त भी कुछ विशिष्ट ध्वनियाँ हैं जिन का पूर्ण वर्णन नीचे किया गया है^१। इस सन्बन्ध में यह तथ्य विशेषतया उल्लेखनीय है कि ङ, ञह को छोड़ कर शेष पचास वर्ण लौकिक संस्कृत में भी ज्यों के त्यों मिलते हैं। इन निश्चित आकार वाले वाचन वर्णों में से तेरह स्वर और उन्तालीस व्यञ्जन हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता अपेक्षित न हो, उन्हें स्वर कहते हैं और जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों पर आश्रित हो वे व्यञ्जन कहलाते हैं^२। स्वरों तथा व्यञ्जनों का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है।

२. स्वर (Vowels)—वैदिक भाषा के स्वरों को दो श्रेणियों में प्रविभक्त किया जाता है—(१) समानाक्षर और (२) सन्ध्यक्षर। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ समानाक्षर (Simple Vowels) कहलाते हैं और ए ओ ऐ औ के लिए सन्ध्यक्षर (Diphthongs) संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। प्रातिशाख्यों में इन सब के लिए स्वर तथा अक्षर दोनों संज्ञाओं का प्रयोग मिलता है। परन्तु पाणिनीय व्याकरण में इनके लिए अच् प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है। इन स्वरों में अ इ उ ऋ लृ ह्रस्व हैं और शेष सब दीर्घ हैं। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व कहते हैं और जिस के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे वह दीर्घ कहलाता है। यह बात विशेषतया उल्लेखनीय है कि लृ का दीर्घ नहीं मिलता है^३। जब किसी स्वर के उच्चारण में तीन^४ मात्रा का समय लगे, तब उसे प्लुत कहते हैं। लेखक

संहिताओं में प्लुति के बहुत थोड़े उदाहरण मिलते हैं; यथा—ऋ० प्रा० (१,३१) के अनुसार ऋ० में प्लुति के केवल तीन (१०,१२९,५; १०, १४६,१) उदाहरण मिलते हैं। अ० प्रा० (१,१०५) के अनुसार अ० में प्लुति के पन्द्रह उदाहरण मिलते हैं। वा० प्रा० (२,५०-५४) ने वा० सं० (८,१०; २३,८.४९; ३३,७४; ४०,१७) में प्लुति के सात उदाहरण बतलाए हैं। तै० सं० में प्लुति के लगभग घालीस उदाहरण मिलते हैं (दे० JAOS., IX, p. 323)। प्लुत-प्रयोगों के सम्बन्ध में देखिए अनु० ४५^क।

३. व्यञ्जन—वैदिक भाषा में निम्नलिखित व्यञ्जनों का प्रयोग मिलता है।

- (क) स्पर्शाः { (१) क्वर्ग—क् ख् ग् घ् ङ् ।
 (२) च्वर्ग—च् छ् ज् झ् ञ् ।
 (३) ट्वर्ग—ट् ट् ड् (ळ)^३ ढ् (ळह)^३ ण् ।
 (४) त्वर्ग—त् थ् द् ध् न् ।
 (५) प्वर्ग—प् फ् ब् भ् म् ।

(ख) अन्तस्थाः—य र् ल् व् ।

(ग) ऊष्माणः^५—श ष् स ह् ।

(घ) अयोगवाहाः^५—विसर्जनीय (:), जिह्वामूलीय (ऋक, ऋख), उपध्मानीय (ऋप, ऋफ), अनुस्वार^६ (ः), यम तथा नासिक्य अयोगवाह कहलाते हैं। यमों का व्याख्यान भिन्न-भिन्न प्रकार से किया गया है। भट्टोजिदीक्षित का कथन है कि वर्णों के आद्य चार वर्णों में से किसी एक से परे जब किसी भी वर्ग का पञ्चम वर्ण आए, तब उनके मध्य पूर्व वर्ण के सदृश जो ध्वनि होती है उसे यम कहते हैं। ऋ० प्रा० कहता है कि अनुनासिक स्पर्शों से पूर्व आने वाले अनुनासिक स्पर्शों को यमापत्ति होती है; यथा—पलिंक्तीः (ऋ० ५,२,४), च्छन्थुः, जग्मत्तुः (ऋ० १०,४०,१४), जुम्रथुः (ऋ० ७,९९,४), परिज्मानम् (ऋ० १, २०, ३), तथा क्षमस्वतीम् (ऋ० १,११२,२४) में क्रमशः क् ख् ग् घ् ज् प् के सदृश ध्वनिया यम कहलाती हैं। पूर्व वर्ण से जुड़ी होने के कारण इस ध्वनि को यम (अर्थात् यमल twin) कहते हैं। कुछ प्रातिशाख्यकार यम को एक आगम

मानते हैं। यमों के स्वरूप तथा संख्या के विषय में विस्तृत विवेचन पीछे टिप्पणी में देखिए^१।

(ङ) नासिक्य—कुछ आचार्य पूर्ववर्ती हकार तथा परवर्ती अनुनासिक स्पर्श के मध्य एक नासिक्य ध्वनि का आगम मानते हैं; यथा—अह्नाम^२।

२. उच्चारण (Pronunciation)

४. उच्चारण—अति प्राचीन काल से वेदों के शुद्ध उच्चारण को विशेष महत्त्व दिया गया है। शुद्ध उच्चारण की अविच्छिन्न परम्परा के अक्षुण्ण प्रभाव से सहस्रों वर्षों तक लेखबद्ध किए बिना भी श्रुति की अनुपम रक्षा होती रही है। शत० ब्रा० का मत है कि असुर लोग अशुद्ध उच्चारण के कारण पराभूत हुए थे, इस लिए ब्राह्मण कदापि वाणी को म्लेच्छित न करे^३। प्रातिशाख्यों तथा शिक्षाग्रन्थों में वर्णों के शुद्ध उच्चारण की विधि के साथ-साथ उच्चारण-सम्बन्धी दोषों का विवरण भी दिया गया है। प्रातिशाख्य, शिक्षा, व्याकरण तथा शिष्ट वैदिक पण्डितों की परम्परागत पारायण-विधि के द्वारा वैदिक ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण को जानने में हमें पर्याप्त सहायता मिलती है। पादचात्य संस्कृतज्ञों के मतानुसार, जो संस्कृत शब्द प्राचीन काल में ग्रीक आदि विदेशी भाषाओं में लिखे गए थे, वे भी संस्कृत ध्वनियों के पूर्वकालीन उच्चारण पर कुछ प्रकाश डालते हैं^४। मैक्डानल का मत है कि वैदिक संहिताओं की भाषा के ध्वनि-परिवर्तन सम्बन्धी आभ्यन्तर प्रमाण तथा भाषा-विज्ञान से उपलब्ध बाह्य प्रमाण के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि संहिता-काल में वैदिक ध्वनियों का उच्चारण प्रायेण वैसा ही था जैसा कि पाणिनि के काल में^५। प्रातिशाख्य, शिक्षा, व्याकरण, वैदिक-परम्परा तथा तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के द्वारा वैदिक ध्वनियों के उच्चारण के सम्बन्ध में जो तथ्य उपलब्ध होते हैं, उन्हें यहाँ संक्षेपतः प्रस्तुत किया गया है।

५. स्वरोच्चारण—प्रत्येक भाषा का स्वरूप उस के स्वरों के उच्चारण पर विशेषतः आधारित होता है। इस लिये स्वरों के उच्चारण का प्रभाव व्यञ्जनों के उच्चारण पर भी कुछ अंश तक अवश्य ही पड़ता है।

स्वरों के शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में कुछ स्वरों का उच्चारण विभिन्न प्रकार से किया जाता है और वैदिक ध्वनियों का उच्चारण भी कुछ लोग उसी प्रकार करते हैं। परन्तु ऐसा करना अनुचित है और वैदिक ध्वनियों का उच्चारण वैदिक ध्वनि-सिद्धान्तों के अनुसार ही करना चाहिए। यहां पर प्रत्येक स्वर के प्रयत्न तथा स्थान आदि पर विचार किया गया है। व्यञ्जनोच्चारण के प्रसंग में प्रयत्नों पर विस्तृत विवेचन किया गया है। स्वरों के प्रयत्नों के विषय में टि० ३४, ३७, ३८ तथा ४१ देखिए।

(क) अ—अ का उच्चारण-स्थान निःसन्देह कण्ठ है। परन्तु इस के आभ्यन्तर प्रयत्न का विषय विशेषतया विचारणीय है। अ० प्रा० (१, ३६) तथा वा० प्रा० (१, ७२) के अनुसार, अ का आभ्यन्तर प्रयत्न संवृत है। और पाणिनीय सूत्र (८, ४, ६८) तथा अष्टाध्यायी के व्याख्याकार भी इस मत की पुष्टि करते हैं। पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि संस्कृत शब्दों के ग्रीक उच्चारण से भी अ के प्राचीनकालीन संवृत उच्चारण का समर्थन होता है^{१२}। यद्यपि लिखित ऋ० में ए तथा ओ के पश्चात् प्रायेण (दे० अनु० ४४) अ का पूर्वरूप हो जाता है, तथापि छन्दःपरिमाण की दृष्टि से ऐसे पूर्वरूप के लिये कोई औचित्य नहीं दीख पड़ता। इस से प्रतीत होता है कि ऋचाओं के रचना-काल में अ का आभ्यन्तर प्रयत्न संभवतः विवृत रहा होगा।

(ख) आ—आ का उच्चारण-स्थान कण्ठ है और इसका आभ्यन्तर प्रयत्न साधारणतया विवृत माना जाता है। परन्तु अ० प्रा० (१, ३५) आ का प्रयत्न विवृततम मानता है।

(ग) इ ई—इन दोनों स्वरों का उच्चारण-स्थान तालु और आभ्यन्तर प्रयत्न विवृत है।

(घ) उ ऊ—इन दोनों स्वरों का उच्चारण-स्थान ओष्ठ और आभ्यन्तर प्रयत्न विवृत है। तै० प्रा० का मत है कि उ-वर्ण के उच्चारण में ओष्ठ उपसंहृत (सन्निकृष्ट हो कर आगे की ओर निकले हुए) होते हैं^{१३}।

(ङ) ऋ, ॠ, ॡ—ऋकार तथा लृकार के उच्चारण के विषय में आचार्यों में बहुत मतभेद है। ऋ० प्रा० (१, ४१) के अनुसार ऋकार तथा लृकार का उच्चारण-स्थान जिह्वामूल है। वा० प्रा० (१, ६५) तथा ऋक्तन्त्र (४) भी ऋकार को जिह्वामूलीय मानते हैं। तै० प्रा० (२, १८) का मत है कि ऋ, ॠ तथा लृ के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग वस्वों (दन्तपङ्क्ति के ऊपर उभरे हुए प्रदेश) से उपसंहृत (अधिक सन्निकृष्ट) होता है। परन्तु पा० शि० ऋकार को मूर्धन्य और लृकार को दन्त्य मानती है^{१५}। वा० प्रा० (१, ६९) भी लृकार को दन्त्य मानता है। ऋकार तथा लृकार को सवर्ण घोषित करने वाला वार्तिक प्रातिशाख्यों के इस मत का समर्थन करता है कि इन दोनों स्वरों का उच्चारण-स्थान सिद्धान्ततः एक ही माना जाता है^{१६}।

आजकल उत्तर भारत में ऋ का उच्चारण प्रायेण रि के सदृश तथा लृ का उच्चारण लि के सदृश किया जाता है। परन्तु दक्षिण भारत में अनेक विद्वान् ऋ का उच्चारण रु के सदृश करते हैं और प्राचीन काल में भी वहाँ इस प्रकार का उच्चारण रहा होगा। इस लिये अनेक दक्षिण-भारतीय शिलालेखों में ऋ के स्थान पर रु मिलता है^{१७}। ऋ० प्रा० (१४, ३८) ने ऋकार के सरेफ उकार-सदृश रु उच्चारण को एक दोष माना है। प्राचीन पाण्डुलिपियों तथा विदेशी भाषाओं में लिखे गए संस्कृत-शब्दों के उच्चारण से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में भी ऋ का उच्चारण अंशतः 'रि' के सदृश होता था^{१८}। उत्तरकालीन भारतीय भाषाओं में संस्कृत ऋ के स्थान पर इकार तथा उकार वाली ध्वनियों के विकास से प्रतीत होता है कि अति प्राचीनकाल से ऋ के उच्चारण में दोनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ विद्यमान रही होंगी; यथा—घृत=घी; श्रृगाल=सियार; ऋक्ष=रीछ; परन्तु वृक्ष=रूख; पृच्छा=पूछ; वृद्ध=बूढ़ा। कतिपय वैदिक शाखाओं में ऋ का उच्चारण रे के सदृश भी किया जाता था^{१९}।

मूलतः ऋ तथा लृ क्रमशः रेफ तथा लृकार की स्वरीभूत ध्वनियाँ थीं। अत एव प्रातिशाख्य तथा शिक्षा ऋ तथा लृ में क्रमशः रृ तथा लृ का अंश स्वीकार करते हैं^{२०}। अवेस्ता में वैदिक ऋ का प्रतिनिधि ərə है, यथा— भृत=अवेस्ता का bərəta.

प्रथमोऽध्यायः

अनेक पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि लेखचक्र ऋग्वेदसंहिता के अनेक मन्त्रों में ऋ के लिए भी ह्रस्व ध्वनि ऋ का लेख मिलता है और इस लिए ऐसे स्थलों पर छन्दःपरिमाण की दृष्टि से उस का दीर्घ उच्चारण ही उचित है^{१०}; यथा—मृद् धातु के क्रिया-रूपों में तथा वृह् और इह् धातुओं के क्तान्त रूपों (तुळ्ह, दृळ्ह) में छन्दःपरिमाण की दृष्टि से ऋ के स्थान पर ऀ का उच्चारण वाञ्छनीय है, और इसी प्रकार नृणाम् तथा तिसृणाम् (ऋ० ५, ६९, २) में ऋ के स्थान पर ऀ का उच्चारण उचित माना जाता है^{११} ।

ऋ० प्रा० तथा अ० प्रा० के अनुसार, ऀ के पूर्वार्द्ध में रेफ का तत्त्व है (दे० टि० १९) ।

(च) ए, ओ, ऐ, औ—प्रातिशाख्यों में ये चारों स्वर सन्ध्यक्षर (Diphthongs) कहलाते हैं। पाणिनीय व्याकरण में ए, ओ (तथा अ) गुण-संज्ञक और ऐ, औ (तथा आ) वृद्धिसंज्ञक हैं। चारों सन्ध्यक्षरों का आभ्यन्तर प्रयत्न साधारणतया विवृत माना जाता है। अ० प्रा० (१, ३४) ए ओ का प्रयत्न विवृततम मानता है। ऋ० प्रा० (१, ४२.४७) के अनुसार, ए तथा ऐ का उच्चारण-स्थान तालु और ओ तथा औ का उच्चारण-स्थान कण्ठ है। अन्यत्र ऋ० प्रा० (१३, ३८) में कहा गया है कि कतिपय आचार्य सन्ध्यक्षरों को सन्ध्यानि (सन्धि से उत्पन्न) मानते हैं और तदनुसार प्रत्येक सन्ध्यक्षर के उच्चारण-स्थान दो हैं। इस से आगे ऋ० प्रा० (१३, ३९) ने शाकटायन का मत उद्धृत किया है जिसके अनुसार ए तथा ऐ का पूर्वार्द्ध अकार और उत्तरार्द्ध इकार है, और इसी प्रकार ओ तथा औ का पूर्वार्द्ध अकार और उत्तरार्द्ध उकार है। शिक्षाग्रन्थ भी इस मत का अनुसरण करते हैं। अत एव पा० शि० ए ऐ को कण्ठतालव्य और ओ औ को कण्ठोष्ठज मानती है और सन्ध्यक्षरों में संहित स्वरों की मात्रा के सम्बन्ध में यह शिक्षा कहती है—“एकार तथा ओकार में कण्ठ्य (अ) की अर्धमात्रा होनी चाहिए और ऐकार तथा औकार में कण्ठ्य की एक मात्रा होनी चाहिए। इन दो का प्रयत्न विवृत और संवृत है”^{१२} । अ० प्रा० के अनुसार यद्यपि चारों सन्ध्यक्षरवर्ण स्वरों के संयोग से बने हैं, तथापि स्थानविधि (उच्चारण-स्थान) की दृष्टि से ए तथा ओ की वृत्ति एकवर्ण (Monophthong) के सदृश है, परन्तु

ऐ तथा औ की वृत्ति एकवर्ण के समान नहीं है^{२३} । इसी प्रकार ऋ० प्रा० ने भी उच्चारण-सम्बन्धी विशेषता की दृष्टि से ए ओ तथा ऐ औ के मध्य भेद, बतलाया है^{२४} । ए ओ की एकवर्णवत् वृत्ति को स्वीकार करते हुए तै० प्रा० और वा० प्रा० केवल ऐ औ के अवयवात्मक तत्त्वों का वर्णन करते हैं, परन्तु इस सम्बन्ध में वे ए ओ का उल्लेख नहीं करते हैं । तै० प्रा० कहता है कि ऐ तथा औ के आदि भाग में अर्धमात्रा उस अकार की है जिस का प्रयत्न संबृततर है और ऐ में शेष डेढ़ मात्रा इकार की तथा औ में उकार की है^{२५} । वा० प्रा० के अनुसार ऐ औ में पूर्व-मात्रा कण्ठ्य (अकार की) है और उत्तर मात्रा क्रमशः तालु और ओष्ठ की है^{२६} । प्रातिशाख्यों के उक्त नियमों से ज्ञात होता है कि प्रातिशाख्यों के काल में ए तथा ओ का उच्चारण एकवर्ण (monophthong) के सदृश होता था । प्रतीत होता है कि संहिताकाल में भी ए तथा ओ का उच्चारण एकवर्णवत् होने लगा था, क्योंकि ए तथा ओ से परे आने वाले अ का पूर्वरूप करने की प्रवृत्ति का उपक्रम संहिता-काल में ही हो चुका था (दे० द्वितीय अध्याय में अभिनिहित-सन्धि) । प्राकृत आदि अन्य भाषाओं में लिए गए संस्कृत-शब्दों के उच्चारण से भी यह स्पष्ट होता है कि ए तथा ओ का उच्चारण एकवर्णवत् होने लगा था^{२७} ।

कुछ विशेष प्रकार के याज्ञिक पाठों में अर्ध ओकार के प्रयोग का उल्लेख मिलता है^{२८} । परन्तु वैदिक भाषा में साधारणतया इस प्रकार के अर्ध ओकार के प्रचलन का कोई संकेत नहीं मिलता है ।

इस में सन्देह नहीं कि मूलतः ए तथा ओ दोनों सन्ध्यक्षर थे, क्योंकि अकार के साथ इकार तथा उकार की सन्धि से क्रमशः ए तथा ओ बनते हैं । तुलनात्मक भाषा-विज्ञान से भी इस मत का समर्थन होता है; यथा—वेद “मं जानता हूं” = Av. Vaedā, Goth. wait; ओर्जस् = Av. aogarə, Lat. augustus.

आज कल ऐ औ का उच्चारण क्रमशः अइ अउ के सदृश होता है और प्रातिशाख्यों के काल में भी इन का उच्चारण लगभग इसी प्रकार का था । परन्तु मूलतः ऐ औ क्रमशः आइ आउ का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि सन्धि में ऐ औ का क्रमशः आय् आव् बनता है ।

का निम्नलिखित वर्णन किया है—“जब वक्ता बोलने की चेष्टा करता है, तब फेफड़ों से निकला हुआ प्राणनामक वायु कण्ठ-विवर (Larynx) के खुले रहने पर श्वासता को प्राप्त होता है और कण्ठ-विवर के संकुचित रहने पर नादता को प्राप्त होता है। जब कण्ठ-विवर साम्यावस्था में हो अर्थात् विवार और संकोच के मध्य की अवस्था में हो, तब प्राण श्वासता तथा नादता दोनों को प्राप्त होता है। श्वासता, नादता तथा उभयात्मिका अवस्था—ये तीन सब वर्णों की प्रकृतियाँ हैं। अघोष वर्णों की प्रकृति श्वास है और शेष अर्थात् सघोष वर्णों की प्रकृति नाद है। वर्णों के चतुर्थ वर्ण (घ् झ् ङ् ध् भ्) तथा ह् की प्रकृति श्वास तथा नाद दोनों हैं”^{३३}।

तै० प्रा० भी शब्दोत्पत्ति का वर्णन करते हुए इन प्रयत्नों के विषय में इसी प्रकार के विचार व्यक्त करता है—“शरीरस्थ वायु की प्रेरणा से कण्ठ और उर के सन्धान (मध्यदेश) में ध्वनि की उत्पत्ति होती है। उर, कण्ठ, सिर, मुख तथा नासिका उस ध्वनि को स्पष्टतया प्रतिध्वनित कराने वाले स्थान हैं। जब कण्ठ संकुचित (संवृत) होता है, तब नादसंज्ञक ध्वनि उत्पन्न होती है। जब कण्ठ खुला (विवृत) होता है, तब श्वास-संज्ञक ध्वनि उत्पन्न होती है। जब कण्ठ संवृत और विवृत के मध्य की अवस्था में होता है, तब हकार-संज्ञक ध्वनि (जो ह् घ् झ् ङ् ध् भ् का अनुप्रदान है) उत्पन्न होती है। वर्णों की ये तीन प्रकृतियाँ हैं। स्वरों तथा सघोष वर्णों में अनुप्रदान (मूलकारण) नाद है; ह् घ् झ् ङ् ध् भ् में अनुप्रदान हकार है; अघोष वर्णों में अनुप्रदान श्वास है; और वर्णों के प्रथम वर्णों (क् च् ट् त् प्) से अन्य अघोष वर्णों में अधिक श्वास अनुप्रदान होता है”^{३४}।

प्रत्येक वर्ण के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण, श् प् स्, विसर्जनीय, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय और अनुस्वार अघोष (surds) कहलाते हैं और शेष व्यञ्जन सघोष (sonants) कहलाते हैं^{३५}। ऊष्म तथा वर्णों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण प्रातिशाख्यों में सोष्माणः (aspirates) कहलाते हैं^{३६}। वरदराज ने आठ बाह्य प्रयत्नों का निम्नलिखित सरल विभाजन किया है^{३७}—

विवार, श्वास. अघोष—वर्णों के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण और श् प् स् के बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष हैं।

प्रथमोऽध्यायः

संवार, नाद, घोष—वर्गों के तृतीय, चतुर्थ तथा पञ्चम वर्ण और य् र ल् व् ह् के बाह्य प्रयत्न संवार, नाद, घोष हैं ।

अल्पप्राण—वर्गों के प्रथम, तृतीय तथा पञ्चम वर्ण और य् र ल् व् अल्पप्राण प्रयत्न वाले हैं ।

महाप्राण—वर्गों के द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण और श् ष् स् ह् महाप्राण प्रयत्न वाले हैं ।

(ग) स्थान तथा करण—वर्णों के उच्चारण को भलीभाँति समझने के लिये उन के स्थान तथा करण का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है । जिन स्थलों पर आभ्यन्तर प्रयत्न के लिये करण शब्द का प्रयोग किया गया है, उनके लिये टि० ३१ तथा ३५ देखिए । इस के अतिरिक्त तै० प्रा० स्थान और करण के भेद को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट करता है—“स्वरो का स्थान वह (मुखभाग) है, जहाँ उपसंहार (approximation) होता है; और उन का करण वह (मुखावयव) है, जो उपसंहार करता है । अन्य वर्णों (अर्थात् व्यञ्जनों) का स्थान वह (मुखभाग) है जहाँ स्पर्शन (contact) होता है; और उन का करण वह (मुखावयव) है, जिस के द्वारा स्पर्शन करता है”^{४३} । इस का उदाहरण आगे कवर्ग की उत्पत्ति में भी स्पष्टतया दिया गया है ।

कवर्ग—अनेक प्रातिशाख्यों तथा शिक्षाओं के अनुसार, कवर्ग का उच्चारण-स्थान जिह्वामूल है^{४३} । अ० प्रा० जिह्वामूलीय वर्णों (कवर्ग आदि) का करण हनुमूल मानता है; परन्तु इसके विपरीत तै० प्रा० हनुमूल को कवर्ग का स्थान और जिह्वामूल को करण मानते हुए कहता है कि कवर्ग की उत्पत्ति के समय जिह्वामूल के द्वारा अथेता हनुमूल पर स्पर्श करता है^{४४} । चन्द्रगोमी, भट्टोजिदीक्षित तथा कतिपय अन्य वैयाकरण कवर्ग का स्थान कण्ठ मानते हैं और इन वर्णों के लिये कण्ठ्य संज्ञा का प्रयोग करते हैं^{४५} ।

चवर्ग—प्रातिशाख्य, शिक्षा तथा वैयाकरणों के अनुसार, चवर्ग का स्थान तालु है; और अ० प्रा० तथा तै० प्रा० जिह्वा के मध्य भाग को चवर्ग का

करण मानते हैं^{५६}। तालु-स्थान होने के कारण चवर्ग के वर्ण तालव्य कहलाते हैं।

टवर्ग—टवर्ग का स्थान मूर्धा है और ये वर्ण इसी लिये मूर्धन्य कहलाते हैं^{५७}। ळ तथा ळ्ह भी मूर्धन्यों में गिने जाते हैं। कुछ प्रातिशाख्यों के अनुसार, टवर्ग के उच्चारण के समय वक्ता जिह्वा को पीछे की ओर मोड़ कर जिह्वाप्र से मूर्धा का स्पर्श करता है^{५७क}। अतः टवर्ग का करण जिह्वाप्र है। तै० प्रा० के त्रिभाष्यरत्न का मत है कि मूर्धन् शब्द मुख-विवर के उपरिभाग का वाचक है।

तवर्ग—कतिपय प्रातिशाख्यों के अनुसार, तवर्ग का स्थान दन्तमूल और करण जिह्वाप्र है, परन्तु अनेक प्रातिशाख्यकार, शिक्षाकार तथा वैयाकरण इन वर्णों का स्थान दन्त मानते हैं^{५८}। अत एव ये वर्ण दन्त्य कहलाते हैं।

पवर्ग—सभी आचार्य पवर्ग का स्थान ओष्ठ मानते हैं और वा० प्रा० के अनुसार पवर्ग का करण भी ओष्ठ है, परन्तु अ० प्रा० तथा तै० प्रा० के भाष्यकारों का मत है कि पवर्ग का स्थान उत्तरोष्ठ और करण अधरोष्ठ है^{५९}।

(घ) अनुनासिक स्पर्श—वर्णों के पञ्चम वर्ण अर्थात् ङ् ञ् ण् न् म् अनुनासिक^{६०} कहलाते हैं। इन का उच्चारण अपने वर्गसम्बन्धी स्थान तथा नासिका द्वारा होता है^{६१}। अनुनासिक का स्थान तथा करण समान माना जाता है (दे० टि० ४९)।

(ङ) अन्तस्थाः—य् र् ल् व् के उच्चारण के सम्बन्ध में वैदिक संहिताओं की अनेक विशेषताएं हैं। अतः इन सब विशेषताओं पर पूर्ण ध्यान देना अत्यावश्यक है।

य्—सभी प्रातिशाख्यकार, शिक्षाकार तथा वैयाकरण य् का स्थान तालु मानते हैं। तै० प्रा० (२,४०) का कथन है कि यकार के उच्चारण के समय जिह्वा के मध्यभाग के किनारों से वक्ता तालु का स्पर्श करता है। प्रतीत होता है कि कालान्तर में कतिपय यजुर्वेदी यकार का

उच्चारण जकार के समान करने लगे थे। इसीलिये या० शि० का मत है कि पादादि, पदादि, संयोग तथा अवग्रह में 'जः' और इस से भिन्न 'यः' माना जाता है^{५२}।

(च) व्—वकार के उच्चारण-स्थान के सम्बन्ध में बहुत मतभेद मिलता है। ऋ० प्रा० (१,४७) तथा वा० प्रा० (१,७०) के अनुसार, वकार का स्थान ओष्ठ है; और आगे चल कर वा० प्रा० (१,८१) दन्ताग्र को ओष्ठ्य वकार का करण मानता है। तै० प्रा० का मत है कि ओष्ठान्तों (ओष्ठों के किनारों) तथा दान्तों से वकार का उच्चारण किया जाता है^{५३}। दान्त तथा ओष्ठ दोनों के द्वारा उच्चारण होने के कारण शिक्षा-ग्रन्थों तथा व्याकरणों में वकार का स्थान दन्तोष्ठ माना गया है और इसी लिये यह दन्तोष्ठ्य कहलाता है^{५४}।

(छ) य् व् का उच्चारण-वैशिष्ट्य—यद्यपि लौकिक भाषा में य् व् का उच्चारण सर्वत्र लिखित पाठ के अनुसार क्रमशः य् व् ही किया जाता है, तथापि लेखवद्ध वैदिक संहिताओं में अनेक स्थलों पर य् व् का उच्चारण क्रमशः इय् उव् उचित माना जाता है। इस मत के समर्थन में निम्न-लिखित प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते हैं—

(१) ऋ० प्रा० कहता है कि पाद में छन्दःपरिमाण की दृष्टि से जहां अक्षर की न्यूनता दीख पड़े वहां पाद को पूरा करने के लिए मिले अक्षरों (एकाक्षरीभावान्) को पृथक् पृथक् कर देना चाहिए, और संयुक्त व्यञ्जनों में आने वाले य् व् को उन के सदृश स्वर (अर्थात् क्रमशः इउ) के द्वारा संयुक्त व्यञ्जनों से व्यवहित कर। अर्थात् य् व् के स्थान पर क्रमशः इय् उव् का उच्चारण करना चाहिए; यथा—प्रेता जयता नरः= प्र ईता जयता नरः (ऋ० १०,१०३,१३)। त्र्यम्बकं यजामहे= त्रिर्यम्बकं यजामहे (ऋ० ७,५९,१२)^{५५}। ये दोनों उदाहरण गायत्री-छन्दः के पाद हैं।

(२) ईकारान्त तथा ऊकारान्त प्रातिपदिकों के विभक्त्यन्त रूपों में अनेक बार य् व् के स्थान पर क्रमशः इय् उव् भी मिलते हैं। पा० ६,४,७७ पर कात्यायन ने "इयान्तप्रकरणे

वैदिक इयाकरण

तन्वादीनां छन्दसि बहुलमुपसंख्यानम्” (काशिकापाठ) वार्तिक के द्वारा इस मत का समर्थन किया है और पतञ्जलि ने इस के व्याख्यानार्थ निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत किए हैं—तन्वं पुषेम (ऋ० १०, १२८, १) = तनुवं पुषेम (तै० सं० ४, ७, १४, १); विव्वं पश्य = विपुवं पश्य; स्वर्गं लोकम् (अ० १८, ३, ४) = सुवर्गं लोकम् (तै० सं० ५, ३, ७, १); त्र्यम्बकं यजामहे (ऋ० ७, ५९, १२) = त्रियम्बकं यजामहे । इन उदाहरणों के विषय में नागेश कहता है कि ऋग्वेदियों का पाठ यणा-देश वाला है और यजुर्वेदियों का पाठ उवह्विशिष्ट है । पाणिनि ने “छन्दस्युभयथा” (६, ४, ८६) सूत्र द्वारा यह स्वीकार किया है कि वेद में भू तथा सुधी से परे विभक्ति का अच् आने पर इन के ऊ तथा ई को यण् तथा इयङ्बुवङ् दोनों प्रकार के विकार देखने में आते हैं । इस के उदाहरणार्थ काशिका तथा सि० कौ० ने निम्नलिखित मन्त्रभाग उद्धृत किए हैं—वनेषु चित्रं विभ्वं विशेषे (ऋ० ४, ७, १); वनेषु चित्रं विभुवं विशेषे (तै० सं० १, ५, ५, १) । सुध्यो ३ नव्यमग्ने (ऋ० ६, १, ७); सुधियो नव्यमग्ने (तै० ब्रा० ३, ६, १०, ३) ।

(२) ऋग्वेदसंहिता के इस प्रकार के यू व् के स्थान पर कृष्णयजुर्वेद की संहिताओं में—और विशेषतया तै० सं० में—क्रमशः इय् उव् पाठ मिलते हैं; यथा उपरिनिर्दिष्ट उदाहरण के अनुसार ऋ० के त्रिभ्वम् के स्थान पर तै० सं० में विभुवं पाठ मिलता है । तै० सं० (६, १, २, ५-६) ऋ० (५, ५०, १) के मन्त्र को निम्नप्रकार से परिवर्तित रूप में उद्धृत करती है—

त्रिश्चै देवस्य नेतुर्मती वृणीत सुख्यम् ।

त्रिश्चै राय ईपुध्यसि द्युन्नं वृणीत पुष्यसे ॥

और आगे तै० सं० इस मन्त्र की अक्षर-संख्या पर विवेचन करते हुए कहती है—“सप्ताक्षरं प्रथमं पदमष्टाक्षराणि त्रीणि ।” तै० सं० के इस कथन के अनुसार इस मन्त्र के द्वितीय पाद में आठ अक्षर हैं, परन्तु लेखचक्र संहिता के अनुसार द्वितीय पाद में केवल सात अक्षर हैं । इस से अनुमान होता है कि प्राचीन काल में इस पाद के ‘सुख्यम्’ का उच्चारण ‘सुखियन्’ किया जाता होगा । ऋ० प्रा० का उपर्युक्त नियम इस

अनुमान का समर्थन करता है। तै० सं० में इकारान्त तथा ईकारान्त प्रातिपदिकों के इ ई को अजादि विभक्ति से पूर्व प्रायेण इय् आदेश होता है, यदि इ ई से पूर्व संयुक्त व्यञ्जन हों। परन्तु ऋग्वेदसंहिता के लिखित-पाठ के अनुसार इस प्रकार के इ ई को यण् आदेश ही होता है। यथा—तै० सं० १,३,१२ इन्द्राग्नि०ः=ऋ० ८,४०,८ इन्द्राङ्गोः; तै० सं० २,१,५,२ लक्ष्मिया (=लक्ष्म्या)। तद्धित प्रत्यय 'य' से बने रूपों में 'य्' के स्थान पर 'इय्' मिलता है; यथा—तै० सं० २,२,१२,८ अश्विन्यम् (=ऋ० ७,९२,३ अश्विन्यम्); तै० सं० ३,२,८,३ धिष्ण्याः (=अ० २, ३५, १ धिष्ण्याः)^{५९}। उकारान्त, ऊकारान्त प्रातिपदिकों के विभक्त्यन्त रूपों में तथा कुछ अन्य पदों में संयुक्त व्यञ्जनों से परे आने वाले 'व्' के लिये तै० सं० में 'उव्' लिखा जाता है; यथा—तै० सं० १,५,५,४ तुनुवा (=ऋ० तुन्वा); तै० सं० १,७,१३,२ ब्राहुवोः (=ऋ० ७,२५,१ ब्राह्मोः); तै० सं० सुर्वः (=ऋ० स्वः); तै० सं० सुवर्गः (=ऋ० स्वर्गः)। शत० ब्रा० (२,१,४,१४; ११,१,६,५ इत्यादि) भी स्वः में दो अक्षर मानता है। (४) छन्दःपरिमाण की दृष्टि से निम्नलिखित वैदिक शब्दों में लिखित य् व् के स्थान पर क्रमशः इय् उव् का उच्चारण अनेक आधुनिक विद्वानों के मतानुसार समीचीन है^{६०}। (क)—भ्यस् विभक्ति और यत् प्रत्यय (तद्धित तथा कृत्य) के लिखित य के स्थान पर इय का उच्चारण उचित माना जाता है, जब इन का य संयुक्त व्यञ्जनों से परे हो अथवा उस व्यञ्जन से परे हो जिस के पूर्व दीर्घ स्वर है; यथा—मरुद्भ्यः (ऋ० १, ८५, ८), अघ्न्याभ्यः (ऋ० ५, ८३, ८), वृष्यान् (ऋ० ५, ८३, ३), देव्यस्य (ऋ० १, ३५, ५), वार्याणि (ऋ० १, ३५, ८)। ऐ० ब्रा० (३, १२) के—“उक्थं वाचीन्द्राय देवेभ्य इत्याह शस्त्वैकादशाक्षरम्”—इस कथन से प्रतीत होता है कि वाचि और इन्द्राय के बीच की गई सवर्णदीर्घ-सन्धि का विच्छेद करने के अतिरिक्त देवेभ्यः को चार अक्षरों वाला बनाने के लिये इस का उच्चारण देवेभ्यः करना चाहिए^{६१}; अन्यथा इस मन्त्र में अक्षरों की संख्या ग्यारह नहीं हो सकती। (ख)—पाद के प्रारम्भ में अथवा गुरु अक्षर से परे आने वाले ह्य और त्वम् सर्वनामों का उच्चारण क्रमशः त्रिय और तुवम् माना जाता है^{६२}; यथा—त्यम् (ऋ० १, ३७, ११), ह्ये

(ऋ० ७, ७५, ३), त्वम् (ऋ० १०, १५, १३), त्वम् (ऋ० १, ४८, १२) । परन्तु जब ये सर्वनाम ह्रस्व स्वर के पश्चात् आएँ, तब इन का उच्चारण लिखित रूप के अनुसार ही माना जाता है । इसी प्रकार दीर्घ स्वर के पश्चात् त्व-सर्वनाम का उच्चारण तुव-माना जाता है, परन्तु ह्रस्व स्वर के पश्चात् इस का उच्चारण लिखित रूप के अनुसार ही होता है; यथा—ब्रह्मा त्वः (ऋ० १०, ७१, ११) = ब्रह्मा तुवः । (ग) दीर्घ स्वर से परे आने वाले ज्यायस्-के प्रथम 'य्' और पाद के प्रारम्भ में तथा दीर्घ स्वर से परे आने वाले ज्या-तथा ज्याका-के य् के स्थान पर इय् उच्चारण उचित माना जाता है^{५८}; यथा—स्वस्त्रे ज्यायस्यै (ऋ० १, १२४, ८); ज्या इयम् (ऋ० ६, ७५, ३); ज्याका अधि (ऋ० १०, १२३, १) ।

(ज) र्—रेफ के उच्चारण के सम्बन्ध में प्रातिशाख्यों तथा शिक्षाग्रन्थों में बहुत मतभेद है । अनेक प्रातिशाख्यकार तथा शिक्षाकार रेफ का उच्चारण-स्थान दन्तमूल मानते हैं^{५९} । वा० प्रा० जिह्वाग्र को रेफ का करण मानता है और तै० प्रा० का कथन है कि रेफ के उच्चारण के समय जिह्वाग्र के मध्य भाग से दन्तमूलों के पीछे अर्थात् उपरिभाग में स्पर्श किया जाता है^{६०} । कतिपय आचार्य रेफ का उच्चारण-स्थान बर्ष्व ('दन्तपंक्ति के ऊपर का उच्च-प्रदेश'—त्रिभाष्यरत्न) मानते हैं^{६१} । कुछ शिक्षाकार तथा वैयाकरण रेफ का स्थान मूर्धा मानते हैं^{६२} । अनेक विद्वानों का मत है कि रेफ के प्रभाव से 'न्' का 'ण्' में परिणत होना रेफ के मूर्धन्यत्व का ज्ञापक है^{६३} ।

(झ) ल्—लकार के उच्चारण-स्थान के सम्बन्ध में भी प्रातिशाख्यों और शिक्षाग्रन्थों में मतभेद मिलता है । ऋ० प्रा० (१, ४५) तथा तै० प्रा० (२, ४२) के अनुसार, लकार का स्थान दन्तमूल है । परन्तु वा० प्रा०, पा० शि० तथा अनेक वैयाकरणों के मतानुसार, लकार का उच्चारण-स्थान दन्त है^{६४} ।

(ञ) अनुनासिक अन्तस्थाः—य् व् ल् के अनुनासिक रूप यँ वँ लँ भी मिलते हैं । इन का उच्चारण अपने स्थान, तालु आदि, तथा नासिका के द्वारा किया जाता है (दे० टि० ५१) ।

७. ऊष्माणः (श् ष् स् ह्)

श्—प्रातिशाख्यों, शिक्षाओं तथा वैयाकरणों के मतानुसार, श् तालव्य ध्वनि है (दे० टि० ४६) और सन्धि-नियमों से भी इस मत की पुष्टि होती है (दे० अनु० ५०)।

ष्—पकार का उच्चारण-स्थान निःसन्देह मूर्धा है। मूर्धन् शब्द का अर्ध टवर्ग के उच्चारण के सम्बन्ध में बतला चुके हैं। पकार के करण का विचार करते हुए अ० प्रा (१, २३) कहता है कि पकार के उच्चारण के समय जिह्वा मुड़कर द्रोणिका (trough नांद) के आकार की बन जाती है। इस प्रकार की जिह्वा पकार का करण है। शुक्लयजुर्वेदसम्बन्धी शिक्षाग्रन्थों में दिये गये नियमों से ज्ञात होता है कि उन ग्रन्थों की रचना से पूर्व ष् के स्थान पर ख् का उच्चारण करने की प्रवृत्ति प्रारम्भ हो चुकी थी^{१५}। इन नियमों के अनुसार, बहुत से शुक्लयजुर्वेदी पकार का उच्चारण प्रायेण खकार के समान करते हैं। परन्तु यह प्रवृत्ति उत्तर-कालीन है और प्रातिशाख्यों के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है।

स्—अधिकतर प्रातिशाख्यकार, शिक्षाकार तथा वैयाकरण लकार, और सकार का उच्चारण-स्थान समान मानते हैं। इसलिये सकार के उच्चारण के सम्बन्ध में प्रायेण वही मतभेद है जो लकार के सम्बन्ध में मिलता है। ऋ० प्रा० के अनुसार, सकार का स्थान दन्तमूल है, परन्तु कात्यायन प्रभृति अन्य आचार्य सकार को दन्त्य मानते हैं (दे० टि० ६४)।

ह्—अधिकतर प्रातिशाख्यकार, शिक्षाकार तथा वैयाकरण हकार का उच्चारण-स्थान कण्ठ मानते हैं; परन्तु ऋ० प्रा० का कथन है कि कतिपय आचार्य हकार तथा विसर्जनीय का स्थान उरस् (छाती) मानते हैं^{१६}। तै० प्रा० कहता है कि कतिपय आचार्यों के मतानुसार हकार का स्थान वही है जो उस के परवर्ती स्वर के आदिम भाग का है^{१७}।

८. अयोगवाहाः

(क) विसर्जनीय—अधिकतर आचार्य विसर्जनीय का उच्चारण-स्थान कण्ठ मानते हैं^{१८}। परन्तु कतिपय आचार्य हकार के समान विसर्जनीय को भी औरस्य मानते हैं (दे० टि० ६६)। कतिपय आचार्यों का मत है कि विसर्जनीय का उच्चारण-स्थान वही है जो इसके पूर्ववर्ती स्वर के अन्तिम भाग का है^{१९}।

- (ख) जिह्वामूलीय—जिह्वामूलीय के नाम से ही स्पष्ट है कि इस का स्थान जिह्वामूल है । जिह्वामूलीय का करण हनुमूल माना जाता है (दे० टि० ४४) ।
- (ग) उपध्मानीय—उपध्मानीय का उच्चारण-स्थान ओष्ठ है और इस का करण भी ओष्ठ ही माना जाता है (दे० टि० ४९) । पा० शि० के अनुसार अयोगवाह-ध्वनियों का स्थान वही है जो इन के पूर्ववर्ती स्वर का है (दे० टि० ६९) ।
- (घ) अनुस्वार, यम, नासिक्य—इन अयोगवाह-ध्वनियों के उच्चारण में नासिका की प्रधानता रहती है । लगभग सभी आचार्य इन का उच्चारण-स्थान नासिका मानते हैं^{३०} । वा० प्रा० (१,८०-८३) के अनुसार, अनुस्वार का करण हनुमूल, यमों का करण नासिकामूल और नासिक्य का करण नासिका है । तै० प्रा० का मत है कि यमों का स्थान केवल नासिका या मुखसहितनासिका है और इन का करण अपने-अपने वर्ग के करण के समान होता है^{३१} ।

संयोगविषयक उच्चारण-वैशिष्ट्य

९. स्वरभक्ति—प्रातिशाख्यों तथा शिक्षा-ग्रन्थों के अनुसार, परवर्ती व्यञ्जन के साथ रेफ का संयोग होने पर संयुक्त व्यञ्जनों के मध्य एक ह्रस्व स्वर के अंश का उच्चारण किया जाता है । उसे स्वरभक्ति अर्थात् "स्वर के भाग" की संज्ञा दी जाती है । अ० प्रा० का मत है कि रेफ से परे जब कोई ऊष्म आए और उस ऊष्म से परे कोई स्वर हो, तब रेफ तथा ऊष्म के मध्य अर्ध अकार का आगम होता है, परन्तु कतिपय आचार्य ऐसी स्थिति में अकार के चतुर्थ भाग का आगम मानते हैं, और रेफ से परे ऊष्म से भिन्न व्यञ्जन आने पर वे रेफ के पश्चात् ष्ट या ष्ट अकार की स्वरभक्ति मानते हैं^{३२}; यथा— दुर्शः, धूर्हिः, अर्धुमा, पर्व, धर्मणा । ऋ० प्रा० तथा तै० प्रा० के अनुसार, रेफ के साथ अन्य व्यञ्जन या ऊष्म के संयोग में ऋकार के सदृश स्वर-भक्ति होती है^{३३}; यथा कर्हि, अर्कम् । वा० प्रा० का मत है कि 'रू' से

परे ऋकार-सदृश और लृ से परे लृकार-सदृश स्वरभक्ति का उच्चारण होता है^{७५}; यथा—गाहृपत्यः, श्रुतवल्शः । ऋ० प्रा० का कथन है कि कतिपय आचार्य स्वरभक्ति का रूप पूर्वस्वर या उत्तरस्वर के अनुसार मानते हैं—अर्थात् स्वरभक्ति को केवल ऋकाररूप वाली ही नहीं, अपितु पूर्वस्वर या उत्तरस्वर के अनुसार इकाररूप या उकाररूप वाली भी मानते हैं^{७५} । “श्रुतवल्शः” (श्रुतवल्शः) उदाहरण में स्वरभक्ति के इकाररूप उच्चारण को शुद्ध मानते हुए, मा० शि० स्वरभक्ति के अकाररूप तथा उकाररूप उच्चारणों को सदोप मानती है और उनका निषेध करती है^{७५} । र तथा लृ के साथ संयुक्त होने वाले ऊर्ध्वों के अनुसार, या० शि० स्वरभक्ति के पांच भेद मानती है और स्वरभक्ति के इकाररूप, उकाररूप तथा ग्रस्त उच्चारण के दोषों का निषेध करती है^{७७} । के० शि० के अनुसार, स्वरभक्ति का एकाररूप उच्चारण शुद्ध है, यथा—दशंतम् = दरेशतम्; पशंव्येन = परेशव्येन; शतवल्शः = शतवल्शः; द्वार्षीत् = द्वारेपीत्^{७८} । कतिपय आचार्य विशेष परिस्थितियों में स्वरभक्ति का अभाव मानते हैं और कुछ अन्य आचार्य इस का सर्वत्र अभाव मानते हैं^{७९} । स्वरभक्ति के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये मतों से प्रतीत होता है कि वैदिक शाखा-परम्परा तथा देश-भेद के कारण प्राचीन काल में भी उच्चारण-भिन्नता अवश्य रही होगी ।

इस सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि छन्दःपरिमाण की दृष्टि से ऋग्वेद में रेफ तथा अन्य संयुक्त व्यञ्जन के मध्य प्रायेण एक अतिह्रस्व स्वर का उच्चारण करना चाहिए; यथा—दुर्शुतं-, इन्द्रं-, प्र-^{८०} । इसी प्रकार जब किसी व्यञ्जन से परे झ्, न्, या म् आये, तो अनुनासिक स्पर्श तथा अन्य संयुक्त व्यञ्जन के मध्य एक अतिह्रस्व स्वर का उच्चारण कुछ विशेष परिस्थितियों में छन्दः-परिमाण की दृष्टि से वाञ्छनीय है^{८०क}; यथा—युञ्जः, प्रा इत्यादि ।

१०. अभिनिधान—प्रातिशाख्यों तथा शिक्षा-ग्रन्थों में अभिनिधान का वर्णन मिलता है । अ० प्रा० (१,४८) के अनुसार अभिनिधान के लिए भास्थापित संज्ञा का प्रयोग भी किया जाता है । अभिनिधान का

शाब्दिक अर्थ है—समीप स्थापित करना । दो समीपवर्ती व्यञ्जनों के उच्चारण-साक्षिभ्य में जब पूर्व व्यञ्जन की ध्वनि कुछ दब सी जाती है, उसे अभिनिधान कहते हैं । ऋ० प्रा० (६, १७) के अनुसार जब सन्धि में स्पर्श परे होने पर पूर्ववर्ती स्पर्शों तथा (रेफवर्जित) अन्तस्था वर्णों का उच्चारण उनकी ध्वनि को कुछ दबा कर किया जाता है, उसे अभिनिधान कहते हैं; यथा—अर्वाग्देवाः में द् से पूर्व ग् का और मरुद्भिः में भ् से पूर्व द् का उच्चारण अभिनिहित है । अ० प्रा० (१, ४३) का मत है कि व्यञ्जन का विधारण (पृथक् धारण) अभिनिधान है और अभिनिहित ध्वनि दवी हुई (पीडित), दुर्बलतर (सन्नतर) और श्वास तथा नाद से हीन होती है । और इस से आगे अ० प्रा० (१, ४४-४७), स्पर्श परे रहते हुए और पदान्त तथा अवग्रह में स्पर्श का अभिनिधान, ऊष्म परे रहते हुए लकार का अभिनिधान, और हकार परे रहते हुए झ ण् नू का अभिनिधान मानता है । ऋ० प्रा० (६, १८-१९) अवसान में स्पर्शों का अभिनिधान मानता है और कहता है कि स्वकीय वर्ण परे रहते अनुनासिक तथा अनुनासिक अन्तस्था वर्णों का अभिनिधान होता है; यथा—वाक्, ययँ ययँ युजम् । ऋ० प्रा० (६, २०-२३) में उद्धृत शाकल्य के मतानुसार, ऊष्म परे रहते लकार का अभिनिधान होता है और पदादि यू र् व् तथा ऊष्म परे रहते क् से म् तक के पदान्तीय स्पर्शों का अभिनिधान होता है । परन्तु व्याडि आचार्य (ऋ० प्रा० ६, ४३-४४) का मत है कि, सिवाय उस परिस्थिति के जब परवर्ती व्यञ्जन का द्वित्व हुआ है या स्पर्श से पूर्व कोई स्वर या रेफ है, अभिनिधान का सर्वत्र लोप अर्थात् अभाव होता है ।

११. ध्रुव—ऋ० प्रा० (६, ३९-४२) अभिनिधान के प्रसङ्ग में ध्रुव का भी वर्णन करता है । इस प्रातिशाख्य के अनुसार, अघोष व्यञ्जन के अभिनिधान के तुरन्त पश्चात् उसी अभिनिधान के समान उच्चारणकाल वाले नाद (resonance) का आगम होता है उसे ध्रुव कहते हैं; यथा—अर्वाग्देवाः (ऋ १०, १२९, ६) । अघोष अभिनिधान से पीछे आने वाला ध्रुव सुनाई नहीं पड़ता और अनुनासिक अभिनिधान से पीछे आने वाले ध्रुव का उच्चारण नासिका से होता है । अन्तस्था के पीछे आने वाला ध्रुव अन्तस्था-स्वरूप वाला ही होता है ।

१२. (क) स्फोटन—संयोगविपर्यय उच्चारण-वैशिष्ट्य में स्फोटन का व्याख्यान अत्यावश्यक है। अ० प्रा० (२, ३८) के अनुसार, संहिता में वर्ग-विपर्यय होने पर (अर्थात् पूर्वस्थानीय वर्ग के वर्ण से पूर्व परस्थानीय वर्ग का वर्ण आने पर) स्फोटन होता है, यदि पूर्व वर्ण विराम (पदान्त) में हो। अ० प्रा० (१, १०३) के व्याख्याकार ने स्फोटन के लिए व्यञ्जक शब्द का प्रयोग किया है। स्फोटन एक प्रकार की आंशिक स्वर-ध्वनि है जो पूर्ववर्ती व्यञ्जन के उच्चारण को व्यक्त करती है। अ० प्रा० (१, १०३) के अनुसार, स्फोटन का काल ह्रस्व अकार के अष्टम भाग के समान है; यथा—“यद्गायत्रे” (अ० ९, १०, १) में कवर्ग के गकार से पूर्व तवर्ग का दकार वर्गविपर्यय का उदाहरण है। इस दकार तथा गकार के उच्चारण के मध्य स्फोटन है। इसी प्रकार “अनुष्टुप्कथम्” (अ० ८, ९, २०) में स्फोटन है।

वा० प्रा० (४, १६३) का मत है कि स्पर्श से परे कवर्ग (अर्थात् कवर्ग के किसी भी वर्ण) के रहते हुए स्फोटन करना विकल्प से दोष माना जाता है; यथा—काण्डात्काण्डात्। इस सूत्र पर भाष्य करते हुए उवट स्फोटन का व्याख्यान निम्न प्रकार से करता है—“स्फोटनं नाम पिण्डी-भूतस्य संयोगस्य पृथगुच्चारणम्। स्फोटनाख्यो दोषो वा न दोषः।” व० प्र० शि० १८५-१८६ (शि० सं० पृ० १३३) ने भी स्फोटन का यही व्याख्यान किया है।

(ख) कर्षण—स्फोटन का अपवाद बतलाते हुए, अ० प्रा० (२, ३९) कहता है कि जब वर्गविपर्यय में चवर्ग से पूर्व टवर्ग आये तब स्फोटन न होकर फालविप्रकर्ष (संयोग के उच्चारण-काल का दीर्घीकरण, “घसीटना”) होता है; और इसे कर्षण कहते हैं; यथा—पङ्जाता (अ० ८, ९, १६)।

१३. वर्णक्रम (द्वित्व Doubling of Consonants).

प्रातिशाख्यों ने व्यञ्जनों के उच्चारण के सम्बन्ध में एक और विशेषता का वर्णन किया है जिस के अनुसार विशेष परिस्थितियों में कुछ व्यञ्जनों का द्वित्व कर दिया जाता है। इस उच्चारण-वैशिष्ट्य के लिए ऋ० प्रा० (६, १) ने ऋम और ऐ० प्रा० (२४, ६) ने “वर्णक्रम” संज्ञा का प्रयोग

किया है जब कि तै० प्रा० (१४,१), वा० प्रा०, अ० प्रा० और पा० कहते हैं कि व्यञ्जन का दो बार उच्चारण अर्थात् द्वित्व हो जाता है। यद्यपि वर्णक्रम के सम्बन्ध में अनेक मत-भेद मिलते हैं, तथापि इन सब ग्रन्थों के अनुसार वर्णक्रम के प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं—

- (क) स्वर के पश्चात् जो संयुक्त व्यञ्जन आते हैं उनमें से प्रथम व्यञ्जन का द्वित्व हो जाता है^१। यथा—आ त्वा (ऋ० ८, ६८, १); उरु प्रथस्व (तै० सं० १, १, ८, १); वृक्षः (अ० ४, ७, ५)।
- (ख) यदि स्वर से परे आने वाले संयुक्त व्यञ्जनों के आदि में र तथा ह् आएँ तो इन का द्वित्व नहीं होता है और संयोग में इन के पश्चात् आने वाले व्यञ्जन का द्वित्व होता है^२। यथा—अक्क्येण (तै० ७, ५, ९, १); वाह्वोः (वा० सं० २४, १)।
- (ग) इसी प्रकार संयोग में ऊष्म तथा अन्तस्था वर्णों के पश्चात् आने वाले स्पर्शों का द्वित्व होता है और स्वर से परे संयोग के आदि में आने वाले ऊष्म तथा अन्तस्था वर्णों का द्वित्व नहीं होता है^३। यथा—अश्ममा (वा० सं० १८, १३); उल्बाम् (ऋ० १०, ५१, १)।
- (घ) वर्णों के द्वितीय तथा चतुर्थ वर्णों को द्वित्व प्राप्त होने पर, द्वितीय वर्ण का द्वित्व वर्ग के प्रथम वर्ण से और चतुर्थ का द्वित्व वर्ग के तृतीय वर्ण के द्वारा किया जाता है^४। यथा—विक्र्याय (वा० सं० ११, २०); अर्द्धम् (ऋ० ७, १८, १६)।
- (ङ) संयोग के आदि में न होने पर भी पद या पदान्त के स्वर से परे आने वाले छ् का द्वित्व हो जाता है, और उपर्युक्त नियम (घ) के अनुसार छ् से पूर्व च् का उच्चारण किया जाता है^५। यथा—आयच्छद्भ्यः (तै० सं० ४, ५, ३, २); उप च्छायाम् (ऋ० ६, १६, ३८)।
- (च) ह्रस्व स्वर के पश्चात् आने वाले झ न् से परे स्वर आने पर उन का द्वित्व हो जाता है [दे० अनु० ५१क तथा ४२क]। वैदिक वाङ्मय में पदान्तीय ण् का उदाहरण नहीं मिलता है।

(छ) विसर्जनीय, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय तथा अनुस्वार का द्वित्व नहीं होता है; तीन या अधिक संयुक्त व्यञ्जन आने पर द्वित्व नहीं होता है; संयोग में सवर्ण व्यञ्जन परे आने पर भी द्वित्व नहीं होता; श् प् स्र से परे स्वर आने पर द्वित्व का निषेध किया जाता है; कतिपय आचार्यों के मतानुसार दीर्घ स्वर से परे आने वाले संयुक्त व्यञ्जन का द्वित्व नहीं होता; अन्य आचार्यों के अनुसार अवसान में द्वित्व नहीं होता; और शाक्य के मतानुसार कहीं पर भी द्वित्व नहीं होता है^{६१} ।

अक्षर-विभाजन (Syllabication)

१४. प्रातिशाख्यों ने अक्षर (Syllable) के स्वरूप पर विचार किया है और यह निश्चय करने का प्रयास किया है कि शब्द में आने वाले अक्षरों का विभाजन किस आधार पर किया जा सकता है। प्रातिशाख्यों के मतानुसार, स्वर ही अक्षर का मूल आधार है। इस लिए स्वर अकेला या व्यञ्जन के साथ मिल कर अक्षर बनता है, परन्तु स्वर के आश्रय के बिना अकेला व्यञ्जन अक्षर नहीं बन सकता और अक्षर में वह स्वर का अङ्ग बन कर रहता है^{६२}। अक्षर-विभाजन के सम्बन्ध में प्रातिशाख्यों ने निम्नलिखित सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है—

(क) प्रारम्भ तथा मध्य में आने वाले व्यञ्जन परवर्ती स्वर के और अवसान में आने वाले व्यञ्जन पूर्ववर्ती स्वर के अङ्ग बनते हैं^{६३}; यथा—वाक्, मो, ड्रे/वा/यं (=ड्रेवार्यं), इ/मान् (=इमान्), ऊर्क् ।

(ख) स्वरों के मध्य में आने वाले संयुक्त व्यञ्जनों का प्रथम व्यञ्जन पूर्ववर्ती स्वर का अङ्ग बनता है^{६४}; यथा—अन्/तः (=अन्तः) ।

(ग) यम, स्वरभक्ति, तथा 'क्रम' से उत्पन्न होने वाला व्यञ्जन पूर्ववर्ती स्वर का अङ्ग बनता है^{६५}; यथा—रूक्/मम् (=रूक्कमम्), अग्ग/निः (=अग्गनिः), अर्क्/कः (=अर्कः) ।

- (घ) जिस व्यञ्जन का क्रम के नियम से द्वित्व होता है उस से परे स्पर्श रहने पर वह क्रमज व्यञ्जन के साथ पूर्ववर्ती स्वर का अङ्ग बनता है परन्तु अन्तस्था तथा ऊष्म वर्ण परे रहने पर वह परवर्ती स्वर का अङ्ग बनता है^{८२घ}; यथा—पा०ष्/ण्या (=पा०ष्ण्या), अद्/ध्य/वु/सा/य (=अद्ध्यवुसाय), अश/श्लो/ण/या (=अशश्लोणया), वृत्/त्सः (=वृत्सः) ।
- (ङ) अनुस्वार तथा विसर्जनीय पूर्ववर्ती स्वर के अङ्ग बनते हैं^{८२ङ}; यथा—अन्/तः (=अन्तः), हुं/सः (हुंसः) ।

३. प्रयोगात्मक तथा तुलनात्मक विवेचन

पाश्चात्य संस्कृतज्ञों ने वैदिक ध्वनियों के प्रयोग तथा तुलनात्मक इतिहास के सम्बन्ध में सराहनीय अनुसन्धान किया है । निम्नलिखित पंक्तियों में उन अनुसन्धानों का निष्कर्षमात्र अति संक्षेप रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है ।

१५. समानाक्षर—

अ—इस ध्वनि का वैदिक भाषा में सर्वाधिक प्रयोग मिलता है और धा की तुलना में अ का प्रयोग दुगुने से भी अधिक है । अधिकतर पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि वैदिक ध्वनि अ साधारणतया इण्डोयूरोपीय मूल भाषा की ä ë ö ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करती है^{८३}; यथा—

अ= ä —अन्न “खेत”=Lat. *ager*, Engl. *acre*.

अ= ë —अस्ति “है”=Lat. *est*; मध्यं=Lat. *medius*.

अ= ö —अर्वि “भेड़”=Lat. *ovis*.

इस के अतिरिक्त अ मूलभाषा के सधोप नासिक्य (sonant nasal) के स्थान पर भी आता है, जहां यह अनुदात्त अक्षर (अन् अम्) के हसित रूप (reduced form) का प्रतिनिधित्व करता है; यथा—असि—“तलवार”=Lat. *ensis*; शतम् “सौ”=Lat. *centum*, Goth. *hund*; $\sqrt{\text{गम्}}$ से गृत् तथा $\sqrt{\text{मन्}}$ से मृत् इत्यादि ।

वने चकरं और कृत; √ग्रभ् से वने ग्रभं और गृभीत तथा जुग्रभं और गृभ्णामि की तुलना करनी चाहिए।

ऋ—ऋ की तुलना में ऋ का प्रयोग कई गुना कम है और इस का प्रयोग केवल ऋकारान्त (पुं०, स्त्री०, नपुं०) प्रातिपदिकों की द्वितीया तथा षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में और ऋकारान्त (नपुं०) की प्रथमा तथा द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में मिलता है। ऋ० प्रा० (१३, ३४) तथा अ० प्रा० (१, ३८) के अनुसार ऋ के पूर्वार्द्ध में “रू” का तत्त्व है। आधुनिक भाषाशास्त्रियों के मतानुसार, अर् की दीर्घ हासावस्था (lengthened low grade) में इस के स्थान पर ऋ आता है; यथा—
पितृ से वने पितरम् और पितृन् की तुलना कीजिये।

लृ—लृ का प्रयोग-क्षेत्र अत्यधिक सीमित है। और √कृप् “समर्थ होना” (पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार √कृष्) से वने कुछ तिब्बत तथा कृदन्त रूपों में लृ का प्रयोग मिलता है; यथा—चाक्लूपे, चाक्लूपे, चीक्लृपाति, क्लृप्त, क्लृप्तिः। इनके अतिरिक्त इस धातु से “लृ” वाले रूप कल्पस्व, कल्प इत्यादि भी बनते हैं। ऋ० प्रा० के प्रारम्भिक पद्य (९) में कहा गया है कि लृकार पदों के आदि तथा अन्त में नहीं आता है। पाश्चात्य विद्वान् लृ को लृ का स्वरीकृत (vocalised) रूप और अल् की हासावस्था (low grade) में इसका प्रतिनिधि मानते हैं; यथा—कल्पं और क्लृप्तिः की तुलना कीजिये। हम पहले यह चतला चुके हैं कि प्रातिशाख्यकार लृ में लृ का तत्त्व मानते हैं।

१६. सन्ध्यक्षर—

ए—अन्य सन्ध्यक्षरों की तुलना में ए का प्रयोग सर्वाधिक है। यह ध्वनि इण्डो-यूरोपीय मूलभाषा के सन्ध्यक्षर äi, ði तथा öi का प्रतिनिधि है; यथा—एधस् “ईन्धन” = Av. aēsma, Gk. a’ithō; एति “जाता है” = Lith. eiti; ते “वे” = Gk. toi. गुणसन्धि से बना ए, झ झ के साथ इ ई के एकरूप का परिचायक है। कुछ शब्दों में यह अक्षर द, ध, ष से पूर्व आने वाली उस इण्डो-यूरोपीय ध्वनि az का प्रतिनिधित्व करता है जो अब तक अवेस्ता में सुरक्षित है; यथा मेधा

=Av. mazdāō; नेदीयस् =Av. nazdyō; देहि =Av. dazdi.

✓अस् धातु से बने रूप एधि का व्याख्यान भी इसी आधार पर किया जाता है ।

ओ—प्रयोग की दृष्टि से ए के पश्चात् ओ का स्थान आता है । ओ का अधिकतर प्रयोग पदों के मध्य में मिलता है । पदों के आदि तथा अन्त में इसका प्रयोग बहुत कम है । ओ इण्डो-यूरोपीय मूलभाषा के सन्ध्यक्षर *ǎu*, *ǝu* तथा *ōu* का प्रतिनिधित्व करता है; यथा ओजस् “वल” =Av. aogaro (तु० Lat. *augustus*); बोधामि “मैं समझता हूँ” =Gk. *peúthomai*; लोक =Lith. *laũkas*. गुण-सन्धि में अ आ और उ ऊ के एकरूप आदेश से ओ बनता है । भकारादि विभक्तियों से पूर्व और यकारादि तथा वकारादि तद्धित प्रत्ययों से पूर्व -अस् अन्त वाले शब्दों के रूपों में ओ इण्डो-इरानियन ध्वनि *az* का प्रतिनिधित्व करता है; यथा—द्वेषोभिः (द्वेषस्+भिस्), अंहोयु (अंहस्+यु); तथा सहोवन् (सहस्+वन्) । ष् पूर्वपद वाले समासों में भी ओ *az* का प्रतिनिधि है; यथा—षोडश (षष्+दश) और षोढा (षष्+धा) । इसी प्रकार वोढुम् (वह्+तुसुन्) में ओ *az* का प्रतिनिधि है ।

ऐ औ—इन दोनों सन्ध्यक्षरों का प्रयोग अन्य स्वरों की तुलना में बहुत कम मिलता है और औ का प्रयोग सब से कम है । तद्धितप्रत्ययान्त पदों से अन्य पदों के प्रारम्भ में इन का प्रयोग अतीव विरल है । अ आ के साथ ए ओ की एकरूपसन्धि होने पर क्रमशः ऐ औ बनते हैं । और जब ऐ औ से परे कोई स्वर आए तो इन को क्रमशः आय् आव् आदेश होता है । इसलिये आधुनिक भाषा-शास्त्री ऐ औ को क्रमशः *āi āu* इ० यो० मूल ध्वनियों का प्रतिनिधि मानते हैं; यथा—नौः “नाव” =Gk. *naus*, Lat. *navis*; द्यौः “आकाश” =Gk. *Zeús*; गौः “गाय” =Gk. *Boús*.

स्वरावस्था-विकृति (Vowel gradation)

१७. इण्डो-यूरोपीय परिवार की भाषाओं की यह एक विशेषता है कि सुवन्त, तिङन्त, तद्धित तथा ऋदन्त रूपों की रचना के समय मूल स्वरों

आ—यह ध्वनि इण्डो-यूरोपीय मूल भाषा की \bar{a} \bar{e} \bar{o} ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करती है; यथा—

आ= \bar{a} —मातृ “मा”=Lat. *māter*.

आ= \bar{e} —सामि “आधा”=Lat. *semi*.

आ= \bar{o} —आस “मुख”=Lat. *ōs*.

सन्धि में यह ध्वनि दो अकारों के एकादेश को प्रकट करती है; यथा—इह+अस्ति=इहास्ति । अ के सदृश आ प्रायः सघोष नासिक्य के स्थान पर भी आता है; यथा— $\sqrt{\text{खन्}}$ से खात्; $\sqrt{\text{जन्}}$ से जात् इत्यादि ।

इ—इस ध्वनि का वैदिक भाषा में प्रचुर प्रयोग मिलता है । यह इण्डो-यूरोपीय मूल भाषा की i ध्वनि का प्रतिनिधित्व करती है; यथा— $\sqrt{\text{रिञ्जन्ति}}$ “वे छोड़ते हैं”=Lat. *linquunt*. धातुओं तथा प्रत्ययों में इ प्रायेण ए तथा य की हासावस्था (low grade) का प्रतिनिधि है; यथा— $\sqrt{\text{विद्}}$ “जानना” से वने वेद् रूप में धातु उदात्तसहित है और विद्य में धातु उदात्तरहित है । इस के अतिरिक्त आकारान्त धातुओं में आ की हासावस्था में इस के स्थान पर इ वर्ण आता है; यथा— $\sqrt{\text{शास्}}$ से वने शास्ति के साथ श्रिष्ट की तुलना कीजिये । इसी प्रकार $\sqrt{\text{स्था}}$ से स्थित और $\sqrt{\text{धा}}$ से हित बनते हैं ।

ई—इ की तुलना में ई का प्रयोग बहुत कम है । ई वर्ण इण्डो-यूरोपीय मूल भाषा की i ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है; यथा—जीव “जीवित” =Lat. *vivus*. सन्धि में ई दो इकारों के एकादेश को प्रकट करता है; यथा— $\sqrt{\text{ईप्}}$:=इ+इप्+उस् (लि० प्र० पु० व०) ।

इस के अतिरिक्त ई प्रायेण या की हासावस्था (low grade) में या के स्थान पर आता है; यथा— $\sqrt{\text{भक्ष्}}$ “प्राप्त करना” से वने भक्ष्याम् रूप के साथ अश्मीहि की तुलना कीजिये । इसी प्रकार $\sqrt{\text{ज्या}}$ से वने ज्यायंस और जीत (अ०) की तुलना कीजिये^{८१} ।

वैदिक व्याकरण

उ—इ की तुलना में उ का प्रयोग अल्पतर है । परन्तु ऊ की तुलना में उ का प्रयोग कई गुना है । उ ध्वनि इण्डोयूरोपीय मूल भाषा की u ध्वनि का प्रतिनिधित्व करती है; यथा—रुधिर “लाल” =Lat. *ruber*; स्नुषा “पुत्रवधू” =Lat. *nurus*, O. sl. *snŭcha*. इसके अतिरिक्त औ तथा व की हासावस्था (low grade) में उ इन के स्थान पर आता है; यथा—√युज् से वने योग के साथ युग की तुलना कीजिये । इसी प्रकार √स्वप् से वने स्वप् तथा सुप्त पर ध्यान दीजिये ।

ऊ—ऊ का प्रयोग उ की अपेक्षा कई गुना कम है और ई से भी इस का प्रयोग बहुत कम है । यह ध्वनि इण्डोयूरोपीय मूल भाषा की ū ध्वनि का प्रतिनिधित्व करती है; यथा—धूम “धूँआ” =Lat. *fūmus*, O. sl. *dymŭ*. इसके अतिरिक्त औ तथा वा की हासावस्था (low grade) में इन के स्थान पर ऊ आता है; यथा—स्वादते के साथ सुषूदति की तुलना कीजिए । इसी प्रकार √धौ से वने धावति के साथ क्तान्त रूप धूत की तुलना करनी चाहिए । सवर्णदीर्घ सन्धि में ऊ दो उकारों का प्रतिनिधित्व भी करता है; यथा—सूक्तम् =सु+उक्तम् ।

ऋ—वैदिक भाषा में ऋ का प्रयोग लगभग ऊ के प्रयोग के बराबर है । जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, प्रातिशाख्यकार ऋ में रू का तत्त्व मानते हैं । वैदिक ऋ की तुलना में अवेस्ता में *arə* मिलता है । इसलिये इस सम्बन्ध में आधुनिक भाषा-शास्त्रियों का मत है कि वास्तव में रू का स्वरीकृत (vocalised) रूप ही ऋ है । अरू तथा रू की हासावस्था (low grade) में इन के स्थान पर ऋ हो जाता है । अरू तथा रू के परिवर्तन के उदाहरण प्रायेण “-रू” अन्त वाले प्रातिपदिकों के रूपों में मिलते हैं; और रू तथा ऋ के परिवर्तन के उदाहरण प्रायेण धातुओं के तिब्बन्त रूपों में मिलते हैं; यथा—जृनिरू “पैदा करने वाला” से वने जृनितरि, जृनितारः और जृनिरूभ्याम् की तुलना कीजिये । इसी प्रकार √कृ से

वने चुकर और कृत; √ग्रभ् से वने ग्रभ और गुभीत तथा जग्रभ और गुभ्णामि की तुलना करनी चाहिए ।

ऋ—ऋ की तुलना में ऋ का प्रयोग कई गुना कम है और इस का प्रयोग केवल ऋकारान्त (पुं०, स्त्री०, नपुं०) प्रातिपदिकों की द्वितीया तथा षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में और ऋकारान्त (नपुं०) की प्रथमा तथा द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में मिलता है । ऋ० प्रा० (१३, ३४) तथा अ० प्रा० (१, ३८) के अनुसार ऋ के पूर्वार्द्ध में “रु” का तत्त्व है । आधुनिक भाषाशास्त्रियों के मतानुसार, अर् की दीर्घ हासावस्था (lengthened low grade) में इस के स्थान पर ऋ आता है; यथा—पितृ से वने पितरम् और पितृन् की तुलना कीजिये ।

लृ—लृ का प्रयोग-क्षेत्र अत्यधिक सीमित है । और √कृष् “समर्थ होना” (पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार √कृष्) से वने कुछ तिङन्त तथा कृदन्त रूपों में लृ का प्रयोग मिलता है; यथा—चाकळ्युः, चाकळ्ये, चीकळपाति, कळुस, कळुसिः । इनके अतिरिक्त इस धातु से “ल्” वाले रूप कल्पस्व, कल्प इत्यादि भी बनते हैं । ऋ० प्रा० के प्रारम्भिक पद्य (९) में कहा गया है कि लृकार पदों के आदि तथा अन्त में नहीं आता है । पाश्चात्य विद्वान् लृ को ल् का स्वरीकृत (vocalised) रूप और अल् की हासावस्था (low grade) में इसका प्रतिनिधि मानते हैं; यथा—कल्प और कळुसिः की तुलना कीजिये । हम पहले यह बतला चुके हैं कि प्रातिशाख्यकार लृ में ल् का तत्त्व मानते हैं ।

१६. सन्ध्यक्षर—

ए—अन्य सन्ध्यक्षरों की तुलना में ए का प्रयोग सर्वाधिक है । यह ध्वनि इण्डो-यूरोपीय मूलभाषा के सन्ध्यक्षर ai, oi तथा oi का प्रतिनिधि है; यथा—एधस् “ईधन” = Av. aēsmā, Gk. a' ithō; एति “जाता है” = Lith. eiti; ते “वे” = Gk. toi. गुणसन्धि से यना ए, अ आ के साथ इ ई के एरूप का परिचायक है । कुछ शब्दों में यह अक्षर द, ध, ढ से पूर्व आने वाली उस इण्डो-यूरोपीय ध्वनि az का प्रतिनिधित्व करता है जो अब तक अवेस्ता में सुरक्षित है; यथा मेधा

=Av. mazdā; नेदीयस् =Av. nazdyō; देहि =Av. dazdi.

✓अस् धातु से वने रूप एधि का व्याख्यान भी इसी आधार पर किया जाता है ।

ओ—प्रयोग की दृष्टि से ए के पश्चात् ओ का स्थान आता है । ओ का अधिकतर प्रयोग पदों के मध्य में मिलता है । पदों के आदि तथा अन्त में इसका प्रयोग बहुत कम है । ओ इण्डो-यूरोपीय मूलभाषा के सन्ध्यक्षर *au*, *eu* तथा *ou* का प्रतिनिधित्व करता है; यथा ओजस् “वल” =Av. aogarō (तु० Lat. *augustus*); बोधामि “मैं समझता हूँ” =Gk. *peúthomai*; लोक =Lith. *laūkas*. गुण-सन्धि में अ आ और उ ऊ के एकरूप आदेश से ओ बनता है । भकारादि विभक्तियों से पूर्व और यकारादि तथा वकारादि तद्धित प्रत्ययों से पूर्व -अस् अन्त वाले शब्दों के रूपों में ओ इण्डो-इरानियन ध्वनि *az* का प्रतिनिधित्व करता है; यथा—द्वेषोभिः (द्वेषस्+भिस्), अंहोयु (अंहस्+यु); तथा सहोवन् (सहस्+वन्) । ष् पूर्वपद वाले समासों में भी ओ *az* का प्रतिनिधि है; यथा—षोडश (ष्+दश) और षोढा (ष्+धा) । इसी प्रकार वोढुम् (वह्+तुमुन्) में ओ *az* का प्रतिनिधि है ।

ऐ औ—इन दोनों सन्ध्यक्षरों का प्रयोग अन्य स्वरों की तुलना में बहुत कम मिलता है और औ का प्रयोग सब से कम है । तद्धितप्रत्ययान्त पदों से अन्य पदों के प्रारम्भ में इन का प्रयोग अतीव विरल है । अ आ के साथ ए ओ की एकरूपसन्धि होने पर क्रमशः ऐ औ बनते हैं । और जब ऐ औ से परे कोई स्वर आए तो इन को क्रमशः आच् आच् आदेश होता है । इसलिये आधुनिक भाषा-शास्त्री ऐ औ को क्रमशः *āi* *āu* इ० यो० मूल ध्वनियों का प्रतिनिधि मानते हैं; यथा—नौः “नाव” =Gk. *naus*, Lat. *navis*; द्यौः “आकाश” =Gk. *Zeús*; गौः “गाय” =Gk. *Boús*.

स्वरावस्था-विकृति (Vowel gradation)

१७. इण्डो-यूरोपीय परिवार की भाषाओं की यह एक विशेषता है कि सुबन्त, तिङन्त, तद्धित तथा ऋदन्त रूपों की रचना के समय मूल स्वरों

(ख) वृद्धि अवस्था (Lengthened grade) ऐ औ आर्— अनेक सुवन्त, तद्धित, तिङन्त तथा कृदन्त रूपों में गुण के स्थान पर वृद्धि (ऐ औ आर्) मिलती है। पाश्चात्य भाषाशास्त्री इस प्रकार के ऐ औ आर् को गुण (अर्थात् क्रमशः ए ओ अर्) की वृद्धि अवस्था (Lengthened grade) मानते हैं। यह वृद्धि सर्वदा उसी अक्षर पर होती है जहां गुण होता है। इस के निम्नलिखित उदाहरण उल्लेखनीय हैं—

(१) सुवन्तरूप—गौः, घौः।

(२) तद्धितरूप—औशिज (बुशिज् का अपत्य), श्रोत्र (श्रोत्र-सम्बन्धी), ह्यैरण्य (हिरण्य का)।

(३) तिङन्तरूप—√यु से यौमिः; √क्षु से क्षणौमिः; √जि से जैपुः; अजैपम्; √भृ से भर्भार्षम्।

(४) कृदन्तरूप—√कृ से कारकः; √भृ से भार्थः।

(ग) गुण तथा वृद्धि की हासावस्था— (Low grade) ई, ऊ, ईर्, ऊर्—गुण (ए ओ अर्) तथा वृद्धि (ऐ औ आर्) दोनों प्रकार के अक्षरों की हासावस्था में इन के स्थान पर कहीं कहीं यथाविधि ई, ऊ, ईर् ऊर् भी आ सकते हैं; यथा— √भी से द्विभेमिं (गुण) और द्विभार्य (वृद्धि) की तुलना में भीत बनता है। इसी प्रकार √हे से होम और जुहाव की तुलना में हुत; √तृ से ततरं, ततारं तथा तिरतं की तुलना में तीर्णः; √स्तृ से तस्तरं और तस्तारं की तुलना में स्तीर्णः; और √पृ से पिपतिं तथा पपारं की तुलना में पूर्ण इत्यादि रूप बनते हैं।

(घ) हासावस्था के अक्षर ई, ऊ, ईर्, ऊर् का पुनर्हास— उपर्युक्त हासावस्था वाले अक्षरों (ई, ऊ, ईर्, ऊर्) का पुनर्हास होने पर इनके स्थान पर ह्रस्व अक्षर इ उ ऋ आ जाते हैं। यह पुनर्हास उस अवस्था में होता है जब उपर्युक्त ई, ऊ, ईर् या ऊर् वाले शब्द का उदात्त समास या सम्बोधन में अपने साधारण स्थान से हट कर शब्द के प्रथम अक्षर पर चला जाता है; यथा समास में—√शी से बना रूप निशिता "रात्रि"; √सू से बने रूप सूरिका की तुलना में सुपति

“अच्छा जन्म”; √स्तृ से बने रूप स्तीर्ण की तुलना में अस्तृत; √ह्वे “धुलाना” से बने रूप ह्वृति की तुलना में आहुति इत्यादि उदाहरण ध्यान देने योग्य हैं। इसी प्रकार सम्बोधन में—देवी से देवि और इवश्रु से इवश्रु इत्यादि उदाहरण उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त उन आख्यात रूपों में जिनमें द्वित्व के कारण उदात्त अपने साधारण स्थान से हट जाता है, ई, ऊ, ईर, ऊर को इ, उ, ऋ के रूप में पुनर्हास प्राप्त होता है; यथा—√पृ “भरना” से पूर्ण तथा पूर्त की तुलना में पिपृताम् बनता है।

य व र की हासावस्था (Low grade) सम्प्रसारण

१९. पाणिनीय व्याकरण (१,१,४५) के अनुसार, य् व् र् के स्थान पर क्रमशः प्रयुज्यमान इ उ ऋ की सम्प्रसारण संज्ञा है। और अन्य सूत्र (६,१, १०८) के अनुसार, सम्प्रसारण-संज्ञक इ उ ऋ से परे आने वाले अच् तथा सम्प्रसारण का पूर्वरूप एकादेश हो जाता है; यथा—यञ्, वप्, अह् धातुओं के य व र का क्रमशः इ, उ, ऋ सम्प्रसारण बनता है। इसके सम्बन्ध में पाश्चात्य भाषा-शास्त्रियों का मत है कि गुण की तुलना में जब य व र पर उदात्त स्वर हो तो वह य व र की साधारण अवस्था (Normal grade) है। परन्तु रूप-रचना में जब उदात्त य व र से हट कर परवर्ती अच् पर चला जाए, तब य व र के स्थान पर इनकी हासावस्था (Low grade) के अक्षर इ उ ऋ आ जाते हैं; यथा—√यञ् से बने इयार्ज की तुलना में इष्ट; √वश् “इच्छा करना” से बने वष्टि की तुलना में उश्मसिं, √अह् से बने अग्रह की तुलना में अग्रहः इत्यादि आख्यातिक उदाहरण प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार युवच् “जवान” से बने युवभिः की तुलना में यूनः, और श्वन् “कुत्ता” से बने श्वभिः की तुलना में शुनाम् इत्यादि उदाहरण ध्यान देने योग्य हैं। सम्प्रसारण-सम्बन्धी नियमों के विषय में पा० ६,१,१३-४४ तथा ६,४,१३१-१३३ द्रष्टव्य है।

या वा रा की हासावस्था (Low grade)

२०. य व र की भांति या वा रा से उदात्त के हट जाने पर इनकी

की अवस्था में कई प्रकार के विकार होते हैं। इस स्वरावस्था-विकृति के लिए जर्मनभाषा में Ablaut और इंग्लिशभाषा में Vowel gradation संज्ञा का व्यवहार किया जाता है। इस स्वरावस्था-विकृति के लिए कतिपय भारतीय विद्वान् अपश्रुति संज्ञा का व्यवहार करते हैं, परन्तु मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि संस्कृतभाषा के प्रयोग तथा व्याकरण के आधार पर अपश्रुति शब्द से ऐसा कोई अर्थ नहीं निकल सकता। संस्कृत वैयाकरण अतिप्राचीन काल में भी इस प्रकार की स्वरावस्थाविकृति से परिचित थे और उन्होंने इस सम्बन्ध में गुण, वृद्धि, सम्प्रसारण आदि संज्ञाओं का प्रयोग किया। पाश्चात्य भाषा-शास्त्रियों तथा संस्कृत वैयाकरणों के दृष्टिकोण में मुख्य भेद यह है कि संस्कृत वैयाकरण स्वरों की ह्रस्ववस्था (इ उ ऋ लृ) को साधारण अवस्था (normal grade) मान कर उस के आधार पर गुण, वृद्धि आदि अवस्था-विकृति का व्याख्यान करते हैं (दे० पा० १, १, २)। और इस के विपरीत पाश्चात्य भाषा-शास्त्री गुण (अ ए ओ अर् अल्) को साधारण अवस्था (normal grade) मान कर उस के आधार पर हासावस्था (low grade) तथा वृद्धि अवस्था (lengthened grade) आदि का व्याख्यान करते हैं। इस पक्ष के समर्थन में उनकी प्रधान युक्ति यह है कि स्वरावस्था-विकृति मुख्यतः उदात्त स्वर के स्थान-परिवर्तन के कारण होती है, क्योंकि उदात्त ही पद का प्रमुख स्वर माना जाता है। जब तक किसी पूर्ण अक्षर पर उदात्त स्वर रहता है, तब तक वह अक्षर अविच्छिन्न रहता है। परन्तु जब उदात्त के स्थान-परिवर्तन के कारण अक्षर अनुदात्त हो जाता है, तब वह हासावस्था (low grade) को प्राप्त होता है। क्योंकि उदात्त स्वर से युक्त अवस्था में ही अक्षर पूर्ण माना जाता है और उदात्त स्वर प्रायेण गुण अवस्था में ही पाया जाता है, इसलिए पाश्चात्य भाषाशास्त्री गुण (अ ए ओ अर् अल्) को साधारण अवस्था मानते हैं। इस सम्बन्ध में √जि से बने निम्नलिखित उदाहरणों पर ध्यान दीजिए—

(१) साधारण अवस्था (Normal grade)—जेतुम्, जयति।

वैदिक व्याकरण

(२) वृद्धि अवस्था (Strengthened or lengthened grade or Dehnstufe)—अजैपम्, जैपुः (अ०) ।

(३) हासावस्था (Low grade)—जित ।

यद्यपि संस्कृत वैयाकरणों ने इ उ ऋ ल को साधारण अवस्था मान कर गुण, वृद्धि आदि का व्याख्यान किया है, तथापि गुण और उदात्त का पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध उनकी दृष्टि से ओझल नहीं था । पाणिनि (३,४,७८,९२) ने धातुओं से परे आने वाले उन प्रत्ययों को जो धातु के इ उ ऋ को अवश्य गुण करते हैं पित् किया है; यथा— शप्, तिप्, सिप्, मिप् और लोट् के उत्तम पुरुष का आद् आगम । और ३,१,४ में पाणिनि ने पित् प्रत्यय को अनुदात्त बनाकर पद के उदात्त का स्थान धातु के गुण अक्षर पर निश्चित कर दिया है । इसी प्रकार के बहुत से अन्य उदाहरण भी मिलते हैं । नीचे विभिन्न स्वरावस्थाओं का संक्षिप्त वर्णन किया गया है ।

गुण (ए ओ अर् अल्) की अवस्थाएं

१८. (क) हासावस्था (Low grade) इ उ ऋ ल—धातुओं से बने तिबन्त तथा कृदन्त रूपों में जहाँ पर ए ओ अर् अल् आते हैं वहाँ उन पर प्रायेण उदात्त आता है । यह गुण की साधारण अवस्था है । परन्तु जिन रूपों में उदात्त का स्थान-परिवर्तन हो जाता है, उन में गुण अर्थात् ए ओ अर् अल् के स्थान पर क्रमशः इ उ ऋ ल हो जाते हैं । पाश्चात्य भाषा-शास्त्री उदात्त स्वर के आधारभूत गुण को साधारण अवस्था (normal grade) मानते हुए इ उ ऋ ल को गुण (अर्थात् क्रमशः ए ओ अर् अल्) की हासावस्था (Low grade) मानते हैं; यथा— √इ से बने रूप एमि तथा इमः; √आप् से बने रूप आमोमि तथा आप्नुमः; √दृश् से बने रूप दृदृशी तथा दृदृशुः; और √कृप् से बने रूप कल्पते तथा च्वलुषे इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य हैं । जैसा कि हम पहले घटला चुके हैं, संस्कृत वैयाकरणों के मतानुसार उपर्युक्त उदाहरणों में मूल अक्षर इ उ ऋ ल के आधार पर गुण अर्थात् मौल अक्षर ए ओ अर् अल् का व्याख्यान किया जाता है (दे० पा० ७,३,८४,८६) ।

प्रथमोऽध्यायः

हासावस्था में क्रमशः ई ऊ ईर् इनके स्थान पर आ जाते हैं। इनके उदाहरण मुख्यतया तिब्बन्त तथा तद्धित रूपों में मिलते हैं; यथा—
 √प्याय् “फूलना” से बने प्यार्यते की तुलना में पीन, √ब्रू से बने ब्रूयात् की तुलना में ब्रुव्रीत्; √स्वाद् से बने स्वार्दते की तुलना में सुपूर्दति; और द्वीर्घ की तुलना में द्वाधीयस् तथा द्वाधिष्ठ इत्यादि उदाहरण ध्यान देने योग्य हैं।

अ की अवस्थाएं

२१. अनेक धातुओं तथा नामरूपों में आनेवाला अ गुण अवस्था (Normal grade) में मिलता है और पाणिनि ने भी ‘अदेद्गुणः’ सूत्र (१,१,२) में अ की गुण अवस्था स्वीकार की है। पाश्चात्य भाषा-शास्त्रियों का मत है कि गुण अवस्था वाला अ प्रायेण इण्डो-यूरोपीय मूलभाषा की \bar{a} या \bar{o} ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। यद्यपि हासावस्था (low grade) में साधारणतया इस प्रकार के अ का लोप सम्भाव्य है, तथापि इस का लोप सर्वत्र वाञ्छनीय नहीं है, क्योंकि कुछ रूपों में अ का लोप होने से उनका उच्चारण ही असम्भव है। तब भी हासावस्था वाले बहुत से रूपों में अ का लोप हो जाता है; यथा—√अस् से बने अस्ति की तुलना में सन्ति; √गम् से बने जगम् की तुलना में जग्मुः; √हन् से बने हन्ति की तुलना में हन्ति इत्यादि उदाहरणों में अ का लोप हुआ है।

गुण अ की वृद्धि अवस्था (lengthened grade) में इस के स्थान पर आ हो जाता है (दे० पा० १, १, १-वृद्धिरादैच्)। वृद्धि अवस्था के उदाहरण सुबन्त, तद्धित, तिब्बन्त तथा कृदन्त रूपों में मिलते हैं; यथा—मृहत् की तुलना में मृहान्; वषुस् की तुलना में वापुष; √यम् “फलाना” से बना तिप्बन्त रूप अयांसम् और √वह् “ले जाना” से बना कृदन्तरूप वाहंस “हविः” इत्यादि उदाहरण उल्लेखनीय हैं।

आ की अवस्थाएं

२२. पाश्चात्य-भाषाशास्त्रियों के मतानुसार, कुछ धातुओं में आने वाला आ गुण अर्थात् साधारण अवस्था (normal grade) का प्रतिनिधि माना जाता

है और वह अ की वृद्धि-अवस्था (lengthened grade) का प्रतिनिधि नहीं है। साधारण-अवस्था वाले आ की हासावस्था (low grade) में इस के स्थान पर प्रायेण इ आता है, परन्तु सादृश्य के कारण कहीं-कहीं ई भी आता है। और कभी-कभी गौण उदात्त स्वर के साथ अ भी आता है; यथा—
 √स्था से बने स्थाः (छ० म० पु० ए०) की तुलना में स्थित; √धा से बने दधाति की तुलना में धित; √पा “पीना” से बने पातवे की तुलना में पीत इत्यादि उदाहरण आ के स्थान पर आने वाले इ तथा ई का स्पष्ट व्याख्यान करते हैं (दे० पा० ७, ४, ४०-४५; ६, ४, ६६)। इसी प्रकार गार्हते की तुलना में आने वाले गर्हन तथा गह्वर इत्यादि उदाहरण भी ध्यान देने योग्य हैं। (१) आकारान्त धातुओं से बने लिट् के रूपों में अजादि प्रत्ययों से पूर्व; (२) √दा “देना” और √धा “रखना” इत्यादि धातुओं के अभ्यास वाले रूपों में सब प्रकार के प्रत्ययों से पूर्व; (३) अजन्त उपसर्ग के साथ समस्त √दा “देना” और √दो “काटना” धातुओं के कान्त रूपों में; (४) और √हा “छोड़ना” इत्यादि कुछ अन्य धातुओं से बने तिबन्त रूपों में हासावस्था (low grade) को प्राप्त हुए आ का लोप हो जाता है; यथा—(१) √स्था से तुस्थुः (लि० प्र० पु० व०—दे० पा० ६, ४, ६४); (२) √दा से ददुः तथा दद्वसि और √धा से दधुः तथा दध्वसि (दे० पा० ६, ४, ११२); (३) प्र+√दा से प्रत्त तथा अ+√दा से आत्त और अव+√दो से अवत्त (दे० पा० ७, ४, ४७); (४) और √हा से विधिलिट् में जहात् (दे० पा० ६, ४, ११८) इत्यादि उदाहरण उल्लेखनीय हैं।

ऐ तथा औ की अवस्थाएं

२३. (क) ऐ की हासावस्था (Low grade) ई-संस्कृत वैयाकरणों ने कुछ धातुओं के अन्त में ऐ माना है; यथा—√गै “गाना” तथा √इमै “जमना” इत्यादि। अजादि प्रत्ययों से पूर्व सन्धि के कारण इनका ऐ साधारणतया आय् के रूप में प्रकट होता है। हासावस्था (Low grade) में ऐ के स्थान पर ई की ध्वनि आती है; यथा—√गै से गार्घति की तुलना में गीत; और √इमै से इयार्घते की तुलना में शीत तथा शीन इत्यादि।

(ख) औ की हासावस्था (Low grade) ऊ-पाश्चात्य भाषाशास्त्री ऊ को औ की हासावस्था का प्रतिनिधि मानते हैं और इस मत के समर्थन में प्रायेण निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करते हैं—धार्वति “धोता है” की तुलना में धूत “धोया गया”; और धार्वति “भागता है” की तुलना में धूम “धूँआ” (दे० Ved. Gr., p. 19)। परन्तु ये उदाहरण पूर्णतया असंदिग्ध नहीं माने जा सकते।

व्यञ्जन

२४. कण्ठ्य स्पर्श (क् ख् ग् घ् ङ्)—वैदिक भाषा में ककार का प्रयोग अन्य चारों कण्ठ्य स्पर्शों की तुलना में सब से अधिक है और ङकार का प्रयोग सब से कम है। ङकार के प्रयोग के सम्बन्ध में यह तथ्य विशेषतया उल्लेखनीय है कि इसका अधिकतर प्रयोग कवर्ग के स्पर्शों से पूर्व मिलता है; यथा—अङ्क, अङ्कय, अङ्क, जङ्वा इत्यादि। अन्य स्पर्शों से पूर्व ङकार तभी आता है जब किसी कण्ठ्य स्पर्श ध्वनि का लोप हुआ हो, यथा—युङ्धि = युञ्ज् + धि (लोट् म० पु० ए० में ज् का ग् वन कर लोप हुआ)। इसी प्रकार जहाँ किसी उत्तरवर्ती कण्ठ्य स्पर्श का लोप हुआ हो वहाँ पदान्त में भी ङकार मिलता है; यथा—क्रीडश् से क्रीड् और प्रत्यञ्च् से प्रत्यङ् इत्यादि। वैदिक भाषा के कण्ठ्य स्पर्श प्रायेण इ० यो० मूल भाषा के मध्य कण्ठ्य स्पर्शों (Velars) का प्रतिनिधित्व करते हैं; यथा—कक्ष “कगल” = Lat. *coxa*; अङ्क “गोद” = Lat. *uncus*; भार्गस् “पाप” = Gk. *’ágos*; मेघ “वादल” = Goth. *miglà*। वैदिक भाषा के कुछ कण्ठ्य स्पर्शों का उद्गम इ० यो० मूलकण्ठ्य स्पर्शों (Labio-velars) से भी माना जाता है; यथा—कः “कौन” = Lat. *quis*; गौः “गाय” = Gk. *Boús*, Lat. *bōs*। इस के अतिरिक्त कुछ विशेष परिस्थितियों में वैदिक भाषा के कण्ठ्य स्पर्श तालव्य ध्वनियों के स्थान पर भी आते हैं; यथा—दिक्षु इत्यादि के क्ष् (क् + य्) में मूलतः श तथा ष का संयोग है, और श के स्थान पर क् वनने से सन्धि के परिणामस्वरूप स्र का मूर्धन्य हो गया है (दे० अनु० ७६)। इसी प्रकार वाक् इत्यादि रूपों में च् के स्थान पर क् आता है (दे० अनु० ७६)। कुछ रूपों में सकारादि प्रत्ययों से पूर्व प् के स्थान पर भी क् आता है; यथा—

✓द्विष् "द्वेष करना" से द्विषत् (अडागमरहित छ० प्र० पु० ए०)
(दे० अनु० ७४) ।

२५. तालव्य व्यञ्जन—वैदिक भाषा में अन्य तालव्य स्पर्शों की अपेक्षा च् का प्रयोग अधिक मिलता है और प्रयोग की दृष्टि से च् से दूसरे स्थान पर ज् आता है। छ् का प्रयोग च् की तुलना में केवल $\frac{1}{10}$ है। झ् का प्रयोग सारे ऋग्वेद में केवल एक बार आता है और अथर्ववेद में एक बार भी नहीं आता है। उत्तरकालीन वैदिक भाषा में झ् के कुछेक प्रयोग मिलते हैं। ज् का प्रयोग भी बहुत थोड़े वैदिक शब्दों में मिलता है। ज् कभी पद के प्रारम्भ में नहीं आता और यह प्रायेण छ् से पूर्व और च् या ज् के पहले या पीछे आता है। यह विशेषतया उल्लेखनीय है कि कोई भी तालव्य व्यञ्जन पदान्त में नहीं आता है^{११}।

पाश्चात्य भाषा-शास्त्रियों ने वैदिक भाषा के तालव्य व्यञ्जनों के सम्बन्ध में बहुत अनुसन्धान करने के उपरान्त यह मत स्थापित किया है कि ये ध्वनियाँ इ० यो० मूल भाषा की कण्ठ ध्वनियों से विकसित हुई हैं। कुछ विद्वान् इन का विकास इण्डो-इरानियन काल से मानते हैं। विकास-क्रम की दृष्टि से वैदिक तालव्य व्यञ्जनों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है— (क) पूर्वकालीन तालव्य (Old palatals) और (ख) उत्तरकालीन तालव्य (New palatals)। छ्, श और कुछ रूपों में प्रयुक्त ज् तथा ह् पूर्वकालीन तालव्य माने जाते हैं^{१२}। च् और कुछ अन्य रूपों में प्रयुक्त ज् तथा ह् उत्तरकालीन तालव्य माने जाते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में होने वाले विकारों से यह निश्चय किया जाता है कि कौन से ज् तथा ह् का वर्गीकरण पूर्वकालीन तालव्यों के साथ और कौन से का वर्गीकरण उत्तरकालीन तालव्यों के साथ किया जा सकता है। पदान्त में अथवा स्पर्शों से पूर्व मूर्धन्य में परिणत होने वाले ज् तथा ह् पूर्वकालीन तालव्य माने जाते हैं (दे० अनु० ७३ तथा ७५); यथा— ✓यज् (Av. yaz) से इष्ट (यज् + क्त); ✓मृज् (Av. marez) से मृष्ट (मृज् + क्त); ✓सृज् (Av. harez) से सृष्ट (सृज् + क्त); ✓वह् (Av. vaz) से ऊह (वह् + क्त);

√सह् (Av. haz) से सोढ; √लिह् (Av. raēz) से लीड (लिह् + क्त) । पदान्त में अथवा स्पर्शों से पूर्व कण्ठ्य स्पर्शों में परिणत होने वाले ज् तथा ह् उत्तरकालीन तालव्य माने जाते हैं (दे० अनु० ७३ तथा ७६); यथा— √निज् “धोना” (Av. naēj) से निक्त (निज् + क्त); √युज् “जोड़ना”, (Av. yaoj) से युक्त; (युज् + क्त); √दुह् (Av. druj) से दुग्ध (दुह् + क्त); √दुह् से दुग्ध (दुह् + क्त) ।

पूर्वकालीन तालव्यों का विकास इ० यो० मूलभाषा के तालुकण्ठ्य स्पर्शों (Palatal gutturals— k kh g ġh) से माना जाता है । इस सम्बन्ध में अधिकतर पाश्चात्य भाषा-शास्त्रियों का यह मत है कि प्रथम तालव्यीकरण (First Palatalisation) इ० यो० मूलभाषा से इण्डो-इरानियन भाषा की पृथक्ता से पूर्व ही हो चुका था । इस तालव्यीकरण के अनुसार इण्डो-इरानियन भाषा में इ० यो० मूलभाषा के k ġ ġh के स्थान पर क्रमशः ś Ź Źh हुए और कालान्तर में इन के स्थान पर वैदिक भाषा में क्रमशः श् ज् ह् वन गए और अवेस्ता में क्रमशः s, z, z घन गए; यथा—

k̄ : श्वन् “कुत्ता”, Av. span, Gk. kúōn, Lat. canis.

ġ : जातु “घुटना”, Av. zānu, Gk. gónnu, Lat genu.

ġh : हिम “बर्फ”, Av. zima, Lat. hiems.

उत्तरकालीन तालव्यों का विकास इ० यो० मूलभाषा से इण्डो-इरानियन भाषा की पृथक्ता के पश्चात् माना जाता है । परन्तु इ० यो० मूलभाषा के ġ का इण्डो-इरानियन भाषा के ā में विलीन होने से पूर्व यह विकास सम्पन्न हो चुका था । इस द्वितीय तालव्यीकरण (Second Palatalisation) के अनुसार, ġ, ġ तथा y से पूर्व इ० यो० q, g तथा तथा ġh क्रमशः c̄ j̄, तथा j̄h में परिणत हो गए । वैदिक भाषा में

वैदिक व्याकरण

इन के स्थान पर क्रमशः च् ज् तथा ह् बन गए और इरानियन में jh के स्थान पर भी ज् बन गया । यथा—

k : पञ्च, Gk. Pénte, Lat. quinque, zd. pañcan.

g : जीव, Gk. bios, Lat. vivus, Lith. gīvas, Av. Jvaiti.

gh : हन्ति, Av. Jainti, Hitt. kuenzi.

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तुलनात्मक भाषाविज्ञान की दृष्टि से वैदिक भाषा के च्, ज् तथा ह् कुछ शब्दों में पूर्वकालीन तालव्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य शब्दों में वे उत्तरकालीन तालव्यों के प्रतिनिधि हैं ।

(क) पूर्वकालीन तालव्य— छ, श्, ज्, ह्—अब हम प्रत्येक ध्वनि के विषय में विचार करेंगे ।

छ—इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम यह ध्यान रखना आवश्यक है कि छ मूलतः एक संयुक्त ध्वनि है । इसी लिये पद के मध्य में यह नियमपूर्वक और अन्यत्र विकल्प से च्छ लिखा जाता है (दे० पा० ६, १, ७३-७६; अनु० १३ ङ) । यद्यपि प्रातिशाख्यकार, शिक्षाकार तथा संस्कृत वैयाकरण छ को चवर्ग का द्वितीय वर्ण मानते हुए च् तथा छ के मध्य वैसा ही सम्बन्ध स्वीकार करते हैं जैसा कि क् तथा ख् अथवा प् तथा फ् के मध्य माना जाता है, तथापि पाश्चात्य भाषाशास्त्रियों का मत इस से सर्वथा भिन्न है । उन के मतानुसार श् तथा छ के बीच लगभग वैसा ही सम्बन्ध है जैसा कि क् तथा ख् अथवा प् तथा फ् के मध्य माना जाता है । इस मत के समर्थन में वे उस सन्धि-नियम का भी निर्देश करते हैं जिस के अनुसार श् का छ बनता है (दे० अनु० ५०) । संयुक्त ध्वनि छ प्रायेण इ० यो० s+kh का प्रतिनिधित्व करती है; यथा—√छिद् “काटना” =Gk. *skhid*, Lat. *scindo*, Goth. *skeida*, Av. *saēd*; छाया=Gk. *skia*, Persian *sāyah*. परन्तु कहीं-कहीं छ इ० यो० s+k का प्रतिनिधित्व भी करता है; यथा—गच्छति=Gk. *báskō*, Av. *jasaiti*.

प्रथमोऽध्यायः

श्र—यह ध्वनि इ० यो० k का प्रतिनिधित्व करती है; यथा—श्रुतम्=Gk. *he-katón*, Lat. *centum*, Lith. *szimtas*, Av. *satəm*.

ञ्—यह ज् मूलतः श्र से सम्बद्ध घोष (sonant) माना जाता है, अर्थात् श्र जिस प्रकार इ० यो० k का प्रतिनिधित्व करता है उसी प्रकार यह ज् इ० यो० ḡ का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं इण्डो-इरानियन भाषा में ḡ के स्थान पर ṛ और अवेस्ता में z माना जाता है। अतएव यह ज् पदान्त में और स्पर्शों से पूर्व मूर्धन्य ध्वनि के रूप में पहिचाना जा सकता है; यथा—√यञ् से अचाद् (छ० प्र० पु० ए०), यष्टृ (√यञ् + तृच्), तथा इष्ट (√यञ् + ऋ) इत्यादि।

ह्र—जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं, पूर्वकालीन तालव्य ह्र इ० यो० ḡh का प्रतिनिधित्व करता है और इण्डो-इरानियन भाषा में इस के स्थान पर ṛh माना जाता है। वैदिक भाषा में यह पदान्त में अथवा दन्त्य से पूर्व मूर्धन्य के रूप में पहिचाना जा सकता है; यथा—√वह् से अचाद् (छ० प्र० पु० ए०), वोढृ (√वह् + तृच्) तथा ऊढ (√वह् + ऋ) इत्यादि।

(ख) उत्तरकालीन तालव्य—च् ज् ह्र—जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं, इ० यो० मूलभाषा की मध्य कण्ठ्य ध्वनियां (Velars) द्वितीय तालव्यीकरण (Second Palatalisation) के कारण तालव्य व्यञ्जनों में परिणत हो गईं और वैदिक भाषा के च् ज् ह्र उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इन वैदिक ध्वनियों का मूल कण्ठ्यत्व इस तथ्य से भी प्रमाणित होता है कि रूप-रचना के समय इनके स्थान पर बहुधा कण्ठ्य ध्वनियां प्रकट होती हैं; यथा—

च्—√शुष् “चमकना” से शोचति के साथ-साथ शोक “ज्वाला” तथा शुक्र “चमकता हुआ” इत्यादि रूप बनते हैं जिन में च् के स्थान पर क् आता है।

ज्—√युज् “जोतना” से युयुजे के साथ-साथ युग तथा योग इत्यादि रूप बनते हैं जिन में ज् के स्थान पर ग् आता है।

ह—√हन् “मारना” से हन्ति के साथ-साथ हन्ति, जुघानं तथा घातयति इत्यादि रूप बनते हैं जिन में ह् के स्थान पर घ् आता है (दे० पा० ७, ३, ५४-५६; ७, ४, ६२)।

२६. मूर्धन्य स्पर्श (ट् ठ् ड् ढ् ण्)—वैदिक भाषा में मूर्धन्य स्पर्शों का प्रयोग बहुत कम मिलता है। मूर्धन्य स्पर्श प्रायेण शब्दों के मध्य में अथवा अन्त में आते हैं और मूर्धन्य स्पर्श से प्रारम्भ होने वाले शब्द वैदिक भाषा में अति विरल हैं। ण् कभी पद के आदि या अन्त में नहीं मिलता है। जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं, ळ वह क्रमशः ड ड के स्थान पर केवल स्वरों के मध्य ऋग्वेद में प्रयुक्त होते हैं।

सभी मूर्धन्य व्यञ्जन मूल ध्वनियों के विकृत रूप माने जाते हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि द्रविड़ लोगों की भाषा के प्रभाव से प्राचीन आर्यभाषा की मूलध्वनियों में इस प्रकार का विकार उत्पन्न हुआ, क्योंकि इण्डो-इरानियन भाषा में इस प्रकार की मूर्धन्य ध्वनियां नहीं थीं। कुछ विद्वान तो यह भी मानते हैं कि कुण्ड, पिण्ड इत्यादि अनेक नये शब्द द्रविड़ लोगों की भाषा से वैदिक भाषा में आये हैं (दे० अनु० ६१)। अधिकतर मूर्धन्य स्पर्श षकार से परे आने वाले दन्त्य स्पर्शों के विकार के परिणामस्वरूप (दे० पा० ८, ४, ४१) प्रकट होते हैं (दे० अनु० ६१-६५); यथा—वृष्टि (√वृष् + क्तिन्); दुष्टरं “अजेय” (दुस् + तरन्); वष्टि “चाहता है” (√वश् + ति); मृष्ट “शुद्ध किया गया” (√मृज् + क्त); राष्ट्र (√राज् + त्र)। मूलध्वनि स्, श तथा ज् में विकार के परिणाम-स्वरूप यह ष प्रकट होता है (दे० पा० ८, २, ३६; ८, ३, ५९-७७) और ये श तथा ज् पूर्वकालीन तालव्य हैं जिनका विस्तृत विवेचन पहले किया जा चुका है। कुछ मूर्धन्य स्पर्श उन दन्त्य स्पर्शों के विकार-स्वरूप हैं जिनसे पूर्व आने वाली *ऽ ध्वनि के लोप की कल्पना की जाती है। इस सम्बन्ध में पाश्चात्य भाषाशास्त्री यह मानते हैं कि ष आ से भिन्न स्वर से परे आने पर *ऽ का *ऽ बन गया और यह ध्वनि पूर्ववर्ती ह्रस्व स्वर को दीर्घ तथा परवर्ती दन्त्य स्पर्श को मूर्धन्य बना कर लुप्त हो गई; यथा—नीड “घोंसला” = *Nizdó (= *नि + सेद्), Lat. *Nidus*, Eng. *Nest*; दूळमं “जिस को धोखा देना कठिन है”

=*duz+dabha (= *दुस् + दभ); दूढी "शुरी युद्धि बाला" =*duz + dhi (= *दुस् + धी) । प्रातिशाख्य तथा वैयाकरण इन रूपों में दुर उपसर्ग मानते हैं (दे० अनु० ५९ तथा टि० ११०क) । बहुत से शब्दों में पूर्ववर्ती र, ऋ तथा ऋ के प्रभाव से नृ का ण् में परिवर्तन हुआ है (दे० अनु० ६३-६५) । पदान्त में मूर्धन्य स्पर्श पूर्वकालीन तालव्य ज्ञ, श्र तथा ह्र के स्थान पर आते हैं (दे० अनु० ७३ ख तथा ७५); यथा—राज्ञ् से राट् "राजा"; भ्राज्ञ् से भ्राट् "प्रभा"; विपांश से विपाट् "व्यास नदी"; √अश्र से आनट् (लु० प्र० पु० ए०); √वह से अवाट् (लु० प्र० पु० ए०); और—साह् से—पाट् (तुरा-पाट् इत्यादि) । ळ एक प्रकार का मूर्धन्य लकार है और उसी का महाप्राण ळह वनता है; यथा—इळा, अपांळह "अजेय", इत्यादि ।

२७. दन्त्य स्पर्श (त् थ् द् ध् न्)—वैदिक भाषा में दन्त्य स्पर्शों का प्रचुर प्रयोग मिलता है और अन्य सभी स्पर्शों की अपेक्षा इनका प्रयोग अधिक है । अन्य अनुनासिक स्पर्शों की अपेक्षा न् का प्रयोग बहुत अधिक मिलता है और यह वर्ण सभी स्थितियों में—पद के आदि, मध्य तथा अन्त में—प्रयुक्त होता है । दन्त्य स्पर्श इ० यो० मूलभाषा के दन्त्य स्पर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं; यथा—तनु "पतला" = Gk. *tanu-*, Lat. *tenulis*; दश = Gk. *déka*, Lat. *decem*, इत्यादि । कई रूपों में स से पूर्ववर्ती स के स्थान पर भी वैदिक भाषा में त् हो जाता है (दे० अनु० ७७); यथा—√वस् + स्य + ति = वत्स्यति "वह चमकेगा"; अ+√वस् + स् + ई + त् = अवात्सीत् "वह रहा है" । अप् "जल" के रूपों में भकारादि विभक्तियों से पूर्व प् के स्थान पर त् आता है (दे० अनु० ७७); यथा—आपः, अद्भिः, अद्भयः । इसी प्रकार भकारादि विभक्तियों से पूर्व मास्, स्ववस्, स्वतवस् तथा उपस् शब्दों के स का त् हो जाता है; यथा—माद्भिः, स्ववद्भिः, स्वतवद्भयः, उपद्भिः इत्यादि । सन्धि के साधारण नियम के अनुसार त् का द् बन जाता है (अनु० ४८क) ।

२८. ओष्ठ्य स्पर्श (प् फ् ब् भ् म्)—वैदिक भाषा में ओष्ठ्य स्पर्शों का प्रचुर प्रयोग मिलता है। इनमें से फ् का प्रयोग सबसे कम और म् का प्रयोग सबसे अधिक है। ब् की अपेक्षा भ् का प्रयोग कुछ अधिक है। साधारणतया ओष्ठ्य स्पर्श इ० यो० मूलभाषा के ओष्ठ्य स्पर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं; यथा—पंञ्च = Gk. *pente*; भरं 'ले जाओ' = Gk. *phéro*; मातरंम् = Lat. *māter*; नामं = Lat. *nómen*. अधिकतर वैदिक शब्दों का ब् इ० यो० मूलध्वनि का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और यह भ् अथवा प् का विकारज है; यथा—√भू से वृभूर्व (लि० प्र० पु० ए०); √रभ् से रब्ध (रभ+क्त); तथा ङप् "जल" से अ्रब्जा इत्यादि। इसी प्रकार वैदिक शब्द पिब्दन "स्थिर" में प् के स्थान परं ब् माना जाता है और अनेक प्रमुख विद्वानों का मत है कि पद् धातु का द्वित्व हो कर पिब्दन के स्थान पर पिब्दन बना है^{१०}। कुछ वैदिक शब्दों के ब् का सम्बन्ध किसी भी इ० यो० मूलध्वनि के साथ निश्चित नहीं किया जा सका है। इसलिए यह माना जाता है कि इस प्रकार के शब्द किसी अन्य भाषा से लिये गये हैं; यथा—वृबु, अ्रब्द, शम्बर। इस प्रकार के अधिकतर शब्द संज्ञावाचक हैं।

२९. अन्तस्था (य् र् ल् व्)—इन वर्णों की अन्तस्था संज्ञा के सम्बन्ध में हम पहले ही विचार कर चुके हैं (दे० टि० ३३)। वैदिक भाषा में प्रयोग की दृष्टि से इन वर्णों का क्रम इस प्रकार है—य्, व्, र्, ल्। प्राचीनतम वैदिकभाषा में ल् का प्रयोग अत्यल्प था और कालान्तर में इसका प्रयोग बढ़ने लगा। आगे चल कर हम इस विषय पर विस्तृत विवेचन करेंगे। स्वरसन्धि में य् व् र् ल् क्रमशः इ उ ऋ लृ के स्थान पर आते हैं और अनेक परिस्थितियों में ये इन स्वरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त य् व् र् ल् के सम्प्रसारण क्रमशः इ उ ऋ लृ हैं। इससे स्पष्ट है कि अन्तस्था वर्णों तथा इन स्वरों के मध्य विशेष सम्बन्ध है।

य्—जैसा कि हमने अभी संकेत किया है, स्वर-सन्धि में य् इकार का प्रतिनिधित्व करता है। परन्तु जिन वैदिक शब्दों में य् इकार का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वहाँ यह इ० यो० मूलध्वनि *j* (=Gk. *spiritus asper*)

का प्रतिनिधि है; यथा—युवन् “जवान” =Lat. *juvenis*; यङ्कृत् “जिगर” =Lat. *iecur*; य: “जो” =Gk. ‘*ós*’; √यञ् “यज्ञ करना” =Gk. ‘*dgios*’, कुछ वैदिक शब्दों का य् इ० यो० मूलभाषा के सघोष तालव्य ऊष्म (= Gk. *z*) का प्रतिनिधित्व करता है; यथा—यव =Gk. *zeld*; √यस् “उवाचना” (पा० धातुपाठ— “यसु प्रयत्ने”) =Gk. *zéo*; √युज् “जोतना” =Gk. *zug*, Goth. *juk*.

कतिपय विद्वानों का मत है कि मूलतः भिन्न ध्वनियों के प्रतिनिधि होने के कारण धातुओं के प्रारम्भ में आने वाले सभी यकार द्वित्व में समान रूप नहीं धारण करते हैं; यथा—यञ् धातु के य् को इयाज इत्यादि द्वित्व वाले रूपों में सम्प्रसारण प्राप्त होता है, परन्तु यम्, यस इत्यादि धातुओं के य् को द्वित्व में सम्प्रसारण नहीं होता है। वैदिक भाषा के कुछ शब्दों में आने वाले यकार का समुचित तुलनात्मक समाधान नहीं किया जा सका है; यथा— √दा से अदायि, √धा से अधायि, √ज्ञा से अज्ञायि, यूयम्, भूर्यिष्ठ इत्यादि।

व्—जैसा कि हम ने ऊपर संकेत किया है, स्वरसन्धि में व् उकार का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत से वैदिक शब्दों में व् इ० यो० मूलध्वनि *p* का प्रतिनिधित्व करता है; यथा—अर्वि “भेड़” =Lat. *ovis*; वाच् =Lat. *vōx*. वच्, वप्, वह् इत्यादि धातुओं के वकार को द्वित्व में तथा कुछ अन्य परिस्थितियों में सम्प्रसारण हो जाता है; यथा— √वच् से उवाच तथा उक्त; √वप् से उवाप तथा उप्त; √वह् से उवाह तथा ऊढ इत्यादि।

र ल्—बहुत से वैदिक शब्दों के र ल् क्रमशः इ० यो० मूलभाषा की *r l* ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं; यथा—भर “ले जाओ” =Gk. *phéro*, Lat. *fero*; राजन् “नृप” =Lat. *rēx*; रुधिर “लाल” =Gk. ‘*eruthrós*’, Lat. *ruber*, Lith., *rūdas*, German *rot*, Eng. *red*; लोक “स्थान” =Lat. *lucus*, Lith. *laúkas*; श्लोक “कीर्ति” =Gk. *klúō*. परन्तु प्राचीन वैदिक भाषा के अनेक शब्दों का रेफ इ० यो० मूलध्वनि *l* का प्रतिनिधि है; यथा—रथु “शोघ्नगामी” =Gk. ‘*elakhús*’, Lat. *levis*; गर्भं =Gk. *delphós*, Germ. *kalb*, Eng. *calf*; √रिच् “खाली करना” से रिणक्ति =Lat. *linguit*. इसी प्रकार रक्ष्, रम्, रिप्,

रिह् इत्यादि धातुओं का तथा कुछ अन्य शब्दों का र् इ० यो० मूल-ध्वनि I का प्रतिनिधि माना जाता है। इस सम्बन्ध में कतिपय विद्वान् यह समाधान प्रस्तुत करते हैं कि इण्डो-इरानियन भाषा की जिस उपभाषा से अवेस्ता का विकास हुआ उस में सर्वत्र ल् के स्थान पर र् कर दिया गया था। अतएव वैदिक भाषा के जिन शब्दों में इ० यो० मूलध्वनि ल् के स्थान पर र् मिलता है उन शब्दों का आधार भी वही रेफ-प्रधान इण्डो-इरानियन उपभाषा है। इसके अतिरिक्त वैदिक भाषा में एक ऐसी इण्डो-इरानियन उपभाषा का समावेश भी माना जाता है जिस में इ० यो० मूलध्वनि र् तथा ल् दोनों का पृथक् अस्तित्व बना रहा। और वैदिक भाषा के स्रोतों में एक ऐसी उपभाषा की गणना भी की जाती है जिस में सर्वत्र र् का ल् बन गया। यह निर्विवाद सत्य है कि ऋग्वेद की भाषा में ल् की तुलना में र् का प्रयोग सातगुना है। परन्तु ऋग्वेद के दशम मण्डल में लकार का प्रबुद्ध प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। अतएव ऋग्वेद के पहले नव मण्डलों में जिन शब्दों में र् का प्रयोग मिलता है उन्हीं शब्दों में दशम मण्डल में र् के स्थान पर ल् प्रयुक्त होता है; यथा— √ झुच् “झुवना”, √ रभ् “पकड़ना”, रोमन् “वाल” तथा रोहित “लाल” के स्थान पर दशम मण्डल में क्रमशः √ म्लुच्, √ लभ्, लोमन् तथा लोहिते का प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद के दशम मण्डल के रचना-काल से प्रारम्भ करके सूत्रकाल तक र् के स्थान पर ल् के प्रयोग की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। इसलिए अथर्ववेद में र् की अपेक्षा ल् का प्रयोग आठगुना है। अ० प्रा० (१,६६) ने अङ्गुरि इत्यादि कुछ अथर्ववेदीय शब्दों में र् के स्थान पर ल् का विधान किया है। उत्तरकालीन भाषा में भी कहीं-कहीं र् तथा ल् का प्रयोग साथ-साथ चलता रहा; यथा— शुक्र, शुक्ल; मिश्र, मिश्ल; गिर, गिल इत्यादि। रेफ के वैकल्पिक लत्व के सम्बन्ध में वार्तिककार ने भी कतिपय शब्दों की परिगणना की है^{१०}। इन ध्वनियों के प्रयोग में इस प्रकार की अव्यवस्था के कारण कालान्तर में “रलयोरभेदः” या “रलयोरैकव-स्मरणम्” (पा० ८, २, १८ पर काशिका) जसी उक्तियों का प्रचलन हुआ। कतिपय पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि लकार ध्वनि वाले कुछ वैदिक

का प्रतिनिधि है; यथा—युवन् “जवान” = Lat. *iuvenis*; यकृत “जिगर” = Lat. *iecur*; य: “जो” = Gk. ‘*ós*; √यज् “यज्ञ करना” = Gk. ‘*agos*. कुछ वैदिक शब्दों का य् इ० यो० मूलभाषा के सघोष तालव्य ऊष्म (= Gk. *z*) का प्रतिनिधित्व करता है; यथा—यव = Gk. *zeld*; √यस् “उवालना” (पा० धातुपाठ— “यसु प्रयले”) = Gk. *zéo*; √युज् “जोतना” = Gk. *zug*, Goth. *juk*.

कतिपय विद्वानों का मत है कि मूलतः भिन्न ध्वनियों के प्रतिनिधि होने के कारण धातुओं के प्रारम्भ में आने वाले सभी यकार द्वित्व में समान रूप नहीं धारण करते हैं; यथा—यज् धातु के य् को इयाज इत्यादि द्वित्व वाले रूपों में सम्प्रसारण प्राप्त होता है, परन्तु यम्, यस् इत्यादि धातुओं के य् को द्वित्व में सम्प्रसारण नहीं होता है। वैदिक भाषा के कुछ शब्दों में आने वाले यकार का समुचित तुलनात्मक समाधान नहीं किया जा सका है; यथा— √दा से अदायि, √धा से अधायि, √ज्ञा से अज्ञायि, यूयम्, भूयिष्ठ इत्यादि।

च्—जैसा कि हम ने ऊपर संकेत किया है, स्वरसन्धि में च् उकार का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत से वैदिक शब्दों में च् इ० यो० मूलध्वनि पू का प्रतिनिधित्व करता है; यथा— अवि “भेड़” = Lat. *ovis*; वाच् = Lat. *vōx*. वच्, वप्, वह् इत्यादि धातुओं के वकार को द्वित्व में तथा कुछ अन्य परिस्थितियों में सम्प्रसारण हो जाता है; यथा— √वच् से उवाच तथा उक्त; √वप् से उवाप तथा उप्त; √वह् से उवाह तथा ऊढ इत्यादि।

र् ल्—बहुत से वैदिक शब्दों के र् ल् क्रमशः इ० यो० मूलभाषा की r l ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं; यथा—भरं “ले जाओ” = Gk. *phéro*, Lat. *fero*; राजन् “रूप” = Lat. *rēx*; रुधिर “लाल” = Gk. ‘*eruthrós*; Lat. *ruber*, Lith., *rūdas*, German *rot*, Eng. *red*; लोक “स्थान” = Lat. *lucus*, Lith. *laúkas*; इलोक “कीर्ति” = Gk. *klúō*. परन्तु प्राचीन वैदिक भाषा के अनेक शब्दों का रेफ इ० यो० मूलध्वनि l का प्रतिनिधि है; यथा—रुघु “शीघ्रगामी” = Gk. ‘*elakhús*, Lat. *levis*; गर्भं = Gk. *delphós*, Germ. *kalb*, Eng. *calf*; √रिच् “खाली करना” से रिणक्ति = Lat. *linquit*. इसी प्रकार रक्ष, रम्, रिप्,

रिह् इत्यादि धातुओं का तथा कुछ अन्य शब्दों का र् इ० यो० मूलध्वनि 1 का प्रतिनिधि माना जाता है। इस सम्बन्ध में कतिपय विद्वान् यह समाधान प्रस्तुत करते हैं कि इण्डो-इरानियन भाषा की जिस उपभाषा से अवेस्ता का विकास हुआ उस में सर्वत्र ल् के स्थान पर र् कर दिया गया था। अतएव वैदिक भाषा के जिन शब्दों में इ० यो० मूलध्वनि ल् के स्थान पर र् मिलता है उन शब्दों का आधार भी वही रेफ-प्रधान इण्डो-इरानियन उपभाषा है। इसके अतिरिक्त वैदिक भाषा में एक ऐसी इण्डो-इरानियन उपभाषा का समावेश भी माना जाता है जिस में इ० यो० मूलध्वनि र् तथा ल् दोनों का पृथक् अस्तित्व बना रहा। और वैदिक भाषा के स्रोतों में एक ऐसी उपभाषा की गणना भी की जाती है जिस में सर्वत्र र् का ल् बन गया। यह निर्विवाद सत्य है कि ऋग्वेद की भाषा में ल् की तुलना में र् का प्रयोग सातगुना है। परन्तु ऋग्वेद के दशम मण्डल में लकार का प्रवृद्ध प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। अतएव ऋग्वेद के पहले नव मण्डलों में जिन शब्दों में र् का प्रयोग मिलता है उन्हीं शब्दों में दशम मण्डल में र् के स्थान पर ल् प्रयुक्त होता है; यथा—√शुच् “झुवना”, √रभ् “पकड़ना”, रोमन् “बाल” तथा रोहित् “लाल” के स्थान पर दशम मण्डल में क्रमशः √म्लुच्, √लभ्, लोमन् तथा लोहित् का प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद के दशम मण्डल के रचना-काल से प्रारम्भ करके सूत्रकाल तक र् के स्थान पर ल् के प्रयोग की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। इसलिए अथर्ववेद में र् की अपेक्षा ल् का प्रयोग आठगुना है। अ० प्रा० (१,६६) ने अङ्गुरि इत्यादि कुछ अथर्ववेदीय शब्दों में र् के स्थान पर ल् का विधान किया है। उत्तरकालीन भाषा में भी कहीं-कहीं र् तथा ल् का प्रयोग साथ-साथ चलता रहा; यथा—शुक्र, शुक्ल; मिश्र, मिश्र; गिर, गिल इत्यादि। रेफ के वैकल्पिक ल्त्व के सम्बन्ध में वार्तिककार ने भी कतिपय शब्दों की परिगणना की है^१क। इन ध्वनियों के प्रयोग में इस प्रकार की अव्यवस्था के कारण कालान्तर में “रलयोरभेदः” या “रलयोरैकत्व-स्मरणम्” (पा० ८,२,१८ पर काशिका) जसी उक्तियों का प्रचलन हुआ। कतिपय पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि लकार ध्वनि वाले कुछ वैदिक

शब्द—नील “नील”, जलाप “स्वस्थ करने वाला”, तिल्विषक “उपजाऊ”
इत्यादि—अन्य भाषाओं से लिये गये हैं ।

३०. ऊष्माणः (श् प् स ह्)—यद्यपि ये चारों वर्ण ऊष्म कहलाते हैं (दे० टि० ४), तथापि इन में विशेष अन्तर यह है कि श् प् स अघोष हैं और ह् सघोष है । इन में से सकार का प्रयोग सर्वाधिक है और द्वितीय स्थान श् का है । प् का प्रयोग सब से कम है ।

श्—जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं, श् इ० यो० मूलध्वनि k का प्रतिनिधित्व करता है । इसी लिये श्रुतम्, अश्व तथा श्वन् इत्यादि शब्दों का श् मूलध्वनि k का प्रतिनिधि है । स से पूर्व (दे० अनु० ७६ख) और कहीं-कहीं पदान्त में (दे० अनु० ७६क) श् के स्थान पर क् हो जाता है और यह परिवर्तन इस के मूल कण्ठ्यत्व का परिचायक है । यथा—√दृश् से दृक्ष्यति (लृ०) तथा अद्राक्षीत् (लृ०) और दिश् “दिशा” से दिक् इत्यादि । व्यञ्जनसन्धि में तालव्य व्यञ्जनों से पूर्व स के स्थान पर श् हो जाता है; यथा—अग्निस्+च=अग्निश्च (दे० अनु० ५५घ) ।

प्—मूर्धन्य स्पर्शों की भांति षकार भी अन्य ध्वनियों के विकार-स्वरूप प्रकट होता है और इसे मौलिक ध्वनि नहीं माना जाता है । कुछ शब्दों में पूर्वकालीन तालव्य (old palatals) श् तथा ज् के स्थान पर ष् प्रकट होता है (दे० अनु० ७५) यथा—√नश् से नष्ट (नश्+क्त), √स्पृश् से स्पृष्ट (स्पृश्+क्त), √सृज् से सृष्ट (सृज्+क्त), √यज् से इष्ट (यज्+क्त) । अ आ से भिन्न स्वर तथा क् र् प् से परे आने वाले स के स्थान पर ष् हो जाता है (दे० अनु० ६३-६५); यथा—अग्निषु, अक्षुषु, नृषु, विश्वु (विश्+सु), गीषु तथा हुविषु इत्यादि ।

स्—यह इ० यो० मूलध्वनि s का प्रतिनिधित्व करता है; यथा—सन् “पुराना” =Lat. senex; सः “वह” =Goth. sa; सूनुः “पुत्र” =Goth. sunus; अस्थि “हड्डी” =Lat. os, Gk. 'ostéon. जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं, सन्धि में सकार कहीं शकार में और कहीं पकार में परिणत हो जाता है ।

ह—तालव्य व्यञ्जनों के विवेचन के समय हम यह बातला चुके हैं कि कुछ वैदिक शब्दों का हकार पूर्वकालीन तालव्य है और कुछ अन्य शब्दों में यह उत्तरकालीन तालव्य है । पूर्वकालीन तालव्य हकार इ० यो० मूल ध्वनि ḡh (इण्डो-इरानियन žh) का प्रतिनिधित्व करता है और विशेष परिस्थितियों में यह मूर्धन्य में परिणत हो जाता है; यथा—√वह् “लेजाना” से वहृति के अतिरिक्त वोडुम् (वह् + तुमुन्), ऊह (वह् + क्त) तथा अवाद् (लु० प्र० पु० ए०) इत्यादि रूप बनते हैं । उत्तरकालीन तालव्य हकार उस इ० यो० मूलध्वनि ḡh का प्रतिनिधि है जो द्वितीय तालव्यीकरण के कारण तालव्य (= इण्डो-इरानियन žh) में परिणत हो गई । इसी लिये विशेष परिस्थितियों में (दे० अनु० ७३) इस हकार के स्थान पर कण्ठ्य स्पर्श प्रकट होता है; यथा—√हनृ से हन्ति तथा हृत के साथ-साथ हन्ति तथा जघान्; और द्रुह् “हानि पहुँचाना” से द्रुद्रोह (लि० प्र० पु० ए०) के साथ-साथ द्रुग्ध (द्रुह् + क्त) तथा द्रोघ “हानि पहुँचाने वाला” इत्यादि रूप बनते हैं । इस के स्वरूप के सम्बन्ध में अनेक पाश्चात्य विद्वानों का यह मत है कि वास्तव में हकार एक गौण ध्वनि है और यह अनेक महाप्राण सघोष स्पर्शों के उत्तरार्द्ध महाप्राणांशमात्र का प्रतिनिधित्व करता है; अर्थात् उपर्युक्त उदाहरणों में यह इ० यो० मूल ध्वनि ḡh तथा ḡh के उत्तरार्द्ध h का प्रतिनिधि है । इसी प्रकार यह कुछ वैदिक शब्दों में धृ तथा भृ के उत्तरार्द्ध महाप्राणांश का प्रतिनिधित्व करता है और इसी लिये वैदिक धातुओं के अनेक रूपों में धृ तथा भृ के स्थान पर हृ भी दृष्टिगोचर होता है; यथा √धा “रखना” से ध्रित (धा + क्त) तथा ह्रित (धा + क्त) दोनों प्रकार के रूप बनते हैं । इसी प्रकार सुह “साथ” के अतिरिक्त सुष भी वैदिक भाषा में इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है । √अम् “पकड़ना” और √भृ “भरण पोषण करना” धातुओं के हकार वाले रूप क्रमशः √अहृ तथा √हृ भी वैदिक भाषा में प्रयुक्त होते हैं । इसीलिए ग्राम तथा अर्ह और गुग्णार्ति तथा गृह्णार्ति इत्यादि दोनों प्रकार के रूप मिलते हैं । परन्तु इस विषय में यह विशेषतया उल्लेखनीय है कि प्राचीनतम वैदिक भाषा में अम्,

भृ इत्यादि मूल ध्वनि वाले धातुओं का प्रयोग अधिक मिलता है और पीछे की भाषा में धीरे-धीरे ग्रह्, ह्र इत्यादि गौणध्वनि वाले धातुओं का प्रयोग बढ़ने लगा। लौकिक संस्कृत में √ग्रभ् का प्रयोग सर्वथा लुप्त हो गया और √भृ का प्रयोग भी अति सीमित है। इस लिए लौकिक संस्कृत में प्रचलित ग्रह् तथा ह्र धातुओं के आधार पर ग्रभ् तथा भृ का समाधान करते हुए संस्कृत वैयाकरण कहते हैं कि वैदिक भाषा में ह्र तथा ग्रह् के हकार को भकार हो जाता है^{११}। ऐतिहासिक तथ्य इस समाधान के सर्वथा विपरीत है।

अयोगवाहाः (विसर्जनीय, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार)

३१. (क) विसर्जनीय, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय—पाणिनि (८, ३, १५) के अनुसार, खर् (ख फ छ ठ थ च ट त क प श ष स) से पूर्व तथा अवसान (Pausā) में विसर्जनीय र् का प्रतिनिधित्व करता है (दे० अनु० ५५)। क् ख् से पूर्व विसर्जनीय के स्थान पर जिह्वामूलीय और प् फ् से पूर्व उपध्मानीय हो जाता है। परन्तु ये दोनों वैकल्पिक हैं और संहिताओं में इन के स्थान पर अधिकतर विसर्जनीय ही लिखा जाता है (दे० अनु० ५५)। पाणिनि के अनुसार, कुछ परिस्थितियों में विसर्जनीय के स्थान पर स या ष् भी आते हैं (दे० अनु० ५५)। परन्तु पाश्चात्य विद्वान् विसर्जनीय को र् के अतिरिक्त स का प्रतिनिधि भी मानते हैं^{१२}। इस लिये पाणिनि द्वारा उल्लिखित परिस्थितियों में विसर्जनीय के स्थान पर आने वाला स अपने मूलरूप में प्रकट होता है और वहाँ पर स को विसर्जनीय का प्रतिनिधि नहीं माना जाता है।

(ख) अनुस्वार तथा अनुनासिक—प्राचीन तथा अर्वाचीन विद्वानों ने इन ध्वनियों के स्वरूप तथा प्रयोग के विषय में पर्याप्त विचार किया है। शिक्षाग्रन्थों के अनुसार, अनुस्वार "अन्य वर्णों अर्थात् स्वरों पर आश्रित रहने वाली ध्वनि है। पा० शि० ५ पर पञ्जिकाटीका में कहा गया है— "स्वरमनु भवतीत्यनुस्वारः, [स्वरम्] अनु अकाराद्यनुगमनेनानुस्वारः। वक्ष्यति च 'दन्तमूल्यः स्वराननु' इति।" अत एव अनेक विद्वान् अनुस्वार

के लिए अनुगामि-ध्वनि (after-sound) संज्ञा का प्रयोग करते हैं। अनुस्वार का समीचीन प्रयोग-क्षेत्र ऊष्मों से पूर्व ही है (दे० टि० ९४)। परन्तु अनुस्वार-चिह्न के लिखने की सुविधा के कारण इसके प्रयोग का क्षेत्र निरन्तर बढ़ता रहा है। स्पर्शों से पूर्व आने वाले अनुनासिक स्पर्शों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होने लगा और कालान्तर में अनुस्वार ने अनुनासिक के स्थान पर भी आधिपत्य जमा लिया। इस सम्बन्ध में अनुस्वार को वैकल्पिक अधिकार देने वाले पाणिनीय सूत्रों (८, ३, ४; ८, ४, ५९) ने अनुस्वार के प्रयोग-क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर दिया (दे० अनु० ५३)। प्राकृतवैयाकरणों ने तो स्वरों से पूर्व भी अनुस्वार का विधान कर दिया है।

ऋ० प्रा० (१, ५) के अनुसार, अनुस्वार स्वर या व्यञ्जन है। परन्तु तै० प्रा० २, ३० के वैदिकाभरणभाष्य में ऋ० प्रा० के मत का निराकरण करके यह स्थापित किया गया है कि यजुर्वेद की तैत्तिरीयशाखा में अनुस्वार केवल व्यञ्जन है और इसका उच्चारण अर्द्धगकार के सदृश है। इस सम्बन्ध में डा० सिद्धेश्वर वर्मा (Critical Studies, p. 151) का मत है कि तै० प्रा० १, ३२-३४ के नियमानुसार अनुस्वार का स्वरूप पूर्णतः व्यञ्जनात्मक नहीं है, क्योंकि इन नियमों में ह्रस्वस्वर के समान अनुस्वार का काल भी एक मात्रा माना गया है। वा० प्रा० (४, १४८-४९) पूर्ववर्ती स्वर तथा अनुस्वार का काल दो मात्रा मानते हुए कहता है कि ह्रस्व स्वर के साथ अनुस्वार का काल डेढ़ मात्रा और ह्रस्व स्वर का काल अर्द्धमात्रा है और दीर्घस्वर के साथ अनुस्वार का काल अर्द्धमात्रा और दीर्घस्वर का काल डेढ़ मात्रा है।

ऋ० प्रा०, वा० प्रा०, तै० प्रा०, शिज्ञाप्रन्थों, सि० कौ० तथा अनेक संस्कृत वैयाकरणों के अनुसार, अनुनासिक और अनुस्वार एक दूसरे से भिन्न हैं। अनुस्वार केवल व्यञ्जनों से पूर्व आ सकता है, जबकि अनुनासिक स्वरों से पूर्व तथा कहीं-कहीं अवसान में भी आ सकता है। मुख तथा नासिका दोनों से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वे अनुनासिक

भृ इत्यादि मूल ध्वनि वाले धातुओं का प्रयोग अधिक मिलता है और पीछे की भाषा में धीरे-धीरे ग्रह्, ह्र इत्यादि गौणध्वनि वाले धातुओं का प्रयोग बढ़ने लगा। लौकिक संस्कृत में √ग्रभ् का प्रयोग सर्वथा छुप्त हो गया और √भृ का प्रयोग भी अति सीमित है। इस लिए लौकिक संस्कृत में प्रचलित ग्रह् तथा ह्र धातुओं के आधार पर ग्रभ् तथा भृ का समाधान करते हुए संस्कृत वैयाकरण कहते हैं कि वैदिक भाषा में ह्र तथा ग्रह् के हकार को भकार हो जाता है^{११}। ऐतिहासिक तथ्य इस समाधान के सर्वथा विपरीत है।

अयोगवाहाः (विसर्जनीय, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार)

३१. (क) विसर्जनीय, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय—पाणिनि (८, ३, १५) के अनुसार, खर् (ख फ छ ठ थ च ट त क प श ष स) से पूर्व तथा अवसान (Pausa) में विसर्जनीय र् का प्रतिनिधित्व करता है (दे० अनु० ५५)। क् ख् से पूर्व विसर्जनीय के स्थान पर जिह्वामूलीय और प् फ् से पूर्व उपध्मानीय हो जाता है। परन्तु ये दोनों वैकल्पिक हैं और संहिताओं में इन के स्थान पर अधिकतर विसर्जनीय ही लिखा जाता है (दे० अनु० ५५)। पाणिनि के अनुसार, कुछ परिस्थितियों में विसर्जनीय के स्थान पर स् या ष् भी आते हैं (दे० अनु० ५५)। परन्तु पाश्चात्य विद्वान् विसर्जनीय को र् के अतिरिक्त स् का प्रतिनिधि भी मानते हैं^{१२}। इस लिये पाणिनि द्वारा उल्लिखित परिस्थितियों में विसर्जनीय के स्थान पर आने वाला स् अपने मूलरूप में प्रकट होता है और वहाँ पर स् को विसर्जनीय का प्रतिनिधि नहीं माना जाता है।

(ख) अनुस्वार तथा अनुनासिक—प्राचीन तथा अर्वाचीन विद्वानों ने इन ध्वनियों के स्वरूप तथा प्रयोग के विषय में पर्याप्त विचार किया है। शिक्षाग्रन्थों के अनुसार, अनुस्वार अन्य वर्णों अर्थात् स्वरों पर आश्रित रहने वाली ध्वनि है। पा० शि० ५ पर पक्षिकाटीका में कहा गया है—
“स्वरमनु भवतीत्यनुस्वारः, [स्वरम्] अनु अकाराद्यनुगमनेनानुस्वारः।
पक्षयति च ‘दन्तमूल्यः स्वराननु’ इति।” अत एव अनेक विद्वान् अनुस्वार

के लिए अनुगामि-ध्वनि (after-sound) संज्ञा का प्रयोग करते हैं। अनुस्वार का समीचीन प्रयोग-क्षेत्र ऊर्ध्वों से पूर्व ही है (दे० टि० १४)। परन्तु अनुस्वार-चिह्न के लिखने की सुविधा के कारण इसके प्रयोग का क्षेत्र निरन्तर बढ़ता रहा है। स्पर्शों से पूर्व आने वाले अनुनासिक स्पर्शों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होने लगा और कालान्तर में अनुस्वार ने अनुनासिक के स्थान पर भी आधिपत्य जमा लिया। इस सम्बन्ध में अनुस्वार को वैकल्पिक अधिकार देने वाले पाणिनीय सूत्रों (८, ३, ४; ८, ४, ५९) ने अनुस्वार के प्रयोग-क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर दिया (दे० अनु० ५३)। प्राकृतवैयाकरणों ने तो स्वरों से पूर्व भी अनुस्वार का विधान कर दिया है।

ऋ० प्रा० (१, ५) के अनुसार, अनुस्वार स्वर या व्यञ्जन है। परन्तु तै० प्रा० २, ३० के वैदिकाभरणभाष्य में ऋ० प्रा० के मत का निराकरण करके यह स्थापित किया गया है कि यजुर्वेद की तैत्तिरीयशाखा में अनुस्वार केवल व्यञ्जन है और इसका उच्चारण अर्द्धगकार के सदृश है। इस सम्बन्ध में डा० सिद्धेश्वर वर्मा (Critical Studies, p. 151) का मत है कि तै० प्रा० १, ३२-३४ के नियमानुसार अनुस्वार का स्वरूप पूर्णतः व्यञ्जनात्मक नहीं है, क्योंकि इन नियमों में ह्रस्वस्वर के समान अनुस्वार का काल भी एक मात्रा माना गया है। वा० प्रा० (४, १४८-४९) पूर्ववर्ती स्वर तथा अनुस्वार का काल दो मात्रा मानते हुए कहता है कि ह्रस्व स्वर के साथ अनुस्वार का काल डेढ़ मात्रा और ह्रस्व स्वर का काल अर्द्धमात्रा है और दीर्घस्वर के साथ अनुस्वार का काल अर्द्धमात्रा और दीर्घस्वर का काल डेढ़ मात्रा है।

ऋ० प्रा०, वा० प्रा०, तै० प्रा०, शिञ्जाग्रन्थों, सि० कौ० तथा अनेक संस्कृत वैयाकरणों के अनुसार, अनुनासिक और अनुस्वार एक दूसरे से भिन्न हैं। अनुस्वार केवल व्यञ्जनों से पूर्व आ सकता है, जबकि अनुनासिक स्वरों से पूर्व तथा कहीं-कहीं अवसान में भी आ सकता है। मुख तथा नासिका दोनों से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वे अनुनासिक

कहलाते हैं; यथा य् व् ल् तथा सब स्वरों का अनुनासिक भेद—यँ वँ लँ अँ भाँ ईँ इँ इत्यादि। अनुनासिकत्व इन वर्णों का गुण है और अनुनासिक कोई पृथक् वर्ण नहीं है। परन्तु अनुस्वार अ आ इ ई इत्यादि स्वरों से भिन्न एक नासिक्य ध्वनि है। स्वरों के साथ अनुस्वार का आगम माना जाता है और इसके उच्चारण-काल (मात्रा) का निर्देश भी किया जाता है। अनुनासिक स्वर के लिए प्रातिशाख्यों में रक्त संज्ञा का प्रयोग मिलता है और अनुनासिकत्व के लिए राग या रङ्ग संज्ञा प्रयुक्त की गई है^{१३}। अनेक शिक्षाग्रन्थों में रङ्ग का विशद वर्णन मिलता है और कांस्य-ध्वनि तथा सौराष्ट्रिका नारी की तर्फों ध्वनि के साथ अनुनासिक ध्वनि की उपमा दी जाती है^{१४}। पा० शि० में अनुस्वार का उच्चारण अलाबुवीणा-निर्घोष के समान बताया गया है^{१५}। ऋ० प्रा० में अनुस्वार का करण अस्पृष्ट तथा स्थित माना गया है^{१६}। परन्तु आचार्य व्याडि (ऋ० प्रा० १३, ३७) अनुस्वार के स्वरूप के विषय में सन्दिग्ध थे और उन के मतानुसार अनुस्वार का स्थान नासिका या मुखनासिका है। अधिकतर संस्कृत-ग्रन्थों में अनुस्वार के लिए बिन्दु का चिह्न और अनुनासिक के लिए अर्द्धचन्द्रबिन्दु का चिह्न प्रयुक्त किया जाता है।

अ० प्रा० में अनुनासिक का विशद वर्णन मिलता है, परन्तु अनुस्वार का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अत एव इस आधार पर तथा प्राचीन पाण्डुलिपियों में कहीं-कहीं अनुस्वार और अनुनासिक के लिये समान चिह्न के प्रयोग की प्रवृत्ति को देखते हुए, प्रो० ह्विटने ने इस मत का प्रतिपादन किया है कि वास्तव में अनुस्वार तथा अनुनासिक में कोई भेद नहीं है^{१७}। अनुनासिक तथा अनुस्वार के भेद को स्पष्ट करते हुए प्रो० मैकडानल कहता है—“The pure nasal, when called *Anunasika*, combines with the preceding vowel to form a single sound, a nasalized vowel, as in the French ‘bon’; when called *Anusvara* (after-sound), it forms in combination with the preceding vowel two successive sounds, a pure

vowel immediately followed by the pure nasal, though seeming to form a single sound, as in the English 'ba-ng' (where, however, the nasal is guttural, not pure)''^{६६}. परन्तु प्रो० मैकडानल ने इसी पुस्तक में अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार संज्ञा का प्रयोग किया है और उदाहरणों में सर्वत्र अनुनासिक दिखलाया है^{६७}। इस में सन्देह नहीं कि कुछ प्राचीन पाण्डुलिपियों में अनुस्वार तथा अनुनासिक दोनों के लिए अर्द्धचन्द्रबिन्दु — प्रयुक्त किया गया है, परन्तु अनुस्वार तथा अनुनासिक के स्वरूप तथा वास्तविक प्रयोग-क्षेत्र के विषय में किसी प्रकार की भ्रान्ति के लिए अवकाश नहीं हो सकता। इन के प्रयोगक्षेत्र के विषय में सन्धिप्रकरणम् में दिया हुआ विस्तृत वर्णन ध्यान देने योग्य है।

टिप्पणियां

१. वैदिक तथा लौकिक संस्कृत के वर्णों की संख्या के विषय में आचार्यों में गहरा मतभेद है। वा० प्रा० ८, १-१५ के अनुसार, निम्नलिखित पैंसठ वर्ण हैं—अ आ ऋ३ इ ई ई३ उ ऊ ऊ३ ऋ ऋ३ ॠ३
 ऌ ऌ३ ए ए३ ओ ओ३ ऐ ऐ३ औ औ३;
 क् ख् ग् घ् ङ्; च् छ् ज् झ् ञ्; ट् ट् ड् ड् ण्;
 त् थ् द् ध् न्; प् फ् ब् भ् म्; य् र् ल् व्;
 श् ष् स ह्; जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार, विसर्जनीय, नासिक्य तथा चार यम। इन में से तेईस स्वर और बयालीस व्यञ्जन हैं—वा० प्रा० ८, २८—“त्रयोविंशतिरुच्यन्ते स्वराः शब्दार्थचिन्तकैः।
 द्वाचत्वारिंशद् व्यञ्जनानि तावान्वर्णसंग्रहः ॥” परन्तु वा० प्रा० ८, २९-३० इस तथ्य को स्वीकार करता है कि माध्यन्दिनशाखा में ऌ, ऍह, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, नासिक्य तथा दीर्घ लृकार नहीं मिलते हैं और वा० प्रा० २, ५०—५४ में उक्त सात प्लुतों को छोड़ अन्य प्लुत स्वर भी नहीं मिलते हैं—“तस्मिन् ऌलजिह्वामूलीयोपध्मानीयनासिक्या न सन्ति माध्य-

न्दिनानाम् ॥२९॥ लृकारो दीर्घः प्लुताश्चोक्तवर्जम् ॥३०॥” शिक्षाग्रन्थों में वर्णों की संख्या ‘त्रिषष्टिः’ (६३) या ‘चतुःषष्टिः’ (६४) मानी गई है; यथा—पा० शि० ३-४—“त्रिषष्टिश्चतुःषष्टिर्वा वर्णाः सम्भवतो (पाभे० शम्भुमते) मताः । प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवा ॥३॥ स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पञ्चविंशतिः । यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमाः स्मृताः ॥४॥” व० प्र० शि० १०-१५ (शि० सं० पृ० ११८), पोडशश्लोकी शिक्षा २ (शि० सं० पृ० १६४) और कौटिल्य के अर्धशास्त्र (२, १०, १५) में भी वर्णसंख्या ‘त्रिषष्टिः’ मानी गई है । पोडशश्लोकी शिक्षा में स्वरों की संख्या बाईस और व्यञ्जनों की संख्या इक्तालीस मानी गई है, परन्तु उपर्युक्त अन्य शिक्षाओं के अनुसार निम्नलिखित इक्कीस स्वर और ब्यालीस व्यञ्जन माने गए हैं—वा० प्रा० के अनुसार पूर्व-परिगणित सभी ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत स्वर, परन्तु लृकार का केवल ह्रस्व रूप; पच्चीस स्पर्श, चार अन्तस्था, चारं ऊष्म, अनुस्वार, विसर्जनीय, जिहामूलीय, उपध्मानीय और चार यम । पा० शि० की पञ्जिकावृत्ति और उसी में उद्धृत औद्वज्जि का मत है कि ह्रस्व तथा दीर्घ के भेद से दो अनुस्वार मानने से वर्णों की संख्या चौंसठ हो जाती है । पञ्जिका—

“चतुःषष्टिः कथम् ? अनुस्वारौ विसर्गश्चेति पाठान्तरात् । कथं पुनरनुस्वारद्वयम् ? ह्रस्वदीर्घभेदेनेति ब्रूमः । तथा चौद्वज्जिः—‘अनुस्वारावं आं इत्यनुस्वारौ ह्रस्वादीर्घो दीर्घाद्दध्रस्वो वर्णौ’ इति । अत एव चतुःषष्टिः ।” तै० प्रा० के त्रिभाष्यरत्न के अनुसार, तै० प्रा० (१, १-९; १, ३४; ८, ५; २, ५२; १३, १६; २१, १२. १५) वर्णसमाप्त्याय में निम्नलिखित साठ वर्णों को स्वीकार करता है— (१६ स्वर)— अ आ आइ इ ई ईं उ ऊ ऊं ऋ ॠ ऌ ए ऐ औ औं ।

(४४ व्यञ्जन)—पच्चीस व्यञ्जन, चार अन्तस्था, छः ऊष्म (झ प् स् ह् जिहामूलीय तथा उपध्मानीय), अनुस्वार, विसर्जनीय, ळ, नासिक्य, चार यम और स्वरभक्ति । ऋ० प्रा० (१, १-३) ने आठ समानाक्षर और चार सन्ध्यक्षर कुल बारह स्वर माने हैं और अनुस्वार के विषय में ऋ० प्रा० (१, ५) कहता है कि यह स्वर या व्यञ्जन है । ऋ० प्रा० ने स्वरों में लृकार की गणना नहीं की है । इस के अतिरिक्त ऋ०

प्रा० (१, ६-१०) ने पच्चीस स्पर्श, चार अन्तस्था और आठ ऊष्म माने हैं (दे० टि० ४)।

पाणिनि ने शिवसूत्रों में केवल ह्रस्व समानाक्षर (अ इ उ ऋ लृ) और सन्ध्यक्षरों की परिगणना की है और व्यञ्जनों की परिगणना करते समय अयोगवाह छोड़ दिए हैं परन्तु सर्वर्णग्राहक सूत्र (१, १, ६९) से पाणिनि अपने शास्त्र में दीर्घ, प्लुत, अनुनासिक आदि का ग्रहण कर लेता है। तुलनात्मक तथा प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से प्लुत और अनुनासिक वर्णों की पृथक् संख्या करना अनावश्यक है। और इसी प्रकार ळ ऴह को भी स्वतन्त्र वर्ण नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये क्रमशः ड ढ के विकारमात्र हैं। यम तथा स्वरभक्ति आदि आंशिक ध्वनियाँ हैं और इनका लिखित आकार नहीं है। अत एव इन्हें भी पूर्ण वर्ण की संज्ञा नहीं दी जा सकती।

१ क. दे० पा० १, २, २९ पर महाभाष्य—“अन्वर्थं खत्वपि निर्वचनम्। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अन्वग्भवति व्यञ्जनमिति।” तै० प्रा० १, ६ पर वैदिकाभरण—“परेण स्वरेण व्यज्यत इति व्यञ्जनम्।” पा० शि० ४ पर पञ्जिकावृत्ति—“सृ शब्दोपतापयोः, स्वयते शब्दतेऽनेन व्यञ्जनमिति करणेऽच्छप्रत्ययः।”

२. पतञ्जलि ने पा० १, १, ९ तथा ६, १, १०१ पर महाभाष्य करते हुए ह्रींनृ+लृकार के सर्वर्णदीर्घ के उदाहरण में केवल ऋ का दीर्घ दिखलाया है, परन्तु लृ का नहीं। इसी ज्ञापक के आधार पर काशिकाकार जयादित्य कहता है—“लृवर्णस्य दीर्घा न सन्ति।” उत्तरकालीन अनेक वैयाकरणों ने इस मत का समर्थन किया है। आपिशलिशिक्षा और ऋक्तन्त्र ने लृ स्वीकार किया है। और वा० प्रा० १, ६९ पर भाष्य में उवट ने भी लृ का उल्लेख किया है। परन्तु उनका मत कल्पना पर आधारित प्रतीत होता है, क्योंकि वैदिक वाङ्मय में लृ का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। या० शि० १२६—“लृकारस्य तु दीर्घत्वं नास्ति वाजसनेयिनः ॥” व० प्रा० शि० १२—“लृकारो ह्रस्व एव च।” दे० टि० १; Alt. Gr. I, p. 35.

२ क. पा० ८, २, १०६ पर व्यक्त किए गए महाभाष्य के मतानुसार, प्लुत ऐ तथा औ चार मात्रा काल के होते हैं। दे० शांश्रौ. सू० १, २, २.

३. ऋ० में दो स्वरोँ के मध्य ड के लिए ळ और ढ के लिए ळ्ह लिखा जाता है। अतएव ऋ० प्रा० १,५२ में कहा गया है—

द्वयोश्वास्य स्वरयोर्मध्यमेत्य संपद्यते स डकारो ळकारः ।

ळहकारतामेति स एव चास्य ढकारः सन्नूपमणा संप्रयुक्तः ।

इळा साळहा चात्र निदर्शनानि वीड्वङ्ग इत्येतदवग्रहेण ॥

दे० सि० कौ० (पा० ६,३,११३); ऋ० १,१,१ पर सायण-भाष्य; Alt. Gr. I, p. 255; Ved. Gr., p. 5 f. n. 5; Ved. Gr. Stu., p. 3 f. n. 2. वा० प्रा० ४,१४४—डडौ लल्हावेकेषाम् ॥ दे० वा० प्रा० ८,२९ (टि० १) ।

४. ऋ० प्रा० १,१० के अनुसार, विसर्जनीय, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय तथा अनुस्वार भी ऊष्मों में सम्मिलित किए जाते हैं। ऋ० प्रा० के इस सूत्र पर भाष्य करते हुए उवट कहता है—“ऊष्मा वायुस्तत्प्रधाना वर्णा ऊष्माणः।” तै० प्रा० १,९ के अनुसार, श् ष् स् ह्, जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय ऊष्म है। वा० प्रा० ८,१६-१७, सि० कौ० पृ० २३ तथा अनेक वैयाकरणों के अनुसार श् ष् स् ह् ऊष्म कहलाते हैं।

५. अयोगवाह का व्याख्यान अनेक विद्वानों द्वारा किया गया है। पतञ्जलि महाभाष्य, १,१,२ में (पञ्चम शिव-सूत्र पर) कहता है—“के पुनरयोगवाहाः ? विसर्जनीय-जिह्वामूलीयोपध्मानीयानुस्वारानुनासिक्य-थमाः । कथं पुनरयोगवाहाः ? यदयुक्ता वहन्त्यनुपदिष्टाश्च शिष्यन्ते।” महाभाष्य के इस अंश पर कैयट कहता है—“अयुक्ताः प्रत्याहारलक्षणेन।” पा० शि० १६ पर पञ्जिकावृत्ति—“न विद्यते योगः संयोगो वर्णान्तरण येषां ते अयोगवाहाः।”

वा० प्रा० ८,१८ पर उवटभाष्य—“अकारादिना वर्णसमाभ्नायेन सहिताः सन्त एते वहन्त्यात्मलाभं प्राप्नुवन्त्ययोगवाहाः।”

६. ऋ० प्रा० १,५ के अनुसार, अनुस्वार स्वर या व्यञ्जन है। इस सूत्र पर उवट कहता है—“अं इत्यनुस्वारो वर्णसमाम्नाये पठ्यते। स कांश्चित्स्वरधर्मान्गृह्णाति कांश्चिद्व्यञ्जनधर्मान्।”

७. सि० कौ०, पृ० २१; ऋ० प्रा० ६,२९—“स्पर्शा यमानननुनासिकाः स्वान्परेषु स्पर्शेष्वनुनासिकेषु।” इस पर भाष्य करते हुए उवट कहता

है— “तस्मादिह स्पर्शा यमानननुनासिका इत्युच्यमाने विंशतित्वात्स्थानि-
नामादेशानामपि यमानां विंशतित्वप्रसङ्गः । स मा भूत् । चतुर्णामेव
यमानां प्रथमाः प्रथमं द्वितीया द्वितीयमेवमा पञ्चमादाप्येरञित्युच्यते ।”
इसी प्रकार ऋ० प्रा० १,५० पर भाष्य में उवट कहता है— “एवं
विंशतिर्यमा बहुवृत्तानां भवन्ति । स्वरूपैश्चत्वार एव ।” पा० शि० ४;
व० प्र० शि० १७.१७६ तथा मा० शि० ११६ ने चार यम माने हैं ।
ना० शि० २,२,८— “अनन्त्यश्च भवेत्पूर्वोऽन्त्यश्च परतो यदि । तत्र मध्ये
यमस्तिष्ठेत्सवर्णः पूर्वपूर्णयोः ॥” तै० प्रा० २१,१२ नासिक्यों का लक्षण
देता है— “स्पर्शादनुत्तमादुत्तमपरादानुपूर्व्यान्नासिक्याः” और अगले सूत्र
में कहता है कि कुछ आचार्य इन नासिक्यों को यम कहते हैं । इस सूत्र
पर त्रिभाष्यरत्न कहता है— “उत्तमपरादनुत्तमात्स्पर्शादानुपूर्व्याद् यथाक्रमं
नासिक्या आगमा भवन्ति । प्रथमस्पर्शात्प्रथमानुनासिक्यो द्वितीयाद्द्वितीय
एवमन्यत्रापि ।” अ० प्रा० १,१९ भी यमों को आगम मानता है ।
कुछ विद्वान् मानते हैं कि अननुनासिक स्पर्श की आंशिक अनुनासिक ध्वनि
ही वास्तव में यम है । दे० Skt. Gr., p. 79; Gr. Lg. Ved., p.
20; वा० प्रा० ४,१६३; ८,२४ ॥

८. अ० प्रा० १,१००— “हकारान्नासिक्येन” ॥ तै० प्रा० २१, १४—
“हकाराञ्जनमपराञ्जासिक्यम्” । इस सूत्र पर त्रिभाष्यरत्न कहता है—
“हकारादिति कर्मणि त्यल्लोपे पञ्चमी । तस्माञ्जनमपरं हकारमारुह्य
नासिक्यं भवति । सानुनासिक्यो हकारः स्यादित्यर्थः” । वा० प्रा०
८,१३— हुँ इति नासिक्यः । वा० प्रा० (१,७४.८०) नासिक्य के
उच्चारण के सम्बन्ध में नियम बनाता है । ऋ० प्रा० १,४८ यम तथा
अनुस्वार के साथ नासिक्य का उल्लेख अवश्य करता है, परन्तु इसके
सम्बन्ध में और कुछ नहीं कहता । महाभाष्य ने अथोगवाहों में नासिक्य
का उल्लेख किया है (दे० टि० ५) । दे० Skt. Gr., p. 79; Gr. Lg.
Ved., p. 20; Phon. An Ind., p. 77.

९. शत० ब्रा० ३,२,१,२३-२४— “तेऽसुरा आत्तवचसो हेऽलवो हेऽलव इति
वदन्तः परावभूवुः । तत्रैतामपि वाचमूवुः । उपजिज्ञास्यां स म्लेच्छस्त-
स्मान्ना ब्राह्मणो म्लेच्छेदसुर्ध्या वा वाक्” । सायण के व्याख्यानानुसार

असुरों ने 'हेऽरयः' के स्थान पर उसका अशुद्ध उच्चारण 'हेऽलवः' किया था। इसी लिए उनका पराभव हुआ। परन्तु काण्वशास्त्रीय शत० ब्रा० में इसके स्थान पर "हैलो हैल इति" पाठ मिलता है। अत एव पाश्चात्य विद्वान् सायण के व्याख्यान को संदिग्ध मानते हैं। दे० SBE, XXVI, p. 31, f. n. 3; Vedic Index II, pp. 279, 517. पतञ्जलि महाभाष्य (पस्पशाह्निक) में कहता है— "तेऽसुरा हेलयो हेल्य इति कुर्वन्तः परावभूतुः। तस्माद् ब्राह्मणेन न म्लेच्छित्तवै नापभाषितवै, म्लेच्छो ह वा एष यदपशब्दः"। प्राचीन काल में शुद्ध उच्चारणज्ञान के उपरान्त वैदिक शब्दों का उपदेश किया जाता था। अतः पतञ्जलि महाभाष्य (पस्पशाह्निक) में कहता है— "संस्कारोत्तर-कालं ब्राह्मणा व्याकरणं स्माधीयते। तेभ्यस्तत्तत्स्थानकरणानुप्रदानज्ञेभ्यो वैदिकाः शब्दा उपदिश्यन्ते"।

१०. Alt. Gr. I, p. I; Ved. Gr., p. 5; Ved. Gr. Stu. p. 14.
 ११. Ved. Gr., p. 5; Ved. Gr. Stu., p. 14; तु० Alt. Gr. I., p. 1.
 १२. Alt. Gr. I, p. 3; Ved. Gr., p. 6.
 १३. तै० प्रा० २, २४— "ओष्ठोपसंहार उवर्णे"।
 १४. पा० शि० १७— "स्युर्मूर्धन्या ऋदुरपा दन्त्या लतुलसाः स्मृताः"।
 दे० सि० कौ० पृ० १७— "ऋदुरपाणां मूर्धा लतुलसानां दन्ताः"।
 आपि० शि० २१। "ऋवर्णाच्चेति वक्तव्यम्" पा० ८, ४, १ पर दिए गए इस वार्तिक के द्वारा ऋकार के निमित्त से नकार का णकारदेश ऋकार के मूर्धन्यत्व का परिचायक है।
 १५. पा० १, १, ९ पर वार्तिक— "ऋकारलकारयोः सर्वणसंज्ञा वक्तव्या"।
 १६. Epigraphica Indica, 4, 356; 5, 32.
 १७. Alt. Gr. I, p. 31; Ved. Gr., p. 8.
 १८. मै० सं० १, ६, १२— "मातृभ्रात्रेभ्यः" में भ्रातृभ्यः के स्थान पर भ्रात्रेभ्यः; मु० उ० १, १, ६ में अदृश्यम् के स्थान पर अद्रेश्यम् मिलता है। कात्यायनोक्त स्वरभक्तिलक्षणपरिशिष्टा शिक्षा २६ (शि० सं० पृ० १७४)— हल्युक्तऋकारस्तु रेकारदृन्दसि स्मृतः। पितृणामिति पित्रेणा-

मित्यादि च निदर्शनम् । ल० माशि० २८ (शि० सं० पृ० ११६)—
ऋकारः खलु सर्वत्र ह्यकारसदृशो भवेत् । तु० प्रा० शि० (शि० सं० पृ०
२९२.२९६); प्र० सू० १६; Alt. Gr. I, p. 31; Gr. Lg. Ved;
p. 12.

१९. अ० प्रा० १,३७-३९—संस्पृष्टरेफमृवर्णम् ॥ ३७ ॥ दीर्घप्लुतयोः पूर्वा
मात्रा ॥३८॥ सलकारम् लवर्णम् ॥ ३९ ॥ ऋल के व्यञ्जनात्मक तथा
स्वरात्मक तत्त्वों के सम्बन्ध में अ० प्रा० १,३७ पर वृत्ति कहती है—
“रेफो भवति संस्पृष्टो यथाऽङ्गुल्या नखं तथा, सूत्रे मणिरिवेत्येके, तृणे
क्रिमिरिवेति च” । व० प्र० शि० ४२ (शि० सं० पृ० १२०)—
“ऋलोर्मध्ये भवत्यर्द्धमात्रा रेफलकारयोः । तस्मादस्पृष्टता न स्यात् सम्भवे
ऋलकारयोः” तु० या० शि० २११ (शि० सं० पृ० ३२) ॥ आपि०
शि० १,२६—सरेफ ऋवर्णः ॥ ऋ० प्रा० १३,३४—रेफोऽस्त्यृकारे च
परस्य चार्धे पूर्वे हसीयोस्तु न वेतरस्मात् । मध्ये सः ॥ सर्वसम्मतशिक्षा-
ऋकारस्य स्वरूपं हि श्लिष्टं पादचतुष्टयम् । पादेषु तेषु विज्ञेयावादावन्ते
स्वरात्मकौ । अणू रेफस्य मध्ये तु विज्ञेयौ व्यञ्जनात्मकौ ।

वा० प्रा० ४, १४६—“ऋलवर्णे रेफलकारौ संश्लिष्टावश्रुतिधरावेक-
वर्णौ ।” इस सूत्र पर भाष्य करते हुए उवट कहता है कि इन स्वरों के
मध्य रू ल अर्ध-मात्रिक होते हैं । इन स्वरों के व्यञ्जनात्मक तत्त्व के कारण
कतिपय वैयाकरण इन के स्वरत्व पर भी शङ्का करते हैं । इस लिए महा-
भाष्य १, १, १ (पा० १, १, ९) “न च ऋकार ल्लकारो वाऽजस्ति ।”
पर कैथयट कहता है— “अन्ये त्वीषत्स्पृष्टकरणत्वादनयोर्ऋकारल्लकारयोश्च
विन्नतत्वात्ताभ्यां तयोरग्रहणादनच्चवमाहुः ।”

२०. Alt. Gr. I, pp. 31-32; Ved. Gr., p. 8; Gr. Lg. Ved.,
pp. 12. 52.

२१. परन्तु इस सिद्धान्त के विपरीत ऋ० ७, ५६, १७ में √मृड के क्रियारूप
मृळन्तु में छन्दःपरिमाण की दृष्टि से भी ऋ का ह्रस्व उच्चारण स्वीकार्य
है । दे० Arnold, Vedic Metre, p. 31; Alt. Gr., I, p. 31;
Ved. Gr., p. 8 f. n. 5. यद्यपि ऋग्वेदसंहिता के अनेक भारतीय

भवतः । किमिदमपृथक्श्रुती इति ? ए ओ इत्येतयोरिवर्णोवर्णयोः पृथक् श्रवणं न विद्यते क्षीरोदकवत्संप्रयुक्तत्वात् । एवं श्रुतिविशेषः ।” यद्यपि उवट ने एक दूसरी योजना के अनुसार पृथक्श्रुती पाठ भी दिया है और डा० मङ्गलदेव शास्त्री ने पाणिनीय व्याकरण के सन्धि-नियम के आधार पर दूसरे पाठ को ग्राह्य माना है (दे० ऋ० प्रा० द्वितीय भाग पृ० २२४), तथापि अर्थ की दृष्टि से अपृथक्श्रुती पाठ तथा प्रथम व्याख्यान अधिक उचित प्रतीत होता है और अ० प्रा० (१,४०) भी इस व्याख्यान की पुष्टि करता है ।

२५. तै० प्रा० २, २६-२९— “अकारार्धमैकारौकारयोरादिः । संवृतकरणतरमे-
केपाम् । इकारोऽध्वर्धः पूर्वस्य शेषः । उकारस्तूत्तरस्य ।” ऐ औ के आदि अवयव अकार के संवृत प्रयत्न के सम्बन्ध में टि० २२ देखिए ।

२६. वा० प्रा० १, ७३— “ऐकारौकारयोः कण्ठ्या पूर्वा मात्रा तात्वोष्ठयोरुत्तरा ।”
वा० प्रा० के भाष्यकार उवट के अनुसार अ+ए=ऐ और अ+ओ=औ ।
तु० वा० प्रा० ४, १४३— “ऐकारौकारौ च ।”

२७. Alt. Gr. I, p. 35; Ved. Gr., p. 9.

२८. आश्व० श्रौ० सू० (७, ११) न्यूङ्ग उच्चारण के सम्बन्ध में अर्ध ओकार का विधान करते हुए कहता है— “तस्य तस्य चोपरिष्ठादपरिमितान्पद्य वाऽर्धौकाराननुदात्तान् ।” महाभाष्यकार पतञ्जलि के कथन से प्रतीत होता है कि कतिपय सामवेदाध्यायी अर्ध एकार तथा अर्ध ओकार के उच्चारण को भी स्वीकार करते थे । इस सम्बन्ध में पतञ्जलि (शिवसूत्र ३-४ पर चतुर्थ वार्तिक का महाभाष्य) कहता है— “ननु च भोश्छन्दोगानां सात्य-
मुग्नि-राणायनीया अर्धमेकारमर्धमोकारं चाधीयते— “सुजातं पुद्गसूत्रे” (सा० १, ५, १, ४, ३), “अध्वर्यो ओद्रिभिः सुतम्” (सा० १, ६, १, २, ३), “शुक्रं ते पुन्यद् यजतं ते पुन्यद्” (सा० १, १, २, ८, ३) इति । पार्षदकृतिरेषा तत्रभवता, नैव हि लोके नान्यस्मिन्वेदेऽर्ध एकारोऽर्ध ओकारो वाऽस्ति ।” जैसा कि महाभाष्य के कथन से स्पष्ट है यह अर्ध एकार तथा अर्ध ओकार पार्षदविशेष, की कृति थी और साधारणतया इस प्रकार का उच्चारण नहीं होता था । आश्व० श्रौ० सू० १, २, १४ (चतुर्मात्रोऽवगाने) के अनुसार, अवगान में आने वाला प्रणव (ओ३म्) चार मात्राओं का होता है । दे० शी श्रौ० सू० १, २, ३ ।

२९. ऋ० प्रा० १, ३४; वा० प्रा० १, ५९; तै० प्रा० १, ३७। पा० १, १, ५० पर महाभाष्य “आन्तर्यतोऽर्धमात्रिकस्य व्यञ्जनस्य...। नैव लोके नैव वेदे मात्रिको द्विमात्रिको वा यणस्ति। कस्तर्हि? अर्धमात्रिकः।”
३०. पाणिनि १, १, ९ तथा वा० प्रा० १, ४३ इस के लिए आस्य-प्रयत्न संज्ञा का प्रयोग करते हैं। उवट ने वा० प्रा० के भाष्य में आस्य-प्रयत्न का व्याख्यान मुखप्रयत्न किया है। पा० १, १, ९ पर महाभाष्य में आस्य के अनेक व्याख्यान किए गए हैं और पतञ्जलि कहता है— “प्रयत्नविशेषण-मास्योपादानम्। सन्ति ह्यास्याद्वाह्याः प्रयत्नारते हापिता भवन्ति।” आगे चल कर पतञ्जलि कहता है— “आस्ये प्रयत्न आस्यप्रयत्नः।” और आस्य का व्याख्यान करते हुए पतञ्जलि कहता है— “ओष्ठात्प्रभृति प्राक्काकलकात्।” काकलक के व्याख्यान में कैयट कहता है— “काकलकं हि नाम ग्रीवाया-मुञ्जतः प्रदेशः।” सि० कौ० पर तत्त्वबोधिनी टीका— “तत्रोत्पत्तेः प्राग्यदा जिह्वाप्रोपाग्रमध्यमूलानि तत्तद्वर्णोत्पत्तिस्थानं ताल्वादि सम्यक् स्पृशन्ति, तदा स्पृष्टता। ईषव्यदा स्पृशन्ति, तदा ईषत्स्पृष्टता समीपावस्थानमात्रे संवृतता। दूरत्वे विवृतता।” आभ्यन्तर प्रयत्न के लिए करण संज्ञा का प्रयोग भी मिलता है। दे० टि० ३५।
३१. ऋ० प्रा० १३, ९— “स्पृष्टमस्थितम्”। अस्थित पर उवट कहता है— “यत्र वर्णस्थानमाश्रित्य मध्ये जिह्वा न सन्तिष्ठते तदस्थितमित्युच्यते”। अ० प्रा० १, २९— स्पृष्टं स्पर्शानां करणम्। पा० १, १, १० पर महा भा०— “स्पृष्टं करणं स्पर्शानाम्। दे० वा० प्रा० १, ४९; ८, ५-१३। सि० कौ० पृ० १७। तै० प्रा० १, ७।
३२. अ० प्रा० १, ३०— “ईषत्स्पृष्टमन्तःस्थानाम्”। पा० १, १, १० पर महाभाष्य में ये शब्द ज्यों के त्यों मिलते हैं। दे० सि० कौ० पृ० १७। ऋ० प्रा० १३, १० ईषत्स्पृष्ट के स्थान पर दुस्पृष्ट संज्ञा का प्रयोग करते हुए कहता है— “दुस्पृष्टं तु प्राग्घकाराच्चतुर्णाम्”। पा० शि० ३८। ऋकृतन्त्र ३, १— “स्पृष्टं करणं स्पर्शानां दुःस्पृष्टमन्तःस्थानाम्”।
३३. ऋ० प्रा० १, ९ पर उवट कहता है— “स्पर्शोष्मणामन्तर्मध्ये तिष्ठन्ती-त्यन्तःस्थाः”। SPW., . s. v, के अनुसार, अन्तःस्थाः संज्ञा का कारण

संस्करणों के मन्त्र ५, ६९, २ में तिस्रुणाम् पाठ मिलता है (दे० वै० प० को०), तथापि यह निश्चित है कि तिस्रुणाम् पाठ प्रामाणिक है। दे० पा० ६, ४, ४-५। चतुर्थ अध्याय की टि० २३७। इन उदाहृत शब्दों के ऋ का उच्चारण कुछ उत्तरकालीन संहिताओं में ह्रस्व स्वर के रूप में किया जाने लगा और कहीं-कहीं तो उन शब्दों में भी ऋ का ग्रहण कर लिया गया जिन में ऋग्वेदसंहिता के लिखित पाठ के अनुसार भी ऋ है। उदाहरणार्थ तै० सं० में ऋकारान्त प्रातिपदिकों के षष्ठी बहुवचन में ऋ० के ऋ के स्थान पर ऋ मिलता है; यथा— पितृणाम् (१, ३, ६, १), नेतृणाम् (१, ३, ६, १), धातृणाम् (४, ७, १४, ३), इत्यादि। सम्भवतः इसी प्रकार की प्रवृत्ति के फलस्वरूप ऋ. में अशुद्धि से कुछ शब्दों में ऋ के स्थान पर ऋ लिखा जाने लगा। दे० Alt. Gr. I, pp. 31-32; Ved. Gr., p. 8. प्रो० ओल्डनवर्ग (Prolegomena, p. 477) का मत है कि अ० के कई पदों का ऋ छन्दःपरिमाण की दृष्टि से दीर्घ है।

२२. पा० शि० (घोषसम्पादित) १२-१३—

ए ऐ तु कण्ठतालव्या ओ औ कण्ठोष्ठजौ स्मृतौ ॥ १२ ॥

अर्धमात्रा तु कण्ठ्यस्य एकारौकारयोर्भवेत् ।

एकारौकारयोर्मात्रा तयोर्विद्युतसंवृतम् ॥ १३ ॥

अन्तिम पाद 'तयोर्विद्युतसंवृतम्' का व्याख्यान संदिग्ध तथा विवादास्पद है। श्री मनोमोहन घोष ने The Pāṇinīya Śikṣā (Translation and Notes, p. 61) में इस का निम्नलिखित व्याख्यान किया है..... "The throat element of e and o is half a mātrā and of ai and au is (one) mātrā; these two latter (i. e., ai and au) are open-close sounds (i. e., their first half or a-element is open and the second half or i-and u-element is close)." दे० Varma, "Critical Studies....," p. 180, n. 5. परन्तु श्री घोष के मत को स्वीकार न करते हुए श्री ऐलन ("Phonetics in Ancient India" p. 63) ने इस के सम्बन्ध में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए हैं— "...; the passage continues with the words 'तयोर्विद्युतसंवृतम्', literally 'in

them there is openness and closeness', which Ghosh interprets as referring to the fact that, in ऐ and औ, 'their first half or the a-element is open and the second half or i-and u-element is close'; but it is more probable that the words refer to the open आ which forms the first element of ऐ औ and the closer अ which forms the first element of the narrower diphthongs

ऐ औ. The latter interpretation is supported by a passage in the *Mahābhāshya*, where the संवृत अ of ए ओ is specifically contrasted with the more open आ of ऐ औ." [Mahābhāshya I, 1,4 on Pāṇini 1,1,9 (Kielhorn, 1,62) प्रद्विल्लघावर्णावेतौ (अर्थात् एच्) । विवृततरावर्णावेतौ (अर्थात् ऐच्)]। तै० प्रा० (२,२७) कहता है कि कुछ आचार्यों के मतानुसार ऐ औ का आदि अवयव अर्ध अकार संवृततर है (दे० टि० २५)। इस सूत्र के आधार पर ग्रह व्याख्यान किया जा सकता है कि ए ओ का आदि अवयव अकार विवृत है और ऐ औ का आदि अवयव अकार संवृत है। ए ओ के प्रयत्न को विवृततम मानने वाला अ० प्रा० (१,३४) का नियम इस मत का समर्थन करता है। पा ८,२,१०६ पर दिये गए महाभाष्य तथा सि० कौ० की सुबोधिनी टीका और शेखर के अनुसार ऐ औ में एक मात्रा अ की और एक मात्रा क्रमशः इ तथा उ की हैं। काशिका ने भी इस मत का उल्लेख किया है। दे० अनु० ४५ क; द्वितीय अध्याय की टि० २४ (च)।

२३. अ० प्रा० १, ४०-४१- सन्ध्यक्षराणि संस्पृष्टवर्णान्येकवर्णवद्वृत्तिः ॥४०॥
नैकारौकारयोः स्थानविधौ ॥४१॥

२४. ऋ० प्रा० १३,४०-४१- "मात्रासंसर्गादक्षरेऽपृथक्श्रुती ॥ ह्रस्वानुस्वारव्यति-
पक्षत्परे ।" पहले सूत्र का व्याख्यान करते हुए उवट कहता है— "अक्षरे
पूर्वं ए ओ इत्येते मात्रासंसर्गात् । मात्रयोः समयोः क्षीरोदक्वत्संसर्गात् । न
ज्ञायते द्वावर्णमात्रा क्व देवर्णोर्वर्णयोरिति । तस्मात्ते अक्षरे अपृथक्श्रुती

भवतः । किमिदमपृथक्श्रुती इति ? ए ओ इत्येतयोरिवर्णोवर्णयोः पृथक् श्रवणं न विद्यते क्षीरोदकवत्संप्रयुक्तत्वात् । एवं श्रुतिविशेषः ।” यद्यपि उवट ने एक दूसरी योजना के अनुसार पृथक्श्रुती पाठ भी दिया है और डा० मङ्गलदेव शास्त्री ने पाणिनीय व्याकरण के सन्धि-नियम के आधार पर दूसरे पाठ को ग्राह्य माना है (दे० ऋ० प्रा० द्वितीय भाग पृ० २२४), तथापि अर्थ की दृष्टि से अपृथक्श्रुती पाठ तथा प्रथम व्याख्यान अधिक उचित प्रतीत होता है और अ० प्रा० (१,४०) भी इस व्याख्यान की पुष्टि करता है ।

२५. तै० प्रा० २, २६-२९— “अकारार्धमैकारौकारयोरादिः । संवृतकरणतरमे-केपाम् । इकारोऽध्यर्धः पूर्वस्य शेषः । उकारस्तूतरस्य ।” ऐ औ के आदि अवयव अकार के संवृत प्रयत्न के सम्बन्ध में टि० २२ देखिए ।
२६. वा० प्रा० १, ७३— “ऐकारौकारयोः कण्ठ्या पूर्वा मात्रा तात्वोष्ठयोरुत्तरा ।” वा० प्रा० के भाष्यकार उवट के अनुसार अ+ए=ऐ और अ+ओ=औ । तु० वा० प्रा० ४, १४३— “ऐकारौकारौ च ।”
२७. Alt. Gr. I, p. 35; Ved. Gr., p. 9.
२८. आश्व० श्रौ० सू० (७, ११) न्युङ्ग उच्चारण के सम्बन्ध में अर्ध ओकार का विधान करते हुए कहता है— “तस्य तस्य चोपरिष्ठादपरिमितान्पथ वाऽर्धोकाराननुदात्तान् ।” महाभाष्यकार पतञ्जलि के कथन से प्रतीत होता है कि कतिपय सामवेदाध्यायी अर्ध एकार तथा अर्ध ओकार के उच्चारण को भी स्वीकार करते थे । इस सम्बन्ध में पतञ्जलि (शिवसूत्र ३-४ पर चतुर्थ वार्तिक का महाभाष्य) कहता है— “ननु च भोश्छन्दोगानां सत्य-मुग्धि-राणायनीया अर्धमेकारमर्धमोकारं चाधीयते— “मुजांते एवसवृते” (सा० १, ५, १, ४, ३), “अध्वर्यो ओद्रिभिः सुतम्” (सा० १, ६, १, २, ३), “शुक्रं ते एन्यद् यजतं ते एन्यद्” (सा० १, १, २, ८, ३) इति । पार्षदकृतिरेषा तत्रभवता, नैव हि लोके नान्यस्मिन्वेऽर्ध एकारोऽर्ध ओकारो वाऽस्ति ।” जैसा कि महाभाष्य के कथन से स्पष्ट है यह अर्ध एकार तथा अर्ध ओकार पार्षदविशेष की कृति थी और साधारणतया इस प्रकार का उच्चारण नहीं होता था । आश्व० श्रौ० सू० १, २, १४ (चतुर्मात्रोऽवसाने) के अनुसार, अवसान में आने वाला प्रणव (ओ३म्) चार मात्राओं का होता है । दे० शां श्रौ० सू० १, २, ३ ।

२९. ऋ० प्रा० १, ३४; वा० प्रा० १, ५९; तै० प्रा० १, ३७। पा० १, १, ५० पर महाभाष्य “आन्तर्यतोऽर्धमात्रिकस्य व्यञ्जनस्य...। नैव लोके नैव वेदे मात्रिको द्विमात्रिको वा यणस्ति । कस्तर्हि ? अर्धमात्रिकः।”
३०. पाणिनि १, १, ९ तथा वा० प्रा० १, ४३ इस के लिए आस्य-प्रयत्न संज्ञा का प्रयोग करते हैं। उवट ने वा० प्रा० के भाष्य में आस्य-प्रयत्न का व्याख्यान मुखप्रयत्न किया है। पा० १, १, ९ पर महाभाष्य में आस्य के अनेक व्याख्यान किए गए हैं और पतञ्जलि कहता है— “प्रयत्नविशेषण-मास्योपादानम् । सन्ति ह्यास्याद्वाह्याः प्रयत्नारस्ते हापिता भवन्ति ।” आगे चल कर पतञ्जलि कहता है— “आस्ये प्रयत्न आस्यप्रयत्नः।” और आस्य का व्याख्यान करते हुए पतञ्जलि कहता है— “ओष्ठात्प्रभृति प्राक्काकलकात्।” काकलक के व्याख्यान में कैयट कहता है— “काकलकं हि नाम ग्रीवाया-मुन्नतः प्रदेशः।” सि० कौ० पर तत्त्वबोधिनी टीका— “तत्रोत्पत्तेः प्राग्यदा जिह्वाग्रोपाग्रमध्यमूलानि तत्तद्वर्णोत्पत्तिस्थानं ताल्वादि सम्यक् स्पृशन्ति, तदा स्पृष्टता। ईष्यदा स्पृशन्ति, तदा ईषत्स्पृष्टता समीपावस्थानमात्रे संबृतता। दूरत्वे विवृतता।” आभ्यन्तर प्रयत्न के लिए करण संज्ञा का प्रयोग भी मिलता है। दे० टि० ३५।
३१. ऋ० प्रा० १३, ९— “स्पृष्टमस्थितम्”। अस्थित पर उवट कहता है— “यत्र वर्णस्थानमाश्रित्य मध्ये जिह्वा न सन्तिष्ठते तदस्थितमित्युच्यते”। अ० प्रा० १, २९— स्पृष्टं स्पर्शानां करणम्। पा० १, १, १० पर महा भा०— “स्पृष्टं करणं स्पर्शानाम्। दे० वा० प्रा० १, ४९; ८, ५-१३। सि० कौ० पृ० १७। तै० प्रा० १, ७।
३२. अ० प्रा० १, ३०— “ईषत्स्पृष्टमन्तःस्थानाम्”। पा० १, १, १० पर महाभाष्य में ये शब्द ज्यों के त्यों मिलते हैं। दे० सि० कौ० पृ० १७। ऋ० प्रा० १३, १० ईषत्स्पृष्ट के स्थान पर दुस्पृष्ट संज्ञा का प्रयोग करते हुए कहता है— “दुस्पृष्टं तु प्राग्धकाराच्चतुर्णाम्”। पा० शि० ३८। ऋक्तन्त्र ३, १— “स्पृष्टं करणं स्पर्शानां दुःस्पृष्टमन्तःस्थानाम्”।
३३. ऋ० प्रा० १, ९ पर उवट कहता है— “स्पर्शोष्मणामन्तर्मध्ये तिष्ठन्ती-त्यन्तःस्थाः”। SPW., . s. v. के अनुसार, अन्तस्थाः संज्ञा का कारण

यह है कि ये वर्ण पदान्त में नहीं ठहरते हैं और केवल पद के मध्य (अन्तः) में ठहरते हैं। इस व्याख्यान को अस्वीकार करते हुए हिटने ने यह सुझाव दिया है कि प्रयत्न की दृष्टि से स्वरों तथा व्यञ्जनों के मध्य की ध्वनियाँ होने के कारण ये वर्ण अन्तस्था (intermediate) कहलाते हैं। दे० Notes on A. Prat. I, 3; Skt. Gr., p. 18; Ved. Gr. Stu., p. 10; Ved. Gr., p. 40; Allen, Phonetics in Ancient India, p: 29; वा० प्रा० ४, १०२; निरुक्त २, २।

३४. अ० प्रा० १, ३१— “ऊष्मणां विवृतं च”। इस सूत्र के व्याख्यान में च के द्वारा ईपच् की अनुवृत्ति मानी जाती है। पा० १, १, १० पर महाभाष्य में पतञ्जलि के निम्नलिखित कथन से भी इस मत की पुष्टि होती है— “विवृतमूष्मणाम्। ईपदित्येवानुवर्तते”। पा० शि० ३० श ४ स् ह का आभ्यन्तर प्रयत्न नेमस्पृष्ट मानती है। मध्यसिद्धान्तकौमुदी का प्रणेता वरदराज उपर्युक्त महाभाष्य के अनुसार ऊष्मों का आभ्यन्तर प्रयत्न ईपदिवृत मानता है। परन्तु भट्टोजिदीक्षित (पा० १, १, ९ पर सि० कौ०) ने ऊष्मों तथा स्वरों का आभ्यन्तर प्रयत्न विवृत माना है और नागेश (ल० शे० पृ० ३०) भट्टोजिदीक्षित के समर्थन में कहता है— “स्वराणामूष्मणाञ्चैव विवृतं करणं स्मृतम्। तेभ्योऽपि विवृतावेदौ ताभ्यामैचौ तथैव च ॥ इति शिक्षावाक्यादिवृत्ततरविवृततमयोः प्रतीत्या नाज्जलाविति सूत्रभाष्यादूष्मणामीपदिवृतत्वस्य च प्रतीत्या चतुर्थेत्यसङ्गतमिति। तत्र। नाज्जलावितिसूत्रेण विवृतत्वव्याप्यानामेपां सर्वणसंज्ञानुपयुक्तत्वबोधनमित्याशयः”। इस सम्बन्ध में सि० कौ० की तत्त्वबोधिनी टीका कहती है— “निष्कर्षपक्षे तु पञ्चधा। ऊष्मणामीपदिवृतप्रयत्नाभ्युपगमात्”। पा० १, १, ९ के व्याख्यान में काशिका ने केवल चार आभ्यन्तर प्रयत्न माने हैं और भट्टोजिदीक्षित ने उसी का अनुसरण किया है।

३५. बाह्य प्रयत्नों का व्याख्यान करते हुए नागेश (ल० शे०, पृ० ३४) कहता है— “काकलकाधस्ताद्गलविवरसद्भोचविकासद्वाभोत्पत्तिध्वनिविशेषरूपनाद-तद्विशेषरूपघोपात्पघोपप्राणात्पत्वमहत्स्वरूपकार्यकरत्वमेवाम्। गलविवरविकासदिकराधास्यवर्द्धिर्भूतदेशे कार्यकरत्वाद्वाद्या इति”। इस

विषय में सि० कौ० की तत्त्वबोधिनी टीका (पृ० १८) कहती है—
 “विवारसंवारादयस्तु वर्णोत्पत्तेः पश्चान्मूर्ध्नि प्रतिहते निवृत्ते प्राणाख्ये
 वायावुत्पद्यन्त इति बाह्या इत्युच्यन्ते” । पस्पशाह्निक में पतञ्जलि ने
 आभ्यन्तर प्रयत्न के लिए करण तथा बाह्य प्रयत्न के लिए अनुप्रदान का
 प्रयोग किया है— “तेभ्यस्तत्स्थानकरणनादानुप्रदानज्ञेभ्यो वैदिकाः शब्दा
 उपदिश्यन्ते” । इस पर उद्योतटीका में नागेश कहता है— “करणमा-
 भ्यन्तरप्रयत्नः । अनुप्रदानं नादादिबाह्यप्रयत्नः” । सि० कौ० (पृ० २१)
 में भी बाह्यप्रयत्न के लिए अनुप्रदान संज्ञा का प्रयोग किया गया है ।

३६. पा० १,१,९ पर महाभाष्य— “अभेदका उदात्तादयः” । सि० कौ०
 की तत्त्वबोधिनी टीका (पृ० २१)— “यद्यपि भाष्येऽष्टावुक्ताः, उदात्तादय-
 स्तु नोक्ताः, तथापि कैयटोक्तिमनुसृत्यैकादशोक्ता इति बोध्यम्” । इस
 विषय में नागेश (ल० शं० पृ० ३५) कहता है— “उदात्तादिजनकयत्न-
 स्याभ्यन्तरकार्यकरत्वेऽपि उदात्तादिशब्दैर्विना बोधितानां तेषाम् “अनङ्ग-
 दात्त” इत्यनेनाविवक्षाबोधनात् सर्वर्णसंज्ञानुपयुक्तत्वान्तरतम्यपरीक्षोपयुक्त-
 त्वरूपसादृश्येन बाह्येषु गणनम् । इदं हस्त्वत्वादेरानुनासिक्यस्य चोपलक्षणम्” ।

३७. ऋ० प्रा० १३,१-६—

वायुः प्राणः कोष्ठमनुप्रदानं कण्ठस्य खे विवृते संवृते वा ।

आपद्यते श्वासतां नादतां वा वक्त्रीहायाम् ॥ १ ॥

उभयं वान्तरोभौ ॥२॥ ता वर्णानां प्रकृतयो भवन्ति ॥३॥ श्वासो-
 ऽघोषाणाम् ॥४॥ इतरेषां तु नादः ॥५॥ सोष्मोष्मणां घोषिणां
 श्वासनादौ ॥६॥ दे० आपि० शि० १,१; ऋक्तन्त्र १,१; पा० शि० ६,
 ७,९; सि० कौ० पर तत्त्वबोधिनी टीका (पृ० १९) “गलविलस्य संको-
 चात्संवारः, तस्यैव विकासाद्विवारः । एतौ च संवृतविवृतरूपाभ्यामाभ्य-
 न्तराभ्यां भिन्नावेव ।”

३८. तै० प्रा० २,१-११— “अथ शब्दोत्पत्तिः । वायुशरीरसमीरणात्कण्ठो-
 रसोः सन्धाने । तस्य प्रातिश्रुत्कानि भवन्त्युरः कण्ठः शिरो मुखं नासिके
 इति । संवृते कण्ठे नादः क्रियते । विवृते श्वासः । मध्ये हकारः । ता
 वर्णप्रकृतयः । नादोऽनुप्रदानं स्वरघोषवत्सु । हकारो ह-चतुर्थेषु । अघो-

षेषु श्वासः । भूयान्प्रथमेभ्योऽन्येषु ।” दे० अ० प्रा० १,१२-१३—
“श्वासोऽघोषेष्वनुप्रदानः । नादो घोषवत्स्वरेषु ।”

३९. ऋ० प्रा० १,१०-१२—“उत्तरेऽष्टा ऊष्माणः (दे० टि० ४) । अन्त्याः
सप्त तेषामघोषाः । वर्गे वर्गे च प्रथमावघोषौ ।” तै० प्रा० १,१२-१४—
“ऊष्म-विसर्जनीय-प्रथम-द्वितीया अघोषाः । न हकारः । व्यञ्जनशेषो
घोषवान् ।” वा० प्रा० (१,५०-५३) में अघोष वर्णों के लिए जित्,
सघोष वर्णों के लिए धि और श् ष् स् के लिए मुत् संज्ञा का प्रयोग
किया गया है ।

४०. अ० प्रा० १,१०; ऋ० प्रा० १,१३ (तथा १,१०; दे० टि० ४); वा०
प्रा० १,५४ (इस सूत्र के भाष्य में उवट सोष्माणः का व्याख्यान महा-
प्राणाः करता है) । दे० पा० १,१,५० पर महाभाष्य तथा काशिका में
सोष्माणः का प्रयोग ।

४१. मध्य सि० कौ०, पृ० ३ । दे० सि० कौ०, पृ० २२—“तत्र वर्गाणां
प्रथमद्वितीयाः खयस्तथा तेषामेव यमाः, जिह्वामूलीयोपध्मानीयौ विसर्गः
शपसाश्चेत्येतेषां विवारः श्वासोऽघोषश्च । अन्येषां तु संवारो नादो घोषश्च ॥
वर्गाणां प्रथमतृतीयपंचमाः प्रथमतृतीययमौ यरलवाश्चाल्पप्राणाः । अन्ये
महाप्राणाः ।” सि० कौ० के अन्येषां का व्याख्यान करते हुए नागेश
(ल० शै०, पृ० ३५) कहता है—“अन्येषामिति । अचामुक्तान्य-
हलाश्चेत्यर्थः ।” इस से आगे यरलवाश्च के व्याख्यान में नागेश कहता
है—“चेन अचामपि ग्रहणम् । ‘सुपांसुलुक्’ इति सूत्रे इकारस्यान्त-
र्यतो दकार इति भाष्यात् घोपसंवारनादाल्पप्राणत्वमचाम् । अन्यथा तदौ
पर्यायेण स्याताम् । अल्पप्राणत्वानङ्गीकारे दधौ पर्यायेण स्याताम् । अर्चा
घोपत्वं ‘परः संनिकर्षः’ इति सूत्रे भाष्येऽपि स्पष्टम् ।” अन्ये महाप्राणाः
के व्याख्यान में नागेश कहता है—“अन्ये इति । द्वितीयचतुर्थी तयमौ
शपसहा अयोगवादाश्चेत्यर्थः ।” यह निर्विवाद है कि ऋ० प्रा० १,५ (टि०
३७), तै० प्रा० २,८ तथा अ० प्रा० १,१३ (टि० ३८) स्वरों का
घाण प्रयत्न नाद स्वीकार करते हैं, जिसका आधार इन प्रातिशाख्यों के
अनुसार (दे० टि० ३७,३८) संवार है । परन्तु तै० प्रा० तथा अ०

प्रा० के उक्त सूत्रों में और ऋ० प्रा० के उक्त सूत्र के उवट-भाष्य में स्वरों के साथ घोषवत् वर्णों का पृथक् उल्लेख मिलता है। इस से प्रतीत होता है कि इन प्रातिशाख्यों में स्वर घोषवत् नहीं माने गए हैं। ऋ० प्रा० १,११ (टि० ३९) के अनुसार, अनुस्वार अघोष है। परन्तु सि० कौ० के उपर्युक्त “अन्येषां तु” के व्याख्यान में त० बो० टीका अनुस्वार का बाह्य प्रयत्न संवार, नाद तथा घोष मानती है। प्रातिशाख्यों ने जिन वर्णों को सोष्माणः में नहीं गिना है, उनको अल्पप्राण मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

४२. तै० प्रा० २,३१-३४— “स्वराणां यत्रोपसंहारस्तत्स्थानम्। यदुपसँहरति तत्करणम्। अन्येषां तु यत्र स्पर्शनं तत्स्थानम्। येन स्पर्शयति तत्करणम्।” त्रिभाष्यरत्न के अनुसार उपसंहार का अर्थ “उपश्लेषविशेषः” है। और माहिषेय के अनुसार इस का अर्थ “संस्पर्शनातिसंश्लेषः” है। स्पर्शन का अर्थ माहिषेय ने “संश्लेषः” किया है। ह्रिटने ने (तै० प्रा० अनुवाद में) करण का अनुवाद producing organ किया है और ऐलन ने (Phon. An. Ind., pp. 18.24) करण का अनुवाद Articulator किया है। अ० प्रा० के भाष्य में (सूत्र १,१९ तथा २५ पर) भी स्थान तथा करण के भेद के सम्बन्ध में कहा गया है— “किं पुनः स्थानम् ? किं करणम् ? ... यदुपक्रम्यते तत्स्थानम्। येनोपक्रम्यते तत्करणम्।” अर्थात् जिसका उपक्रमण (साञ्छिध्य) किया जाता है वह स्थान है, और जिसके द्वारा उपक्रमण किया जाता है वह करण है। यह कहा जा सकता है कि पारस्परिक अपेक्षा के विचार से वर्णोत्पत्ति में स्थान ध्रुव तथा निश्चेष्ट है और करण सक्रिय मुखावयव है।

४३. ऋ० प्रा० १,४१; वा० प्रा० १,६५; पा० शि० १८।

४४. अ० प्रा० १,२०— “जिह्वामूलीयानां हनुमूलम्” ॥ वा० प्रा० १,८३— “जिह्वामूलीयानुस्वारा हनुमूलेन” ॥ तै० प्रा० २,३५— “हनुमूले जिह्वामूलेन कवर्णो स्पर्शयति ॥” ह्रिटने (A. Prāt., p. 352) तै० प्रा० के मत का समर्थन करता है— “This is evidently the more natural way of defining the mode of production of the class, and the more analogous with the method of our

own treatise elsewhere, as in the cases of the throat-letters, palatals, and labials, the lower and more mobile of the two organs concerned being taken as the producer. But the usage of naming the class from the *sthāna* seems to have required that the *jihvā-mūliya* be declared the *sthāna*, and not the *karāṇa*, of the sounds of which the well established name was *jihvā-mūliya*. By *hanu-mūla*, 'root or base of the jaw,' must be here understood, it should seem, the posterior edge of the hard palate, which might well enough be regarded as the base of the upper jaw, or of the bony structure in which the upper teeth are set." फेलन मी (Phon. An. Ind., p. 51) तै० प्रा० के नियम का समर्थन करते हुए कहता है—"The velar series (*ka-varga*) is most generally described as being produced at the *jihvā-mūla*, 'root of the tongue,' which is, strictly speaking, an articulator and not a place of articulation : the *sthāna* of this series is in fact the *hanu-mūla* or 'root of the (upper) jaw'—a rather inadequate though intelligible designation of the soft palate.—"

४५. चन्द्रगोमी (वर्णसूत्र ३)—“कण्ठः अकुहविसर्जनीयानाम्” । सि० कौ० पृ० १७—“अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः” । सि० कौ० के उक्त नियम पर टिप्पणी करते हुए नागेश (ल० शं० पृ० २८) कहता है—“अत्र कण्ठपदं कण्ठस्थानतत्समीपजिह्वामूलस्थानोभयपरम् । तेन “कण्ठयावहौ जिह्वामूले तु कुः प्रोक्तः” इति शिक्षया न विरोधः ।”
४६. ऋ० प्रा० १, ४२; वा० प्रा० १, ६६; पा० शि० १७; सि० कौ० पृ० १७ । अ० प्रा० १, २१—“तालव्यानां मध्यजिह्वम् ।” तै० प्रा० २, ३६—“तालौ जिह्वामध्येन चवर्गे ।” वा० प्रा० १, ७९—“तालुस्थाना मध्येन ।”
४७. ऋ० प्रा० १, ४३; वा० प्रा० १, ६७; पा० शि० १७; सि० कौ० पृ० १७ ।
- ४७क. अ० प्रा० १, २२—“मूर्धन्यानां जिह्वाम्रे प्रतिवेष्टितम् ।” तै० प्रा०

- २,४७—“जिह्वाग्रेण प्रतिवेष्टय मूर्धनि ।” वा० प्रा० १,७८—“मूर्धन्याः प्रतिवेष्टयाग्रम् ।”
४८. ऋ० प्रा० १,४४—“दन्तमूलीयस्तु तकारवर्गः ।” तै० प्रा० २,३८—“जिह्वाग्रेण तवर्गे दन्तमूलेषु ॥” अ० प्रा० १,२४—“दन्त्यानां जिह्वाग्रं प्रस्तीर्णम् (फैला हुआ) ॥” वा० प्रा० १,७६—“दन्त्या जिह्वाग्रकरणाः” ॥ वा० प्रा० १,६९; ऋक्तन्त्र ७; पा० शि० १७; सि० कौ०, पृ० १७ । सि० कौ० के इस नियम पर टिप्पणी करते हुए नागेश (ल० शै०, पृ० २८) कहता है—“दन्ता इति । दन्तसंयुक्तदेशा इत्यर्थः । अतो भ्रमदन्तस्याप्युच्चारणं भवत्येव ।” ऋ० प्रा० तथा तै० प्रा० का मत ही अधिक समीचीन है, क्योंकि तवर्ग के उच्चारण में जिह्वाग्र का स्पर्श वास्तव में दन्तमूल पर होता है ।
४९. ऋ० प्रा० १,४७; वा० प्रा० १,७०; पा० शि० १७; सि० कौ०, पृ० १७; वा० प्रा० १,८०—“समानस्थानकरणा नासिक्यौष्ठ्याः ।” अ० प्रा० १,२५—“ओष्ठ्यानामधरौष्ठम् ।” तै० प्रा० २,३९—“ओष्ठाभ्यां पवर्गे ।” त्रिभाष्यरत्ने—“अत्रोत्तरोष्ठः स्थानम् अधरोष्ठः करणम् ।” दे० माहिषेय-भाष्य, पृ० २५ ।
५०. ऋ० प्रा० १,१४—“अनुनासिकोऽन्त्यः ॥” ऋ० प्रा० १,३६—“रक्त-संज्ञोऽनुनासिकः ॥” अ० प्रा० १,११—“उत्तमा अनुनासिकाः ॥” वा० प्रा० १,८९—“अनुनासिकाश्चोत्तमाः ॥” तै० प्रा० २,३०—“अनुस्वारोत्तमा अनुनासिकाः ॥”
५१. ऋ० प्रा० १३,२०—“रक्तो वचनो मुखनासिकाभ्याम् ।” अ० प्रा० १,२७—“अनुनासिकानां मुखनासिकम् ॥” वा० प्रा० १,७५—“मुख-नासिकाकरणोऽनुनासिकः ।” पा० १,१,८—“मुखनासिकावचनोऽनु-नासिकः ।”
५२. या० शि० १५०—“पादादौ च पदादौ च संय्योगावग्रहेषु च । जः शब्द इति विज्ञेयो योऽन्त्यः स य इति स्मृतः ।” शुक्लयजुर्वेद (माध्यन्दिनी शाखा) के अनुयायियों में इस प्रकार के उच्चारण का विशेष प्रचलन रहा है । इसी लिए यजुर्वेदाध्यायियों के ग्रन्थों में यकार और जकार के पार-

स्परिक परिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। दे० वा० प्रा० १, १६६; प्रतिज्ञा-सूत्र ९-१३; लघ्वमोघनन्दिनीशिक्षा १-५; केशवीशिक्षा सूत्र १-२; प्रातिशाख्यप्रदीपशिक्षा (शि० सं० पृ० १९७); Weber, Ind. Stud., vol. IV, p. 271; Varma, Critical Studies, pp. 126f.

५३. तै० प्रा० २, ४३— “ओष्ठान्ताभ्यां दन्तैर्वकारे ।” इस सूत्र पर त्रिभाष्य-रत्न कहता है— “वकारे कार्येऽधरोष्ठाभ्यामुत्तरदन्ताग्रैः सह स्पर्शयेत् । दन्तैरिति स्थाननिर्देशः । ओष्ठान्ताभ्यामिति करणनिर्देशः ।” इसी प्रकार माहिषेय कहता है— “वकारे वक्ष्यमाणे ओष्ठान्ताभ्यां दन्तैः स्पर्शयति । तत्र दन्ताः स्थानम् । ओष्ठान्तौ करणम् ।” इन भाष्यकारों के अनुसार तै० प्रा० का मत वा० प्रा० के सर्वथा विपरीत है, क्योंकि वा० प्रा० ओष्ठ को वकार का स्थान और दन्ताग्रों को करण मानता है। ह्विट्ने (Tait. Prat., p. 75) भाष्यकारों के व्याख्यान से असन्तुष्ट होकर कहता है— “But then why does not the rule read *danteshu* instead of the instrumental *dantaih* ?”
५४. पा० शि० १८— “दन्त्योऽथो वः स्मृतो बुधैः ।” आपि० शि० १, १६-१७; सि० कौ०, पृ० १७— “वकारस्य दन्तोष्ठम् ।”
५५. ऋ० प्रा० १७, २२-३३— “व्यूहेदेकाक्षरीभावान्पादेपूनेषु संपदे । क्षेप्र-वर्णाश्च संयोगान्वयेयात्सदृशैः स्वरैः ।” दे० ऋ० प्रा० ८, ४० ।
५६. इन उदाहरणों के अतिरिक्त Alt. Gr. I., p. 200 (दे० Ved. Gr., p. 40) ने अग्रिय, अग्र्य; ऋत्विच्य, ऋत्विच्य, ऋत्विच्य; अग्रिय, अग्र्य; समुद्रिय, समुद्रय; मित्रिय, मित्र्य इत्यादि उदाहरण भी इसी सम्बन्ध में प्रस्तुत किए हैं। इस के अतिरिक्त स्वर-भेद से अग्रिय, अग्रिय इत्यादि रूप भी मिलते हैं। पा० ४, ४, १-१६-११८ के अनुसार, अग्र्य में यत् प्रत्यय है और अग्रिय तथा अग्रिय घ प्रत्यय से सिद्ध होते हैं। पा० ४, ४, ११७ पर काशिका का मत है— “चकारस्तुप्रादूपनित्यस्यानु-कर्षणार्थः । अग्रियम् । स्वरे विशेषः ।” अग्रिय के दोनों रूपों के स्वरों का भेद स्पष्ट ही है। इस सूत्र पर न्यास का मत है— “ये विहिते अन्तो-दातत्वं स्यात् । घनि तु सत्याशुदात्तत्वम् ।” उपरिनिर्दिष्ट पादचात्य

विद्वानों के अनुसार, य प्रत्यय ही दो प्रकार से (य तथा इय रूप में) लिखा गया है। परन्तु पाणिनि के अनुसार, एक प्रत्यय यत् है और दूसरा घ या घन् है।

इसी प्रकार तुग्र से तुग्र्य और तुग्रिय दो रूप बनते हैं। पा० ४,४,११५ ने तुग्रिय की सिद्धि के लिए घन् प्रत्यय का विधान किया है।

५७. Alt. Gr. I, p. 204; Ved. Gr., p. 41; Gr. Lg. Ved., p. 35,

५८. दे० Oldenberg, Prolegomena, p. 376. कीथ ने (HOS. Vol. XXII, p. 173 f.n. 2) अक्षरसंख्या ग्यारह करने के लिए अवाचि पाठ भी सुझाया है, और शां० श्रौ० सू० (८, १६, ३) में ऐसा पाठ मिलता है। तथापि कीथ देवेभ्यः को ही अधिक उभयुक्त समझता है। भट्टभास्कर देवेभ्यः के साथ च इत्यादि पूरण का सुझाव देता है। भट्टभास्कर तथा षड्गुरुशिष्य दोनों इस मत का प्रतिपादन करते हैं कि वाचीन्द्राय की सवर्णदीर्घ-सन्धि का विच्छेद करके उच्चारण करना चाहिए।

५८ क. Alt. Gr. I, p. 204; Ved. Gr., p. 41.

५९. ऋ० प्रा० १, ४५ — “सकाररेफलकारादच” ॥ वा० प्रा० १, ६८ — “रो दन्तमूले” ॥ अ० प्रा० १, २८ — “रेफस्य दन्तमूलानि” ॥ इस सूत्र पर ह्रिटने (A. Prat., p. 358) की टिप्पणी देखिए। ऋक्तन्त्र ८ — “रेफो मूले वा’ (रेफस्तु दन्त्यो दन्तमूले वा इति—भाष्यम्)। या० शि० २१२ (शि० सं० पृ० ३३) — “एको दन्तमूलीयो रेफः” ॥ व० प्र० शि० (शि० सं० पृ० १९९) — “रेफदच दन्तमूलोत्थो जिह्वाग्रेण विधीयते”।

६०. वा० प्रा० १, ७७ — “रदच” ॥ तै० प्रा० २, ४१ — “रेफे जिह्वाग्रमध्येन प्रत्यग्दन्तमूलेभ्यः” ॥ “प्रत्यग्” के व्याख्यान में त्रिभाष्यरत्न कहता है — “प्रत्यगित्यभ्यन्तर उपरिभाग इत्यर्थः” ॥ दे० व० प्र० शि० का मत टि० ५९ में।

६१. ऋ० प्रा० १, ४६ — “रेफं वस्व्यमेके” ॥ ऋ० प्रा० १, १ पर भाष्य करते हुए उवट कहता है — “एवमस्यां शाखायां दन्तमूलीयो वा वस्व्यो वा रेफ

इत्येतदवधारितम्” ॥ बस्वर्यम् पाठ की प्रामाणिकता के लिए दे० डा० मंगलदेव शास्त्री का मत, *Rigveda-Prātiśākhya, Vol. III, pp. 150f.* डा० शास्त्री (भा० वि० पृ० २२४) के मतानुसार, कठोर तालु का सबसे अगला भाग जो दांतों के पीछे उभरा हुआ है वह बस्व कहलाता है। तै० प्रा० २, १८ पर त्रिभाष्यरत्न में बस्वेषु का व्याख्यान इस प्रकार किया गया है—“वस्वेष्विति दन्तपंक्तेरुपरिष्ठादुच्चप्रदेशेष्वित्यर्थः।”

६२. पा० शि० १७—“स्युर्मूर्धन्या ऋदुरपाः” ॥ आपि० शि० १, १३-१४—“ऋदुरपा मूर्धन्याः। दन्तमूलस्थानमेकेषाम्” ॥ चन्द्रवृत्तिसूत्र ६—“मूर्धा ऋदुरपाणाम्”। सि० कौ० पृ० १७—“ऋदुरपाणां मूर्धा” ॥

६३. Skt. Gr., p. 18; Ved. Gr., p. 42; Gr. Lg. Ved., p. 16.

६४. वा० प्रा० १, ६९—“ललसिता दन्ते” ॥ पा० शि० १७; चन्द्रवृत्तिसूत्र ७; या० शि० २१२ (शि० सं० पृ० ३३); व० प्र० शि० ३० (शि० सं० पृ० ११९)। सि० कौ० पृ० १७—“लतुलसानां दन्ताः” ॥ ‘दन्ताः’ पद पर टिप्पणी करते हुए नागेश (ल० शि० पृ० २८) कहता है—“दन्ता इति। दन्तसंयुक्तदेशा इत्यर्थः। अतो भग्नदन्तस्याप्युच्चारणं भवत्येव।”

६५. द्वितीयालघुमाध्यन्दिनीयशिक्षा (शि० सं० पृ० ११४)—“पकारस्य खकारः स्याद्दृक्योगे तु नो भवेत्” ॥ के० शि० (शि० सं० पृ० १४०) सूत्र ३—“पः खष्टुमृते च” ॥ शि० सं० पृ० १५१ (पद्य १४); प्र० सू० १८; का० शि० १७ (शि० सं० पृ० १७३); प्रा० शि० (शि० सं० पृ० २९९)।

६६. ऋ० प्रा० १, ४०—“केचिदेता उरस्यौ”। दे० पा० शि० १६—“हकारं पद्यमैर्युक्तमन्तस्थाभिश्च संयुतम्। औरस्यं तं विजानीयात्कृष्णमाहुरसंयुतम्” ॥ ऋस्तन्त्र २, ३; या० शि० १७७ (शि० सं० पृ० २६); लो० शि० ९ (शि० सं० पृ० ४५९); व० प्र० शि० २६ (शि० सं० पृ० ११९); सर्वसम्मतशिक्षा ४२।

६७. तै० प्रा० २, ४७—“उदयस्वगदिसस्थानो हकार एकेषाम् ॥” इस पर द्विट्ने (Tait. Prat., p. 79) कहता है—“The rule would have

been made better by reading उदयवर्ण, instead of उदय-स्वरादि—'the following sound', instead of 'the beginning of the following vowel'—for the assimilation is not less true of the semi-vowels and nasals than of the vowels”.

६८. ऋ० प्रा० १, ३९; तै० प्रा० २, ४६; वा० प्रा० १, ७१; या० शि० २१२ (शि० सं० पृ० ३३); व० प्रा० शि० ३३ (शि० सं० पृ० १२०); चन्द्रवृत्तिसूत्र ३; सि० कौ० पृ० १७ ।

६९. तै० प्रा० २, ४८—“पूर्वान्तसस्थानो विसर्जनीयः” ॥ पा० शि० २२—“अयोगवाहा विज्ञेया आश्रयस्थानभागिनः” ॥ ल० माशि० १६-२२ (शि० सं० पृ० ११५) ।

७०. ऋ० प्रा० १, ४८—“नासिक्ययमानुस्वारान् (नासिक्यान्)” ॥ वा० प्रा० १, ७४—“यमानुरवारनासिक्यानां नासिके ।” पा० शि० २२—“अनुस्वारयमानां च नासिका स्थानमुच्यते” ॥ सि० कौ० पृ० १७—“नासिकानुस्वारस्य” ।

७१. तै० प्रा० २, ४९-५१—“नासिक्या नासिकास्थानाः ॥ मुखनासिक्या वा ॥ वर्गवचैषु” ॥ तै० प्रा० २१, १२-१३ के आधार पर त्रिभाष्यरत्न “नासिक्याः” का व्याख्यान “यमाः” करता है । परन्तु तै० प्रा० २, ४९ पर टिप्पणी करते हुए ह्विटने (Tait. Prat., p. 80) कहता है—“The 'nose-sounds', the commentary says, are the Yamas (xxi. 12, 13); but why the nāsikya (xxi. 14) should not be regarded as included among them I do not see”.

७२. अ० प्रा० १, १०१-१०२—“रेफादूष्मणि स्वरपरे स्वरभक्तिरकारस्यार्धं चतुर्थमित्येके ॥ अन्यस्मिन्व्यञ्जने चतुर्थमष्टमं वा ॥”

७३. ऋ० प्रा० ६, ४६—“रेफात्स्वरोपहिताद्व्यञ्जनोदयादृकारवर्णा स्वरभक्ति-रुत्तरा” ॥ तै० प्रा० २१, १५—“रेफोष्मसंयोगे रेफस्वर-भक्तिः” ॥ इस सूत्र पर माहिषेयभाष्य—“ऋकारावयवो भवतीति

यावत् । ऋकारस्य तु आदितः स्वरपरः पादमात्रः । अन्ते वा मध्यमे रेफोऽर्धमात्रः । एवं प्रकारस्य ऋकारस्य उत्तरार्धो भवतीत्यर्थः” । इस सूत्र पर त्रिभाष्यरत्न—“थोऽस्य रेफस्य समानस्वरस्तद्धक्तिः स्यात् । ऋकारश्चास्य जिह्वाग्रकरणत्वेन रथुत्या च समानधर्मः । भक्तिरवयव एकदेश इति यावत् । एतदुक्तं भवति—ऋकारावयवो भवतीत्यर्थः” ।

७४. वा० प्रा० ४, १७—“रलाब्रल्लवर्णाभ्यामूष्मणि स्वरोदये सर्वत्र” ॥ इस पर उवटभाष्य—“तौ स्वरावुत् व्यञ्जनाविति । शृणु । ऋल्लस्वरसदृशौ व्यञ्ज-
नार्धमात्रकाविति ब्रूमः । तौ स्वरभक्तिरित्यन्येषु पदेषु प्रसिद्धौ । न चैतौ वर्णौ रेफलकारयोर्लूष्मणां च मध्यवर्तिनावपि सन्तौ संयोगस्य विघातं कृततः । स्वरसदृशत्वात् । तथा चाह शौनकः—“न, संयोगे, स्वरभक्तिर्वि-
हन्ति” (ऋ० प्रा० ६, ३५) ॥ दे० व० प्र० शि० ५३-५५ (शि० सं० पृ० १२१); प्रा० शि० (शि० सं० पृ० २९३) ।

७५. ऋ० प्रा० ६, ५३—“पूर्वोत्तरस्वरसरूपतां च ॥” इस पर उवटभाष्य—
“पूर्वस्वरसरूपतां चोत्तरस्वरसरूपतां च स्वरभक्तेरेक आचार्या मन्यन्ते । न केवलमृकाररूपा स्वरभक्तिर्भवतीत्यर्थः । धूर्ध्रम् (ऋ० १, १४३, ७) इत्यृकाररूपा स्वरभक्तिः । बर्हिपदः (ऋ० ९, ६८, १) इति इकाररूपा स्वरभक्तिः ।”

७६. मा० शि० ९९-१०१ (शि० सं० पृ० ४७१-७२)—“ऊष्मस्थौ यत्र दृश्येते स्वरवर्णौ स्वरोदयौ । ऋल्लवर्णौ तथा ज्ञेयौ स्वरभक्तीति संस्थितौ ॥९१॥ तां ह्रस्वां प्रतिजानीयाद्यथा मात्रा भवेद् यदि । सम्यगेनां विजानीयाद् द्वौ दोषौ परिवर्जयेत् ॥१००॥ सम्यगेनां यदा पश्येच्छतव-
ल्लिशेति निदर्शनम् । अकारं चाप्युकारं च विच्छिन्नं विशृतन्तथा ॥१०१॥”
मं० सं० १, १, २ तथा कपि० सं० १, २ में श्रुतवर्लिशम् पाठ मिलता है, जब कि तं० सं० १, १, २; का० सं० १, २ तथा अनेक अन्य ग्रन्थों में श्रुतवर्लिशम् पाठ का प्रचलन है ।

७७. या० शि० ९८-१०३ (शि० सं० पृ० १७)—“करिणी कुर्विणी चैव हरिणी हरिता तथा । तद्वर्णसपदा नाम पद्मताः स्वरभक्तवः ॥९८॥ करिणी रहयोर्योगे कुर्विणी लटकारयोः । हरिणी रशयोर्योगे हरिता लश-

- कारयोः ॥९९॥ या तु हंसपदा नाम सा तु रेफप्रकारयोः (१) देवं वहिरिति करिणी (२) उपवल्हेति कुर्विणी ॥१००॥ (३) हरिणी दर्शतमिति (४) शतवल्हेति हारिता । (५) वर्षो वर्षीयसीत्याहुस्तथा हंसपदेति च ॥१०१॥ रलाभ्यां पर ऊष्माणो यत्र स्युः स्वरितोदयाः । स्वरभक्तिरसौ ज्ञेया पूर्व-माक्रम्य पठ्यते ॥१०२॥ स्वरभक्तिं प्रयुज्जानस्त्रीन्दोषान्परिवर्जयेत् । इकारं चाप्युकारं च प्रस्तदोषं तथैव च ॥१०३॥” दे० का० शि० ३६-४१ (शि० सं० पृ० १७५); लो० शि० २,२-४ (शि० सं० पृ० ४५७)।
७८. के० शि० सूत्र ४ (शि० सं० पृ० १४१-१४२); दे० प्र० सू० २,३; ल० माशि० १०-१२ (शि० सं० पृ० ११५); प्रा० शि० (शि० सं० पृ० २९३) ।
७९. तै० प्रा० २१,१६; ऋ० प्रा० ६,५० ।
८०. Alt. Gr. I, pp. 55 ff.; Ved. Gr., p. 13; Gr. Lg. Ved., p. 13. पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि ऋकारान्त प्रातिपदिकों के षष्ठी तथा सप्तमी के द्विवचनान्त रूपों में—“त्रोः” का उच्चारण सदा दो अक्षरों वाला होना चाहिए । परन्तु ये विद्वान् इसे स्वरभक्ति नहीं मानते हैं और कहते हैं कि प्रत्ययान्त मूल रूप तरोः है । दे० Alt. Gr. I, p. 55; Oldenberg, Prolegomena, 374 A; Ved. Gr., p. 13 f. n.
- ८० क. Alt. Gr. I, pp. 55 ff.; Oldenberg, Prolegomena, 374 A; Ved. Gr., p. 14; Gr. Lg. Ved., p. 40.
८१. वा० प्रा० ४,१००—स्वरात्संयोगादिर्द्विरुच्यते सर्वत्र ॥ अ० प्रा० ३, २८—संयोगादि स्वरात् ॥ तै० प्रा० १४,१—स्वरपूर्व व्यञ्जनं द्विवर्णं व्यञ्जनपरम् ॥ ऋ० प्रा० ६,१—स्वरानुस्वारोपहितो द्विरुच्यते संयोगादिः स क्रमोऽविक्रमे सन् ॥ पा० ८,४,४७—अनञि च ॥
- ८१ क. वा० प्रा० ४,१०१—परं तु रेफहकाराभ्याम् ॥ अ० प्रा० ३,३१—रेफहकारौ परं ताभ्याम् ॥ तै० प्रा० १४,४—रेफात्परम् ॥ ऋ० प्रा० ६,४—परं रेफात् ॥ पा० ८,४,४६—अचो रहाभ्यां द्वे ॥ ऋ० प्रा० ६,८—न रेफः ॥ तै० प्रा० १४,१९—रेफपरश्च हकारः ॥

८१ ख. वा० प्रा० ४, १०२—ऊष्मान्तस्थाभ्यश्च स्पर्शः ॥ ऋ० प्रा० ६, ५-६—
स्पर्श एवं लकारात् ॥५॥ ऊष्मणो वा ॥६॥ तै० प्रा० १४, २—लवकार-
पूर्व स्पर्शश्च पौष्करसादेः ॥१४, ३—स्पर्श एवैकेपामाचार्याणाम् ॥ १४, ६—
रेफपूर्वयोश्च नित्यम् ॥ १४, ७—लकारपूर्वे च ॥ १४, १७—प्रथमपरश्च
ह्लाक्षिह्लाक्षायणयोः ॥१४, १८ ऊष्माघोपो हारीतस्य ॥ पा० ८, ४, ४७ पर
वार्तिक—शरः खयो द्वे भवत इति वक्तव्यम् (काशिका) ॥ काशिका ने इस
वार्तिक का दूसरा व्याख्यान भी किया है— “अथवा खय उत्तरस्य शरो
द्वे भवतः । वत्सरः । अप्सराः ।” परन्तु प्रातिशाख्यों के नियमों से
स्पष्ट है कि दूसरे व्याख्यान के लिए कोई विशेष आधार नहीं है । दे०
टि० ८१ ङ. (४) । पा० ८, ४, ४७ पर वार्तिक—यणो मयो द्वे भवत
इति वक्तव्यम् (काशिका) । इस वार्तिक के दूसरे व्याख्यान— “यण
इति पष्ठी मय इति पञ्चमी” (काशिका)— के लिए भी प्रातिशाख्यों में
कोई आधार नहीं है और प्रथम व्याख्यान इस टिप्पणी में उद्धृत नियमों
के अनुकूल है ।

८१ ग. वा० प्रा० ४, १०८—प्रथमैर्द्वितीयास्तृतीयैश्चतुर्थाः ॥ तै० प्रा० १४, ५—
द्वितीयचतुर्थयोस्तु व्यजनोत्तरयोः पूर्वः ॥ ऋ० प्रा० ६, २—सोष्मा तु पूर्व्येण
सहोच्यते सङ्कत्सेन ॥

८१ घ. ऋ० प्रा० ६, ३—असंयोगादिरपि च्छकारः ॥ तै० प्रा० १४, ८ ॥ पा०
(६, १, ७३-७६) ने छ का द्वित्व न करके पूर्ववर्ती स्वर को “तुक्” का
आगम किया है । परिणाम समान ही है ।

८१ ङ. (१) वा० प्रा० ४, १०९; ११४—नानुस्वारः ॥१०९॥ विसर्जनीयः ॥११४॥
अ० प्रा० ३, २९—(न) विसर्जनीयः ॥ तै० प्रा० १४, १५—अवसाने
रविसर्जनीयजितामूलीयोपध्मानीयाः ॥

(२) पा० ८, ४, ५०—त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य ॥

(३) वा० प्रा० ४, ११०—सवर्णे ॥ अ० प्रा० ३, ३०—सस्थाने
च ॥ तै० प्रा० १४, २३—सवर्णसवर्णोपपरः ॥

(४) तै० प्रा० १४, १६—ऊष्मा स्वरपरः ॥ अ० प्रा० ३, ३२—दापसाः

स्वरे ॥ पा० ८, ४, ४९—शरोऽचि ॥ ऋ० प्रा० ६, १०—न तूष्मा
स्वरोष्मपरः ॥

(५) ऋ० प्रा० ६, १४—संयुक्तं तु व्यजनं शाकलेन ॥ पा० ८, ४, ५२—
दीर्घादाचार्याणाम् ॥

(६) ऋ० प्रा० ६, ७—नावसितम् ॥ वा० प्रा० ४, ११६—अवसितं
च ॥ तै० प्रा० १४, १५ [दे० टि० ८१७ (१)] । इस मत के
विपरीत देखिए—अ० प्रा० ३, २६—पदान्ते व्यजनं द्विः ॥ पा०
८, ४, ४७ पर वार्तिक—अवसाने च यरो द्वे भवत इति वक्तव्यम्
(काशिका) ॥

(७) पा० ८, ४, ५१—सर्वत्र शाकल्यस्य ॥

८२. ऋ० प्रा० १८, ३२—सव्यजनः सानुस्वारः शुद्धो वापि स्वरोऽक्षरम् ॥
वा० प्रा० १, ९९—स्वरोऽक्षरम् ॥ अ० प्रा० १, ९३—स्वरोऽक्षरम् ॥
तै० प्रा० २१, १—व्यजनं स्वराङ्गम् ॥ ऋ० प्रा० १, २२—अनुस्वारो
व्यजनं चाक्षराङ्गम् ॥ पा० ६, १, २ पर महाभाष्य—“व्यजनानि पुनर्नट-
भार्याविद्भवन्ति । तद्यथा—नटानां स्त्रियो रङ्गगता यो यः पृच्छति कस्य
यूयं कस्य यूयमिति तं तं तव तवेत्याहुः । एवं व्यजनान्यपि यस्य यस्याचः
कार्यमुच्यते तं तं भजन्ते ।”

८२ क. ऋ० प्रा० १८, ३३—व्यजनान्युत्तरस्यैव स्वरस्यान्त्यं-तु पूर्वभाक् । १,
२३—स्वरान्तरे व्यजनान्युत्तरस्य ॥ वा० प्रा० १, १००. १०१. १०६—
सहाद्यैर्व्यजनैः ॥ १०० ॥ उत्तरैश्चावसितैः ॥ १०१ ॥ अवसितं च ॥ १०६ ॥
तै० प्रा० २१, २-३—तत्परस्वरम् ॥ २ ॥ अवसितं पूर्वस्य ॥ ३ ॥ अ० प्रा०
१, ५५. ५७—परस्य स्वरस्य व्यजनानि ॥ ५५ ॥ पद्यं च ॥ ५७ ॥

८२ ख. वा० प्रा० १, १०२—संयोगादिः पूर्वस्य ॥ तै० प्रा० २१, ४, संयोगादि ॥
अ० प्रा० १, ५६—संयोगादि पूर्वस्य ॥ ऋ० प्रा० १, २५—संयोगादिर्वा ॥
१८, ३५—संयोगादिश्च वैवं च ॥ ऋ० प्रा० इस नियम में विकल्प करता है ।

८२ ग. वा० प्रा० १, १०३-१०४—यमश्च ॥ १०३ ॥ कमजश्च ॥ १०४ ॥ अ० प्रा०
१, ५८—रेफहकारकमजश्च ॥ तै० प्रा० २१, ५-६—परेण चासंहितम् ॥ ५ ॥

अनुस्वारः स्वरभक्तिश्च ॥६॥ ऋ० प्रा० १, २६—च परक्रमे द्वे ॥ १८, ३६—सहकर्म्यः परक्रमे । ऋ० प्रा० यहां पर भी विकल्प करता है । ऋ० प्रा० १, ३२—स्वरभक्तिः पूर्वभागक्षराङ्गम् ॥ तै० प्रा० २१, ८—“नासिक्याः” के अनुसार, यम परवर्ती स्वर के अङ्ग बनते हैं । दे० टि० ७ ।

८२ घ. वा० प्रा० १, १०५—तस्माच्चोत्तरं स्पर्शो ॥ तै० प्रा० २१, ७.९ नान्त-स्थापरमसवर्णम् ॥७॥ स्पर्शश्चोष्मपर ऊष्मा चेतपरस्य (मद्रास-संस्करण) ॥९॥ व० प्र० शि० ४८ (शि० सं० पृ० १२१)—क्रमजाच्चोत्तरं स्पर्शो परे पूर्वाङ्गकं यथा । पाष्ण्यो पूर्वस्य रषपाः परस्याङ्गं णयात्मकम् ।

८२ ङ. ऋ० प्रा० १८, ३४—विसर्जनीयानुस्वारौ भजेते पूर्वमक्षरम् । तै० प्रा० ३१, ६ [टि० ८२ (ग)] ।

८३. Alt. Gr. I, p. 4; Ved. Gr., p. 7. परन्तु प्रो० माक्सवालेजे (दे० ZII., V., pp. 193-202) ने इस मत का प्रत्याख्यान किया है ।

८४. पाणिनि (५, ३, ६१-६२) ने प्रश्नस्य तथा वृद्ध का ज्यं आदेश मान कर उससे ज्यायान् सिद्ध किया है (दे० अनु० १९६क । (दे० पा० ६, ४, १६०) । परन्तु पाश्चात्य विद्वान् ज्यायस की व्युत्पत्ति ज्या धातु से करते हैं दे० WZR; MWD; अनु० १९६क ।

८५. पाश्चात्य भाषा-शास्त्री वर्णों की खोज के अनन्तर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इ० यो० मूलभाषा में कण्ठ्य स्पर्शों की निम्नलिखित तीन श्रेणियां थीं—

(१) Labio-Velars (मूलकण्ठ्य स्पर्श)— $qu\ quh\ gu\ guh.$

(२) Velars (मध्यकण्ठ्य स्पर्श)— $q\ qh\ g\ gh.$

(३) Palatal gutturals (तालुकण्ठ्य स्पर्श)— $k\ kh\ g\ gh.$

८६. दे० ऋ० प्रा० १२, १; अ० प्रा० १, ७; वा० प्रा० १, ८५ । दे० अनु० ३४ ।

८७. इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इ० यो० मूलभाषा के तालुकण्ठ्य महाप्राण घोष (gh) का प्रतिनिधि वैदिक ह् माना जाता है और अत्यल्प प्रयोग वाला झ् अति अर्वाचीन माना जाता है ।

८८. कुछ विद्वान् इस ङ को इं० यो० मूलध्वनि s अथवा पूर्वकालीन तालव्य žh. (=gh) का प्रतिनिधि मानते हैं। ष की तुलना में ङ सघोष ऊष्म है।
८९. पा० ७,४,४८ पर वार्तिक—“स्ववः स्वतवसोर्मांस उपसञ्च तकारादेश इष्यते” (काशिकापाठ)।
९०. दे० SPW., s. v.; WZR., s.v.; MWD., s. v; Alt. Gr. I, p. 181; Ved. Gr., p. 36; वै० प० को० में √पिबद्+धुच् (कर्तरि पा० ३, २, १५०) से इसका समाधान किया गया है। प्रो० रैन्नु पिब्दुन के पूर्वभाग में अर्षि का अकारलोप वाला रूप मानता है। दे० Gr. Lg. Ved., p. 117n.
- ९० क. पा० ८, २, १८ पर वार्तिक (काशिका)—वालमूललध्वसुरालमद्गुलीनां वा रो लमापद्यत इति वक्तव्यम् ॥ कपिलकादीनां संज्ञाछन्दसोर्वा रो लमापद्यत इति वक्तव्यम् ॥ पा० ने ङ के लत्वविधान के लिए पांच सूत्र (८, २, १८-२२) बनाए हैं।
९१. दे० सि० कौ० (पा० ३, १, ८४ पर)—“हप्रहोर्भश्छन्दसीति हस्य भः।” पा० ८, २, ३५ पर काशिका में वार्तिक—“हप्रहोर्भश्छन्दसि हस्येति वक्तव्यम्।”
९२. Alt. Gr. I, p. 259; Ved. Gr., p. 54.
९३. ऋ० प्रा० १, ३६—“रक्तसंज्ञोऽनुनासिकः।” दे० ऋ० प्रा० ११, ३६; १४, ५१; १४, ५६। दे० अमो० शि० ४१-४६ (शि० सं० पृ० ९७); लो० शि० ६-९ (शि० सं० पृ० ४५६); मा० शि० ११३ (शि० सं० पृ० ४७३)।
- ९३ क. दे० सर्वसम्मतशिक्षा ४८—
 कांस्यध्वनिसमं रङ्गं हृदयाद्दुत्थितं भवेत्,
 यथा सौराष्ट्रिका नारी तर्कां इत्यभिभाषते।
 एवं रङ्गाः प्रयोक्तव्याः ॥
 पा० शि० २६—
 यथा सौराष्ट्रिका नारी तर्कं इत्यभिभाषते।
 एवं रङ्गाः प्रयोक्तव्याः ये अरौ द्वे शब्दे ॥

मा० शि० ११२-११३ (शि० सं० पृ० ४७३)—

यथा सौराष्ट्रिका नारी अरौ इत्यभिभाषते ।

एवं रज्ञाः प्रयोक्तव्या ङकारपरिवर्जिताः ॥११२॥

नासादुत्पद्यते रज्ञः कंसेन सशमनिस्वनः ।

मृदु चैव द्विसात्रं स्याद् वृष्टिर्माँ इति निदर्शनम् ॥११३॥

१४. पा० शि० २३—

“अलावृवीणानिर्घोषो दन्तमूल्यः स्वराननु ।

अनुस्वारस्तु कर्तव्यो नित्यं होः शपसेपु च ॥”

१४क. ऋ० प्रा० १३, ११—स्वरानुस्वारोष्मणामस्पृष्टं स्थितम् ॥ स्थित. के व्याख्यान में उक्त कहता है—“यत्र वर्णस्थानमाश्रित्य जिह्वावतिष्ठते तत्स्थितमुच्यते ।” दे० टि० ४२ ।

१५. A. Prat. I, 26; Tait. Prat. II, 30; JAOS., X, pp. LXXXVI ff; Skt. Gr., p. 25.

१६. Ved. Gr. Stu., p. 17.

१७. Ved. Gr. Stu., p. 31—“Final *n* before vowels is changed, after a long vowel, to Anusvāra:” सम्भवतः इस प्रयोग के समर्थन में प्रो० मैक्डानल का निम्नलिखित वाक्य प्रस्तुत किया जा सकता है जो इसी पुस्तक के पृ० १० पर है—“Distinct from the five class nasals is the pure nasal, variously called Anusvāra and Anunāsika,” परन्तु इसी पुस्तक के पृ० १७ पर दिए गए स्पष्टीकरण के पश्चात् इस प्रकार का अव्यवस्थित प्रयोग सर्वथा अनुचित है । प्रो० मैक्डानल द्वारा पृ० ३१ पर उद्धृत उदाहरणों में अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना, ऋ० प्रा० (१४, ३७) के अनुसार, दोष माना गया है ।

वैदिक व्याकरण

द्वितीयोऽध्यायः

सन्धि-प्रकरणम्

३२. वर्णों के अत्यधिक सान्निध्य अथवा अर्धमात्रा-व्यवधान को सन्धि कहते हैं^१। तै० प्रा० (२४, १-४) में संहिता के निम्नलिखित चार भेद माने गए हैं—(१) पदसंहिता (२) अक्षरसंहिता (३) वर्णसंहिता तथा (४) अङ्ग-संहिता। इस प्रातिशाख्य के भाष्यकारों के मतानुसार, तै० प्रा० में प्रतिपादित संहिता-विषय इन चार भागों में विभक्त है। हम सुविधा के लिये सन्धि को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं—(१) पदसन्धि तथा (२) अन्तःपदसन्धि। पदान्त तथा पदादि में आने वाले वर्णों के मध्य जो सन्धि होती है उसे पदसन्धि कहते हैं^२ और पाश्चात्य विद्वान् इस के लिये External Sandhi संज्ञा का प्रयोग करते हैं। पद के अन्दर अङ्ग तथा प्रत्यय के बीच होने वाली सन्धि के लिये अन्तःपद-सन्धि संज्ञा का प्रयोग किया जा सकता है। और पाश्चात्य विद्वान् इसके लिये Internal Sandhi संज्ञा का प्रयोग करते हैं। अन्तःपद शब्द इसी अर्थ में अनेक बार प्रातिशाख्यों में प्रयुक्त किया गया है। यद्यपि पदसन्धि के प्रायः सभी नियम अन्तःपदसन्धि में भी लागू होते हैं, तथापि अन्तः-पदसन्धि की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। अत एव पदसन्धि तथा अन्तः-पदसन्धि का पृथक् विवेचन वाञ्छनीय है।

पदसन्धि (External Sandhi)

३३. स्वाध्याय तथा विनियोग के समय वैदिक मन्त्रों का संहितापाठ अनिवार्य है। इसलिये वेदों की संहिताओं का विशेष महत्त्व माना जाता है। प्रातिशाख्यकार तथा यास्क पदों को संहिता की प्रकृति मानते हैं और पदों के आधार पर ही संहितासम्बन्धी विकारों का व्याख्यान किया जाता है^३।

३४. हम ने अभी स्पष्ट किया है कि पदान्त तथा पदादि में आने वाले वर्णों के मध्य होने वाली सन्धि को पदसन्धि कहते हैं। अत एव पदसन्धि का

वर्णन करने से पूर्व यह बतलाना आवश्यक है कि वर्णसमाम्नाय के कौन-कौन से वर्ण वैदिक पदों के अन्त में तथा आदि में आते हैं, ताकि पदसन्धि के विवेचन में उन्हीं वर्णों के विकारों पर विशेष ध्यान दिया जा सके।

पदान्तीय वर्ण (The Law of finals)—वा० प्रा० (१, ८५) पदान्त में आने वाले वर्ण के लिये पदान्तीय (final) संज्ञा का व्यवहार करता है, जब कि अ० प्रा० (१, ३) में इसके लिये पद्य संज्ञा का प्रयोग किया गया है। हम इस ग्रन्थ में सर्वत्र पदान्तीय संज्ञा का प्रयोग करेंगे।

प्रातिशाख्यों के अनुसार, निम्नलिखित वर्ण पदान्तीय हैं—

(१) ऋ तथा ॠ के सिवाय सब स्वर^५।

(२) च्, ज् तथा ण् के सिवाय वर्णों के प्रथम तथा 'षष्ठम वर्ण'^५।

(३) अ० प्रा० (१, ५) लकार को भी पदान्तीय मानता है और अ० के वाल् (१, ३, १), शल् (२०, १३५, १) तथा फल् (२०, १३५, १) शब्दों में पदान्तीय लकार के उदाहरण मिलते हैं^५। ऋ० प्रा० तथा वा० प्रा० लकार को पदान्तीय नहीं मानते हैं, क्योंकि इनकी संहिताओं में पदान्तीय लकार का कोई उदाहरण नहीं मिलता है।

(४) सभी प्रातिशाख्य विसर्जनीय को पदान्तीय मानते हैं।

(५) चवर्ग के सभी वर्ण तथा ण् पदान्त में नहीं आते हैं और पदान्त में चवर्ग-वर्ण अन्तरतम कवर्ग-वर्ण में परिणत हो जाता है^५।

(६) यकार तथा वकार पदान्त में नहीं आते हैं। प्रातिशाख्यों के अनुसार, स् तथा र् भी पदान्त में नहीं आ सकते। परन्तु पदान्तीय विसर्जनीय विशेष परिस्थितियों में र् तथा स् में परिणत हो जाता है (दे० अनु० ५५)। पदान्त में प् का ट् और ण् का मूलप्रकृति के अनुसार क् या ट् बन जाता है (दे० अनु० २५ तथा ७४-७६)। इसी प्रकार मूलप्रकृति के अनुसार ह् भी क् या ट् में परिणत हो जाता है (दे० अनु० २५ तथा ७३) और पदान्त में नहीं मिलता है। पाणिनि के मतानुसार (८, २, ६६), पदान्त में स् का ट् (पारिभाषिक 'ट्') बन जाता है और विशेष

परिस्थितियों में रेफ भी पदान्तीय हो सकता है (दे० अनु० ५६), यद्यपि कुछ परिस्थितियों में रेफ विसर्जनीय में परिणत हो जाता है (८, ३, १५) ।

३५. पदादिवर्ण— ऋ० प्रा० (१२, २) के अनुसार, ऋ, लृ, विसर्जनीय, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार तथा झ् ञ् ट् ढ् ङ् के सिवाय सब वर्ण पदादि में आ सकते हैं । परन्तु ङ् वर्ण भी कहीं पदादि में नहीं मिलता है ।

३६. (क) पदसन्धि की अभिव्याप्ति— ऋक्संहिता में एक अर्धर्च (hemistich) के सभी पदों के बीच निरन्तर सन्धि की जाती है । अ० तथा वा० सं० आदि में भी सन्धि इसी प्रकार होती है । चार पाद वाले छन्दों में प्रथम तथा द्वितीय पाद का एक अर्धर्च बनता है और तृतीय तथा चतुर्थ पाद का दूसरा अर्धर्च हो जाता है । तीन पाद वाले गायत्री छन्दः में प्रथम तथा द्वितीय पाद का एक अर्धर्च बन जाता है और तृतीय पाद का पृथक् अर्धर्च रह जाता है । पांच पादों वाले पंक्तिछन्दः में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पाद का प्रथम अर्धर्च माना जाता है और चतुर्थ तथा पंचम पाद का द्वितीय अर्धर्च बनता है । इस विषय में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि ऋ० में एक ही अर्धर्च के प्रथम पाद के अन्त में तथा द्वितीय पाद के आदि में आने वाले वर्णों के मध्य स्वरसन्धि होने के उदाहरण अति विरल हैं । इस के अतिरिक्त सन्धि के नियमों का प्रतिपादन करते समय ऋ० प्रा० ने अनेक स्थलों पर पाद के मध्य, अन्त तथा आदि का प्रतिबन्ध लगाया है (दे० ऋ० प्रा० २, ३४, ३५. ६०. ६४. ७०; ४. ४४. ४५. ५६. ५७ प्रभृति) । इसी प्रकार पाणिनि ने भी सन्धि का विवेचन करते समय अनेक वार पाद का प्रतिबन्ध लगाया है (दे० पा० ६, १, ११५. १३४; ८, ३, ९) । इन ग्रन्थों में स्वर के नियमों का विचार करते समय भी पाद के अन्दर पद की स्थिति को ध्यान में रक्खा गया है । इस से प्रतीत होता है कि एक पाद में आने वाले वर्णों के बीच होने वाली सन्धि ही मौलिक रही होगी और कालान्तर में अर्धर्च के अन्त तक निरन्तर सन्धि होने लगी । इसी लिये पाश्चात्य विद्वान् कहते हैं कि छन्दः तथा स्वर के साक्ष्य के अनुसार मूल

ऋग्वेद में निरन्तर सन्धि की अभिव्यक्ति केवल एक पाद तक ही रही होगी और प्रत्येक पाद के अन्त में अवसान रहा होगा। देखिये उदाहरणार्थ ऋ० ७, ३३, ३ क; ८, ९, ९ क; जहां सन्धि करने से छन्दोभङ्ग होता है।

३६. (ख) अवसान में वर्णों का स्वरूप—जब किसी पदान्तीय वर्ण से परे कोई वर्ण न आए, तब पदान्तीय वर्ण की उस स्थिति को साधारणतया अवसान कहते हैं (दे० पा० १, ४, ११०—‘विरामोऽवसानम्’)। संहिताओं में अर्धर्च के अन्त में आने वाला पदान्तीय वर्ण अवसान में माना जाता है। परन्तु, जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं कतिपय आधुनिक विद्वानों के मतानुसार, मूल ऋ० के प्रत्येक पाद के अन्त में अवसान होता होगा और दो पादों के मध्य सन्धि नहीं होती थी। अवसान में केवल वे वर्ण आ सकते हैं जो उपर्युक्त नियमों के अनुसार पदान्तीय बन सकते हैं (दे० अनु० ३४)। अधिकतर आचार्यों के मतानुसार वर्णों के प्रथम वर्ण अवसान में पदान्तीय बनते हैं, परन्तु कतिपय आचार्य वर्णों के तृतीय वर्णों को अवसान में पदान्तीय मानते हैं (दे० टि० ५)। वास्तव में वर्णों के प्रथम वर्णों को अवसान में पदान्तीय मानने वाला मत ही प्रायेण संहिताओं में तथा अन्यत्र स्वीकार किया गया है।

यद्यपि अवसान में आने वाले पदान्तीय वर्ण प्रायेण अविकृत रहते हैं, तथापि कतिपय पदान्तीय स्वरों में निम्नलिखित विकार हो जाते हैं—

(१) अवसान में आने वाले अप्रगृह्य (प्रगृह्य के लिए दे० अनु० ४५) प्लुत अ वा, इ ई, उ ऊ का अनुनासिक बन जाता है^१; यथा—पुरूप वा चभूर्वाँ ३ (=चभूर् अ० १०, २, २८); यशोँ मुमाँ ३ (=मम तै० सं० ७, ४, २०); विवेशोँ ३ (=विवेश वा० सं० २३, ४९); विन्दुतीँ ३ (=विन्दुति ऋ० १०, १४६, १); सुश्लोकोँ ३ सुमंश्लोँ ३ (तै० सं० १, ८, १६, २; परन्तु का० सं० ३८, ४—सुश्लोका ३ सुमंश्लो ३)।

(२) यद्यपि प्रातिशार्यों के अनुसार अर्धर्च के अन्तिम पाद से पूर्व आने वाले किसी पाद के अन्त में अवसान नहीं माना जाता है तथापि इस प्रकार के पाद के अन्त में आने वाले अ वा को परवर्ती पाद के पश्चादि स्वर से पूर्व अनुनासिक बना कर प्रकृतिभाव से प्रकृत करने का संहितानियम (पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार) यह सिद्ध करता है कि मूल ऋ० में

वैदिक व्याकरण.

प्रत्येक पाद के अन्त में अवसान होता था। ऋ० प्रा० में इस प्रकार के अनुनासिकत्व तथा विवृत्ति (Hiatus) का विधान है। इस के अनुसार परवर्ती पाद के पदादि में आने वाले किसी भी स्वर से पूर्व सर्चा का आ तथा विशिष्ट शब्दों से परे आने वाला निपात आ अनुनासिक वन कर पाद के अन्त में प्रकृतिभाव से रहता है; और इसी प्रकार परवर्ती पाद के पदादि ए तथा ओ से पूर्व आने वाला पदान्तीय अ आ अनुनासिक वन कर प्रकृतिभाव से रहता है^ख; यथा—

सर्चा+उद्यत् =सर्चा उद्यत् (ऋ० ७, ८१, २); चर्षणी+आ+अर्यः
= चर्षणीर्यः (ऋ० ३, ४३, २); घनेन+एकः =घनेनैकः (ऋ०
१, ३३, ४); उपस्था+एका =उपस्थौ एका (ऋ० १, ३५, ६); उग्र+
ओकः =उग्रै ओकः (ऋ० ७, २५, ४) ।

(३) संहिता में पदान्तीय ह्रस्व स्वर का छान्दस दीर्घ करने पर पदादि स्वर से पूर्व विवृत्ति के लिये दीर्घ स्वर का अनुनासिक वना देते हैं; यथा—
एवाँ अग्निम् (ऋ० ५, ६, १०) । छान्दस दीर्घ के लिए देखिये अनु०
४६ ख ।

३७. पदसन्धि (External Sandhi)—पदान्त तथा पदादि में आने वाले वर्णों के मध्य जो सन्धि होती है उसे पदसन्धि कहते हैं। जिस प्रकार वर्ण-समाप्ताय के दो मुख्य भेद—स्वर तथा व्यञ्जन—किए जाते हैं उसी प्रकार पदसन्धि को भी पदान्तीय-वर्ण के विचार से स्वर-सन्धि तथा व्यञ्जन-सन्धि इन दो मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है। और इन में से प्रत्येक सन्धि के अनेक उपभेद भी किये जा सकते हैं।

स्वरसन्धि

३८. पदान्त तथा पदादि में आने वाले स्वरों की सन्धि को स्वरसन्धि कहते हैं। इस के निम्नलिखित उपभेद किये जा सकते हैं—

१. सवर्णदीर्घ (प्रदिलष्ट) सन्धि
२. गुण (प्रदिलष्ट) सन्धि
३. वृद्धि (प्रदिलष्ट) सन्धि
४. यण (क्षैप्र) सन्धि
५. अयादिसन्धि
६. पूर्वरूप (अभिनिहित) सन्धि
७. प्रकृतिभावसन्धि
८. छान्दसदीर्घ (सामवश)

द्वितीयोऽध्यायः

सन्धि । जैसा कि हम आगे स्पष्ट करेंगे, सामवशसन्धि पदादि व्यञ्जन से पूर्व होती है । क्योंकि यह छान्दस दीर्घत्व केवल संहिता में ही होता है और पदपाठ में मूल पदान्तीय स्वर दिखलाया जाता है, इस लिये हम ने इसे स्वरसन्धि में सम्मिलित किया है । प्रातिशाख्यों में इन सन्धियों के लिये जो संज्ञा प्रयुक्त की गई है उसे प्रकोष्ठों में रक्खा गया है । ऋ० प्रा० में सवर्णदीर्घ, गुण तथा वृद्धि तीनों सन्धियों के लिये केवल एक प्रश्लिष्ट संज्ञा का व्यवहार किया गया है । यद्यपि लौकिक संस्कृत तथा वैदिक भाषा में अधिकतर सन्धि-नियम समान ही हैं, तथापि वैदिकसन्धि की प्रमुख विशेषता यह है कि जहां लौकिक संस्कृत में साधारणतया सन्धि प्राप्त होती है वहां पर वैदिकभाषा में अपवादस्वरूप अनेक स्थलों पर स्वरों के मध्य विवृत्ति (hiatus) आ जाती है और साधारण सन्धिविकार नहीं होता । इस प्रकार की विवृत्ति वैदिकसन्धि की मुख्य विशेषता है । नीचे स्वर-सन्धि के वर्णन में इस प्रकार की विशेषताओं को पृथक् करके दिखलाया गया है ।

१. सवर्णदीर्घ (प्रश्लिष्ट) सन्धि

३९. यदि समानाक्षर (अ आ, इ ई, उ ऊ) से परे सवर्ण (सस्थान) समानाक्षर आए, तो दोनों सवर्ण समानाक्षरों के स्थान पर एक दीर्घ सवर्ण हो जाता है; यथा— इह+अस्ति = इहास्ति; इन्द्र+आ = इन्द्रा; त्वा+अग्ने = त्वाग्ने; स्रुचि+इव = स्रुर्चाव; सु+उक्तम् = सूक्तम् ।

विशेष (१) संहिताओं में पदान्तीय तथा पदादि ऋ में सन्धि होने का उदाहरण नहीं मिलता है । ऋग्वेद में पदान्तीय ऋ का सर्वथा अभाव है (दे० टि० ४) ।

(२) कहीं कहीं अर्धर्च के दो पादों के मध्य तथा एक पाद में भी अ और आ की सवर्णदीर्घ सन्धि नहीं होती और विवृत्ति के कारण वे प्रकृतिभाव से रहते हैं^६; यथा— मनीषा+अग्निः = मनीषा अग्निः (ऋ० १, ५०, १); पूषा+अविष्टु = पूषा अविष्टु; (ऋ० १०, २६, ९); स्वधा+असि =

स्वधा असि (तै० सं० १, १, ९, ३); प्रतिमा+अस्ति=प्रतिमा अस्ति (वा० सं० ३२, ३) ।

(३) इसी प्रकार कहीं कहीं उ और ऊ के मध्य भी सवर्णदीर्घ-सन्धि नहीं होती और विवृत्ति के कारण वे प्रकृतिभाव से रहते हैं; यथा—सु+ऊर्ध्वः=सु ऊर्ध्वः (ऋ० ६, २४, ९); सु+ऊर्ध्वभिः=सु ऊर्ध्वभिः (ऋ० १, ११२, १); वीळू+उत्त=वीळू उत्त (ऋ० १, ३९, २) । समास में भी यह विवृत्ति मिलती है; यथा—सुकृतयः (ऋ० ८, ४७, १) ।

(४) पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि छन्दःपरिमाण के विचार से अनेक ऋचाओं में समानाक्षरों के मध्य विवृत्ति मान कर उन का पृथक् उच्चारण करना चाहिए और ऐसे स्थलों पर लिखित संहिता में दिखाई गई सवर्ण-दीर्घसन्धि का आदर नहीं करना चाहिए और इन के मतानुसार, इस प्रकार विवृत्ति से उच्चरित अक्षरों में पदादि समानाक्षर गुरु माना जाता है; इस लिये ऐसी विवृत्ति में यदि पदान्तीय समानाक्षर दीर्घ हो, तब भी उसका लघु उच्चारण करना चाहिए; यथा—चार्चत्=च अर्चत् (ऋ० १, १५५, १); माप्सवः=मा अप्सवः (ऋ० ७, ४, ६); चासात्=च आसात् (ऋ० १, २७, ३); मापेः=म आपेः (=मा+आपेः ऋ० ४, ३, १३); मूळातीदृशो=मूळाति ईदृशो (ऋ० ४, ५७, १); यन्तीन्दवः=यन्ति इन्दवः (ऋ० ४, ४७, २); भवन्तूत्तणः=भवन्तु उक्षणः (ऋ० ६, १६, ४७) ।

जब किसी सवर्णदीर्घ-सन्धि में पूर्व अक्षर किसी अपृक्त पद का पदान्तीय हो, तब छन्दःपरिमाण के विचार से ऐसे सवर्णदीर्घ अक्षर में मिलने वाले दोनों अक्षरों का विवृत्ति से उच्चारण करना चाहिए और वि तथा हि निपातों के सम्बन्ध में यह नियम प्रायेण लागू होता है; यथा—वीन्द्र=वि इन्द्र (ऋ० १०, ३२, २); हीन्द्र=हि इन्द्र (ऋ० १, १०२, ५) ।

२. गुण (प्रश्लिष्ट) सन्धि

४०. यदि झ या से परे इ ई आए, दोनों के स्थान पर ए एकादेश, और उ ऊ आए तब ओ एकादेश हो जाता है^{१०}; यथा—

इह + इह = इहेह; पिता + इव = पितेव; आ + ईम् = एम्; आ + उभा
= ओभा ।

विशेष—ऋ०, मै० सं० तथा वा० सं० में अकार तथा ऋकार की सन्धि से अर् एकदेश नहीं होता है, जैसा कि तै० सं०, का० सं०, अ०, उत्तरकालीन वैदिकवाङ्मय तथा लौकिक संस्कृत में हो जाता है। इस के विपरीत ऋ० तथा वा० सं० में अ से परे ऋ आने पर अ अविकृत रहता है और आ से परे ऋ आने पर आ का ह्रस्व हो जाता है^१; यथा—इन्द्र + ऋभुभिः = इन्द्र ऋभुभिः (ऋ० ३, ६०, ५); तथा + ऋतुः = तथ ऋतुः (ऋ० १, १६२, १९); विश्वकर्मा + ऋषिः = विश्वकर्म् ऋषिः (वा० सं० १३, ५८)। मै० सं० में ऋ से पूर्व आने वाले पदान्तीय अ का दीर्घ हो जाता है; यथा—च + ऋक् = चा ऋक् (मै० सं० २, ११, ६)। ऋ० में कहीं कहीं ऋ परे रहने पर पदान्तीय आ का अनुनासिक बन जाता है^२; यथा—विपन्या + ऋतस्य = विपन्याँ ऋतस्य (ऋ० ४, १, १२); कृदा + ऋतचित् = कृदाँ ऋतचित् (ऋ० ५, ३, ९); विश्वा + ऋभुः = विश्वाँ ऋभुः (ऋ० ४, ३३, ३)।

(२) पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि छन्दःपरिमाण के विचार से ऋ० में भी कहीं कहीं अ तथा ऋ का अर् एकदेश करके उच्चारण करना वाञ्छनीय है; यथा—सप्तऋषयः (ऋ० १०, १०९, ४) समास का उच्चारण सप्तषयः करना चाहिये^३। पदकार तथा उबट (ऋ० प्रा० २, ७१) धर्चम् (ऋ० १०, ४६, ५) तथा श्रुतर्चसम् (ऋ ७, १००, ३) में अर्च के अ का लोप मानते हैं। परन्तु अनेक पाश्चात्य विद्वान् इन में अ तथा ऋ की सन्धि मानते हैं।

(३) कहीं कहीं पदान्तीय आ से परे इ ई तथा उ ऊ आने पर, वह विवृत्ति द्वारा प्रकृतिभाव से रहता है^४; यथा—ज्या + इयम् = ज्या इयम् (ऋ० ६, ७५, ३); पिवा + इमम् = पिवा इमम् (पदपाठ में पिय रूप है, ऋ० ८, १७, १) अया + ईशानः = अया ईशानः (ऋ० १, ८७, ४); होतारा + ऊर्ध्वम् = होतारा ऊर्ध्वम् (वा० सं० २७, १८)।

३. वृद्धि (प्रलिष्ट) सन्धि

४१. अ आ से परे ए ऐ आने पर ऐ एकादेश और ओं औ आने पर औ एकादेश हो जाता है^{१३}; यथा—आ+एनम् = ऐनम् (ऋ० १, १२३, १); परा+एत् = परैत् (ऋ० १०, ६१, ८); यत्र+ओषधीः = यत्रौषधीः (ऋ० १०, ९७, ६); प्र+औक्षन् = प्रौक्षन् (ऋ० १०, ९०, ७) ।

विशेष—(१) कहीं कहीं पाद के आदि में आने वाले ए तथा ओ से पूर्व पदान्तीय अ तथा आ का अनुनासिक हो जाता है और फिर वह अनुनासिक स्वर विवृत्ति द्वारा प्रकृतिभाव से रहता है (दे० अनु० ३६ ख; टि० ७ ख में ऋ० प्रा० २, ६२) । परन्तु यदि अमिनन्त का पदान्तीय अ पाद के मध्य में हो तब भी सन्ध्यक्षर से पूर्व इस का अनुनासिक बन जाता है और यह विवृत्ति द्वारा प्रकृतिभाव से रहता है; यथा—अमिनन्त+एवैः = अमिनन्तँ एवैः (ऋ० १, ७९, २) ।

(२) कहीं कहीं अ आ से परे ए आने पर ए एकादेश, और ओ आने पर ओ एकादेश (पा० के अनुसार, अ आ का पररूप और तै० प्रा० के अनुसार अ आ का लोप) हो जाता है^{१३क}; यथा—ततार+एव = ततारेव (ऋ० ७, ३३, ३); इव+एतयः = इवेतयः (ऋ० १०, ९१, ४); अश्विना+एव = अश्विनेव (ऋ० ८, ९, ९); उप+एतन = उपेतन (तै० सं० ३, १, ४, ३); समुद्रस्थ+एमन् = समुद्रस्थेमन् (वा० सं० १३, १७); यथा+ओहिषे = यथोहिषे (ऋ० ८, ५, ३); स्वा+ओषन् = श्वोषन् (तै० सं० ४, ३, १; वा० सं० १३, ५३) । समास में भी यह सन्धि होती है; यथा—दश+ओणिम् = दशोणिम् (ऋ० ६, २०, ८), दशोण्ये (ऋ० ८, ५२, २), दशोण्ये (ऋ० ६, २०, ४) ।

४. यण् (क्षैप्र) सन्धि

४२. असवर्ण स्वर से पूर्व इ ई का य्, और उ का व् बन जाता है^{१४}; यथा—प्रति+आयम् = प्रत्यायम् (ऋ० १, ११, ६); जनित्री+अजीजनत् =

जानिभ्यजीजनत् (ऋ० १०, १३४, १); आ तु+ एर्ता=आ त्वेर्ता (ऋ० १, ५, १) । पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि छन्दःपरिमाण के विचार से क्षैप्रसन्धि के य् व् का उच्चारण प्रायेण इ उ के समान करना चाहिए; यथा—व्यु^१पाः (ऋ० १, ९२, ४) का उच्चारण वि उपाः और विदथे^१ष्वञ्जन् (ऋ० १, ९२, ५) का उच्चारण विदथेषु अञ्जन् करना चाहिए । क्षैप्र य् व् के इय् उय् उच्चारण के सम्बन्ध में देखिये अनुच्छेद ६ (छ) । य् से भिन्न व्यञ्जन के पश्चात् आने वाला निपात उ स्वर से पूर्व सभी संहिताओं में व् बना कर लिखा जाता है, परन्तु छन्दःपरिमाण के विचार से स्वर से पूर्व इस का उच्चारण उ ही करना चाहिए; यथा—अवेद्विन्द्र (ऋ० १, २८, १) का उच्चारण अवेदु^१इन्द्र करना चाहिए । स्वर तथा य् के पश्चात् आने वाला निपात प्रकृतिभाव से रहता है (दे० मनु० ४४, टि० ३३ तथा ३४) । संहिताओं में प्रगृह्य से भिन्न पदान्तीय ऊ का उदाहरण नहीं मिला है । इसलिये स्वर से पूर्व ऊ का व् बनने के उदाहरण प्रायः अन्तःपदसन्धि (Internal Sandhi) में ही मिलते हैं । ऋ० में पदान्तीय ऋ का कोई उदाहरण नहीं मिला है (दे० टि० ४) । उत्तरकालीन वाङ्मय तथा लौकिक संस्कृत में ऋ का र् बन जाता है; यथा—विज्ञावृ+ एतव् =विज्ञानैतव् (श० ब्रा० १४, ६, ८, ११) ।

विशेष—कुछ शब्दों का पदान्तीय ई प्रगृह्यसंज्ञक न होते हुए भी संहिता में स्वर से पूर्व प्रकृतिभाव से रहता है [दे० मनु० ४५ ख (८)] ।

५. अयादिसन्धि

४३. (क) ए ओ से परे अ से भिन्न स्वर आने पर पाणिनि तथा अनेक प्रातिशाख्यों के अनुसार, ए ओ का क्रमशः अय् अय् बन जाता है और इन के य् व् का लोप हो जाता है^{१५} । परन्तु ऋ० प्रा० के अनुसार, ए ओ से परे अ से भिन्न स्वर आने पर ए तथा ओ के स्थान पर अ हो जाता है; और ओ के स्थान पर होने वाले अ से परे जब उ ऊ से भिन्न स्वर हो तो इस अ के पश्चात् अय्यसंज्ञक व् का आगम हो जाता है^{१६} । ऋ० प्रा० में इसे उद्ग्राहसन्धि कहते हैं । यद्यपि य् व् के लोप के विषय में

अनेक मतभेद हैं^{१०}, तथापि अच् के व् का लोप केवल उ ऊ से पूर्व ही होता है; यथा— अग्ने + इह = अग्नु इह (ऋ० १, २२, १०); वार्यो + उक्थेभिः = वार्य उक्थेभिः (ऋ० १, २, २); वार्यो + आ याहि = वायुवा याहि (ऋ० १, २, १); इन्द्रो + इन्द्राय = इन्द्रुविन्द्राय (ऋ० ९, ६९, १०) ।

(ख) ऐ औ से परे स्वर आने पर, पाणिनि तथा अनेक प्रातिशाख्यों के अनुसार ऐ औ के स्थान पर क्रमशः आय् आव् हो जाता है और इन के य् व् का लोप हो जाता है (दे० टि० १५) । परन्तु ऋ० प्रा० के अनुसार, ऐ औ से परे स्वर रहने पर ऐ तथा औ के स्थान पर आ वन जाता है; और उ ऊ से भिन्न स्वर से पूर्व औ से बने आ के पश्चात् भुमसंज्ञक व् का आगम होता है^{११} । आय् के य् का प्रायः लोप हो जाता है । ऋ० तथा वा० सं० में आव् के व् का लोप केवल उ ऊ से पूर्व ही होता है, परन्तु मै० सं० तथा का० सं० में सर्वत्र आव् के व् का लोप हो जाता है । अ० के १९ वें काण्ड के कतिपय स्थलों को छोड़ कर इस संहिता में आव् के व् का लोप नहीं होता है । यह ध्यान रहे कि अ० के १९ वें काण्ड को अ० प्रा० में मान्यता नहीं दी गई है ।

यथा— तस्यै + इन्द्राय = तस्मा इन्द्राय (ऋ० १, ४, १०); सुजिह्वो + उप = सुजिह्वा उप (ऋ० १, १३, ८); तौ + इन्द्राग्नी = ताविन्द्राग्नी (ऋ० १, १०८, ३); असौ + एहि = असौवेहि (वा० सं० ३८, २); तौ + उभौ = ता उभौ (वा० सं० २३, २०); तौ + एनम् = ता एनम् (मै० सं० ४, १३, ४); तौ + एहि = ता एहि (का० सं० ३५, १८); उभौ + इन्द्राग्नी = उभाविन्द्राग्नी (अ० ५, ७, ६), परन्तु— पादौ + उच्येते = पादा उच्येते (अ० १९, ६, ५) ।

विशेष—(१) लौकिक संस्कृत की भांति वैदिक में भी अयादि सन्धि के य् व् का लोप होने पर अ आ और परवर्ती स्वर के मध्य पुनः सन्धि नहीं होती है । परन्तु इस नियम के कुछ अपवाद भी मिलते हैं और अन्तस्था का लोप होने पर भी कहीं कहीं पुनः स्वरसन्धि हो जाती है^{१२}; यथा— सत्तैव + आजौ = सत्तैवा आजौ = सत्तैवाजौ (ऋ० ३, ३२, ६); वै + असौ = वा असौ = वासौ (ऋ० ५, १७, ३) ।

- (२) पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि छन्दःपरिमाण के विचार से अनेक स्थानों पर अन्तस्था का लोप होने पर भी पूर्ववर्ती अकार तथा परवर्ती स्वर में पुनः सन्धि करके उच्चारण करना चाहिए^{१८}; यथा—ते+इन्द्र =त्त इन्द्र=तेन्द्र (ऋ० ७, २१, ९; ८, ४०, ९); गोष्ठे+उप =गोष्ठ उप =गोष्ठोप (अ० ९, ४, २३) । परन्तु लिखित संहिताओं के अनुसार, उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में य् के लोप के पश्चात् अ+इ तथा अ+उ की सन्धि नहीं मानी गई है ।
- (३) संहिताओं में कुछ ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिन में अय् के य् का लोप नहीं होता है; यथा—ते+आ=तय् आ (मै सं० १, १, २) ।
- (४) मै० सं० में जिस पदान्तीय ए पर अनुदात्त या अनुदात्त से बना स्वरित हो उस से परे अ से भिन्न सोदात्त स्वर (अच्) आने पर सन्धिज अय् के य् का लोप हो जाता है और उपधा के अ का दीर्घ बन जाता है; यथा—कर्मणे+आप्यायध्वम् =कर्मणा आप्यायध्वम् (मै० सं १, १, १) ।

६. पूर्वरूप (अभिनिहित) सन्धि

४४. पदान्तीय ए तथा ओ से परे पदादि अ आने पर, पदान्तीय (ए ओ) और पदादि (अ) स्वर के स्थान पर पूर्वरूप (ए अथवा ओ) एकादेश हो जाता है^{१९}; अथवा तै० प्रा० (टि० १९) के अनुसार अ का लोप हो जाता है; यथा सूनवे+अग्ने =सूनवेऽग्ने (ऋ० १, १, ९); रथेभ्यो+अग्ने =रथेभ्योऽग्ने (ऋ० १, ९४, ११) ।

विशेष—(१) ऋ० ८, ७२, ५ में स्तोतवे+अम्व्यम् की सन्धि स्तोतव अम्व्यम् दिखलाई गई है । पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार, यह उदाहरण इस प्रवृत्ति का परिचायक है कि मूल ऋ० में अ से पूर्व भी ए ओ अयादिसन्धि के नियमानुसार क्रमशः अय् अय् में परिणत हो जाते थे^{२०} । और यह भी माना जाता है कि इस प्रवृत्ति के अनुसार गोर्ध्न की मौलिक सन्धि भी गर्ध्न रही होगी^{२१} ।

- (२) लिखित ऋग्वेदसंहिता के लगभग ७५ प्रतिशत से अधिक प्रयोगों में और अथर्ववेदसंहिता के लगभग ६६ प्रतिशत प्रयोगों में पदादि अकार का

पदान्तीय ए ओ के साथ पूर्वरूप दिखलाया गया है, और शेष प्रयोगों में पदादि अ प्रकृतिभाव से रहता है^{२३}; यथा— देवासो+अप्तुरः= देवासो अप्तुरः (ऋ० १, ३, ८); पुराके+अर्वाके= पुराके अर्वाके (ऋ० ८, ९, १५); ते+अग्ने= ते अग्ने (वा० सं० ५, ८) ।

(३) पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि छन्दःपरिमाण के विचार से, ऋ० के लगभग ९९ प्रतिशत (४५०० में से ४४३० के लगभग) प्रयोगों में और अ० (१६०० में से १३०० से अधिक) तथा यजुर्वेदसंहिताओं के छान्दस भाग के लगभग ८० प्रतिशत प्रयोगों में पदान्तीय ए ओ के पश्चात् आने वाले पदादि अ का उच्चारण करना चाहिए; और इस से पहले आने वाले पदान्तीय ए ओ का ह्रस्व उच्चारण करना चाहिए^{२३}; यथा—सूनवेऽग्ने का उच्चारण सूनवे अग्ने करना चाहिए । उनका मत है कि उच्चारण करते समय संहिताओं के लिखित रूप का अनुसरण नहीं करना चाहिए और केवल छन्दःपरिमाण पर ध्यान देना चाहिए । इस सम्बन्ध में यह तथ्य विशेषतया उल्लेखनीय है कि मूल ऋ० में ऐसे पदादि अ का प्रायेण प्रकृतिभाव मिलता है, परन्तु लौकिक संस्कृत में सर्वत्र इस का पूर्वरूप हो जाता है । स्पष्ट है कि ऐसे पदादि अ के पूर्वरूप की प्रवृत्ति कालक्रम के साथ बढ़ती चली गई । अकार 'के' संवृत्त उच्चारण (दे० अनु० ५) का विकास इस पूर्वरूप-प्रवृत्ति की उत्तरोत्तर वृद्धि का मुख्य कारण माना जा सकता है ।

७. प्रकृतिभावसन्धि

(प्लुत तथा प्रगृह्य)

४५. उपर्युक्त सन्धि-नियमों के वर्णन में (दे० अनु० ३९-४१; ४४) अपवाद-रूपेण प्रकृतिभाव के जो उदाहरण दिये गये हैं, उन के अतिरिक्त प्लुत तथा प्रगृह्य संज्ञा वाले पदान्तीय स्वर पदादि स्वरों से पूर्व नित्य प्रकृतिभाव से रहते हैं^{२४} ।

प्लुत

(क) प्लुत स्वरों का परिचय अनुच्छेद २ में दिया जा चुका है । ऋ० में प्लुति के केवल ३, अ० में ३५, वा० सं० में ७, और तै० सं०

द्वितीयोऽध्यायः

में लगभग ४० प्रयोग मिलते हैं । संहिताओं में प्रायेण विचार तथा सम्बोधन आदि के लिये प्लुति का प्रयोग मिलता है^{१४क} । पाणिनि तथा कल्पसूत्रों ने उत्तरकालीन परम्पराओं का वर्णन किया है, जिन के अनुसार यज्ञकर्म, अभिवादन, प्रश्नोत्तर, भाह्वान, गर्हणा, भर्त्सना आदि में भी प्लुति का प्रयोग किया जाता था^{१४ख} । ब्राह्मणग्रन्थों तथा श्रौतसूत्रों में इस प्रकार के प्रचुर प्रयोग मिलते हैं । परन्तु लौकिक संस्कृत में प्लुति का प्रयोग अतीव विरल है ।

- (१) प्लुति प्रकट करने के लिये स्वर के आगे ३ का अङ्क लिखा जाता है और इस अङ्क से पूर्व समानाक्षर का प्रायेण दीर्घ रूप ही लिखते हैं । काशिका तथा सि० कौ० ने प्रत्यभिवाद (पा० ८, २, ८३-१०६) आदि के उदाहरणों में ह्रस्व स्वरों के आगे ३ का अङ्क लिख कर उनका प्लुत रूप दिखलाया है । संहिताओं में ऐसे उदाहरण अप्राप्य हैं । परन्तु Alt. Gr. I, (Nachträge zu Band I, p. 172) में डैब्रूनेर ने निम्नलिखित उदाहरणों में प्लुत माना है—यश्त् (मै० सं० १, १०, १६); व्यनयु-५३स्ते (मै० सं० १, १०, १६) । वास्तव में इन उदाहरणों में ३ का अङ्क स्वर की विशेषता (क्षैप्र, अभिनिहित आदि) को प्रकट करता है, प्लुति को नहीं (दे० स्वरप्रकरणम्); इसी प्रकार डैब्रूनेर द्वारा (इसी पुस्तक के पृ० १७२) दिये गये अन्य उदाहरण—प्राह्युइत् (सा० १, ३६ तु-श्र० ८, ६०, ९) में भी ३ का अङ्क स्वर के लिये प्रयुक्त किया गया है—प्लुति के लिए नहीं । प्लुत समानाक्षर से परे स्वर आने पर प्लुत स्वर प्रकृतिभाव से रहता है; यथा—ही३ + इति=ही३इति (तै० सं० ७, १, ६, १) । चाक्रवर्मण (पा० ६, १, १३०) आचार्य के मतानुसार ई ३ से परे स्वर आने पर ई ३ को प्रकृतिभाव न हो कर स्वरसन्धि हो जाती है; यथा—चिनुही ३ + इदम् =चिनुहीदम् ।

पतञ्जलि (पा० ६, १, १३० पर महा० भा०) तथा अन्य वैयाकरणों के व्याख्यान के अनुसार न केवल ई ३ अपि तु अन्य प्लुत स्वरों का प्रकृतिभाव भी इस सूत्र के प्रभाव से वैकल्पिक हो जाता है; यथा—वशा ३ + इयम् =वशेयम् (अ० १२, ४, ४२—वशेया३मवशेति—अ० प्रा० १, ९७, १०५) । पा० ६, १, १२९; के अनुसार, अवैदिक इति

शब्द से पूर्व प्लुत स्वर को प्रकृतिभाव नहीं होता है और इस सूत्र पर महा० भा० तथा काशिका में यह उदाहरण दिया गया है— सुश्लोकाश्-इति, सुश्लोकेति (का० सं० ३८, ४; तै० सं० १, ८, १६, २, तथा पदपाठ में सुश्लोका ३ २ इति सुश्लोका ३ २) । परन्तु वा० प्रा० ४. ११ (प्लुत-मितौ) के अनुसार, अवैदिक इति से पूर्व प्लुत स्वर प्रकृतिभाव से रहता है; यथा— विवेशा ३ इति (वा० सं० २३, ४९) । अ० प्रा० (१, ९७; ४, १२०) वैदिक इति तथा क्रमपाठ के इति से पूर्व आने वाले प्लुत स्वर के प्रकृतिभाव का निषेध करता है; यथा— अर्वशा ३ + इति=अवशोति (अ० १२, ४, ४२); बभूवेति बभूवौ ३ (अ० १०, २, २८ क्रमपाठ) । अधिकतर प्रयोगों में प्लुत समानाक्षर का प्रकृतिभाव ही मिलता है और जिन प्रयोगों में प्लुत समानाक्षर की परवर्ती स्वर से सामान्य सन्धि हो जाती है ऐसे प्रयोग अति विरल हैं ।

- (२) ए तथा ओ का प्लुतरूप दो प्रकार से लिखते हैं । प्रश्न, सम्बोधन, प्रत्यभि-वादन, विचार तथा याज्या आदि में प्रयुक्त किये जाने वाले अप्रगृह्यप्लुत ए ओ का पूर्वार्ध आश् के रूप में लिखा जाता है और इन का उत्तरार्ध क्रमशः इ तथा उ के रूप में लिखा जाता है^{२५४}; यथा—अशा ३ इ पत्नीवन् (वा० सं० ८, १०); अग्ना ३ इ पत्नीवाश् : (तै० सं० १, ४, २७); होतृथ्यं दीक्षितस्य गृहा ३ इ न होतृथ्याश्मिति (तै० सं० ६, १, ४, ५); अग्निगा ३ उ (ऐ० प्रा० २, ७); पटा ३ उ (काशिका) ।

सन्धि में स्वर परे रहने पर अप्रगृह्य प्लुत सन्ध्यक्षरों के उत्तरार्ध के इ तथा उ का क्रमशः य् तथा व् वन जाता है और पूर्वोक्त सन्धि-नियम (अनु० ४३) के अनुसार, य् व् का लोप हो जाता है^{२५५}; यथा—अशा ३ इ + इति = अशा ३ इति (तै० सं० ६, ५, ८, ४); पटा ३ उ उदकम् = पटा ३ उदकम् (काशिका) । परन्तु इस नियम के (विशेषतः ऐ० प्रा० में) अनेक अपवाद मिलते हैं और प्लुत से परे आने वाले इ उ प्रकृतिभाव से रहते हैं; यथा— ऐन्द्रावरुणा ३ इ एषा (ऐ० प्रा० ६, २५); अग्निगा ३ उ इति (ऐ० प्रा० २, ७) ।

- (३) उपर्युक्त से भिन्न तथा प्रगृह्य ए ओ की प्लुति को प्रकट करने के लिए इन के आगे ३ का अङ्क लिखा जाता है; यथा— सर्पे ३ व् (ऐ० प्रा०

ऋत्व्ये नाधमानाम् (= तुनू + ऋत्व्ये ऋ० १०, १८३, २); मायू
(अ० १८, ४, ४) ।

विशेष—यद्यपि लेखवद्धसंहिता में वेद्यस्याम् (ऋ० २, ३, ४) पाठ मिलता है, तथापि छन्दःपरिमाण के विचार से वेदी के पदान्तीय ई का प्रकृतिभाव करके उच्चारण करना चाहिये; और पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि छन्दःपरिमाण के विचार से इस प्रकार के प्रगृह्य ई ऊ का उच्चारण सदा ह्रस्व होना चाहिए^{१०}; यथा— वेद्यस्याम् का उच्चारण वेदि अस्याम् करना चाहिए ।

(३) अस्मद् तथा युष्मद् से बने एकारान्त रूपों अस्मे, युष्मे, मे, त्वे का पदान्तीय ए प्रगृह्य माना जाता है^{११}; यथा— अस्मे वा बृहतम् (ऋ० ८, ५, १५); युष्मे इत् (ऋ० ८, १८, १९); त्वे इत् (ऋ० १, २६, ६); मे रायः (वा० सं० ४, २२) । वा० प्रा० में यह मे प्रगृह्य रूप से उदाहृत है और पदपाठ में इसे मे इति मे के रूप में दिखलाया गया है । उपर्युक्त चारों एकारान्त पद प्रायेण सप्तमी विभक्ति के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं । पदपाठ में इनके आगे इति जोड़ा जाता है ।

(४) अद्स् से बने बहुवचनान्त पुँल्लिङ्ग रूप अमी का पदान्तीय ई प्रगृह्य माना जाता है^{१२} और पदपाठ में इसके आगे इति जोड़ा जाता है । यद्यपि ऋ० में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है जिसमें अमी से परे कोई स्वर आता हो, तथापि अन्यत्र ऐसे उदाहरण मिलते हैं— अमी अनूयाजाः (तै० सं० ६, १, ५, ४); अमी अनु मा तनुत् (मा० धौ० सू० १, ४, ३, १५) ।

(५) अपृक्त (एकवर्ण) निपात उ प्रगृह्य माना जाता है और पदपाठ में इसका दीर्घ तथा अनुनासिक ऊ बनाकर इसके आगे इति जोड़ा जाता है^{१३}; यथा— ऊ इति । सन्धिज य् तथा विवृत्ति (hiatus) से परे आने वाला प्रगृह्य उ संहिता में स्वर से पूर्व प्रकृतिभाव से रहता है और स्पदों से परे आने वाला प्रगृह्य उ स्वर से पूर्व च् में परिणत हो जाता है^{१४}; यथा— अमृद् भा उ अंशवे (ऋ० १, ४६, १०), प्रत्यु अदृश्यायुती (ऋ० ७, ८१, १); इन्द्रियं सोमं धनुसा उ इमदे (ऋ० १०, ६५, १०); न

वा उँ एतत् (वा० सं० २३, १६); परन्तु अवेद् व् इन्द्र (= उ + इन्द्र ऋ० १, २८, १); किम्वावर्षणम् (= उ + आवर्षणम् वा० सं० २३, ९) । तै० सं० में प्रकृतिभाव से रहने वाले अपृक्त उ तथा परवर्ती स्वर के मध्य वकार का आगम होता है, परन्तु जब उ से पूर्व कोई स्पर्श हो तब उपर्युक्त सन्धिनियम के अनुसार स्वर से पूर्व उ का व् वन जाता है^{३५}; यथा— स उँव् एकविंशवर्तनिः (तै० सं० ४, ३, ३, २), परन्तु तस्माद् व् आश्रयम् (= उ + आश्रयम् तै० सं० ६, १, ११, ६) । छन्दः-परिमाण के विचार से निपात उ के उच्चारण के सम्बन्ध में दे० अनु० ४२ । संहिताओं में उ को जहाँ साहित्यिक दीर्घ (ऊ) हो जाता है वहाँ पर भी यह प्रगृह्य माना जाता है; और उस अवस्था में इससे पूर्व स्पर्श वर्ण होने पर भी यह स्वर से पूर्व प्रकृतिभाव से रहता है^{३६}; यथा— उद् ऊँ अयान् (ऋ० ६, ७१, ५); तम् ऊँ अकृण्वन् (ऋ० १०, ८८, १०) ।

(६) नामों या निपातों के पदान्तीय अ अथवा आ के साथ उ की गुणसन्धि होने पर जो ओ एकदेश वनता है, वह भी प्रगृह्य माना जाता है और संहिता में प्रकृतिभाव से रहता है^{३७}; यथा— एषो उषाः (= एषा + उ ऋ० १, ४६, १); मो आसाम् (= मा + उ अ० २०, १२७, १३); अथो इन्द्राय (= अथ + उ ऋ० १, २८, ६); उत्तो अपः (= उत्त + उ ऋ० २, ११, ५) ।

(७) उकारान्त प्रातिपदिकों के सम्बोधन का एकवचनान्त ओ ऋ०; अ०, वा० सं० तथा तै० सं० के पदपाठ में प्रगृह्य माना जाता है और उस के आगे इति जोड़ा जाता है^{३८} । इसके अतिरिक्त तै० सं० के संहितापाठ में भी कई स्थलों पर सम्बोधन के ओ को प्रगृह्य मान कर उसे स्वर से पूर्व प्रकृतिभाव से लिखा जाता है; यथा— इन्द्रो इत्याह (तै० सं० ६, ५, ८, ३); पित्तो आ विंशस्व (तै० सं० ५, ७, २, ४) ।

विशेष—(८) प्रातिशाख्यों के अनुसार, अनेक पदों के पदान्तीय आ को भी संहिता में प्रकृतिभाव होता है, परन्तु पदपाठ में इसे प्रगृह्य नहीं माना जाता है (दे० टि० १२; अनु० ४०) । एकवचन प्रथमान्त तथा तृतीयान्त रूपों के पदान्तीय ई को संहिताओं में कहीं कहीं स्वर से पूर्व प्रकृतिभाव

२, २२); अभ्यस्ये इत् (ऐ० ब्रा० ६, १५); ये इ यजामहे (आश्व० श्रौ० सू० १, ५, ५) आहो इ (श० ब्रा० १४, ७, ३, ३); हो इ (श० ब्रा० ११, ४, १, ३); ओ इ म् खं ब्रह्म (वा० सं० ४०, १७) ।

- (४) प्लुत ऐ तथा औ को भी दो प्रकार से लिखते हैं । है, श्रौषट्, वौषट् इत्यादि निपातों के ऐ औ की प्लुति को प्रकट करने के लिये इन के आगे केवल इ का अङ्क लिख देते हैं; यथा— है इ देवदत्त (पा० ८, २, ८५ पर काशिका); अस्तु श्रौ इषट् (आश्व० श्रौ० सू० १, ४, १३); सोमस्याग्ने वीहि वौ इषट् (ऐ० ब्रा० ३, ५, ४; आश्व० श्रौ० सू० ५, ५, १९)^{४६} । निपात से भिन्न शब्द के ऐ औ की प्लुति को प्रकट करने के लिये उपर्युक्त नियम के अनुसार. (दे० टि० २४ घ), ऐ औ का पूर्वार्ध आ इ के रूप में लिखा जाता है और इन का उत्तरार्ध क्रमशः इ तथा उ के रूप में लिखा जाता है; और सन्धि में स्वर से पूर्व इ तथा उ क्रमशः य् तथा व् में परिणत हो जाते हैं; यथा— अस्मा इ ई (=अस्मै श० ब्रा० १२, ५, १, १); युञ्जपता इ विति (=युञ्जपतौ तं सं० ६, ६, २, ३) । पाणिनि के मतानुसार, प्लुत ऐ औ के उत्तरार्ध के अवयव क्रमशः इ उ की प्लुति होती है और महा० भा० के अनुसार प्लुत ऐ औ चार-चार मात्राओं के होते हैं^{४७} । काशिका तथा सि० कौ० आदि में इस प्लुति के निम्नलिखित उदाहरण मिलते हैं—ऐ इ तिकायन, औ इ पगव । परन्तु वैदिक वाङ्मय में मुझे ऐसी प्लुति का कोई उदाहरण नहीं मिल सका है ।

प्रगृह्य

- (ख) स्वर से पूर्व आने वाला प्रगृह्यसंज्ञक स्वर संहिता में नित्य प्रकृतिभाव से रहता है और इस के प्रगृह्यत्व को प्रकट करने के लिये पदपाठ में इस के आगे इति जोड़ा जाता है (दे० अनु० ८८) । पाणिनीय व्याकरण तथा प्रातिशाख्यों में निम्नलिखित प्रकार के स्वर प्रगृह्य माने जाते हैं । पाणिनीय व्याकरण के अनुसार इस प्रकार के स्वर जिन के अन्त में आते हैं वे पद प्रगृह्यसंज्ञक कहलाते हैं, परन्तु प्रातिशाख्य प्रायेण इन स्वरों की प्रगृह्य संज्ञा करते हैं । परिणाम समान है ।

- (१) द्विवचन पदों के अन्त में आने वाले ई, ऊ तथा ए स्वर प्रगृह्य माने जाते

हैं^{२५}; यथा— हरीं + ऋक्षस्य = हरी ऋक्षस्य (ऋ० ८, ६८, १५); इन्द्रवायू + इमे = इन्द्रवायू इमे (ऋ० १, २, ४) । इसी प्रकार ये उदाहरण हैं— रोदसी उभे ऋघायमाणम् (ऋ० १, १०, ८); उप युआथे अपः (ऋ० १, १५१, ४) ।

पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि छन्दःपरिमाण की दृष्टि से कहीं कहीं प्रगृह्य ऊ का ह्रस्व उच्चारण वाञ्छनीय है^{२५क}; यथा— साधू अस्मै (ऋ० २, २७, १५) में ऊ का ह्रस्व उच्चारण करना चाहिए । इसी प्रकार तिब्बन्त पद के प्रगृह्य ए का उच्चारण भी छन्दःपरिमाण की दृष्टि से कहीं-कहीं ह्रस्व होना चाहिए; यथा— परिमन्नाथे अस्मान् (ऋ० ७, ९३, ६) में ए का ह्रस्व उच्चारण वाञ्छनीय है ।

विशेष— संहिताओं में इव परे आने पर प्रगृह्य ई को सवर्णदीर्घसन्धि हो जाती है^{२६}; यथा— दम्पती + इव = दम्पतीव (ऋ० २, ३९, २); उपधी + इव = उपधीव (ऋ० २, ३९, ४); प्रधी + इव = प्रधीव (ऋ० २, ३९, ४); विद्वपती + इव = विद्वपतीव (वा० सं० ३३, ४०); नृपती + इव = नृपतीव (अ० ८, ४, ६)^{२६क} । परन्तु अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ इव से पूर्व भी प्रगृह्य ई प्रकृतिभाव से रहता है; यथा— हरीइव (ऋ० १, २८, ७); अक्षीइव (ऋ० २, ३९, ५) । रोदसीमे (= रोदसी + इमे ऋ० ७, ९०, ३) में प्रगृह्य ई और पदादि इ के मध्य सवर्णदीर्घसन्धि मिलती है^{२७} । पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि कतिपय अन्य उदाहरणों में भी प्रगृह्य ई और परवर्ती इकार का इसी प्रकार सवर्णदीर्घ करके उच्चारण करना चाहिए, यद्यपि लेखबद्ध संहिता में ऐसे उदाहरणों का प्रगृह्य ई प्रकृतिभाव से मिलता है^{२७क} । छन्दःपरिमाण के विचार से कुछ उदाहरणों में प्रगृह्य स्वर की सन्धि का प्रकृतिभाव करके उच्चारण करना चाहिए, जबकि लेखबद्धसंहिता में प्रकृतिभाव नहीं मिलता है; यथा— धिष्ण्येमे (= धिष्ण्ये + इमे ऋ० ७, ७२, ३) का उच्चारण धिष्ण्ये इमे करना चाहिए^{२८} ।

- (२) इकारान्त, ईकारान्त, उकारान्त तथा ऊकारान्त शब्दों के सप्तमी एकवचन में आने वाले पदान्तीय ई और ऊ प्रगृह्य माने जाते हैं^{२९}; यथा— सोमो गौरी अर्धि श्रितः (= गौरी + अर्धि श्रितः ऋ० ९, १२, ३); स्वार्थी तनु

ऋत्वे नाधमानाम् (= त्रुन् + ऋत्वे ऋ० १०, १८३, २); मायू
(अ० १८, ४, ४) ।

विशेष—यद्यपि लोखवद्धसंहिता में वेद्यस्याम् (ऋ० २, ३, ४) पाठ मिलता है, तथापि छन्दःपरिमाण के विचार से वेदी के पदान्तीय ई का प्रकृतिभाव करके उच्चारण करना चाहिये; और पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि छन्दःपरिमाण के विचार से इस प्रकार के प्रगृह्य ई ऊ का उच्चारण सदा ह्रस्व होना चाहिए^{१०}; यथा— वेद्यस्याम् का उच्चारण वेदि अस्याम् करना चाहिए ।

(३) अस्मद् तथा युष्मद् से बने एकारान्त रूपों अस्मे, युष्मे, मे, त्वे का पदान्तीय ए प्रगृह्य माना जाता है^{११}; यथा— अस्मे आ बहत्तम् (ऋ० ८, ५, १५); युष्मे इत् (ऋ० ८, १८, १९); त्वे इत् (ऋ० १, २६, ६); मे रायः (वा० सं० ४, २२) । वा० प्रा० में यह मे प्रगृह्य रूप से उदाहृत है और पदपाठ में इसे मे इति मे के रूप में दिखलाया गया है । उपर्युक्त चारों एकारान्त पद प्रायेण सप्तमी विभक्ति के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं । पदपाठ में इनके आगे इति जोड़ा जाता है ।

(४) अद् से बने बहुवचनान्त पुँल्लिङ्ग रूप अमी का पदान्तीय ई प्रगृह्य माना जाता है^{१२} और पदपाठ में इसके आगे इति जोड़ा जाता है । यद्यपि ऋ० में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है जिसमें अमी से परे कोई स्वर आता हो, तथापि अन्यत्र ऐसे उदाहरण मिलते हैं— अमी अनूयाजाः (तै० सं० ६, १, ५, ४); अमी अनु मा तनुत (मा० श्रौ० सू० १, ४, ३, १५) ।

(५) अपृक्त (एकवर्ण) निपात उ प्रगृह्य माना जाता है और पदपाठ में इसका दीर्घ तथा अनुनासिक ऊँ बनाकर इसके आगे इति जोड़ा जाता है^{१३}; यथा— ऊँ इति । सन्धिज य् तथा विवृत्ति (hiatus) से परे आने वाला प्रगृह्य उ संहिता में स्वर से पूर्व प्रकृतिभाव से रहता है और स्पर्शों से परे आने वाला प्रगृह्य उ स्वर से पूर्व व् में परिणत हो जाता है^{१४}; यथा— अमृद् भा उ अंशवे (ऋ० १, ४६, १०), प्रत्यु अदश्यायती (ऋ० ७, ८१, १); इन्द्रियं सोमं धनुसा उ ईमहे (ऋ० १०, ६५, १०); न

वा उँ एतत् (वा० सं० २३, १६); परन्तु अवेद् व् इन्द्र (= उ + इन्द्र ऋ० १, २८, १); किम्वावर्षनम् (= उ + आवर्षनम् वा० सं० २३, ९) । तै० सं० में प्रकृतिभाव से रहने वाले अपृक्त उ तथा परवर्ती स्वर के मध्य वकार का आगम होता है, परन्तु जब उ से पूर्व कोई स्पर्श हो तब उपर्युक्त सन्धिनियम के अनुसार स्वर से पूर्व उ का व् वन जाता है^{३५}; यथा— स उँव् एकविंशर्वतैनिः (तै० सं० ४, ३, ३, २), परन्तु तस्माद् व् आश्यम् (= उ + आश्यम् तै० सं० ६, १, ११, ६) । छन्दः-परिमाण के विचार से निपात उ के उच्चारण के सम्बन्ध में दे० अनु० ४२ । संहिताओं में उ को जहाँ साहित्यिक दीर्घ (ऊ) हो जाता है वहाँ पर भी यह प्रगृह्य माना जाता है; और उस अवस्था में इससे पूर्व स्पर्श वर्ण होने पर भी यह स्वर से पूर्व प्रकृतिभाव से रहता है^{३६}; यथा— उद् ऊँ अयान् (ऋ० ६, ७१, ५); तम् ऊँ अकृष्वन् (ऋ० १०, ८८, १०) ।

(६) नामों या निपातों के पदान्तीय अ अथवा ञा के साथ उ की गुणसन्धि होने पर जो ओ एकादेश बनता है, वह भी प्रगृह्य माना जाता है और संहिता में प्रकृतिभाव से रहता है^{३७}; यथा— एषो उषाः (= एषा + उ ऋ० १, ४६, १); मो आसाम् (= मा + उ अ० २०, १२७, १३); अथो इन्द्राय (= अथ + उ ऋ० १, २८, ६); उतो अपः (= उत + उ ऋ० २, ११, ५) ।

(७) उकारान्त प्रातिपदिकों के सम्बोधन का एकवचनान्त ओ ऋ०; अ०, वा० सं० तथा तै० सं० के पदपाठ में प्रगृह्य माना जाता है और उस के आगे इति जोड़ा जाता है^{३८} । इसके अतिरिक्त तै० सं० के संहितापाठ में भी कई स्थलों पर सम्बोधन के ओ को प्रगृह्य मान कर उसे स्वर से पूर्व प्रकृतिभाव से लिखा जाता है; यथा— इन्दो इत्याह (तै० सं० ६, ५, ८, ३); पित्तो आ विंशस्व (तै० सं० ५, ७, २, ४) ।

विशेष—(८) प्रातिशाख्यों के अनुसार, अनेक पदों के पदान्तीय ञा को भी संहिता में प्रकृतिभाव होता है, परन्तु पदपाठ में इसे प्रगृह्य नहीं माना जाता है (दे० टि० १२; अनु० ४०) । एकवचन प्रथमान्त तथा तृतीयान्त रूपों के पदान्तीय ई को संहिताओं में कहीं कहीं स्वर से पूर्व प्रकृतिभाव

हो जाता है^{११}; यथा—सन्नाज्ञी अर्धि देवृषु (ऋ० १०, ८५, ४६);
धावाक्षामा पृथिवी अन्तरिक्षम् (ऋ० ३, ८, ८); पृथुजयी असुर्यैव (ऋ०
१, १६८, ७) । तृतीयान्त रूपों के पदान्तीय ई के प्रकृतिभाव के
निम्नलिखित उदाहरण मिलते हैं— ऊती अनीती (ऋ ६, २९, ६); सुशमी
अभूवन् (ऋ० १०, २८, १२)^{१२}क । इन रूपों का अन्तिम स्वर प्रगृह्य नहीं
माना जाता है । इस लिये पदपाठ में इन के आगे इति नहीं जोड़ा जाता
है । तै० प्रा० ने ऐसे शब्दों का विशेष उल्लेख किया है जिन का पदान्तीय
ई संहिता में स्वर से पूर्व प्रकृतिभाव से रहता है, परन्तु प्रगृह्यसंज्ञक नहीं
है^{१३}; यथा— इयेतेन इयेती अङ्कुरुत (तै० सं० ५, ५, ८, १); न मिथुनी
अभवन् (तै० सं० ५, ३, ६, २) ।

८. छान्दसदीर्घ (सामवश) सन्धि

४६. (क) पदान्तीय स्वर पदादि व्यञ्जन से पूर्व साधारणतया अविच्छ्रित रहता है,
परन्तु संहिताओं में कहीं कहीं पदादि व्यञ्जन से पूर्व दीर्घ बन जाता है ।
ऋ० प्रा० (७, १) में इस प्रकार के दीर्घत्व को सामवशसन्धि की संज्ञा
दी गई है । इस सम्बन्ध में यह तथ्य विशेषतया उल्लेखनीय है कि
सामवशसन्धि साधारणतया सर्वत्र नहीं होती है और यह दीर्घत्व प्रायेण
इस बात पर निर्भर है कि लघु और गुरु की दृष्टि से पदान्तीय ह्रस्व स्वर
की क्या स्थिति है । यह देखा गया है कि पदान्तीय ह्रस्व स्वर गुरु
अक्षर वाले व्यञ्जन से पूर्व प्रायेण अविच्छ्रित रहता है और लघु
अक्षर वाले व्यञ्जन से पूर्व संहिताओं में कहीं कहीं दीर्घ बनता है । उदा-
हरणार्थ— अर्ध, तु, सु, का पदान्तीय ह्रस्व स्वर लघु व्यञ्जन से पूर्व
कहीं कहीं दीर्घ हो जाता है और गुरु अक्षर वाले व्यञ्जन से पूर्व अविच्छ्रित
रहता है । पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि सामवशसन्धि का दीर्घत्व वैदिक-
भाषा की एक प्राचीन छान्दस प्रवृत्ति पर आश्रित है । उस प्राचीन प्रवृत्ति
के अनुसार, दो लघु अक्षरों के बीच आने वाले उस पदान्तीय ह्रस्व स्वर
को दीर्घ कर दिया जाता था जो कहीं अन्यत्र भी दीर्घ बन सकता था;
और छान्दस औचित्य की दृष्टि से पाद में जहाँ गुरु अक्षर की आवश्यकता
होती थी वहाँ उस आवश्यकता की पूर्ति के लिये प्रकृत दीर्घत्व किया जाता

था^{१०}। यह दीर्घत्व मुख्यतया छन्दः की आवश्यकता पर आश्रित है, इस लिये हम इसे छान्दसदीर्घसन्धि भी कह सकते हैं। पदपाठ में अन्य सन्धि-विकारों की भाँति सामवशसन्धि के दीर्घत्व को दूर करके पद का शुद्ध पदान्तीय ह्रस्व स्वर ही दिखलाया जाता है। प्रातिशाख्यों ने सामवश-सन्धि के दीर्घत्व का विशद तथा विस्तृत वर्णन किया है^{१०क}। परन्तु पाणिनि ने इस दीर्घत्व के सम्बन्ध में केवल पाँच सूत्र (६, ३, १३३-३७) बनाए हैं और अन्तिम सूत्र (६, ३, १३७ अन्येषामपि दृश्यते) में एक व्यापक नियम का विधान किया है, जिस के द्वारा सायण ने अपने वेदभाष्यों में अनेक प्रकार के दीर्घत्व का समाधान किया है।

(ख) छान्दस दीर्घत्व प्रायेण निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है—

- (१) पदान्तीय अ इ उ प्रायेण असंयुक्त पदादि व्यञ्जन से पूर्व दीर्घ बनते हैं; यथा—अद्या चिन्नु चित् (=अद्य+चित्+नु+चित् ऋ० ६, ३०, ३)।
- (२) कहीं कहीं ये पदान्तीय स्वर ऐसे व्यञ्जन से पूर्व भी दीर्घ बन जाते हैं जिस से परे य् अथवा व् आए; यथा—अद्या ह्यग्ने (=अर्ध+हि+अग्ने ऋ० ४, १०, २); अग्नी प्वृर्यः (=अग्नि+सु + अर्यः ऋ० १०, ५९, ३)। पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि ऐसी अवस्था में य् व् का उच्चारण क्रमशः इ उ करना चाहिए^{१०ख}।
- (३) कहीं कहीं संयुक्त व्यञ्जन तथा स्वर से पूर्व भी छान्दस दीर्घत्व हो जाता है; यथा—शिक्षा स्तोतृभ्यः (=शिक्ष+स्तोतृभ्यः ऋ० २, ११, २१); एवौ अग्निम् (=एव+अग्निम् ऋ० ५, ६, १०; ५, २५, ९)।
- (४) आठ अक्षरों के पाद में प्रायेण षष्ठ अक्षर पर और ग्यारह तथा बारह अक्षरों के पादों में कहीं अष्टम और कहीं दशम अक्षर पर छान्दस दीर्घत्व होता है^{१०ग}; यथा—ईशानो यवया वृधम् (ऋ० १, ५, १०); तादीत्ना शत्रुं न किला विवित्से (ऋ० १, ३२, ४); अग्ने सुख्ये मा रिषामा वृथं तव (ऋ० १, ९४, १)।
- (५) अवसान में और पाद के अन्त में यह छान्दस दीर्घत्व नहीं होता है। पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि इस नियम का अपवाद केवल वहाँ पर

मिलता है जहां संहिताकारों ने छन्दः शुद्धि का ध्यान न रखते हुए पादों का अशुद्ध विभाजन किया है, या अन्यत्र प्रयुक्त होने वाले मन्त्रभाग की अक्षरशः आवृत्ति की है^{१०७}; यथा— ऋ० १, २५, १९ के “श्रुधी / हर्षम्” में पदान्तीय इ का दीर्घत्व अन्यत्र (ऋ० २, ११, १ इत्यादि) मिलने वाले दीर्घत्व का अनुकरण करके किया गया है ।

- (ग) निम्नलिखित प्रकार के शब्दों के पदान्तीय ह्रस्व स्वर को उपर्युक्त अवस्थाओं में छान्दस दीर्घत्व होता है—
- (१) निम्नलिखित निपातों के पदान्तीय स्वर को संहिता में छान्दस दीर्घत्व हो जाता है— अच्छ, अत्ति, अर्थ, अद्य, अध, अर्ध, उत्, एव, किल, घ, न, प्र, स्म, ह, इव, इह, च, अत्र, उभयत्र, कुत्र, तत्र, यत्र, अधि, अभि, वि, नहि, परि, यदि, हि, उ, अनु, व, उ, मधु, मिथु, सु ।
- (२) तृतीया एकवचन के रूपों के पदान्तीय अ को छान्दस दीर्घत्व होता है; यथा— ऋतेना, वीर्येणा, एना, तेना, येना । कहीं कहीं पष्ठी एकवचन के पदान्तीय अ का दीर्घत्व मिलता है; यथा— अस्या, हरिण्या । सम्बोधन के पदान्तीय अ के दीर्घत्व के केवल दो उदाहरण ऋ० में मिलते हैं— वृषभा (ऋ० ८, ४५, ३८); हारियोजना (ऋ० १, ६१, १६) ।
- (३) लोट् मध्यम पुरुष के रूपों के पदान्तीय अ तथा इ का संहिता में अनेक स्थलों पर दीर्घत्व हो जाता है; यथा— विया, युक्वा, मन्दस्वा, जुहोता, यजा, भरा, भवा, तिष्ठा, रक्षा, कर्तना, शृणुता, नयथा, हन्तना, कृधी, कृणुही, श्रुधी, शृणुधी, शृणुही, जुही, विद्धी ।
- (४) परस्मैपद उत्तमपुरुष बहुवचन के जिन रूपों के अन्त में म आता है उनके पदान्तीय अ को दीर्घत्व हो जाता है; यथा— विश्वा, चक्रमा, रिषामा, रुहेमा । परस्मैपद के अन्य तिटन्त रूपों के पदान्तीय अ को भी छान्दस-दीर्घत्व होता है; यथा— वेदा, वेद्यां ।
- (५) परस्मैपद में लिट् के तीनों पुरुषों के एकवचनान्त और मध्यमपुरुष बहुवचनान्त रूपों के पदान्तीय अ को छान्दस दीर्घत्व हो जाता है; यथा— विभया, विवेद्या, जप्रमा, अनजा, चक्रा ।

- (६) कतिपय ल्यबन्त रूपों के पदान्तीय क्ष को छान्दस दीर्घत्व होता है; यथा—
अभिगूर्या, आच्या, अख्खलीकृत्या ।
- (७) ऋ० प्रा० के अनुसार पुरु, सिमा, ब्रह्मा, धन्वा, जनिमा, रोमा, स्वाहा और भूमा के पदान्तीय स्वर को छान्दस दीर्घत्व हुआ है और पदपाठ में इनका ह्रस्व रूप दिया गया है। परन्तु पाणिनि (६,१,७०) तथा वा० प्रा० (३,१८) के अनुसार, कम से कम जनिमा, रोमा आदि कुछ रूपों में नामिक प्रत्ययरूप भानि के नि का लोप माना जा सकता है ।
- (८) ऋ० २,२६,४ के तिबन्त रूप रक्षती में इ का छान्दस दीर्घ माना जाता है^{१०६} ।

व्यञ्जन-सन्धि

४७. पदान्तीय व्यञ्जन और पदादि स्वर या व्यञ्जन के मध्य होने वाली सन्धि के लिए व्यञ्जन-सन्धि संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। इस सन्धि के सम्बन्ध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वैदिक पदों के अन्त में कौन-कौन से व्यञ्जन मिलते हैं और पदादि में कौन-कौन से स्वर तथा व्यञ्जन आ सकते हैं। पदान्तीय तथा पदादि वर्णों का परिचय पहले ही दिया जा चुका है (दे० अनु० ३४-३५)। व्यञ्जन-सन्धि के नियमों को समझने के लिए यह याद रखना चाहिए कि पदान्तीय व्यञ्जनों में क् ट् व् प् तथा विसर्जनीय ञघोष हैं, और ङ न् म् घोष हैं। पदान्त में चवर्ग का ऋवर्ग, रेफ का विसर्जनीय, सकार का रेफ बन कर विसर्जनीय, शकार तथा हकार का मूलप्रकृति के अनुसार क् या ट् (दे० अनु० २५), और ष् का ट् बन जाता है। वैदिक पदों के आदि में आकर पदान्तीय व्यञ्जनों के साथ सन्धि में मिलने वाले मुख्य वर्ण निम्नलिखित हैं— अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, क्, ख्, ग्, घ्, च्, छ्, ज्, त्, द्, ध्, न्, प्, ब्, भ्, म्, य्, र्, ल्, व्, श्, ष्, स्, ह्। व्यञ्जन-सन्धि के विकारों की प्रमुख विशेषता यह है कि परवर्ती पदादि वर्ण के स्थान तथा प्रयत्न के प्रभाव से पदान्तीय व्यञ्जन के स्थान (position) तथा / अथवा प्रयत्न (quality) में परिवर्तन

हो जाता है। पदान्तीय क्, ट्, प् में मुख्यतया प्रयत्न (quality) का परिवर्तन होता है; पदान्तीय न् म् में केवल स्थान (position) का परिवर्तन होता है; और त् तथा विसर्जनीय में दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इसी प्रकार शेष सन्धि-विकारों का व्याख्यान किया जा सकता है। हम साधारणतया पदान्तीय वर्णों के क्रम से व्यञ्जन-सन्धि का वर्णन करेंगे और इनके साथ-साथ यथास्थान पदादि वर्ण ह्, श्, स् के महत्त्वपूर्ण सन्धिज विकारों पर भी विचार किया जाएगा।

१. पदान्तीय क् ट् त् प्

४८ क. (१) पदान्तीय क् ट् त् प् से परे स्वर आने पर ये अपने वर्ग के घोष स्पर्श (तृतीय वर्ण) में परिणत हो जाते हैं^१; यथा— अर्वाक् + आ = अर्वाङ्गा (ऋ० ४, ३२, १५), पदान्त में अर्वाच् के च् का क् बन गया है; हृद्यवाट् + अग्निः = हृद्यवाळग्निः (ऋ० ५, ४, २), ट के ळ बनने के सम्बन्ध में देखिये प्रथम अध्याय टि० ३; यत् + अङ्ग = यदङ्ग (ऋ० १, १, ६); त्रिष्टुप् + इह = त्रिष्टुविह (ऋ० १०, १३०, ५)।

(२) इसी प्रकार पदादि घोष से पूर्व भी पदान्तीय क् ट् त् प् अपने वर्ग के घोष स्पर्श में बदल जाते हैं^२; यथा— अर्वाक् + रार्धः = अर्वाग्ार्धः (ऋ० १, १, ५); हृद्यवाट् + जुद्धास्यः = हृद्यवाड् जुद्धास्यः (ऋ० १, १२, ६); गर्मत् + वार्जेभिः = गर्मद्वाजेभिः (ऋ० १, ५, ३); त्रिष्टुप् + गायत्री = त्रिष्टुब् गायत्री (ऋ० १०, १४, १६)। पदान्तीय वर्णों के नियमानुसार, त्रिष्टुभ् के भ् का प् बन गया (दे० अनु० ३४)।

(३) पदादि अनुनासिक स्पर्श से पूर्व पदान्तीय क् ट् त् प् अपने वर्ग के अनुनासिक स्पर्श में बदल जाते हैं^३; यथा— अर्वाक् + नरा = अर्वाङ् नरा (ऋ० ९, ८२, ८); चट् + मृहान् = चण्मृहान् (ऋ० ८, १०१, ११); चत् + नः = चन्नः (ऋ० १, १०९, ८); त्रिकृप् + निवर्तत् = त्रिकृक्निवर्तत् (ऋ० १, १२१, ४)।

(४) पदान्तीय क् ट् प् पदादि क् ख् च् छ् त् प् फ् श् स् से पूर्व साधारणतया अविकृत रहते हैं। परन्तु तै० सं० के कुछ उदाहरणों में

पदान्तीय क् पदादि त् द् से पूर्व क्रमशः त् द् में बदल जाता है; यथा—सुम्यक् + ते = सुम्यत्ते (तै० सं० १, २, ७, १); असृक् + द्वाभ्याम् = असृद् द्वाभ्याम् (तै० सं० ७, ४, ९, १) । तै० प्रा० में इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है । यह भी सम्भव है कि परम्परा-भेद या उच्चारण-भेद के कारण पदान्त में प् क् वाले—ककुप्, असृक्, सुम्यक्—इत्यादि कुछ शब्दों का अन्य रूप भी माना जाता था जिस के पदान्त में त् का उच्चारण किया जाता था ^{४२}क । इसी प्रकार तै० सं० में पदान्तीय प् वाले त्रिष्टुप् तथा अनुष्टुप् के प् के स्थान पर कहीं कहीं पदान्तीय क् मिलता है (या प् का क् हो जाता है); यथा— तै० सं० ५, २, ११, १; ४, ३, २; ४, १२, १ ।

२. पदादि ह्

४८. (ख) पदादि हकार से पूर्व आने वाले पदान्तीय क् ट् त् प् उपर्युक्त नियम (अनु० ४८ क) के अनुसार अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाते हैं और पदादि हकार पूर्ववर्ती पदान्तीय वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण बन जाता है ^{४३}; यथा—मद्रथक् + हुवानः = मद्रथग् हुवानः (ऋ० ३, ४१, १); अवाट् + ह्वयानि = अवाट् ह्वयानि (ऋ० १०, १५, १२); यत् + हरः = यद् धरः (अ० १८, २, ३६) । कतिपय आचार्यों के मतानुसार, हकारसम्बन्धी विकार विकल्प से होता है; अन्य आचार्य यह मानते हैं कि ऐसा हकार सर्वथा अविकृत रहता है; और एक मत यह भी है कि पूर्ववर्ती पदान्तीय स्पर्श और हकार के मध्य उसी स्पर्श के वर्ग के चतुर्थ वर्ण का आगम हो जाता है ^{४४} ।

३. पदान्तीय त्

४९. उपर्युक्त प्रयत्न-सम्बन्धी विकारों के अतिरिक्त पदान्तीय त् को निम्नलिखित सन्धियों में कहीं स्थान-सम्बन्धी और कहीं दोनों प्रकार के विकार होते हैं ।
- (क) पदादि ल् से पूर्व पदान्तीय त् का ल् बन जाता है ^{४५}; यथा—अङ्गात् ऽअङ्गात् + लोमः ऽलोमः = अङ्गादङ्गाल्लोमोऽलोमः (ऋ० १०, १६३, ६); यत् + लोहितम् = यल्लोहितम् (तै० सं० २, १, ७, २) ।

द्वितीयोऽध्यायः

(ख) पदादि च् छ् श् से पूर्व पदान्तीय त् का च् और पदादि ज् से पूर्व ज् बन जाता है^{५६}; यथा— तत् + चक्षुः = तच्चक्षुः (ऋ० ७, ६६, १६); यत् + छर्दिः = यच्छर्दिः (ऋ० ८, ६७, ६); तत् + शुक्रेयम् = तच्छुक्रेयम् (वा० सं० १, ५); यत् + जिगांसि = यजिगांसि (ऋ० १०, ७३, ३) । मै० सं० और मानवश्रौतसूत्र में पदादि श् से पूर्व पदान्तीय त् का ज् बन जाता है; यथा—तत् + शुक्रेयम् = तज्शुक्रेयम् (मै० सं० १, ४, १; मा० श्रौ० सू० १, ७, २, २४) ।

(ग) यद्यपि अ० प्रा० ने यह विधान किया है कि टवर्ग से पूर्व च् का ट् बन जाता है^{५७}, परन्तु संहिताओं में किसी भी पद के आदि में टवर्ग का कोई वर्ण नहीं मिलता है ।

४. पदादि श्

५०. यदि पदान्तीय त् और न् से परे पदादि श् हो, तब त् और न् का क्रमशः च् और ज् बन जाता है और श् का छ् बन जाता है^{५८}; यथा—तत् + शुक्रेयम् = तच्छुक्रेयम् (वा० सं० १, ५); वज्रिन् + इन्थिहि = वज्रिच्छ्न्थिहि (ऋ० १, ६३, ५); आदित्यान् + इमश्रुभिः = आदित्याच्छ्मश्रुभिः (तै० सं० ५, ७, १२, १) । परन्तु श् के छ् विकार के सम्बन्ध में अनेक मतभेद तथा प्रयोग-भेद मिलते हैं । मै० सं० तथा मा० श्रौ० सू० में पदान्तीय त् तथा न् से परे श् का छ् नहीं बनता है; यथा—आदित्यान् + इमश्रुभिः = आदित्याञ् इमश्रुभिः (मै० सं० ३, १५, १); पदान्तीय त् का उदाहरण दे० अनु० ४६ (ख) में । वा० सं० में कहीं पर श् का छ् बन जाता है और कहीं श् अविकृत रहता है; यथा—पिशङ्गान् + शिशिराय = पिशङ्गा-च्छिशिराय (वा० सं० २४, ११); आदित्यान् + इमश्रुभिः = आदित्यो इमश्रुभिः (वा० सं० २५, १; वा० प्रा० ४, ९६-९७ पर भाष्य में उवट ने अपने उदाहरणों में आदित्याञ् इमश्रुभिः पाठ दिया है) । वा० प्रा० (४, ९७ टि० ४६) ने इस प्रयोगभेद का यह समाधान किया है कि जिस श् से परे स्पर्श से भिन्न वर्ण हो वह तवर्ग से परे छ् में परिणत हो जाता है और अन्य नहीं । शाकल्य के पिता का मत है कि सभी स्पर्शों से परे श् का छ् हो जाता है; शाकल्य के मतानुसार श्

को कहीं भी छ् नहीं बनता है; तै० प्रा० का मत है कि मकार को छोड़ कर किसी भी पदान्तीय स्पर्श से परे आने वाले पदादि श् का छ् बन जाता है; परन्तु चार्लमीकि के मतानुसार पदान्तीय प् से परे आने वाले श् का छ् नहीं बनता है; और पौष्करसादि का कथन है कि जिस पदादि श् से परे व्यञ्जन हो उससे पूर्व पदान्तीय न् आने पर, पदान्तीय न् का ज् और श् का छ् नहीं बनता है अर्थात् दोनों अविकृत रहते हैं^{५१}। पदान्तीय त् न् के अतिरिक्त, ट् प् से परे आने वाले पदादि श् का छ् बनने के उदाहरण भी संहिताओं में मिलते हैं और इसी प्रकार पदादि श् से परे व्यञ्जन होने पर भी पूर्ववर्ती स्पर्श के निमित्त से श् का छ् बनने के उदाहरण उपलब्ध होते हैं; यथा—विपाद् + शुतुद्रो=विपाद् छुतुद्री (ऋ० ३, ३३, १); तुराषाद् + शुष्मी=तुराषादछुष्मी (ऋ० ५, ४०, ४); आनद् + शुचि=आनदछुचि (तै० सं० १, ३, १४, ६); अनुष्टुप् + शारदी = अनुष्टुप्शारदी (तै० सं० ४, ३, २, २); परन्तु वा० सं (१३, ५७) में 'अनुष्टुप्शारदी' प्रयोग मिलता है; देवान् + श्लोकः = देवाञ्छ्लोकः (ऋ० १०, १२, ५)। शां० श्रौ० सू० के ऋक्छः पद में क् से परे श् का छ् बनने का उदाहरण मिलता है, जब कि ऐ० ब्रा०, गो० गृ० सू० इत्यादि ग्रन्थों में ऋक्शः रूप मिलता है। पाणिनि के मतानुसार, वर्णों के पञ्चम वर्णों को छोड़ कर अन्य किसी भी स्पर्श से परे आने वाले श् का विकल्प से छ् बनता है यदि उस से परे कोई स्वर या ह् य् व् र् में से कोई वर्ण आए; और वार्तिक के अनुसार श् से परे ल् या वर्णों के पञ्चम वर्ण के परे होने पर भी श् का विकल्पिक छ् बन जाता है^{५०}। उपर्युक्त विकल्पों के फलस्वरूप संस्कृत-ग्रन्थों की प्राचीन पाण्डुलिपियों में अनेक पाठभेद मिलते हैं। श् और छ् के ध्वन्यात्मक सम्बन्ध के विषय में दे० अनु० २५।

५. पदान्तीय ङ्

५१. (क) ह्रस्व स्वर के पश्चात् आने वाले पदान्तीय ङ् से परे पदादि स्वर आने पर ङ् का द्वित्व हो जाता है^{५१}; यथा—कीदङ् + इन्द्रः = कीदङ्किन्द्रः (ऋ० १०, १०८, ३)।

(ख) पदान्तीय ङ् से परे स श ष् आने पर, ङ् के पश्चात् क् का आगम होता

द्वितीयोऽध्यायः

है^{५९}; यथा— प्राङ्+सोमः = प्राङ्क्सोमः (वा० सं० १९, ४) । उवट ने ऋ० प्रा० (४, १६) के भाष्य में इस सन्धि के निम्नलिखित उदाहरण दिये हैं— अर्वाङ्क् छश्वत्तमम् (ऋ० ३, ३५, ६); प्रत्यङ्क् स विश्वा (ऋ० ९, ८०, ३) । परन्तु ऋ० की मुद्रित संहिताओं में ङ् के पश्चात् क् के आगम का उदाहरण नहीं मिलता है, क्योंकि ऋ० प्रा० ने इस प्रकार के आगम को केवल कतिपय आचार्यों का मत माना है और दाल्भ्य आचार्य इस आगम का समर्थन नहीं करते हैं^{६३} । इसी प्रकार तै० प्रा० के भाष्यकारों ने क् के आगम के निम्नलिखित उदाहरण दिये हैं— सुडङ्क् संमानैः (तै० सं० २, २, ८, ६); प्रत्यङ्क् पंडहः (तै० सं० ७, ४, २, ५) । परन्तु मुद्रितसंहिता में यह आगम नहीं दिखलाया गया है । अ० की मुद्रितसंहिता में भी क् के आगम का कोई उदाहरण नहीं मिला है ।

६. पदान्तीय न्

५२. (क) ह्रस्व स्वर के पश्चात् आने वाले पदान्तीय न् से परे पदादि स्वर आने पर न् का द्वित्व हो जाता है^{५५}; यथा— अहन्+अहिम्=अहन्नहिम् (ऋ० ३, ३२, ११) ।

(ख) आ के पश्चात् आने वाले पदान्तीय न् से परे समानपाद में पदादि स्वर आने पर न् का प्रायेण लोप हो जाता है और उपधा का आ अनुनासिक बन जाता है^{५६}; यथा— सर्गान्+इव=सर्गा^{५७} इव (ऋ० ८, ३५, २०); जुघनान्+उप=जुघना^{५८} उप (तै० सं० ४, ६, ६, ५); महात्+इन्द्रः=महा^{५९} इन्द्रः (ऋ० ६, १९, १) । परन्तु -क्षान् से परे आने वाला पदादि-स्वर यदि समानपाद में नहीं है, तो न् में कोई विकार नहीं होता है; यथा— तयेह विश्वा^{६०} अर्वसे यर्जत्राना (यर्जत्रान् / आ) सादय (ऋ० ३, ५७, ५) । इन नियमों के अनेक अपवाद मिलते हैं । ऋ० में कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें समानपाद में भी स्वर से पूर्व ऐसा पदान्तीय न् अविकृत रहता है^{६१}; यथा— पुग्रान् आ (ऋ० १०, ८५, ४५); और कहीं-कहीं पाद के अन्त में आने वाला पदान्तीय न् अन्य पाद के आदि में आने वाले स्वर के निमित्त से भी इस सन्धि-विकार को प्राप्त होता है^{६२} ।

मै० सं०, जै० सं० और कपि० सं० में कहीं-कहीं पदान्तीय न् की उपधा के आ का ह्रस्व बन कर उसका अनुनासिक हो जाता है; यथा—
 अस्मान् + अश्नोतु = अस्मँ अश्नोतु (मै० सं० १, ५, ४); अस्मान् + ष्व = अस्मँ ष्व (मै० सं० ४, १२, ४) । संहिताओं के अनेक उदाहरणों में आ के पश्चात् आने वाला पदान्तीय न् स्वर से पूर्व अविकृत रहता है^{५४}; यथा— शिशुमारान् + आलभते = शिशुमारानालभते (वा० सं० २४, २२); भक्षान् + आप्नोति = भक्षानाप्नोति (वा० सं० १९, २९); सुयमान् + ऊतये = सुयमानूतये (तै० सं० ४, ७, १५, ४); तान् + अस्मिन् = तानस्मिन् (अ० ४, ४, ८); तान् + आद्यान् + अकृत = तानाद्यानकृत (मै० सं० १, ५, ११); सप्तान् + इन्द्रः = सप्तानानिन्द्रः (मै० सं० १, १, १३) । पदान्तीय न् को स्वरों से पूर्व अविकृत रखने की प्रवृत्ति उत्तरकालीन वैदिक वाङ्मय में निरन्तर बढ़ती गई और लौकिक भाषा में यह प्रवृत्ति पूर्ण विकास को प्राप्त हुई । इसके फलस्वरूप स्वर से पूर्व आने वाला ऐसा पदान्तीय न् लौकिक संस्कृत में सर्वत्र अविकृत रहता है ।

(ग) ई, ऊ तथा ऋ के पश्चात् आने वाले पदान्तीय न् से परे समानपाद में स्वर आने पर न् का र् और उपधा के दीर्घ स्वर का अनुनासिक बन जाता है^{५५}; यथा— परिधीन् + अति = परिधीरति (ऋ० ६, १०७, १९); अभीक्ष्न् + इव = अभीक्ष्णिव (ऋ० ६, ५७, ६); नृन् + अभि = नूरभि (ऋ० ५, ५४, १५); ऋ के पश्चात् न् का र् बनने का केवल यही उदाहरण मिलता है । ऋ० प्रा० (४, ७२) में इन्हें स्पर्शरेफसन्धि कहते हैं । कहीं-कहीं पाद के अन्त में आने वाला पदान्तीय न् अन्य पाद के पदादि स्वर से पूर्व र् में परिणत हो जाता है और उपधा का ई ऊ अनुनासिक बन जाता है; यथा— दस्थून् + एकः = दस्थूरिकः (ऋ० ६, १८, ३) । परन्तु पाद के अन्त में आने वाले -ईन्, -ऊन् का पदान्तीय न् स्वर से पूर्व प्रायेण अविकृत रहता है । उपर्युक्त एकमात्र उदाहरण से अन्यत्र ऋ के पश्चात् आने वाला पदान्तीय न् स्वर से पूर्व अविकृत रहता है । और पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार, इस अविकार का कारण यह है कि एक ही अक्षर (Syllable) में दो रेफों को सहन नहीं किया जाता था^{५६} ।

द्वितीयोऽध्यायः

(घ) आ के पश्चात् आने वाले पदान्तीय न् से परे पदादि ह् य् व् र् आने पर ऐसा न् प्रायेण अविच्छेद रहता है, परन्तु कतिपय उदाहरणों में न् का लोप होकर उपधा के आ का अनुनासिक बन जाता है^{५६}; यथा— दधन्वान् + यः = दधन्वाँ यः (ऋ० ९, १०७, १); परन्तु वा० सं० १९, २ में “दधन्वा यः” पाठ मिलता है; दृढान् वा = दृढाँ वा (ऋ० १०, १३२, ३); वृक्षान् + वनानि = वृक्षाँ वनानि (अ० ६, ४५, १); पीवोभन्नान् + रयिवृधः = पीवोभन्नाँ रयिवृधः (ऋ० ७, ९१, ३); परन्तु, वा० सं० २७, २३ में— “पीवोभन्ना रयिवृधः” पाठ मिलता है (दे० टि० ५८) । और मै० सं० ४, १४, २ का पाठ “पीवोभन्नाँ रयिवृधः” है ।

(ङ) ई ऊ के पश्चात् आने वाले पदान्तीय न् से परे पदादि ह् य् व् आने पर न् का र् हो जाता है और उपधा के स्वर का अनुनासिक बन जाता है^{५७}; यथा— पृणीन् + हुतम् = पृणीँ हुतम् (ऋ० १, १८४, २); दस्यून् + योनौ = दस्यूँ योनौ (ऋ० १, ६३, ४); पृणीन् + वचोभिः = पृणीँ वचोभिः (ऋ० ६, ३९, २) ।

(च) पदान्तीय न् से परे पदादि ल् आने पर, न् का लँ अर्थात् अनुनासिक ल् बन जाता है^{५८}; यथा— जिगीवान् + लृक्षम् = जिगीवालँ लृक्षम् (ऋ० २, १२, ४); त्रीन् + ल्लोकान् = त्रीलँ ल्लोकान् (वा० सं० ६, ३१) । ये दोनों उदाहरण ऋ० प्रा० तथा वा० प्रा० के उवटभाष्य के अनुसार दिये गये हैं । परन्तु मुद्रित संहिताओं में इस नियम का बहुत कम पालन किया गया है । संहिताओं के अनेक उदाहरणों में पदादि ल् से पूर्व पदान्तीय न् अविच्छेद मिलता है; और कहीं कहीं न् का लोप हो कर उपधा के स्वर का अनुनासिक रूप मिलता है । तै० प्रा० में उद्धृत भाष्य के मतानुसार, पदादि ल् से पूर्व पदान्तीय न् का ल् हो जाता है और उपधा के स्वर का अनुनासिक बन जाता है^{५९}; यथा— त्रीन् + ल्लोकान् = त्रीँ ल्लोकान् (तै० सं० १, ७, ११, १) । यद्यपि तै० प्रा० के भाष्य में यह उदाहरण दिया गया है, तथापि तै० सं० के मुद्रित संस्करण में

इस उदाहरण का न् अविकृत मिलता है। तै० सं० के अधिकतर उदाहरणों में ऐसा न् अविकृत मिलता है।

(७) पदादि श् च् छ् ज् से पूर्व आने वाले पदान्तीय न् का झ् बनता है^{१३}, और पदादि श् का छ् हो जाता है (दे० ऋ० ५०); यथा— वृद्धिन् + श्नुधिहि = वृद्धिञ्नुधिहि (ऋ० १, ६३, ५); ऊर्ध्वान् + चरथाय = ऊर्ध्वान्चरथाय (ऋ० १, ३६, १४); तान् + छन्दोभिः = तान्छन्दोभिः (तै० सं० १, ५, ९, ७); तान् + जुपेथाम् = तान्जुपेथाम् (ऋ० ५, ५१, ६)।

जो पदान्तीय न् (पुं० की प्रथमा के ए० और द्वितीया के व० में) मूलतः न्स् का प्रतिनिधित्व करता है, उस से परे पदादि श् आने पर न् का श् बन जाता है और उपधा के स्वर का अनुनासिक हो जाता है^{१४}। ऋ० में च् तथा चित् से पूर्व प्रायेण यह सन्धिविकार होता है; यथा— अनुयाजान् + च् = अनुयाजौश्च (ऋ० १०, ५१, ८); तान् + चित् = तौश्चित् (ऋ० १०, १५४, १); अमेनान् + चित् = अमेनौश्चित् (ऋ० ५, ३१, २)। इस नियम के कुछ अपवाद भी मिलते हैं^{१५}; यथा— अस्माञ्च (ऋ० २, १, १६); चमसाञ्चनुरः (ऋ० १, १६१४); पशुञ्च स्थातृञ्चरथं च पाहि (ऋ० १, ७२, ६); अनुद्वाञ्च (तै० सं० ४, ७, १०, २)। कुछ उदाहरणों में पदान्तीय न् की उपधा के स्वर का अनुनासिक नहीं बनता और न् का अनुस्वार बन जाता है^{१६}; और विशेषतया यजुर्वेद की संहिताओं में अनुनासिक तथा अनुस्वार के विषय में विशेष व्यवस्था नहीं दीख पड़ती है।

विशेष— मै० सं० में अनेक स्थलों पर पदादि ज् से पूर्व आने वाला पदान्तीय न् अविकृत रहता है; यथा— देवान् जिगति (मै० सं० १, ६, १); देवान् जन्म (मै० सं० १, ४, ४)। तै० सं० के कुछ उदाहरणों में पदादि श् से पूर्व आने वाला पदान्तीय न् भी अविकृत मिलता है (दे० टि० ६४); यथा— आयन् चतस्रः (तै० सं० ५, २, ३, ४); आभूर्नुषन् चरुणा (तै० सं० ५, ५, १, ५); वारुणान् चतुष्कपालान् (तै० सं० २,

३, १२, १) । स्वाध्याय-मण्डल पारडी द्वारा प्रकाशित मै० सं० तथा तै० सं० में नू के अविकार के उपर्युक्त उदाहरण मिलते हैं । परन्तु सम्भव है कि कतिपय पाण्डुलिपियों में इन से भिन्न पाठ भी मिल सके ।

(ज) संहिताओं में कहीं-कहीं पदादि त् से पूर्व आने वाले पदान्तीय नू का स्र वन जाता है और उपधा का स्वर अनुनासिक हो जाता है^{६६}; यथा—
 आवर्दन् + त्वम् = आवर्दुस्त्वम् (ऋ० २, ४३, ३); अन्यान् + ते = अन्योस्ते (वा० सं० १७, १९); तान् + ते = ताँस्ते (ऋ० ६, ६१, ५) ।
 कहीं-कहीं उपधा के स्वर का अनुनासिक नहीं होता और नू का अनुस्वार वन जाता है (दे० टि० ६५) ।

ऋ० प्रा० (टि० ६६ख) में परिगणित पाँच रूपों से अन्यत्र आने वाला पदान्तीय नू पदादि त् से पूर्व ऋ० में अविकृत रहता है^{६७}; यथा—
 त्वावान् त्मना (ऋ० १, ३०, १४) । तै० सं० के केवल ३१ उदाहरणों में पदादि त् से पूर्व आने वाले पदान्तीय नू का स्र वनता है और शेष लगभग ३०० उदाहरणों में ऐसा नू अविकृत रहता है । वा० प्रा० ने कुछ शब्दों की परिगणना की है जिनका पदान्तीय नू पदादि त् से पूर्व वा० सं० में अविकृत रहता है^{६८} । अ० प्रा० ने भी ऐसे शब्दों के गण का उल्लेख किया है जिनका पदान्तीय नू पदादि त् से पूर्व अविकृत रहता है^{६९} । संहिताओं में मिलने वाले उदाहरणों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकतर पुँल्लिङ्ग की प्रथमा के एकवचन और द्वितीया के बहुवचन (तान् आदि) का पदान्तीय नू पदादि त् से पूर्व स्र वनता है; और लङ् प्र० पु० व० (अभवन् आदि) तथा नकारान्त पदों की सप्तमी और सम्बोधन एकवचन (राजन् आदि) का पदान्तीय नू त् से पूर्व प्रायेण अविकृत रहता है । यह माना जाता है कि व्युत्पत्ति के विचार से तान् इत्यादि रूपों का पदान्तीय वर्ण मूलतः स्र था (यथा— तान्स्र), जब कि अभवन् इत्यादि रूपों का पदान्तीय वर्ण मूलतः त् रहा होगा (यथा— अभवन्त्) ।

उत्तरकालीन संस्कृतवाङ्मय में पदादि त् से पूर्व पदान्तीय नू का स्र बनाने की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई और सम्बोधन

आदि के पदान्तीय न् को भी यही सन्धि-विकार होने लगा; यथा—
चक्रिस्त्रायस्^{१५} ।

- (झ) पदादि प् से पूर्व आने वाले पदान्तीय न् की सन्धि के सम्बन्ध में अनेक मत मिलते हैं । ऋ० प्रा० के अनुसार, निम्नलिखित उदाहरणों में पदादि प् से पूर्व आने वाले पदान्तीय न् का विसर्जनीय बन जाता है और पूर्व-वर्ती स्वर का अनुनासिक हो जाता है^{१६}; यथा— नृन् + पतिभ्यः = नृः पतिभ्यः (ऋ० प्रा० पृ० १५७; तै० ब्रा० ३, ६, २; का० सं० १५, १३); नृन् + प्रणेत्रम् = नृः प्रणेत्रम् (ऋ० प्रा० पृ० १५७; तै० ब्रा० ३, ६, २); नृन् + पात्रम् = नृः पात्रम् (ऋ० १, १२१, १); नृन् + पाहि = नृः पाहि (ऋ० ८, ८४, ३); स्वर्तवान् + प्रायुः = स्वर्तवाँः प्रायुः (ऋ० ४, २, ६) । उपर्युक्त उदाहरणों से अन्यत्र ऋ० में पदान्तीय न् पदादि प् से पूर्व अविच्छिन्न रहता है^{१७}; यथा— रक्षा नृन्प्राह्यसुर् त्वमस्मान् (ऋ० १, १७४, १) । वा० प्रा० का मत है कि पदादि प्कार से पूर्व नृन् का पदान्तीय न् विसर्जनीय में परिणत हो जाता है और उपधा के स्वर का अनुनासिक हो जाता है^{१८}; यथा— नृः पाहि (वा० सं० १३, ५२) । पाणिनि के मतानुसार, पदादि प्कार से पूर्व नृन् का पदान्तीय न् और प्रायुः के प्कार से पूर्व स्वर्तवान् का न् 'रु' में परिणत हो जाता है^{१९}; फिर 'रु' का विसर्जनीय और उपधा के स्वर का अनुनासिक (और अनुनासिक न होने पर अनुस्वार का आगम) हो जाता है (दे० टि० ६३ ग) । पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार जो पदान्तीय न् व्युत्पत्ति के विचार से मूलतः नस् का प्रतिनिधित्व करता है, वह पदादि प् से पूर्व अनुस्वार-विसर्जनीय (m) में परिणत हो जाता है^{२०} । मै० सं० के कुछ उदाहरणों में नृन् का पदान्तीय न् पदादि प् से पूर्व प् में परिणत हो जाता है और उपधा का स्वर अनुनासिक बन जाता है; यथा— नृप्पाहि (मै० सं० २, १३, ११); नृप्प्रणेत्रम् (मै० सं० ४, १३, २); नृप्पतिभ्यः (मै० सं० ४, १३, २) ।

- (ञ) पदादि स् से पूर्व आने वाला पदान्तीय न् प्रायेण अविच्छिन्न रहता है । परन्तु कतिपय आचार्यों के मतानुसार, पदान्तीय न् और पदादि स् के

मध्य त् का आगम हो जाता है^{५३}; यथा—तान् + सम् = तान्त्सम् (ऋ० २, १, १५); अहन् + सहसा = अहन्त्सहसा (ऋ० १, ८०, १०); अहन् + समानैः = अहन्त्समानैः (ऋ० १, ६९, ८) । तकार के आगम का प्रयोग संहिताओं में बहुलता से मिलता है । कतिपय विद्वानों का मत है कि अहन् प्रभृति क्रियारूपों के न् के पदचात् आने वाला तकार वस्तुतः क्रिया-पद अहन्त् का अवयव होने के कारण आता था, परन्तु कालान्तर में अनुकृति के कारण अन्य रूपों के पदचात् भी पदादि स से पूर्व तकार का आगम किया जाने लगा ।

७. पदान्तीय म्

५३. (क) स्वरों से पूर्व आने वाला पदान्तीय म् अविकृत रहता है; यथा—
 अग्निम् + ईंळे = अग्निमींळे (ऋ० १, १, १) । परन्तु पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार, कतिपय वैदिक उदाहरणों में स्वर से पूर्व पदान्तीय म् का लोप हो कर परवर्ती स्वर और म् की उपधा के स्वर में सन्धि हो गई है^{५४}; यथा—
 दुर्गहैतत् (ऋ० ४, १८, २) = दुर्गहैम् + एतत् ; संवननो-
 भयंकरम् (ऋ० ८, १, २) = संवननम् + उभयंकरम् ; वाज्रोत् (ऋ० ६, ४८, ४) = वाज्रम् + उत ; सर्वनेदम् (तै० सं० १, ४, ४४, २) = सर्वनम् + इदम् (वा० सं० ८, १८ में 'इदं सर्वनम्' प्रयोग मिलता है) । यह स्वीकार करते हुए भी कि पदपाठ के अनुसार इनमें पदान्तीय म् नहीं है अपितु पदान्तीय आ है, पाश्चात्य विद्वान् इनमें पदान्तीय म् मानते हैं । और वे कहते हैं कि छन्दःपरिमाण से ही इस सन्धि का ज्ञान होता है, इस लिये लिखित संहिता में इस सन्धि का अभाव होने पर भी छन्दःपरिमाण से कहीं-कहीं इस सन्धि के अनुसार उच्चारण करना चाहिए; यथा—
 "राष्ट्रमिह" (अ० १३, १, ५) का उच्चारण "राष्ट्रह" करना चाहिए । अथर्वप्रातिशाख्य के अनुसार, अ० के कतिपय प्रयोगों में -भाक्म् के म् का लोप हो जाता है और फिर स्वरसन्धि हो जाती है^{५५}; यथा—
 अस्माकम् + भर्थाय = अस्माकार्थाय (अ० १, ७, ६); अस्माकम् + इदम् =
 अस्माकेदम् (अ० ३, २४, ४); अस्माकम् + उती = अस्माकोती (अ० ७, ७७, १) । दे० अनु० १६४ ।

(ख) ऋ० प्रा० तथा वा० प्रा० के अनुसार, पदादि र् श ष् स ह् से पूर्व पदान्तीय म् का अनुस्वार वन जाता है^{५५}; यथा— होतारम् + रत्नधातमम् = होतारं रत्नधातमम् (ऋ० १, १, १); वर्धमानम् + स्वे = वर्धमानं स्वे (ऋ० १, १, ८); मित्रम् + हुवे = मित्रं हुवे (ऋ० १, २, ७)। तै० प्रा० का मत है कि र् श ष् स ह् से पूर्व म् का लोप हो जाता है और उपधा के स्वर का अनुनासिक वन जाता है^{५६}; यथा— प्रत्युष्टम् + रक्षः = प्रत्युष्टं रक्षः (तै० सं० १, १, २, १); सम् + शितम् = सँ शितम् (तै० सं० ५, १, १०, २) तम् + षट् = तं षट् (तै० सं० ५, ५, २, ६); त्वम् + ह् = त्वं ह् (तै० सं० २, ६, ११, १)। तै० प्रा० ने अन्य आचार्यों के मत का भी उल्लेख किया है जिसके अनुसार म् का लोप होने पर उपधा का स्वर अनुनासिक नहीं वनता है और उसके पश्चात् अनुस्वार का आगम होता है (दे० टि० ७६)। परन्तु सुद्रित तै० सं० में पहले मत का अनुसरण करते हुए उपधा के स्वर का अनुनासिक रूप दिखलाया गया है।

अ० प्रा० तथा कतिपय अन्य आचार्यों के मतानुसार, र् श ष् स ह् के अतिरिक्त य् व् ल् से पूर्व भी पदान्तीय मकार का लोप हो कर उपधा के स्वर का अनुनासिक वन जाता है^{५७}। पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि अनुस्वार का प्रयोग मूलतः श् स ष् ह् से पूर्व ही होता था और र् से पूर्व म् अविद्युत रहता था, जैसा कि सुम्राब् शब्द में प्रयुक्त म् से स्पष्ट है^{५८}। अनुस्वार का प्रयोग-क्षेत्र निरन्तर बढ़ता चला गया और कालान्तर में सभी व्यञ्जनों से पूर्व और अनुनासिक स्पर्शों के स्थान पर भी अनुस्वार का प्रयोग किया जाने लगा। सभी व्यञ्जनों से पूर्व पदान्तीय म् को अनुस्वार का आदेश करके पाणिनि ने भी अनुस्वार के बढ़ते हुए प्रयोग को प्रोत्साहन प्रदान किया^{५९}।

विशेष— संहिताओं के कतिपय उदाहरणों में पदादि व्यञ्जन से पूर्व ईम् के पदान्तीय म् का लोप हो जाता है^{६०}; यथा— सम् + ईम् + गावः = समी गावः (ऋ० ६, ७२, ६); ईम् + मन्द्रासुं = ईमन्द्रासुं (तै० सं० ४, १, ८, २)।

(ग) अधिकतर प्रातिशाख्यों के अनुसार, पदादि य् व् ल् से पूर्व आने वाला पदान्तीय म् क्रमशः यँ वँ लँ में परिणत हो जाना चाहिए^१; यथा—
 यम्ऽयम् + युजम् = ययँययँ युजम् (ऋ० २, २५, १); तम् + वृः = तव्वँवः
 (ऋ० ६, ४८, १४); भद्रा + एषाम् + लक्ष्मीः = भद्रैपालँलक्ष्मीः (ऋ० १०, ७१, २) । अ० प्रा० के अनुसार य् व् से पूर्व आने वाले पदान्तीय म् का लोप हो कर उपधा के स्वर का अनुनासिक हो जाता है (दे० टि० ७७) । इसी प्रातिशाख्य के मतानुसार, ल् से पूर्व आने वाले पदान्तीय म् का लँ बन जाता है (दे० टि० ६०) । तै० प्रा० में उद्धृत कतिपय आचार्यों के मत के अनुसार पदादि य् व् से पूर्व आने वाला पदान्तीय म् क्रमशः यँ वँ में परिणत नहीं होता है^२; और इनसे पूर्व म् का लोप हो कर उपधा का स्वर उसी प्रकार अनुनासिक (या अनुनासिक न बनने पर अनुस्वार का आगम) होता है, जैसे कि पदादि इ से पूर्व (दे० टि० ७६) । यद्यपि प्रातिशाख्यों के भाष्यों में दिये गये उदाहरणों में और कतिपय पाण्डुलिपियों तथा मुद्रित ग्रन्थों में य् व् ल् से पूर्व आने वाले म् के स्थान पर क्रमशः यँ वँ लँ लिखा जाता है, तथापि अधिकतर ग्रन्थों में इनसे पूर्व आने वाले पदान्तीय म् के स्थान पर प्रायेण अनुस्वार लिखा जाता है और कहीं-कहीं उपधा के स्वर का अनुनासिक लिखा जाता है ।

(घ) पाणिनि के मतानुसार, जिस पदादि ह् से परे म् हो उस से पूर्व पदान्तीय म् का म् ही रहता है और जिस ह् से परे न् हो उस से पूर्व पदान्तीय न् का न् बन जाता है; और इस सम्बन्ध में एक वार्तिक भी है— “जिस पदादि ह् से परे य् व् ल् हो उस से पूर्व आने वाला पदान्तीय म् विकल्प से क्रमशः यँ वँ लँ में परिणत हो जाता है”^३ । काशिका तथा सि० औ० में इस सन्धि के निम्नलिखित उदाहरण दिये गये हैं— किम् झलयति; किन् हुते; किँ छः; किँ झलयति; किँ ह्लादयति । परन्तु प्रातिशाख्यों में इस सन्धि-नियम का कोई उल्लेख नहीं है और वैदिकसंहिताओं तथा ब्राह्मणग्रन्थों में मुझे इस सन्धि का कोई उदाहरण नहीं मिला है । वैदिक वाग्मय में प्रातिशाख्यों के नियमानुसार होने वाली सन्धि के उदाहरण मिलते हैं ।

(ख) स्पर्श से पूर्व आने वाला पदान्तीय म् उस स्पर्श के वर्ग का पञ्चम वर्ण बन जाता है^{८५}; यथा—**भद्रम् + करिष्यसि = भद्रक्करिष्यसि** (ऋ० १, १, ६); **अहम् + च् = अहञ्च** (ऋ० ८, ६२, ११); **भद्रम् + न् = भद्रन्नः** (ऋ० १०, २०, १)। परन्तु अधिकतर पाण्डुलिपियों तथा मुद्रित संहिताओं में इस सन्धि-नियम का पालन नहीं किया गया है और अनुनासिक स्पर्श के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग मिलता है; यथा—**भद्रं करिष्यसि**। अनुनासिक स्पर्श के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने की प्रवृत्ति को पाणिनि से भी प्रोत्साहन मिला है (दे० टि० ७६)।

८. पदादि स्

५४. (क) जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं (दे० अनु० ५१ ख), पदान्तीय ङ् से परे पदादि स् आने पर इन के मध्य क् का आगम होता है। यदि पदादि स् से पूर्व पदान्तीय ट् न् आए, तो ट् न् के पश्चात् त् का आगम होता है^{८६}; यथा—**वषट् + स्वाहा = वषट्स्वाहा** (तै० सं० ७, ३, १२); **अप्राट् + सः = अप्राट्सः** (ऋ० १०, ३२, ७)। उवट ने ऋ० प्रा० के भाष्य में उद्धृत इसी उदाहरण में 'सः' से पूर्व त् का आगम दिखलाया है, परन्तु मैंने ऋ० के जितने मुद्रित संस्करण देखे हैं उन में से किसी में भी त् का आगम नहीं दिखलाया गया है।

(ख) ऋ० में 'चित्' के पदान्तीय त् से परे आने वाले 'स्कम्भनेन' के पदादि स् का लोप हो जाता है^{८७}; यथा—**चित् + स्कम्भनेन = चित्कम्भनेन** (ऋ० १०, १११, ५)।

(ग) प्रातिशाख्यों के अनुसार उद् उपसर्ग से परे आने वाले स्था तथा स्तम्भ धातुओं के आदि स् का लोप हो जाता है^{८८}; यथा—**मा + घोषाः + उत् + स्थुः = मा घोषा उत्स्थुः** (अ० ७, ५२, २); **उत् + स्तमान् = उत्तमान** (वा० सं० १७, ७२); **उत् + स्थिताय = उत्थिताय** (तै० सं० ७, १, १९, ३); **उत् + स्थितम् = उत्थितम्** (ऋ० १०, १४९, २)। परन्तु ऋ० के पदपाठ में उद् उपसर्ग तथा स्थितम् के बीच अवग्रह नहीं दिखलाया गया है और केवल 'उत्थितम्' रूप दिखलाया गया है। इसी

प्रकार 'उत्तमिता' (= उत् + स्तभि॒ता ऋ० १०, ८५, १) में भी उपसर्ग तथा धातु के मध्य अवग्रह नहीं दिखलाया गया है और पदपाठ में संहितारूप ज्यों का त्यों दिखलाया गया है । ऋ० प्रा० में भी इस सन्धि का विधान नहीं है । प्रातिशाख्यों के सिद्धान्त से भिन्न सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए, पाणिनि स्था तथा स्तम्भ् धातुओं के आदि स् का लोप न करके इसे उद् उपसर्ग के द् का सवर्ण अर्थात् थ् बनाता है और पुनः इस थ् का वैकल्पिक लोप करता है^{८८} । परन्तु संहिताओं में इस प्रकार के आदि सकार का सर्वत्र लोप मिलता है । वार्तिककार के मतानुसार, छान्दस प्रयोग तथा रोगवाचक शब्द में उद् उपसर्ग से परे आने वाले स्कन्द् धातु के आदि स् का पूर्वसवर्ण आदेश अर्थात् थ् हो जाता है^{८९} । काशिकावृत्ति ने इन दोनों प्रयोगों के निम्नलिखित उदाहरण दिये हैं— भग्ने दूरमुत्कन्द; उत्कन्दको नाम रोगः । परन्तु महाभाष्य में "भघ्न्ये दूरमुत्कन्द" पाठ मिलता है । वैदिक वाङ्मय में 'उत्कन्द' का कोई प्रयोग नहीं मिला है । वार्तिक द्वारा विहित "छन्दस्युपसंख्यानम्" नियम का आधार मृग्य है ।

९. पदान्तीय विसर्जनीय

५५. हम पहले (भजु० ३४) बतला चुके हैं कि प्रातिशाख्यों के अनुसार, इ तथा स् पदान्त में नहीं मिलते हैं और ऊष्म तथा अन्तरथा वर्णों में से केवल विसर्जनीय पदान्त में आता है (दे० टि० ७) । कुछ विशेष परिस्थितियों में पदान्तीय विसर्जनीय इ स् प्रभृति वर्णों में बदल जाता है । पदपाठ में प्रातिशाख्यों के इसी पदान्तीय नियम का पालन किया गया है । अत एव हम पहले प्रातिशाख्यों के मतानुसार पदान्तीय विसर्जनीय की सन्धि का वर्णन करेंगे और उसके पश्चात् यथास्थान पाणिनि तथा पाश्चात्य विद्वानों के मतों का परिचय देंगे ।

अधोप व्यञ्जनों से पूर्व पदान्तीय विसर्जनीय

(क) क् ख् से पूर्व आने वाला पदान्तीय विसर्जनीय जिह्वामूलीय में और प् फ् से पूर्व आने वाला उपध्मानीय में परिणत हो जाता है या विपर्यय से अधिकृत रहता है^{९०}; यथा—विष्णोः+कर्माणि= विष्णोः+कर्माणि

वैदिक व्याकरण

अथवा विष्णोःकर्माणि (ऋ० १,२२, १९); इन्द्रः+पञ्च=इन्द्रपञ्च
अथवा इन्द्रः पञ्च (ऋ० १,७,९) । मुद्रित संहिताओं में जिहामूलीय
तथा उपध्मानीय का प्रयोग लुप्तप्राय है और क् ख् प् फ् से पूर्व विसर्जनीय
ही मिलता है^{११} ।

विशेष— पदपाठ तथा ऋ० प्रा० (४,४०) के अनुसार, वैदिक प्रयोग “अदो
पितो” (ऋ० १,१८७,७ = पपा०—अदः+पितो इति), में प् से पूर्व
विसर्जनीय का धो माना जाता है । परन्तु अनेक पाश्चात्य विद्वानों के मता-
नुसार, अदो में अद+उ की सन्धि है और इसमें अदस् रूप नहीं है^{१२}क ।

(ख) जिस पदादि क् च् प् के तुरन्त पश्चात् श् ष् स् आए, उससे पूर्व आने
वाला पदान्तीय विसर्जनीय अविकृत रहता है^{१३}; यथा—घृनाघ्नः क्षोर्भणः
(तै० सं० ४,६,४,१); श्रुतकृतुः त्सरत् (ऋ० ८,१,११); दृग्निः
प्सायात् (श० ब्रा० ३,५,४,२४) । पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार,
वैदिक प्रयोग “अध क्षरन्तीः” (ऋ० ७,३४,२) में क्ष से पूर्व विसर्जनीय
का लोप हुआ है^{१४}क, क्योंकि पं० ब्रा० (१,२,९,६,६,१७) में इसी मन्त्र
का पाठ “अधः क्षरन्तीः” मिलता है । परन्तु इस मन्त्र के पदपाठ में
केवल “अध” पद माना गया है ।

(ग) संहिताओं में कतिपय विशिष्ट शब्दों के आदि में आने वाले क् प् से पूर्व
कुछ शब्दों का पदान्तीय विसर्जनीय स में परिणत हो जाता है; और यदि
ऐसे स से पूर्व क्ष वा से भिन्न स्वर (इ ई उ ऊ इत्यादि) हो, तो स का
प् बन जाता है । प्रातिचाख्यों में ऐसे शब्दों की परिगणना की गई है^{१५} ।
ऋ० प्रा० (४,४१) में इस सन्धि के लिये उपाचरित संज्ञा का प्रयोग
किया गया है । उपाचरित-सन्धि के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित
हैं— दिवः+परि=दिवस्परि (ऋ० १,१२१,१०); पत्नीवतः+कृधि=
पत्नीवतस्कृधि (ऋ० १,१४,७); मातुः+पदे=मातुपदे (ऋ० ४,५,१०);
दौः+पिता=दौष्पिता (ऋ० ४,१,१०; अ० ३,९,१); मनुः+पिता=
मनुष्पिता (ऋ० १,८०,१६) । प्रायेण सभी संहिताओं के समासों में
उपाचरित-सन्धि नियमपूर्वक होती है^{१६}; यथा— पुरः+पा=पुरपा;
आयुः+पा=आयुपा; दुः+कृत्=दुकृत्; नमः+कारिण=नमस्कारिण ।
परन्तु कतिपय समासों में, जिनका पूर्वपद श्रेयः, सूचः, छन्दः, अन्तः

इत्यादि हो, क् प् से पूर्व आने वाला विसर्जनीय अविकृत रहता है (दे० टि० ९४); यथा— श्रेयःकेतः (अ० ५, २०, १०); सुद्युःश्रीः (अ० ११, ७, १०); छन्दःपक्षे (अ० ८, ९, १२); अन्तुःपात्रे (अ० ११, ९, २५); द्रुतःप्रदानम् (तै० सं० ३, २, ९, ७); बृहिःपरिधि (तै० सं० २, ६, ६, २); बृहिःप्राणः (तै० सं० ६, १, १, ४); पुरःप्रस्रवणा (ऋ० ८, १००, ९) ।

विशेष— पूर्पति, स्वर्पति, अहर्पति तथा वाक्कार्य समासों में प् क् से पूर्व रिफित विसर्जनीय का द्र वनता है^{१६}क। रिफित विसर्जनीय के लिये देखिये अनु० ५६ । परन्तु सा० में स्वःपतिः रूप भी मिलता है ।

(व) च् छ् और त् से पूर्व आने वाला पदान्तीय विसर्जनीय क्रमशः श् और स में परिणत हो जाता है^{१७}; यथा— देवाः+ च्कूम = देवाश्चकूम (ऋ० १०, २७, १२)^{१६}क; अस्त्रीवर्यः+छन्दः = अस्त्रीवर्यश्छन्दः (वा० सं० १४, १८); यः+त्ते = यत्ते (ऋ० १, ४, ४); देवाः+तम् = देवास्तम् (ऋ० ६, ७५, १९) ।

विशेष— ऋ० प्रा० के अनुसार, वैदिक प्रयोग “सो चित्” (ऋ० १, १९१, १०, इत्यादि) में च् से पूर्व विसर्जनीय का ओ वन गया है^{१८}; परन्तु पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार, इस सन्धि में निम्नलिखित पद हैं^{१६}क— स+उ+चित् = सो चित् । ऋ० प्रा० ४, ४० के अनुसार, वैदिक प्रयोग “आवर्तमः” (ऋ० १, ९२, ४ = पपा०—आवः+तमः) में त् से पूर्व विसर्जनीय का द्र वन गया है । आवः में रिफित विसर्जनीय है (दे० टि० १०७) । परन्तु पाश्चात्य विद्वानों का मत यह है कि— आवर्तमः = आवर्त् (√वृ का लु० प्र० पु० ए०) +तमः^{१९} । यद्यपि च् से पूर्व रिफित विसर्जनीय का साधारणतया श् वन जाता है यथा— पृथ्वी (ऋ० १, १८९, २), तथापि स्वर्चक्षाः और स्वर्चनाः में इस का द्र वनता है^{१६}क । पदान्तीय विसर्जनीय के साथ पटादि थ् द् द् की सन्धि संहिताओं में नहीं मिलती है ।

(६) थ् आ से भिन्न स्वर के पश्चात् आने वाले पदान्तीय विसर्जनीय से बना

हुआ स् कतिपय तकारादि शब्दों से पूर्व ष् में परिणत हो जाता है और उस के परिणामस्वरूप परवर्ती त् का ट् बन जाता है। स् के मूर्धन्यत्व के सम्वन्ध में विस्तृत विवेचन आगे (अनु० ६१-६५) देखिये। यहां पर केवल इतना कहना पर्याप्त होगा कि समासों में और सर्वनामों से बने तकारादि रूपों से पूर्व स् का मूर्धन्यत्व सभी संहिताओं में नियमपूर्वक होता है और ऋ० में इन से भिन्न अवस्थाओं में भी होता है^{१७४}; यथा—
दुस् (दुः) + तरः = दुष्टरः (ऋ० ३, २४, १)^{१७५}; बृहस्पतिस् (बृहस्पतिः) + त्वा = बृहस्पतिष्ट्वा (वा० सं० ४, २१)।

(घ) श ष् स् से पूर्व आने वाला पदान्तीय विसर्जनीय परवर्ती ध्वनि (अर्थात् श् ष् स्) में परिणत हो जाता है या विकल्प से विसर्जनीय ही रहता है^{१७६}; यथा—वृः + शिवत्तमः = वृश्शिवत्तमः अथवा वृः शिवत्तमः (ऋ० १०, ९, २); देवीः + पृट् = देवीष्पट् अथवा देवीः पृट् (ऋ० १०, १२८, ५); नः + सपत्नाः = नस्सपत्नाः अथवा नः सपत्नाः (ऋ० १०, १२८, ९); पुनः + सम् = पुनस्सम् अथवा पुनः सम् (ऋ० २, ३८, ४)। संहिताओं की पाण्डुलिपियों और मुद्रित ग्रन्थों में श ष् स् से पूर्व प्रायेण विसर्जनीय ही मिलता है।

विशेष—(१) कतिपय समासों में पूर्वपद का रिफित्त विसर्जनीय (दे० अनु० ५६) उत्तरपद के स् से पूर्व र् बन जाता है और उत्तरपद के स् का मूर्धन्य हो जाता है^{१७७}; यथा—धूर्षदम् (ऋ० १०, १३२, ७; पपा०—धूःऽसदम्); स्वर्षाम् (ऋ० १, ९१, २१; पपा०—स्वःऽसाम्); धूर्षाहौ (= धूः + साहौ; तै० सं० १, २, ८, २; वा० सं० ४, ३३); वृनुर्षदम् (ऋ० १०, १३२, ७; पपा०—वृनुःऽसदम्)^{१७८}; आशीर्षदया (तै० सं० ६, २, ९, ४)^{१७९}।

(२) वैदिक प्रयोग “प्रीतो षिञ्जता” (ऋ० ९, १०७, १; पपा०—परि । इतः । सिञ्जत्) में ऋ० प्रा० (५, १७) के अनुसार विसर्जनीय का भो बनता है^{१८०}।

(३) यदि पदादि श ष् स् के तुरन्त पदचात् अघोप स्पर्श आए, तो इस प्रकार के श ष् स् से पूर्व आने वाले पदान्तीय विसर्जनीय का लोप हो जाता

है^{१००}; यथा— मन्दिभिः+ स्तोमैभिः = मन्दिभि स्तोमैभिः (ऋ० १, ९, ३); समुद्रः+ स्थः= समुद्र स्थः (ऋ० ६, ६९, ६); वः+ स्पद्= व स्पद् (ऋ० ५, ५९, १); निः (निस्) + ष्ठितः (स्थितः) = निष्ठितः (ऋ० १, १८२, ७); दुः (दुस्) + ष्टुतिः (स्तुतिः) = दुष्टुतिः (ऋ० १, ५३, १) ।

ऋ० प्रा०, वा० प्रा० तथा ते० प्रा० इस लोप का विधान करते हैं (दे० टि० १००) और ऋ० प्रा० (४, ३७) में इसे अन्वकारवक्त्र सन्धि कहते हैं । अ० प्रा० तथा पाणिनि इस सन्धि के सम्बन्ध में मौन है और कात्यायन ने विसर्जनीय-लोप का वैकल्पिक विधान किया है^{१०१} । संहिताओं की अधिकतर पाण्डुलिपियों और मुद्रितग्रन्थों में इस नियम का पालन नहीं किया गया है और विसर्जनीय का लोप नहीं दिखलाया गया है । आउप्रेष्ट ने अपने ऋ० के संस्करण में इस नियम का पालन किया है ।

- (ज) कतिपय पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि जिस श् प् स के तुरन्त पश्चात् अन्तस्था अथवा अनुनासिक ध्वनि आए, उस श् प् स से पूर्व आने वाले पदान्तीय विसर्जनीय का वैकल्पिक लोप होता है^{१०२} । इसके लिये निम्नलिखित उदाहरण दिये जाते हैं— कृत (कृतः) श्रवः (ऋ० ६, ५८, ३); नि (निः) स्वरम् (ऋ० ७, १, ७) । यद्यपि पदपाठ के अनुसार इन दोनों उदाहरणों में श् स से पूर्व विसर्जनीय नहीं है, तथापि सायण-भाष्य (वैदिक संशोधनमण्डल संस्करण) के पाठ “कृतः वशीकृतोऽसि” में विसर्जनीय दिखलाया गया है । मै० सं० ४, १४, १६ तथा ते० प्रा० २, ५, ५, ५ में जो “कृतः श्रवः” पाठ मिलता है उसके आधार पर पाश्चात्य विद्वानों ने यह मत निश्चित किया है । इस सम्बन्ध में डैब्रूनेर (*All. Gr. I, Nachträge, p. 194*) का मत है कि ऋ० का “कृत” सम्बोधन का रूप है और मै० सं० तथा ते० प्रा० का “कृतः” प्रथमा विभक्ति के एकवचन का रूप है ।

- (क्ष) कुछ समासों में उत्तरपद के श् प् स से पूर्व पूर्वपद के विसर्जनीय का लोप हो जाता है, और कतिपय समासों में विसर्जनीय का लोप होने पर उसकी उपधा के थ का दीर्घ हो जाता है^{१०३}; यथा— ग्रहोपदः (ना०

१०, १५, ३; परन्तु पपा०— वृहिऽसदः); द्यौऽसंशितः (अ० १०, ५, २७; पपा०— द्यौऽसंशितः)। पाश्चात्य विद्वान् इन उदाहरणों में विसर्जनीय का लोप मानते हैं और यह मत समुचित प्रतीत होता है। यद्यपि वा० सं० ५, ८ में अयःश्या, रजःश्या और हरिश्या रूप मिलते हैं, तथापि तै० सं १, २, ११, २ और मै० सं० १, २, ७ में अयाश्या, रजाश्या हराश्या रूप मिलते हैं।

स्वरों तथा घोष व्यञ्जनों से पूर्व पदान्तीय विसर्जनीय

५६. रिफित विसर्जनीय— स्वरों तथा घोष व्यञ्जनों से पूर्व आने वाले पदान्तीय विसर्जनीय की सन्धि का वर्णन करने से पूर्व यह बतलाना आवश्यक है कि प्रातिशाख्यों ने विसर्जनीय के दो मुख्य भेद किये हैं— (१) रेफी या रिफित विसर्जनीय, और (२) अरेफी या अरिफित विसर्जनीय। स्वरों या घोष व्यञ्जनों से पूर्व रेफ में परिणत होने वाले विसर्जनीय को रेफी या रिफित कहते हैं। रिफित विसर्जनीय मूलतः रेफ का प्रतिनिधि है और प्रातिशाख्यों के पदान्तीय नियम के अनुसार (दे० अनु० ३४) वह विसर्जनीय में परिणत हो जाता है। प्रातिशाख्यों ने ऐसे शब्दों की परिगणना की है जिनके अन्त में रिफित विसर्जनीय आता है (दे० टि० १०७)। अ तथा आ से भिन्न स्वर के तुरन्त पश्चात् आने वाले विसर्जनीय को भी रेफी या रिफित विसर्जनीय कहते हैं (दे० टि० १०९)। जो विसर्जनीय कभी रेफ में परिणत नहीं होता है, उसे अरेफी या अरिफित विसर्जनीय कहते हैं।

सन्धि-वर्णन की विभिन्न पद्धतियाँ—प्रातिशाख्यों का अनुकरण करते हुए मैक्डानल आदि पाश्चात्य विद्वानों ने स्वरों तथा घोष व्यञ्जनों से पूर्व आने वाले पदान्तीय विसर्जनीय का रेफ में परिवर्तन, लोप या ओकार दिखलाया है। इस सन्धि के वर्णन में पाणिनि ने एक भिन्न और मौलिक पद्धति को अपनाया है। पाणिनि ने पद के अन्त में आने वाले स् का र् (पारिभाषिक र्) में परिवर्तन करके (८, २, ६६), अधोप व्यञ्जनों (खर्) से पूर्व तथा अवसान में रेफ का विसर्जनीय बना दिया (८, ३, १५), और घोष व्यञ्जनों तथा स्वरों से पूर्व उसे रेफ ही

द्वितीयोऽध्यायः

रहने दिया है। अत एव पाणिनीय व्याकरण के अनुसार, स्वरों तथा घोष व्यञ्जनों से पूर्व न तो पदान्तीय विसर्जनीय है और न विसर्जनीय-सन्धि। पाणिनि के मतानुसार, यह मुख्यतया पदान्तीय रेफ की सन्धि है। इसी लिये भट्टोजिदीक्षित प्रभृति वैयाकरणों ने इस सन्धि के लिये पृथक् प्रकरण बना कर उसे “स्वादि-सन्धि प्रकरणम्” की संज्ञा दी है। वास्तव में पाणिनि की रेफ-सन्धि प्रातिशाख्यों के रिफित विसर्जनीय की सन्धि ही है जिसे ऋ० प्रा० (४, २७) में “रेफ-सन्धयः” कहा गया है।

५७. (क) यदि झ के तुरन्त पश्चात् आने वाले अरिफित विसर्जनीय से परे झ आए, तो प्रातिशाख्यों के अनुसार उपधा के अकार (अर्थात् विसर्जनीय से पूर्व के अकार) और विसर्जनीय दोनों के स्थान पर झो बन जाता है^{१०३}; यथा— यः + अस्मै = यो अस्मै (ऋ० ८, ३१, २)। झो के पश्चात् आने वाले झ के पूर्वरूप के लिये अनु० ४४ देखिये।

(ख) इसी प्रकार जब झ के तुरन्त पश्चात् आने वाले अरिफित विसर्जनीय से परे कोई घोष व्यञ्जन आए, तब उपधा के अकार तथा विसर्जनीय दोनों के स्थान पर झो बन जाता है^{१०४}; यथा— देवः + देवोभिः = देवो देवोभिः (ऋ० १, १, ५)।

विशेष— (१) ऋचैदिक प्रयोग “प्रचेत्ता राजन्” (१, २४, १४ = प्रचेत्तः + राजन्) में रू से पूर्व आने वाले पदान्तीय विसर्जनीय और उपधा के झ दोनों के स्थान पर झो बन गया है^{१०५}; परन्तु का० सं ४०, ११ और तै० सं १, ५, ११, ३ में “प्रचेतो राजन्” प्रयोग मिलता है। मै० सं० ४, १०, ४; ४, १४, १७ में “प्रचेत्ता राजन्” प्रयोग ही मिलता है।

(२) ऋचैदिक प्रयोग “सूरे दुहिता” (१, ३४, ५; पपा०— सूरे । दुहिता) के सम्बन्ध में कतिपय पाश्चात्य विद्वानों का यह मत है कि यहाँ पर विसर्जनीय और उपधा के झ दोनों के स्थान पर ए बन गया है^{१०६}। परन्तु ऋ० ७, ६९, ४ में “सूरे दुहिता” प्रयोग भी मिलता है। इस लिये कतिपय विद्वान् “सूरे” को सप्तमी और कुछ चतुर्थी ए० का रूप मानते हैं^{१०७}।

(ग) यदि झ के तुरन्त पश्चात् आने वाले अरिफित विसर्जनीय से परे झ से

भिन्न कोई भी स्वर आए, विसर्जनीय का यकार वनता है और य् का लोप हो जाता है^{१०५}; यथा— यः + इन्द्र = य इन्द्र (ऋ० ८, १२, १); इन्द्रः + एकम् = इन्द्र एकम् (वा० सं० १७, १२) ।

विशेष—(१) यदि पदान्तीय विसर्जनीय की उपधा के अ पर अनुदात्त (या अनुदात्त से बना स्वरित) हो और उस विसर्जनीय से परे अ से भिन्न सोदात्त स्वर (अच्) आए, तो मै० सं० में उपधा के ऐसे अ का दीर्घ बन जाता है और उपर्युक्त नियम के अनुसार विसर्जनीय का लोप हो जाता है; यथा— देवेभ्यः + इन्द्राय = देवेभ्या इन्द्राय (मै० सं० १, १, १) ।

(२) वैदिक प्रयोग “महो अदित्यान्” (ऋ १०, ६३, ५) में आ से पूर्व विसर्जनीय और उपधा के अ के स्थान पर ओ बन जाता है, और “पीवोपवसनानाम्” (= पीवः + उपवसनानाम् वा० सं० २१, ४३) में विसर्जनीय का लोप हो कर पुनः गुणसन्धि हो जाती है^{१०५क} ।

(घ) यदि आ के तुरन्त पश्चात् आने वाले अरिफित विसर्जनीय से परे कोई भी स्वर आए, तो उपर्युक्त नियम [५७ ग] के समान विसर्जनीय का य् बन कर लोप हो जाता है (दे० टि० १०५); यथा— सुताः + इमे = सुता इमे (ऋ० १, ३, ४) । परन्तु जब इस प्रकार के विसर्जनीय से परे कोई घोष व्यञ्जन आए, तब अधिकतर प्रातिशाख्यों के अनुसार विसर्जनीय का स्वीधा लोप हो जाता है^{१०६}; यथा— विश्वाः + वि = विश्वा वि (ऋ० १, ३, १२) ।

५८. (क) अ अथवा आ के पश्चात् आने वाले रिफित विसर्जनीय को ओकारत्व, यकारत्व तथा लोप आदि उपर्युक्त विकार नहीं होते हैं । और उस से परे जब कोई स्वर या घोष व्यञ्जन आता है, तब वह अपने मूल-रूप रेफ में परिणत हो जाता है^{१०७}; यथा— प्रातद् अग्निः (ऋ० ५, १८, १); पुनर् नः (ऋ० १०, ५७, ५); स्वर् दुहः (ऋ० २, ३५, ६); वाइ-ध्वायुती (ऋ० ८, ११, १) । प्रातिशाख्यों के अनुसार, इन सब उदाहरणों में पदान्तीय वर्ण रिफित विसर्जनीय है जिस का संहिता में इ बन गया है, परन्तु पाणिनि ऐसे सब रूपों में इ ही मानता है जो स्वर तथा घोष व्यञ्जन से पूर्व अविकृत रहता है (दे० अनु० ५६) ।

(ख) कुछ ऐसे वैदिक प्रयोग भी मिलते हैं जिनमें रिफित विसर्जनीय का लोप अथवा भोकार हो जाता है^{१०८}; यथा— अक्ष्वाः + इन्दुः = अक्ष्वा इन्दुः (ऋ० ६, ९८, ३; पपा०— अक्ष्वारिति); बहः + एव = बह एवा (ऋ० ६, ४८, १७; पपा०— बहुरिति); ऊर्ध्वः + रोमशम् = ऊर्ध्वो रोमशम् (ऋ० ८, ३१, ९); स्वः + रुहाणाः = स्वो रुहाणाः (वा० सं० ११, २२) ।

५९. (क) यदि अ तथा आ से भिन्न स्वर के तुरन्त पश्चात् आने वाले पदान्तीय विसर्जनीय (जो सदा रिफित होता है) से परे स्वर या घोप व्यञ्जन आए, तो विसर्जनीय का रू बन जाता है^{१०९}; यथा— ऋषिभिः + इन्द्र्यः = ऋषिभिरीन्द्र्यः (ऋ० १, १, २); अग्निः + होता = अग्निहोता (ऋ० १, १, ५) ।

विशेष—(१) कतिपय वैदिक प्रयोगों में पदादि स्वर से पूर्व पदान्तीय रिफित विसर्जनीय का लोप हो जाता है और फिर स्वर-सन्धि हो जाती है^{११०}; यथा—स्वधितीव (ऋ० ५, ७, ८; पपा०— स्वधितिःऽह्व); भूम्या ददे (ऋ० ९, ६१, १०; पपा०— भूमिः । आ । ददे) ।

(२) यदि समास के पूर्वपद में दुर हो, तो कतिपय उत्तरपदों के पदादि द् ध् न् से पूर्व उसका रिफित विसर्जनीय लुप्त हो कर उपधा के उ को दीर्घ बना देता है और उत्तरपद के पदादि दन्त्य को मूर्धन्त्य में परिणत कर देता है^{११०क}; यथा— दुर + दभः = दूरुदभः; दुर + धीः = दूरीः; दुर + नाशः = दूणाशः; दुर + दाश = दूबाश ।

(ख) यदि रिफित विसर्जनीय से परे रेफ आए, तो रिफित विसर्जनीय का लोप हो जाता है और उपधा के ह्रस्व स्वर का दीर्घ हो जाता है^{१११}; यथा— प्रातः + रत्नम् = प्राता रत्नम् (ऋ० १, १२५, १); पुनः + रूपाणि = पुना रूपाणि (अ० १, २४, ४); अग्निः + रक्षांसि = अग्नी रक्षांसि (ऋ० ७, १५, १०) ररुः + रौद्रः = ररु रौद्रः (वा० सं० २४, ३९; तं० सं० ५, ५, १९) ।

६०. यदि एतद्, तद् तथा त्यद् सर्वनामों के प्रथ० ए० पुं० रूपों— क्रमशः एतः, सः तथा त्यः—से परे कोई व्यञ्जन आए, तो इनके पदान्तीय

विसर्जनीय का लोप हो जाता है^{१२}; यथा— एषः + कृविः = एष कृविः (ऋ० ९, २७, १); सः + वाजी = स वाजी (ऋ० ४, ३६, ६); स्यः + वाजी = स्य वाजी (ऋ० ४, ४०, ४) । उपर्युक्त (अनु० ५७) साधारण नियम के अनुसार, अ से भिन्न स्वरों से पूर्व इन पदों के पदान्तीय विसर्जनीय का लोप हो जाता है और अ से पूर्व पदान्तीय विसर्जनीय तथा उपधा के अ के स्थान पर ओ बन जाता है; यथा— एषो अस्ति (ऋ० २, १२, ५); सो अपः (ऋ० १, १०३, ५) । ऋ० में स्वरों से पूर्व स्यः का कोई प्रयोग नहीं मिलता है । अवसान में अर्थात् अर्धर्च के अन्त में आने पर इन का विसर्जनीय साधारण नियम के अनुसार अविच्छ्रित रहेगा, क्योंकि उस से परे कोई ध्वनि नहीं है जो विकार करे; यथा— पृष्टि सः (ऋ० १, ७९, ११); चुक्र एषः (ऋ० ३, ४८, ४) । परन्तु मैक्डानल का यह मत पूर्णतया प्राह्य नहीं है कि पाद के अन्त में इन पदों का विसर्जनीय विद्यमान रहता है^{१३}; क्योंकि जिस प्रथम या तृतीय पाद पर अवसान नहीं आता है उस के अन्त में आने वाले एषः आदि का विसर्जनीय पदादि व्यञ्जन से पूर्व अविच्छ्रित नहीं रहता है और लुप्त हो जाता है; यथा— एष वाचम् (ऋ० १०, ७१, ५) । मैक्डानल ने जो उदाहरण दिये हैं उन के 'सः' तथा एषः 'अवसान में अर्थात् अर्धर्च के अन्त में आते हैं । परन्तु ऋ० प्रा० ४, ९६ द्वारा निर्दिष्ट "सः पलिङ्गीः" (ऋ० ५, २, ४) में तृतीय पाद के अन्त में आने वाले सः का विसर्जनीय व्यञ्जन से पूर्व भी अविच्छ्रित रहता है ।

विशेष—(१) यदि सः से पूर्व नञ्प्रमास का अ जुड़ा हो, तो व्यञ्जन परे होने पर इस के विसर्जनीय का लोप नहीं होता है^{१४} और विसर्जनीय-सम्बन्धी साधारण नियमों के अनुसार सन्धि-विकार होता है; यथा— असः + मयुभून् = असो मयुभून् (तै० सं० ४, २, ११, ३) ।

(२) कतिपय वैदिक उदाहरणों में व्यञ्जनों से पूर्व सः के विसर्जनीय का लोप नहीं होता है और कहीं कहीं इस के विसर्जनीय तथा उपधा के अकार के स्थान में ओ और ए भी बन जाता है, और कहीं विसर्जनीय का स भी

हो जाता है^{१५}; यथा— सः पलिक्नीः (ऋ० ५, २, ४); सो चित् (ऋ० १, १९१, १०) [दे० अनु० ५५ घ]; सा तु (ऋ० १, १४५, १; पपा०—सः । तु); न्हि षस्तर्ष (ऋ० ८, ३३, १६; पपा०— न्हि । सः । तर्ष); सस्पदीष्ट (ऋ० ३, ५३, २१; पपा०— सः । पदीष्ट) ।

- (३) कतिपय संज्ञा, सर्वनाम तथा अव्ययों के स्वर से पूर्व कहीं-कहीं संहिताओं में सः के विसर्जनीय का लोप हो जाता है और सः के अ तथा परवर्ती स्वर के बीच फिर सन्धि हो जाती है^{१६}; यथा— सः+ओर्षधीः =सौर्षधीः (ऋ० ८, ४३, ९); सः+इन्द्र = सेन्द्र (ऋ० २, १३, ११); सः+अस्मै = सास्मै (ऋ० २, १७, ६); सः+इत्+उ = सेदु (ऋ० १, ३२, १५); सः+इमाम् = सेमाम् (वा० सं० २९, ५४; तै० सं० ४, ६, ६, ६); सः+एना+अनीकेन = सैनाऽनीकेन (तै० सं० ४, ३, १३, २; ऋ० २, ९, ६) ।

अन्तःपदसन्धि तथा पदसन्धि में नति

(मूर्धन्यभाव cerebralization)

६१. नति (मूर्धन्यभाव)—सन्धि के विवेचन में यह तथ्य विशेषतया उल्लेखनीय है कि संस्कृतभाषा में मूर्धन्यभाव की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई है (दे० अनु० २६) । ऋग्वेद की तुलना में उत्तरकालीन वैदिक वाङ्मय में मूर्धन्यध्वनि वाले शब्दों का आधिक्य है । मूर्धन्यध्वनि वाले वैदिक शब्द दो श्रेणियों में विभक्त किये जा सकते हैं । प्रथम श्रेणी में ऐसे शब्द आते हैं जिन की मूर्धन्यध्वनि “प्राकृत” मानी जाती है । तै० प्रा० (१३, ८-१४) ने तै० सं० में मिलने वाले प्राणि-, वाण-, क्राण-इत्यादि शब्दों की परिगणना की है जिनकी मूर्धन्यध्वनि “प्राकृत” (मौलिक) मानी जाती है । पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार, ऐसे वैदिक शब्द किमी अनार्यभाषा से लिये गये हैं या द्रविडसदृश किमी अनार्यभाषा के प्रभाव से इनकी मौलिक दन्त्यध्वनि का मूर्धन्यभाव हुआ है^{१७} । उत्तरकालीन संस्कृत में ऐसे शब्दों की संख्या निरन्तर बढ़ती गई है, जबकि ऋग्वेद में ऐसे शब्द बहुत कम हैं । द्वितीय श्रेणी में ऐसे शब्दों का समावेश है जिनकी मौलिक दन्त्यध्वनि समीपवर्ती मूर्धन्य ध्वनि या अन्यध्वनि के प्रभाव से मूर्धन्य में परिणत हो गई है । इस मूर्धन्यभाव के लिये

नु के न् का; और प्र उपसर्ग के निमित्त से नृष्ट तथा पीन के न् का ण नहीं बनता है^{१३३}; यथा— प्र मिनाति (अ० १८, ४, ६०); परिहिनोमि (ऋ० ७, १०४, ६); प्रनेष्ट—; प्रपीनम् (वा० सं० १७, ८७) । यदि √हन् धातु के न् से पूर्ववर्ती अ का लोप हो जाए, तो न् का ण नहीं बनता है^{१३३क}; यथा— अभिप्रम्रन्ति (ऋ० ६, ४६, १०) ।

(ख) स का ष्— अर्नु, अभि, अपि, अति, प्रति, परि, वि, नि तथा सु उपसर्गों के पदान्तीय इ उ के निमित्त से सकारादि धातुओं के स का ष् बन जाता है और √अस् धातु के ऐसे सकारादि रूप जिन से परे स्वर या यकार आता है उन के पदादि स का ष् बन जाता है^{१३३}; यथा— नि + सिञ्च = नि पिञ्च (ऋ० ५, ८३, ८); परि + सस्वजे = परि पस्वजे (ऋ० ६, १२, ५); परि + सन्ति = परि षन्ति (ऋ० ९, ८९, ५) ।

उपसर्ग और धातु के बीच में अ (अट् आगम) का व्यवधान होने पर भी स्था, सह, सिच्, सद्, स्वञ्ज (या स्वञ्) इत्यादि धातुओं के स का ष् बन जाता है^{१३४}; यथा— अर्धि + अस्थाम् = अर्ध्याष्टाम् (अ० १२, १, ११); अभि + असिञ्चन् = अभ्यपिञ्चन् (वा० सं० १०, १; तै० सं० १, ८, ११); परि + अस्स्वजत् = पर्यपस्वजत् (ऋ० १, १८२, ७) ।

अपघाद— सप्, सज्, स्पृश्, स्पृह्, स्फूर्ज्, स्तृ, स्मृ धातुओं का स तथा अन्य धातु का ऐसा स जिस से परे रू आए वह उपसर्गस्थ निमित्त से ष् में परिणत नहीं होता है^{१३५}; यथा— परिसर्पति (अ० ५, २३, ३); धिसृष्टाः (ऋ० ८, १००, १२); परिस्रुतम् (ऋ० ९, १, ६) । अर्तु से परे सिध्, परि से परे स्तृ, और अर्धि तथा अभि से परे स्कन्द धातु के आदि स का ष् नहीं बनता है^{१३६}; यथा— अनुमेधिधत् (ऋ० १, २३, १५); परि स्तृणीहि (अ० ७, ९९, १); अर्धि स्कन्द (अ० ५, २५, ८) ।

६५. समास-सन्धि में नति—

उपसर्ग और धातु का यमाम होने पर नति के सम्यन्ध में ये राम

नियम लागू होते हैं जिन का वर्णन अनु० ६४ में किया जा चुका है। इन के अतिरिक्त भी समाससन्धि में नति होती है जिस का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है।

(क) उत्तरपद के त् द् का मूर्धन्यभाव—अनु० ५९ क के विशेष उदाहरणों में बतलाए गए समासों (दूळभः इत्यादि) के अतिरिक्त, निम्नलिखित समासों में उत्तरपद के त् द् का मूर्धन्यभाव होता है— दा॒रु + आ॒घातः = दा॒र्वाघाटः (वा० सं० २४, ३५; तै० सं० ५, ५, १५^{१३७}); पद् + दृश = षोडश; पुरः + दाशः = पुरोडाशः^{१३८}। पद्पाठ में षोडश और पुरोडाश के समास में अवग्रह नहीं दिखलाया गया है। ऋ० में पुरोळाश व्यञ्जनान्त प्रातिपदिक के रूप में मिलता है।

(ख) उत्तरपद के न् का ण्—पूर्व-पद के र तथा ष् और ऋकारान्त पूर्व-पद के ऋ के निमित्त से चान्, वाहन, मर्नस्, नी, घन, अयन, नवति, -हन्, अहन्, नामन् इत्यादि उत्तरपदों के न् का ण् बन जाता है^{१३९}; यथा—पितृ-चारणम् (ऋ० १०, २, ७); नू-मर्णाः (ऋ० ८, ९६, १३); रथ-वाहनम् (वा० सं० २९, ४५); ग्राम-णीः (तै० सं० २, ५, ४, ४); द्वु-घणः (अ० ७, २८, १); अपराहणः (अ० ९, ६, ४६); दुर्णामा (अ० ८, ६, १; ऋ० १०, १६२, १)।

अपवाद—अन्तःपदसन्धि में वंशित अपवाद (अनु० ६२ ख) के अनुसार, मूर्धन्यभाव के निमित्त वर्ण और न् के बीच कवर्ग, पवर्ग तथा य् र् व् इ से भिन्न व्यञ्जन का व्यवधान होने पर न् का ण् नहीं बनता है; यथा—ऋजु-नीती (ऋ० १, ९०, १)। ऋषि तथा इन्द्र पूर्व-पदों के निमित्त से उत्तरपद के न् का ण् नहीं बनता और भ्राजु इत्यादि कतिपय उत्तरपदों का न् कभी ण् में परिणत नहीं होता है^{१४०}; यथा—ऋषि-मनाः (ऋ० ९, ९६, १८); इन्द्र-पानम् (ऋ० ६, ४४, १६); पुरि-पानम् (ऋ० ५, ४४, ११); स्वर्भानोः (ऋ० ५, ४०, ६); चित्रभानो (अ० ४, २५, ३; वा० सं० २०, ८७)। णत्व के सम्बन्ध में संहिताओं में अनेक प्रयोगभेद भी मिलते हैं^{१४१}; यथा—शुक्लयजुर्वेदकाण्वसंहिता (१८, ५, ६) तथा तै० सं० (४, ६, ३, २) में श्रीमणाः पाठ मिलता है, जबकि

रेफ या क् आए, तो स का प् बन जाता है^{११५}; यथा—अग्नि+सु= अग्निपुं; गीर् (गिर) + सु = गीर्षु; दिक् (दिश) + सु = दिक्षु । मूर्धन्यभाव करने वाले स्वर और स के मध्य अनुस्वार, प् अथवा विसर्जनीय आने पर भी स का प् बन जाता है^{११६}; यथा—हृवीपिं, हृविप्यु अथवा हृविःपु ।

अपवाद—जिस स से परे ऋ, ऋ, र अथवा भर् हो, उसका प् नहीं बनता है^{१२६}; यथा—तिसृभिः, तिसृणाम्, तिस्रः, उच्चः, सिसर्त्वि ।

मैक्डानल का मत है कि जिन शब्दों में झ ञा से भिन्न स्वर इ उ ऋ इत्यादि के पश्चात् आने वाले स का मूर्धन्य रूप नहीं मिलता है, वे शब्द किसी अन्य भाषा से वैदिक संस्कृत में आए हैं^{१२७}; यथा—वृसं, विसं, वुस इत्यादि ।

६३. पदसन्धि में नति—

(क) त् का ट्—जब झ ञा से भिन्न स्वर के पश्चात् आने वाले पदान्तीय विसर्जनीय से बने हुए स का प् बन जाता है, तब प् से परे आने वाले पदादि त् का ट् बन जाता है^{११७}; यथा—चौप् + त्वा = चौष्ट्वा (अ० २, २८, ४); वायुप् + तान् = वायुष्टान् (अ० २, ३४, ४) ।

(ख) न् का ण्—परिं, प्र, परां, उरु, पुनेर्, इन्द्रं, वार, स्वर, रक्षा (रक्षं), शिक्षा (शिक्षं), पु इत्यादि कतिपय पूर्वपदों के र् प् के निमित्त से नु, न, नः, एनम्, एना इत्यादि कतिपय परवर्ती पदों के न् का ण् बन जाता है^{१२८}; यथा—परिं + नः = परिं णः (ऋ० ९, ४१, ६); प्र + नु = प्र णु (ऋ० ५, १, ७); इन्द्रं + एनम् = इन्द्रं एणम् (ऋ० १, १६३, २); इन्द्रं + एनाः = इन्द्रं एणाः (ऋ० १०, १९, २); वार + न = वारिण (ऋ० २, ४, ६); पुनेर् + नयामसि = पुनेर्णयामसि (अ० ५, १४, ७); रक्षा + नः = रक्षा णः (वा० सं० ३, ३०); शिक्षा + नः = शिक्षा णः (ऋ० ७, ३२, २६); मो + सु + नः = मोषु णः (ऋ० १, ३८, ६) ।

(ग) स् का ष्—अभि, उ (अकेला या सन्धियुक्त, यथा—मो, प्रो इत्यादि), ऊ, वि, नि, नु, नू, हि, त्रि, द्विवि, चर्वि, उरु, ऊती, पदि इत्यादि पदों से परे आने वाले ✓अस धातु के सकारादि रूप (सन्ति, स्थ इत्यादि), और सु, सः, स्यः, सीम्, रस्, स्विद् इत्यादि शब्दों के पदादि स् का ष् वन जाता है^{१२९}; यथा— अभि+ सु + नः = अभि पु णः (ऋ० ४, ३१, ३); उरु+ सः = उरु षः (ऋ० ६, २०, ५); ऊती+ सः = ऊती षः (ऋ० ६, २, ४); कम् + उ + स्वित् = कम् स्वित् (तै० सं० २, ६, ११, २); आपः + हि + स्थ + मयोभुवः = आपो हि ष् मयोभुवः (ऋ० १०, ९, १); त्री + सुधस्था = त्री सुधस्था (ऋ० ३, ५६, ५); द्विवि+ सन्तु = द्विवि पन्तु (तै० सं० १, २, १४, ७); चर्वि+ स्थ = चर्विष्ठ (वा० सं० ३३, ५३) । पदि+ सिताम् = पदि पिताम् (तै० सं० ४, ७, १५, ७) ।

६४. उपसर्गस्थ निमित्त से धातु के दन्त्य का मूर्धन्यभाव

उपसर्ग के वर्ण के निमित्त से कतिपय धातुओं के दन्त्य वर्ण का मूर्धन्यभाव हो जाता है । यह मूर्धन्यभाव उपसर्ग और धातु का समास न होने पर तथा इन के समास में भी हो जाता है (दे० टि० १३०) ।

(क) प्र, परा, निद्, दुर तथा परि' उपसर्गों के र के निमित्त से नी, नुद्, अन्, नम्, नु, नश्, हन् इत्यादि धातुओं के नू का और हि धातु के साथ जुड़ने वाले विकरण के नू का ष् वन जाता है^{१३०}; यथा— प्र+ नीयते = प्र णीयते (ऋ० ३, २७, ८); परि+ नीयते = परि णीयते (ऋ० ४, १५, १); परा+ नुदस्व = परा णुदस्व (ऋ० ७, ३२, २५); प्र+ हिनोमि = प्र हिणोमि; निद्+ हुन्यात् = निहण्यात् (तै० सं० ५, ६, ९, १) । उपसर्गस्थ निमित्त से लोट् के प्रत्यय षानि और अन, मान इत्यादि कृत प्रत्ययों के नू का ष् वन जाता है^{१३१}; यथा— निर्गमाणि (ऋ० ४, १८, २) प्रयाणं (ऋ० ८, ४३, ६) ।

अपवाद— उपसर्गस्थ निमित्त से ✓मी धातु के साथ जुड़ने वाले विकरण ना के नू का; परि' उपसर्ग के निमित्त से ✓हि धातु के साथ जुड़ने वाले विकरण

वा० सं० (१७, ५६), मै० सं०, का० सं० तथा श० ब्रा० में धीर्मनाः पाठ मिलता है।

(ग) उत्तरपद के पदादि स का प्—कतिपय समासों में पूर्वपद के अन्त में आने वाले इ ईं उ ऊ ऋ ए ओ र के निमित्त से उत्तरपद के आदि स का प् बन जाता है^{१४}; यथा— वेद्वि-पर्दे (ऋ० १, १४०, १); पुरु-पन्त्यों: (ऋ० ९, ५८, ३); सु-पोमें (ऋ० ८, ७, २९); अग्नीपोमौ (अ० ८, ९, १४); होतृ-पर्दनम् (अ० ७, १९, १); पितृ-पर्दम् (अ० १४, २, ३३); परसे-धी (अ० ४, ११, ७); गो-ष्टे (ऋ० १, १९१, ४); स्वर्पा: (ऋ० १, १००, १३); स्वर्पाता (ऋ० १, १३१, ६)^{१५}। कतिपय उदाहरणों में पूर्वपद के अन्तिम झ ञ के पश्चात् भी उत्तरपद के आदि स का प् बन जाता है^{१६}; यथा— पृतना-षहम् (ऋ० ५, २३, २); पृतना-पाट (ऋ० १, १७५, २); पृतना-पाहाय (ऋ० ३, ३७, १); ऋतापाट् (वा० सं० १८, ३८; तै० सं० ३, ४, ७, १); उप-पुट् (ऋ० ९, ८७, ९); अपाषात् (अ० ४, ६, ५); सव्य-ष्ठा: (अ० ८, ८, २३)।

अपवाद— कतिपय समासों में पूर्वपदस्थ निमित्त से भी उत्तरपद के आदि स का प् नहीं बनता है^{१७}; यथा— द्वि-स्पृक् (ऋ० १०, १६८, १); हृद्वि-स्पृक् (ऋ० १, १६, ७); गो-संखायम् (ऋ० ५, ३७, ४); चर्पणीसहम् (ऋ० ८, २१, १०); गो-सर्निम् (अ० ३, २०, १०); पृदिन्-सक्थम् (तै० सं २, १, ३, २)। परन्तु इस सम्बन्ध में अनेक प्रयोगभेद भी हैं; यथा— गो-षखा (ऋ० ८, १४, १); गो-पर्णिम् (ऋ० ६, ५३, १०)।

अन्तःपदसन्धि की विशेषताएं

६६. पद के अन्दर धातु और कृतप्रत्यय के मध्य, नाम इत्यादि और तद्धित प्रत्यय के मध्य, धातु और विभक्ति (तिट्) के मध्य, तथा प्रातिपदिक और विभक्ति (सुप्) के मध्य होने वाली सन्धि को अन्तःपदसन्धि (Internal Sandhi) कहते हैं। पदसन्धि (External Sandhi) के अधिकतर नियम साधारणतया अन्तःपदसन्धि में भी लागू होते हैं।

परन्तु अन्तःपदसन्धि की कुछ ऐसी विशेषताएँ भी हैं जो पदसन्धि में नहीं मिलती हैं। अन्तःपदसन्धि में होने वाली नति की विशेषताओं का वर्णन अनु० ६२ में किया जा चुका है। अब हम अन्तःपदसन्धि की अन्य विशेषताओं का वर्णन करेंगे।

स्वर-सन्धिविषयक वैशिष्ट्य

६७. इयङ्, उवङ्—धातुओं के अन्त में आने वाले इ ई तथा उ ऊ, स्वादि-
गण के विकरण इनु, और ईकारान्त तथा ऊकारान्त एकाच् प्रातिपदिक
भू भू धी स्त्री श्री भी इत्यादि (दे० अनु० १४३-४४) से परे अजादि
प्रत्यय आने पर इन के इ ई का इय् (पा० इयङ्) और उ ऊ का उव्
(पा० उवङ्) बन जाता है, यदि इनको गुण या वृद्धि की प्राप्ति न हो^{१५४};
यथा—क्षियत् (√क्षि + अत्); युयुवे (√यु + लि० का ए); धिये
(धी + ए); भुवि (भू + इ)। तुन्, सुधी, विभू इत्यादि कतिपय
प्रातिपदिकों की सन्धि के सम्बन्ध में प्रयोग-भेद मिलता है^{१५५}। तै० सं०
और तै० ब्रा० में अजादि प्रत्यय से पूर्व इन के अन्तिम ई ऊ का क्रमशः
इय् उव् बनता है, जबकि ऋ० तथा वा० सं० आदि में क्रमशः य् व्
बनता है [दे० अनु० ६ (छ)]; यथा—तुन्वम् (तै० सं०) और तन्वम्
(ऋ०); सुधियः (तै० ब्रा०) और सुध्यः (ऋ०); विभुवम् (तै० सं०)
और विभ्वम् (ऋ०)।

६८. (क) ऋ का रि—यदि धातु के ऋ से परे तुदादिगण का विकरण झ,
भाववाच्य तथा कर्मवाच्य में आने वाला यक् प्रत्यय, अथवा लिङ् का
यकारादि असार्वधातुक (दे० टि० १४८) प्रत्यय आए, तो ऋ का रि
बन जाता है^{१५६}; यथा—क्षियते (√क्षि 'भरना' से); क्रियते (√कृ
'करना' से); क्षियासम् (√क्षि का आलि० उ० ए०)।

(ख) ऋ का इर् उर्—धातु के अन्त में तथा उपधा में आने वाले ऋ का
इर् बनता है, और धातु के जिस ऋ से पूर्व प्, म्, अथवा व् हो
उस का उर् बनता है^{१५७}; और जिस इर् उर् से परे व्यञ्जन आए उस के
इ उ का दीर्घत्व (अर्थात् ईर् ऊर्) हो जाता है^{१५८}; यथा—किरति
(√कृ + अति); गिरति (√गृ + अति); गीर्यते (√गृ + यते); गीर्ण

($\sqrt{\text{गृ}} + \text{न}$); पूर्यते ($\sqrt{\text{पृ}} + \text{यते}$); पूर्ण ($\sqrt{\text{पृ}} + \text{न}$) । जब ऋ को गुण या वृद्धि की प्राप्ति हो, तब इर् उर् नहीं बनता है; यथा— $\sqrt{\text{पृ}}$ से पिपति ।

६९. दीर्घत्व तथा वृद्धि— अन्तःपदसन्धि में कहीं कहीं प्रातिपदिक, धातु, विकरण इत्यादि के ह्रस्व स्वर का दीर्घ हो जाता है । कतिपय रूपों में अ इ ई उ ऊ ऋ ॠ को वृद्धि की प्राप्ति होती है ।

(क) अ का आ तथा ए— यदि अकारान्त अङ्ग से परे ऐसा सार्वधातुक (दे० टि० १४८) प्रत्यय आए जिस के आदि में अन्तस्था या अनुनासिक व्यञ्जन हो, तो अ का दीर्घ बन जाता है^{१५१}; यथा— भवावः (भव+वस्); भवामि (भव+मि) । अकारान्त प्रातिपदिक से परे एकवचन की यकारादि और द्विवचन की भकारादि विभक्ति आने पर अ का आ बनता है, परन्तु बहुवचन की भकारादि तथा सकारादि विभक्ति और ष० तथा स० के द्वि० के षोस् से पूर्व अ का ए बनता है^{१५२}; यथा— नासत्याभ्याम्, देवेभिः, देवेभ्यः, देवेषु ।

(ख) अ इ उ का दीर्घत्व— यदि अजन्त अङ्ग से परे ऐसा यकारादि प्रत्यय आए जो सार्वधातुक (टि० १४८) तथा कृत् (टि० १५३) नहीं है, तो अङ्ग के अन्तिम ह्रस्व स्वर का दीर्घ हो जाता है^{१५३}; यथा— अश्वायुते (अश्व+क्यच्+शत्) अघायति (अघ+क्यच्); ज्ञियते ($\sqrt{\text{जि}} + \text{यक्}$); श्रूयते ($\sqrt{\text{श्रु}} + \text{यक्}$) ।

(ग) अ इ उ ऋ का दीर्घत्व— अकारान्त, इकारान्त, उकारान्त तथा ऋकारान्त प्रातिपदिक से परे ष० व० की नाम् (च+आम्) विभक्ति आने पर, अ इ उ ऋ का दीर्घ हो जाता है^{१५४}; यथा— देवानाम्, चर्षणीनाम्, ऋतूनाम्, पितृणाम् ।

(घ) अ इ ई उ ऊ ऋ ॠ की वृद्धि— कतिपय प्रत्ययों से पूर्व धातु तथा प्रातिपदिक के समानाचरों को वृद्धि की प्राप्ति होती है^{१५५}; यथा— जगाम ($\sqrt{\text{गम्}}$ से); मार्ष्टि ($\sqrt{\text{मृज्}}$ से); चकार ($\sqrt{\text{कृ}}$ से); चिकार्य ($\sqrt{\text{चि}}$ से); सखायः (सखि से); मारुत (मृत् से); पार्थिव (पृथिवी से) इत्यादि । लङ्, लुङ् तथा लृङ् लकार में धातु को जिस अट् का आगम होता है उस के साथ सन्धि होने पर धातु के

आदि स्वर को वृद्धि की प्राप्ति होती है^{१५६}; यथा— ऐत् (√इ से); औक्षत् (√उक्ष् से); औहिष्ठ (√ऊह् से); आर्त् (√ऋ से) ।

व्यञ्जनसन्धिविषयक वैशिष्ट्य

७०. व्यञ्जनों का लोप—

अन्तःपदसन्धि में कतिपय व्यञ्जनों का लोप हो जाता है । जिन परिस्थितियों में व्यञ्जनों का लोप होता है उन का संक्षिप्त परिचय निम्न-लिखित है ।

- (क) संयोगान्त पद के अन्तिम व्यञ्जन का लोप— पद की रूप-रचना के समय उसके अन्त में आने वाले संयुक्त व्यञ्जनों में से अन्तिम व्यञ्जन का लोप हो जाता है^{१५७}; यथा— गोमान् (गोमान्स्); ददत् (ददत्स्); अहन् (अहन्त्) ।

अपवाद— कतिपय संयोगान्त पदों में र् से परे आने वाले स् से भिन्न व्यञ्जन का लोप नहीं होता है^{१५८}; यथा— ऊर्क् (ऊर्क् का प्रथमा ए०); अमार्द् (√मृज् का लृ० प्र० पु० ए०); आर्वर्त् (√वृत् का लृ० प्र० पु० ए०); सुहार्त् (सुहार्द् का प्रथमा ए०); दर्व् (√दृत् का लृ० प्र० पु० ए०) । परन्तु अर्द् (अर्द्स् = √दृत् का लृ० म० पु० ए०) ।

- (ख) स् तथा क् का लोप— पद के अन्त में जो संयुक्त व्यञ्जन आते हैं, या वर्णों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म में से किसी वर्ण के परे रहने पर जो संयुक्त व्यञ्जन आते हैं उन संयुक्त व्यञ्जनों के आदि में आने वाले स् तथा क् का लोप होता है^{१५९}; यथा— भृत् (भृत्स् का प्रथमा ए०); अभक्त् (अभक्त्स् + त = √भक्त् का लृ० प्र० पु० ए०); काष्ठत् (काष्ठत्स् का प्रथमा ए०— काशिका); तृष् (तृष् + क्) ।

- (ग) स् का लोप— सकारादि, रेफादि तथा धकारादि प्रत्यय से पूर्व धातु तथा धातुसम्बन्धी प्रत्यय के स् का लोप हो जाता है^{१६०}; यथा— अस्ति (अस् + सि = √अस् का लृ० म० पु० ए०); भवितारः (भवितास् + रः = √भू का लृ० प्र० पु० व०); शाधि (शास् + धि = √शास् का लृ० म०

पु० ए०) । लुङ् के रूपों में धातु के ह्रस्व स्वर के पश्चात् और अनुनासिकवर्जित स्पर्शों तथा ऊष्म में से किसी वर्ण से पूर्व आने वाले; प्रत्ययों के इट् तथा ईट् आगमों के मध्य आने वाले; और अनुनासिक वर्जित स्पर्शों तथा ऊष्म के किन्हीं दो वर्णों के मध्य में आने वाले 'स्' (पा० 'सिच्') का लोप हो जाता है^{१११}; यथा— अकृत् ($\sqrt{\text{कृ}} \text{ से }$); अकृथाः ($\sqrt{\text{कृ}} \text{ से }$); अक्रीतीत् ($\text{अकृम्} + \text{इ} + \text{स्} + \text{ई} + \text{त्} = \sqrt{\text{कृम्}} \text{ का लु० प्र० पु० ए० }$); अकृद्ध ($\text{अकृध्} + \text{स्} + \text{त्} = \sqrt{\text{कृध्}} \text{ का लु० प्र० पु० ए० }$); अकृद्धाः ($\text{अकृध्} + \text{स्} + \text{थास्} = \sqrt{\text{कृध्}} \text{ का लु० म० पु० ए० }$) ।

(घ) अनुनासिक स्पर्श तथा अनुस्वार का लोप— कुछ ऐसे प्रत्यय जुड़ने पर जो प्रायेण उदात्तसहित होते हैं कतिपय धातुओं के उपधा के न् का लोप हो जाता है (जो न् चवर्ग के वर्णों से पूर्व ज् के रूप में और ऊष्म से पूर्व अनुस्वार के रूप में रहता है^{११२}); यथा— अनुक्ति ($\sqrt{\text{अञ्ज}} + \text{शनम्} + \text{तिप्}$); भुनक्ति ($\sqrt{\text{भञ्ज}} + \text{शनम्} + \text{तिप्}$); अक्त ($\sqrt{\text{अञ्ज}} + \text{क्त}$); हिनक्ति ($\text{हिंस्} + \text{शनम्} + \text{तिप्}$); स्रस्त ($\sqrt{\text{स्रस्}} + \text{क्त}$); भुज्यते ($\sqrt{\text{भञ्ज}} + \text{यक्} + \text{ते}$); दर्शति ($\sqrt{\text{दंश्}} \text{ का लट् प्र० पु० ए० }$), सर्जति ($\sqrt{\text{सञ्ज}} \text{ का लट् प्र० पु० ए० }$) तथा स्वर्जते ($\sqrt{\text{स्वञ्ज}} \text{ से }$) में धातु पर उदात्त रहते हुए भी उपधा के न् का लोप हो जाता है । परन्तु देखिये— दृष्ट ($\sqrt{\text{दंश्}} + \text{क्त}$); सूक्त ($\sqrt{\text{सञ्ज}} + \text{क्त}$) तथा स्वुक्त ($\sqrt{\text{स्वञ्ज}} + \text{क्त}$) ।

इसी प्रकार कतिपय प्रत्ययों से पूर्व कुछ मकारान्त तथा नकारान्त धातुओं के अन्तिम अनुनासिक स्पर्श का लोप हो जाता है और इन में से अधिकतर उदाहरणों में प्रत्यय पर उदात्त रहता है^{११३}; यथा— युत् ($\sqrt{\text{यम्}} + \text{क्त}$); रुत् ($\sqrt{\text{रम्}} + \text{क्त}$); नृत् ($\sqrt{\text{नम्}} + \text{क्त}$); गृत् ($\sqrt{\text{गम्}} + \text{क्त}$); हृत् ($\sqrt{\text{हन्}} + \text{क्त}$); मृत् ($\sqrt{\text{मन्}} + \text{क्त}$); तृत् ($\sqrt{\text{तन्}} + \text{क्त}$) । कुछ धातुओं के न् का लोप और उपधा के ष का दीर्घ हो जाता है^{११४}; यथा— खात् ($\sqrt{\text{खन्}} + \text{क्त}$); सातिः ($\sqrt{\text{सन्}} + \text{क्तिच्}$) । परन्तु यतिः ($\sqrt{\text{यम्}} + \text{क्तिन्}$); रतिः ($\sqrt{\text{रम्}} + \text{क्तिन्}$) तथा गतिः ($\sqrt{\text{गम्}} + \text{क्तिन्}$) इत्यादि शब्दों में धातु पर उदात्त रहता है ।

व्यञ्जनादि विभक्ति तथा तद्धित प्रत्यय से पूर्व नकारान्त प्रातिपदिकों के अन्तिम नू का लोप हो जाता है^{११५}; यथा— राजभिः (राजन् + भिः); राजकः (राजन् + क); रोमशम् (रोमन् + श.) ।

(ङ) ङ् का लोप— ङ् से परे ङ् आने पर पूर्ववर्ती ङ् का लोप हो जाता है और लुप्त ङ् क्री उपधा में आने वाले ह्रस्व स्वर का दीर्घ हो जाता है यदि उसे गुण या वृद्धि की प्राप्ति न हो^{११६}; यथा— गुङ् (गुङ् + ङ् = √गुङ् + ङ्); लीङ् (लिङ् + ङ् = √लिङ् + ङ्) । हकार के ढकार-सम्बन्धी परिवर्तन के लिये और सङ् तथा चङ् धातुओं के झ में होने वाले विकार के लिए दे० अनु० ७३ ।

७१. प्रत्ययों के दो मुख्य भेद—

अन्तःपदसन्धि के विचार से प्रत्ययों के दो मुख्य भेद किये जा सकते हैं— (१) यकारवर्जित व्यञ्जन से प्रारम्भ होने वाले प्रत्यय; (२) और यकारादि तथा स्वरादि प्रत्यय । इन प्रत्ययों का विशेष अन्तर यह है कि प्रथम श्रेणी के प्रत्ययों से पूर्व प्रातिपदिक तथा धातु आदि के अन्तिम व्यञ्जन में प्रायेण वैसा ही विकार होता है जैसा कि पदसन्धि में होता है, परन्तु द्वितीय श्रेणी के प्रत्ययों से पूर्व प्रातिपदिक तथा धातु आदि के अन्तिम व्यञ्जन प्रायेण अविकृत रहते हैं; यथा— मरुत् + भिः = मरुद्भिः; मरुत् + अस् = मरुतः; अदन्ति (√अद् का लट् प्र० पु० व०); अद्यात् (√अद् का विलि० प्र० पु० ए०); अर्तुम् (√अद् + तुमुन्); गम्यते (√गम् + यक् + ते); हन्यते (√हन् + यक् + ते) । मकारादि, वकारादि, रेफादि तथा नकारादि प्रत्ययों से पूर्व भी धातु का अन्तिम व्यञ्जन प्रायेण अविकृत रहता है; यथा— अग्निं (√अद् का लट् उ० पु० ए०); शुभ्र (√शुभ्रन्); हुन्वः (√हन् का लट् उ० पु० द्वि०); आमोर्ति (√आप् का लट् प्र० पु० ए०) ।

सघोषमहाप्राण स्पर्शों की सन्धि

७२. (क) घ् घ्र् भ् का क् त् प्—यदि सघोष महाप्राण स्पर्शों से परे कोई अघोष व्यञ्जन आए, तो वे अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में परिणत हो जाते हैं^{११७};

द्वितीयोऽध्यायः

यथा—सुमिध् + सु = सुमित्सु; लभ् + स्यते = लप्स्यते । दध् + तम् = धक्तम् (√दध् का लो० म० पु० द्वि०); द् के ध् विकार के लिये नीचे (ग)-देखिये ।

(ख) घ् ध् भ् का ग् द् व्—सघोष महाप्राण स्पर्शों से परे अन्तस्था-वर्जित तथा अनुनासिकवर्जित सघोष व्यञ्जन आने पर ये अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में परिणत हो जाते हैं^{१८}; यथा—रन्ध् + धि = रन्धि; उष्णि-क्कुम् + भ्याम् = उष्णिक्कुम्भ्याम् (पं० ब्रा०) दुग् + त् = दुग्ध (√दुह् + क्त); त के ध विकार के लिये नीचे (ङ) देखिये और ह् के घ् विकार के लिये अनु० ७३ देखिये । जैसा कि हम पूर्व (अनु० ७१ में) बतला चुके हैं जिन प्रत्ययों के आदि में य् र् व् न् म् हो उनके परे रहते घ् भ् अविकृत रहते हैं ।

(ग) घ् ह् ध् भ् अन्त वाले एकाच् धात्ववयव के ग् द् व् का घ् ध् भ्—धातु के एकाक्षर वाले जिस अवयव के अन्त में घ् द् ध् भ् में से कोई वर्ण आता हो, उस से परे स या ध्व आने पर या पदान्त में, उस धात्ववयव के ग् द् व् का क्रमशः घ् ध् भ् बन जाता है^{१९}; यथा—उपर्द्ध् का प्रथ० ए० उपर्भुत्; अधुक्षत् (अ + गुद् + स + त् = √गुह् का लु० प्र० पु० ए०); अधोक् (अ + दुग् + त् = √दुह् का लृ० प्र० पु० ए०); अधुत्सि (√बुध् का लु० उ० पु० ए०); मार्ति धक्तम् (√दध् का लोद् म० पु० द्वि० = ऋ० १, १८३, ४) । धुक् (दुह् प्रातिपदिक का प्रथमा ए०) । दे० अनु० १२७ । √गुह् के ह् के द् और √दुह् के ह् के घ् के सम्बन्ध में नीचे अनु० ७३ देखिए । वैदिक संहिताओं में इस सन्धि-विकार के सम्बन्ध में कुछ प्रयोग-भेद भी मिलता है; यथा— √दुह् का लृद्, अधुक्षत् (ऋ० १०, १४९, १) और अधुक्षत् (पपा० अधुक्षत्— ऋ० १, ३३, १०) । इसी प्रकार √दध् से धक्षत् (ऋ० ६, ३, ४) और दक्षत् (पपा०—धक्षत्— ऋ० १, १३०, ८) इत्यादि में भेद मिलता है ।

(घ) √धा के दध् के द् का घ्—धा धातु के द्विरुक्त तथा धकारान्त अङ्ग दध् से परे यदि तकार, थकार, स् अथवा ध्व आए, तो दध् के आदि द् का घ् बन जाता है^{२०}; यथा—घृत्से (दध् + ते); धृत्यः (दध् + थः); धृत्से (दध् + से); धृदध्वम् (दध् + ध्वम्) ।

(इ) घृ ङ् घृ भ् से परे त और थ का घ— धा धातु के रूपों को छोड़ कर अन्य रूपों में महाप्राण सघोष स्पर्श (घृ ङ् घृ भ्) से परे आने वाले त और थ का घ बन जाता है^{१०१}; यथा—दुघृ + त = दुग्ध (√दुहृ + क्त); गुढ् + त = गूढ (√गुहृ + क्त); बुध् + त = बुद्ध (√बुध् + क्त); लम् + त = लब्ध (√लम् + क्त); अबुध् + थाः = अबुद्धाः (√बुध् का लु० म० पु० ए०)।

७३. ह का घृ ङ् घृ थ—

(क) ह् का घृ— दकारादि धातु के ह् का घृ बन जाता है यदि वह पदान्त में हो अथवा उस से परे वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ स्पर्श तथा श् ष् स् ह् में से कोई वर्ण आए^{१०२}; यथा—√दहृ + क्त = दग्ध; √दहृ + तुमुन् = दग्धुम्; √दिहृ + क्त = दिग्ध; √दुहृ + क्त = दुग्ध; √दुहृ + तुमुन् = दोग्धुम्। अन्य उदाहरण अनु० ७२ में देखिये।

(ख) ह् का ङ्— दकारादि धातुओं से भिन्न धातुओं के अन्त में आने वाले ह् का ङ् बन जाता है यदि वह पदान्त में हो अथवा उस से परे वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ स्पर्श तथा श् ष् स् ह् में से कोई वर्ण आए^{१०३}; यथा—√लिहृ + क्त = लीढ (लिहृ + ङ)। अनु० ७२ (ङ) में उक्त नियम के अनुसार ङ् से परे आने वाले त् थ् का घृ बन जाता है, घृ का मूर्धन्यभाव हो कर ङ् बनता है, और पहले ङ् का लोप हो जाता है। दे० अनु० ७० (ङ)। ङ् का लोप होने पर √सहृ तथा √वहृ के अकार का ओ बन जाता है^{१०४}; यथा—√वहृ + तुमुन् = वोढुम्; √वहृ + तवै = वोढवै; वोढा (√वहृ + तुच् + प्रथमा ए०); √सहृ + तुमुन् = सोढुम्। परन्तु संहिताओं में सहृ धातु के ह् का ङ् बनने पर इस के अ का आ बनता है^{१०५}; यथा—अषाळहः (अ + √सहृ + क्त; ऋ० ३, १५, ४); साळहां (√सहृ + तुन् + प्रथमा ए०; ऋ० ७, ५६, २३); साळ्यै (√सहृ + ध्यै; मै० सं० १, ६, ३^{१०५}क); साड्वा (सहृ + क्त्वा; मै० सं० ३, ८, ५)।

(ग) ङुहृ मुहृ स्नुहृ स्निहृ के ह् का वैकल्पिक घृ— यद्यपि पा० के मतानुसार श्लृ (य् र् लृ वृ ङ् ण् नृ म् को छोड़ कर सब व्यञ्जन) से पूर्व और पदान्त में ङुहृ मुहृ स्नुहृ स्निहृ के हकार का विकल्प से घृ

है^{८१}; यथा—नक् (नञ् “रात्रि” का प्रथमा ए०; ऋ० ७, ७१, १); जीवन्द् (जीवन्श् का प्रथमा ए०; मै० सं० १, ४, १३) ।

७६. तालव्य व्यञ्जनों का कण्ठ्यभाव (Gutturalization)

(क) प्रातिपदिकों के तालव्य व्यञ्जन का कण्ठ्यभाव—स्पृश्, दिश् तथा दश् प्रातिपदिकों का अन्तिम श् और ऋत्विज् तथा स्रज् प्रातिपदिकों का अन्तिम ज् पदान्त में तथा झलादि विभक्ति से पूर्व कण्ठ्य स्पर्श में परिणत हो जाता है^{८२}; यथा—स्पृक् (प्रथमा ए०); दिक् (प्रथमा ए०); दक् (प्रथमा ए०); ऋत्विक् (प्रथमा ए०); स्रक्षु (स्रज् का सं० व०) । अनु० ७५ में परिगणित धातुओं से बने कृदन्त प्रातिपदिकों को छोड़ कर अन्य चकारान्त तथा जकारान्त प्रातिपदिकों का अन्तिम तालव्य स्पर्श पदान्त में तथा झलादि विभक्तियों से पूर्व कण्ठ्य स्पर्श में परिणत हो जाता है^{८३}; यथा—वाक् (वाच् का प्रथमा ए०); वाग्भिः (तृ० व०); ऊर्क् (ऊर्ज् का प्रथमा ए०); निर्णिक् (निर्णिज् का प्रथमा ए०); वृणिक् (वृणिज् का प्रथमा ए०) ।

(ख) धातुओं के तालव्य व्यञ्जन का कण्ठ्यभाव—अनु० ७५ में परिगणित धातुओं को छोड़ कर अन्य चकारान्त तथा जकारान्त धातुओं का अन्तिम तालव्य स्पर्श पदान्त में तथा झल् से पूर्व कण्ठ्य स्पर्श में परिणत हो जाता है (दे० टि० १८३); यथा—√पच् + तवेन् = पक्तवे; √पच् + स्यति = पक्ष्यति; √पृच् + क्त = पृक्त; अप्राक् (√पृच् का लु० प्र० पु० ए०; अ० १०, ४, २६); √मुच् + क्त = मुक्त; अमोक् (√मुच् का लु० प्र० पु० ए०); √अञ्ज् + क्त = अञ्क्त; √तिज् + क्त = तिक्त; √त्यज् + क्त = त्यक्त; √भज् + क्त = भक्त; अभाक् (√भज् का लु० प्र० पु० ए०) ।

कतिपय स्वरादि तथा यकारादि कृतप्रत्ययों से पूर्व भी चकारान्त तथा जकारान्त धातुओं का अन्तिम तालव्य स्पर्श कण्ठ्य स्पर्श में परिणत हो जाता है^{८४}; यथा—√भज् से भागः; √सृज् से सर्गः; √पच् से पार्कः । अनु० ७५ के अनुसार शकारान्त धातुओं के श् का प् बनता है और अनु० ७४ क के अनुसार स् से पूर्व प् का क् बन जाता

है; यथा— \checkmark दृश् + स्य + ति = दृक्ष्यति । परिणामतः श् का क् वन जाता है ।

७७. प् का त्—

भकारादि विभक्तियों से पूर्व भप् “जल” प्रातिपदिक के प् का त् वन जाता है^{१८५}; यथा— अद्भिः; अद्भ्यः । सन्धि-नियम के अनुसार, पुनः त् का द् वन जाता है (अनु० ४८ क) ।

७८. स् का त् द्—

(क) कतिपय सकारान्त प्रातिपदिकों के स् का त्—भकारादि विभक्तियों से पूर्व स्ववस्, स्वतवस्, मास् तथा उषस् प्रातिपदिकों के स् का त् वन जाता है और सन्धि-नियम के अनुसार त् का द् हो जाता है^{१८६}; यथा— स्ववस् + भिः = स्ववद्भिः; स्वतवस् + भ्यस् = स्वतवद्भ्यः (वा० सं० २४, १६); मास् + भिः = माद्भिः (ऋ० २, २४, ५); उषस् + भिः = उषद्भिः (ऋ० १, ६, ३) । दे० अनु० १२२ (क) ।

(ख) कतिपय प्रातिपदिकों के स् का द्—भकारादि विभक्ति तथा सु विभक्ति से पूर्व स्वंस् ध्वंस् के अन्तिम स् का द् वन जाता है; और उन सकारान्त पदों के अन्तिम स् का द् वन जाता है, जिन के अन्त में वस् कृत्प्रत्यय जुड़ा होता है^{१८७}; यथा— चकृवस् + भिः = चकृवद्भिः; जागृवस् + भिः = जागृवद्भिः । स्वंस् तथा ध्वंस् के वैदिक उदाहरण मृग्य हैं ।

(ग) सकारान्त धातुओं के स् का त्—सकारादि आर्षधातुक (तिङ् तथा शित् प्रत्यय से भिन्न) प्रत्यय से पूर्व धातु के सकारान्त अङ्ग के अन्तिम स् का त् वन जाता है^{१८८}; यथा— \checkmark वस् + स्य + ति = वत्स्यति; जिघस् + स + उ = जिघत्सु ।

(घ) सकारान्त धातुओं के स् का द्— लृट् तथा लुङ् प्र० पु० ए० के प्रत्यय त् (पा० ‘तिप्’) और म० पु० ए० के प्रत्यय स् (पा० ‘सिप्’) का लोप होने पर \checkmark भस् वजित सकारान्त धातुओं के अन्तिम स् का पदान्त में कहीं कहीं द् वन जाता है^{१८९}; यथा— अघत् (\checkmark घस् या पा० के

वनता है और घ् न वनने पर ढ् वनता है^{१०६}, तथापि संहिताओं में मिलने वाले अधिकतर रूपों में ढ्रुह् मुह् के ह् का घ् वनता है और शेष दो धातुओं का प्रयोग अत्यल्प है; यथा— ढ्रुग्धः (√ढ्रुह् + क्त; ऋ० ५, ४०, ७); मुग्धः (√मुह् + क्त; ऋ० ५, ४०, ५); परन्तु मूढः (√मुह् + क्त; अ० ६, ६७, २)। अ० के अतिरिक्त उपनिषदों तथा कल्पसूत्रों में मुह् के ह् का ढ् वनता है। परन्तु अन्य संहिताओं में ढ्रुह् मुह् के ह् का घ् वनता है और ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों तथा कल्पसूत्रों में स्निह् के ह् का घ् वनता है।

विशेष— पदान्त में और व्यञ्जनादि सुव् विभक्ति से पूर्व उंष्णिह् के ह् का घ् वनता है और पदान्तीय नियम से घ् का क् वन जाता है; यथा— उंष्णिक् (अ० १९, २१, १)^{१०६क}।

(घ) √नह् के ह् का ध् और अनडुह् के ह् का द्— झल् [दे० ऊपर (ग) में] से पूर्व और पदान्त में नह् धातु के ह् का ध् वन जाता है^{१०७}; यथा— √नह् + क्त = नडह्; √नह् + तुमुन् = नडुम्; परीणत् (परि + √नह् + क्तिप् + प्रथमा ए०)। भ्याम्, भिस्, भ्यस् तथा सु विभक्तियों से पूर्व अनडुह् प्रातिपदिक के ह् का द् वन जाता है^{१०७क}; यथा— अनडुद्भ्याम्, अनडुद्भिः, अनडुद्भ्यः, अनडुद्भुः।

(ङ) आह् के ह् का थ्— झल् से पूर्व (वास्तव में थ से पूर्व) आह् के ह् का थ् वन जाता है^{१०८}; यथा— आथ् (आह् + थ)।

७४. ह् तथा प् का विकार—

(क) प् तथा ढ् का क्— यदि प् तथा ढ् से परे सकार हो, तो ष् ढ् का क् वन जाता है^{१०९}; यथा— विविप् + सि = विविक्षि (√विप् का लट् म० पु० ए०); वह् + स + अ + ति = वड् + स + अ + ति = वडक्षति (√वह् का ले० प्र० पु० ए०)।

(ख) प् तथा ढ् का द्— सकारादि सुव् विभक्ति से पूर्व और भयसान में प् तथा ढ् का द् वन जाता है; यथा— पप् + सु = पड्सु; पट् (प्रथमा ए०); तुरापाट् (प्रथमा ए०)।

(ग) प् तथा ड् का ड्—भकारादि सुव्विभक्ति तथा धकारादि तिङ् विभक्ति से पूर्व, ष् का ड् बन जाता है; यथा— पप् + भिः = पड्भिः; षप् + भ्यः = पड्भ्यः; विविप् + धि = विविड्धि (√ विष् का लो० म० पु० ए०); सृष् + ध्वम् = सृड्ध्वम् (√ सृज् का लो० म० पु० व०; ज् का ष् अनु० ७५)। भकारादि सुव्विभक्ति से पूर्व ड् का ड् बन जाता है, परन्तु धकारादि तिङ् विभक्ति परे रहने पर जब ड् के निमित्त से ष् का ड् बनता है तब पूर्ववर्ती ड् का लोप हो जाता है (दे० भनु० ७० ड्); यथा— तुरापाड् (ड् का ड्) + भिः = तुरापाड्भिः; तुरापाड् + भ्यः = तुरापाड्भ्यः; लिड् (ड् का ड्) + धि = लेड् + धि = लेडि (√ लिह् का लो० म० पु० ए०)।

अपवाद—परन्तु पदान्त में तथा हलादि विभक्तियों से पूर्व द्रष्टृष् “साहसी” के ष् का क् बनता है^{१०६}; यथा— द्रष्टृक् (ऋ० ५, ६६, ३)। पदान्त में √ पिष् के ष् का क् बनता है; यथा— पिणक् (√ पिष् का लृ० प्र० पु० ए०; ऋ० ४, ३०, ९)। पदान्त में सजुष् “साथी” के ष् का र बनता है^{१०७}; यथा— सजुः।

७५. तालव्य व्यञ्जनों का प्—

पदान्त में और भल् (अन्तस्था तथा अनुनासिकस्पर्शवर्जित व्यञ्जनों) से पूर्व वश्च्, भ्रस्ज्, सज्, सृज्, यज्, राज्, भ्राज् तथा लकारान्त और शकारान्त के अन्तिम तालव्य वर्ण का ष् बन जाता है^{१०८}; यथा— √ वश्च् + क्त्वा = वृष्ट्वा (अ० ८, ३, २; पा० के अनुसार र् का संप्रसारण और श् का लोप); परन्तु √ वश्च् + क्त्वी = वृक्त्वी (ऋ० १०, ८७, २); √ सज् + क्त = सृष्ट; अक्षाट् (√ सृज् का लु० प्र० पु० ए०); परन्तु अक्षाक् (√ सृज् का लु० प्र० पु० ए०; ऋ० ४, ५३, ३); √ सृज् + क्त = सृष्ट; √ यज् + क्त = इष्ट (य् का संप्रसारण); अयाट् (√ यज् का लु० प्र० पु० ए०); √ राज् + ति = राटि (ऋ० १, १०४, ४) स्वराट् (स्वराज् का प्रथमा ए०; ऋ० १, ६१, ९); अभाट् (√ भ्राज् का लु० प्र० पु० ए०); √ प्रच्छ + क्त = पृष्ट; √ विश् + क्त = विष्ट। परन्तु नश् के श् का कहीं क् और कहीं ट् बनता

अद् का घस् आदेश + ल० प्र० पु० ए०) परन्तु अर्घस् (ल० प्र० पु० तथा म० पु० ए०) ।

७९. धातु के म् का न्— पदान्त में मकारान्त धातु के म् का न् बन जाता है^{१०}; यथा— अर्गन् (√गम् का ल० प्र० पु० ए० तथा म० पु० ए०); प्रशान् (प्रशाम् का प्रथमा ए०) । मकारादि तथा वकारादि प्रत्ययों से पूर्व भी मकारान्त धातु के म् का न् बन जाता है^{११}; यथा— धर्गन्म (√गम् का ल० उ० पु० व०); जग्न्वान् (√गम् + क्खु से) ।

टिप्पणियां

१. निरुक्त १, १७—“परः सन्निकर्षः संहिता” ॥ पा० १, ४, १०९—“परः सन्निकर्षः संहिता” इस सूत्र पर काशि०—“वर्णानामर्धमात्राकालव्यवधानं स . संहितासंज्ञो भवति” ॥ वा० प्रा० १, १५८— “वर्णानामेकप्राणयोगः संहिता” ॥ तै० प्रा० ५, १—“अथ संहितायामेकप्राणभावे” ॥
२. तै० प्रा० २४, ३—“नानापदसन्धानसंयोगः पदसंहितेत्यभिधीयते” ॥ वा० प्रा० ३, ३—“पदान्तपदाद्योः सन्धिः” ॥ तु० ऋ० प्रा० २, १४—“अतोऽन्याः पदसन्धिषु” ॥
३. ऋ० प्रा० २, १—“संहिता पदप्रकृतिः ।” इस सूत्र के व्याख्यान में उवट कहता है—“पदानि प्रकृतिभूतानि यस्याः संहितायाः सा पदप्रकृतिः संहितात्र विकारः । तथा हि पत्वणत्वादयो विकाराः संहिताया एव भवन्ति ।”

निरुक्त १, १७—“पदप्रकृतिः संहिता । पदप्रकृतीनि सर्वचरणानां पार्षदानि ।” दुर्गाचार्य पदप्रकृतिः के दो व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं—
“अत्र द्विधा वर्णयन्ति—पदानां या प्रकृतिः, सेयं पदप्रकृतिः संहिता । किं कारणम् ? संहितातो हि पदानि प्रक्रियन्ते, तस्मात् संहितैव प्रकृतिः, विकारः

पदानीत्येवमेके मन्यन्ते । अपरे पुनः, पदप्रकृतिः संहितेति पदानि प्रकृति-
र्यस्याः, सेयं पदप्रकृतिरिति । किं कारणम् ? पदान्येव हि संहन्यमानानि
संहिता भवति । तस्मात्पदान्येव प्रकृतिः, विकारः संहितेति ।” अन्त में
दुर्गाचार्य प्रथम व्याख्यान को ही साधीयः मानते हैं । परन्तु यास्क के
अगले वाक्य के व्याख्यान में दुर्गाचार्य इस मत को स्वीकार करते हैं कि
सब शाखाओं के प्रातिशाख्यों की प्रकृति पद ही हैं—“सर्वेषां चरणानां
शाखान्तराणामित्यर्थः । किम् ? पार्षदानि, स्वचरणपर्षधेव यैः प्रतिशाखा-
नियतमेव पदावग्रहप्रगृह्याप्रगृह्यक्रमसंहितास्वरलक्षणमुच्यते, तानीमानि
पार्षदानि प्रातिशाख्यानीत्यर्थः । आह—किं तेषामिति ? उच्यते—तानि
पदप्रकृतीनि । पदं येषु संहितायाः प्रकृतित्वेन चिन्त्यते, तानीमानि
पदप्रकृतीनि । तेषामपि स एव समय इत्यभिप्रायः ॥” दुर्गाचार्य कहते हैं
कि प्रातिशाख्यों में ही पदों का प्रकृतित्व है, सर्वत्र नहीं । यास्क का अभि-
प्राय दोनों वाक्यों में अवश्य समान ही रहा होगा ।

पद-प्रकृतिः के व्याख्यान के सम्बन्ध में वाक्यपदीय (२, ५९-६०)
में भी यही संशयात्मक मत प्रकट किया गया है—“पदानां संहिता योनिः
संहिता वा पदाश्रया ।”

इस प्रकार के व्याख्यान-द्वैध के होते हुए भी यह मानना होगा कि
समस्त मन्त्रवाङ्मय की मूल-रचना प्रातिशाख्यविहित पदों के रूप में नहीं
हो सकती । और यह मानना असम्भव है कि मौलिक रचना में षत्व,
णत्व आदि का सर्वथा अभाव था और केवल उत्तरकालीन संहितारूप में
ही ये विकार प्रकट हुए । परन्तु यह भी सम्भाव्य है कि मौलिक रचना
में ये सब संहिता-विकार भी नहीं थे जो वर्तमान संहितारूप में उपलब्ध
होते हैं । अनेक मन्त्रों के कुछ संहिताविकारों को दूर करने से उनका
छन्दोभङ्गत्व दूर हो जाता है । अत एव अनेक पाश्चात्य विद्वान् यह
मानते हैं कि ऋग्वेद का संहितारूप कालान्तर में निश्चित किया गया
और मौलिक रचना में सर्वत्र सन्धि नहीं की गई थी । प्रो० मैकडानल
(H. S. L., p. 50) के मतानुसार, ऐतरेयब्राह्मण के रचनाकाल तक
ऋग्वेद का संहितारूप निश्चित नहीं किया गया था । अत एव अनेक

विद्वान् मानते हैं कि ऋग्वेद का मूलरूप वर्तमान संहिता रूप से भिन्न रहा होगा और प्रो० एस्टलर ऋग्वेद के मूलरूप के पुनर्निर्माण में प्रयत्नशील हैं । Cf. Summaries of Papers of AIOC, XVIII, p. 6; XX, pp. 3-10; XXI, pp. 1-2. Cf. Gr. Lg. Ved., p.88.

४. अ० प्रा० १, ४—अनलकारः स्वरः पद्यः । वा० प्रा० १, ८७—स्वराच्च लकारवर्जम् । वा० प्रा० (१, ८८) केवल अवग्रह में ऋकार को पदान्तीय मानता है । तै० ब्रा० (३, ११ १, २) के जूनयितृ तथा भ्रृत् पदों में पदान्तीय ऋ मिलता है और शत० ब्रा० (१४, ६, ८, ११) के विज्ञात् में भी पदान्तीय ऋ है । ऋ० प्रा० (१२, १) ऋ को पदान्तीय मानता है, परन्तु उवट द्वारा दिये गये उदाहरण में ऋ केवल अवग्रह में पदान्तीय है । ऋ० प्रा० (१२, १) के अनुसार ऋ पदान्तीय नहीं है ।
५. अ० प्रा० १, ६—प्रथमोत्तमाः; २, ३—पदान्ते चाचोषाः ॥ वा० प्रा० १, ८५—प्रथमोत्तमाः पदान्तीया अच्चौ ॥ अ० प्रा० (१, ८) कहता है कि शौनक के मतानुसार वर्णों के प्रथम वर्णों की अपेक्षा तृतीय वर्ण पदान्त में आते हैं । पाणिनि ने दोनों विकल्प स्वीकार किये हैं (दे० टि० ४१) । ऋ० प्रा० (१, १५-१६) कहता है कि गार्ग्य के मतानुसार वर्णों के तृतीय वर्ण और शाकटायन के मतानुसार प्रथम वर्ण अवसान में आते हैं । आगे चल कर ऋ० प्रा० (१२, १) वर्णों के प्रथम तथा तृतीय वर्णों को विकल्प से पदान्तीय मानता है । परन्तु वास्तव में ऋ० प्रा० (२, १० तथा ४, २) वर्णों के प्रथम वर्णों को पदान्तीय मानकर सन्धिविकारों का व्याख्यान करता है । तै० प्रा० (८, १-४) भी प्रथम वर्णों को पदान्तीय मानकर सन्धिविकारों का वर्णन करता है । पदकार शाकल्य ने भी प्रथम वर्णों को पदान्तीय माना है और अधिकतर लिखित ग्रन्थों में प्रथम वर्ण ही पदान्तीय मिलते हैं । अत एव वर्णों के प्रथम वर्णों को पदान्तीय मानने वाला मत ही प्राण्य है ।
६. प्रो० मैकडानल (Ved. Gr, p. 45) इन पदों के लकार को ङकार का प्रतिनिधि मानते हैं ।

७. अ० प्रा० १, ७— न चवर्गः ॥ ऋ० प्रा० १२, १— ऊष्मान्तस्थसोष्म-
चकारवर्गा, नान्तं यान्त्यन्यत्र विसर्जनीयात् ॥ वा० प्रा० (१, ८८) के
अनुसार केवल अवग्रह में पदान्तीय ण् आता है । ऋ० प्रा० १२, १ के
भाष्य में उवट द्वारा दिए गए उदाहरणों में भी केवल अवग्रह में
पदान्तीय ण् मिलता है, परन्तु संहिता में कहीं नहीं मिलता है ।
पा० ८, २, ३०— चोः कुः ॥

७क. पा० ८, ४, ५७— अणोऽप्रगृह्यस्यानुनासिकः ॥ अ० प्रा० १, ७०—
पुरुष आ वभूवौ३ इत्यवसाने ॥ ऋ० प्रा० १, ६३-६४— अष्टावाधान-
वसानेऽप्रगृह्यानाचार्या आहुरनुनासिकान्स्वरान् ॥६३॥ तत् त्रिमात्रे
शाकला दर्शयन्त्याचार्यशास्त्रापरिलोपहेतवः ॥६४॥

तै० प्रा० १५, ६-८—अप्रग्रहाः समानाक्षराण्यनुनासिकान्येके-
पाम् ॥६॥ पदं च प्लुतं शाङ्खायनकाण्डमानयोः ॥७॥ अकारस्तु संहिताया-
मपि ॥८॥

यद्यपि ऋ० प्रा० (१, ६३) तथा तै० प्रा० (१५, ६) के अनुसार
अप्लुत अ आ, इ ई, उ ऊ इत्यादि का भी अवसान में अनुनासिक
वन जाना चाहिए, परन्तु लिखित संहिताओं में (जैसा कि शाकल्य
आचार्य के अनुयायी भी मानते हैं) केवल प्लुत अ आ, इ ई, उ ऊ
का अवसान में अनुनासिक रूप दिखलाया जाता है ।

७ख. ऋ० प्रा० २, ६०-६२—स्वरे पादादा उदये सचेति ॥६०॥ प्वन्तं
जोषं चर्षणीश्चर्षणिभ्यः । एकारान्तं मित्रयोरस्मदीवन्नमस्युरित्युपधं
चेत्यपृक्तम् ॥६१॥ एकारौकारपरौ च कण्ठ्यौ लुशादर्वाक् ॥ २, ६७—सचा-
दयो या विहिता विवृतयः । प्लुतोपधान्ता अनुनासिकोपधाः ॥

दे० Alt. Gr. I, p. 302; Ved. Gr., pp. 59-60; Gr.
Lg. Ved., p. 77.

७. अ० प्रा० ३, ४२—समानाक्षरस्य सवर्णे दीर्घः ॥
ऋ० प्रा० २, १५—समानाक्षरे सस्थाने दीर्घमेकमुभे स्वरम् ॥
तै० प्रा० १०, २—दीर्घं समानाक्षरे सवर्णपरे ॥

द्वितीयोऽध्यायः

वा० प्रा० ४, ५१—सिँ सवर्णे दीर्घम् (वा० प्रा० में समानाक्षरों के लिए "सिम्" संज्ञा का प्रयोग किया जाता है) ।

पा० ६, १, १०१—अकः सवर्णे दीर्घः ॥

८ क. ऋ० प्रा० २, ५८-५९—पूपेत्यकारे न चेतदेकाक्षरतत्पूर्वम् ॥५८॥

श्रद्धाः सम्राज्ञी सुशमी स्वधोती पृथुजयी पृथिवीषा मनीषा ।

अया निद्रा ज्या प्रपेति स्वराणां मुख्ये परे पञ्चमषष्ठयोश्च ॥

(अ, इ, ई परे रहने पर प्रकृतिभाव होता है) ।

तै० प्रा० १०, १३—न धामापासिपरो बुध्निया ज्या आपूषा
अमिनन्त आर्षे ॥

वा० प्रा० ४, ८६—का-ध्रुवा-ऊती-सदना-होतारा-ज्या-
स्वधा-पृथिवी-प्रतिमा-ईम्-असदन्-अश्याम-अकर्म-ऊर्ध्वम्-इयम्-
अवस्तात्-उत-अस्तिषु ॥

अ० प्रा० ३, ३४—एना एहा आदयश्च ॥ एना एहाः (अ० १२,
३, ३३); यथा मन्नापेगा असः (अ० १, ३४, ५, २, ३०, १; ६, ४, १-३);
पृथिवी उत द्यौः (अ० १८, १, ५=ऋ० १०, १०, ५) ।

पा० ६, १, १२७ पर वार्तिक (सि० कौ०) —ईया अक्षादीनां
छन्दसि प्रकृतिभावो वक्तव्यः ।

९. ऋ० प्रा० २, ५७—ऊकारादौ स्विति ॥ २, ७२- (-वीळू उत-) ॥

९ क. Alt. Gr. I, p. 315; Ved. Gr., p. 63; Ved. Gr. Stu.,
p. 22; Ved. Mtr., p. 120. मैक्डानल की दोनों पुस्तकों में दिये
गये उदाहरणों में मूळ्ळति का अशुद्ध रूप मूळ्ळति छापा गया है ।

१०. ऋ० प्रा० २, १६-१७—इकारोदय एकारमकारः सोदयः ॥१६॥ तथा ।
उकारोदय ओकारम् ॥१७॥ वा० प्रा० ४, ५३-५४—कष्य्यादिवर्ण
एकारम् ॥५३॥ उवर्ण ओकारम् ॥५४॥ तै० प्रा० १०, ३-५—अथावर्ण-
पूर्णे ॥३॥ द्ववर्णपर एकारम् ॥४॥ उवर्णपर ओकारम् ॥५॥ अ० प्रा० ३,
४४-४५—अवर्णस्येवर्ण एकारः ॥४४॥ उवर्ण ओकारः ॥४५॥ पा० ६,
१, ८७—आद् गुणः ॥

- १० क. ऋ० प्रा० २, ३२—ऋकार उदये कण्ठ्यावकारं तदुद्व्याहवत् ॥ वा० प्रा० ४, ५०—कण्ठ्य ऋकारे ह्रस्वम् ॥ पा० ६, १, १२८—ऋत्यकः ॥
११. ऋ० प्रा० २, ६४—विभ्वा विधर्ता विपन्या कदा या मातेत्यृकारे ऽप्य-पादादिभाजि ॥
- ११ क. Ved. Gr., p. 63; Ved. Gr. Stu., p. 22; Gr. Lg. Ved., p. 91.
१२. ऋ० प्रा० २, ७१; वा० प्रा० ४, ८६ । वार्तिक के लिए देखिए टि० ८ क ।
१३. ऋ० प्रा० २, १८-१९—परेष्वैकारमोजयोः ॥१८॥ औकारं युग्मयोः ॥१९॥ वा० प्रा० ४, ५७,—सन्ध्यक्षर एकारौकारौ ॥ तै० प्रा० १०, ६-७—एकारैकारपर ऐकारम् ॥६॥ ओकारौकारपर औकारम् ॥७॥ अ० प्रा० ३, ५०-५१—एकारैकारयोरैकारः ॥५०॥ ओकारौकारयोरौकारः ॥५१॥ पा० ६, १, ८८—वृद्धिरेचि ॥
- १३ क. ऋ० प्रा० २, ७१-७३ ॥ वा० प्रा० ४, ५५-५६—समुद्रस्यैमैस्त्वैमैस्त्वो-न्निति च ॥५५॥ एजत्योजोरेकेषाम् ॥५६॥ तै० प्रा० १०, १४—एष्टरे-तनेमन्नोन्नोष्टेवः परो लुप्यते ॥ पा० ६, १, ९४—एष्टि पररूपम् ॥ इस पर वार्तिक (सि० कौ०)—शकन्वादिषु पररूपं वान्यम् । एवे चानियोगे । ओत्वोष्टयोः समासे वा । एमन्नादिषु छन्दसि पररूपं वक्तव्यम् ॥ पा० ६, १, ९५—ओमाढोश्च ।
१४. ऋ० प्रा० २, २१—समानाक्षरमन्तस्थां स्वामकण्ठ्यं स्वरोदयम् ॥ वा० प्रा० ४, ४६—स्वरे भाव्यन्तस्थाम् ॥ तै० प्रा० १०, १५—इवर्णोकारौ यवकारौ ॥ अ० प्रा० ३, ३९—स्वरे नामिनोऽन्तःस्था ॥ पा० ६, १, ७७—इको यणचि ॥
१५. तै० प्रा० ९, ११—एकारोऽयम् ॥ ९, १२—ओकारोऽवम् ॥ ९, १४—ऐकार आयम् ॥ ९, १५—औकार आवम् ॥ ९, १९—लुप्येते त्ववर्णपूर्वो यवकारौ ॥ वा० प्रा० ४, ४७—सन्ध्यक्षरमयवायावम् ॥ ४, १२५—यवयोः पदान्तयोः स्वरमध्ये लोपः ॥ अ० प्रा० ३ ४०, सन्ध्यक्षराणांमयवायावः ॥

२, २१-स्वराद्यवयोः पदान्तयोः ॥ पा० ६, १, ७८-एचोऽयवायावः ॥
८, ३, १९-लोपः शाकृत्यस्य ॥

१६. ऋ० प्रा० २, २८- पूर्वीं चोपोत्तमात्स्वरौ ॥ २, ३१-ओष्ठयोन्योर्भुग्नमनो-
ष्ठ्ये वकारोऽत्रान्तरागमः ॥

१७. टि० १५ में दिये गये लोपसम्बन्धी मतों के अतिरिक्त निम्नलिखित मत भी
मिलते हैं—

तै० प्रा० १०, २०-२३-नोख्यस्य ॥ वकारस्तु सांस्कृत्यस्य ॥
उकारौकारपरौ लुप्येते माचीकस्य ॥ लेशो वात्सप्रस्यैतयोः ॥ पा० ८, ३,
१८-व्योर्लघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य ॥ ८, ३, २०-२१-ओतो गार्ग्यस्य ॥
उञ्चि च पदे ॥ वा० प्रा० ४, १२६-१२८- न वकारस्यासस्थान एकेषाम् ॥
असौ च शाकटायनस्य ॥ प्रउगमिति यकारलोपः ॥ अ० प्रा० २, २२-२४
-नाकाराद्वकारस्य ॥ गविष्टौ गवेपण इति च ॥ लेशवृत्तिरधिस्पर्श शाक-
टायनस्य ॥

उख्य य् तथा व् के लोप को स्वीकार नहीं करता है । सांस्कृत्य
के मतानुसार, व का लोप नहीं होता है । अ० प्रा० का मत है कि क्षा
के पश्चात् आने वाले व् का लोप नहीं होता है । वा० प्रा० कहता है कि
कुछ आचार्य असस्थान स्वर (उ ऊ ओ औ से भिन्न) से पूर्व व् का
लोप नहीं मानते हैं । शाकटायन तथा वात्सप्र के मतानुसार, य् व् का
लेश अथवा लघुप्रयत्नतर उच्चारण होता है; अर्थात् इन का उच्चारण
करते समय जिह्वा के अग्र, उपाग्र, मध्य और मूल भाग क्षिथिल रहते हैं
जिस के कारण से, त्रिभाष्यरत्न के अनुसार, इनका लुप्तवत् उच्चारण
होता है ।

१८. ऋ० प्रा० २, २५-उत्तमौ च द्वौ स्वरौ ॥ भुग्नसंज्ञक वकार के आगम के
लिए देग्विण्, ऋ० प्रा० २, ३१ (टि० १६) ।

१८ क. ऋ० प्रा० २, ७०.....“वासौ” ॥ २, ७२.....“सर्तवाजौ” ॥ पा० ६, ३,
१०९ पर पठित वार्तिक “पीवोपवसनादीनां छन्दसि लोपः” के व्याख्यान
में पतञ्जलि ने महाभाष्य में ‘श्रियेदम्’ (=श्रिये+इदम्) का उदाहरण
दिया है । कैयट इस में इदम् के इकार का लोप मानता है ।

- १८ ख. Alt. Gr. I, p. 316; Ved. Gr., p. 64; Ved. Gr. Stu.; p. 24; Gr. Lg. Ved., p. 93.
१९. ऋ० प्रा० २, ३४-अथाभिनिहितः सन्धिरेतैः प्राकृतवैकृतैः। एकीभवति पादादिरकारस्तेऽत्र सन्धिजाः ॥ दे० ऋ० प्रा० २, ३५-४८ ॥ वा० प्रा० ४, ६१-एदोद्भ्यां पूर्वमकारः ॥ अ० प्रा० ३, ५३-एकारौकारान्तात्पूर्वः पदादिरकारस्य ॥ तै० प्रा० ११, १-लुप्यते त्वकार एकारौकारपूर्वः ॥ पा० ६, १, १०९-एळः पदान्तादति ॥
२०. Alt. Gr. I, p. 324; Ved. Gr., p. 66; Ved. Gr. Stu., p. 23; Gr. Lg. Ved., p. 93. दे० ऋ० प्रा० २, ७३ ॥
२१. Alt. Gr. I, p. 325 n.; Ved. Gr., p. 66 n. 7.
२२. पाणिनि तथा प्रातिशाख्यकारों ने कतिपय शब्दों का तथा कुछ विशेष परिस्थितियों का परिगणन किया है जिन में पदादि अ का पूर्वरूप नहीं बनता है ।

ऋ० प्रा० २, ४९-५०-अन्योऽर्वाकेऽथो इति नोदयेषु पुत्रः पराके च परावतश्च ॥४९॥ अन्तःपादं च वयो अन्तरिक्षे वयो अस्याश्रथयो हेतयस्त्रयः । वो अन्धसः शयवे अद्विनोभये श्रवो अधि सार्ज्यो जामयः पयः ॥५०॥ वा० प्रा० ४, ८१-प्रकृतिभाव ऋक्षु ॥ दे० वा० प्रा० ४, ८२-८५ ॥ अ० प्रा० ३, ५४-क्वचित्प्रकृत्या ॥ पा० ६, १, ११५-प्रकृत्यान्तःपादमव्यपेर ॥ इस सूत्र के पाद शब्द पर काशिकावृत्ति कहती है—“पादशब्देन च ऋक्पादस्यैव ग्रहणमिष्यते न तु श्लोकपादस्य ।” इन नियमों में अन्तःपाद शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है ।

पा० ६, १, ११६-१२२-अव्यादवद्यादवकमुरव्रतायमवन्वस्सुषु च ॥ यजुष्युरः ॥ आपो जुषाणोवृष्णोवर्षिष्ठेऽम्बालेऽम्बिके पूर्वे ॥ अङ्ग इत्यादौ च ॥ अनुदात्ते च कुधपरे ॥ अवपथासि च ॥ सर्वत्र विभाषा गोः ॥

२३. Alt. Gr. I, p. 324; Skt. Gr., p. 47; Ved. Gr. p. 66; Ved. Gr. Stu., p. 23.
२४. तै० प्रा० १०, २४-न प्लुतप्रग्रहौ ॥ पा० ६, १, १२५-प्लुतप्रग्रह्या अचि नित्यम् ॥ प्रकृत पाठ महाभाष्य तथा सि० कौ० के अनुसार दिया गया है, परन्तु काशिकावृत्ति में दिये गये पाठ में नित्यम् शब्द नहीं मिलता है

त्वादप्रमाणमेतत् । 'मणीवोष्ट्रस्य' इति तु प्रयोगो वाशब्दस्योपमानार्थस्य । 'रोदसीव' इत्यादिस्तु छान्दसः प्रयोगः । छन्दसि तु सर्वे विधयो विकल्प्यन्ते ।" भट्टोजिदीक्षित (पा० १, १, ११ पर सि० कौ०) भी काशिका से सहमत नहीं है और कहता है कि 'मणीवोष्ट्रस्य' में इव के अर्थ वाला व अथवा वा निपात समझना चाहिए । पाश्चात्य विद्वान् (Alt. Gr. I, pp. 317n., 321n., Ved. Gr., p. 65 n. 12; Gr. Lg. Ved., p. 95) भी इस प्रकार के उदाहरणों में व निपात की कल्पना का समर्थन करते हैं । पदकार शाकल्य इन सब उदाहरणों में इव के साथ सर्वर्णदीर्घसन्धि मानता है और इव को अवग्रह द्वारा पृथक् करता है । यद्यपि कृनीन्केव (ऋ० ४, ३२, २३) में शाकल्य इव (कृनीन्का ऽ इव) मानता है, तथापि इस में इव की अपेक्षा व निपात मान कर 'कृनीन्के+व' पदपाठ करना अधिक उचित प्रतीत होता है । दे० निरुक्त ४, १५; Geldner's German Translation of RV. IV, 32, 23 (HOS. Vol. 33, p. 462 f. n.) ।

२६क. नृपतीव उदाहरण के लिये देखिये Alt. Gr. I, p. 321n.; Ved. Gr., p. 65; Whitney's note on A. Pr. (III, 33), J A O S., Vol. VII, p. 474. परन्तु अथर्ववेद के अनेक भारतीय संस्करणों में नृपती इव पाठ मिलता है ।

२७. वा० प्रा० ४, ८८— न रोदसीमे ॥ ऋ० प्रा० २, ७२ ॥

२७ क. Alt. Gr. I, p. 321n.; Ved. Gr., p. 65.

२८. Alt. Gr. I, p. 326n.; Ved. Gr., p. 66 n.9. इस उदाहरण के लिये दे० ऋ० प्रा० २, ७० ॥ इस के व्याख्यान में उवट कहता है—“इकारलोपो निपातितः । पदान्तपदाद्योरेत्वं वा ।”

२९. ऋ० प्रा० १, ७२— साप्तमिकौ च पूर्वा ॥ अ० प्रा० १, ७४— ईकारो-
कारौ च सप्तम्यर्थे ॥ पा० १, १, १९— ईदूतौ च सप्तम्यर्थे ॥ तै० प्रा०
४, ५— ऊकारः ॥

३०. Alt. Gr. I, pp. 320-21; Ved. Gr., p. 66; Ved. Gr. Stu., p. 25 f. n. 4.

३१. अ० प्रा० १, ७७— अस्मे युष्मे त्वे मे इति चोदात्ताः ॥ ऋ० प्रा० १, ७३-७४— अस्मे युष्मे त्वे अमी च प्रगृह्याः ॥७३॥ उपोत्तमं नानुदात्तं न पद्यम् ॥७४॥ वा० प्रा० १, ९६-९७— चमू अस्मे त्वे ॥९६॥ मे उदात्तम् ॥९७॥ तै० प्रा० ४, ९-१०— अस्मे ॥९॥ त्वे इत्यनिग्यान्तः ॥१०॥ पा० १, १, १३— शे ॥ ऋ० प्रा० (१, ७४) तथा तै० प्रा० (४, १०) के अनुसार, जब त्वे किसी समास का अन्तिम पद हो, तब इसे प्रगृह्य नहीं मानते हैं। कुछ पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार, त्वे के अनुकरण पर अस्मे, युष्मे का पदान्तीय ए भी संहिता तथा पदपाठ में प्रगृह्य माना जाता है, परन्तु यह सन्दिग्ध है कि मूल ऋ० में भी इनका ए प्रगृह्य माना जाता था। दे० Alt. Gr. I, p. 326; Ved. Gr., pp. 66-67.

३२. ऋ० प्रा० १, ७३ (दे० टि० ३१); अ० प्रा० १, ७८— अमी बहुवचनम् ॥ वा० प्रा० १, ९८— अमी पदम् ॥ तै० प्रा० ४, १२— अमी चक्षुषी... ॥ पा० १, १, १२— अदसो मात् ॥ इस सूत्र के व्याख्यान में काशिकावृत्ति कहती है—“अदसः सम्बन्धी यो मकारस्तस्मात्पर ईदूदेतः प्रगृह्यसंज्ञा भवन्ति । एकारस्य नास्त्युदाहरणम् ।” भट्टोजिदीक्षित ने सि० कौ० में इस सूत्र के व्याख्यान (“अस्मात्परावीदूतौ प्रगृह्यौ स्तः”) में एकार का सन्निवेश ही नहीं किया है। और इसके साथ भट्टोजिदीक्षित का कथन है—“असति माद्ग्रहणे एकारोऽप्यनुवर्तेत ।” जैसा कि वालमनोरमा तथा तत्त्वबोधिनी टीका में कहा गया है, इस सूत्र में एकार की अनुवृत्ति नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि यदि शास्त्रीय दृष्टि से अदस के द्विवचनान्त रूप अमू के उत्व तथा मुत्व के असिद्धत्व (दे० पूर्वत्रासिद्धम्) की आपत्ति का निराकरण किया जा सके, तो पूर्ववर्ती सूत्र (ईदूदेद् द्विवचनं प्रगृह्यम्) से ही द्विवचनान्त अमू के ऊ का प्रगृह्यत्व सिद्ध हो सकता है। और उस अवस्था में प्रकृतसूत्र के व्याख्यान में ऊद् की अनुवृत्ति भी व्यर्थ हो जाती है। इस टिप्पणी में उद्धृत प्रातिशाख्य-प्रमाण से प्रतीत होता है कि पाणिनि के प्रकृत सूत्र का मूल प्रयोजन प्रातिशाख्यों की भांति, केवल अमी के ई का प्रगृह्यत्व सिद्ध करना रहा होगा। परन्तु कालान्तर में व्याख्याकार अपने अपने अर्थ निकालने लगे।

और पूर्ववर्ती सूत्र "इन्द्रे च नित्यम्" से नित्यम् की अनुवृत्ति की गई है। तै० प्रा० में सर्वत्र प्रगृह्य शब्द के स्थान पर प्रग्रह शब्द का प्रयोग किया गया है। दे० तै० प्रा० १, ६०; ४, १; १५, ६ ॥

अ० प्रा० ३, ३३-प्रगृह्याश्च प्रकृत्या ॥ वा० प्रा० ४, ८७-प्रगृह्यं स्वरे ॥ ऋ० प्रा० २, ५१-५२-प्रकृत्येति करणादौ प्रगृह्याः ॥५१॥ स्वरेषु चार्ध्याम् ॥५२॥

२४क. वा० प्रा० २, ५३-आसीदिति चोत्तरं विचारे ॥ पा० ८, २, ९७-विचार्य-माणानाम् ॥

२४ख. पा० ८, २, ८२-१०५; शां० श्रौ० सू० १, २, १-८; आश्व. श्रौ० सू० १, ४, १३; १, ५, ७-८; आप० ध० सू० १, २, ५, १७; वा० ध० सू० १३, ४६; मनु० २, १२५ ।

२४ग. आश्व० श्रौ० सू० १, ५, ९-विविच्य सन्व्यक्षराणामकारं न चेद्वैवचनो व्यञ्जनान्तो वा ॥ इस सूत्र पर नारायण अपनी वृत्ति में कहता है—“न चेत्यप्रगृह्य इति पठितव्ये न चेद्वैवचन इति प्रमादपाठः । ऋगन्ते यान्यक्षराणि प्रगृह्याणि तेषां स्वरूपेणैव सर्वत्र प्लुतिः कार्या न विवेकः कर्तव्यः । यान्यप्रगृह्याणि सन्व्यक्षराणि तानि विविच्याकारमेव प्लावयेदिति” । शां० श्रौ० सू० १, २, ४-७ ॥

पा० ८, २, १०७— एचोऽप्रगृह्यस्यादूराद्धूते पूर्वस्यार्धस्या-दुत्तरस्येदुत्तौ ॥ वार्तिक—प्रश्नान्ताभिपूजितविचार्यमाणप्रत्यभिवादया-ज्यान्तेष्विति वक्तव्यम् ॥ आमन्त्रिते छन्दसि प्लुतविकारोऽयं वक्तव्यः ॥

२४घ. पा० ८, २, १०८—तयोर्ध्वावचि संहितायाम् । तै० प्रा० १, ४—“न प्लुतपूर्वम्” के अनुसार, जिस समानाक्षर से पूर्व प्लुत हो वह सवर्ण नहीं माना जाता है। अत एव असमान होने के कारण सवर्णदीर्घसन्धि नहीं होती और यण् चन कर य् व् का लोप हो जाता है (दे० टि० १५) ।

२४ङ्. पा० ८, २, ९१ पर काशिका (चौखम्बा संस्करण पृ० ७३४) में दिये गये उदाहरण में “सोमस्याग्ने वीहि वौ ३ पट्” का अशुद्ध पाठ वीहि छपा है; सि० कौ० (वेङ्कटेश्वरप्रेस संस्करण पृ० ५१२) में वीही और सि० कौ० (मोतीलाल बनारसीदास संस्करण ४ र्थ भाग, पृ० ३८९) में वीही पाठ छपा है।

२४क. पा० ८, २, १०६- प्लुतावैच इदुतौ ॥ काशिका में इनकी ३, २३ तथा ४ मात्राओं का वर्णन इस प्रकार किया गया है— “अत्र यदेवर्णोवर्णयोरवर्णस्य च समविभागस्तदा इदुतौ द्विमात्रावनेन प्लुतौ क्रियेते । प्लुताविति हि क्रियानिमित्तोऽयं व्यपदेशः । इदुतौ प्लवते वृद्धिं गच्छत इत्यर्थः । तावती च सा प्लुतिर्भवति । यया तावैचौ त्रिमात्रौ संपद्येते । यदा त्वर्द्धमात्रावर्णस्याध्यर्द्धमात्रा इवर्णोवर्णयोस्तदा तावर्द्धनृतीयमात्रौ क्रियेते इति । भाष्ये तूक्तमिष्येते चतुर्मात्रः प्लुत इति । तत्कथम् ? समप्रविभागपक्षे इदुतोरनेन त्रिमात्रः प्लुतः विधीयते ।”

२५. पा० १, १, ११— ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम् ॥ अ० प्रा० १, ७५-७६— द्विवचनान्तौ ॥७५॥ एकारश्च ॥७६॥ वा० प्रा० १, ९२-९३-प्रगृह्यम् ॥९२॥ एकारेकारोकारा द्विवचनान्ताः ॥९३॥ ऋ० प्रा० १, ७१—षष्ठादयश्च द्विवचोऽन्तभाजस्त्रयो दीर्घाः ॥ तै० प्रा० (४, १, १०, २४) में प्रगृह्य के स्थान पर प्रग्रह संज्ञा का प्रयोग किया गया है । तै० प्रा० ४, ३ कहता है कि केवल पदान्तीय स्वर ही प्रगृह्य हो सकता है । तै० प्रा० (४, १-५४) ने प्रग्रहसंज्ञक स्वरों के लिये कुछ साधारण नियम देकर उन शब्दों की परिगणना की है जिनके पदान्तीय ए, ई प्रग्रहसंज्ञक हैं । दे० तै० प्रा० ४, ५-ऊकारः ।

२५क. Alt. Gr. I, pp. 320, 322; Ved. Gr., p. 65; Ved. Gr. Stu., p. 25.

२६. ऋ० प्रा० २, ५५— त्र्यक्षरान्तास्तु नेवे ॥ इस सम्बन्ध में पा० १, १, ११ पर काशिका में निम्नलिखित वचन मिलता है—“ईदादीनां प्रगृह्यत्वे मणीवादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः ।” ; और उदाहरणार्थ निम्नलिखित श्लोकार्ध दिया गया है—

मणीवोष्ट्रस्य लम्बेते प्रियौ वत्सतरौ मम । (महाभारत १२, १७१, १२), इस के अतिरिक्त काशिका ने निम्नलिखित उदाहरण भी प्रस्तुत किये हैं— दम्पतीव, जम्पतीव, रोदसीव । परन्तु कैम्यट (पा० १, १, ११ के महाभाष्य पर प्रदीप में) इसे वार्तिक नहीं मानता है और कहता है— “मणीवादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः” इति भाष्यकारवार्तिककाराभ्यामपठित-

३३. ऋ० प्रा० १, ७५— उकारश्चेतिकरणेन युक्तो रक्तोऽपृक्तो द्राघितः शाकलेन ॥ वा० प्रा० १, ९५— उकारोऽपृक्तः ॥ वा० प्रा० ४, ९३— उकारोऽपृक्तो दीर्घमनुनासिकम् ॥९३॥ अ० प्रा० १, ७२-७३— उकार-स्येतावपृक्तस्य ॥७२॥ दीर्घः प्रगृह्यश्च ॥७३॥ पा० १, १, १७-१८— उजः ॥१७॥ ऊँ ॥१८॥ दोनों सूत्रों में पूर्ववर्ती सूत्र (संबुद्धौ शाकल्य-स्येतावनार्षे) से “शाकल्यस्येतावनार्षे” की अनुवृत्ति मानी जाती है और इस सम्बन्ध में दे० ऋ० प्रा० १, ७५ इसी टि० में । इन दोनों सूत्रों के महाभाष्य में बतलाया गया है— “शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन ऊँ विभाषा यथा स्यात् । ऊँ इति, उ इति । अन्येषामाचार्याणां मतेन-विति ।” इस प्रकार पाणिनीय व्याकरण के अनुसार तीन रूप वनते हैं ।
३४. ऋ० प्रा० २, ५६— आप्यामेव संध्यकारपूर्वो विवृतेश्च प्रत्ययः सन्नु-कारः ॥ वा० प्रा० ४, ९०— उकारो ऽपृक्तोऽस्पर्शात् ॥ पा० ८, ३, ३३— मय उजो वो वा । अ० प्रा० ३, ३६— केवल उकारः स्वरपूर्वः ॥
३५. तै० प्रा० ९, १६-१७— उकारो ऽपृक्तः प्रकृत्या वकारो ऽन्तरे ॥१६॥ न तत्तस्मात्सँहितः ॥१७॥
३६. तै० प्रा० ३, १४; ४, ५ ॥ ऋ० प्रा० ७, १७; ८, १-३; २, ७१ ॥
३७. यद्यपि पाणिनि तथा प्रातिशाख्यकारों ने उ की गुणसन्धि से बनेने वाले ओ एकादेश के प्रगृह्यत्व का पृथक् विधान नहीं किया है, तथापि उन के निम्नलिखित सूत्र इस के लिये लागू होते हैं— पा० १, १, १५— ओत् ॥ अ० प्रा० १, ८०— ओकारान्तश्च ॥ ऋ० प्रा० १, ६९-७०— पदं चान्यः ॥ अपूर्वपदान्तगश्च ॥ तै० प्रा० ४, ७ ॥
३८. पा० १, १, १६— संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे ॥ अ० प्रा० १, ८१— आमन्त्रितं चेतावनार्षे ॥ ऋ० प्रा० १, ६८— ओकार आमन्त्रितजः प्रगृह्यः ॥ वा० प्रा० १, ९४— ओकारश्च पदान्ते ऽनवग्रहः ॥ वा० प्रा० ४, ९२— ओकारश्च ॥ तै० प्रा० ४, ६-७— ओकारो ऽसँहितोऽकार-व्यञ्जनपरः ॥६॥ समहदधपित्पूर्वश्च ॥
३९. ऋ० प्रा० २, ५९; वा० प्रा० ४, ८६ (दे० टि० ८क) ।

- ३९क. सायण ऋ०भाष्य में सुशर्मा का अर्थ "सुकर्माणः" करता है, परन्तु पाश्चात्य विद्वान् इसे तृतीयान्त रूप मानते हैं । दे० Alt. Gr. I, p. 321; Ved. Gr., p. 66.
- ३९ख. तै० प्रा० १०, १८; ४, ५३ ॥
४०. Alt. Gr. I, p. 312; Ved. Gr., p. 62; Gr. Lg. Ved., pp. 85, 42.
- ४०क. ऋ० प्रा० ७-६ पटल; वा० प्रा० ३, ९७-१३०; अ० प्रा० ३, १-२५ ॥ इन सब प्रातिशाख्यों के विपरीत तै० प्रा० ३, १-१५ यह विधान करता है कि संहितापाठ से पदपाठ बनाने समय कौन-कौन से पदान्तीय दीर्घ स्वरों का पदपाठ में ह्रस्व रूप करना चाहिए । तै० प्रा० के इन सब नियमों का आधार सामवशसन्धि ही है ।
- ४०ख. Alt. Gr. I, p. 311; Ved. Gr., p. 62.
- ४०ग. ऋ० प्रा० ८, ३६-३९— एकादशिद्वादशिनोर्लघावष्टममक्षरम् । उदये संहिताकाले ॥३६॥ नः करे च गुरावपि ॥३७॥ दशमं चैतयोरेवम् ॥३८॥ षष्ठं चाष्टाक्षरे ऽक्षरम् ॥३९॥
- ४०घ. Alt. Gr. I, pp. 310-311; Ved. Gr., p. 63 f. n. 1.
- ४०ङ. Gr. Lg. Ved., p. 86.
४१. ऋ० प्रा० २, १०— तत्र प्रथमास्तृतीयभावं प्रतिलोमेषु नियन्ति ॥ वा० प्रा० ४, ११८— स्पर्शोऽपञ्चमः स्वरधौ तृतीयम् ॥ अ० प्रा० २, २— पदान्तानामनुत्तमानां तृतीया घोषवत्स्वरेषु ॥ तै० प्रा० ८, १०३— अथ प्रथमः ॥१॥ तृतीयं स्वरघोषवत्परः ॥ आश्व० श्रौ० सू० १, ५, १३—प्रथमः स्वं तृतीयम् ॥ पाणिनि (८, २, ३९— झलां जशोऽन्ते) पदान्त में साधारणतया वर्णों के तृतीय वर्णों का विधान करता है और भवसान में (८, ४, ५६— वावसाने) विकल्प से प्रथम वर्णों को पदान्तीय मानता है ।
- ४१क. ऋ० प्रा० ४, २— घोषवत्पराः प्रथमास्तृतीयान्स्वान् ॥ वा० प्रा०, अ० प्रा० तथा तै० प्रा० के नियम टि० ४० में देखिए ॥ पा० ८, ४, ५३— झलां जश् झशि ॥

४२. ऋ० प्रा० ४, ३— उत्तमानुत्तमेषूदयेषु ॥ वा० प्रा० ४, १२१— पञ्चमे पञ्चमम् ॥ अ० प्रा० २, ५— उत्तमा उत्तमेषु ॥ तै० प्रा० ८, २— उत्तमपरं उत्तमं सवर्गीयम् ॥ पा० ८, ४, ४५— यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा ।
- ४२क. कीथ ने (HOS. Vol. 18, p. xxxviii) इस प्रश्न पर विचार किया है । Cf. Alt. Gr. I, p. 328; Ved. Gr., p. 67 f.n. 8; Gr. Lg. Ved., pp. 80, 97.
४३. ऋ० प्रा० ४, ५— पदान्तैस्त्रैरेव तृतीयभूतैस्तेषां चतुर्थानुदयो हकारः ॥ वा० प्रा० ४, १२२— हश्च तस्मात् पूर्वचतुर्थम् ॥ अ० प्रा० २, ७— तेभ्यः पूर्वचतुर्थो हकारस्य । तै० प्रा० ५, ३८— प्रथमपूर्वो हकारश्चतुर्थं तस्य सस्थानं प्लाक्षिकौण्डिन्यगौतमपौष्करसादीनाम् ॥
४४. पा० ८, ४; ६२— झयो होऽन्यतरस्याम् ॥ तै० प्रा० ५, ३९-४१— अविष्कृत एकेषाम् ॥३९॥ चतुर्थोऽन्तरे शैत्यायनादीनाम् ॥४०॥ मीमांसकानां च ॥४१॥ संहिताओं में इन मतों का समर्थन नहीं मिलता है और प्रायेण उपर्युक्त (टि० ४३) नियम के अनुसार विकार होता है ।
४५. ऋ० प्रा० ४, १०— तकारो जकारलकारयोस्तौ ॥ वा० प्रा० ४, १३— तकारो ले लम् ॥ अ० प्रा० २, १३— तकारस्य शकारलकारयोः परसस्थानः ॥ तै० प्रा० ५, २५— लपरौ लकारम् ॥ पा० ८, ४, ६०— तोर्लि ॥
४६. ऋ० प्रा० ४, १० (टि० ४५) । ऋ० प्रा० ४, ११— तालव्येऽघोष उदये चकारम् ॥ वा० प्रा० ४, १५-१६ तकारवर्गश्चकारवर्गे चकारवर्गम् ॥१५॥ शकारे च ॥१६॥ तै० प्रा० ५, २२-२३— तकारश्चकारं शचछपरः ॥२२॥ जपरो जकारम् ॥२३॥ अ० प्रा० २, १३ (टि० ४५); २, १४ (टि० ४७) ॥ पा० ८, ४, ४०— स्तोः ङुना ङुः ॥
४७. अ० प्रा० २, १४— चटवर्गयोश्च ॥ पा० ८, ४, ४१— ङुना ङुः ॥
४८. ऋ० प्रा० ४, १२— छकारं तयोरुदयः शकारः ॥ अ० प्रा० २, १७— तवर्गीयाच्छकारः शकारस्य ॥
४९. ऋ० प्रा० ४, ४— सर्वैः प्रथमैरुपधीयमानः शकारः शाक्त्यपितुश्छकारम् ॥ ४ १३— न शाक्त्यस्य ॥ वा० प्रा० ४, १७— परश्चास्पर्शपरश्छम् ॥ तै० प्रा० ५, ३४-३७— स्पर्शपूर्वः शकारदछकारम् ॥३४॥ न मकारपूर्वः ॥३५॥ पकारपूर्वश्च वात्मीकेः ॥३६॥ व्यञ्जनपरः पौष्करसादेर्न पूर्वश्च गकारम् ॥३७॥

५०. पा० ८,४,६३—शश्छोऽटि ॥ वार्तिक—छत्वममीति वक्तव्यम् ॥
५१. ऋ० प्रा० ६,१५—पदान्तीयो ह्रस्वपूर्वो ङकारो, नकारश्च क्रामत उत्तरे स्वरे ॥ वा० प्रा० ४, १०६—ङ्नाँ चेद्घ्रस्वपूर्वो स्वरे पदान्तौ ॥ अ० प्रा० ३,२७—ङणना ह्रस्वोपधाः स्वरे ॥ तै० प्रा० ९, १८—ह्रस्वपूर्वो ङकारो द्विवर्णम् ॥ पा० ८,३,३२—ङमो ह्रस्वादचि ङमुणित्यम् ॥

अ० प्रा० तथा पाणिनि ङ् नू के साथ ण् के लिए भी इसी द्वित्व का विधान करते हैं। परन्तु वेद में पदान्तीय ण् का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। पाणिनि ङ् ण् नू का द्वित्व न मान कर परवर्ती स्वरों के लिए ङमुट् आगम का विधान करता है।

५२. अ० प्रा० २,९—ङणनेभ्यः कट्तैः शषसेषु ॥ वा० प्रा० ४, १५—ङ्नाँ चाभ्यां सकारे ॥ तै० प्रा० ५,३२—ङपूर्वः ककारः सषकारपरः ॥
५३. ऋ० प्रा० ४,१६—ङकारेऽघोषोष्मपरेऽन्तरैके ककारम् ॥ वा० प्रा० ४, १६—न दाल्भ्यस्य ॥ पा० ८,३,२८—ङ्णोः कुक्डुकु शरि ॥ “चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेरिति वान्यम् ॥” पा० ८,४,४८ पर पठित इस वार्तिक के अनुसार, आगम के क् तथा ट् शब्द से पूर्व क्रमशः ख् तथा ङ् में बदल जाते हैं। दे० पा० ८,३,२८ पर सि० कौ०। तै० प्रा० (५, ३२) के माहिषेय भाष्य में दिये गये उदाहरणों में ङ् के पश्चात् ख् का आगम दिखलाया गया है। परन्तु मुद्रित तै० सं० के इन उदाहरणों में ख् का आगम नहीं मिलता है। पाश्चात्य विद्वान् भी क् के आगम को वैकल्पिक मानते हैं; दे० Alt. Gr. I, p. 332; Ved. Gr., p. 69 f.n. 13; Gr. Lg. Ved., p. 99.
५४. ऋ० प्रा० ६,१५ (टि० ५१); वा० प्रा० ४,१०६ (टि० ५१); अ० प्रा० ३,२७ (टि० ५१); तै० प्रा० ९,१९—नकारश्च ॥
५५. पदान्तीय नू के लोप के सम्बन्ध में जो अनेक सिद्धान्त मिलते हैं उन का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है।

(क) ऋ० प्रा० ४, ६५—“नकार आकारोपधः पदान्तोऽपि स्वरोदयः। लुप्यते ॥” के अनुसार. पदान्तीय नू का लोप हो जाता है; और ऋ० प्रा० ४, ८०—“नकारस्य लोपरेफोष्मभावे पूर्वस्तत्स्थानादानुनासिकः

द्वितीयोऽध्यायः

स्वरः ॥” के अनुसार, न् का लोप होने पर उपधा का स्वर अनुनासिक बन जाता है।

(ख) तै० प्रा० ९, २०—“अनितिपरो ग्रहोख्ययाज्यापृष्ठ्यहिरण्यवर्णयिष्वीकारो-
कारपूर्वो रेफमाकारपूर्वश्च यकारम् ॥” के अनुसार, “इति” के इ से
भिन्न स्वर से पूर्व आने वाले पदान्तीय न् की उपधा में जब ई या ऊ हो तब
उस का र् बनता है और जब उपधा में आ हो तब उस का य् बनता है।
और तै० प्रा० १०, १९—“लुप्येते त्ववर्णपूर्वौ यवकारौ” के अनुसार,
जिस पदान्तीय य् व् की उपधा में अकार (अ आ) हो उस य् व् का
लोप हो जाता है। तै० प्रा० १५, १—“नकारस्य रेफोभ्यकारभावाल्लुप्ते
च मलोपाच्च पूर्वस्वरोऽनुनासिकः ॥” के अनुसार, पदान्तीय न् की उपधा
के आ ई ऊँ का अनुनासिक रूप बन जाता है। इसी प्रकार वा० प्रा० ३,
१४३—“आकारोपधो यकारम् ॥” के अनुसार, आ के पश्चात् आने
वाले पदान्तीय न् का स्वर से पूर्व य् बन जाता है; वा० प्रा० ४, १२५—
“यवयोः पदान्तयोः स्वरमध्ये लोपः ॥” के अनुसार, ऐसे य् का लोप
हो जाता है; और वा० प्रा० ३, १३१—“अनुनासिकमुपधा प्रागन्त-
स्थायाः ॥” के अनुसार, उपधा के आ का अनुनासिक बन जाता है।

(ग) अ० प्रा० २, २७—“आकारोपधस्योपबद्धादीनां स्वरे ॥” के अनुसार, आ
के पश्चात् आने वाला पदान्तीय न् स्वर से पूर्व विसर्जनीय बन जाता है;
अ० प्रा० २, ४१—“स्वरे यकारः ॥” के अनुसार, स्वर से पूर्व विसर्जनीय
का य् बनता है; अ० प्रा० २, २१—“स्वराद् यवयोः पदान्तयोः ॥” के
अनुसार, स्वर के पश्चात् आने वाले य् व् का लोप हो जाता है; और
अ० प्रा० १, ६८—“थरोष्मापतौ ॥” के अनुसार, न् का विसर्जनीय
बनने पर उपधा के स्वर का अनुनासिक बन जाता है।

(घ) पा० ८, ३, ९—“दीर्घादिति समानपदे ॥” के अनुसार, दीर्घ स्वर के
पश्चात् आने वाला पदान्तीय न् षट् (स्वर तथा इ य् व् इ) से पूर्व “रु”
में परिणत हो जाता है; पा० ८, ३, १७—“भोभगोअघोअपूर्वस्य योऽशि ॥”
के अनुसार, भो आदि तथा अकार (अ आ) के पश्चात् आने वाला
“रु” षट् (स्वर तथा घोप व्यञ्जनों) से पूर्व य् में परिणत हो जाता है;

पा० ८, ३, १९—“लोपः शाकल्यस्य ॥” के अनुसार, अकार के पश्चात् आने वाले पदान्तीय य् व् अश् से पूर्व छुप्त हो जाते हैं; और पा० ८, ३, ३—“आतोऽटि नित्यम् ॥” के अनुसार, पदान्तीय न् का “रु” बनने पर अट् से पूर्व उपधा के आ का अनुनासिक बन जाता है। कहीं-कहीं अनुनासिक के स्थान पर जो अनुस्वार मिलता है, उस के सम्बन्ध में पा० ८, ३, ३ पर काशिका कहती है—“केचिदनुस्वारमधीयते। स च्छान्दसो व्यत्ययो द्रष्टव्यः”।

(छ) मैक्डानल (Ved. Gr., p. 68) के अनुसार, आ के पश्चात् आने वाले पदान्तीय न् का अनुनासिक बनता है। परन्तु Ved. Gr. Stu., p. 31 में मैक्डानल कहता है कि पदान्तीय न् का अनुस्वार बनता है। दे० प्रथम अध्याय टि० ९७। इस सन्धि-विकार के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि जिस पदान्तीय न् के सन्धि-विकार से उपधा का स्वर अनुनासिक बनता है वह न् मूलध्वनि न्स (ns) का प्रतिनिधित्व करता है; यथा—वृकान् (*वृकन्स) = Goth. *vulfans*. परन्तु जहाँ पदान्तीय न् न्स का प्रतिनिधित्व नहीं करता वहाँ समानपाद में भी स्वर से पूर्व न् अविकृत रहता है और उपधा के स्वर का अनुनासिक नहीं बनता है। लेट् प्र० पु० व० के जिन रूपों के अन्त में -भान् मिलता है उनका पदान्तीय न् मूलध्वनि न्त्वे का प्रतिनिधि माना जाता है और समानपाद में स्वर से पूर्व भी उस में कोई विकार नहीं होता है; यथा—आ बहान् आशु (ऋ० १, ८४, १८); गच्छान् इत् (ऋ० ८, ७९, ५); इत्यादि। दे० Alt. Gr. I, p 330; Ved. Gr., pp. 68-69; Ved. Gr. Stu., p. 31 f.n. 3; Gr. Lg. Ved., p. 98.

५६. ऋ० प्रा० ४, ७३। दे० टि० ५५ (ड)।

५६क. ऋ० प्रा० ४, ६६ ॥

५६ख. वा० प्रा० ३, १४७-१५०; तै० प्रा० ९, २३-२४। दे० टि० ५५ (ड)।

५७. ऋ० प्रा० ४, ७०-७१—स्वरेषु च ॥७०॥ दस्यूरेको नूरभि च ॥७१॥
 ऋ० प्रा० ४, ८० (टि० ५५क)। वा० प्रा० ३, १४२—शत्रून् परिधीन् कतून् वनस्पतीन् स्वरे रेफम् ॥ वा० प्रा० ३, १३१ (टि० ५५ख)।

द्वितीयोऽध्यायः

तै० प्रा० ९, २०; १५, १ (टि० ५५ख) । अ० प्रा० २, २९—
नाम्युपधस्य रेफ ऋतूर्त्तृजते वशीत्येवमादीनाम् ॥ अ० प्रा० १, ६८
(टि० ५५ग) । पा० ८, ३, ९ (टि० ५५घ) ; ८, ३, २— अत्रानुनासिकः
पूर्वस्य तु वा ॥

५७क. Alt. Gr. I, p. 330; Ved. Gr., p. 68f. n. 15; Ved. Gr.
Stu.; p. 31 f. n. 4. र से पूर्व र के लोप के लिए दे० अनु० ५८(ग) ।

५८. ऋ० प्रा० ४, ६८— वितृत्त्यभिप्रायेषु च पीवोअर्ज्ञाँ रयिवृधः ।
दधन्वाँ यो जुजुवाँ यः स्ववाँ यातु दद्वाँ वेति ॥ अ० प्रा० २, २८—
वृक्षाँ वनानीति वकारे ॥ पा० ८, ३, ९ (टि० ५५घ) । वा० प्रा० ३, १३७-
३८— दधन्वान् स्ववान्यकारे लोपम् ॥१३७॥ रयिवृधे च ॥१३८॥ इन
दोनों सूत्रों के भाष्य में उवट कहता है कि उक्त पदों के पदान्तीय न् का
लोप होने पर उपधा के आ का अनुनासिक नहीं बनता है । वा० सं १९,
२; २७, २३ के उदाहरण उवट के भाष्य तथा उदाहरणों के अनुसार हैं ।
परन्तु वा० सं० ३४, २६ का उदाहरण— “स्ववाँ यात्वर्वाङ्” उवट के
भाष्य तथा उदाहरण (स्ववाँ यात्वर्वाङ्) से भिन्न है ।

५९. ऋ० प्रा० ४, ६९— हतं योनौ वचोभिर्यान्युवन्पूर्वनिपीष्टेति । ईकारोका-
रोपहितो रेफमेषु ॥ पा० ८, ३, ९ (टि० ५५घ) ।

६०. ऋ० प्रा० ४, ८— तथा नकार उदये लकारे ॥ वा० प्रा० ४, १४—
नुस्वानुनासिकम् ॥ अ० प्रा० २, ३५— उभयोर्लकारे लकारोऽनुनासिकः ॥
तै० प्रा० ५, २५-२६— लपरौ लकारम् ॥२५॥ नकारोऽनुनासिकम् ॥२६॥
पा० ८, ४, ६०— तोर्लि ॥

६१. तै० प्रा० ५, ३१—उत्तमलभावात्पूर्वोऽनुनासिक इत्यात्रियः ॥

६२. ऋ० प्रा० ४, ९— अकारं शकारचकारवर्गयोः ॥ वा० प्रा० ४, ९५-
९६ (टि० ४६) ॥ पा० ८, ४, ४० (टि० ४६) ॥ अ० प्रा० २, १०-
११—नकारस्य शकारे अकारः ॥१०॥ चवर्गोये घोषवति ॥११॥ तै० प्रा०
५, २४—नकार एतेषु अकारम् ॥

६३. विभिन्न ग्रन्थों में इस सन्धि का व्याख्यान निम्नलिखित प्रकार से किया
गया है—

(क) वा० प्रा० ३,१३४-३५—“नुः ॥१३४॥ चच्छयोः शम् ॥१३५॥” तथा तै० प्रा० ५,२०—“नकारः शकारं चपरः ॥” के अनुसार, च् से पूर्व पदान्तीय न् का श् वनता है और टि० ५५ (ख) में दिये गये नियम से उपधा का स्वर अनुनासिक वन जाता है। वा० प्रा० ने छ् से पूर्व भी पदान्तीय न् के लिये इस विकार का विधान किया है, परन्तु संहिताओं में इस का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। इसलिये वा० प्रा० ३,१३५ पर अपने भाष्य में उवट कहता है—“छकारोदाहरणं मृग्यम्।”

(ख) ऋ० प्रा० ४,७४—“चरति चक्रे चमसाँश्च चो चिच्चरसि च्यौलश्चतुरश्वि-
क्त्वान्। एतेषु सर्वत्र विसर्जनीयवद् दीर्घोपधः ॥” तथा अ० प्रा० २,२६—“नकारस्य चटतवर्गेष्वघोषेष्वनूष्मपरेषु विसर्जनीयः ॥” के अनुसार, च् से पूर्व न् का विसर्जनीय हो जाता है। और ऋ० प्रा० ४,३१ (टि० ९०) और अ० प्रा० २,४० (टि० ९०) के अनुसार, विसर्जनीय का श् वनता है; और ऋ० प्रा० ४,८० (टि० ५५क) तथा अ० प्रा० १,६८ (टि० ५५ग) से उपधा का स्वर अनुनासिक हो जाता है।

(ग) पा० ८,३,७—“नश्छ्यप्रशान् ॥” के अनुसार, छ्व् (छ् ढ् थ् च् ट् त्) से पूर्व पदान्तीय न् का ‘रु’ वनता है; ८,३,१५—“खरवसानयो-
र्विसर्जनीयः ॥” से इस ‘रु’ का विसर्जनीय वनता है; ८,३,३४—
“विसर्जनीयस्य सः ॥” से इस विसर्जनीय का स् वनता है; ८,४,४० (टि० ४६) से स् का श् वनता है; और ८,३,२ (टि० ५७) से उपधा का स्वर अनुनासिक हो जाता है। पा० ८,३,४—“अनुनासिकात्परो-
ऽनुस्वारः ॥” के अनुसार, जहां उपधा के खर का अनुनासिक नहीं वनता वहां उस स्वर के पश्चात् अनुस्वार का आगम हो जाता है। संहिताओं में पदान्तीय न् से परे आने वाले पदादि ट् ढ् थ् का कोई उदाहरण नहीं मिलता है।

(घ) पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार पदादि च् से पूर्व पदान्तीय न् आने पर न् के पश्चात् श् का आगम होता है और न् का अनुस्वार (या उपधा के स्वर का अनुनासिक) वन जाता है; और ऋ० में यह श् का आगम वहीं होता है जहां व्युत्पत्ति के विचार से इस श् का समाधान हो सकता है

“रपतवान्पायौ” (दे० टि० ७१) इन दोनों सूत्रों के व्याख्यान में परान्तीय नू का रु आदेश विकल्प से मानते हैं (दे० सि० कौ०) । इस विकल्प का आधार यह है कि भट्टोजिदीक्षित इन दोनों सूत्रों में “उभयथर्क्षु” सूत्र (८, ३, ८) की अनुवृत्ति मानते हैं । पा० ८, ३, १० पर प्राशिका भी कहती है—“उभयथेत्यपि केचिदनुवर्तयन्ति ।” “नृन्पे” सूत्र (८, ३, १०) में “उभयथा” की अनुवृत्ति स्वीकार की जा सकती है । परन्तु “स्वतवान्पायौ” (८, ३, ११) में “उभयथर्क्षु” की अनुवृत्ति प्रागना व्यर्थ प्रतीत होता है ।

७०. पा० प्रा० ३, १४१— नृन्पकारे विसर्जनीयम् ॥ उपधा के स्वर के आनुशासिकों के लिए दे० टि० ५५(ख) ।

७१. पा० ८, ३, १०-११— नृन्पे ॥१०॥ स्वतवान्पायौ ॥११॥

७२. Alt. Gr. I, p. 331; Ved. Gr., p. 69; Ved. Gr. Stu., p. 32.

७३. प्रा० प्रा० ४, १७— टकारनकारयोस्तु । आहुः सकारोदययोस्तकारम् ॥
 ती० प्रा० ५, ३३— टनकारपूर्वश्च तकारः ॥ वा० प्रा० ४, १५-१६—
 छ्नी चकारो शकारे ॥१५॥ न दाल्भ्यस्य ॥१६॥ अ० प्रा० २, ९— हण-
 नेत्याः चक्षरीः क्षपरोषु ॥ पा० ८, ३, ३०— “नश्च” सूत्र द्वारा इस प्रकार के शकार को ध्रुक् का आगम करता है । परिणाम में कोई अन्तर नहीं है ।

७४. Alt. Gr. I, p. 333; Ved. Gr., pp. 67-68; Ved. Gr. Stu., pp. 32-33; Gr Lg. Ved., p. 100; Skt. Gr., p. 71.

७५ क. अथर्वप्रातिशाख्य (सूर्यकान्त) ६०— आकमिति मकारस्य लोपः ॥
 परन्तु पदपाठ में अस्माकं रूप दिया गया है ॥ ऋ० १, २७३, १० के पदपाठ में भी अस्माकं और ऋ० ७, ५९, ९-१० के पदपाठ में युष्माकं रूप दिखलाया गया है । मू का लोप सन्दिग्ध है ।

७५. ऋ० ऋ० ४, १५— रेफोष्मणोरुदययोर्मकारोऽनुस्वारं तत्परिपन्नमाहुः ॥
 आदि० श्रौ० सू० १, २, १८— रेफोष्मस्वनुस्वारम् ॥ शां० श्रौ० सू० १,
 २, ११ ॥ वा० प्रा० ४, १— अनुस्वारं रोष्मसु मकारः ॥

७६. तै० प्रा० १३, १-२—अथ मकारलोपः ॥१॥ रेफोष्मपरः ॥२॥ तै० प्रा० १५, १-३—नकारस्य रेफोष्मयकारभावाल्लुभे च मलोपाच्च पूर्वस्वरोऽनुनासिकः ॥१॥ नैकेपाम् ॥२॥ ततस्त्वनुस्वारः ॥३॥ दे० टि० ५५ख ।
७७. अ० प्रा० २, ३२—अन्तःस्थोष्मसु लोपः ॥ तै० प्रा० १३, ३ यवकार-पश्चैकेयामाचार्याणाम् ॥ दे० टि० ८२ । अ० प्रा० १, ६७—“नकारमकारयोर्लोपे पूर्वस्यानुनासिकः ॥” के अनुसार, उपधा के स्वर का अनुनासिक वनता है । वा० प्रा० ४, ४-५—अनुनासिका चोपधा ॥४॥ लोपं काश्यपशाकटायनौ ॥५॥
७८. Alt. Gr. I, p. 334; Ved. Gr., p. 68; Ved. Gr. Stu., p. 33 f.n. 1. सम्राज् की सन्धि के सम्बन्ध में भारतीय वैयाकरणों ने भी निम्नलिखित सूत्र बनाये हैं—
ऋ० प्रा० ४, २३—सम्राट्शब्दः परिपन्नापवादः ॥ वा० प्रा० ४, ६—प्रकृत्या सम्राट्साम्राजि ॥ अ० प्रा० २, ३६—न समो राजतौ ॥ तै० प्रा० १३, ४—न संसामिति रापरः ॥ वा० ८, ३, २५—मो राजि समः कौ ॥
७९. पा० ८, ३, २३—मोऽनुस्वारः ॥ अनुस्वार के सम्बन्ध में पाणिनि के निम्नलिखित सूत्र भी महत्त्वपूर्ण हैं— ८, ३, ४—अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः ॥८, ४, ५९—वा पदान्तस्य ॥
८०. ऋ० प्रा० ४, ८३—ईमिल्यन्तलोप एषूदयेषु गर्भं गावो वत्सं सृजन्ति पृच्यते । सखायो विव्याच पुना रिणन्ति रथमिल्यन्वक्षरसन्धिरेव सः ॥ तै० प्रा० ५, १२—“ईपूर्वोमकारः ॥” ईम् से परे आने वाले पदादि म् का लोप करता है । तै० सं० ४, १, ८, २ में इस प्रयोग का एक मात्र उदाहरण मिलता है । परन्तु इस के विपरीत दे० वा० सं० २७, १५ ।
८१. ऋ० प्रा० ४, ७—अन्तस्थासु रेफवर्जं परासु तांतां पदादिष्वनुनासिकां तु ॥ वा० प्रा० ४, १०—अन्तस्थामन्तस्थास्वनुनासिकां परस्थानम् ॥ तै० प्रा० ५, २८—अन्तस्थापरश्च सवर्णमनुनासिकम् ॥
८२. तै० प्रा० ५, २९-३०—न रेफपरः ॥२९॥ यवकारपरश्चैकेयामाचार्याणाम् ॥३०॥ (दे० टि० ७७) ॥ इस सम्बन्ध में मैक्डानल महोदय ने लिखा

अर्थात् जहाँ न् मूलतः नूस् का प्रतिनिधित्व करता हो; यथा— प्रथ० ए० पुं० और द्विती० व० पुं० में। परन्तु अन्य संहिताओं में यह आगम ऐसे रूपों के न् के पश्चात् भी मिलता है जिनमें व्युत्पत्ति के विचार से इस श् के आगम का समाधान नहीं किया जा सकता; यथा लङ् के प्र० पु० व० के रूप (अभवन् आदि) और नकारान्त प्रातिपदिकों के सम्बोधन तथा सप्तमी ए० के रूप (राजन् आदि)। दे० Alt. Gr. I, p. 331; Skt. Gr., p. 70; Ved. Gr., p. 69; Ved. Gr. Stu., pp. 31-32.

६४. ऋ० प्रा० ४, ७५—अस्माद्यमसान्पशून् ॥ तै० प्रा० ५, २१—नायन्नैरय-
नाध्वन्वन्नड्वान्घृणीवान्वारुणानेवास्मिन् ॥

६५. पा० ८, ३, ४— अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः ॥ तै० प्रा० १५, २-३—
नैकेषाम् ॥२॥ ततस्त्वनुस्वारः ॥३॥ वा० प्रा० ३, १३२-३३— स्वर
औपशविः ॥१३२॥ अनुस्वारेण व्यञ्जने ॥१३३॥ (दे० टि० ५५ ख)।

६६. विभिन्न ग्रन्थों में इस सन्धि का व्याख्यान निम्नलिखित प्रकार से किया
गया है—

(क) वा० प्रा० ३, १३६—“तथयोः सम् ॥” तथा तै० प्रा० ६, १४—
“तर्हान्.....पशूँस्तकारपरस्सकारं प्राकृतो नित्ये ॥” के अनुसार, न् से
पूर्व पदान्तीय न् का स वनता है और (टि० ५५ख) में दिये गये नियम
से उपधा के स्वर का अनुनासिक हो जाता है। वा० प्रा० ने पदादि
थ् से पूर्व भी न् के लिये इसी विकार का विधान किया है, परन्तु संहिताओं
में इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता है। इसी लिये इस सूत्र के भाष्य
में उवट कहता है—“थकारस्य रूपोदाहरणम्; यथा विद्वान् थकारः
विद्वान्स्थकारः।”

(ख) ऋ० प्रा० ४, ७६—“ताँस्ते सर्वाँस्तान्देवाँस्त्वं ताँस्त्रायस्वावदँस्त्वं च ॥”
तथा अ० प्रा० २, २६ (टि० ६३ ख) के अनुसार, न् का विसर्जनीय
वनता है; और (टि० ६३ ख) में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार विसर्जनीय
का स और उपधा के स्वर का अनुनासिक बन जाता है।

- (ग) पा० के अनुसार न् का 'रु', 'रु' का विसर्जनीय, और विसर्जनीय का स इत्यादि बनने की प्रक्रिया टि० ६३ (ग) में देखिये ।
- (घ) पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार, पदादि त् से पूर्व आने वाले पदान्तीय न् के पश्चात् स का आगम होता है और तत्र न् का अनुस्वार (या उपधा के स्वर का अनुनासिक) बन जाता है; ऋ० में इस स का आगम वहीं पर होता है जहां पदान्तीय न् व्युत्पत्ति के विचार से न्स का प्रतिनिधित्व करता है, परन्तु अन्य संहिताओं में ऐसा आगम अन्य रूपों के त् के पश्चात् भी हो जाता है । दे० टि० ६३ (घ) ।
६७. पाणिनि ने ऋ० में दोनों प्रकार के (न् का 'रु' और न् का अविकृत रूप) उदाहरण देख कर यह सूत्र बनाया— ८, ३, ८—“उभयथर्क्षु ॥”
- ६७ क. वा० प्रा० ३, १४५-४६— निर्जगन्वान्तमसि ॥१४५॥
धामञ्छ्रूदिचक्त्स्वाँस्त्वं पूषन्नर्वन्निति च ॥१४६॥
- ६७ ख. अ० प्रा० २, ३०—न समैरयन्तादीनाम् ॥
- ६७ ग. सि० कौ० ने पा० ८, ३, ३ के व्याख्यान में यह उदाहरण दिया है । परन्तु काशिका ने इसके स्थान पर अन्य उदाहरण—“भवांस्तरति” दिया है जो अधिक उचित है । पा० ने ८, ३, ७ में 'प्रशान्' के पदान्तीय न् के लिये छ्व् से पूर्व अविकृत रहने का जो विधान किया है उसके उदाहरण भी काशिका तथा सि० कौ० में भिन्न हैं । काशिका ने दो उदाहरण—“प्रशान्छादयति” तथा “प्रशान्चिनोति”—दिये हैं, जबकि सि० कौ० ने केवल पदादि त् से पूर्व अविकृत रहने वाले न् का एक उदाहरण—“प्रशान्तनोति”—दिया है और छ् छ् से पूर्व आने वाले न् का कोई उदाहरण नहीं दिया है । वैदिक वाङ्मय में मुझे प्रशान् का केवल एक प्रयोग मिला है—“प्रशान्ममेति” (श० ब्रा० ३, १, ३, १०) । परन्तु ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला है जिसमें पदादि च् छ् त् से पूर्व प्रशान् का न् आता हो ।
६८. ऋ० प्रा० ४, ७८-७९— नूँः पतिभ्यो नूँः प्रणेत्रं नूँ पात्रं स्वतवाँः पायुः ।
सन्धिर्विक्रान्त एवैपः ॥७८॥ नूँः पाहि शृणुधीति च ॥७९॥
६९. इस प्रकार के प्रयोगों के समाधान के लिये भट्टोजिदीक्षित “नृन्पे” तथा

है—“The Taittiriya Prāṭishākhya allows the optional use of Anusvāra before these semivowels”. Ved. Gr. Stu., p. 33 f. n. 2; Ved. Gr., p. 68. इस कथन में “these semivowels” शब्दों का प्रयोग पूर्णतया समीचीन नहीं है, क्योंकि तै० प्रा० के प्रस्तुत नियम से य् व् से पूर्व तो पदान्तीय म् के स्थान पर वैकल्पिक अनुस्वार हो सकता है; परन्तु तै० प्रा० ने पदादि ल् से पूर्व पदान्तीय म् के लिये अनुस्वार का विधान कहीं भी नहीं किया है। (दे० टि० ८१)।

८३. पा० ८, ३, २६— हे मपरे वा ॥ वार्तिक—यवलपरे यवला वेति वक्तव्यम् ॥ ८, ३, २७— नपरे नः ॥ दे० Skt. Gr., p. 71.
८४. ऋ० प्रा० ४, ६— विस्थाने स्पर्श उदये मकारः सर्वेषामेवोदयस्योत्तमं स्वम् ॥ वा० प्रा० ४, १२— स्पर्शे परपञ्चमम् ॥ तै० प्रा० ५, २७— मकार स्पर्शपरस्तस्य सस्थानमनुनासिकम् ॥ अ० प्रा० २, ३१— मकारस्य स्पर्शे परसस्थानः ॥
८५. दे० टि० ७३। पा० ८, ३, २९— डः सि धुट् ॥
८६. ऋ० प्रा० ४, २१— चित्कम्भनेनोष्मलोपः ॥
८७. अ० प्रा० २, १८— लोप उदः स्थास्तम्भोः सकारस्य ॥ वा० प्रा० ४, ९८ उदस्तम्भाने लोपम् ॥ तै० प्रा० ५, १४— उत्पूर्वः सकारो व्यञ्जनपरः ॥
८८. पा० ८, ४, ६१— उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य ॥ सि० कौ० के अनुसार, पा० ८, ४, ६५— “ज्ञरो ज्ञरि सवर्णे” से थ् का वैकल्पिक लोप होता है। परन्तु कतिपय वैयाकरण थ् का त् बनाकर तीन तकारों का रूप भी सिद्ध करते हैं; यथा—उद् +स्तम्भनम् =उत्तत्तम्भनम्। परन्तु संहिताओं में प्रायेण प्रातिशाख्यों के सन्धि-नियम के अनुसार पाठ मिलता है।
८९. पा० ८, ४, ६१ पर वार्तिक (काशिका के अनुसार)— उदः पूर्वसवर्णत्वे स्कन्देऽच्छन्दस्युपसंख्यानम् ॥ रोगे चेति वक्तव्यम् ॥ उत्कन्दक शब्द के विषय में काशिका कहती है— “उत्कन्दको नाम रोगः। कन्दतेर्वा धात्वन्तरस्यैतद्रूपम्।”
९०. वा० प्रा० ३, ११-१२— प्रकृत्या क्वयोः पफयोश्च ॥११॥ जिह्वामूलीयो-

पध्मानीयो शाकटायनः ॥१२॥ ऋ० प्रा० ४, ३१.३३— अघोषे रेफ्य-
रेफी चोष्माणं स्पर्श उत्तरे । तत्सस्थानमनूष्मपरे ॥३१॥ प्रथमोत्तमवर्गीये
स्पर्शे वा ॥३३॥ तै० प्रा० ९, २-४— अघोषपरस्तस्य सस्थानमूष्माणम् ॥२॥
न क्षपरः ॥३॥ कपवर्गपरश्चात्रिविद्यवाल्मीक्योः ॥४॥ अ० प्रा० २, ४०—
विसर्जनीयस्य परसस्थानो ऽघोषे ॥ पा० ८, ३, ३७— कुण्डो × क × पौ च ॥

९१. ऋ० प्रा० ४, ३८— अव्यापत्तिः कखपफेषु वृत्तिः ॥

९१ क. Alt. Gr. I, p. 340; Ved. Gr., p. 71 f. n. 2; Gr. Lg.
Ved., p. 107. का० सं० ४०, ८ में “अदः पित्ते” पाठ मिलता है ।

९२. पा० ८, ३, ३५— शर्परे विसर्जनीयः ॥ तै० प्रा० ९, ३— न क्षपरः ॥

९२ क. Alt. Gr. I, p. 341; Ved. Gr., p. 71; Gr. Leg. Ved., p
107.

९३. ऋ० प्रा० ४, ४१-६४ (दे० टि० ९४); अ० प्रा० २. ६३-८०; २,
८१— अत्र नाम्युपधस्य पकारः ॥ तै० प्रा० ८, २३— कखपकारपरः
पमकारपूर्वः समवग्रहः; ८, २४-३५; वा० प्रा० ३, २१-२२— ककार-
पकारयोः सकारम् ॥२१॥ भाव्युपधः पकारम् ॥२२॥ वा० प्रा० ३, २३-
३८; पा० ८, ३, ४८-५४ ।

९४. अ० प्रा० २, ६२— समासे सकारः कपयोरनन्तः सद्यः श्रेयदछन्दसाम् ॥
तै० प्रा० ८, २३ (टि० ९३) ॥ वा० प्रा० ३, ३०— समानपदे च ॥
ऋ० प्रा० ४, ४१— यथादिष्टं नामिपूर्वः पकारं सकारमन्योऽरिफितः
ककारे । पकारे च प्रत्ययेऽन्तःपदं तु सर्वत्रैवोपाचरितः स सन्धिः ॥ पा० ८,
३, ३८-५४ ॥

९४ क. ऋ० प्रा० ४, ३९— रेफं स्वर्धुः पूरघोषेष्वविग्रहे ॥ तै० प्रा० ५, १०
(टि० ९९) के भाष्य में आशीर्षदया (तै० सं० ६, २, ९, ४) पाठ
मिलता है । पा० ८, २, ७० पर वार्तिक— अहरादीनां पत्यादिषु वा
रेफः ॥

९५. ऋ० प्रा० ४, ३१ (दे० टि० ९०); अ० प्रा० २, ४० (दे० टि० ९०);
तै० प्रा० ६, २ (दे० टि० ९०) । वा० प्रा० ३, ६-८— विसर्जनीयः
॥६॥ चङ्योः शम् ॥७॥ तथयोः सम् ॥८॥ पा० ८, ३, ३४— विसर्जनी

द्वितीयोऽध्यायः

यस्य सः ॥ पा० ८, ४, ४० के अनुसार, विसर्जनीय से बना हुआ सकार च् छ् से पूर्व श् में परिणत हो जाता है ।

९५ क. मैक्डानल महोदय की Ved. Gr. Stu., p. 34 में इस उदाहरण के 'द्विवाः' शब्द के आ पर उदात्त-चिह्न अशुद्ध है । परन्तु Alt. Gr. I, p. 339 और Ved. Gr., p. 70. में इस का शुद्ध रूप दिया गया है ।

९६. ऋ० प्रा० ४, ९४— सो चिन्वगस्त्ये दशमे च मण्डले ॥

९६ क. Alt. Gr. I, p. 339; Ved. Gr., p. 70 f.n. 7.

९७. Alt. Gr. I, p. 336; Ved Gr., p. 72; Gr. Lg. Ved., p. 101.

९७ क. दे० टि० ९४ क। Alt. Gr. I, p. 336; Ved. Gr., p. 72; Ved. Gr. Stu., p. 34 f.n. 1.

९७ ख. ऋ० प्रा० ५, ३१— तकारे पूर्वपद्यान्तो व्यापन्नोऽरेफसंहिते ।
नामिपूर्वः ॥ ऋ० प्रा० ५, ३२-३८ ॥ तै० प्रा० ६, ५ ॥ अ० प्रा० २,
८३-८५ ॥ वा० प्रा० ३, ७४-८० ॥ पा० ८, ३, १०३-१०५ ॥ दे०
टि० १२७ ।

९७ ग. Ved. Gr., p. 70; Ved. Gr. Stu., p. 34 में दुष्टर के दुप् पर उदात्तचिह्न अशुद्ध है ।

९८. ऋ० प्रा० ४, ३२, ३४— तमेवोष्माणमूष्मणि ॥३२॥ ऊष्मणि चानते ॥३४॥
वा० प्रा० ३, ९-१०— प्रत्ययसवर्णम्मुदि शाकटायनः ॥९॥ अविकारं
शाकल्यः शपसेषु ॥१०॥ तै० प्रा० ६, २ (टि० ९०) ॥ अ० प्रा० २, ४०
(टि० ९०) ॥ पा० ८, ३, ३६— वा शरि ॥

६६. ऋ० प्रा० (टि० ६४ क) ॥ तै० प्रा० ५, १०— अवग्रह आशीर्धुः
सुवरिति रेफं परः सकारः पकारम् ॥ वा० प्रा० ३, ४१— स्वर्धुः
सांसहयोः ॥ अ० प्रा० २, ४९— स्वर्पाश्च ॥ इन उदाहरणों के आधार
पर पाश्चात्य विद्वान् यह मत प्रकट करते हैं कि मूलतः पदसन्धि में ऊष्मों
से पूर्व र् (जिसका रिफित विसर्जनीय बनता है) अविकृत रहता होगा ।
तु० Alt. Gr. I, p. 335; Ved. Gr., p. 73; Ved. Gr. Stu.,
p. 34 f.n. 4.

- १९ क. ऋ० प्रा० ४, ८६— वनेति रेफः सदशब्द उत्तरे ॥ वा० प्रा० ३, ४९— वनसदोऽवेटो रेफेण ॥ इन आचार्यों के अनुसार, यहां पर रेफ का आगम होता है। परन्तु पाश्चात्य विद्वान् यहां पर मौलिक रेफ मानते हैं; दे० टि० ९९।
- १९ ख. कुछ पुस्तकों में यह पाठ मिलता है और तै० प्रा० (टि० ९९) के जिस सूत्र में 'आशीः' पद दिया गया है उसमें स को ष होने का विधान भी है। इससे प्रतीत होता है कि प् के स्थान ष वाला पाठ भी सम्भव हो सकता है। दे० टि० ९४ क। परन्तु आशीर्पदया पाठ अधिक प्रचलित है।
- १९ ग. वाकरनागल (Alt. Gr. I, p. 342) के मतानुसार, इतो=इत्त (:)+उ। और मैक्डानल का अनुमान है कि इतो=इत्त+उ। दे० Ved. Gr., p. 71, f. n. 6; वा० प्रा० ३, ४६।
१००. ऋ० प्रा० ४, ३६— ऊष्मण्यघोपोदये लुप्यते परे नतेऽपि ॥ वा० प्रा० ३, १३— लुङ्मुदि जित्परे ॥ तै० प्रा० ९, १— ऊष्मण्यघोपोऽपरो लुप्यते-काण्डमायनस्य ॥ हम ने सूत्र का मूल पाठ दिया है, परन्तु हिटने ने अपने संस्करण में 'अघोपपरे' पाठ रखा है और इस शोधन के लिये युक्ति भी दी है; दे० अंग्रेजी अनुवाद तथा टिप्पणी, पृ० २०५। सेण्ट-पीटर्सबर्गकोष में इप्स्तुतः (ऋ० ५, ५०, ५) पाठ स्वीकार किया गया है और इसके व्याख्यान में मैक्डानल (Ved. Gr., p. 71 f.n. 7) कहता है कि यहां पर पदकार ने इप्स्तुतः की अपेक्षा इपःस्तुतः विग्रह किया है जो अशुद्ध है, क्योंकि इसके सदृश इषवान् (ऋ० १, १२९, ६) रूप भी मिलता है। तु० Alt. Gr. I, p. 343. परन्तु ऋ० के अनेक संस्करणों में 'इप्स्तुतः' संहितापाठ में मिलता है। डैन्नर (Alt. Gr. Nachtrage Zu Band I, p. 194) के अनुसार, 'इपःस्तुतः' पाठ शुद्ध है।
१०१. पा० ३, ८, ३६ पर वार्तिक—खपरे शरि वा विसर्गलोपो वक्तव्यः ॥
१०२. Ved. Gr., p. 71; Ved. Gr. Stu., p. 35; Alt. Gr. I, p. 342; Bollensen, ZDMG. 45, 204; 22, 635; Roth, ZDMG. 48, 103 ff; Pischel, Vedische Studien I, 13.

तै० प्रा० ९,१ (टि० १००) पर त्रिभाष्यरत्न में यह मत मिलता है—
 “काण्डमायनग्रहणं विकल्पार्थम् । अन्येषां मते घोषवत्परेऽप्यूप्यणि
 विसर्जनीयो लुप्यते । यथा— अद्भ्य स्वाहा (तै० सं० १, ८, १३, ३); ये
 शुक्ला स्युः (तै० सं० २, ३, १, ३); इत्यादि ।” परन्तु तै० सं० के
 मुद्रित संस्करणों में कहीं ऐसा विसर्जनीय-लोप नहीं मिलता है ।

१०२क. Alt. Gr. I, p. 342; Ved. Gr., p. 71; Gr. Lg. Ved.,
 p. 108.

१०३. तै० प्रा० ९,७— ओकारमः सर्वोऽकारपरः । वा० प्रा० ४,४३— अकारे
 च ॥ ऋ० प्रा० २, ३३— उद्ग्राहाणां पूर्वरूपाण्यकारे प्रकृत्या द्वे ओ
 भवत्येकमाद्यम् ।

अ० प्रा० २,५३— “अकारोपधस्योकारोऽकारे” के अनुसार,
 विसर्जनीय का उ बनता है और फिर गुणसन्धि से उपधा के अ तथा उ का
 ओ बन जाता है । इसी प्रकार पाणिनि भी ६,१,११३ (अतो रोरच्छताद-
 प्लुते) से ‘रु’ का उ बना कर, फिर गुण-सन्धि द्वारा ओ बनाता है ।

१०४. ऋ० प्रा० ४, २५— ओकारं हरवपूर्वः ॥ वा० प्रा० ४, ४२— सर्वो
 अकार ओकारम् ॥ तै० प्रा० ९,८— घोषवत्परश्च ॥ अ० प्रा० २,
 ५४— “घोषवति च” के अनुसार, विसर्जनीय का उ और फिर गुणसन्धि
 से अ+उ का ओ बन जाता है । इसी प्रकार पा० ६,१,११४— “हशि
 च” से ‘रु’ का उ बनता है और फिर गुणसन्धि से अ+उ का ओ
 बन जाता है ।

१०४क. ऋ० प्रा० ४, ४० ॥ पा० ८, २, ७० पर वार्तिक— छन्दसि भाषायां च
 विभाषा प्रचेतसो राजन्युपसंख्यानं कर्तव्यम् (काशिका) ॥

१०४ख. Alt. Gr. I, p. 338; Ved. Gr., p. 70 f. n. 6; Gr. Lg.
 Ved. p. 103. सायण तथा ये पाश्चात्य विद्वान् यहां पर “सूरै” को
 पठौ एकवचन का रूप मानते हैं । इसी लिये ये विद्वान् “सूरै” को “सूरैः”
 का सन्धि-विकार मानते हैं । ऋ० ७,६९,४ के सायण-भाष्य में भी “सूरैः”
 का व्याख्यान “सूर्यस्य” किया गया है । पाश्चात्य विद्वान् इसे स्वर्द
 का रूप मानते हैं । तु० Gr. Lg. Ved., p. 209.

१०४ग. Alt. Gr. I, Nachträge, p. 191; Pischel, Vedische Studien 3, 193; Gr. Lg. Ved., pp. 103, 209.

१०५. वा० प्रा० ४, ३७— कण्ठपूर्वो यकारसरिफितः ॥ अ० प्रा० २, ४१— स्वेर यकारः ॥ तै० प्रा० ९, १०— अथ स्वरपरो यकारम् ॥ इन तीनों प्रातिशाख्यों ने पदान्तीय य् व् के लोप के सूत्र भी दिये हैं। (दे० टि० ५५ ख, ग)। पाणिनि (८, ३, १७) ने 'रु' का 'य्' बनाकर, उस का वैकल्पिक लोप (८, ३, १९) दिखलाया है। (दे० टि० ५५ घ)। परन्तु ऋ० प्रा० २, २७— "ह्रस्वपूर्वस्तु सोऽकारम्" के अनुसार, विसर्जनीय तथा उपधा के अ दोनों के स्थान पर अ बन जाता है।

१०५क. ऋ० प्रा० २, ७३; वा० प्रा० ३, १४। दे० टि० १८क में उद्धृत वार्तिक।

१०६. वा० प्रा० ४, ३८— लोपन्धौ ॥ अ० प्रा० २, ५५— आकारोपधस्य लोपः ॥ तै० प्रा० ९, ९— अवर्णपूर्वस्तु लुप्यते ॥ पाणिनि (८, ३, १७; टि० ५५ घ) 'रु' का य् बना कर व्यञ्जनों से पूर्व उसका लोप कर देता है। दे० पा० ८, ३, २२— हलि सर्वेषाम् ॥

परन्तु ऋ० प्रा० २, २४— "विसर्जनीयोऽरिफितो दीर्घपूर्वः स्वरोदयः। आकारम् ॥" और ४, २४— "विसर्जनीय आकारमरेफी घोषवत्परः ॥" के अनुसार, स्वर तथा घोष व्यञ्जन से पूर्व आने वाले अरिफित विसर्जनीय और उपधा के आ के स्थान पर केवल आ बन जाता है।

१०७. प्रातिशाख्यों के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के अन्त में रिफित विसर्जनीय है और पाणिनि तथा आधुनिक विद्वानों के अनुसार इनके अन्त में मौलिक र् ध्वनि है—

(१) अन्तर (अन्दर); पुनर (फिर); प्रातर (सवेरे); सनुतर (दूर); स्वर (प्रकाश); अघर (नीचे) केवल महः से पूर्व; पा० ८, २, ७०-७१ के अनुसार, अन्नर तथा भुवर (महाव्याहृति) के पदान्तीय का विकल्प से र् बनता है। परन्तु अ० प्रा० २, ५२ के अनुसार इनके पदान्तीय का र् नहीं बनता है, क्योंकि अन्नः का एकमात्र उदाहरण अ० ८, ६, १९ में मिलता है जहां पदान्तीय का र् नहीं बनता है। का० सं० (६, ७; ७,

१३; ८, ४) में अनेक वार 'भुवर्' रूप का प्रयोग मिलता है और तै० ब्रा० तथा श० ब्रा० आदि में 'भुवः' मिलता है। इसी प्रकार मै० सं० (१, ६, १०) तथा का० सं० (६, ५) में अन्नः रूप मिलता है, जब कि आप० श्रौ० सू० (६, ४, ६) में अन्नर् मिलता है। इन प्रयोगभेदों को देख कर ही पाणिनि ने वैकल्पिक विधान किया होगा। अहर् (दिन) जब इस से परे कोई विभक्ति और रूप, रात्रि तथा रथन्तर शब्द न हों।

उपर (उपा) जब समास का पूर्वपद हो और स्पर्शों से पूर्व आए; ऊर्ध्व (आपीन) जब स्वरों तथा घोष व्यञ्जनों से पूर्व आए और अर्धर्च के अन्त में न आए और अरुपासः, अतृणत् तथा मही शब्दों से पूर्व न हो। द्वार (दरवाजा); चार (रक्षक); वार (जल); वधर् (हथियार); वनर् (लकड़ी)।

(२) ऋकारान्त शब्दों के प्रथमान्त सम्बोधन रूप का र्; यथा— भ्रातर्; सवितर्; जनिर् इत्यादि।

(३) ऋकारान्त धातुओं के भूतकालिक प्र० पु० तथा म० पु० के एकवचन के रूपों का र्; यथा— √ वृ (ढांपना) से— वर, अवर; आवर्; √ कृ (करना) से— कर; √ भृ (धारण करना) से— अर्बिभर्, अभार। कतिपय अन्य धातुओं से बने भूतकालिक रूपों के प्र० पु० तथा म० पु० के एकवचन के रूपों का पदान्तीय वर्ण रिफित विसर्जनीय माना जाता है; यथा—

द्वीधर् (ऋ०), अक्षार्, अजांगर्, आर्दर्, दर्दर्, अर्ददर्, अर्दधर्, स्पर्, अस्पर्, अत्सार्, स्तर्, अस्तर्, ह्यार्, ह्यार्।

१०८. ऋ० प्रा० ४, ४०। वा० प्रा० ४, ४५— स्वो रुहावहश्च रात्र्याम् ॥ पा० ६, ३, १०९ पर वार्तिक— "स्वरो रोहतौ छन्दस्युत्वम्।"

१०९. ऋ० प्रा० १, ७६— "ऊष्मा रेफी पद्ममो नामिपूर्वः" के अनुसार, जिस विसर्जनीय से पूर्व अ तथा आ से भिन्न स्वर हो वह रेफी (रिफित) कहलाता है। ऋ० पा० ४, २७— सर्वोपधस्तु स्वरघोषवत्परो रेफं रेफी ते पुना रेफसन्धयः ॥ वा० प्रा० ४, ३६— रेफं

स्वरधौ ॥ तै० प्रा० ८, ६— रेफमेतेषु ॥ अ० प्रा० २, ४२-४३— नाम्युपधस्य रेफः ॥४२॥ घोषवति च ॥४३॥ पाणिनि के मतानुसार, अ तथा आ से भिन्न स्वर के तुरन्त पश्चात् आने वाले स्र का साधारण नियम (८, २, ६६) से रेफ वन जाता है और फिर स्वर तथा घोष व्यञ्जन से पूर्व यह रेफ ही रहता है। अतः विसर्जनीय से रेफ वनने का प्रश्न ही नहीं उठता।

११०. ऋ० प्रा० ४, ४०; वा० प्रा० ४, ३९ ॥ कतिपय पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार, 'स्वधित्व' में इव नहीं है अपितु इव का वाचक व अव्यय है और स्वधितिः के पदान्तीय र का, जो ङ का प्रतिनिधित्व करता है, लोप होने पर उपधा के इ का दीर्घ बन गया। तु. Alt. Gr. I, p. 337; Ved. Gr. p., 70 f. n. 3.

११०क. ऋ० प्रा० ५, ५५; अ० प्रा० २, ६०; वा० प्रा० ३, ४२-४३; पा० ६, २, १०९ पर वार्तिक— दुरो दाशनाशदमध्येपूर्त्वं वक्तव्यम्, उत्तरपदादेश्च ष्टुत्वम्। यद्यपि ऋ० प्रा० तथा वार्तिक ने दूर्ब्य— की सिद्धि बतलाई है, तथापि ऋ० में मिलने वाले दूर्ब्यः, दूर्ब्ये आदि पद दूढी- से ही बनते हैं। पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार यहाँ पर दुस का स्र है जो ङ का प्रतिनिधित्व करता है। इस लिये इसका लोप होने पर दीर्घत्व तथा मूर्धन्यत्व होता है। तु० Alt. Gr. I, p. 337; Ved. Gr., p. 70 f. n. 3; Gr. Lg. Ved., p. 102; दे० अनु० २६।

१११. ऋ० प्रा० ४, २८-२९— रेफोदयो लुप्यते ॥२८॥ द्राघितोपधा ह्रस्वस्य ॥२९॥ वा० प्रा० ४, ३५— रेफे लुप्यते दीर्घोपधा ॥ तै० प्रा० ८, १६-१७— अनवर्णपूर्वस्तु रेफपरो लुप्यते ॥१६॥ दीर्घ च पूर्वः ॥१७॥ तै० सं० में केवल एक उदाहरण— "गृष्टा रायः" (तै० सं० १, २, ११, १ तथा ६, २, २६) ऐसा मिलता है जिस में अकार के पश्चात् आने वाला रिफित विसर्जनीय रेफ से पूर्व छुत्त होता है और उपधा के अकार का दीर्घ होता है। इस एक उदाहरण के सम्बन्ध में तै० प्रा० (८, १८-२२) ने पांच सूत्र दिये हैं जो विभिन्न आचार्यों के मतों को प्रस्तुत करते हैं। तै० सं० में अकार के पश्चात् आने वाले रिफित विसर्जनीय

१३; ८, ४) में अनेक वार 'भुवर्' रूप का प्रयोग मिलता है और तै० ब्रा० तथा श० ब्रा० आदि में 'भुवः' मिलता है। इसी प्रकार मै० सं० (१, ६, १०) तथा का० सं० (६, ५) में अन्नः रूप मिलता है, जब कि आप० श्रौ० सू० (६, ४, ६) में अन्नर् मिलता है। इन प्रयोगभेदों को देख कर ही पाणिनि ने वैकल्पिक विधान किया होगा। अहर् (दिन) जब इस से परे कोई विभक्ति और रूप, रात्रि तथा रथन्तर शब्द न हों।

उपर (उपा) जब समास का पूर्वपद हो और स्पर्शों से पूर्व आए; ऊर्ध्व (आपीन) जब स्वरों तथा घोष व्यञ्जनों से पूर्व आए और अर्धर्च के अन्त में न आए और अरूपासः, अतृणत् तथा मही शब्दों से पूर्व न हो। द्वार (दरवाजा); वार (रक्षक); वार (जल); वर्धर् (हथियार); वर्नर् (लकड़ी)।

(२) ऋकारान्त शब्दों के प्रथमान्त सम्बोधन रूप का र्; यथा— भ्रातर्; सवितर्; जनिर् इत्यादि।

(३) ऋकारान्त धातुओं के भूतकालिक प्र० पु० तथा म० पु० के एकवचन के रूपों का र्; यथा— √ वृ (ढांपना) से— वर, अवर; आवर्; √ कृ (करना) से— कर; √ मृ (धारण करना) से— अविभर्, अभार्। कतिपय अन्य धातुओं से बने भूतकालिक रूपों के प्र० पु० तथा म० पु० के एकवचन के रूपों का पदान्तीय वर्ण रिफित विसर्जनीय माना जाता है; यथा—

दीधर् (ऋ०), अक्षार्, अजागर, आदर्, ददर्, अददर्, अदधर्, स्पर्, अस्पर्, अत्सार्, स्तर, अस्तर, द्वार, हार।

१०८. ऋ० प्रा० ४, ४०। वा० प्रा० ४, ४५— स्वो रुहावहश्च रात्र्याम् ॥ पा० ६, ३, १०९ पर वार्तिक— "स्वरो रोहती छन्दस्युत्वम्।"

१०९. ऋ० प्रा० १, ७६— "ऊर्मा रेफी पश्चमो नामिपूर्वः" के अनुसार, जिस विसर्जनीय से पूर्व अ तथा आ से भिन्न स्वर हो वह रेफी (रिफित) कहलाता है। ऋ० पा० ४, २७— सर्वोपधस्तु स्वरघोषवत्परो रेफं रेफी ते पुना रेफसन्धयः ॥ वा० प्रा० ४, ३६— रेफं

स्वरधौ ॥ तै० प्रा० ८, ६— रेफमेतोषु ॥ अ० प्रा० २, ४२-४३— नाम्नुपभ्रस्य रेफः ॥४२॥ षोषवति च ॥४३॥ पाणिनि के मतानुसार, ष तथा षा से भिन्न स्वर के तुल्यतः पश्चात् आने वाले स्वर का साधारण नियम (८, २, ६६) से रेफ बन जाता है और फिर स्वर तथा षोष व्यञ्जन से पूर्व बट रेफ ही रहता है। अतः विमर्जनीय से रेफ बनने का प्रश्न ही नहीं उठता।

११०. ऋ० प्रा० ४, ४०; वा० प्रा० ४, ३९ ॥ कतिपय पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार, 'स्वधितीव' में इव नहीं है अपितु इव का वाचक व अव्यय है और स्वधितिः के पदान्ताव र का, जो ङ का प्रतिनिधित्व करता है, लोप होने पर उपधा के इ का दीर्घ बन गया। तु. Alt. Gr. I, p. 337; Ved. Gr. p., 70 f. n. 3.

११०क. ऋ० प्रा० ५, ५५; अ० प्रा० २, ६०; वा० प्रा० ३, ४२-४३; पा० ६, ३. १०९ पर वार्तिक— दुरो दाशनाशदमध्यपूर्वं वक्तव्यम्, उत्तरपदादेश्य ष्ट्वम्। यद्यपि ऋ० प्रा० तथा वार्तिक ने दृढ्य— की सिद्धि बतलाई है, तथापि ऋ० में मिलने वाले दृढ्यः, दृढ्ये आदि पद दूढी- से ही बनते हैं। पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार यहाँ पर दुस् का स् है जो ङ का प्रतिनिधित्व करता है। इस लिये इसका लोप होने पर दीर्घत्व तथा मूर्धन्यत्व होता है। तु० Alt. Gr. I, p. 337; Ved. Gr., p. 70 f. n. 3; Gr. Lg. Ved., p. 102; दे० अनु० २६।

१११. ऋ० प्रा० ४, २८-२९— रेफोदयो लुप्यते ॥२८॥ द्राघितोपधा ह्रस्वस्य ॥२९॥ वा० प्रा० ४, ३५— रेफे लुप्यते दीर्घोपधा ॥ तै० प्रा० ८, १६-१७— अनवर्णपूर्वस्तु रेफरो लुप्यते ॥१६॥ दीर्घं च पूर्वः ॥१७॥ तै० सं० में केवल एक उदाहरण— 'गृष्टा रायः' (तै० सं १, २, ११, १ तथा ६, २, २६) ऐसा मिलता है जिस में अकार के पश्चात् आने वाला रिफित विसर्जनीय रेफ से पूर्व छुत् होता है और उपधा के अकार का दीर्घ होता है। इस एक उदाहरण के सम्बन्ध में तै० प्रा० (८, १८-२२) ने पाँच सूत्र दिये हैं जो विभिन्न आचार्यों के मतों को प्रस्तुत करते हैं। तै० सं० में अकार के पश्चात् आने वाले रिफित विसर्जनीय

१३; ८, ४) में अनेक वार 'भुवर्' रूप का प्रयोग मिलता है और तै० ब्रा० तथा श० ब्रा० आदि में 'भुवः' मिलता है। इसी प्रकार मै० सं० (१, ६, १०) तथा का० सं० (६, ५) में अुन्नः रूप मिलता है, जब कि आप० श्रौ० सू० (६, ४, ६) में अन्नर् मिलता है। इन प्रयोगभेदों को देख कर ही पाणिनि ने वैकल्पिक विधान किया होगा। अहर् (दिन) जब इस से परे कोई विभक्ति और रूप, रात्रि तथा रथन्तर शब्द न हों।

उपर (उपा) जब समास का पूर्वपद हो और स्पर्शों से पूर्व आए; ऊर्ध्व (आपीन) जब स्वरों तथा घोष व्यञ्जनों से पूर्व आए और अर्धर्च के अन्त में न आए और अरूपासः, अतूणत् तथा मही शब्दों से पूर्व न हो। द्वार (दरवाजा); वार (रक्षक); वार (जल); वधर् (हथियार); वनर् (लकड़ी)।

(२) ऋकारान्त शब्दों के प्रथमान्त सम्बोधन रूप का र; यथा— भ्रातर; सवितर; जनितर इत्यादि।

(३) ऋकारान्त धातुओं के भूतकालिक प्र० पु० तथा म० पु० के एकवचन के रूपों का र; यथा— √ वृ (ढांपना) से— वर, अवर; आवर; √ कृ (करना) से— कर; √ भृ (धारण करना) से— अविभर, अभार। कतिपय अन्य धातुओं से बने भूतकालिक रूपों के प्र० पु० तथा म० पु० के एकवचन के रूपों का पदान्तीय वर्ण रिफित विसर्जनीय माना जाता है; यथा—

द्वीधुर् (ऋ०), अक्षार्, अजागर, आदर, ददर, अददर, अदधर, स्पर्, अस्पर्, अत्सार, स्तर, अस्तर, द्वार, द्वार।

१०८. ऋ० प्रा० ४, ४०। वा० प्रा० ४, ४५— स्वो रुहावहश्च रात्र्याम् ॥ पा० ६, ३, १०९ पर वार्तिक— "स्वरो रोहतौ छन्दस्युत्वम्।"

१०९. ऋ० प्रा० १, ७६— "ऊष्मा रेफी पञ्चमो नामिपूर्वः" के अनुसार, जिस विसर्जनीय से पूर्व अ तथा आ से भिन्न स्वर हो वह रेफी (रिफित) कहलाता है। ऋ० पा० ४, २७— सर्वोपधस्तु स्वरघोषवत्परो रेफं रेफी ते पुना रेफसन्धयः ॥ वा० प्रा० ४, ३६— रेफं

स्वरधौ ॥ तै० प्रा० ८, ६— रेफमेतेषु ॥ अ० प्रा० २, ४२-४३— नाम्युपधस्य रेफः ॥४२॥ घोषवति च ॥४३॥ पाणिनि के मतानुसार, अ तथा आ से भिन्न स्वर के तुरन्त पश्चात् आने वाले स का साधारण नियम (८, २, ६६) से रेफ वन जाता है और फिर स्वर तथा घोष व्यञ्जन से पूर्व यह रेफ ही रहता है। अतः विसर्जनीय से रेफ वनने का प्रश्न ही नहीं उठता।

११०. ऋ० प्रा० ४, ४०; वा० प्रा० ४, ३९ ॥ कतिपय पार्श्वात्य विद्वानों के मतानुसार, 'स्वर्धित्व' में इव नहीं है अपितु इव का वाचक व अध्यय है और स्वर्धितिः के पदान्तीय इ का, जो ङ का प्रतिनिधित्व करता है, लोप होने पर उपधा के इ का दीर्घ बन गया। तु. Alt. Gr. I, p. 337; Ved. Gr. p., 70 f. n. 3.

११०क. ऋ० प्रा० ५, ५५; अ० प्रा० २, ६०; वा० प्रा० ३, ४२-४३; पा० ६, ३, १०९ पर वार्तिक— दुरो दाशनाशदमध्येपूर्त्वं वक्तव्यम्, उत्तरपदादेश्च ष्टुत्वम्। यद्यपि ऋ० प्रा० तथा वार्तिक ने दूर्ध्व— की सिद्धि बतलाई है, तथापि ऋ० में मिलने वाले दूर्ध्वः, दूर्ध्वे आदि पद दूर्धी- से ही बनते हैं। पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार यहाँ पर दुस् का स है जो ङ का प्रतिनिधित्व करता है। इस लिये इसका लोप होने पर दीर्घत्व तथा मूर्धन्यत्व होता है। तु० Alt. Gr. I, p. 337; Ved. Gr., p. 70 f. n. 3; Gr. Lg. Ved., p. 102; दे० अनु० २६।

१११. ऋ० प्रा० ४, २८-२९— रेफोदयो लुप्यते ॥२८॥ द्राघितोपधा हरस्य ॥२९॥ वा० प्रा० ४, ३५— रेफे लुप्यते दीर्घोपधा ॥ तै० प्रा० ८, १६-१७— अनवर्णपूर्वस्तु रेफपरो लुप्यते ॥१६॥ दीर्घ च पूर्वः ॥१७॥ तै० सं० में केवल एक उदाहरण— "पृष्टा रायः" (तै० सं १, २, ११, १ तथा ६, २, २६) ऐसा मिलता है जिस में अकार के पश्चात् आने वाला रिफित विसर्जनीय रेफ से पूर्व लुप्त होता है और उपधा के अकार का दीर्घ होता है। इस एक उदाहरण के सम्बन्ध में तै० प्रा० (८, १८-२२) ने पांच सूत्र दिये हैं जो विभिन्न आचार्यों के मतों को प्रस्तुत करते हैं। तै० सं० में अकार के पश्चात् आने वाले रिफित विसर्जनीय

द्वितीयोऽध्यायः

का रेफ से पूर्व छुप्त होने का अन्य उदाहरण नहीं मिलता है। इस लिये तै० प्रा० ने ८, १६ सूत्र में 'अनवर्णपूर्वः' समास का प्रयोग किया है।

अ० प्रा० २; १.९— रेफस्य रेफे ॥ ३, २०— रलोपे ॥ यद्यपि अ० प्रा० ने रिफित विसर्जनीय की अपेक्षा रेफ के लोप का विधान किया है, तथापि अ० प्रा० का रेफ वास्तव में विसर्जनीय से बना हुआ ही है (अ० प्रा० २; ४२-४३; दे० टि० १०९,), क्योंकि इस प्रातिशाख्य के अनुसार रेफ कभी पदान्तीय नहीं हो सकता और यह विसर्जनीय का ही विकार है।

पाणिनि ने अपनी विशिष्ट पद्धति के अनुसार (दे० अनु० ५६), रेफ का लोप दिखाया है; पा० ८, ३, १४— रो-रि ॥ ६, ३, १११— ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः ॥

इस नियम के वर्णन में पाश्चात्य विद्वानों ने प्रातिशाख्यों को छोड़ कर पाणिनि का अनुसरण किया है। दे० Ved. Gr., p. 72; Ved. Gr. Stu., p. 36; Skt. Gr., p. 61.

११२. ऋ० प्रा० २, ८-१२; वा० प्रा० ३, १६-१७— व्यञ्जने च ॥१६॥ स्य एप च ॥१७॥ अ० प्रा० २, ५७— एप स व्यञ्जने ॥ तै० प्रा० ५, १५— एपसस्य इति च ॥ पाणिनि अपनी विशिष्ट पद्धति के अनुसार पदान्तीय विसर्जनीय का लोप न कह कर इसे सुलोप (प्रथमा विभक्ति के सु प्रत्यय का लोप) कहता है; यथा— पा० ६, १, १३२-१३३— एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनञ्समासे हलि ॥१३२॥ स्यञ्छन्दसि बहुलम् ॥१३३॥

११३. Ved. Gr. Stu., p. 36.

११४. तै० प्रा० ५, १६— नासः ॥ दे० पा० का सूत्र (टि० ११२) ।

११५. ऋ० प्रा० ४, ९४-९७— सोन्वगस्ये दशमे च मण्डले ॥९४॥ सा न्वीयते ॥९५॥ सः पलिन्नीः ॥९६॥ हि पस्तव ॥९७॥ ४, ५८— सस्वदीष्ट ॥ अ० प्रा० २, ५८— न सस्वदीष्ट ॥

वा० प्रा० ४, ४४— “एषो ह च” के अनुसार, हु निपात से पूर्व आने वाले एषः के विसर्जनीय और उपधा के अ के स्थान पर ओ बन जाता है; यथा— एषो ह देवः (वा० सं० ३२, ४; श्वेताश्वतरोपनिषद् २, १६) ।

पा० ६, १, १३३ (दे० टि० ११२) पर काशिकावृत्ति स्यः के विसर्जनीय के सम्वन्ध में कहती है— “न च भवति—‘यत्र स्यो निपतेत्’ ।” यह उदाहरण कहां से लिया गया है ?

११६. वा० प्रा० ३, १५— सऽओषधीमयोः । तै० प्रा० ५, १७— इद्विदम-
इमानएनौषधीः परः सः ॥

ऋ० प्रा० २, ६८-६९— सेदुसास्मिन्सेमभि सभिवेगः सेहभवः
सोपमा सौषधीरनु । सास्मा अरं सोत नः सेन्द्र विधा सेति सास्माकमनवच
सासि ॥६८॥ सेदमे सेदमिर्वासिष्ठं सास्मकेभिः सेदुयः सेमे । सैना सैनं सेमं
सोदच्चं सेमां सोषां सेशे सेदीशे ॥६९॥

पा० ६, १, १३४— सोऽचि लोपे चेत् पादपूरणम् ॥ इस सूत्र पर
भट्टोजिदीक्षित सि० कौ० में कहते हैं— ‘इह ऋक्पाद एव गृह्यत इति
वामनः । अविशेषाच्छ्लोकपादोऽपीत्यपरे ।’

११७. Skt. Lg., pp. 371 ff.

११८. वा० प्रा० ३, ८० पातथौ मूर्द्धन्यम्” ॥ ऋ० प्रा० ५, ११— तकारवर्गस्तु
टकारवर्गमन्तःपदस्थोऽपि षकारपूर्वः ॥ पा० ८, ४, ४१ (टि० ४७) ।

११९ अ० प्रा० ३, ७५— ऋवर्णरेफषकारेभ्यः समानपदे नो णः ॥ वा० प्रा०
३, ८५— ऋपरेभ्यो नकारो णकारं समानपदे ॥ तै० प्रा० ऋकारकाररप-
पूर्वो नकारो णकारं समानपदे ॥ पा० ८, ४, १— रषाभ्यां नो णः
समानपदे ॥

१२०. वा० प्रा० ३, ८६— स्वरयवहकपेक्ष ॥ तै० प्रा० १३, ७ ॥ पा० ८, ४, २—
अट्कुप्वाद्नुम्व्यवायेऽपि ॥

१२१. ऋ० प्रा० ५, ४२. ४४; अ० प्रा० ३, ९३-९४; तै० प्रा० १३, १५.
(टि० १२२); वा० प्रा० ३, ९६ ।

द्वितीयोऽध्यायः

१२२. वा० प्रा० ३, ९०— प्रकृत्या पदान्तीयः ॥ पा० ८, ४, ३७— पदान्तस्य ॥
अ० प्रा० ३, ८९— पदान्तस्पर्शयुक्तस्य ॥ ऋ० प्रा० ५, ४७— यकार-
स्पर्शसंहितम् ॥ तै० प्रा० १३, १५— न पुत्रोऽग्निर्युष्मानीतोऽन्तोऽलो-
पात्स्पर्शपरो व्यवयेषु शसचटतवर्जायेषु ॥ वा० प्रा० ३, ९४— तवर्गे च ॥
१२३. अ० प्रा० ३, ९२— क्षुभ्रादीनाम् ॥ पा० ८, ४, ३९— क्षुभ्रादिषु च ॥
१२४. वा० प्रा० ३, ५६. ५८— भाविभ्यः सः षं समानपदे ॥ ५६ ॥ करेफाभ्याश्च
॥ ५८ ॥ अ० प्रा० २, ८७— नामिकरेफात्प्रत्ययसकारस्य ॥ पा० ८, ३,
५७. ५९— इष्कोः ॥ ५७ ॥ आदेशप्रत्यययोः ॥ ५९ ॥
१२५. वा० प्रा० ३, ५७— अनुस्वाराच्च तत्पूर्वात् ॥ अ० प्रा० ३, ८९— नलो-
पेऽपि ॥ पा० ८, ३, ५८— नुम्बिसर्जनीयशर्व्ववायेऽपि ॥
१२६. वा० प्रा० ३, ८३— ऋकाररेफारुदयश्च ॥ तै० प्रा० ६, ८— ऋकार-
रेफवति च ॥ अ० प्रा० २, १०६— रेफपरस्य च ॥ ऋ० प्रा० ५, २३—
रेफर्कार्कारपरः प्रकृत्या ॥ दे० टि० १३५ ॥
- १२६ क. Ved. Gr. Stu., p: 45 f. n. 2.
१२७. अ० प्रा० २, ८४-८५— युष्मदादेशे तैस्त्वमादिवर्जम् ॥ ८४ ॥ तत्तान-
प्रादिषु च ॥ ८५ ॥ दे० टि० ९७ ख ।
१२८. अ० प्रा० ३, ८०-८१— प्रपराभ्यामेनः ॥ ८० ॥ पुनर्णयामसि ॥ ८१ ॥
वा० प्रा० ३, ८७-८८ ॥ तै० प्रा० ७, १-७ ॥ ऋ० प्रा० ५, ५६-६०; पा०
८, ४, २७-२८— नदच धातुस्योरुषुभ्यः ॥ २७ ॥ उपसर्गाद् बहुलम् ॥ २८ ॥
१२९. अ० प्रा० २, ९७. १०१— सुञः ॥ ९७ ॥ ह्रिदिविभ्यामस्तेः ॥ १०१ ॥ वा०
प्रा० ३, ६१-६३; ६८-६९— ओकारात्सु ॥ ६१ ॥ ऊक्षापृक्तात् ॥ ६२ ॥
अमेध ॥ ६३ ॥ हेर्मिथोदयः ॥ ६८ ॥ थवेद्व ॥ ६९ ॥ तै० प्रा० ६, २; ऋ०
प्रा० ५, १-१२; १७-१८ । वा० ८, ३, १०६-१०७— पूर्वपदात् ॥ १०६ ॥
सुञः ॥ १०७ ॥
१३०. अ० प्रा० ३, ७९— उपसर्गाद् धातोर्नानापदेऽपि ॥ वा० प्रा० ३, ८९—
प्र नेतिनुदातिदिनोमीनाम् ॥ तै० प्रा० ७, ४— पारीपरिपरीप्रपूर्वः ॥
५, ५७— आनीन्तु त्वं नोनुवोर्नोनुमश्च नयत्यर्थं च प्र परीति पूर्वा ॥ ऋ०

ऋ० प्रा० ५, ६० ॥ पा० ८, ४, १४. १९-२२— उपसर्गादिसमासेऽपि णोपदेशस्य ॥१४॥ अनितेः ॥१९॥ अन्तः ॥२०॥ उभौ साभ्यासस्य ॥२१॥ दे० पा० ८, ४, १५. २२-२४ ॥ तै० प्रा० ७, ३ ॥

विशेष— उपसर्ग के रू के निमित्त से जिन धातुओं के आदि चू का ण् बनता है उन के लिये पाणिनि ने “णोपदेश” संज्ञा का प्रयोग किया है। पा० ६, १, ६५ पर महाभाष्य के अनुसार चृत्, नन्द, नर्द्, नक्क्, नाटि, नाथ्, नाध्, नृ को छोड़ कर शेष सब नकारादि धातु णोपदेश हैं।

१३१. ऋ० प्रा० ५, ६०; पा० ८, ४, १६. २९— आति लोट् ॥१६॥ कृत्यचः ॥ २९॥ तै० प्रा० ७, ६ ।

१३२. अ० प्रा० ३, ८६. ८८. ९०— न मिनाति ॥८६॥ परेहिंनोतेः ॥८८॥ नशेः षान्तस्य ॥९०॥ वा० प्रा० ३, ९१— निवनिनसः प्रपीनम् ॥ ऋ० प्रा० ५, ४३. ५०— परिप्रकृषीन्द्रादिषु चोत्तमेन ॥४३॥ हिनोमि च ॥५०॥ तै० प्रा० ७, १६ ॥ पा० ८, ४, ३४-३६— न भाभूपूकमिगमिप्यायी-वेपाम् ॥३४॥ षात्वदान्तात् ॥३५॥ नशेः षान्तस्य ॥३६॥

१३२क. अ० प्रा० ३, ९१— स्वरलोपे हन्तेः ॥ पा० ८, ४, २२— हन्तेरत्पूर्वस्य ॥

१३३. अ० प्रा० २, ९०— उपसर्गाद्धातोः ॥ तै० प्रा० ६, ४— उपसर्ग-निष्पूर्वोऽनुदात्ते पदे ॥ वा० प्रा० ३, ५९-६०. ६४-६७. ७०-७२; ऋ० प्रा० ५, १२-१६; पा० ८, ३, ६५-७४. ७६, ७७. ८६-९० ॥

वा० प्रा०, ऋ० प्रा० तथा पा० ने उपसर्ग और धातुओं की निम्नलिखित परिगणना की है—

वा० प्रा०— नि से परे ✓सद् के स का; अुभि तथा परिं से परे ✓सिच् के स का; वि से परे ऐसा धातु-सकार जिस से परे य् हो; और निर् से परे ✓स्त्यै तथा ✓स्तन् के स का ष् बनता है। इसी प्रकार अर्धु से परे ✓स्तु के स का ष् बनता है।

ऋ० प्रा०— नि तथा परिं से परे आने वाले ऐसे पदादि स्व- तथा सि- जिन से परे चवर्ग का कोई वर्ण आये, यथा सिञ्च, स्वञ्च, अञ्च, अञ्च, अञ्च; नि तथा परिं से परे ऐसे पदादि से, सु, सी, जिन से परे द् हो, और

द्वितीयोऽध्यायः

द् से परे स्वर हो, यथा— सेदुथुः, सदा, सीदु; नि तथा परि से परे सेध, स्वापय, सस्वजे, सस्वजाते और ससादु; परि से परे सन्तम्, सन्तः, सुन्ति, स्थुः, स्थाः, और स्थात् । इनके अतिरिक्त, उपसर्गस्थ निमित्त से इन धातुओं के स का ष बनता है— स्तन्, स्तु, सह्, सद्, स्वन्, स्तुम् ।

पा०— (१) उपसर्गस्थ निमित्त से सुनोति, सुवति, स्यति, स्तौति, स्तोभति, स्था, सेनय, सेध, सिच, सञ्ज, स्वञ्ज और स्तन्म् के स का ;

(२) प्रति से भिन्न उपसर्ग में रहने वाले निमित्त से सद् के स. का ;

(३) आलम्बन और सामीप्य के अर्थ में, अर्ब से परे स्तन्म् के स का ;

(४) भोजन के अर्थ में, अर्ब तथा वि से परे स्वन् के स का ;

(५) परि, नि, वि से परे सेव्, सित, सय, सिव्, सह्, स्तु, और स्वञ्ज के स का ;

(६) अर्जु, वि, परि, अग्नि तथा नि से परे अप्राणिविषयक स्पन्द के स का विकल्प से ;

(७) वि तथा परि से परे स्कन्द के स का विकल्प से; परन्तु वि से परे क्कान्त स्कन्द के स का निषेध ;

(८) निस, नि तथा वि से परे स्फुरति और स्फुलति के स का विकल्प से ;

(९) वि से परे स्कम्नाति के स का नित्य ;

(१०) उपसर्गस्थ निमित्त तथा प्राटुस् से परे अस् धातु के ऐसे सकारादि रूपों का स जिस से परे कोई स्वर या यकार आए ;

(११) और सु, वि, निद् तथा हुर् से परे स्वप् धातु के गिजन्त रूप और सूति के स का ष बन जाता है ।

१३४. अ० प्रा० २, ९२— स्थासहिसिचीनामकारव्यवायेऽपि ॥ वा० प्रा० ३, ६६— अव्यवहितोऽपि ॥ तै० प्रा० ६, ३— असदामासिञ्च ॥ पा० ८, ३, ६३. ७१— प्राक्सितादङ्गव्यवायेऽपि ॥ ६३॥ सिवादीनां वाङ्गव्यवायेऽपि ॥ ७१॥ सित्त से पूर्व परिगणित धातुओं के लिये दे० टि० १३३ में पाणिनीय परिगणना—वर्ग (१) के सुनोति से लेकर वर्ग (५) के सेव तक । सूत्र ८, ३, ७१ के सिवादि चार धातु वर्ग (५) में परिगणित हैं; अर्थात्— सिव्, सह्, स्तु तथा स्वञ्ज ।
१३५. अ० प्रा० २, १०२. १०६— न स्यपिसृजिस्पृशिस्फूर्जिस्वरतिस्मरतीनाम् ॥ १०२॥ रेफपरस्य च ॥ १०६॥ तै० प्रा० ६, ८ टि० १२६; ऋ० प्रा० ५, २३ (टि० १२६); ऋ० प्रा० ५, २४ ॥ पा० ८, ३, ११०— न रपरस्यपिसृजिस्पृशिस्पृहिसवनादीनाम् ॥
१३६. ऋ० प्रा० ५, ३०; अ० प्रा० २, १०४-१०५— अध्यभिग्यां स्कन्देः ॥ १०४॥ परेः स्तृणातेः ॥ १०५॥ पा० ८, ३, ७३-७५. ११३— वेः स्कन्देरनिष्ठायाम् ॥ ७३॥ परेश्च ॥ ७४॥ परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु ॥ ७५॥ सेधतेर्गतौ ॥ ११३॥
१३७. वा० प्रा० ३, ४८; तै० प्रा० ७, १३ ।
१३८. वा० प्रा० ३, ४४. ४७; अ० प्रा० १, ६३ । पा० ६, ३, १०९ पर वार्तिक ।
१३९. ऋ० प्रा० ५, ४०— ऋकाररेफकारा नकारं समानपदेऽवगृह्ये नमन्ति । अन्तःपदस्थमककारपूर्वा अपि सन्ध्याः ॥ अ० प्रा० ३, ७६-७७. ८२-८५— पूर्वपदाद् द्रुघणादीनाम् ॥ ७६॥ अकारान्तादहः ॥ ७७॥ नवतेदच ॥ ८२॥ पूर्याणः ॥ ८३॥ दुर्णाम्नः ॥ ८४॥ अवग्रहादकारात् ॥ ८५॥ वा० प्रा० ३, ८७ ॥ तै० प्रा० ७, ६-११ ॥ पा० ८, ४, २६— छन्दस्युद्वग्रहात् ॥ दे० पा० ८, ४, ३-१३. २४-२५ ॥ तै० प्रा० ७, १॥
१४०. ऋ० प्रा० ५, ४३-४९; वा० प्रा० ३, ९३; अ० प्रा० ३, ८७ ।
१४१. तै० प्रा० ७, ९— नृश्रीपूर्वो मनाः ॥ वा० प्रा० ३, ९२— श्रीमना इत्येके ॥

१४२. ऋ० प्रा० ५, २१-२२. ३०; तै० प्रा० ५, १०; ६, ११. १३; अ० प्रा० २, १४. १६. १८-१००; वा० प्रा०, ३, ५६; पा० ८, ३, ८०-८५. ११. १३-१००. १०८ ।
१४३. मैक्डानल की पुस्तक (Ved. Gr. Stu., p. 46) में स्वर्षाति उदाहरण के -षा- पर उदात्तचिह्न अशुद्ध है ।
१४४. ऋ० प्रा० ५, २२. ३०; अ० प्रा० २, ८२. १५; वा० प्रा० ३, ७५; पा० ८, ३, ५६. १२. १०९ ।
१४५. ऋ० प्रा० ५, २४-२९; तै० प्रा० ६, १२; वा० प्रा० ३, ८२; अ० प्रा० २, १०३; पा० ८, ३, ११० ।
१४६. पा० ६, ४, ७७. ७९. ८५— अचि श्नुधातुभ्रुवां य्वोरियंहुवडौ ॥७७॥ स्त्रियाः ॥७८॥ न भूसुधियोः ॥८५॥
१४७. पा० ६, ४, ८६— छन्दस्युभयथा ॥ पा० ६, ४, ७७ पर वार्तिक (काशिका)— इयंहुवड्प्रकरणे तन्वादानीं छन्दसि बहुलमुपसंख्यानं कर्तव्यम् ।
१४८. पा० ७, ४, २८— रिड् शयग्लिड्क्षु ॥ तिड् और शित् (जिस का श् इत् है) प्रत्यय सार्वधातुक कहलाते हैं । पा० ३, ४, ११३— तिड्शित् सार्वधातुकम् ॥ इनसे भिन्न प्रत्यय असार्वधातुक है । उसे आर्धधातुक भी कहते हैं ।
१४९. पा० ७, १, १००-११२— ऋत इद्धातोः ॥१००॥ उपधायाश्च ॥१०१॥ उदोष्ठ्यपूर्वस्य ॥१०२॥
१५०. पा० ८, २, ७७— हलि च ॥
१५१. पा० ७, ३, १०१— अतो दीर्घो यचि ॥
१५२. पा० ७, ३, १०२-१०४— सुपि च ॥१०२॥ बहुवचने श्लत्यत् ॥१०३॥ ओसि च ॥१०४॥
१५३. पा० ७, ४, २५. ३७— अहृत्सार्वधातुकयोर्दीर्घः ॥२५॥ अद्वापस्यात् ॥३७॥ पा० ३, १, १३ 'हृदतिड्' के अनुसार तिड् के सिवाय जो भी प्रत्यय धातु के आगे जुड़ता है वह हृत् कहलाता है ।

१५४. पा० ६,४,३— नामि ॥
१५५. पा० ७, २, ११४-११८ ॥७,३,१-३२॥
१५६. पा० ६,१,९०— आटश्च ॥
१५७. पा० ८, २, २३— संयोगान्तस्य लोपः ॥ दे० पा० ६,१,६८ ॥
१५८. पा० ८, २, २४— रात्सस्य ॥
१५९. पा० ८, २, २९— स्कोः संयोगाद्योरन्ते च ॥
१६०. पा० ७,४,५०-५१— तासस्त्योलोपः ॥५०॥ रि च ॥५१॥ ८,२,२५—
धि च ॥
१६१. पा० ८, २, २६-२८— झलो झलि ॥२६॥ ह्रस्वादन्नात् ॥२७॥ इट
ईटि ॥२८॥
१६२. पा० ६,४,२३-२९. ३२.३३ ॥
१६३. पा० ६,४,३७-४० ॥ इन में से अधिकतर प्रत्यय तकारादि हैं और पा०
के अनुसार ये प्रत्यय प्रायेण कित् या झित् हैं ।
१६४. पा० ६, ४, ४१-४५ ॥ इन में से अधिकतर प्रत्यय तकारादि और
यकारादि हैं और पा० के अनुसार प्रायेण कित् या झित् हैं ।
१६५. पा० ८, २, ७— नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य ॥
१६६. पा० ८,२, १३— ढो ढे लोपः ॥ पा० ६,२,१११— ढ्रलोपे पूर्वस्य
दीर्घोऽणः ॥
१६७. पा० ८,४,५५— खरि च ॥
१६८. पा० ८, ४, ५३— झलां जश् झशि ।
१६९. पा० ८,२,३७— एकाचो वशो भष् झयन्तस्य स्त्रोः ॥ काशिकावृत्ति ने
इस सूत्र के व्याख्यान में 'झलि' की अनुवृत्ति मानी है । परन्तु भट्टोजिदीक्षित
सि० कौ० में इस पक्ष का खण्डन करते हुए कहते हैं—“झलीति निवृत्तं
स्त्रोर्ग्रहणसामर्थ्यात् । तेनेह न— दुग्धम्, दोग्धा ।” भिस्, भ्याम् तथा
भ्यस् इत्यादि से पूर्व ऐसे रूपों में अभीष्ट सन्धि-विकार (यथा— धुग्भिः,

धुग्भ्याम्, धुग्भ्यः) की सिद्धि के लिये नागेश भट्ट तथा ज्ञानेन्द्रसरस्वती पदान्तत्व का आश्रय लेते हैं। परन्तु ऋ० (अनु० ७२ ग) में मिलने वाले रूप धक्तम् का समुचित समाधान "झलि" की अनुवृत्ति से या वैदिक विशेषता मानने से ही हो सकता है। परन्तु ऐसे उदाहरण अत्यल्प हैं।

१७०. पा० ८, २, ३८— दधस्तथोश्च ॥

१७१. पा० ८, २, ४०— झपस्तथोद्धोऽधः ॥

१७२. पा० ८, २, ३२— दादेर्धातोर्धः ॥

१७३. पा० ८, २, ३१— हो ङः ॥

१७४. पा० ६, ३, ११२— सहिवहोरोदवर्णस्य ॥

१७५. पा० ६, ३, ११३— सांघ्यै साड्वा साडेति निगमे ॥

१७५ क. पा० ६, ३, ११३ परः काशि० के अनुसार, सांघ्यै में क्त्वा प्रत्यय का घ्यै बनता है, परन्तु वै० प० को० के अनुसार $\sqrt{\text{सह्+घ्यैन्}}$ (पा० ३, ४, ९) से यह पद बना है।

१७६. पा० ८, २, ३३— वा हुहमुहप्णुहण्हाम् ॥

१७६ क. पा० ३, २, ५९ ॥ काशिका के अनुसार उण्हिह की व्युत्पत्ति उद्+ $\sqrt{\text{स्निह}}$ से मानी जाती है।

१७७. पा० ८, २, ३४— नहो धः ॥

१७७ क. पा० ८, २, ७२ (दे० टि० १८७)।

१७८. पा० ८, २, ३५— आहस्थः ॥ पा० ३, ४, ८४ आह् को $\sqrt{\text{म्}}$ का आदेश मानता है। परन्तु पादचात्य विद्वान् एक अह् धातु की कल्पना करके आह्, आहर्तुः, आहुः, आहर्थ, आहर्थुः रूपों को उसके लिट् के रूप मानते हैं। दे० अनु० २३६।

१७९. पा० ८, २, ४१— पटोः कः सि ॥

१७९ क. पा० ३, २, ५९; ८, २, ६२ ॥

१७९ ख. पा० ८, २, ६६— ससजुपो रुः ॥

१८०. पा० ८, २, ३६— ऋचभ्रस्जसृजमृजयंजराजभ्राजच्छशां षः ॥ व० प०
को० के अनुसार, वृष्ट्वा तथा वृक्त्वी दोनों पद $\sqrt{\text{वृष्}}$ से बने हैं ।

१८१. पा० ८, २, ६३— नशेर्वा ॥

१८२. पा० ३, २, ५८-६०; ८, २, ६२ ।

१८३. पा० ८, २, ३०— चोः कुः ॥

१८४. पा० ७, ३, ५२— चजोः कु धिप्यतोः ॥

१८५. पा० ७, ४, ४८— अपो मि ॥

१८६. पा० ७, ४, ४८— पर वार्तिक (काशिका)— स्ववः स्वतवसोर्मास
उपसद्व तकारादेश इष्यते छन्दसि भकारादौ ॥ सि० को० (वैदिक
प्रकरणम्— सप्तमोऽध्यायः) पा० ७, ४, ४८ के अनन्तर— “मासश्छन्द-
सीति वक्तव्यम् ।”

१८७. पा० ८, २, ७२— वसुसंसुध्वंस्वनडुहां दः ॥

१८८. पा० ७, ४, ४९— सः स्यार्धधातुके ॥

१८९. पा० ८, २, ७३-७४— तिप्यनस्तेः ॥७३॥ सिपि धातो र्वा ॥७४॥
मैक्झानल (Ved. Gr. Stu., p. 44 f. n. 1) का मत है कि व्यर्वात्
(वि+ $\sqrt{\text{वस्}}$ का लृ० प्र० पु० ए०) आदि रूपों में भूतकाल के प्र० पु०
ए० प्रत्यय त् से पूर्व स का त् वनना सम्भवतः कोई ध्वनिविकार नहीं
है, अपितु प्र० पु० ए० के अन्य भूतकालिक तकरण्त रूपों के प्रभाव से
यह परिवर्तन हुआ है । अतः *अर्वास्त् का *अर्वास् के स्थान पर अर्वात्
बन गया ।

१९०. पा० ८, २, ६४— मो नो धातोः ॥

१९१. पा० ८, २, ६५— म्वोश्च ॥



तृतीयोऽध्यायः

पदपाठप्रकरणम्

८०. पदपाठ का प्रादुर्भाव तथा महत्त्व—वेदार्थ के सम्बन्ध में जब सन्देह उत्पन्न होने लगे, उस समय आर्य विद्वानों ने वेदों के पदपाठ की आवश्यकता का अनुभव किया, ताकि संहिता के निमित्त से होने वाले विकारों को हटाकर पदों के शुद्ध रूप का उच्चारण करते ही उनका अर्थ स्पष्ट हो सके। इसी मंत का समर्थन करते हुए अ० प्रा० कहता है कि पदों के आदि, अन्त, वैदिक शुद्ध स्वरूप (शब्द), स्वर तथा अर्थ के ज्ञान के लिये पदपाठ का अध्ययन किया जाता है। यह कथन असंगत न होगा कि संस्कृत-व्याकरण की आधार-शिला पदपाठ द्वारा रखी गई। यद्यपि संहितापाठ भी व्याकरण के नियमों के आधार पर निर्धारित किया गया था, तथापि पदपाठ में व्याकरण का अधिक ज्ञान अपेक्षित था; क्योंकि पदपाठ की रचना के लिये सन्धि, स्वर, समास, उपसर्ग, धातु, प्रगृह्य, रिफित विसर्जनीय, कतिपय प्रत्यय, प्रातिपदिक तथा विभक्तियों का ज्ञान आवश्यक था। पदपाठ में अवग्रह करने का मुख्य प्रयोजन यही है कि पदों के अवयवों का ज्ञान कराया जाय; यथा—उपसर्ग और धातु का तथा धातु और प्रातिपदिक के साथ जुड़ने वाले कतिपय प्रत्ययों का पृथक् ज्ञान कराया जाता है। और व्याकरण का मुख्य प्रयोजन भी यही है कि शब्दों की व्याकृति करना अर्थात् शब्दों के घटकों (Constituents) को पृथक् करके समझाना। पदपाठ तथा व्याकरण दोनों का प्रयोजन एक ही रहा है, परन्तु इन के कार्यक्षेत्र तथा विकासक्रम में भेद है। पदकारों का कार्य मुख्यतः संहितपदों के विश्लेषण और उपसर्ग तथा धातु और कतिपय प्रत्ययों के अवग्रह तक सीमित था। और अनेक पदों में जहाँ पदकारों को सन्देह था वहाँ उन्होंने अवग्रह द्वारा घटकों का पृथक् ज्ञान नहीं कराया है। कहीं कहीं पदकारों ने उपसर्ग और धातु को भी अवग्रह द्वारा पृथक् करके नहीं दिलाया है; यथा—उत्थितम्, उत्सम्भनम् इत्यादि। और

अनेक पदों में पदकारों ने जो अवग्रह दिखलाया है उस से उत्तरवर्ती विद्वान् सहमत नहीं हैं। पदपाठ के नियम व्याकरण का प्रारम्भिक रूप प्रस्तुत करते हैं और इन नियमों के आधार पर वैयाकरणों ने व्याकरणशास्त्र का पूर्ण विकास किया।

वेदों की सुरक्षा और अर्थबोध के लिये पदपाठ का विशेष महत्त्व है। पदपाठ के आधार पर क्रमपाठ, जटापाठ, घनपाठ इत्यादि पाठों का प्रचलन हुआ जिन के द्वारा वेदों की रक्षा में विशेष सहायता मिलती है। वेदों का पदपाठ उनकी प्रामाणिकता स्थिर करने में भी सहायक होता है; यथा— पदकार शाकल्य ने ऋग्वेदसंहिता के छः मन्त्रों का पदपाठ नहीं दिया है और पदपाठ में उनका संहितारूप ही दिया है^१। इस से प्रतीत होता है कि शाकल्य ने इन मन्त्रों को प्रामाणिक नहीं माना और अन्तःसाक्ष्य से भी इस मत की पुष्टि होती है। इसी प्रकार खिलसूक्तों का पदपाठ भी नहीं दिया गया है और पदपाठ में किसी भी रूप में उनका समावेश नहीं किया गया है। इस से स्पष्ट है कि जो मन्त्र शाकल्य ने संहितारूप में दिये हैं उन को कतिपय अन्य आचार्य स्वीकार करते थे, इस लिये पदकार ने भी उन को संहितारूप में अपने पदपाठ में सम्मिलित कर लिया। परन्तु खिलसूक्तों की प्रामाणिकता का पूर्ण अभाव था। इस लिये वे किसी भी रूप में संनिविष्ट नहीं किये गये।

जैसा कि हम आगे चल कर विवेचन करेंगे, प्रातिशाख्यों के नियम सर्वथा पदपाठ पर आश्रित हैं।

८१. ऋग्वेद के पदकार शाकल्य— यह मत सर्वथा निर्विवाद है कि ऋग्वेद के पदपाठ की रचना करने वाले आचार्य का नाम शाकल्य था। ऐ० आ० (३, २, १.६) तथा शां० आ० (७, १६; ८, १.११) में स्थविर शाकल्य का और ऐ० आ० (३, १, १) तथा शां० आ० (७, १) में शाकल्य का उल्लेख मिलता है। शत० ब्रा० (११, ६, ३, ३) तथा बृ० उप० (३, ९, १; ४, १, ७) में विदग्ध शाकल्य का नाम मिलता है जो याज्ञवल्क्य के साथ ब्रह्मविषयक संवाद करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ। वेबर तथा गेल्डनर के मतानुसार विदग्ध शाकल्य ऋग्वेद का पदकार शाकल्य ही था^१। परन्तु ओल्डनबर्ग और कीथ इस मत को स्वीकार नहीं

ऽस्तुब्धे (तै० सं० ६, ६, ४, ६) । आत्रेय ने कुछ ऐसे पदविभाग किये हैं जो किसी अन्य पदपाठ या व्याकरण के अनुसार ग्राह्य नहीं हैं; यथा— नीचादुच्चा=पपा० नीचा । उच्चा (तै० सं० २, ३, १४, ६); असमत्यै=पपा० असमत्य्या इत्यसम् ऽकृत्यै (तै० सं० ३, ३, ८, २); एकैकम्=पपा० एकैकमित्येकम् ऽएकम् (तै० सं० ५, १, १, २); एकैकया=पपा० एकैकयेत्येकया ऽएकया (तै० सं० ७, ५, ८, ४) । अनेक पदों का दीर्घ अक्षर पदपाठ में ह्रस्व कर दिया जाता है; यथा— व्यानार्य=पपा० व्यानायेति विऽअनार्य (तै० सं० ३, ५, ८); उदानार्य=पपा० उदानायेत्युत्ऽअनार्य (तै० सं० ४, २, ९, १); प्राणार्य=पपा० प्राणायेति प्रऽअनार्य (तै० सं० १, १, ६); अपानार्य=पपा० अपानायेत्यपऽअनार्य (तै० सं० १, १, ६)^{१०} । ऋ०, अ० तथा वा० सं० के पदपाठ में जिन छान्दस दीर्घों का निवारण करके ह्रस्व रूप दिखलाया जाता है उन में से कई दीर्घों का तै० सं० के पदपाठ में ह्रस्व नहीं किया जाता है; यथा— योज्ञा=पपा० योज्ञा (तै० सं० १, ८, ५, १), परन्तु ऋ० पपा०=योज्ञ (ऋ० प्रा० ७, १८; वा० प्रा० ३, १०७); एवा=पपा० एवा (तै० सं० १, ८, २२, २), परन्तु ऋ० पपा०=एव (ऋ० प्रा० ७, ३३); वावृधे=पपा० वावृधे (तै० सं० १, ४, २०), परन्तु ऋ० पपा०=वृधे (ऋ० प्रा० ९, ३२) । ऋ०, अ० तथा वा० सं० के पदपाठ में द्वन्द्व समासों का अवग्रह नहीं दिखलाया जाता है, परन्तु तै० सं० के पपा० में द्वन्द्वसमासों का भी अवग्रह दिखलाया जाता है; यथा— इन्द्रावृणा=पपा० इन्द्रावरुणेतीन्द्रावृणा (तै० सं० २, ३, १३, १), परन्तु ऋ० पपा० ३, ६२, १=इन्द्रावरुणा । ऋत्तापाट् (तै० सं० ३, ४, ७, १) तथा तुराषाट् (तै० सं० १, ७, १३, ४) आदि अनेक पदों को आत्रेय ने अवगृह्य नहीं माना है ।

क्रीय का अनुमान है कि आत्रेय का पदपाठ शाकल्य के पदपाठ से प्राचीनतर हो संकता है, परन्तु यह मत सर्वथा असन्दिग्ध नहीं है^{११} ।

७. अन्य संहिताओं के पदकार— अन्य संहिताओं के पदकारों के — में कोई निश्चित संकेत नहीं मिल सका है । इस में

कोई सन्देह नहीं कि अ० प्रा० तथा वा० प्रा० अपनी संहिताओं के पदपाठ पर आश्रित हैं और पदपाठसम्बन्धी नियम भी देते हैं। अ० प्रा० ने पदपाठ के लिये जो नियम दिये हैं वे अधिकतर ऋ० के पदपाठ के नियमों के समान हैं और उनकी अपनी कुछ विशेषताएं प्रायेण समासों के अवग्रह के सम्बन्ध में हैं; यथा— ऋ० के पपा० में आर्ध्यः में अवग्रह दिखलाया जाता है परन्तु अ० के पपा० में नहीं और ऋ० के पपा० में बहुधा में अवग्रह नहीं दिखलाया गया है, जबकि अ० के पपा० में बहुधा दिखलाया गया है। अ० के पदपाठ की भांति वा० सं० का पदपाठ भी प्रायेण ऋ० के पदपाठ का अनुसरण करता है। परन्तु कतिपय नियमों के सम्बन्ध में जहां ऋ० के पदपाठ से कोई सहायता नहीं मिलती वहां वा० सं० का पदपाठ अपनी स्वतन्त्रता भी प्रकट करता है। उदाहरणार्थ वा० सं० का पदपाठ ऋ० के पदपाठ की भांति प्राण में अवग्रह नहीं दिखलाता है, परन्तु कतिपय ऐसे शब्दों में अवग्रह दिखलाता है जो ऋ० में नहीं मिलते हैं। मै० सं० के पदपाठ की भी कुछ अपनी विशेषताएं हैं^{१२}।

पदविभागविषयक मतभेद— हम पहले बतला चुके हैं कि सा० तथा तै० सं० के पदपाठ ऋ०, अ० तथा वा० सं० के पदपाठ से बहुत भिन्न हैं। वैदिक मन्त्रों के अर्थ के सम्बन्ध में मतभेद होने के कारण वैदिक पदों के मूल रूप तथा अवग्रह के विषय में मतभेद होना स्वाभाविक था। इस लिये विभिन्न पदकारों ने पदों के मूल रूप के सम्बन्ध में अपने अपने व्याख्यान प्रस्तुत किये। उत्तरकालीन विद्वान् भी पदकारों के व्याख्यान से पूर्णतया सहमत नहीं थे। यास्क ने अपने निरुक्त में अनेक स्थलों पर शाक्य के पदपाठ को स्वीकार नहीं किया है। उदाहरणार्थ शाक्य ने ऋ० ४, ३२, २३ के पदपाठ में विद्भे, नवे, द्रुपदे तथा अर्भके पदों को सप्तमी एकवचन के रूप मान कर पदविभाग किया है और निरुक्त ४, १५ में निर्दिष्ट शाक्यपूणि ने भी इन पदों का व्याख्यान इसी रूप में किया था, परन्तु यास्क उक्त पदों को प्रथमा द्विवचन के एकारान्त रूप मानता है और ग्रासमन तथा गेल्डनर आदि पाश्चात्य विद्वान् प्रायेण यास्क के मत का समर्थन करते हैं^{१३}। इसी मन्त्र के “कृनी-नकेव” का पदपाठ “कृनीनकाऽइव” दिया गया है, परन्तु यास्क इसका

करते हैं; और वर्तमान लेखक भी इन्हीं विद्वानों से सहमत है, क्योंकि विदग्ध शाकल्य और पदकार शाकल्य की एकता सिद्ध करने के लिये कोई ठोस प्रमाण नहीं है। यास्क ने निरुक्त (६, २८) में निःसन्देह पदकार शाकल्य का उल्लेख किया है और उस के पदपाठ से निम्नलिखित मत उद्धृत किया है—“वेति च य इति च चकार शाकल्यः... ।” ऋ० प्रा० पदपाठ पर आश्रित है और इस में अनेक स्थलों पर (ऋ० प्रा० १३, ३१ इत्यादि) पदकार शाकल्य का स्पष्ट उल्लेख है। परन्तु स्थविर शाकल्य (ऋ० प्रा० २, ८१) तथा ‘शाकल्यपितुः’ (ऋ० प्रा० ४, ४) इत्यादि के द्वारा जिस आचार्य का उल्लेख किया है, वह पदकार से भिन्न है और सम्भवतः ऐ० आ० तथा शां० आ० के स्थविर शाकल्य से अभिन्न है। आश्व० गृ० सू० (३, ४, ४) तथा शां० गृ० सू० (४, १०, ३; ६, १, १) में जिस शाकल्य के लिये तर्पण का विधान है वह पदकार माना जाता है। पाणिनि ने भी अपनी अष्टाध्यायी में अनेक वार पदकार शाकल्य के मत का निर्देश किया है^४ और एक सूत्र (३, २, २३) में पदकार शब्द की रचना पर विचार किया है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि ऐ० आ०, शां० आ०, आश्व० गृ० सू०, शां० गृ० सू०, ऋ० प्रा०, यास्क तथा पाणिनि से पूर्व शाकल्य के पदपाठ की रचना हो चुकी थी।

८२. सामवेद के पदकार गार्ग्य— निरुक्त ४, ४ की व्याख्या करते हुए दुर्गाचार्य कहता है—“बह्वृचानां ‘मेहना’ इत्येकं पदम्। छन्दोगानां त्रीष्येतानि पदानि ‘म, इह, न’ इति। तदुभयं पश्यता भाष्यकारेणोभयोः शाकल्यगार्ग्ययोरभिप्रायावत्रानुविहितौ— एवजातीयनिर्वचनोपप्रदर्शनार्थमुभयोश्च प्रामाण्यव्यापनार्थम्।” दुर्गाचार्य के इस कथन से ज्ञात होता है कि सामवेद का पदकार गार्ग्य माना जाता था और उसकी पद्धति शाकल्य की पद्धति से भिन्न थी। उपनिषदों तथा वेदाङ्गों में अनेक वार गार्ग्य का उल्लेख मिलता है; यथा—शां० गृ० सू० (४, १०, ३) तथा आश्व० गृ० सू० (३, ४, ४) में गार्ग्य के लिये तर्पण का विधान है। परन्तु यह निर्णय करना कठिन है कि इन सब स्थलों पर सामवेद के पदकार गार्ग्य का ही उल्लेख है। सम्भवतः गार्ग्य गोत्र वाले अनेक आचार्य हुए होंगे। व्याकरणविषयक प्रसंगों में जिस गार्ग्य का

उल्लेख मिलता है, वह सम्भवतः सामवेद का पदकार गार्ग्य हो सकता है और उसके व्याकरणविषयक मत इतने महत्त्वपूर्ण माने जाते होंगे कि अन्य वेदाङ्गकारों ने उनका उल्लेख करना आवश्यक समझा। ऋ० प्रा०, वा० प्रा०, यास्क तथा पाणिनि ने अनेक बार गार्ग्य के मत का उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में यह तथ्य विशेषतया उल्लेखनीय है कि ऋ० प्रा० १३, ३१ (टि० १९) ने पदपाठसम्बन्धी संज्ञा समापाद्य के व्याख्यान में पदकार शाक्त्य के साथ गार्ग्य का उल्लेख किया है और ऋ० प्रा० १, १५ ने अवसान में आने वाले पदान्तीय स्पर्शों के विषय में गार्ग्य के मत का उल्लेख किया है। यह मत पदपाठ-विषयक प्रतीत होता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि ऋ० प्रा० १, १५-१६ तथा निरुक्त १, ३.१२ इत्यादि में शाक्तयान और गार्ग्य के मतों में विशेष वैपरीत्य दिखलाया गया है।

८३. तैत्तिरीयसंहिता के पदकार आत्रेय—तैत्तिरीयसंहिता से सम्बद्ध गृह्यसूत्रों में इस संहिता के पदकार आत्रेय का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तै० प्रा० ने दो बार आत्रेय के मत का उल्लेख किया है। काण्डानुक्रम (२, २७) में भी यह कथन मिलता है कि तै० सं० का पदकार आत्रेय है। तै० प्रा० आत्रेय के पदपाठ पर आश्रित है और अनेक नियमों के प्रतिपादन में यह प्रातिशाख्य पदपाठ के विशिष्ट व्याख्यान का अनुसरण करता है। तै० सं० के पदपाठ की कुछ अपनी विशेषताएँ हैं जो अन्य संहिताओं के पदपाठ में नहीं मिलती हैं। उदाहरणार्थ—तै० सं० का पदकार अनेक पदों के अन्त में आने वाले ऊष्म वर्णों को साहितिक आगम मान कर पदविभाग करते समय इन का निवारण कर देता है; यथा—त्रपुंश्च=पपा० त्रपु । च (तै० सं० ४, ७, ५, १); मिथुश्चरन्तम्=पपा० मिथु । चरन्तम् (तै० सं० ४, ७, १५, २); सुश्चन्द्र=पपा० सु । चन्द्र (तै० सं० ४, ४, ४, ६)। आत्रेय ने कुछ ऐसे संहित पदों का विभाजन किया है जो अन्य संहिताओं के पदपाठों में अविभक्त दिखलाये गये हैं; यथा—आत्रेय के मतानुसार संस्कुस्ते=पपा० सम् । कुस्ते (तै० सं० ५, ६, ६, ४); समस्कुर्वत=पपा० सम् । अकुर्वत (तै० सं० ६, २, ३, १); उत्तव्यै=पपा० उत्तव्या इत्युत्-

पदविभाग “कृनीन्के ऽईच” करता है और सायण यास्क के मत को स्वीकार करता है^{१३}। इसी प्रकार शाकल्य द्वारा किये गये “घ्रायो” (ऋ० १०, २९, १) के पदविभाग “घ्रा । यः ।” का प्रत्याख्यान करते हुए यास्क कहता है— “वेति च य इति च चकार शाकल्यः । उदात्तं त्ववेमाख्यातमभविष्यत् । असुसमाप्तद्वचार्थः^{१४} ।” सायण ने ऋ० १०, २९, १ के भाष्य में यास्क के मत का समर्थन किया है, परन्तु गेल्डनर ने शाकल्य के मत को ज्यायान् माना है^{१५}। सायण ने अपने ऋग्वेदभाष्य में प्रायेण शाकल्य के पदपाठ का अनुसरण किया है; परन्तु अ० के भाष्य में सायण ने सैंकड़ों स्थानों पर पदपाठ को अस्वीकार करते हुए भिन्न पाठ माने हैं। कतिपय विद्वानों का यह अनुमान ठीक हो सकता है कि अ० का भाष्यकार सायण ऋ० के भाष्यकार सायण से भिन्न है। आधुनिक विद्वानों ने भी सैंकड़ों स्थानों पर पदकारों के पदविभाग को स्वीकार नहीं किया है। उदाहरणार्थ ग्रासमन ने ऋ० ३, २३, ४ के “मानुष आप्यायाम्” का पदविभाग “मानुषः । आप्यायाम्” किया है, जबकि शाकल्य के अनुसार इस का पदविभाग “मानुषे । आप्यायाम्” है; और मैंने इस पदविभाग के विषय में अन्यत्र एक निबन्ध में पूर्ण विवेचन किया है^{१६}। इसी प्रकार बहुत से अन्य पदों के विभाग में भी पाश्चात्य विद्वानों ने शाकल्य के मत को स्वीकार नहीं किया है; यथा— ऋ० १, १८७, ७ के “अदोपितो” का पदपाठ “अदः । पितो इति” दिया गया है, परन्तु पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार “अदो” में “अद+उ” की सन्धि है। ऋ० ७, ३४, २ के “अध क्षरन्तीः” का पदविभाग “अध । क्षरन्तीः” किया गया है, जबकि पाश्चात्य विद्वान् इसका पदविभाग “अधः । क्षरन्तीः” मानते हैं। इस ग्रन्थ के सन्धि-प्रकरणम् में ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं।

८६. पदपाठ-सम्बन्धी नियम— जैसा कि हम पहले विचार कर चुके हैं विभिन्न वैदिक संहिताओं के पदपाठों में पूर्ण समानता नहीं है और अनेक मतभेद मिलते हैं, तथापि यह तथ्य विशेषतया महत्वपूर्ण है कि ऋ०, अ० तथा वा० सं० के पदपाठों में विशेष सादृश्य है अर्थात् अ० तथा वा० सं० के पदपाठ ऋ० के पदपाठ का अनुसरण करते हैं। अत एव हम यहां पर

पदपाठसम्बन्धी उन नियमों का संक्षिप्त परिचय देंगे जो ऋ०, अ० तथा वा० सं० के पदपाठों में समान रूप से लागू होते हैं ।

८७. **समापत्ति, समापाद्य**—पदपाठ का मुख्य सिद्धान्त यह है कि संहिता के निमित्त से पदों में होने वाले सभी विकारों को हटाकर उन के शुद्ध रूप या प्रकृति को प्रस्तुत करना । अत एव पदसंहिता के निमित्त से होने वाले दीर्घत्व, अन्तस्थाभाव, गुण, वृद्धि, लोप, अनुनासिकत्व, अनुस्वारत्व, तालव्यभाव, सूर्धन्यभाव, विसर्जनीयविकार इत्यादि को हटाकर पदपाठ में पदों का असंहित रूप दिया जाता है ।

अ० प्रा० में प्रकृतिदर्शन के लिए समापत्ति संज्ञा का प्रयोग मिलता है^८, और संहिता के जिस पद की प्रकृति दिखलाई जाती है उसे समापाद्य कहते हैं^९ । संहितासम्बन्धी समस्त विकारों के विवरण के लिये इस ग्रन्थ के द्वितीय अध्याय सन्धिप्रकरणम् का अध्ययन कीजिये और पदपाठ के उदाहरण भी वहाँ पर देखे जा सकते हैं । सन्धिप्रकरणम् अवग्रह इत्यादि जिन नियमों के व्याख्यान के लिये सहायक नहीं हो सकता उनका पृथक् विवेचन नीचे किया गया है । यहाँ पर हम एक ऐसे मन्त्र का पदपाठ प्रस्तुत करते हैं जिस के केवल एक पद में अवग्रह दिखलाया गया है—

ऋ० १, १, २ संहितापाठ— अग्निः पूर्वैर्भिर्ऋषिभिरीड्यो नूर्तनैरुत ।
स देवाँ एह वक्षति ॥

पदपाठ— अग्निः । पूर्वैभिः । ऋषिऽभिः । ईड्यः । नूर्तनैः । उत । सः ।
देवान् । आ । इह । वक्षति ।

पदान्तीय— यह ध्यान रहे कि पदों की प्रकृति दिखलाते समय भी पदपाठ में प्रत्येक पद के अन्त में उसी वर्ण को दिखलाना चाहिए जो पदान्तीय बन सकता है (दे० अनु० ३४) ।

स्वराङ्कन—संहिता तथा पदपाठ के स्वराङ्कन के विषय में विस्तृत विवेचन आगे किया जायगा । यहाँ पर केवल इतना संकेत करना पर्याप्त है कि पदपाठ में प्रत्येक पद का अपना स्वर चिह्नित करना चाहिए

और पूर्ववर्ती तथा परवर्ती पदों के स्वर के प्रभाव से जो स्वर-विकार उत्पन्न होते हैं उन को हटा देना चाहिए ।

८८. इतिकरण, उपस्थित— पदपाठ में प्रगृह्यसंज्ञक पदों के आगे इति जोड़ा जाता है । ऋ० प्रा० (१, ५८. ७५; २, ५१) में इसे इतिकरण कहते हैं और इतिकरण से युक्त पद के लिये उपस्थित संज्ञा का प्रयोग मिलता है^{२०} । परन्तु पतञ्जलि के व्याख्यानानुसार पाणिनि (६, १, १२९) इतिकरण के लिये उपस्थित संज्ञा का प्रयोग करता है^{२१} । रिफित विसर्जनीय के रेफमूलत्व को प्रकट करने के लिये उसके आगे भी पदपाठ में इति जोड़ा जाता है । स्वराङ्कन के समय इति के स्वर पर भी ध्यान रखना चाहिये और इसके जुड़ने से उपस्थित पद के स्वराङ्कन में जो परिवर्तन होता है वह भी ध्यान देने योग्य है ।

(क) प्रगृह्यपद का इतिकरण— प्रगृह्यसंज्ञक पद के आगे पदपाठ में इति जोड़ा जाता है । प्रगृह्यसंज्ञक पदों के समस्त भेदों का विस्तृत विवेचन द्वितीय अध्याय के अनु० ४५ (ख) में किया जा चुका है । सन्धि-प्रकरण में प्रयुक्त कुछ उदाहरण यहाँ पर इतिकरण के साथ प्रस्तुत किये गये हैं; यथा— हरी इति । साधू इति । उभे इति । तनू इति । वायो इति । अमी इति । अस्मे इति । उ का पदपाठ— ऊँ इति [दे० अनु० ४५ ख (५)] । वा० प्रा० के अनुसार, वा० सं० के पपा० में प्रगृह्यसंज्ञक पद की चर्चा की जाती है (दे० अनु० ८९ ग) ।

(ख) रिफित विसर्जनीय का इतिकरण— रिफित विसर्जनीय का विस्तृत विवेचन द्वितीय अध्याय के अनु० ५६ में किया जा चुका है । संहितापाठ में नामसंज्ञक पद के अन्त में जो रिफित विसर्जनीय मिलता है उसके आगे पदपाठ में इति जोड़ा जाता है; यथा— ऋ० १, २०, ४— पुनः सत्यमन्त्राः=पपा० पुनरिति । ऋ० १, ७१, २— अहुः स्वर्विदुः=पपा० अहुरिति । ऋ० ७, ४१, १— प्रातः सोमम्=पपा० प्रातरिति । यह इतिकरण रिफित विसर्जनीय का रेफमूलत्व प्रकट करने के लिये किया जाता है ताकि पाठकों को उसके मूलस्वरूप के सम्बन्ध में कोई भ्रान्ति न हो । परन्तु संहितापाठ में जहाँ इस प्रकार के पदों के अन्त में

रिफित विसर्जनीय के स्थान पर रेफ मिलता है, वहां उनके पदपाठ में ऐसे पदों के आगे इति जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है और पदान्तीय नियम के अनुसार इन पदों के अन्त में केवल विसर्जनीय दिखलाया जाता है; यथा— ऋ० ७, ४१, १— प्रातरग्निम् = पपा० प्रातः । अग्निम् । ऋ० १, ६, ४— पुनर्गर्भत्वम् = पपा० पुनः । गर्भत्वम् । अवसान में आने वाले रिफित विसर्जनीय का इतिकरण किया जाता है, परन्तु जो रिफित विसर्जनीय 'समास के मध्य में हो और पदपाठ में अवसान में न हो उसका इतिकरण नहीं किया जाता है; यथा— ऋ० ३, २८, १ पपा० प्रातःऽसावे ।

८९. रिफित विसर्जनीय वाले पदों की चर्चा— चर्चा का शाब्दिक अर्थ द्विर्वचनम् या पुनरुच्चारण है अर्थात् किसी पद का दो बार उच्चारण करना । पदपाठ के लिये यह शब्द विशेष संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है और कहीं कहीं इस के लिये वेष्टक संज्ञा का प्रयोग भी मिलता है । जब किसी पद के आगे इति जोड़ कर इति के पश्चात् उस पद का पुनरुच्चारण किया जाता है उसे चर्चा कहते हैं ।

(क) रिफित विसर्जनीय वाले आख्यात पद— जिन आख्यातसंज्ञक पदों के अन्त में संहितापाठ में रिफित विसर्जनीय मिलता है उन के पदपाठ में उन के आगे इति जोड़ कर पुनरुच्चारण किया जाता है; यथा—

ऋ० १, १२८, २— भाः परावर्तः = पपा० भारिति भाः । पराऽवर्तः ।

ऋ० १, ३३, १५— वेदनाकः = पपा० वेदना । अकुरित्यकः ।

ऋ० १, ६३, ७— पूरवै कः = पपा० पूरवै । कुरिति कः ।

„ „ दर्दः = पपा० दर्दरिति दर्दः ।

✓अस 'होना' धातु से बने रूप स्युः का पदान्तीय वर्ण जहां संहितापाठ में विसर्जनीय मिलता है वहां पदपाठ में उस के आगे इति जोड़ कर पुनरुच्चारण किया जाता है; यथा— ऋ० १, २४, ७— क्रेतवः स्युः = पपा० क्रेतवः । स्युरिति स्युः । दे० ऋ० २, ४, ९; ६, ६३, १०; ८, ७०, ५ ।

विशेष— यद्यपि √अस् 'होना' धातु से बने रूप स्तः का विसर्जनीय रिफित नहीं माना जा सकता, तथापि ऋ० १, ६१, ८ के पपा० में स्तः की चर्चा की गई है; यथा— १, ६१, ८ संहितापाठ— परिं ष्टः = पपा० परिं । स्तु इति स्तः^{११} ।

(ख) रिफित विसर्जनीय चाला स्वः— संहितापाठ में जहां स्वः का पदान्तीय वर्ण रिफित विसर्जनीय मिलता है वहां पदपाठ में स्वः के आगे इति जोड़ कर पुनरुच्चारण किया जाता है; यथा— ऋ० १, ५२, १२— स्वः परिभूः = पपा० स्व १ रिति स्वः । परन्तु जहां संहितापाठ में स्वः का पदान्तीय वर्ण रिफित विसर्जनीय नहीं है वहां पदपाठ में उसकी चर्चा नहीं की जाती है; यथा— ऋ० १, ७१, २— स्वर्विदुः = पपा० स्वः । विविदुः ।

(ग) वा० सं० के पपा० में चर्चा— वा० प्रा० (४, १८-२१) के अनुसार, वा० सं० के पपा० में उन पदों की भी चर्चा की जाती है जो प्रगृह्य हों या जिन में विनाम (मूर्धन्यभाव), भवगृह्यभाव (दे० अनु० ६०), अन्तःपददीर्घाभाव या पदान्तीय रिफित विसर्जनीय हो; यथा— अस्मे इत्यस्मे (वा० सं० ४, २२); पुनरिति पुनः (वा० सं० ४, १५) ।

९०. अवग्रह— अवग्रह का शाब्दिक अर्थ है पृथक् करना । पदपाठ करते समय समास के समस्तपदों को और कतिपय पदों की प्रकृति तथा प्रत्यय को ऽ ऐसे चिह्न के द्वारा पृथक् करके दिखलाया जाता है । इस पृथक्करण के लिए प्रातिशाख्यों में अवग्रह संज्ञा का प्रयोग किया जाता है । अवग्रह द्वारा जिस पद का विभाजन किया जा सकता है वह अवगृह्य अथवा इङ्ग्य कहलाता है । और जिस पद का पदपाठ में विभाजन नहीं किया जा सकता उसे अनिङ्ग्य कहते हैं । पदपाठ के अवग्रह का उच्चारणकाल साधारणतया एकमात्रा माना जाता है^{११} ।

प्रातिशाख्यों के अनुसार अवग्रहसम्बन्धी नियम संक्षेपतः निम्न-
लिखित हैं—

(फ) उपसर्ग तथा धातु के समास में अवग्रह— अ० प्रा० का कथन है कि सोदात्त आद्यात् के साथ उपसर्ग का समास होता है और एक से

अधिक उपसर्गों का समास अनुदात्त आख्यात के साथ भी हो जाता है^{२४} । एक या अनेक उपसर्ग और आख्यात के समास में केवल प्रथम उपसर्ग को पदपाठ में अवग्रह द्वारा पृथक् किया जाता है^{२५}; यथा— उपयाथः = पपा० उपऽयाथः (ऋ० १, ३४, ९); अनुसंप्रयाहि = पपा० अनुऽसंप्रयाहि (अ० ११, १, ३६) ।

स्वर की विशेषता— उपसर्ग तथा आख्यात के स्वर की विशेषता के सम्बन्ध में यह नियम ध्यान रखने योग्य है कि उपसर्ग तथा सोदात्त आख्यात के समास में उपसर्ग अनुदात्त हो जाता है और अनुदात्त आख्यात के साथ दो उपसर्गों के समास में साधारणतया प्रथम उपसर्ग अनुदात्त हो जाता है (दे० पा० ८, १, ७०-७१), परन्तु अनुदात्त आख्यात के साथ दो से अधिक उपसर्गों के समास में आख्यात से ठीक पूर्व आने वाले उपसर्ग को छोड़ कर अन्य सब उपसर्ग अनुदात्त हो जाते हैं; यथा— उपस्तृणन्ति = पपा० उपऽस्तृणन्ति (वा० सं० २५, ३९); प्रत्यावर्तय = पपा० प्रतिऽआवर्तय (ऋ० ६, ४७, ३१), अनुसंप्रयाहि ।

अपवाद— (१) ऋ०, अ० तथा वा० सं० के पदपाठों में √अन् से बने रूप के साथ प्र उपसर्ग के समास में अवग्रह नहीं किया जाता है^{२६}; यथा— सं० तथा पपा०— प्राणिति (ऋ० १०, १२५, ४); प्राणन्ति (अ० १३, ३, ३); प्राणः (वा० सं० २०, ६) । ऋ० में अर्प उपसर्ग के साथ √अन् से बने एक रूप का समास मिलता है जिस में अवग्रह किया जाता है; यथा— अपानती = पपा० अपऽअनती (ऋ० १, १८९, २) । अ० के पदपाठ में अपान समास में अवग्रह नहीं दिखलाया जाता है ।

(२) ऋ०, अ० तथा वा० सं० के पदपाठ में √कृ से बने रूप के साथ सम् उपसर्ग के समास में, जिस में √कृ और सम् के बीच स्र का आगम होता है, सम् को अवग्रह द्वारा पृथक् करके नहीं दिखलाया जाता है^{२७}; यथा— सं० तथा पपा०— संस्कृतः (ऋ० ८, ३३, ९); संस्कृतम् (ऋ० ५, ७६, २; अ० ११, १, ३५; वा० सं० ४, ३४) । अ० के पदपाठ में √कृ से बने रूप के साथ परि उपसर्ग के साथ समास में अवग्रह नहीं किया जाता है, जिस में उपसर्ग तथा धातु के बीच स्र का आगम

हुआ हो (दे० टि० २७); यथा— सं० तथा पपा०— परिष्कृता (अ० ६,३,१०) । परन्तु ऋ० तथा वा० सं० के पपा० में ऐसे उपसर्ग परि को अवग्रह द्वारा पृथक् करके दिखलाया जाता है; यथा— परिष्कृण्वन्ति = पपा० परिऽकृण्वन्ति (ऋ० ९,१४, २); परिष्कृतासः = पपा० परिऽकृतासः (ऋ० ९, ४६, २); परिष्कृताः = पपा० परिऽकृताः (वा० सं० २६,४२) । पदपाठ में स आगम का लोप कर दिया जाता है ।

(३) अ० प्रा० का मत है कि उद् उपसर्ग के साथ हन्, ह, स्था या स्तम्भ धातु के समास में उपसर्ग को अवग्रह द्वारा पृथक् नहीं करते हैं और वा० प्रा० का कथन है कि आदि भाग के विषय में संशय होने के कारण उत्तम्भन, उत्थाय, उत्थित आदि में अवग्रह नहीं किया जाता है^{२८} ।

(४) धातु तथा उपसर्ग के समास में धातु या उपसर्ग के एकदेश का लोप होने पर अवग्रह नहीं किया जाता है^{२८}, यथा— सं० तथा पपा०— परीत्तः (अ० ६, ९२,२; वा० सं० ९, ९); इष्कृतिः (ऋ० १०,९७, ९; वा० सं० १२, ८३); उद्धिता (अ० ६, ३, ६) ।

(ख) अन्य समासों में अवग्रह— धातु तथा उपसर्ग के समासों से अन्य समासों में भी पदों को साधारणतया अवग्रह द्वारा पृथक् करके दिखलाया जाता है^{२९}; और समाससन्धि के निमित्त से होने वाले सब विकारों को पदपाठ में हटा दिया जाता है; यथा— नृपदनेपु = पपा० नृऽसदनेपु (ऋ० १०, ९२,७); सुष्टुतिम् = पपा० सुऽस्तुतिम् (ऋ० १,७,७); पुरोहितम् = पपा० पुरऽहितम् (ऋ० १,१,१); स्वर्गः = पपा० स्वऽऽगः (अ० ६, ५, १६); तुद्विदे = पपा० तुत्ऽविदे (अ० ६,१,९) ।

जब दो से अधिक पदों का समास हो, तब उस पद को अवग्रह द्वारा पृथक् किया जाता है जो समास-रचना के समय पीछे जोड़ा जाता है अर्थात् उवट के शब्दों में जो पद समास में पदचात्कालिक है^{३०}; यथा— प्रजापतिः (जिस में तीन पद प्र+जा+पतिः हैं) = पपा० प्रजाऽपतिः (ऋ० १०,८५,४३; अ० २,३४,४; वा० सं० ३१,१९); प्रजापतिसृष्टः (जिस में चार पद हैं) = पपा० प्रजापतिऽसृष्टः (अ० १०, ६,१९) । किसी भी समास के पदपाठ में एक से अधिक अवग्रह का प्रयोग नहीं

क्रिया जाता है। समस्तपदों के साथ जुड़ने वाली कतिपय विभक्तियाँ भ्याम्, भिः, भ्यः, सु, (दे० नीचे ग भाग) भी पश्चात्कालिक पदों के समान अवग्रहात् की जाती हैं; यथा—सुसर्मावृभिः = पपा० सुसर्मावृ-
ऽभिः (ऋ० १, ३४, ८)। परन्तु जब ऐसी विभक्ति अनिङ्गय (अविभाज्य) हो (दे० नीचे ग भाग), तब समास के पूर्वपद को अवग्रहीत किया जाता है^{३१}; यथा—सुधुपोभिः = पपा० सुधुऽपोभिः
(ऋ० १, ३४, १०)। इस समास में भिः विभक्ति अनिङ्गय है।

अपवाद—(१) नञ्-समास तथा देवताद्वन्द्व-समास में अवग्रह नहीं दिखलाया जाता है^{३२}; यथा—सं० तथा पपा०—इन्द्रावरुणा (ऋ० ३, ६२, १); इन्द्रवायू (अ० ३, २०, ६); अवीराः (ऋ० ७, ४, ६)। इस सम्बन्ध में वा० प्रा० (टि० ३२) ने यह नियम बनाया है कि जो द्वन्द्व-समास द्विवचनान्त हों और जिन का पूर्वपद स्वरान्त हों उनका अवग्रह नहीं किया जाता है। इस नियम के अनुसार, उपर्युक्त से भिन्न द्वन्द्व-समासों में अवग्रह दिखलाया जाता है; यथा—ऋक्सामयोः = पपा० ऋक् ऽसामयोः (वा० सं० ४, ९)। अ० प्रा० ने देवताद्वन्द्व से भिन्न द्वन्द्व-समासों के अवग्रह का नियम निम्नलिखित प्रकार से बनाया है—उत्तरपद के आदि व्यञ्जन से पूर्व जिस (द्वन्द्व) समास के पूर्वपद का अन्तिम स्वर दीर्घ हो उस समास में अवग्रह नहीं दिखलाया जाता है^{३३}; यथा—सं० तथा पपा०—पितापुत्रौ (अ० ६, ११२, २); इष्टा-पूर्तम् (अ० २, १२, ४); सूर्याचन्द्रमसां (ऋ० १, १०२, २); अहो-रात्राणि (ऋ० १०, १९०, २); अजावयः (ऋ० १०, ९०, १०)।

(२) अ० प्रा० (४, ६४) ज्ञास्पत्यम् समास में अवग्रह का निषेध करता है और वा० प्रा० (४, ४०) इस समास में पूर्वपद के 'या' के लोप का व्याख्यान करता है। अ० प्रा० (४, ८३) के अनुसार ज्ञास्पत्यम् समास की सन्धि को हटाकर पदों का रूप दिखलाया जाता है। अत एव सं० ज्ञास्पत्यम् = पपा० ज्ञाःपत्यम् (ऋ० ५, २८, ३; वा० सं० ३३, १२; अ० ७, ७३, १०)। परन्तु अ० के पपा० की कतिपय पाण्डुलिपियों में इस समास में अवग्रह दिखलाया गया है—ज्ञाऽपत्यम्।

(३) अ० प्रा० ४, ६० ने विश्वपतिः तथा विश्वपत्नी समासों में और ४, ५४ ने समुद्रादिगण के समासों में अवग्रह का निषेध किया है। इसी प्रकार वा० प्रा० ५, ३७-४१ ने बहुत से समासों की परिगणना की है जिन में अवग्रह का निषेध किया गया है। इस सम्बन्ध में उवट ने वा० प्रा० ५, ४५ के भाष्य में निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है—

आदिमभ्यान्तलुप्तानि समासान्यायभाञ्जि च ।

नावगृह्णन्ति कवयः पदान्यागमवन्ति च ॥

(४) अ० प्रा० का कथन है कि सन्देह के कारण षोडशी में अवग्रह नहीं किया जाता है^{१५}। समस्त पदों के समुचित स्वरूप के विषय में सन्देह होने के कारण अनेकों समासों के पदपाठ में अवग्रह नहीं दिखलाया जाता है।

(ग) प्रातिपदिक तथा विभक्ति में अवग्रह—ह्रस्व स्वर तथा व्यञ्जन से परे आने वाली भकारादि विभक्ति (भिः, भ्याम्, भ्यः) को अवग्रह द्वारा प्रातिपदिक से पृथक् करके दिखलाया जाता है^{१६}; यथा— अकुभिः = पपा० अकुऽभिः (ऋ० १, ३४, ८); पुञ्जभिः = पपा० पुञ्जऽभिः (अ० ४, १४, ७); हरिभ्याम् = पपा० हरिऽभ्याम् (ऋ० १, ३५, ३); अद्भ्यः = पपा० अत् ऽभ्यः (ऋ० १, ३४, ६); तिर्षद्भ्यः = पपा० तिर्षत् ऽभ्यः (वा० सं० १६, २३)। परन्तु दीर्घ स्वर से परे आने वाली विभक्तियों को अनिङ्ग्य मानते हैं और उनके अवग्रह द्वारा पृथक् करके नहीं दिखलाया जाता है^{१७}; यथा— सं० तथा पपा०— देवोभिः (ऋ० १, १, ५); देवेभ्यः (ऋ० १, १३, ११); अक्षीभ्याम् (अ० २, ३३, १); कर्णाभ्याम् (अ० २, ३३, १); गोभ्यः (अ० ३, २८, ३)। तुभ्यम्, युष्मभ्यम् तथा अस्मभ्यम् में भी अवग्रह नहीं किया जाता है।

जिन रूपों में सु विभक्ति के स् का मूर्धन्य न बनता हो, उन में सु को अवग्रह द्वारा पृथक् करके दिखलाते हैं, परन्तु जिस रूप में सु विभक्ति का पु बनता है वहाँ तथा आ से परे उस का अवग्रह नहीं करते हैं^{१८}; यथा— सुमत्सु = पपा० सुमत्ऽसु (ऋ० १, ६६, ६); अप्सु = अप्ऽसु (अ० १, ४, ४); राजसु = पपा० राजऽसु (अ० ७, ५०, ७)। परन्तु

सं० तथा पपा०— देवेर्षु (ऋ० १, १, ४); अग्निर्षु (ऋ० १, १०८, ४); कृष्णासु (ऋ० १, ६२, ९) । तृतीया एकवचन के रूपों में कतिपय प्रातिपदिकों के साथ जुड़ने वाले या को अवग्रहीत किया जाता है^{१८}; यथा— साधुया = पपा० साधुऽया (ऋ० १, ४६, ११; अ० १०, ४, २१; वा० सं० १४, १); धृष्णुया = पपा० धृष्णुऽया (ऋ० १, २३, ११; वा० सं० २७, ३८); पा० ७, १, ३९ पर काशि० तथा सि० कौ० के अनुसार धृष्णुया में तृ० ए० की विभक्ति के स्थान पर या आदेश और साधुया में प्र० ए० की विभक्ति के अर्थ में याच् आदेश हुआ है, परन्तु मैक्डानल के अनुसार साधुया स्त्रीवाची तृ० ए० का अव्यय रूप है^{१९} । सायण (ऋ० १, ४६, ११) भी प्रथ० ए० के अर्थ में इस का व्याख्यान करता है ।

(घ) इच्छार्थक य (पा० क्यच्) का अवग्रह— यदि नामधातु के साथ इच्छा के अर्थ में जुड़ने वाले यकारादि प्रत्यय (पा० क्यच्) से पूर्व स्वर हो, तो उसे पपा० में अवग्रह द्वारा पृथक् करके दिखलाया जाता है और यकारादि प्रत्यय जुड़ने से नामधातु के अन्तिम स्वर में जो दीर्घत्व होता है उसे हटा दिया जाता है^{२०}; यथा— सुम्नुयुः = पपा० सुम्नुऽयुः (ऋ० १, ७९, १०); अघायतः = पपा० अघऽयतः (ऋ० १, ९१, ८; वा० सं० ३, २६); शत्रुयताम् = पपा० शत्रुऽयताम् (ऋ० १, ३३, १५) । आचार के अर्थ में सुबन्त उपमान के साथ जुड़ने वाले य (पा० क्यङ्) प्रत्यय को भी इसी प्रकार अवग्रहीत करते हैं; यथा— कुवीयमानः = पपा० कुविऽयमानः (ऋ० १, १६४, १८) ।

(ङ) धातु और कृतप्रत्यय वस् (पा० कसु) में अवग्रह— धातु के साथ जुड़ने वाला कृतप्रत्यय वस् (पा० कसु) यदि ह्रस्व स्वर से परे आए और सम्प्रसारण द्वारा वस् का उष् न बना हो, तो उसे अवग्रह द्वारा पृथक् करके दिखलाया जाता है^{२१}; यथा— पृषिवान् = पपा० पृषिऽवान् (अ० १४, १, ३; ऋ० १, ६१, ७); चक्रवान् = पपा० चक्रुऽवान् (अ० २, ३५, ३) । परन्तु सं० तथा पपा०— चक्रुषे (ऋ० ७, ८७, ७) ।

(च) तद्धित प्रत्यय मत्, वत्, शस्, त्व, ना, ताति, था, धा, मय, तर, तम का अवग्रह—

तृतीयोऽध्यायः

नाम के साथ जुड़ने वाले उपर्युक्त तद्धित प्रत्ययों (दे० पष्ठ अध्याय) को अवग्रह द्वारा पृथक् करके दिखलाया जाता है^{४३}; यथा—
 घृतवन्तम्=पपा० घृतवन्तम् (ऋ० १,३४,१०); गोमत्=पपा० गोमत्
 (ऋ० १,४८,१२); पूर्वशः=पपा० पूर्वशः (ऋ० १,५७,६); सौभगत्वम्=
 पपा० सौभगत्वम् (ऋ० १,३४,५); पुरुत्रा=पुरुत्रा (ऋ० १,७०,
 १०); देवताता=पपा० देवताता (ऋ० १,३४,५); देवतातिम्=पपा०
 देवतातिम् (ऋ० १,१४१,१०); प्रलथा=पपा० प्रलथा (ऋ० १,९६,१);
 न्वधा=पपा० न्वधा (अ० १३,४, १०); उत्तमम्=पपा० उत्तमम्
 (ऋ० १,२५,२१); शुकमयम्=पपा० शुकमयम् (अ० ९,१०,२५);
 त्वस्तरम्=पपा० त्वस्तरम् (ऋ० १,३०,७) ।

अपवाद — वा० प्रा० का मत है कि तद्धित वत् प्रत्यय परे रहते अवग्रह तभी होता है जब वत् प्रत्यय और प्रातिपदिक के बीच न्यायपूर्वक अर्थात् व्याकरणशास्त्र के अनुसार सन्धि हुई हो परन्तु अनियमित सन्धि होने पर अवग्रह नहीं किया जाता है^{४३}; यथा— सं० तथा पपा०— पर्यस्वन्तम् (वा० सं० ६, ३०); मरुत्वन्तम् (ऋ० १,२३,७; वा० सं० ७, ३६); हविर्मन्तः (ऋ० १,६०,२)^{४४} । अ० प्रा० (४,१५) का मत है कि तद्धित प्रत्यय था का अवग्रह तभी किया जाता है, जब वह अनेकाक्षर (अनेकान्) से परे आए, अन्यथा नहीं । अत एव— सं० तथा पपा०— तथा, यथा इत्यादि । अ० प्रा० (४,२४) के अनुसार सकारान्त प्रातिपदिक से परे आने वाले मय प्रत्यय को अवग्रहीत नहीं करते हैं; यथा— सं० तथा पपा०— मनुस्वर्यम् (अ० १४,१,१२) । इस विषय में पाणिनीय मत के लिये दे० टि० ४४ ।

९१. अवगृह्य पदों की चर्चा— अनु० ८६ में चर्चा संज्ञा का व्याख्यान किया जा चुका है । यहाँ पर यह बतलाना आवश्यक है कि जब किसी समास के पदपाठ में प्रगृह्यत्व तथा अवगृह्यत्व दोनों का बोध कराना हो, तब ऐसे समस्त पद की चर्चा की जाती है । इसका अभिप्राय यह है कि जब कोई समस्त पद प्रगृह्य हो और साथ-साथ अवगृह्य भी हो तब उस समास की इन दोनों विशेषताओं को चर्चा द्वारा प्रकट किया जाता है ।

समस्त पद का अवग्रह किये विना उसके साथ इति जोड़ कर प्रगृह्यत्व को प्रकट किया जाता है और इति के पश्चात् समस्त पद का पुनरुच्चारण करके उसमें अवग्रह दिखलाया जाता है^{५५}; यथा— वृहद्भानो=पपा० वृहद्भानो इति वृहद्भानो (ऋ० १, २६, १५); विरूपे=पपा० विरूपे इति विरूपे (अ० १०, ७, ४२) ।

विशेष— वा० प्रा० (४, २०-२४) के अनुसार, वा० सं० के पपा० में प्रत्येक अवगृह्य पद की चर्चा की जाती है और जिस पद के अन्दर कोई विकार या भागम हो उसकी भी चर्चा की जाती है; यथा— प्रजावती=पपा० प्रजावतीरिति प्रजावतीः (वा० सं० १, १) ।

९२. **क्रमपाठ—** पदपाठ की भांति क्रमपाठ भी अति प्राचीन है और ऋ० प्रा० स्पष्ट कहता है कि बाभ्रव्य ने क्रम का प्रवचन किया था और उसी क्रमशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए^{५६} । ऋ० प्रा० ११, ६५ के भाष्य में बाभ्रव्य का व्याख्यान करते हुए उवट कहता है— “बाभ्रव्यो बभ्रुपुत्रो भगवान्पाञ्चालः क्रमस्य प्रवक्ता शिष्येभ्यः क्रमं प्रथमं प्रोवाच प्रशंसं च हिताय ।” आश्व० गृ० सू० (३, ४, ४) तथा शां० गृ० सू० (४, १०, ३; ६, १, १) में बाभ्रव्य के लिये तर्पण का विधान है । पाणिनि (४, २, ६१) ने क्रमपाठ का अध्ययन करने वाले के लिये क्रमकः और पदपाठ का अध्ययन करने वाले के लिये पदकः संज्ञा का प्रयोग किया है । क्रमपाठ वास्तव में पदपाठ तथा संहितापाठ पर आश्रित है । पदपाठ में आने वाले प्रत्येक पद को एक बार पूर्ववर्ती और एक बार परवर्ती पद के साथ संहित करके उच्चरित करना क्रमपाठ है । अत एव अ० प्रा० (४, ११०) कहता है कि दो पदों से क्रमपद बनता है । पदपाठ के साथ क्रमपाठ की समीपता के कारण पाणिनीय सूत्र (२, ४, ५)— “अध्ययनतोऽपि प्रकृष्टाख्यायाम्” के व्याख्यान में काशिका ने ‘पदकक्रमकम्’ उदाहरण प्रस्तुत किया है । पदपाठ तथा संहितापाठ पर क्रमपाठ का पूर्ण आश्रयत्व तथा स्वतन्त्र प्रयोजनसिद्धि का अभाव देखते हुए कतिपय आचार्यों ने ऋ० प्रा० के काल में क्रमपाठ की उपादेयता के विषय में शक्य उठाई और कहा कि पदपाठ तथा संहितापाठ जानने वाले के लिये क्रमपाठ से कोई प्रयोजन नहीं है^{५७} । ऋ० प्रा० में इस मत का प्रत्याख्यान किया गया है और

क्रमपाठ की उपादेयता बतलाई गई है। वा० प्रा० के अनुसार, स्मृति ही क्रमपाठ का मुख्य प्रयोजन है^{५८}। अ० प्रा० का मत है कि संहितापाठ और पदपाठ की दृष्टता के लिए क्रमपाठ का अध्ययन किया जाता है और क्रमपाठ के बिना संहिता में स्वर की उत्पत्ति का सम्यक् ज्ञान नहीं होता है^{५९}। क्रमपाठ के द्वारा पदपाठ तथा संहितापाठ दोनों का ज्ञान होता है। अत एव ऋ० प्रा० (११, १-२) का कथन है कि जब आर्षी संहिता का लोप किये बिना दो पदों के संहितापाठ तथा पदपाठ का एक साथ उच्चारण किया जाय वह क्रमपाठ है और आर्षी संहिता के लोप का निवारण करने के लिये कई बार दो से अधिक पदों का क्रमपाठ भी किया जाता है।

९३. क्रमपाठ के नियम—ऋ० प्रा०, अ० प्रा० तथा वा० प्रा० के अनुसार, क्रमपाठ के मुख्य नियम निम्नलिखित हैं—

(क) क्रमपाठ में साधारणतया दो दो पदों का सन्धान (मेल) किया जाता है और प्रथम पद से प्रारम्भ करके अवसान तक (अर्धर्च के अन्त तक) दो दो पदों की सन्धि करके उच्चारण करना चाहिए। उत्तरवर्ती पद को पहले पूर्ववर्ती पद के साथ और पुनः परवर्ती पद के साथ संहित करके उच्चरित किया जाता है^{६०}; यथा— सं० पुर्जन्यायु प्र गायत = क्रमपाठ—पुर्जन्यायु प्र । प्र गायत (ऋ० ७, १०२, १)। अवसान के नियम के अनुसार, प्रथम अर्धर्च के अन्त में आने वाले पद को द्वितीय अर्धर्च के आदि में आने वाले पद के साथ संहित नहीं किया जाता है^{६१}। क्रमपाठ में सन्धि के सभी नियम पूर्णतया उसी प्रकार लागू होते हैं जैसे संहितापाठ में।

(ख) त्रिक्रम—क्रमपाठ में अपृक्त (एकाक्षर) पदों तथा कतिपय परिगणित पदों को अन्य पदों के समान पूर्ववर्ती तथा परवर्ती पद के साथ मिला पर नहीं दोहराया जाता है, अपितु ऐसे पद को पूर्ववर्ती तथा परवर्ती पद के मध्य रग कर केवल एक बार उच्चरित किया जाता है^{६२}; यथा—सं० उद्गत्यं ज्ञातवेंदसम् = क्रमपाठ—उद्गु ह्यम् (उत्+उ+त्यम्)। उद् ह्यम्^{६३}। एयं ज्ञातवेंदसम् (ऋ० १, ५०, १)। जष दस प्रकार तीन

पदों को क्रमपाठ में संहित करके उच्चारण किया जाता है, तब उसे त्रिक्रम कहते हैं। अपृक्त पदों के अतिरिक्त निम्नलिखित पद भी त्रिक्रम के मध्य में उच्चरित किये जाते हैं^{५३}—

- (१) जब सु तथा स्म के सकार का मूर्धन्यभाव हो जाय और इन से परे नः आए; यथा—मो पु णः (ऋ० १, ३८, ६)। आसु ष्मा णः (ऋ० ६, ४४, १८)।
- (२) जिस अपृक्त पद ईम् के अन्तिम वर्ण म् का लोप हुआ है।
- (३) जिस पद के आदि वर्ण का छान्दस दीर्घत्व हुआ है; यथा—योनिमारैर्गर्प (= योनिम् + अरैक् + अर्प- ऋ० १, १२४, ८)।
- (४) जिस स्कम्भनेन पद के आदि स का लोप हुआ हो; यथा—चित्स्कम्भनेन स्कर्भीयान् (= चित् + स्कम्भनेन + स्कर्भीयान्- ऋ० १०, १११, ५)।
- (५) “इतो षिञ्चत” तथा “आवर्तमः” में से प्रत्येक के प्रथम पद (इतो तथा आवर्त्); यथा—परीतो षिञ्चत (ऋ० ९, १०७, १)। उषा आवर्तमः (ऋ० १, ९२, ४)। इन की सन्धिविशेषता के लिये दे० अनु० ५५ घ (विशेष) तथा ५५ च (विशेष)।
- (६) “वीरास एतन्” का द्वितीय पद (एतन्); यथा—ऋ० ५, ६१, ४—वीरास एतन् मर्यासः (पपा०— वीरासः। इतन्। मर्यासः)।

अपवाद—यद्यपि अपृक्त पद आ त्रिक्रम के मध्य में आता है और क्रमपाठ के अन्त में नहीं रक्खा जा सकता, तथापि परवर्ती पद के साथ संहित हो कर यह क्रमपाठ के प्रारम्भ में आ सकता है^{५४}; यथा—मन्द्रमा वरेण्यम् = क्रमपाठ— मन्द्रमा वरेण्यम्। आ वरेण्यम् (ऋ० ९, ६५, २९)। अ० प्रा० के अनुसार, अपृक्त पद ओ भी आ की भांति परवर्ती पद के साथ संहित होकर पदक्रम के प्रारम्भ में आ सकता है (दे० टि० ५३); यथा—अ० ७, ७२, २— हविरोषु = क्रमपाठ— हविरोषु। ओषु। ओ इत्यो। ऋ० प्रा० (१०, ३) के अनुसार, अपृक्त पद ओ को त्रिक्रम के मध्य नहीं रक्खा जाता है और अन्य पदों के समान यह क्रमपाठ में पूर्ववर्ती तथा परवर्ती के साथ संहित होता है; यथा— अभूदो (ऋ० १, ११३, ११)।

(ग) चतुःक्रम—वा० प्रा० के अनुसार, जब सु पद से पूर्व कोई अपृक्त पद हो और इस से परे नकार हो, तब क्रमपाठ में चार पदों की सन्धि करते हैं^{५५}; यथा—वा० सं० १७, ८४—क्रमपाठ= एतादृक्षांससु पुणः । इसे चतुःक्रम कहते हैं । वा० प्रा० कहता है कि कतिपय आचार्य सु से परे मकार आने पर भी चतुःक्रम मानते हैं (टि० ५५) । ऋ० प्रा० ने भी निम्नलिखित पदों का चतुःक्रम माना है ।

संहितापाठ में जो पद अन्य पद के द्वारा दो भागों में पृथक् कर दिया जाय वह पद तथा पृथक् करने वाला पद चतुःक्रम में रख कर क्रमपाठ में उच्चरित किया जाता है^{५६}; यथा—ऋ० ६, ८६, ४२—ईयते नरां च शंसं दैव्यम् = क्रमपाठ—ईयते नरां च शंसं दैव्यम् (पपा० ईयते । नराशंसम् । च । दैव्यम्) ।

(घ) पञ्चक्रम—ऋ० प्रा० (१०, ३) ने निम्नलिखित उदाहरण में पांच संहित पदों का क्रमपाठ (पञ्चक्रम) माना है—ऋ० १०, १२७, ३—निरु स्वसारमस्कृतोपसम् (पपा०—निः । ऊँ इति । स्वसारम् । अकृत । उपसम्) ।

(ङ) क्रमपाठ में सन्धिविकार तथा प्रकृति—क्रमपाठ में साधारणतया संहितापाठ के अनुसार ही पदों के सन्धिविकार को दिखलाया जाता है, परन्तु इस सम्बन्ध में यह नियम विशेष ध्यान देने योग्य है कि जिस पद के निमित्त से सन्धिविकार हुआ है उसके साथ क्रमपाठ में संहितापाठ के विकृत रूप को ज्यों का त्यों उच्चरित किया जाता है और जिस पद के निमित्त से सन्धिविकार नहीं है उसके साथ क्रमपाठ में पद की प्रकृति दिगलाई जाती है^{५७}; यथा—ऋ० ७, ३३, ४—यच्छकरीषु वृहता = क्रमपाठ—यच्छकरीषु । शकरीषु वृहता ।

ऋ० १०, १, १—षापो हि षा मयोभुवः = क्रमपाठ—षापो हि । हि ष । स्या मयोभुवः ।

क्रमपाठ के अवसान में आने वाले पद के साहितिक दार्ढ्य तथा परवर्ती पद के निमित्त से होने वाले अन्य साहितिक विकारों को दृष्टा दिया जाता है^{५८}; यथा—

ऋ० १०, १४१, १—अग्ने अर्च्छा वद = क्रमपाठ—अग्ने अर्च्छ ।
अर्च्छा वद ।

९४. परिग्रह, परिहार, स्थितोपस्थित—जब क्रमपाठ में प्रगृह्य, अवगृह्य, समापाद्य, अवसानगत इत्यादि निम्नलिखित प्रकार के पद आते हैं, तब परवर्ती पद के साथ ऐसे पद की सामान्य सन्धि दिखला कर पुनः पद-पाठ की चर्चा (दे० अनु० ९१) की भांति उस पद का दो बार उच्चारण किया जाता है और उन दो उच्चारणों के मध्य इति का उच्चारण किया जाता है^{५१} । इस द्विवचनसू (दो बार उच्चारण) के लिये ऋ० प्रा० में परिग्रह, अ० प्रा० में परिहार और वा० प्रा० में स्थितोपस्थित संज्ञा का प्रयोग मिलता है (दे० टि० ५९) । इस सम्बन्ध में पं० युधिष्ठिर मीमांसक का निम्नलिखित मत ब्राह्म नहीं हो सकता—“ऋकप्रातिशाख्य में अवग्रह के लिए ‘परिग्रह’ संज्ञा का व्यवहार मिलता है^{५०} ।” परिग्रह और अवग्रह (दे० टि०^{५०}) का भेद सर्वथा स्पष्ट है । ऋ० प्रा० (१, ५२; ३, २४; ११, ३२ इत्यादि) ने अवग्रह के लिए अवग्रह संज्ञा का ही प्रयोग किया है और ऋ० प्रा० (३, २३; १०, २०; ११, ३६; १३, ५० इत्यादि) में परिग्रह संज्ञा का प्रयोग ऊपर समझाये गये (परिहार, स्थितोपस्थित) अर्थ में किया गया है । ऋ० प्रा० (११, ३२) में अवग्रह तथा परिग्रह दोनों संज्ञाओं का प्रयोग साथ-साथ मिलता है । ऋ० प्रा० के अनुसार, जिस पद के साथ इति जोड़ा जाता है उसे उपस्थित कहते हैं; इतिरहित अकेले पद को स्थित कहते हैं; और जहाँ उपस्थित तथा स्थित दोनों की सन्धि करके उच्चारण किया जाय उसे स्थितोपस्थित कहते हैं (दे० टि० २०) ।

परिग्रह में समापत्ति—परिग्रह में पदान्तीय न् का विकार, विसर्जनीयविकार, नति, दीर्घत्व, प्रश्लेष, स्र का आगम इत्यादि सब सन्धिविकारों का निवारण करके पदों की प्रकृति को दिखलाया जाता है^{५२} । परिग्रह में प्लुत का अप्लुतवत् और अनुनासिक का शुद्ध रूप दिखलाया जाता है^{५३} ।

क्रमपाठ में निम्नलिखित प्रकार के पदों का परिग्रह किया जाता है—

(क) प्रगृह्यपद—क्रमपाठ में प्रगृह्यसंज्ञक पद का परिग्रह किया जाता है—

तृतीयोऽध्यायः

(दे० टि० ५९); यथा—इन्द्राग्नी इतीन्द्राग्नी (ऋ० ६, ५९, ६) ।

(ख) इतिकरणयुक्त पद—प्रगृह्यसंज्ञक पदों के अतिरिक्त जिन पदों के साथ पदपाठ में इति जोड़ा जाता है (दे० अनु० ८८), क्रमपाठ में उन का परिग्रह किया जाता है, (दे० टि० ५६); यथा—ऊँ इत्यूँ (ऋ० १, ५०, १) । अ० प्रा० के अनुसार अपृक्त पद के परिग्रह में दो बार इति जोड़ा जाता है^{१३}; यथा—ऊँ इत्यूँ इति । ऋ० प्रा० (१०, १७; ११, ३२) का मत है कि स्वः का परिग्रह करते समय स्वः और इति के मध्य अवग्रहवत् उच्चारण करना चाहिए; यथा—स्व॑रिति॑ स्वः (ऋ० १, ५२, १२) ।

(ग) अवगृह्य पद—पदपाठ में जिन पदों को अवगृहीत किया जाता है क्रमपाठ में उनका परिग्रह किया जाता है (दे० टि० ५६) । अवगृह्य पदों के परिग्रह का यह नियम है कि इति से पूर्व अवगृह्य पद का संहितारूप दिया जाता है और इति के पश्चात् उच्चरित किये जाने वाले रूप में अवग्रह दिखलाया जाता है (दे० टि० ४५); यथा—ऋषिभिरित्यृषि-
ऽभिः (ऋ० १, १, २) ।

(घ) समापाद्य पद—धक्षि इत्यादि जिन पदों के आदि वर्ण में साहितिक विकार माना जाता है, या जिन के आदि स्वर का छान्दस दीर्घ हुआ है, या जिन में अन्तःपदविकार हुआ है उनका परिग्रह किया जाता है^{१४}; यथा—पपा०—धक्षि=क्रमपाठ—धक्षीति धक्षि (संहितापाठ ऋ० २, १, १०—दक्षि); ऋ० १, ११३, १६ संहितापाठ—अरैक्=क्रमपाठ—अरैगित्यरैक् (पपा० अरैक्); ऋ० ८, ५, ११ संहितापाठ—व्रावृ-
धाना=क्रमपाठ—व्रवृधानेति व्रवृधाना (पपा० व्रवृधाना) ।

(ङ) त्रिक्रम या चतुःक्रम के मध्य आने वाले पदों का परिग्रह किया जाता है^{१५} ।
दे० अनु० ६३ (ख), (ग), (घ) ।

(च) अवसान (अर्धर्च के अन्त) में आने वाले पद का परिग्रह किया जाता है^{१६}; यथा—मी०हुप इति मी०हुपे (ऋ० ७, १०२, १) । अ० प्रा० के अनुसार अवसान में आने वाले जिस समापाद्य पद के विकार का निमित्त

स्वयं पद में ही है उस का उच्चारण इति से पूर्व संहितावत् किया जाता है और इति के पश्चात् परिग्रह में उसकी प्रकृति का उच्चारण किया जाता है, और इसके लिये आस्थापित संज्ञा का व्यवहार किया जाता है^{१७}; यथा— अ० ५, ५, ९ संहितापाठ— सिष्युदे=क्रमपाठ— सिष्युद् इति सिष्युदे ।

(ज) यह भी माना जाता है कि क्रमपाठ के जिस पूर्वपद का अन्तिम वर्ण स्पष्ट न हो उस का परिग्रह करना चाहिए^{१८}; यथा— ऋ० १, १०७, ३ संहितापाठ— तन्नः=क्रमपाठ— तदिति तत् ।

९५. **जटादि अन्य पाठ**— पदपाठ तथा क्रमपाठ पर आश्रित जटादि अन्य पाठ भी मिलते हैं जो वेदों की रक्षा में सहायक हैं । चरणव्यूह के महिदास-कृत भाष्य में इन पाठों की गणना निम्नलिखित प्रकार से की गई है—

जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो वनः ।

अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा महर्षिभिः ॥

चरणव्यूह के भाष्य में इन सब पाठों के लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं और यह माना जाता है कि व्याडि ने इन आठों विकृतियों के लक्षण बनाये थे । अत एव इस सम्बन्ध में यह श्लोक प्रचलित है—

शैशिरीये समाम्नाये व्याडिनैव महर्षिणा ।

जटाद्या विकृतीरष्टौ लक्ष्यन्ते नातिविस्तरम् ॥

यद्यपि वेदरक्षण में इन सब विकृतियों का महत्त्व है, तथापि व्याकरण तथा प्रातिशाख्यों के अनुसार इनका विवेचन अनावश्यक है । इसलिये यहां पर इनका वर्णन करना अप्रासंगिक होगा ।

टिप्पणियां

१. अ० प्रा० ४, १०७— पदाध्ययनमन्तादिशब्दस्वार्थज्ञानार्थम् ॥

२. ऋ० ७, ५९, १२; १०, २०, १; १०, १२१, १०; १०, १९०, १-३ ।

तृतीयोऽध्यायः

३. The History of Indian Literature, pp. 32-33; Vedische Studien, III, pp. 144-146.
४. Oldenberg, Prolegomena, p. 380, n.; Keith, Aitareya Āraṇyaka, pp. 239-240; Vedic Index, II, p. 369.
५. पा० १, १, १६; ६, १, १२७; ८, ३, १९; ८, ४, ५१।
६. ऋ० प्रा० १, १५ (अवसान में पदान्तीय स्पर्श वर्ग का तृतीय); ६.३६ (यम के पश्चात् नासिक्या स्वरभक्ति); ११, १७.२६ (क्रमपाठसम्बन्धी-त्रिक्रम का विवेचन); १३, ३१ (पदपाठसम्बन्धी संज्ञा समापाद्य के व्याख्यान में व्याडि और पदकार शाकत्य के साथ गार्ग्य के नाम का उल्लेख)। वा० प्रा० ४, १६५ (ख्या धातु में क् श का संयोग)। निरुक्त १, ३ (उपसर्गों का अनेकार्थत्व); १, १२ (सब नाम आख्यातज नहीं हैं); ३, १३ (उपमा का लक्षण)।

पा० ७, ३, १९— (रुदादि धातुओं से परे अपृक्त सार्वधातुक को षट् का आगम); ८, ३, २० (ओ के पश्चात् य् का लोप सन्धि में); ८, ४, ६७ (स्वरित का अभाव); इत्यादि ।

७. वौ० गृ० सू० ३, ९, ७; भा० गृ० सू० ३, ११; हि० गृ० सू० २, २०, १; आग्नि० गृ० सू० १, २, २। इन सब सूत्रों में ये पद मिलते हैं—
“आत्रेयाय पदकाराय ।”
८. तै० प्रा० ५, ३१; १७, ८।
९. तु०— तै० प्रा० ३, १५ = पपा० ३, ५, ८, १; ४, २, ९, १।
तै० प्रा० ५, ४ = पपा० ४, ७, ५, १; ४, ७, १५, २।
तै० प्रा० ५, ५ = पपा० ४, ४, ४, ६; २, २, १२, ७।
तै० प्रा० ५, ६ = पपा० ५, ६, ६, ४; ६, ५, ५, २।
दे० तै० प्रा० ५, ७-९; ५, १८-१९ इत्यादि ।
१०. दे० तै० प्रा० ३, १५। ऋ०, अ० तथा वा० सं० के पदपाठ में प्राण का अपभ्रष्ट नहीं किया जाता है। अ० के पपा० में ध्यान तथा सामान में

अवग्रह दिखलाया जाता है, परन्तु -भान के आ को ह्रस्व नहीं किया जाता है; तु० अ० प्रा० ४, ३९। अ० के पपा० में अपान का अवग्रह नहीं किया जाता है। वा० सं० के पपा० में अपान तथा समान में अवग्रह किया जाता है, परन्तु -भान के दीर्घ अक्षर को ह्रस्व नहीं किया जाता है; (तु० वा० प्रा० ५, ३३.३६)। दे० अनु० ९०।

११. HOS., Vol. 18, p. XXX.

१२. दे० Maitrāyaṇī Samhitā, Schroeder's edition, I, pp. XXXI—XXXVII.

१३. निरुक्त ४, १५; Grassmann, W Z R., s.v.; Geldner, HOS., Vol. 33, p. 462, n. पदकार के समान सायण भी ढुपुदे इत्यादि उक्त पदों को सप्तमी एकवचन के मानता है। मेरा मत भी यही है कि ढुपुदे आदि पद सप्तमी एकवचन के रूप हो सकते हैं, क्योंकि ढुपुद शब्द के अन्य प्रयोग “ढुपुदेषु ब्रह्मः” (ऋ० १, २४, १३) में भी सप्तमी विभक्ति का रूप मिलता है और समस्त ऋ० में इस शब्द के ये दो प्रयोग ही मिलते हैं।

१४. निरुक्त ४, १५। गेल्डनर यास्क के मत का अनुसरण करता है, दे० HOS., Vol. 33, p. 462, n. परन्तु ग्रासमन इसका पदविभाग “कनीनके व” (WZR, s v. iva) करता है और व्याकरण की दृष्टि से यह मत अधिक समीचीन है; दे०—अनु० ४५ ख (१) विशेष।

१५. निरुक्त ६, २८।

१६. HOS, Vol. 35, p. 173, n.

१७. The Journal of the Ganganatha Jha Research Institute, Vol. XVII, Parts 3-4, pp. 193 ff. —“A New Interpretation of the Vedic Word Mānuṣa.”

१८. अ० प्रा० ४, ७३-७४—प्रकृतिदर्शनं समापत्तिः ॥ प्लवणत्वोपाचार-दीर्घद्वुत्वलोपान्यदानां चर्चापरिहारयोः समापत्तिः ॥ उपाचार—क् प् से पूर्व विसर्जनीय का स या ष् वनना उपाचार कहलाता है। दे० ऋ० प्रा० ४, ४१; १३, ३१ (टि० १९ में); सन्धि-प्रकरणम्। पदान्तीय -भान्

- को स्वर से पूर्व संहिता में जो विकार होता है उसे धान्पदा पदवृत्ति कहते हैं; दे० ऋ० प्रा० ४, ६७; अनु० ५२ (ख) ।
१९. ऋ० प्रा० १३, ३१— समापाद्यं नाम वदन्ति पत्वं तथा णत्वं सामवशोश्च सन्धीन् । उपाचारं लक्षणतश्च सिद्धमाचार्या व्यालिशाकल्यगार्ग्याः ॥
२०. ऋ० प्रा० १०, १२-१४— उपस्थितं सेतिकरणम् ॥१२॥ केवलं तु पदं स्थितम् ॥१३॥ तस्थितोपस्थितं नाम यत्रोभे आह संहिते ॥१४॥ दे०— ऋ० प्रा० ११, २९; १५, ९; ११, ६१ ।
२१. पा० ६, १, १२९— “अप्लुतवर्दुपस्थिते” पर महाभाष्य—“ ‘उपस्थिते’ इत्युच्यते, किमिदमुपस्थितं नाम ? अनार्थ इतिकरणः ।” काशिका— “उपस्थितं नामानार्थ इतिकरणः समुदायादवच्छिद्य पदं येन स्वरूपेण स्वस्थाप्यते... ।”
२२. पं० युधिष्ठिर मीमांसक ने वै० स्व० मी० के पृ० १५४ पर “स्तु इति स्तः । ऋ० ८।३।२ ॥” उदाहरण का स्थलनिर्देश अशुद्ध किया है, क्योंकि ऋ० ८, ३, २ के संहितापाठ में ‘स्तः’ रूप नहीं है, अपितु “स्तुरभिमात्तये” पाठ है जिस में स्तु से बना रूप स्तुइ है और जिस में रिफित विसर्जनीय भी नहीं है । अत एव इस का पदपाठ केवल “स्तुः” दिया गया है ।
२३. ऋ० प्रा० १, २८— तावदवग्रहान्तरम् ॥ वा० प्रा० ५, १— समासेऽवग्रहो ह्रस्वसमकालः ॥ पा० १, १, ७ के महाभाष्य पर अवग्रह का उच्चारणकाल अर्धमात्रा मानते हुए कैयट कहता है— “अर्धमात्राकालोऽवग्रह इष्यते ।” प्रातिशाख्यों के मत के साथ कैयट के मत का समन्वय करते हुए नगेश (उद्योत में) कहता है कि एक वर्ण के अनन्तर दूसरे वर्ण के उच्चारण तक अर्धमात्रा का काल तो नियत ही है और अवग्रह में उस नियत अर्धमात्रा काल से अर्धमात्रा काल और अधिक लगता है । अतएव प्रातिशाख्यसम्मत एकमात्रा काल का इस से विरोध नहीं है— “वर्णाद्वर्णोच्चारणेऽर्धमात्राकालस्य नियतत्वात्तदधिकोऽर्धमात्राकाल इत्यर्थः । अत एव मात्राकालोऽवग्रह इति प्रातिशाख्यान्तरैरविरोधः ।”

२४. अ० प्रा० ४, १-२— उपसर्ग आख्यातेनोदात्तेन समस्यते ॥१॥ अनेको-
ऽनुदात्तेनापि ॥२॥
२५. अ० प्रा० ४, ७— पूर्वेणावग्रहः ॥ वा० प्रा० ५, १६— अनुदात्तोप-
सर्गे चाख्याते ॥
२६. अ० प्रा० ४, ५७; वा० प्रा० ५, ३३ । परन्तु तै० सं० के पदपाठ में
ऐसे समास में अवग्रह किया जाता है ।
२७. अ० प्रा० ४, ५८— संपरिभ्यां सकारादौ करोतौ । वा० प्रा० ५, ४३ ॥
२८. अ० प्रा० ४, ६२— उदो हन्तिहरतिस्थास्तम्भिषु ॥ वा० प्रा० ५,
३८— उत्तम्भनादीन्यादिसंशयात् ॥ तै० सं० का पदपाठ इन का अवग्रह
दिखलाता है ।
- २८ क. वा० प्रा० ५, ४२.४५— परीत्तो ऽवत्तानां सुविताय सग्धिरिति च ॥४५॥
अ० प्रा० ४, ६१— ददातौ च तकारादौ ॥ दे० वा० प्रा० के उक्त
सूत्रों पर उच्यतेभाव्य । अ० प्रा० ४, ६३— दधातौ च हकारादौ ।
२९. अ० प्रा० ४, ९— समासे च ॥ वा० प्रा० ५, १ (टि० २३) ।
३०. अ० प्रा० ४, १०— उपजाते परेण । वा० प्रा० ५, ७— बहुप्रकृता-
वागन्तुना पर्वणा ।
३१. अ० प्रा० ४, १२— अनिङ्गेन पूर्वेण ।
३२. अ० प्रा० ४, ४९— देवताद्वन्द्वे च ॥ वा० प्रा० ५, २८— द्वन्द्वानि
द्विवचनान्तानि स्वरान्तपूर्वपदानि ॥ वा० प्रा० ५, २४— प्रतिषेधे
नावग्रहः ॥
३३. अ० प्रा० ४, ५०— यस्य चोत्तरपदे दीर्घो व्यञ्जनादौ ॥
३४. अ० प्रा० ४, ५१ । दे० वा० प्रा० ५, ३७-३८ ।
३५. अ० प्रा० ४, ३१— भिर्भ्याभ्यः सु ॥ वा० प्रा० ५, १३— ह्रस्वव्य-
ञ्जनाभ्यां भकारादौ विभक्तिप्रत्यये ॥ भिः, भ्याम्, भ्यः, तथा सु परे
रहने पर पूर्व भाग की पद संज्ञा के निमित्त पा० ३, ४, १७— 'स्वादि-
ष्वसर्वनामस्थाने' सूत्र है ।

३६. अ० प्रा० ४, ३३— न दीर्घात् ॥
३७. अ० प्रा० ४, ३२-३४—सौ च ॥३२॥ न दीर्घात् ॥३३॥ विनामे च ॥३४॥
वा० प्रा० ५, १४— स्विति चान्तौ ॥
३८. अ० प्रा० ४, ३०— वस्ववस्वप्नसुम्नसाधुभिर्या ॥ वा० प्रा० ५, २० ॥
३९. Ved. Gr. Stu., p. 211; M. W. D., s. v.; WZR., s. v.
४०. अ० प्रा० ४, २९— यादाविच्छायां स्वरात्कर्मनामैतन्मानिप्रेप्सुषु ॥ वा०
प्रा० ५, १०— धात्वर्थे यकारे स्वरपूर्वे ॥ दे० पा० ३, १, ८ ।
४१. अ० प्रा० ४, ३५— वसौ ह्रस्वात् ॥ वा० प्रा० ५, ११— वासौ च
भूतकाले स्वरेण ह्रस्वादनुषि च ॥ पा० ३, २, १०७ ।
४२. अ० प्रा० ४, १३-२६; वा० प्रा० ५, २.८. ९.१२. १७.२०. २७ ।
४३. वा० प्रा० ५, ८— तद्वति तद्धिते न्यायसंहितं चेत् ॥
४४. पा० १, ४, १९ “तसौ मत्वर्थे” के अनुसार मत् वत् प्रत्यय से पूर्व
शब्दरूप की भसंज्ञा होती है और पदसंज्ञा नहीं । इस लिये भसंज्ञकों के
लिये ऐसी सन्धि नियमित है और पदसंज्ञा न होने से अवग्रह नहीं
करना चाहिए ।
४५. अ० प्रा० ४, १२३— प्रगृह्यावगृह्यन्वर्चायां क्रमवदुत्तरस्मिन्नवग्रहः ॥ दे०
अ० प्रा० ४, ७४ ॥ ऋ० प्रा० १०, १६ ।
४६. ऋ० प्रा० ११, ६४-६५— यथोपदिष्टे क्रमशास्त्रमादितः पुनः पृथक्त्वं-
र्विविधैर्न साधुवत् ॥६४॥ इति प्र बाभ्रव्य उवाच च क्रमं क्रमप्रवक्ता
प्रथमं शशांस च ॥६५॥
४७. ऋ० प्रा० ११, ६६— क्रमेण नार्थः पदसंहिताविदः पुराप्रसिद्धाश्रयपूर्व-
सिद्धिभिः । अदृत्स्नसिद्धश्च न चान्यसाधको न चोदयापायकरो न च
श्रुतः ॥
४८. वा० प्रा० ४, १८१— क्रमः स्मृतिप्रयोजनः ॥
८९. अ० प्रा० ४, १०८-१०९— क्रमाध्ययनं संहितापददाव्यायिम् ॥१०८॥
स्वरोपजनधादृष्टः पदेषु संहितायां च ॥

५०. ऋ० प्रा० १०, १-२; ११, १; अ० प्रा० ४, ११०-१११; वा० प्रा० ४, १८२—द्वे द्वे पदे सन्दधात्युत्तरेणोत्तरमाऽवसानादपृक्तवर्जम् ॥
५१. ऋ० प्रा० १०, १८; अ० प्रा० ४, ११२ ।
५२. अ० प्रा० ४, ११३-११४—त्रीणि पदान्यपृक्तमध्यानि ॥११३॥ एकादेश-
स्वरसन्धिदीर्घविनामाः प्रयोजनम् ॥११४॥ वा० प्रा० ४, १८३—
अपृक्तमध्यानि त्रीणि स त्रिक्रमः ॥ ऋ० प्रा० १०, ३; ११, ३ ।
५३. वा० प्रा० ४, १८५—सो घूणाभीषुणौ च ॥ ऋ० प्रा० १०, ३;
११, २-२४ ।
५४. ऋ० प्रा० १०, ११; ११, ३४; वा० प्रा० ४, १८४—पुनराकारेणो-
त्तरम् ॥ अ० प्रा० ४, ११५—आकारौकारादि पुनः ॥
५५. वा० प्रा० ४, १८६-१८७—चत्वार्यपृक्तपूर्वे नकारपरे सौ ॥ मकारपरे
चैके ॥
५६. ऋ० प्रा० १०, ३—पदेन च व्यवेतं यत्पदं तच्च व्यवायि च ॥
ऋ० प्रा० ११, १५ ।
५७. अ० प्रा० ४, ७८—क्रमे परेण विगृह्यात् ॥ ऋ० प्रा० १०, ५-६—
पूर्वोत्तरकृतं रूपं प्रत्यादानावसानयोः । न ब्रूयात् ॥५॥ सर्वमेवान्यद्यथा-
संहितमाचरेत् ॥६॥
५८. अ० प्रा० ४, ७९ ।
५९. अ० प्रा० ४, ११७—प्रगृह्यावगृह्यसमापद्यान्तगतानां द्विर्वचनं परिहार
इति मध्ये ॥
ऋ० प्रा० १०, ७—अवगृह्याण्यतिक्रम्य सहेतिकरणानि च ।
धक्षिधुक्षिप्रवादौ च विकृतादी ष्टुतादि च ॥
अन्तःपदं च येषां स्याद्विकारोऽन्यकारितः ।
एतानि परिगृह्णीयात् ॥ दे० ऋ० प्रा० ११, २५ (टि० ६४) ।
वा० प्रा० ४, १८९—पूर्वस्योत्तरसंहितस्य स्थितोपस्थितमवगृह्यस्य ॥
६०. वै० स्व० मी०, पृ० १४८ ।

६१. ऋ० प्रा० १०, २०-२२; ११, ३६-४३ ।
६२. अ० प्रा० ४, १२०-१२१; पा० ६, १, १२९ (दे० टि० २१) ।
६३. अ० प्रा० ४, ११८— द्वाभ्यामुकारः ॥
६४. ऋ० प्रा० ११, २५; दे० ऋ० प्रा० १०, ७ (टि० ५९); वा० प्रा० ४, १९१-१९२; अ० प्रा० ४, १२६ ।
६५. ऋ० प्रा० १०, ८; ११, २५; वा० प्रा० ४, १८९ ।
६६. ऋ० प्रा० १०, ९— अर्धर्चान्त्यं च ॥ वा० प्रा० ४, १९५— अवसाने च ॥
६७. अ० प्रा० ४, १२४-१२५— समापाद्यानामन्ते संहितावद्वचनम् ॥ तस्य पुनरास्थापितं नाम ॥ वेवर के अनुसार, यह संज्ञा पुनरास्थापित है, परन्तु अ० प्रा० के भाष्यकार तथा ह्विट्ने के मतानुसार अस्थापित है । दे० A. Pr. (JAOS. Vol. 7), p. 574.
६८. ऋ० प्रा० १०, १५; ११, २७ ।

चतुर्थोऽध्यायः

नामिकप्रकरणम्

• ९६.

पदों के चार भेद—निरुक्त तथा प्रातिशाख्यों में सारे पदों को चार श्रेणियों में विभक्त किया जाता है—(१) नाम, (२) आख्यात, (३) उपसर्ग तथा (४) निपात^१। सत्त्व का अभिधान करने वाले पद नाम और क्रिया के वाचक पद आख्यात कहलाते हैं^२। कतिपय आचार्य उपसर्गों तथा निपातों की परिगणना करते हैं और इनके स्वर का विवेचन भी करते हैं^३। कतिपय आचार्य उपसर्ग तथा निपात का लक्षण समझाते हुए कहते हैं कि उपसर्ग क्रिया में विशेषता उत्पन्न करता है और निपात पादपूरण है (दे० टि० २), परन्तु ऐसा लक्षण सर्वमान्य नहीं हो सकता। नामों में संज्ञा, सर्वनाम, संख्यावाचक तथा विशेषण शब्दों का समावेश है। संज्ञावाचक तथा विशेषण शब्दों के रूपों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। परन्तु सर्वनाम तथा संख्यावाचक शब्दों के रूपों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। इसलिए सर्वनाम तथा संख्यावाचक शब्दों के रूपों का पृथक् विवेचन वाञ्छनीय है।

पाणिनीय व्याकरण की यह विशेषता है कि इस में सब पदों को सुबन्त तथा तिङन्त इन दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है^४। प्रादि तथा अन्य निपातों को अव्यय संज्ञा देकर और अव्ययों से परे आने वाली विभक्तियों का लुक् करके प्रत्ययलक्षण द्वारा पाणिनि अव्ययों को भी सुबन्त पद मान लेता है^५। और जिस शब्दस्वरूप के साथ सुप् विभक्तियां जोड़ी जाती हैं उसके लिए पाणिनि प्रातिपदिक संज्ञा का व्यवहार करता है^६।

इस अध्याय में हम केवल नामिक रूपों का वर्णन करेंगे और अव्ययों का विवेचन अन्यत्र किया जायगा।

पाणिनि तथा पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार विभक्तियों का साधारण स्वरूप निम्नलिखित है—

	एकवचन		द्विवचन		बहुवचन	
	पुं०, स्त्री०, न०		पुं०, स्त्री०, न०		पुं०, स्त्री०, न०	
प्रथमा	स्	×	औ औ ई		अस्	इ
द्वितीया	अम्	×	औ औ ई		अस्	इ
तृतीया	आ		भ्याम्		भिस्	
चतुर्थी	ए		भ्याम्		भ्यस्	
पञ्चमी	अस्		भ्याम्		भ्यस्	
षष्ठी	अस्		ओस्		आम्	
सप्तमी	इ		ओस्		सु	

१००. विभक्तियों की सरूपता—यद्यपि अर्थभेद के विचार से विभक्तियों की संख्या सात मानी जाती है, तथापि रूपरचना की दृष्टि से नपुंसकलिङ्ग में एकवचन की पांच विभक्तियाँ और पुँल्लिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग में एकवचन की केवल छः विभक्तियाँ हैं, क्योंकि पञ्चमी तथा षष्ठी विभक्ति के रूपों में पूर्ण समानता है। तीनों लिङ्गों में द्विवचन की विभक्तियों के केवल तीन रूप मिलते हैं—(१) प्रथमा तथा द्वितीया, (२) तृतीया, चतुर्थी तथा पञ्चमी, और (३) षष्ठी तथा सप्तमी। साधारणतया यह कहा जा सकता है कि द्विवचन में मिलने वाले रूपों का भेद न्यूनतम है; बहुवचन में मिलने वाले रूपों का भेद द्विवचन की तुलना में अधिक है; और एकवचन के रूपों का भेद सब से अधिक है। प्रयोग की दृष्टि से भी इन तीनों वचनों का अनुपात लगभग ऐसा ही है। वैदिक भाषा में द्विवचन का प्रयोग सब से कम है और एकवचन का प्रयोग सब से अधिक है। पाश्चात्य विद्वान् सम्बोधन के जिस रूप के लिए पृथक् विभक्ति (Case) की रूपों करते हैं वह रूप भी केवल एकवचन में प्रथमा से कुछ भिन्न है और अन्य वचनों में प्रथमा के रूपों के समान है। अतएव यह स्पष्ट है कि रूपवैविध्य साधारणतया प्रयोगवाहुल्य से सम्बद्ध है।

१०१. अङ्गभेद के सम्बन्ध में पाश्चात्य तथा पाणिनीय मत—
 विभक्तियाँ जोड़ने पर कई प्रकार के प्रातिपदिकों के अङ्ग (Stem)
 में विविध विकार हो जाते हैं और इस के परिणामस्वरूप प्रातिपदिक के
 उदात्त का स्थान-परिवर्तन भी होता है। अङ्ग में होने वाले विकारों के
 अनुसार पाश्चात्य विद्वानों ने अङ्ग के दो मुख्य भेद माने हैं—शक्ताङ्ग
 (Strong stem) और अशक्ताङ्ग (Weak stem)। पुं० तथा
 स्त्री० की प्रथमा के ए०, द्वि० तथा बहु० और द्वितीया के ए० तथा द्वि०
 और नपुं० की प्रथमा तथा द्वितीया के बहु० की विभक्तियों से पूर्व आने
 वाले अङ्ग को शक्त माना जाता है और शेष विभक्तियों से पूर्व आने वाले
 अङ्ग को अशक्त मानते हैं; यथा— म॒हान्, म॒हान्तौ, म॒हान्तः,
 म॒हान्तम्, म॒हान्तौ में विभक्ति से पूर्व आने वाला रूप म॒हान्त पाश्चात्य
 विद्वानों के मतानुसार शक्ताङ्ग है; और म॒हत्, म॒हता इत्यादि में
 विभक्ति से पूर्व आने वाला रूप म॒हत् अशक्ताङ्ग है।

पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि प्रातिपदिक के उदात्त का स्थान-
 परिवर्तन ही इस अङ्गभेद का मुख्य कारण है। शक्ताङ्ग में प्रातिपदिक का
 उदात्त प्रातिपदिक पर ही रहता है, परन्तु अशक्ताङ्ग में उदात्त प्रातिपदिक
 से हट कर प्रायेण विभक्ति पर चला जाता है; यथा— म॒हान्तः और
 म॒हत् में उदात्त के स्थान-परिवर्तन पर ध्यान दीजिए। इस प्रकार का
 विकार तथा उदात्त का स्थान-परिवर्तन प्रायेण हलन्त प्रातिपदिकों के अङ्ग
 में दृष्टिगोचर होता है। पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार, सम्बुद्धि में
 दीर्घस्वर के ह्रस्वत्व का कारण भी उदात्त का स्थान-परिवर्तन है क्योंकि
 सम्बोधन में उदात्त प्रातिपदिक के प्रथम अक्षर पर चला जाता है;
 यथा— दे॒वी से दे॒वि। शक्ताङ्ग में ही प्रातिपदिक पर उदात्त रहता है
 और अशक्ताङ्ग में वह विभक्ति पर चला जाता है। इसलिए पाश्चात्य
 विद्वानों के मतानुसार शक्ताङ्ग में ही प्रातिपदिक का पूर्णरूप प्रकट होता
 है। इस सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए पाश्चात्य विद्वान् प्रायेण
 शक्ताङ्ग को पद की प्रकृति मानते हैं; यथा लैन्मन, ह्रिटने तथा
 मैक्डानल आदि विद्वान् रूप-रचना का विवेचन करते समय -वत्, -मत्,

१७. लिङ्गभेद—इण्डोयूरोपीय परिवार की अन्य भाषाओं के समान वैदिक भाषा के नामिक रूप पुँल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग इन तीनों लिङ्गों में बनते हैं। वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में लिङ्गों का प्रयोग लगभग समान ही है। विशेषणों के रूप तीनों लिङ्गों में बनते हैं, परन्तु संज्ञावाचक शब्द प्रायेण नियतलिङ्ग हैं। अस्मद् तथा युष्मद् के रूप तीनों लिङ्गों में समान रहते हैं और तद्, एतद् आदि सर्वनामों के रूप तीनों लिङ्गों में भिन्न भिन्न बनते हैं। एक से चार तक संख्यावाचक शब्दों के रूप तीनों लिङ्गों में भिन्न भिन्न बनते हैं परन्तु पांच से प्रारम्भ करके ऊपर के सब संख्यावाचक शब्दों के रूप तीनों लिङ्गों में समान रहते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि वैदिक भाषा के आख्यातरूपों में कोई लिङ्गभेद नहीं है।

१८. वचनभेद—लौकिक संस्कृत की भांति वैदिक भाषा में भी नामिक रूप एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन में बनते हैं। कतिपय वैदिक शब्दों के रूप केवल बहुवचन में ही मिलते हैं; यथा—भापः “जल”, दाराः “पत्नी” इत्यादि। प्रायेण नैसर्गिक जोड़ों के लिये और द्वित्ववाचक द्वन्द्व-समासों में द्विवचन का प्रयोग किया जाता है; यथा—अक्षी “भाँखें”, मित्रावरुणा “हे मित्र और वरुण” इत्यादि। कई बार नैसर्गिक जोड़ों के केवल एक शब्द के साथ द्विवचन का प्रयोग किया जाता है और ऐसा द्विवचनान्त रूप जोड़ों के दोनों नामों का बोध कराता है; यथा—पितराः=मातराःपितराः; मातराः=मातराःपितराः; उपासाः=उपासानक्ताः; धावाः=धावापृथिवी; मित्राः=मित्रावरुणा। एकत्व के अतिरिक्त, समाहार का बोध कराने के लिए भी एकवचन का प्रयोग किया जाता है; यथा—इष्टापूर्तम्, केशदमुशु। वैदिक भाषा में कहीं कहीं एकवचन तथा द्विवचन के लिए भी बहुवचन का प्रयोग मिलता है; यथा—नदीसूक्त (ऋ० ३, ३३, ४) में द्विवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग नुर्धः मिलता है और इसी प्रकार अपालासूक्त (ऋ० ८, ९१; ४) में एकवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग (नः, पत्तिद्विपेः इत्यादि) किया गया है। ऋ० में नदियों के वर्णन में

वचनव्यत्यय के ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि एकवचन तथा द्विवचन के स्थान पर बहुवचन के प्रयोग प्रायेण अस्मद् के रूपों के सम्बन्ध में मिलते हैं। शतपथ-ब्राह्मण का निम्नलिखित उदाहरण भी इसी प्रकार का है—स होवाच—“नमो वयं ब्रह्मिष्ठाय कुर्मः।”

९९. **विभक्तियां**—भारतीय वैयाकरणों के मतानुसार प्रातिपदिकों के साथ जुड़ने वाली विभक्तियों की संख्या केवल सात है और उनको क्रमशः प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी तथा सप्तमी कहते हैं। एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन के भेद से ये सात विभक्तियां इक्कीस बनती हैं और कतिपय विद्वानों का मत है कि अ० के प्रथम मन्त्र में त्रिपसाः शब्द इन इक्कीस विभक्तियों का निर्देश करता है। महाभाष्यकार पतञ्जलि पस्पशा-आहिक में ऋ० ४, ५८, ३ के “सप्त हस्तासः” का व्याख्यान “सप्त विभक्तयः” करता है। पाणिनि ने अपने व्याकरण में सात विभक्तियों के ए०, द्वि० तथा व० के प्रत्ययों की परिगणना की है। परन्तु पाश्चात्य विद्वान् सम्बोधन को पृथक् विभक्ति मान कर आठ विभक्तियां स्वीकार करते हैं। रूपरचना की दृष्टि से सम्बोधन के ए० में ही प्रथमा विभक्ति से कुछ भिन्नता है जिस के लिए पाणिनि (२, ३, ४९) सम्बुद्धि संज्ञा का व्यवहार करता है और द्वि० तथा व० में सम्बोधन तथा प्रथमा के रूप सर्वथा समान हैं और पाणिनि (२, ३, ४७) ने सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति का विधान किया है। परन्तु प्रथमा के अन्य रूपों से सम्बोधन की प्रथमा की भिन्नता को स्पष्ट करने के निमित्त से पाणिनि (२, ३, ४८) सम्बोधन-रूपों के लिए आमन्त्रित संज्ञा का प्रयोग करता है और आमन्त्रित रूपों के स्वरविषयक वैशिष्ट्य का भी वर्णन करता है। प्रातिशाख्यों में भी सम्बोधन-रूपों के लिए आमन्त्रित संज्ञा का व्यवहार मिलता है। पाश्चात्य विद्वान् सम्बोधन को पृथक् विभक्ति मानने के पक्ष में यही युक्ति देते हैं कि स्वर की दृष्टि से सम्बोधनरूप और प्रथमा के अन्य रूप भिन्न हैं। स्वरविषयक इस तथ्य का प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता, परन्तु रूपसाम्य को ध्यान में रखते हुए हम केवल सम्बुद्धि के रूपों का पृथक् वर्णन करेंगे।

चतुर्थोऽध्यायः

पाणिनि तथा पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार विभक्तियों का साधारण स्वरूप निम्नलिखित है—

	एकवचन		द्विवचन		बहुवचन	
	पुं०, स्त्री०, न०		पुं०, स्त्री०, न०		पुं०, स्त्री०, न०	
प्रथमा	स्	×	औ	ऌ ई	अस्	इ
द्वितीया	अम्	×	औ	ऌ ई	अस्	इ
तृतीया	आ			भ्याम्		भिस्
चतुर्थी	ए			भ्याम्		भ्यस्
पञ्चमी	अस्			भ्याम्		भ्यस्
षष्ठी	अस्			ओस्		आम्
सप्तमी	इ			ओस्		सु

१००. विभक्तियों की सरूपता—यद्यपि अर्थभेद के विचार से विभक्तियों की संख्या सात मानी जाती है, तथापि रूपरचना की दृष्टि से नपुंसकलिङ्ग में एकवचन की पांच विभक्तियां और पुंलिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग में एकवचन की केवल छः विभक्तियां हैं, क्योंकि पञ्चमी तथा षष्ठी विभक्ति के रूपों में पूर्ण समानता है। तीनों लिङ्गों में द्विवचन की विभक्तियों के केवल तीन रूप मिलते हैं—(१) प्रथमा तथा द्वितीया, (२) तृतीया, चतुर्थी तथा पञ्चमी, और (३) षष्ठी तथा सप्तमी। साधारणतया यह कहा जा सकता है कि द्विवचन में मिलने वाले रूपों का भेद न्यूनतम है; बहुवचन में मिलने वाले रूपों का भेद द्विवचन की तुलना में अधिक है; और एकवचन के रूपों का भेद सब से अधिक है। प्रयोग की दृष्टि से भी इन तीनों वचनों का अनुपात लगभग ऐसा ही है। वैदिक भाषा में द्विवचन का प्रयोग सब से कम है और एकवचन का प्रयोग सब से अधिक है। पाश्चात्य विद्वान् सम्बोधन के जिस रूप के लिए पृथक् विभक्ति (Case) की कल्पना करते हैं वह रूप भी केवल एकवचन में प्रथमा से कुछ भिन्न है और अन्य वचनों में प्रथमा के रूपों के समान है। अतएव यह स्पष्ट है कि रूपवैविध्य साधारणतया प्रयोगवाहुल्य से सम्बद्ध है।

१०१. अङ्गभेद के सम्बन्ध में पाश्चात्य तथा पाणिनीय मत—
विभक्तियां जोड़ने पर कई प्रकार के प्रातिपदिकों के अङ्ग (Stem) में विविध विकार हो जाते हैं और इस के परिणामस्वरूप प्रातिपदिक के उदात्त का स्थान-परिवर्तन भी होता है। अङ्ग में होने वाले विकारों के अनुसार पाश्चात्य विद्वानों ने अङ्ग के दो मुख्य भेद माने हैं—शक्ताङ्ग (Strong stem) और अशक्ताङ्ग (Weak stem)। पुं० तथा स्त्री० की प्रथमा के ए०, द्वि० तथा बहु० और द्वितीया के ए० तथा द्वि० और नपुं० की प्रथमा तथा द्वितीया के बहु० की विभक्तियों से पूर्व आने वाले अङ्ग को शक्त माना जाता है और शेष विभक्तियों से पूर्व आने वाले अङ्ग को अशक्त मानते हैं; यथा—महान्, महान्तौ, महान्तः, महान्तम्, महान्तौ में विभक्ति से पूर्व आने वाला रूप महान् पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार शक्ताङ्ग है; और महतः, महता इत्यादि में विभक्ति से पूर्व आने वाला रूप महत् अशक्ताङ्ग है।

पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि प्रातिपदिक के उदात्त का स्थान-परिवर्तन ही इस अङ्गभेद का मुख्य कारण है। शक्ताङ्ग में प्रातिपदिक का उदात्त प्रातिपदिक पर ही रहता है, परन्तु अशक्ताङ्ग में उदात्त प्रातिपदिक से हट कर प्रायेण विभक्ति पर चला जाता है; यथा—महान्तः और महतः में उदात्त के स्थान-परिवर्तन पर ध्यान दीजिए। इस प्रकार का विकार तथा उदात्त का स्थान-परिवर्तन प्रायेण हलन्त प्रातिपदिकों के अङ्ग में दृष्टिगोचर होता है। पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार, सम्बुद्धि में दीर्घस्वर के ह्रस्वत्व का कारण भी उदात्त का स्थान-परिवर्तन है क्योंकि सम्बोधन में उदात्त प्रातिपदिक के प्रथम अक्षर पर चला जाता है; यथा—देवी से देवि। शक्ताङ्ग में ही प्रातिपदिक पर उदात्त रहता है और अशक्ताङ्ग में वह विभक्ति पर चला जाता है। इसलिए पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार शक्ताङ्ग में ही प्रातिपदिक का पूर्णरूप प्रकट होता है। इस सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए पाश्चात्य विद्वान् प्रायेण शक्ताङ्ग को पद की प्रकृति मानते हैं; यथा लैनमन, हिटने तथा मैकडानल आदि विद्वान् रूप-रचना का विवेचन करते समय -वत्, -मत्,

-वस् इत्यादि का प्रयोग न करके 'Stems in vant, mant, vāms' इत्यादि शब्दों का व्यवहार करते हैं ।

जिन प्रातिपदिकों के अशक्ताङ्ग में दो प्रकार के विकार होते हैं उन के अशक्ताङ्ग के दो उपभेद किए जाते हैं— मध्यमाङ्ग (Middle stem) तथा अत्यशक्ताङ्ग (Weakest stem) । द्वितीया के बहु०, तृतीया के ए० तथा चतुर्थी के ए० इत्यादि अजादि विभक्तियों से पूर्व आने वाले अशक्ताङ्ग के लिये अत्यशक्ताङ्ग संज्ञा का व्यवहार किया जाता है और हलादि विभक्तियों से पूर्व आने वाले अशक्ताङ्ग को मध्यमाङ्ग कहते हैं; यथा— वृत्रघ्नः और वृत्रहभिः । जिन प्रातिपदिकों के अन्त में पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार -अच्, -अन्, -मन्, -वन् तथा -वांस और पाणिनि के अनुसार क्रमशः -अच्, -अन्, -मत्, -वत् तथा -वस् मिलता है उन के अशक्ताङ्ग के ये दो उपभेद—मध्यमाङ्ग तथा अत्यशक्ताङ्ग—बनते हैं । इस प्रकार के नपुं० प्रातिपदिकों का अङ्ग प्रथमा तथा द्वितीया के ए० से पूर्व मध्यम (Middle), प्रथमा तथा द्वितीया के द्वि० से पूर्व अत्यशक्त (Weakest), और प्रथमा तथा द्वितीया के बहु० से पूर्व शक्त (Strong) होता है और अन्य विभक्तियों से पूर्व पुं० के अङ्ग के समान रहता है ।

पाश्चात्य विद्वान् इस अङ्गभेद के हेतु से विभक्तियों में भी भेद करते हैं; यथा— जिन विभक्तियों से पूर्व शक्ताङ्ग मिलता है उन्हें शक्ताङ्ग-विभक्तियां (Cases with strong stem) और जिनसे पूर्व अशक्ताङ्ग मिलता है उन्हें अशक्ताङ्ग विभक्तियां (Cases with weak stem) कहते हैं, और संक्षेपतः इन्हें शक्त-विभक्तियां (Strong cases) तथा अशक्त- विभक्तियां (Weak cases) भी कहते हैं ।

पाणिनि भी प्रातिपदिकों के अङ्गों में होने वाले विकार के अनुसार विभक्तियों तथा अङ्गों का संज्ञाकरण करता है । पाश्चात्य विद्वान् जिन्हें शक्त-विभक्तियां (Strong cases) कहते हैं उन के लिये पाणिनि सर्वनामस्थान संज्ञा का व्यवहार करता है । और पाश्चात्य विद्वान् जिन्हें अशक्त-विभक्तियां (Weak cases) कहते हैं उन के लिये पाणिनि असर्वनामस्थान संज्ञा का प्रयोग करता है ।

पाणिनि ने अशक्ताङ्गों के दो उपभेद किये हैं। यकारादि तथा अजादि असर्वनामस्थान संज्ञा वाली विभक्तियों से पूर्व आने वाले अशक्ताङ्ग के लिये पाणिनि भ संज्ञा का व्यवहार करता है और इन से भिन्न असर्वनामस्थान से पूर्व आने वाले अशक्ताङ्ग के लिये पद संज्ञा का प्रयोग करता है^{१०}। पाणिनि का पदसंज्ञक अङ्ग पाश्चात्य विद्वानों का मध्यमाङ्ग (Middle stem) है और भसंज्ञक अङ्ग उन का अत्यशक्ताङ्ग (Weakest stem) है।

१०२. प्रातिपदिकों का वर्गीकरण—मट्टोजिदीक्षितप्रभृति भारतीय वैयाकरण सब प्रातिपदिकों को अजन्त तथा हलन्त इन दो वर्गों में विभक्त करके अजन्तपुंल्लिङ्ग, अजन्तस्त्रील्लिङ्ग, अजन्तनपुंसकल्लिङ्ग, हलन्तपुंल्लिङ्ग, हलन्त-स्त्रील्लिङ्ग तथा हलन्तनपुंसकल्लिङ्ग के क्रम से रूपरचना का वर्णन करते हैं। कई पाश्चात्य विद्वानों ने भी, इसी क्रम से, पहले अजन्त प्रातिपदिकों और पीछे हलन्त प्रातिपदिकों के रूपों का वर्णन किया है। परन्तु कतिपय पाश्चात्य विद्वान् पहले हलन्त प्रातिपदिकों के रूपों का विवेचन करते हैं और पीछे अजन्त प्रातिपदिकों के रूपों पर विचार करते हैं। इस पद्धति का वैशिष्ट्य यह है कि सर्वप्रथम ऐसे हलन्त प्रातिपदिकों के रूपों का वर्णन किया जाता है जिन के अङ्ग में न्यूनतम विकार होता है और जिन के साथ जुड़ने वाली विभक्तियों में भी कहीं कहीं अतिसाधारण विकार होता है। इस पद्धति से पाठकों को रूपरचना के मूल सिद्धान्त समझने में विशेष सुविधा रहती है। अधिकतर अजन्त प्रातिपदिकों के साथ जुड़ने वाली विभक्तियों में और प्रातिपदिकों के अङ्गों में अनेक विकार हो जाते हैं। इसलिये अजन्त प्रातिपदिकों के रूप सर्वप्रथम लेने से पाठकों को रूपरचना की प्रक्रिया सीखने में अधिक काठिन्य होता है।

अत एव हम पहले हलन्त प्रातिपदिकों के रूपों का वर्णन करेंगे और एक प्रकार के प्रातिपदिक के तीनों ल्लिङ्गों के रूपों का यथासम्भव साहस्य दिखलाने के लिये उन को यथावकाश साथ साथ रक्खा जायगा। कहीं पुं० तथा स्त्री० के रूपों में अधिक साहस्य है, तो कहीं पुं० और नपुं०

के रूपों में अधिक साम्य है। अवसर आने पर इन समानताओं का विवेचन किया जायगा।

१०३. हलन्त प्रातिपदिकों का वर्गीकरण—सि० कौ० आदि भारतीय व्याकरणों में वर्णसमानायाक्रम से पुं०, स्त्री० और नपुं० के प्रातिपदिकों के रूप तीन भिन्न प्रकरणों में वर्णित हैं। अङ्ग के विचार से पाश्चात्य विद्वान् हलन्त प्रातिपदिकों के दो मुख्य भेद मानते हैं—(१) अविकार्यङ्ग प्रातिपदिक (Unchangeable stems) और (२) विकार्यङ्ग प्रातिपदिक (Changeable stems)। जिन हलन्त प्रातिपदिकों के अङ्ग में विकार नहीं होता है उन के रूप सरलतम होते हैं। इसलिये सर्वप्रथम ऐसे प्रातिपदिकों की रूपरचना पर विचार किया जाता है। यद्यपि अविकार्यङ्ग प्रातिपदिकों की श्रेणी में कतिपय ऐसे प्रातिपदिकों का भी सन्निवेश है जिन का अङ्ग सर्वथा अविकारि नहीं है, तथापि प्रधानता के कारण से ऐसे सब प्रातिपदिक एक श्रेणी में रक्खे गये हैं। हलन्त प्रातिपदिकों के रूपों के सम्बन्ध में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि जिन प्रातिपदिकों के अन्त में समान व्यञ्जन आता है उन से बनने वाले पुं० तथा स्त्री० के रूप समान बनते हैं और नपुं० के रूप केवल प्रथमा तथा द्वितीया विभक्ति में भिन्न बनते हैं और अन्य विभक्तियों में पुं० तथा स्त्री० के रूपों के समान बनते हैं। अनेक हलन्त अङ्गों से स्त्री० के रूप नहीं बनते हैं और स्त्री० के रूप बनाने के लिये उन के आगे ई (पा० ङीप्) जोड़ दिया जाता है^{११}। इन में प्रायः ऐसे अङ्गों का सन्निवेश है जिन के अन्त में -इन्, -वत्, -मत्, -वस्, -भच् इत्यादि आते हैं। अत एव जिन हलन्त अङ्गों से स्त्री० के रूप बनते हैं उन की संख्या पुं० की तुलना में बहुत कम है।

१. हलन्त प्रातिपदिक

१०४. (क) अविकार्यङ्ग प्रातिपदिक—अविकार्यङ्ग प्रातिपदिकों में अधिकतर ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन का अङ्ग प्रायेण धातु का शुद्धरूपमात्र होता है। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार धातु के साथ क्तिप्, विन्, विष इत्यादि कृत्प्रत्यय जुड़ते हैं, जिन का पूर्णतया लोप हो जाता है^{१२}। अङ्ग

में धातु का शुद्ध रूप मिलने के हेतु से पाश्चात्य विद्वान् इन के लिये धातुज अङ्ग (Root stem, Radical stem या Primary stem) संज्ञा का व्यवहार करते हैं । यद्यपि कुछ अविकार्यङ्ग प्रातिपदिक ऐसे हैं जिन में क्विप् आदि कृत्प्रत्यय नहीं माना जा सकता, तथापि रूपरचना की दृष्टि से वे क्विवन्त प्रातिपदिकों के सदृश हैं । कतिपय तद्धितान्त शब्द भी अविकार्यङ्ग प्रातिपदिकों में सम्मिलित हैं । अविकार्यङ्ग प्रातिपदिकों से बनने वाले पुं० तथा स्त्री० के रूपों में पूर्ण सारूप्य मिलता है, और नपुं० के रूप केवल प्रथमा तथा द्वितीया विभक्ति में भिन्न बनते हैं । अविकार्यङ्ग प्रातिपदिकों में स्त्री० के शब्दों का बाहुल्य है । स्त्री० के धातुज अङ्ग (Radical stem) प्रायेण भाव की अभिव्यक्ति करते हैं और पुं० के धातुज अङ्ग कर्तृत्व का बोध कराते हैं । अविकार्यङ्ग प्रातिपदिकों के अन्त में सभी वर्गों के व्यञ्जन मिलते हैं । मैकडानल कवर्गान्त प्रातिपदिकों की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, परन्तु अन्य विद्वान् कवर्गान्त प्रातिपदिक भी मानते हैं (दे० अनु० १०५) ।

जिन तद्धितान्त प्रातिपदिकों के अन्त में -अस् आता है उन को छोड़ कर शेष सब अविकार्यङ्ग हलन्त प्रातिपदिकों से बनने वाले सम्बोधन के रूप प्रथमा के रूपों के समान होते हैं ।

सन्धि— हम पहले (अनु० ६६) बतला चुके हैं कि प्रातिपदिक और विभक्ति के बीच अन्तःपदसन्धि होती है । अजादि विभक्तियों से पूर्व अङ्ग का अन्तिम व्यञ्जन अविकृत रहता है, परन्तु भकारादि तथा सकारादि विभक्तियों से पूर्व उस में यथानियम विकार हो जाता है (दे० अनु० ७१) । पदान्तीय नियम (अनु० ३४) के अनुसार अङ्ग के व्यञ्जन पदान्त में यथावत् क् ट् त् प् या विसर्जनीय में से किसी एक वर्ण में परिणत हो जाते हैं । पदान्त में तथा व्यञ्जनादि विभक्तियों से पूर्व अङ्ग के अन्तिम तालव्य वर्ण अपनी मूलध्वनि (क् या ट् में) परिणत हो जाते हैं (दे० अनु० २५) ।

व्यञ्जान्त अङ्ग से परे प्रथमा ए० की विभक्ति 'स्' का लोप हो जाता है (दे० अनु० ७०) । ये सन्धिनियम प्रायेण सभी हलन्त

के रूपों में अधिक साम्य है। अवसर आने पर इन समानताओं का विवेचन किया जायगा।

१०३. हलन्त प्रातिपदिकों का वर्गीकरण—सि० कौ० आदि भारतीय व्याकरणों में वर्णसमानायाकम से पुं०, स्त्री० और नपुं० के प्रातिपदिकों के रूप तीन भिन्न प्रकरणों में वर्णित हैं। अङ्ग के विचार से पाश्चात्य विद्वान् हलन्त प्रातिपदिकों के दो मुख्य भेद मानते हैं—(१) अविकार्यङ्ग प्रातिपदिक (Unchangeable stems) और (२) विकार्यङ्ग प्रातिपदिक (Changeable stems)। जिन हलन्त प्रातिपदिकों के अङ्ग में विकार नहीं होता है उन के रूप सरलतम होते हैं। इसलिये सर्वप्रथम ऐसे प्रातिपदिकों की रूपरचना पर विचार किया जाता है। यद्यपि अविकार्यङ्ग प्रातिपदिकों की श्रेणी में कतिपय ऐसे प्रातिपदिकों का भी सन्निवेश है जिन का अङ्ग सर्वथा अविकारि नहीं है, तथापि प्रधानता के कारण से ऐसे सब प्रातिपदिक एक श्रेणी में रक्खे गये हैं। हलन्त प्रातिपदिकों के रूपों के सम्बन्ध में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि जिन प्रातिपदिकों के अन्त में समान व्यञ्जन आता है उन से बनने वाले पुं० तथा स्त्री० के रूप समान बनते हैं और नपुं० के रूप केवल प्रथमा तथा द्वितीया विभक्ति में भिन्न बनते हैं और अन्य विभक्तियों में पुं० तथा स्त्री० के रूपों के समान बनते हैं। अनेक हलन्त अङ्गों से स्त्री० के रूप नहीं बनते हैं और स्त्री० के रूप बनाने के लिये उन के आगे ई (पा० टीप्) जोड़ दिया जाता है^१। इन में प्रायः ऐसे अङ्गों का सन्निवेश है जिन के अन्त में -इन्, -वत्, -मत्, -वस्, -भच् इत्यादि आते हैं। अत एव जिन हलन्त अङ्गों से स्त्री० के रूप बनते हैं उन की संख्या पुं० की तुलना में बहुत कम है।

१. हलन्त प्रातिपदिक

१०४. (क) अविकार्यङ्ग प्रातिपदिक—अविकार्यङ्ग प्रातिपदिकों में अधिकतर ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन का अङ्ग प्रायेण धातु का शुद्धरूपमात्र होता है। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार धातु के साथ क्तिप्, क्तिन्, क्तिव इत्यादि कृत्प्रत्यय जुड़ते हैं, जिन का पूर्णतया लोप हो जाता है^२। अङ्ग

में धातु का शुद्ध रूप मिलने के हेतु से पाश्चात्य विद्वान् इन के लिये धातुज अङ्ग (Root stem, Radical stem या Primary stem) संज्ञा का व्यवहार करते हैं । यद्यपि कुछ अविकार्यङ्ग प्रातिपदिक ऐसे हैं जिन में क्तिप् आदि कृत्प्रत्यय नहीं माना जा सकता, तथापि रूपरचना की दृष्टि से वे क्तिवन्त प्रातिपदिकों के सदृश हैं । कतिपय तद्धितान्त शब्द भी अविकार्यङ्ग प्रातिपदिकों में सम्मिलित हैं । अविकार्यङ्ग प्रातिपदिकों से बनने वाले पुं० तथा स्त्री० के रूपों में पूर्ण सारूप्य मिलता है, और नपुं० के रूप केवल प्रथमा तथा द्वितीया विभक्ति में भिन्न बनते हैं । अविकार्यङ्ग प्रातिपदिकों में स्त्री० के शब्दों का वाहुल्य है । स्त्री० के धातुज अङ्ग (Radical stem) प्रायेण भाव की अभिव्यक्ति करते हैं और पुं० के धातुज अङ्ग कर्तृत्व का बोध कराते हैं । अविकार्यङ्ग प्रातिपदिकों के अन्त में सभी वर्गों के व्यञ्जन मिलते हैं । मैकडानल क्वर्गान्त प्रातिपदिकों की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, परन्तु अन्य विद्वान् क्वर्गान्त प्रातिपदिक भी मानते हैं (दे० अनु० १०५) ।

जिन तद्धितान्त प्रातिपदिकों के अन्त में -अस् आता है उन को छोड़ कर शेष सब अविकार्यङ्ग हलन्त प्रातिपदिकों से बनने वाले सम्बोधन के रूप प्रथमा के रूपों के समान होते हैं ।

सन्धि— हम पहले (अनु० ६६) बतला चुके हैं कि प्रातिपदिक और विभक्ति के बीच अन्तःपदसन्धि होती है । अजादि विभक्तियों से पूर्व अङ्ग का अन्तिम व्यञ्जन अविकृत रहता है, परन्तु भकारादि तथा सकारादि विभक्तियों से पूर्व उस में यथानियम विकार हो जाता है (दे० अनु० ७१) । पदान्तीय नियम (अनु० ३४) के अनुसार अङ्ग के व्यञ्जन पदान्त में यथावत् क् ट् त् प् या विसर्जनीय में से किसी एक वर्ण में परिणत हो जाते हैं । पदान्त में तथा व्यञ्जनादि विभक्तियों से पूर्व अङ्ग के अन्तिम तालव्य वर्ण अपनी मूलध्वनि (क् या ट् में) परिणत हो जाते हैं (दे० अनु० २५) ।

व्यञ्जान्त अङ्ग से परे प्रथमा ए० की विभक्तिःस का लोप हो जाता है (दे० अनु० ७०) । ये सन्धिनियम प्रायेण सभी हलन्त

प्रातिपदिकों से बने रूपों में लागू होते हैं। अन्तःपदसन्धि के लिये देखिये अनु० ६२-७८।

विभक्तिगत वैशिष्ट्य—अविकार्यङ्ग प्रातिपदिकों के साथ जुड़ने वाली सभी विभक्तिया लौकिक संस्कृत की विभक्तियों के समान हैं। पुं० तथा स्त्री० में प्रथ० तथा द्विती० के द्वि० की विभक्ति औ के स्थान पर कहीं कहीं आ हो जाता है। पा० ७, १, ३९ के अनुसार ऐसे रूपों में औ के स्थान पर आ आदेश होता है।

१०५. **कवर्गान्त प्रातिपदिक**—मैक्डानल के मतानुसार ऐसा कोई हलन्त प्रातिपदिक नहीं मिलता है जिस के अन्त में कवर्गीय वर्ण आता हो, क्योंकि प्रातिपदिकान्त कवर्गीय वर्ण उत्तरकालीन तालव्य ध्वनियों (दे० अनु० २५—द्वितीय तालव्यीकरण) च् ज् ह् में परिणत हो गये थे^{१३}। परन्तु लैन्मन तथा कतिपय अन्य विद्वान् सुरघ् स्त्री० “मधु-मक्षिका” शब्द को घकारान्त प्रातिपदिक मानते हैं^{१४}। श० ब्रा० ३, ४, ३, १४ के वाक्य “सुरघो मधुकृतः” में इस प्रातिपदिक का प्रथ० व० रूप सुरधः मिलता है। परन्तु प्रथ० ए० में सुरट् (तै० सं० ५, ३, १२, २; श० ब्रा० १३, ३, १, ४) और च० व० में सुड्यः (श्र० १, ११०, २१) रूप मिलता है। इस लिये कतिपय विद्वान् इन रूपों में सुरट् या सुरह् प्रातिपदिक की कल्पना करते हैं^{१५}। परन्तु लैन्मन का मत है कि उक्त रूपों में ड् (ट्) इ० यो० मूलध्वनि ङ् का प्रतिनिधित्व करता है और टकारान्त या हकारान्त प्रातिपदिक की कल्पना करना अनावश्यक है, क्योंकि तै० ब्रा० ३, १०, १०, १ के उदाहरण “इयं वै सुरघा” तथा “सुरघं मधु” से सुरघ् प्रातिपदिक के पक्ष की पुष्टि होती है^{१६}।

१०६. **चकारान्त प्रातिपदिक**—जो अविकार्यङ्ग चकारान्त प्रातिपदिक एकाञ् और असमस्त हैं वे प्रायेण स्त्री० में प्रयुक्त होते हैं। केवल मुञ्च “क्रीड” पुं० है और श्र० में त्वच् से बना रूप त्वचि दो बार और मर्ध् से बना रूप अर्चा एक बार (श्र० ६, ३४, ४) पुं० के अर्थ में प्रयुक्त

हुआ है। नपुं० में केवल एक रूप आपृक् “मिश्रित प्रकार से” मिलता है जो कि० वि० के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। समास के उत्तरपद में आने पर विशेषणरूपेण प्रयुक्त किये जाने वाले अनेक चकारान्त प्रातिपदिक पुं० में भी मिलते हैं। पदान्त में तथा झलादि विभक्ति से पूर्व अङ्ग के अन्तिम च् का क् बन जाता है (दे० अनु० ७६)। चकारान्त प्रातिपदिकों के जो वैदिक रूप उपलब्ध होते हैं उन के आधार पर वाच् “वाणी” के रूप इस प्रकार बनते हैं—

	ए०	द्वि०	च०
प्रथ०	वाक् ;	वाचा, वाचौ ;	वाचः ।
द्विती०	वाचम् ;	” ;	वाचः, कहीं कहीं वाचः ।
तृ०	वाचा ;	वाग्भ्याम् ;	वाग्भिः ।
च०	वाचे ;	” ;	वाग्भ्यः ।
पं०	वाचः ;	” ;	” ।
प०	” ;	(वाचोः) ;	वाचाम् ।
स०	वाचि ;	” ;	(वाक्षु) ।

कोष्ठक में दिये गये रूपों के उदाहरण मृग्य हैं ।

निम्नलिखित चकारान्त प्रातिपदिकों के रूप भी इसी प्रकार बनते हैं—

स्त्री० चकारान्त प्रातिपदिक—ऋच् “ऋचा”; त्वच् “चमड़ी”; नि-श्रुच् “सूर्यास्त”; मृच् “हिंसा”; रुच् “दीप्ति”; शुच् “ज्वाला”; सिच् “वस्त्राञ्चल”; लुच् “यज्ञीय चमच” ।

पुं० चकारान्त प्रातिपदिक—अंहो-मुच् “संक्रटमोचक”; कुञ्च् “कौञ्च”; त्रि-शुच् “तीन ज्वालाओं वाला”; पुरो-रुच् “सामने चमकने वाला”; मधु-पृच् “माधुर्य मिलाने वाला”; सूर्य-त्वच् “सूर्य के समान कान्ति वाला” । उरु-व्यच् “दूर फैलने वाला” का शक्ताङ्ग (सर्वनामस्थान से पूर्व) उरु-व्यञ्च् बनता है; यथा—द्विती० ए० उरु-व्यञ्चम् । इसी प्रकार -सच् का शक्ताङ्ग -साच् बनता है; यथा—द्विती० ए० अपत्य-सार्चम्

“अपत्य-युक्त” । क्रुञ्च् का प्रथ० ए० क्रुङ् (वा० सं०) वनता है । पा० ३, २, ५९ में क्रुञ्च् धातु से क्तिन् प्रत्यय का विधान कर के क्रुञ्च् प्रातिपदिक की सिद्धि की गई है और संयोगान्त च् का लोप होने पर पा० ८, २, ६२ के द्वारा पदान्त में ज् का ङ् वनता है । सि० कौ० में क्रुङ्, क्रुञ्चौ, क्रुञ्चः, क्रुङ्भ्याम् इत्यादि रूप दिखलाये गये हैं ।

१०७. छकारान्त प्रातिपदिक—वैदिक वाङ्मय में केवल एक छकारान्त पुं० प्रातिपदिक वृन्धु-पृच्छ् मिलता है जिस से प्रथ० द्वि० में वृन्धु-पृच्छा “वन्धुओं को पूछने वाले” (ऋ० ३, ५४, १६) रूप वनता है । -पृच्छ् अङ्ग से बने हुए अन्य वैदिक रूप तुमर्थक (Infinitive) माने जाते हैं; यथा—पृच्छे “पूछना”; सं-पृच्छे “अभिवादन करना” । ये दोनों रूप चतुर्थी ए० के रूप के सदृश हैं । वि-पृच्छम् तथा सं-पृच्छम् “पूछना” ये दोनों रूप द्विती० ए० के रूप के सदृश हैं ।

१०८. जकारान्त प्रातिपदिक—जो धातुज जकारान्त प्रातिपदिक एकाच् और असमस्त हैं वे प्रायेण स्त्री० में प्रयुक्त होते हैं और नपुंसकलिङ्ग में ऐसे प्रातिपदिक का कोई उदाहरण नहीं मिलता है । केवल समासों में नपुंस० के कुछ जकारान्त प्रातिपदिक उपलब्ध होते हैं ।

मूलप्रकृति के अनुसार (अनु० २५) प्रातिपदिकों के श्रन्त में आने वाला ज् पदान्त में तथा झलादि विभक्तियों से पूर्व ग् या ङ् में परिणत हो जाता है और सन्धिनियम के अनुसार ग् या ङ् अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाता है । पूर्वकालीन तालव्य ज् का ङ् और उत्तरकालीन तालव्य ज् का ग् वनता है (दे० अनु० २५, ७५, ७६) । परन्तु ऋद्विज् “उचित ऋगु में यज्ञ करने वाला” का ज् इस नियम के अपवाद-स्वरूप ग् में परिणत होता है, जबकि इस प्रातिपदिक के उत्तरपद -यञ् का ज् अन्य रूपों में ङ् में परिणत होता है” ।

(क) उत्तरकालीन तालव्य चाले प्रातिपदिक—इन के प्रातिपदिकान्त ज् का पदान्त में तथा झलादि विभक्ति में पूर्व ग् वनता है और गभारपान

न् का क् धन जाता है। उपलब्ध वैदिक रूपों के आधार पर उशिञ् “इच्छुक” के रूप पुं० तथा स्त्री० में निम्नलिखित प्रकार से बनेंगे—

	ए०	द्वि०	व०
प्रथ०	उशिक् ;	उशिजां ;	उशिजः ।
द्विती०	उशिजम् ;	× ;	” ।
तृ०	उशिजां ;	× ;	उशिग्भिः ।
च०	उशिजे ;	× ;	उशिग्भ्यः ।
पं०	× ;	× ;	× ।
प०	उशिजः ;	उशिजोः ;	उशिजाम् ।
स०	×	” ;	×

टिप्पणी—जिन विभक्तियों में शब्द का कोई वैदिक उदाहरण नहीं मिलता है वहाँ पर × चिह्न लगाया गया है।

निम्नलिखित जकारान्त प्रातिपदिकों के रूप इसी प्रकार से बनते हैं और ये पुं० तथा स्त्री० में प्रयुक्त होते हैं—अस्वप्नञ् “निद्रारहित”; तृणञ् “तृपित”; धृषञ् “धृष्ट”; सनञ् “पुराना”।

पुं० प्रातिपदिक—युञ् “युक्त”; अ-भुञ् “भोग न करने वाला”; अर्ध-भाञ् “भागी”; ऋत-युञ् “ठीक ऋतु में युक्त”; ऋत्विञ् “ठीक ऋतु में यज्ञ करने वाला”; धृत-निर्णिञ् “धृत रूपी वस्त्र वाला”; चन्द्र-निर्णिञ् “चमकते हुए वस्त्र वाला”; परा-वृञ् “परित्यक्त”; भिषञ् “उपचार करने वाला”; वणिञ् “वनिया”; सं-वृञ् “अधीन करने वाला”; सु-युञ् “साथी”; सु-युञ् “सुष्ठु युक्त” (अ०)।

विशेष—जब युञ् प्रातिपदिक समास में न हो तो सर्वनामस्थान से पूर्व शक्ताङ्ग युञ् में उ तथा ज् के मध्य न् का आगम होता है^८; यथा—प्रथ० ए० युङ्, द्वि० युञ्। परन्तु समास में जुम् का आगम नहीं होता है; यथा—स-युक्; और ऋ० में द्विती० ए० का रूप युजम् एक बार और युजम् पन्द्रह बार आया है।

स्त्री० प्रातिपदिक—ऊर्ज् “जीवन-शक्ति”; तुज् “सन्तति”; निरिञ्ज् “चमकता हुआ वस्त्र”; स्रज् “हार” । सं० व० में स्रज् का रूप स्रक्ष् मिलता है । भुज् “भोग”; अभि-युज् “आक्रान्ता”; अश्व-युज् “घोड़े जोतने वाली” इत्यादि के रूप भी मिलते हैं ।

नपुं० प्रातिपदिक—असृज् “सधिर”; स्वावृज् “सुखपूर्वक प्राप्त”; सु-युज् “सुयुक्त” (कि० वि०); इत्रात्र-भाज् “प्रवल करता हुआ” ।

विशेष—(१) कहीं कहीं असृज् के स्थान पर असृन् के रूप भी प्रयुक्त होते हैं^{१०}; यथा—तृ० ए० असृन्ना; पं० प० ए० असृन्तः ।

(२) तै० सं० ७, ४, ९, १ में असृज् के स्थान पर तकारान्त रूप असृत् (द्विती० ए०) मिलता है ।

(ख) पूर्वकालीन तालव्य वाले प्रातिपदिक—इन के प्रातिपदिकान्त ज् का पदान्त में तथा झलादि विभक्ति से पूर्व ड् बनता है और यथास्थान ट् का ट् बन जाता है, परन्तु वेदों में सं० व० के सु से पूर्व ज् का क् मिलता है और ट् रूप वाला कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं होता है । सूत्राज् से बनने वाले निम्नलिखित रूप वैदिकभाषा में मिलते हैं—

प्रथ० ए० सूत्राट् ; द्वि० सूत्राजौ ; व० सूत्राजः ।

द्विती० ए० सूत्राजम् ।

च० ए० सूत्राजै ।

प० ए० सूत्राजः ; द्वि० सूत्राजोः ।

इस प्रातिपदिक के सब रूप वेद में नहीं मिलते हैं । निम्नलिखित पुं० जकारान्त प्रातिपदिकों के रूप भी इसी प्रकार बनते हैं, परन्तु सब रूप उपलब्ध नहीं होते हैं—राज् “राजा”; एक्र-राज् “अकेला शासक”; जन-राज् “जनता का राजा”; आज् “प्रकाशमान”; वने-राज् “वन में चमकता हुआ”; चि-आज् “प्रकाशमान”; चि-राज् “दूर तक शासन करने वाला”; विश्व-आज् “सब को प्रकाशित करता हुआ”; सूत्र-राज् “सत्र का राजा” इत्यादि ।

विशेष—श्र० १, १६२, ५ में मिलने वाले रूप आ-व्याः “होम करने वाला” का प्रातिपदिक आर्ध-यज् माना जाता है^{११} ।

स्त्री० प्रातिपदिक—राज् “राजमाना” (वा० वा०); विराज् “विराज् स्त्रः”;
प्रयज् “हविः”; सुं-यज् “गन्धर्क”; स्वराज् “स्वयं प्रकाशमान”; अय-यज्
“हविर्भाग”; उप-यज् “विशेष यजुर्मन्त्रों की संज्ञा” (वा० सं० ६, २१)।

इन प्रातिपदिकों के निम्नलिखित रूप मिलते हैं—

प्रथ० ए० राज्, विराज्, उपयज्; ष० विराजः (वा० सं०)।

द्विती० ए० विराजम्, स्वराजम्।

तृ० ए० विराजा; द्वि० उपयज्भ्याम्; ष० उपयज्भिः।

षं० ए० विराजः।

प० ए० विराजः।

सं० ए० सुंयजि; ष० प्रयजु (अ०)^{१२}।

विशेष—अय-यज् “हविर्भाग” का रूप प्रथ० ए० में अय्याः (का० सं० ३५,
१२; ऋ० १, १७३, १२; अ० २, ३५, १) बनता है^{१३}।

नपुं० प्रातिपदिक—स्वराज् “स्वयं प्रकाशमान” का ष० ए० का रूप स्वराजः
(ऋ० १०, १२०, ८) मिलता है।

१०९. टचर्गन्त प्रातिपदिक—(क) कोई असंदिग्ध टकारान्त प्रातिपदिक नहीं
मिलता है। अ० ८, ७, २४ में मिलने वाले प्रथ० ष० रूप रुचटः के
प्रातिपदिक के विषय में सन्देह है। कतिपय विद्वानों का मत है कि यह
रुचर्वः “शीघ्रगामी” का अपपाठ है^{१४}।

(ख) केवल दो टकारान्त स्त्री० प्रातिपदिक ईद् “स्तुति” और
इद् “स्फूर्तिप्रद अन्न” वेद में दृष्टिगोचर होते हैं और इन के निम्नलिखित
रूप मिलते हैं—

तृ० ए० ईळा (ऋ० ८, ३९, १), इळा (ऋ०)।

ष० ए० इळः (ऋ०)।

११०. तकारान्त प्रातिपदिक—वैदिकभाषा में तकारान्त प्रातिपदिक वाले
बहुत से शब्द मिलते हैं, परन्तु इन में से अधिकतर शब्द समासों के
उत्तरपद में आते हैं और कुछ तद्धितान्त हैं। कृदन्त तकारान्त
प्रातिपदिकों की संख्या अधिक है और इस प्रकार के लगभग तीस

प्रातिपदिक इकारान्त, उकारान्त तथा ऋकारान्त धातुओं से बने हुए हैं। ऐसे प्रातिपदिक प्रायेण समासों के उत्तरपद में मिलते हैं। समासों के उत्तरपद में आने वाले तकारान्त शब्द पुं० तथा स्त्री० दोनों में प्रयुक्त होते हैं और दोनों लिङ्गों में उन के रूप सर्वथा समान बनते हैं। उपलब्ध रूपों के आधार पर त्रिवृत् “तिगुना” शब्द के रूप पुं० तथा स्त्री० में निम्नलिखित प्रकार से बनेंगे—

त्रिवृत् (पुं० तथा स्त्री०)

ए०	द्वि०	ब०
प्रथ० त्रिवृत् ;	त्रिवृता, त्रिवृतौ ;	त्रिवृतः ।
द्वि० त्रिवृत्भू ;	” ” ;	” ।
तृ० त्रिवृता ;	त्रिवृद्भ्याम् ;	त्रिवृद्भिः ।
च० त्रिवृते ;	” ;	त्रिवृद्भ्यः ।
पं० त्रिवृतः ;	” ;	” ।
ष० ” ;	त्रिवृतेः ;	त्रिवृताम् ।
स० त्रिवृति ;	” ;	त्रिवृत्सु ।

नपुं० की प्रथ० तथा द्विती० के ए० में त्रिवृत् रूप बनता है और प्रथ० तथा द्विती० के द्वि० और ब० को छोड़ कर शेष सब विभक्तियों में इस के रूप उपर्युक्त पुं० तथा स्त्री० के रूपों के समान बनेंगे। प्रथ० तथा द्विती० के द्वि० और बहुवचन में नपुं० तकारान्त प्रातिपदिकों के रूपों का लगभग अभाव है। सर्व-हुत् “सम्पूर्ण होम करने वाला” प्रातिपदिक के प्रथ० व० का रूप सर्वहुन्ति ऐ० व्रा० में मिलता है और -भृत् “धारण करने वाला” तथा -भृत् “मुड़ने वाला” से बने रूप -भृन्ति तथा -वृन्ति ब्राह्मणों में मिलते हैं।

अविकार्यङ्ग तकारान्त प्रातिपदिकों के रूप त्रिवृत् के रूपों की भांति बनते हैं। धातुओं के द्वित्व वाले शतन्त प्रातिपदिक ददत्, दधत् इत्यादि के रूप भी इसी प्रकार बनते हैं।

पुं० प्रातिपदिक—पुं० में प्रयुक्त होने वाले अदिकार्यज्ञ तकारान्त प्रातिपदिकों की संख्या बहुत बड़ी है और रूपविषयक कोई विशेषता नहीं है। इस लिये यहाँ पर परिगणना करना अनावश्यक है। कुछेक प्रसिद्ध पुं० प्रातिपदिक ये हैं—चिकित् “ज्ञानी”, मरुत् “मरुत् देव”, पथिक्त् “पथ बनाता हुआ”, नपात् “पौत्र”, ददेत् “देता हुआ”, वाघत् “प्रात्विज्”, शासत् “उपदेश करता हुआ”, दाशत् “उपासना करता हुआ”, सध्वत् “शत्रु”, जाग्रत् “जागता हुआ”।

एकाच् स्त्री० प्रातिपदिक—एक अक्षर वाले तकारान्त प्रातिपदिक चित् “विचार”, शुत् “चमक”, चृत् “नाच”, पृत् “युद्ध”, वृत् “शत्रुदल” स्त्री० में प्रयुक्त होते हैं और शेष स्त्री० प्रातिपदिकों में एक से अधिक अच् हैं। कुछेक प्रसिद्ध अनेकाच् स्त्री० प्रातिपदिक ये हैं—प्र-वत् “ऊंचाई”, देव-तात् “देवों की सेवा”, सुरित् “नदी”, विधुत् “चमकती हुई”, उपभृत् “यज्ञीय चमच”, युषित् “युवति”, रोहित् “लाल घोड़ी”, स्रवत् “जलधारा”, वेहत् “बन्ध्या गाय”।

नपुं० प्रातिपदिक—अश्रि-पत् “आंख में गिरने वाला”, अनपाकृत् “दूर न हटने वाला”, त्रिवृत् “तिगुना”, यकृत् “जिगर”, शकृत् “गोमय”, सं-यत् “निरन्तर”, जगत् “जीव-लोक” इत्यादि प्रातिपदिकों के रूप नपुं० में बनते हैं।

विशेष—पा० ६, १, ६३ के अनुसार शस्प्रभृति विभक्तियों से पूर्व शकृत् के स्थान पर शकन् और यकृत् के स्थान पर युक्न् आदेश हो जाता है। इन से बने हुए निम्नलिखित रूप मिलते हैं—

प्रथ० तथा द्विती० ए० शकृत् (ऋ०), यकृत् (ऋ०)।

तृ० ए० शकृता (का० श्रौ०), शकृता (वा० सं०), युक्ता (वा० सं०);

व० शकृभिः (तै० सं०)।

पं० ए० युक्तः (ऋ०)।

प० ए० शक्तः (अ०)।

१११. थकारान्त प्रातिपदिक—वेद में केवल चार थकारान्त प्रातिपदिकों के

रूप मिलते हैं। पथ् “मार्ग” तथा सु-पथ् “अच्छा मार्ग” पुं० में आते हैं। अभि-श्नथ् “बुभता हुआ” विशेषण है और कर्षथ् “शिश्न” प्रायेण नपुं० शब्द माना जाता है, परन्तु कतिपय विद्वान् इसे पुं० शब्द मानते हैं^{२५}। प्रासमैन ऋ० के पद श्रत् “श्रद्धा” को श्रथ्-प्रातिपदिक से सिद्ध करता है^{२६}, परन्तु अन्य विद्वान् इस में श्रत् या श्रद् प्रातिपदिक मानते हैं^{२७}। पा० के अनुसार पथ् पुथिन् का ही अत्यशक्तज्ञ (Weakest stem) है और स्वतन्त्र प्रातिपदिक नहीं है^{२८}।

इन प्रातिपदिकों से बने हुए निम्नलिखित रूप मिलते हैं—

प्रथ० ए० कर्षत् ।

द्वि० ए० कर्षत्, श्रत् (आठ बार), पथम् (मै० सं० २, ९, १०);
व० पथः (टि० २८) ।

तृ० ए० सुपथा, पथा, पथो अनेहसा (ऋ० १, १२९, ९) ।

च० ए० पथे (वा० सं०) ।

पं० ए० पथः, अभिश्नथः ।

प० ए० पथः; व० पथाम् ।

स० ए० पथि ।

११२. दकारान्त प्रातिपदिक—(क) दकारान्त प्रातिपदिकों की संख्या सौ से अधिक है। लगभग सौ दकारान्त प्रातिपदिक ऐसे हैं जिन के अन्त में शब्द “खाना”, क्षद् “वाटना”, छद् “छापना”, पद् “जाना”, सद् “बैठना”, स्यद् “बहना”, छिद् “काटना”, निद् “निन्दा करना”, भिद् “भेदन करना”, उद् “शीला करना”, जुद् “धकेलना”, मद् “मस्त होना”, मुद् “मुदित होना”, श्चद् “कुचलना”, त्त्द् “बुभाना”, र्द् “रोना”, विद् “पाना”, विद् “जानना”, सुद् “आनन्द लेना” तथा सूद् “यथाक्रम रराना” इत्यादि धातुओं का द् रहता है और क्तिप् इत्यादि कृत्प्रत्यय का लोप हो जाता है। ऐसे दकारान्त प्रातिपदिक प्रायेण समासों के उत्तरपद में मिलते हैं; यथा—अद्भि-भिद् “पर्वत का भेदन करने वाला”। और इन

में भी ऐसे प्रातिपदिक सब से अधिक हैं जिन के अन्त में -विद्, -सद् तथा -पद् आते हैं; यथा—सर्व-विद्, धूर्षद्, अनुपद् इत्यादि ।

एक अन्त वाले दकारान्त प्रातिपदिक केवल आठ मिलते हैं जिन में से उद् “तरंग”, निद् “निन्दा”; भिद् “भेदन करने वाला”, मुद् “प्रसन्नता”, मृद् “मिट्टी” तथा विद् “ज्ञान” ये छः प्रातिपदिक स्त्री० में प्रयुक्त होते हैं; केवल एक प्रातिपदिक पद् “पांव” पुं० में और हृद् “हृदय” नपुं० में आता है ।

इन दकारान्त प्रातिपदिकों के रूप उपर्युक्त अविकार्यज्ञ तकारान्त प्रातिपदिकों के रूपों की भांति बनते हैं और नपुं० की प्रथमा तथा द्वितीया विभक्ति के द्वि० तथा व० और द्विती० ए० को छोड़ कर शेष सभी विभक्तियों में तीनों लिङ्गों के प्रातिपदिकों के रूप समान बनते हैं । परन्तु नपुं० के प्रथ० द्विती० द्वि० व० के रूपों का लगभग अभाव है । विद् “ज्ञान” के रूप तथा -विद् “पाना” उत्तरपद में आने वाले प्रातिपदिकों के रूप तीनों लिङ्गों में (नपुं० द्विती० ए० और प्रथ० द्विती० द्वि० व० को छोड़ कर) निम्नलिखित प्रकार से बनेंगे—

	ए०	द्वि०	व०
प्रथ०	वित् ;	विदा, विदौ ;	विदः ।
द्विती०	विदम् ;	” ;	” ।
तृ०	विदा ;	विद्भ्याम् ;	विद्भिः ।
च०	विदे ;	” ;	विद्भ्यः ।
पं०	विदः ;	” ;	” ।
ष०	विदः ;	विदोः ;	विदाम् ।
स०	विदि ;	” ;	वित्सु ।

पद् “पांव” (पुं०)

सर्वनामस्थान (Strong cases) से पूर्व पद् के अकार का दीर्घ होकर पाद् अङ्ग बन जाता है । परन्तु इस के विपरीत पा० ६, १, ६३ के अनुसार शस्प्रभृति विभक्तियों (Weak cases) से पूर्व पाद्

चतुर्थोऽध्यायः

के स्थान पर पद् आदेश हो जाता है और मूलशब्द पाद् है । उपलब्ध रूपों के आधार पर पद् के रूप इस प्रकार बनेंगे—

	ए०	द्वि०	ब०
प्रथ०	पाद् ;	पादा ;	पादः ।
द्विती०	पादम् ;	” ;	पादः ^{२६} ।
तृ०	पदा ;	पद्भ्याम् ;	पद्भिः ^{२७} ।
च०	पदे ;	” ;	पद्भ्यः ।
पं०	पदः ;	” ;	” ।
प०	पदः ;	पदोः ;	पदाम् ।
स०	पदि ;	” ;	पत्सु ।

हृद् “हृदय” (नपुं०)

पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार अशक्त विभक्तियों (Weak cases) से पूर्व हृद् प्रातिपदिक आता है और प्रथ० तथा द्विती० के ब० और कुछ अन्य विभक्तियों से पूर्व ऋ० के अवरकालीन अंशों में इस के स्थान पर हृदय प्रातिपदिक का प्रयोग होता है । इस मत के विपरीत पा० ६, १, ६३ के अनुसार अशक्त विभक्तियों (शस्प्रभृति) से पूर्व हृदय का हृद् आदेश हो जाता है । हृद् से बने निम्नलिखित रूप मिलते हैं—

प्रथ० ए० हृत् (तै० सं० ४, ४, ७, २) ।

तृ० ए० हृदा ; ब० हृद्भिः ।

च० ए० हृदे ।

पं० तथा प० ए० हृदः ।

स० ए० हृदि^{२८} ; य० हृत्सु ।

उद् “जल” का केवल एक रूप उदा. (तृ० ए०) ऋ० में मिलता है ।

(ख) जिन दकारान्त प्रातिपदिकों का अन्तिम दकार धातुज नहीं है और प्रत्यय का माना जाता है ऐसे प्रातिपदिकों की संख्या बहुत कम

है। दृषद् तथा धृषद् (ऋ०) “चक्की का निचला पाट”, भ्रसद् “स्त्री की पीठ”, शरद् “शरद् ऋतु”, कृकुद् “शिखर” और काकुद् “तालु” स्त्री० प्रातिपदिक हैं। त्रिकृकुद् “तीन शिखरों वाला” पुं० है और वनद् “इच्छुक” का लिंग संश्लिष्य है। इन में शरद् का प्रयोग सब से अधिक है और अन्य प्रातिपदिकों का प्रयोग बहुत कम है। इन से बने हुए निम्नलिखित रूप मिलते हैं—

प्रथ० ए० कृकुत्, काकुत्, धृषत्, भ्रसत्, शरत्, त्रिकृकुत्;

व० वनर्दः, शरर्दः।

द्वि० ए० काकुर्दम्, दृषर्दम्, भ्रसर्दम्, शरर्दम्, त्रिकृकुर्दम्;

व० शरर्दः।

तृ० ए० दृषदा, शरदा; व० शरद्भिः।

च० ए० शरदे।

पं० ए० काकुर्दः।

प० व० शरदाम्।

स० ए० कृकुदि, शरदि; व० शरसु।

कतिपय विद्वानों का मत है कि कृकुद् वास्तव में कृकुभ् की विकृति है और कहीं कहीं अन्तिम भ् का द् वन गया है^{२२}।

११३. धकारान्त प्रातिपदिक—बृध् “जागना”, बाध् “कष्ट पहुँचाना”, युध् “लड़ना”, वृध् “बढ़ना” तथा रुध् “रोकना” इत्यादि सोलह धकारान्त धातुओं से बने हुए लगभग पचास धकारान्त प्रातिपदिक उपलब्ध होते हैं और वृध् धातु से बने हुए प्रातिपदिक सब से अधिक हैं। सभी धकारान्त प्रातिपदिक कृदन्त हैं और इन में से बहुत से प्रातिपदिक समासों के उत्तरपद में मिलते हैं; यथा—यज्ञ-वृध् “यज्ञवर्धक”। केवल सात धकारान्त प्रातिपदिक एकाच् हैं। क्षुध् “क्षुधा”, नध् “बन्धन”, मृध् “संग्राम”, युध् “युद्ध”, वृध् “वृद्धि” तथा रुध् “स्पर्धा (लड़ाई)” ज्ञे छः एकाच् प्रातिपदिक स्त्री० में हैं और केवल एक वृध् “वर्धक” प्रातिपदिक पुं० विशेषण रूप में

प्रयुक्त होता है। पुं० तथा स्त्री० के प्रातिपदिकों के रूप सर्वथा समान हैं। प्रथ० तथा द्विती० के द्वि० तथा घ० में नपुंसक के रूपों की विशेषता वाला कोई रूप नहीं मिलता है और केवल चार नपुं० रूप प० तथा स० में उपलब्ध होते हैं। किसी धकारान्त प्रातिपदिक में शक्ताङ्ग तथा अशक्ताङ्ग का भेद प्रकट नहीं होता है। कतिपय प्रसिद्ध प्रातिपदिकों के निम्नलिखित रूप मिलते हैं—

वृध्, युध्, उपर्ध्व “प्रातः जागने वाला”, ऋतावृध् “सत्यवर्धक”

प्रथ० ए० उपर्ध्व^२क; द्वि० ऋतावृधा, ऋतावृधौ; व० ऋतावृधः।

द्विती० ए० वृधम, युधम, उपर्ध्वम; द्वि० ऋतावृधा, ऋतावृधौ;

व० ऋतावृधः, युधः।

तृ० ए० वृधा, युधा।

च० ए० वृधे, युधे, उपर्ध्वे, ऋतावृधे।

पं० ए० युधः।

प० व० वृधाम, ऋतावृधाम।

स० ए० युधि; व० युत्सु।

११४. नकारान्त प्रातिपदिक—अविकार्यङ्ग नकारान्त प्रातिपदिकों की संख्या अत्यल्प है और तन् “फैलाना”, रन् “आनन्दित होना”, वन् “प्रिय होना”, सन् “प्राप्त करना” तथा स्वन् “ध्वनि करना” से बने हुए छः कृदन्त-नकारान्त प्रातिपदिक उपलब्ध होते हैं। इन में से तन् स्त्री० “सन्तति”, रन् पुं० “आनन्द”, वन् पुं० “वन” तथा स्वन् वि० “ध्वनि करता हुआ” ये चार एकाच् हैं और गो-षन् “गाय प्राप्त करने वाला” तथा तुवि-ष्वन् “जोर से गर्जता हुआ” ये दोनों विशेषण समासों के उत्तरपद में आते हैं। समासों के उत्तरपद में आने वाले हन् “घातक” के पैंतीस प्रातिपदिक तथा अन्य नकारान्त प्रातिपदिक विकार्यङ्ग हैं। इस लिये आगे चल कर विकार्यङ्ग प्रातिपदिकों में उन का विवेचन किया जायगा।

अविकार्यङ्ग प्रातिपदिकों से बने वाले वैदिक रूप निम्नलिखित हैं—

प्रथ० व० सम्बो० तुविष्वणः।

तृ० ए० तुना (एक बार ऋ०), तना (१९ बार ऋ०)।

च० ए० रणे, तने ।

ष० ए० गोपणः (गोपणो नपात् सम्बो०); व० वनाम् ।

स० ए० स्वनि (ऋ० ९, ६६, ९), तुविष्वणि, रन् (विभक्तिलोप);

व० रंसु, वंसु ।

स्वरवैशिष्ट्य—उपर्युक्त रूपों में तुना तथा वनाम् को छोड़ कर शेष रूपों में स्वरसम्बन्धी नियम का अपवाद मिलता है, क्योंकि साधारण नियम के अनुसार इन एकाच् प्रातिपदिकों का उदात्त अशक्तविभक्ति पर चला जाना चाहिए ।

दन् या दम्? अनेक पाश्चात्य विद्वान् दन् “गृह” नकारान्त प्रातिपदिक की कल्पना करते हैं और ऋ० १, १२०, ६; १, १४९, १; १, १५३, ४; १०, ९९, ६; तथा १०, १०५, २ में आने वाले दन् को कुछ विद्वान् स० ए० का रूप और अन्य विद्वान् ष० ए० का रूप मानते हैं^{३३} । कतिपय विद्वान् दन् को दम् प्रातिपदिक की विकृति मानते हैं^{३४} । सायण इन में से एक रूप को दम् धातु से बना शत्रन्त मानता है और अन्य रूपों को दा धातु से सिद्ध करता है । यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि दन् के उपर्युक्त रूप पतिः के साथ जुड़े हुए (पतिर्दन्) मिलते हैं और ऋ० १, १२०, ६ में पती दन् प्रयोग मिलता है । इस लिये पाश्चात्य विद्वान् ‘पतिर्दन्’ का अर्थ ‘गृहस्य पतिः’ ‘गृहे पतिर्वा’ करते हैं ।

११५. **पकारान्त प्रातिपदिक**—लगभग बीस पकारान्त प्रातिपदिक मिलते हैं ।

इन में से सातों एकाच् प्रातिपदिक अप् “जल”, कृप् “सुन्दरता”, चप् “रात्रि”, सिप् “अंगुलि”, रिप् “वधना”, रूप् “भूमि” तथा विप् “छड़ी या अंगुलि” स्त्री० में प्रयुक्त होते हैं, परन्तु विशेषण के रूप में विप् ङु० में भी मिलता है । इन के अतिरिक्त समासों के उत्तरपद में आने वाले चार पकारान्त प्रातिपदिक भ्रा-त्तप् “गर्म करने वाली”, पति-रिप् “पति को धोखा देने वाली”, ऋत्त-सप् “यजन करती हुई” तथा वि-ष्टप् “शिखर” भी स्त्री० में आते हैं । शेष सभी पकारान्त

प्रातिपदिक समासों के उत्तरपद में आने वाले पुं० विशेषण हैं—
 अग्नि-त्तप् “अग्नि-ताप का आनन्द लेने वाला”, अग्नी-लप-लप्
 “अत्यधिक वाचाट”, असु-नृप् “दूसरे के प्राणों (जीवन) से तृप्त होने
 वाला”, केतु-सप् “आज्ञाकारी”, पुरि-रप् “चारों ओर चिल्लाने वाला”,
 पशु-नृप् “पशुओं से तृप्त होने वाला”, प्र-सुप् “सोता हुआ”, तथा
 रीत्यप् “बहते हुए जल वाला”^{१५} । नपुं० में कोई पकारान्त प्रातिपदिक
 नहीं मिलता है^{१६} । पुं० तथा स्त्री० में इन के रूप सर्वथा समान
 बनते हैं ।

प्रथ० के द्वि० तथा व० में अर्ध के अकार का दीर्घ हो जाता है^{१७},
 और भकारादि विभक्तियों से पूर्व प् का द् बन जाता है (दे० अनु० ७७) ।
 अर्ध के निम्नलिखित रूप मिलते हैं—

प्रथ० द्वि० आपा; व० आपः ।

द्विती० व० अपः ।

तृ० ए० अपा; व० अद्भिः ।

च० व० अद्भयः ।

पं० ए० अपः; व० अद्भयः ।

प० ए० अपः; व० अपाम् ।

स० व० अप्सु ।

११६. भकारान्त प्रातिपदिक—पुं० तथा स्त्री० में भकारान्त प्रातिपदिक
 मिलते हैं और नपुं० में भकारान्त प्रातिपदिक से बना कोई रूप उपलब्ध
 नहीं होता है । क्षुम् “क्षोभ”, गृम् “ग्रहण”, नम् “हिंसा”, शुम्
 “शोभा” तथा स्तुम् “स्तुति” ये पांच एकाच् प्रातिपदिक और अनुष्टुम्,
 कुकुम् “शिखर” तथा त्रिष्टुम् ये अनेकाच् प्रातिपदिक स्त्री० में प्रयुक्त
 होते हैं । जीव-गृम् “जीवित पकड़ने वाला”, सूते-गृम् “सोम का ग्रहण
 करने वाला”, स्यूम-गृम् “लगाम पकड़ने वाला”, त्रि-कुकुम् “तीन
 शिखरों वाला” तथा छन्दः-स्तुम् “छन्दों में स्तुति करने वाला” इत्यादि
 समासों में आने वाले अनेकाच् भकारान्त प्रातिपदिक पुं० में प्रयुक्त होते
 हैं । त्रिष्टुम् के निम्नलिखित रूप मिलते हैं—

प्रथ० ए० त्रिष्टुप् ।
 द्विती० ए० त्रिष्टुभम्; व० त्रिष्टुभः ।
 तृ० ए० त्रिष्टुभा ।
 च० ए० त्रिष्टुभे ।
 पं० ए० त्रिष्टुभः ।
 स० ए० त्रिष्टुभिः ।

११७. मकारान्त प्रातिपदिक—मकारान्त प्रातिपदिकों की संख्या अत्यल्प है और सुनम् (अ०) “नमस्कार” स्त्री० को छोड़ कर शेष सभी मकारान्त प्रातिपदिक एकाच् हैं। पृथिवीवाचक तीनों प्रातिपदिक क्षम्, गम् तथा जम् स्त्री० में प्रयुक्त होते हैं। हिम् “वर्क” पुं० और दम् “ग्रह” (अनु० ११४) तथा शम् “सुख” नपुं० शब्द माने जाते हैं। परन्तु शम् “कल्याण” के केवल प्रथ० तथा द्विती० ए० के रूप मिलते हैं। इस लिये कतिपय विद्वानों के मतानुसार शम् अव्यय है। केवल हिमा (ऋ० १०, ३७, १०) के समाधान के लिये हिम् प्रातिपदिक की कल्पना की जाती है, परन्तु अकारान्त पद हिम के द्वारा भी हिमा रूप का समाधान किया जा सकता है। अत एव यह प्रातिपदिक संदिग्ध है। गम् तथा जम् के रूप केवल अशक्त (असर्वनामस्थान) विभक्तियों में मिलते हैं जहाँ इन की उपधा के ष का लोप हो जाता है। शक्त विभक्तियों (सर्वनामस्थान) से पूर्व क्ष्म की उपधा के ष का दीर्घ हो जाता है। वेद में निम्नलिखित रूप मिलते हैं—

प्र० ए० शम्; द्वि० क्षामा, द्यावा-क्षामा; व० क्षामः, सुनमः (अ०) ।
 तृ० ए० क्ष्मा, ज्मा, हिमा ।
 पं० ए० क्ष्मः, ज्मः, ज्मः^{३८} ।
 प० ए० ज्मः, ज्मः, दन् (अनु० ११४); व० द्रुमाम् ।
 स० ए० क्ष्मि ।

११८. रेफान्त प्रातिपदिक—पचास से अधिक ऐसे रेफान्त प्रातिपदिक मिलते हैं जो धातुज माने जाते हैं। अधिकतर रेफान्त प्रातिपदिकों का अन्तिम रेफ इ या उ के पश्चात् आता है और केवल तीन रेफान्त

प्रातिपदिकों की उपधा में अ आता है और दो की उपधा में आ मिलता है। लगभग एक दर्जन रेफान्त प्रातिपदिक एकाच् हैं और शेष अनेकाच् हैं जिन में से अधिकतर समास हैं। कतिपय प्रसिद्ध रेफान्त प्रातिपदिक निम्नलिखित हैं—

पुं० प्रातिपदिक—गिर “स्तोता” (ऋ०), तुर “प्रवर्द्धक”, सुर “नाशक”, गवाशिर “दुग्धमिश्रित”, सुप्रतुर “विजयी”, अप्तुर “कर्मशील”, अजुर “बूढ़ा न होता हुआ” ।

स्त्री० प्रातिपदिक—गिर “स्तुति”, द्वार “द्वार”, धुर “धुरा या भार”, पुर “दुर्ग”, आशिर “मिश्रण”, संस्तिर “आच्छादन”, अमा-जुर “घर में बुढ़िया होती हुई” ।

नपुं० प्रातिपदिक—वार “जल”, स्वर “प्रकाश”, वधर् “आयुध” । अहर्, ऊर्धर्, उषर्—पाश्चात्य विद्वान् अहर् “दिन” नपुं०; ऊर्धर् “आपीन” नपुं० तथा उषर् “उषा” स्त्री० को रेफान्त प्रातिपदिक मानते हैं। परन्तु पा० ८, २, ६८-६९ अहर् को ‘अहन्’, नकारान्त प्रातिपदिक का रूप मानता है; और ऊर्धर् तथा उषर् का प्रातिपदिक क्रमशः ऊर्धस् तथा उषस् माना जाता है (दे० अनु० १३० ग; टि० १०६ इत्यादि) ।

उपधादीर्घ—पदान्त में तथा हलादि विभक्ति से पूर्व रेफान्त प्रातिपदिक की उपधा के इ ष का दीर्घ हो जाता है^{१०}; यथा—गिर का प्रथ० ए० गीः; तृ० व० गीभिः । इ का अविकार—स० व० की विभक्ति सु से पूर्व प्रातिपदिक का अन्तिम इ अविकृत रहता है^{११}; यथा—गिर का स० व० गीर्षु ।

उपलब्ध रूपों के आधार पर पुर के रूप इस प्रकार बनेंगे—

प्रथ० ए० पूः; द्वि० पुरा, पुरौ; व० पुरः ।

द्विती० ए० पुरम् ; द्वि० पुरा, पुरौ; व० पुरः ।

तृ० ए० पुरा; व० पृभिः ।

च० ए० पूरे; व० पूर्यैः ।

पं० ए० पुरः ।

ष० ए० पुरः; व० पुराम् ।

स० ए० पुरिः; व० पुरुषु ।

द्वार् के रूप—पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि अशक्त विभक्तियों (असर्वनामस्थान) से पूर्व द्वार् का अशक्ताद्गुण वन जाता है । द्वार् के निम्नलिखित रूप मिलते हैं—

प्रथ० ए० द्वाः (अ०); द्वि० द्वारा; व० द्वारं; दुरं:

(ऋ० १, १८८, ५) ।

द्विती० ए० द्वारम् (अ०); द्वि० द्वारा; व० दुरः (२४ वार),

द्वारः (ऋ० १, १३०, ३) ।

स्वर् के रूप—पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि च० ए० तथा प० ए० में स्वर् का सूर अङ्ग वन जाता है और निम्नलिखित रूप बनते हैं—

प्रथ० ए० स्वर् (पाश्चात्य विद्वान्—सुअर् अ०) ।

च० ए० सुरे (ऋ० ४, ३, ८) ।

प० ए० सुरः (ऋ० ८, ७२, १७)^{४१}, स्वर् (ऋ० १, ६६, १०;
१, ६९, १०) ।

स० ए० स्वर् (५ वार; विभक्तिलोप) ।

११९. वकारान्त प्रातिपदिक—वेदों में केवल दो वकारान्त प्रातिपदिक दिव् “द्युलोक” और द्वीव् “द्युतक्रीडा” स्त्री० मिलते हैं ।

द्वीव् के रूप—ऋ० में द्वीव् के केवल दो रूप मिलते हैं ।

च० ए० द्वीवे (ऋ० १०, २७, १७) ।

स० ए० द्वीवि (ऋ० ५, ८५, ८) ।

इसी अर्थ में प्रयुक्त होने वाला प्रातिपदिक द्यू, द्वीव् का पूरक कहा जा सकता है और अ० में उस से बने हुए निम्नलिखित रूप मिलते हैं—

द्विती० ए० द्युवम् (अ० ७, ५०, ९) ।

च० ए० द्युवे (अ० ७, १०९, ५) ।

चतुर्थोऽध्यायः

दिव् के रूप—पाणिनि दिव् को प्रातिपदिक मान कर प्रथ० ए० में व् के स्थान पर औ आदेश करके द्यौः रूप सिद्ध करता है^{५३} और हलादि विभक्तियों से पूर्व दिव् के व् को उ आदेश करके द्यु अङ्ग बनाता है^{५४} ।

मैकञानल दिव् को द्यव् का सम्प्रसारण तथा अशक्ताङ्ग मान कर इन के रूपों का व्याख्यान करता है^{५५} । ग्रासमैन तथा लैन्मैन प्रमृति विद्वानों का मत समीचीन प्रतीत होता है, जिस के अनुसार दिव्, द्यु तथा द्यौ परस्पर पूरक प्रातिपदिक माने जाते हैं^{५६} । वैदिक भाषा में दिव् प्रायेण तथा द्यु नित्य पुं० में आते हैं और द्यौ पुं० तथा स्त्री० में प्रयुक्त होता है । लौकिक संस्कृत में दिव् स्त्री० में ही प्रयुक्त किया जाता है । भारतीय वैयाकरण द्यौ को पृथक् प्रातिपदिक मानते हैं और स्त्री० में इस के रूप चलाते हैं (दे० टि० २२५) ।

दिव्, द्यु तथा द्यौ से बने हुए निम्नलिखित रूप उपलब्ध होते हैं जो अधिकांश में परस्पर पूरक हैं—

द्यौ की रूप-रचना के सम्बन्ध में दे० अनु० १४७ ।

द्यौ	दिव्	द्यु
प्रथ० ए० द्यौः, सम्बो० द्यौः ^{५७} ,	×	×
प्रथ० द्विती० द्वि० द्यावां (२६ वार), द्यवां ^{५८} ,	×	×
प्रथ० व० द्यावः (२२ वार),	दिवः (ऋ० एक वार; अ० दो वार),	×
द्विती० ए० द्याम् ^{५९} ,	दिवम् (२१ वार),	×
द्विती० व०	दिवः,	द्युन् ^{६०}
तृ० ए०	×	द्विवा, दिवां,
तृ० व०	×	×
च० ए०	×	द्विवे,
पं० ए० द्यौः (२ वार), द्यौः ^{६१} ,	दिवः (५० वार),	×
प० ए० द्यौः (४ वार),	दिवः (१८० वार से अधिक),	×
स० ए० द्यविं (१२ वार),	द्विविं (११८ वार),	×

टिप्पणी—प्रयोग-संख्या का निर्देश केवल ऋ० से सम्यक् है ।

१२०. शकारान्त प्रातिपदिक—वैदिक भाषा में ६० से अधिक शकारान्त प्रातिपदिक मिलते हैं और सभी धातुज हैं। इन में से ६ प्रातिपदिक एकाच् हैं और शेष समासों के उत्तरपद में आते हैं। शकारान्त प्रातिपदिक √दाश् “उपासना करना”, √दिश् “आदेश करना” प्रभृति लगभग एक दर्जन धातुओं से बने कृदन्त शब्द हैं और अकेले √दृश् “देखना” धातु से लगभग २० प्रातिपदिक बनते हैं। लगभग ४० प्रातिपदिक पुं० में, २० स्त्री० में तथा आधा दर्जन नपुं० में प्रयुक्त होते हैं और कतिपय प्रातिपदिक विशेषणों के रूप में आते हैं। प्रथ० द्विती० के द्वि० व० में नपुं० का कोई रूप नहीं मिलता है जो पुं० तथा स्त्री० के रूपों से भिन्न हो सकता है। इस लिये तीनों लिंगों में शकारान्त प्रातिपदिकों के रूप समान बनते हैं। निम्नलिखित एकाच् शकारान्त प्रातिपदिक स्त्री० में प्रयुक्त होते हैं—दिश् “दिशा”, दाश् “उपासना”, दृश् “दृष्टि”, नश् “रात्रि”, पश् “दृष्टि”, पिश् “अलंकार”, प्राश् “विवाद”, विश् “वस्ती या प्रजा”, वृश् “अङ्गुलि”।

शकारान्त प्रातिपदिकों (अनु० १०८) की भांति मूल प्रकृति के अनुसार शकारान्त प्रातिपदिक भी दो वर्गों में विभक्त किये जा सकते हैं—(१) पूर्वकालीन तालव्य श् वाले प्रातिपदिक और (२) उत्तरकालीन तालव्य श् वाले प्रातिपदिक।

पदान्त में तथा भकारादि विभक्तियों से पूर्व पूर्वकालीन तालव्य श् का ट् बनता है, परन्तु दिश् “दिशा” तथा दृश् “दृष्टि” के श् का क् बनता है और स० व० के सु से पूर्व भी क् बनता है। स० व० के सु से पूर्व श् के मूर्धन्यत्व का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। उपलब्ध रूपों के आधार पर विश् के रूप इस प्रकार बनेंगे—

प्रथ० ए० विट् ; द्वि० विशाँ, विशौँ; व० विशः ।

द्विती० ए० विशम् ; द्वि० विशाँ, विशौँ; व० विशः ।

तृ० ए० विशा ; व० विद्भिः ।

च० ए० विशे; व० विड्म्यः ।

चतुर्थोऽध्यायः

प० ए० विशः ।

प० ए० विशः ; व० विशाम् ।

स० ए० विशि ; ब० विशु ।

विशेष—क्रीडश्, ईदश्, अन्यादश् इत्यादि जिन समासों के उत्तरपद में -दश् आता है उन के प्रथ० ए० के रूप में अन्त में कहीं कहीं ड् हो जाता है; पाणिनि के अनुसार प्रथ० ए० की विभक्ति से पूर्व इन को नुम् का आगम हो जाता है^{५२}; यथा—क्रीडड्, ईदड्, सदड् तथा अन्यादड् । परन्तु उत्तरकालीन भाषा में यह प्रवृत्ति कम होती गई है और -दश् के श् का क् मिलता है; यथा—ईदक् (अ०)। निम्नलिखित शकारान्त प्रातिपदिकों के रूप विश की भाँति बनते हैं—

पुं० प्रातिपदिक—स्पश् तथा वि-ष्पश् “गुप्तचर” ।

स्त्री० प्रातिपदिक—पश् “दृष्टि”, विपांश् “व्यास नदी” ।

उपर्युक्त पाँच प्रातिपदिकों को छोड़ कर शेष सब शकारान्त प्रातिपदिकों का अन्तिम श् प्रथ० ए०; स० व० (सु) तथा भकारादि विभक्तियों से पूर्व कण्ठ्य स्पर्श में परिणत हो जाता है ।

द्विवि-स्पृश् “शुलोक का स्पर्श करने वाला” पुं० के निम्नलिखित रूप मिलते हैं—

प्रथ० ए० द्विवि-स्पृक् ; द्वि० द्विवि-स्पृशा ; व० द्विवि-स्पृशः ।

द्विती० ए० द्विवि-स्पृशम् ; द्वि० द्विवि-स्पृशा ।

तृ० ए० द्विवि-स्पृशा ।

च० ए० द्विवि-स्पृशौ ।

प० ए० द्विवि-स्पृशः ।

स० ए० द्विवि-स्पृशि ।

पुरोडाश् के रूप—पुरोडाश् का प्रथ० ए० पुरोडाः बनता है^{५३} । ऋ० में पुरोडाः रूप दो बार मिलता है । द्विती० ए० में इस का साधारण रूप पुरोडाशम् बनता है ।

१२१. षकारान्त प्रातिपदिक—√द्विष् इत्यादि षकारान्त धातुओं से बने हुए कुछ धातुज षकारान्त प्रातिपदिक द्विष् 'द्वेष करने वाला' इत्यादि मिलते हैं और कुछ षकारान्त प्रातिपदिक ऐसे हैं जिन की व्युत्पत्ति पूर्णतया निश्चित नहीं है। इष् 'अन्न' स्त्री०, त्विष् 'आवेश, प्रकाश' स्त्री०, द्विष् 'द्वेष करने वाला या द्वेष' स्त्री० पुं, रिष् 'चोट' स्त्री०, उष् 'उषा' स्त्री०, पृष् 'तृप्ति' स्त्री०, दुष्टष् 'धृष्ट' वि०, इत्यादि षकारान्त प्रातिपदिक स्वतन्त्र रूप से मिलते हैं। परन्तु बहुत से षकारान्त प्रातिपदिक ऐसे हैं जो समासों के उत्तरपद में आते हैं। ऐसे षकारान्त प्रातिपदिक प्रायेण √द्विष् 'द्वेष करना', √ठष् 'सींचना', √सुष् 'चुराना', √धष् 'उत्साह दिखलाना', √वृष् 'वर्षा करना' इत्यादि धातुओं से बने कृदन्त शब्द हैं।

रूप-रचना—प्रथ० ए० तथा स० व० (सु) की विभक्तियों से पूर्व इन प्रातिपदिकों का अन्तिम ष साधारणतया ट् में परिणत हो जाता है और भकारादि विभक्तियों से पूर्व ऐसे ट् का ड् बन जाता है। द्विष् से बने हुए निम्नलिखित रूप मिलते हैं—

प्रथ० ए० द्विद् ; द्वि० द्विषा; व० द्विषः ।

द्विती० ए० द्विषम् ; द्वि० द्विषा; व० द्विषः (३९ बार),

द्विषः (४ बार ऋ० में) ।

तृ० ए० द्विषा ; व० द्विषभिः ।

च० ए० द्विषे ।

पं० ष० ए० द्विषः ; ष० व० द्विषाम् ।

विशेष—दुष्टष् का प्रथ० ए० का रूप दुष्टक् बनता है^{५५}। पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि वेद में दुष्टक् पद कि० वि० के रूप में प्रयुक्त होता है। अन्नक् 'अन्धा' (ऋ० २, १५, ७) पद का समाधान करने के लिये पाश्चात्य विद्वान् अन्नक् (अन् + अक्ष् 'आंख') प्रातिपदिक मान कर पदान्त में संयोगान्त ष का लोप दिखलाते हैं^{५६}।

१२२. सकारान्त प्रातिपदिक—वैदिकभाषा में चालीस से अधिक सकारान्त प्रातिपदिक मिलते हैं और इन में से अधिकतर कृदन्त शब्द हैं। परन्तु

कुछ सकारान्त प्रातिपदिक ऐसे हैं जिन की व्युत्पत्ति पूर्णतया निश्चित नहीं है। अविकार्यज्ञ सकारान्त प्रातिपदिकों को रूपरचना के विचार से निम्नलिखित पांच वर्गों में विभक्त किया जा सकता है— (१) -अस् अन्त वाले प्रातिपदिक, (२) -भास् अन्त वाले प्रातिपदिक, (३) -इस् अन्त वाले प्रातिपदिक, (४) -उस् अन्त वाले प्रातिपदिक, (५) -ओस् अन्त वाले प्रातिपदिक।

(क) -अस् अन्त वाले प्रातिपदिक— -अस् अन्त वाले लगभग सभी प्रातिपदिक नपुं० में प्रयुक्त होते हैं और इन के धातुसम्बन्धी अक्षर पर उदात्त रहता है। परन्तु जब ऐसे सकारान्त प्रातिपदिक समासों के उत्तरपद में विशेषण के रूप में आते हैं, तब नपुं० के अतिरिक्त पुं० तथा स्त्री० में भी इन के रूप बनते हैं; यथा—मनस् “मन” नपुं०, परन्तु सु-मनाः “अच्छे मन वाला” स्त्री० पुं०, सु-मनः “अच्छे मन वाला” नपुं०।

-अस् अन्त वाले कुछ ऐसे पुं० तथा वि० प्रातिपदिक मिलते हैं जिन के अन्तिम अच् पर उदात्त रहता है; यथा—रक्षस् “राक्षस” पुं० (ऋ० तथा अ०); अपस् “कर्मशील” वि० (परन्तु अपस् “कर्म” नपुं०)। अप्सरस् “अप्सरा” तथा उषस् “उषा” स्त्री० प्रातिपदिक भी अन्तोदात्त हैं।

रूप-रचना—नपुं० की प्रथ० तथा द्विती० विभक्तियों के रूपों को छोड़ कर शेष सब विभक्तियों में तीनों लिङ्गों के रूप सर्वथा समान बनते हैं। नपुं० के प्रथ० तथा द्विती० ए० में साधारण नियम के अनुसार विभक्ति (स्) का लोप हो जाता है और द्वि० में ई विभक्ति (पा० ७, १, १९) प्रातिपदिक के साथ जुड़ जाती है। परन्तु प्रथ० तथा द्विती० के व० में इ विभक्ति (पा० ७, १, २०) से पूर्व अङ्ग की उपधा के ञ के साथ न् (पा० ७, १, ७२ जुम्) जोड़ कर ञ का दीर्घ बना दिया जाता है (पा० ६, ४, ८); यथा—मनः, मनसी, मनासि । पुं० तथा स्त्री० में प्रथ० ए० की विभक्ति से पूर्व -अस् अन्त वाले प्रातिपदिक की उपधा के ञ का दीर्घ बन जाता है^{५६}; यथा—रक्षाः “राक्षस”, उषाः।

भकारादि विभक्तियों से पूर्व -अस् का ओ वन जाता है (अनु० ५७);
यथा—अपौभिः । सम्बुद्धि में उपधा-दीर्घत्व नहीं होता है ।

नपुं० प्रातिपदिक—अस् अन्त वाले प्रमुख नपुं० प्रातिपदिक ये हैं—
अंहस् “दुःख”, अञ्जस् “अञ्जन”, अर्नस् “छकड़ा”, अनेहस्
“असपल”, अन्धस् “अन्धकार तथा ओषधि”, अपस् “कर्म”,
अपस् “कर्मशील” वि०, अप्रस् “सम्पत्ति तथा कर्म”, अप्सस् “गुह्याङ्ग”,
अम्भस् “जल”, अयस् “धातु (लोहा)”, अर्णस् “रुधिर”, अर्वस्
“सहायता, अनुग्रह”, आर्गस् “पाप”, आपस् “धार्मिक कृत्य”,
उरस् “छाती”, ऊर्धस् “आपीन”, एर्नस् “पाप”, ओर्कस् “निवास-
स्थान”, ओजस् “बल”, ओहस् “वहन-साधन”, क्षोर्दस् “जलौघ”,
चर्नस् “आनन्द”, चेतस् “चेतना, बुद्धि”, चक्षस् “कान्ति”, छन्दस्
“छन्द”, जवस् “शीघ्र-गति”, जहस् “मार्ग”, जुवस् “शीघ्रता”,
तपस् “गमी”, तमस् “अन्धकार”, तरस् “शीघ्र-गति”, तेजस्
“तेज”, दंसस् “अद्भुत शक्ति या कर्म”, दुवस् “उपासना”,
द्रविणस् “घन”, द्वेषस् “द्वेष”, नभस् “नभ”, नमस् “नमस्कार”,
पक्षस् “पक्ष”, पयस् “दुग्ध”, पाजस् “बल”, पार्थस् “स्थान”,
पीवस् “चर्वी”, पेशस् “अलङ्कार”, प्रयस् “उपभोग”, भर्गस् “तेज”,
मयस् “प्रसन्नता”, महस् “महत्ता”, महस् “बड़ा”, मृधस् “शुद्ध,
घृणा”, मेदस् “चर्वी”, यशस् “यश”, रजस् “अन्तरिक्ष, लोक”,
रपस् “चोट, रोग”, रभस् “बल, साहस”, रार्धस् “दान, अनुग्रह”,
रेक्णस् “घन”, रेतस् “प्रसवण”, रेपस् “कलङ्क”, रोर्धस् “किनारा”,
वक्षस् “छाती”, वचस् “वाणी”, वयस् “पक्षी, भोजन”, वरिवस्
“स्थान”, वर्चस् “तेज”, वर्षस् “रूप”, वासस् “वस्त्र”, वाहस्
“हविः”, वेदस् “घन”, वेपस् “कम्पन”, व्यचस् “विस्तार”,
शार्धस् “सेना, समूह”, शर्वस् “बल”, शिरस् “सिर”, शेषस्
“सन्तति”, श्रवस् “कीर्ति”, सदस् “स्थान”, सनस् “प्राप्ति”, सरस्
“सरोवर”, सहस् “बल”, स्रोतस् “जलधारा”, हरस् “ज्वाला”,
हेल्स् “क्रोध, घृणा”, हेपस् “शक्ति”, हरस् “कुटिलता” ।

अपस् “कर्म” नपुं० तथा अपस् “कर्मशील” पुं० स्त्री० वि० के रूप—

चतुर्थोऽध्यायः

इन के उपलब्ध रूप इस प्रकार बनते हैं—

प्रथ० ए० अ॒पः, अ॒पाः; द्वि० अ॒प॒सी, अ॒प॒सा, अ॒प॒सौ;
व० अ॒पांसि, अ॒प॒सः ।

सम्बुद्धि अ॒पः ।

द्विती० ए० अ॒पः, अ॒प॒सम्; द्वि० तथा व० प्रथ० के समान ।

तृ० ए० अ॒प॒सा, अ॒प॒सा; व० अ॒पोभिः, अ॒पोभिः ।

च० ए० अ॒प॒से, अ॒प॒से; द्वि० अ॒पोभ्याम्;

व० अ॒पोभ्यः, अ॒पोभ्यः ।

पं० ए० अ॒प॒सः, अ॒प॒सः ।

ष० द्वि० अ॒प॒सोः; व० अ॒प॒साम्, अ॒प॒साम् ।

स० ए० अ॒प॒सि, अ॒प॒सि; व० अ॒प॒स्सु, अ॒प॒स्सु ।

विशेष—प्रथ० द्विती० ए० में कतिपय नपुं० प्रातिपदिकों की उपधा के अ का दीर्घ रूप मिलता है^{५०}; यथा—देव-व्यंचाः (ब॒र्हिः ऋ० ३, ४, ४), द्वि-बर्हिः (व॒यः ऋ० १, ७१, ६), वीर-पेशाः (द्रा॒विणम् ऋ० ४, ११, ३), गूर्त-वंचाः (ब॒र्हः ऋ० १०, ६१, १); उर्णम्रदाः (ब॒र्हिः ऋ० ५, ५, ४), विश्व-व्यंचाः (श॒र्म अ० ६, ७, १५), सुप्रथाः (श॒र्म वा० सं० १८, ५४), विष्प॑र्धाः (छ॒न्दः वा० सं० १५, ५), सुमनाः (तै० सं० ४, ५, १, २) । ऐसे सब रूप समासों के उत्तरपद में मिलते हैं और पाश्चात्य विद्वानों ने इस के लिये अनेक समाधान सुझाये हैं । एक समाधान यह है कि पुं० रूपों के प्रभाव से ऐसे रूप नपुं० में आये हैं और दूसरा समाधान यह है कि ऐसे रूप वास्तव में आकारान्त हैं और इन के अन्त में विसर्ग लुप्त है । ये समाधान विद्वानों को स्वीकार्य नहीं हैं ।

पुं० प्रातिपदिक—अस् अन्त वाले अधिकतर पुं० प्रातिपदिक विशेषण हैं ।

अस् अन्त वाले प्रमुख पुं० प्रातिपदिक ये हैं—अक्षि॑रस् (अग्नि का एक नाम), द॒र्म॒नस् “शृणु”, नो॒धस् (एक ऋषि का नाम), य॒दास् “यशस्वी”, वे॒धस् “विधाता”, ज्ञा॒त-वे॒दस् “प्राणियों को जानने वाला” (अग्नि), प्र॒चे॒तस् “सावधान”, रि॒षा॒र्दस् “शत्रुनाशक”, सु॒म॒न॒स्

“अच्छे मन वाला”, भियस् “डर”, परीणस् “प्रभृति”, दुवस् “उपासक”, तोशस् “वर्षक?”, सजोषस् “संयुक्त” । अनेक पाश्चात्य विद्वान् चन्द्रमस को चन्द्र तथा मास् का समास मानते हैं^{५८} ।

विशेष—प्रथ० द्वि० में तोशस् की उपधा का दीर्घ हो जाता है; यथा—तोशासा (ऋ० ८, ३८, २) । उशनस् (एक ऋषि का नाम), अनेहस् “असपत्न” तथा पुरु-दंसस् “बहुत से अद्भुत कर्मों वाला” के प्रथ० ए० में अङ्ग तथा विभक्ति के स् का लोप माना जाता है^{५९}; यथा—उशाना (ऋ०, तै० सं०), अनेहा (ऋ० १०, ६१, १२) । पुरुदंसा रूप द्वि० में अवश्य मिलता है (दे० ऋ० ७, ७३, १) जिसे प्रासमैन पुरुदंस प्रातिपदिक का रूप मानता है । परन्तु प्रथ० ए० में इस का कोई रूप उपलब्ध नहीं होता है । द्विती० ए० में पुरुदंसम् (ऋ०, वा० सं०) रूप मिलता है । स्ववस् “धनवान्” तथा स्वतवस् “स्वयं शक्तिमान्” के प्रथ० ए० के रूप क्रमशः स्ववान् तथा स्वतवान् बनते हैं और च० व० में स्वतवद्भ्यः (वा० सं० २४, १६) रूप मिलता है^{६०} । प्रथ० व०, द्विती० ए०, द्विती० व०, तृ० ए० इत्यादि अजादि विभक्तियों से पूर्व वेद में कतिपय प्रातिपदिकों के अन्तिम स् का लोप माना जाता है^{६१}; यथा—वेधस् का द्विती० ए० वेधाम् (ऋ० ९, २६, ३); महस् का द्विती० ए० महाम् ; नवेदस् “ज्ञाता” का प्रथ० व० नवेदाः (ऋ० १, १६५, १३); सजोषस् का प्रथ० व० सजोषाः; अङ्गिरस् का प्रथ० व० अङ्गिराः (ऋ० १, ८३, ४) । सर्वनामस्थान (Strong cases) से पूर्व उक्थशस् “स्तोत्र कहने वाला” की उपधा के थ का दीर्घ बन जाता है^{६२}; यथा—उक्थशासम् (ऋ० १०, १०७, ६), उक्थशासा (ऋ० २, ३९, १); उक्थशासः (ऋ० ४, २, १६) । परन्तु पपा० में सर्वत्र उपधादीर्घ का अभाव दिखलाया गया है । इस लिये कतिपय विद्वान् इसे छान्दसदीर्घत्व मानते हैं ।

स्त्री० प्रातिपदिक—स्त्री० में प्रयुक्त होने वाले प्रातिपदिक नपुं० तथा पुं० की तुलना में बहुत कम हैं । प्रमुख स्त्री० प्रातिपदिक ये हैं—आशास् “आशा”, उपास् “उपा”, अप्सरस् “अप्सरा”, सुपेशस् “अच्छी

प्रकार अलंकृत”, ध्वस् “ठगने वाली”, जस् “बुढापा”, वृषस् “वृद्धि” । स्त्री० में प्रयुक्त होने वाले अधिकतर प्रातिपदिक विशेषणात्मक (बहुव्रीहि) समास हैं; यथा—अरेपस् “निष्कलङ्क”, ऊर्ण-म्रदस् “ऊन के समान मृदु” इत्यादि ।

विशेष—ऋ० में द्विती० ए०, प्रथ० द्विती० द्वि० तथा प्रथ० व० के कुछ रूपों में उपस् की उपधा का दीर्घ मिलता है; यथा—उपासम् (११ वार) तथा उपसम् (३३ वार); उपासा (३ वार) तथा उषसा (४ वार), उषासः (१४ वार) तथा उपससः (४१ वार) । परन्तु पदपाठ में सर्वत्र उपधादीर्घत्व का अभाव दिखलाया गया है । एक बार प० ए० में उपधादीर्घत्व मिलता है; यथा—उषासः (ऋ० १०, ३९, १), परन्तु पपा० उपससः । पाश्चात्य विद्वान् इस उपधादीर्घत्व को छान्दस (Metrical) मानते हैं^{१३} । भकारादि विभक्तियों से पूर्व उपस् के स् का द् वन जाता है (दे० अनु० ७८); यथा—उपस् + मिः = उपमिः (ऋ० १, ९, ३) ।

कतिपय पाश्चात्य विद्वान् आशाम् (द्विती० ए०), उपाम् (द्विती० ए०), जुराम् (द्विती० ए०), अप्सुराम् (द्विती० ए०), उपाः (द्विती० व० ऋ० ९, ४१, ५) इत्यादि रूपों में प्रातिपदिक के स् का लोप मानते हैं^{१४}, परन्तु प्रासमैन प्रमृति विद्वान् इन रूपों में आकारान्त प्रातिपदिक की कल्पना करते हैं^{१५} ।

(ख) -आस् अन्त वाले प्रातिपदिक—आस् अन्त वाले प्रातिपदिक बहुत थोड़े हैं । मास् “मास” को छोड़ कर अन्य प्रातिपदिकों के रूप बहुत कम मिलते हैं ।

पुं० प्रातिपदिक—प्रमुख पुं० प्रातिपदिक ये हैं—शास् “ज्ञाति”, मास् “मास”, शास् “शासक”, सुद्रास् “अच्छा दाता”, अयास् “गमनशील” वि०, सुभास् “अच्छी प्रकार चमकने वाला” । मास् से बने हुए निम्नलिखित रूप मिलते हैं—

प्रथ० ए० माः ; द्वि० मासा; व० मासः ।

द्विती० ए० मासम् ; द्वि० मासा; व० मासः ।

तृ० ए० मासा; व० माद्भिः ।

च० ए० मासे; व० माद्भ्यः (अ०) ।

पं० ए० मासः; व० माद्भ्यः (अ०) ।

ष० ए० मासः; द्वि० मासोः; व० मासाम् ।

स० ए० मासि; द्वि० मासोः (अ०, तै० सं०); व० मास्तु (अ०) ।

विशेष—भकारादि विभक्तियों से पूर्व मास् का स् द् में परिणत हो जाता है (दे० अनु० ७८) । पा० (६, १, ६३) के मतानुसार, शस्प्रभृति विभक्तियों से पूर्व मास् प्रातिपदिक का मास् बनता है । परन्तु आधुनिक विद्वानों के मतानुसार मास् प्रातिपदिक प्राचीनतर है और कालान्तर में मास् ने इस का स्थान ग्रहण कर लिया^{६६} ।

स्त्री० प्रातिपदिक—अज्ञास् “ज्ञाति-हीन”, कास् “खांसी” ।

विशेष—वेदों में नासिकावाचक नस् तथा नास् से बने हुए रूप मिलते हैं । प्रासमैन ने अपने कोश में नस् तथा नासा प्रातिपदिक माने हैं । कतिपय विद्वान् नास् प्रातिपदिक को स्वीकार करके नस् को उस का अशक्ताङ्ग (Weak stem) मानते हैं^{६७} । द्विटने नस् प्रातिपदिक मान कर रूपों का समाधान करता है^{६८} । पा० ६, १, ६३ के अनुसार शस्प्रभृति विभक्तियों से पूर्व नासिका के स्थान पर नस् आता है ।

नपुं० प्रातिपदिक—भास् “प्रकाश”, मास् “मांस”^{६९}, आस् “मुख” । इन से बने हुए निम्नलिखित रूप मिलते हैं और तृ० ए० प्रभृति विभक्तियों में मुखवाचक आसन् शब्द के रूप भास् तथा आस्य के रूपों के पूरक हैं^{७०}—

प्रथ० ए० भाः, माः ।

तृ० ए० भासा, आसा, आसा ।

च० ए० भासे, आसे ।

पं० ए० भासः, आसः ।

स० ए० आसनि, आसन् ।

(ग) -इस् अन्त वाले प्रातिपदिक—इस् अन्त वाले अधिकतर प्रातिपदिक नपुं० में मिलते हैं और विशेषणात्मक (वहुव्रीहि) समासों के

उत्तरपद में आने वाले कतिपय प्रातिपदिक पुं० में प्रयुक्त होते हैं। केवल आशिस् “आशीर्वाद” तथा स्व-शौचिस् “स्वयं ज्वलित” के रूप स्त्री० में बनते हैं। यद्यपि आशिस् का अन्तिम -इस् प्रत्यय का नहीं है और ✓शास् धातु की उपधा के विकार से बना है, तथापि -इस् अन्त वाले प्रातिपदिकों से रूपसाम्य है। प्रथ० ए० तथा स० व० में और भकारादि विभक्तियों से पूर्व इस की उपधा का अच् दीर्घ हो जाता है (दे० टि० ४०) और भकारादि विभक्तियों से पूर्व स् का र बन जाता है; यथा—प्रथ० ए० आशीः, आशीर्भिः, आशीःषु (टि० ४१)। शेष रूप साधारण हैं; यथा—आशिषम्, आशिषा, आशिषः, आशिषाम्।

पुं० प्रातिपदिक—पुं० में प्रायेण बहुव्रीहि समास से बने प्रातिपदिक है जिन के उत्तरपद में ज्योतिस्, शोचिस्, बृहिस् इत्यादि शब्द आते हैं; यथा—चित्र-ज्योतिस् “चमकती हुई ज्योति वाला”, शुक्र-शौचिस् “श्वेत ज्वाला वाला”, जीव-बृहिस् “ताज़ा बृहिम् वाला” इत्यादि।

अजादि विभक्तियों से पूर्व प्रातिपदिक के अन्तिम स् का ष बन जाता है, भकारादि विभक्तियों से पूर्व स् का र बन जाता है और स० व० में प्रातिपदिक के अन्तिम स् का ष और विभक्ति के सु का षु बन जाता है; यथा—प्रथ० ए० शुक्र-शौचिः; द्विती० ए० शुक्र-शौचिषम्; च० व० ऊर्ध्व-बृहिर्भ्यः।

नपुं० प्रातिपदिक—प्रमुख नपुं० प्रातिपदिक ये हैं—अर्चिस् “ज्वाला”, क्रुचिस् “कच्चा मांस”, छुदिस् “आच्छादन”, छुदिस् “धाड़”, ज्योतिस् “प्रकाश”, वृतिस् “घेरा या घर”, व्यथिस् “मार्ग”, शोचिस् “ज्वाला”, सृपिस् “पिघला हुआ घी”, हृविस् “यज्ञिय द्रव्य”, बृहिस् “यज्ञिय घास”।

प्रथ० द्विती० द्वि० तथा व० और द्विती० ए० को छोड़ कर शेष विभक्तियों में नपुं० तथा पुं० के रूप समान बनते हैं। उपलब्ध रूपों के आधार पर शोचिस् नपुं० के रूप इस प्रकार बनेंगे—

प्रथ० द्विती० ए० शोचिः; च० शोचिर्भिः।
तृ० ए० शोचिषा; य० शोचिर्भिः।

च० ए० शोचिषे; व० शोचिभ्यैः ।

पं० ष० ए० शोचिषः; ष० व० शोचिषाम् ।

स० ए० शोचिषि; व० शोचिषु ।

(घ) -उस् अन्त वाले प्रातिपदिक—उस् अन्त वाले प्रातिपदिक अधिकतर नपुं० में प्रयुक्त होते हैं और बहुव्रीहि समासों के उत्तरपद में आने वाले अनेक नपुं० प्रातिपदिकों का प्रयोग पुं० में भी होता है । पुं० में कतिपय कृदन्त प्रातिपदिक भी मिलते हैं । बहुव्रीहि समासों के उत्तरपद में आने वाले कुछ प्रातिपदिकों के रूप स्त्री० में चलते हैं । अरुस्, चक्षुस्, तपुस्, वपुस् ये चार नपुं० प्रातिपदिक पुं० विशेषणों के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं । जनुस् पुं० तथा नपुं० में आता है ।

-उस् अन्त वाले प्रातिपदिकों के रूप सर्वथा -इस् अन्त वाले प्रातिपदिकों के सदृश बनते हैं । अजादि विभक्ति तथा स० व० (सु) से पूर्व स् का ष् बनता है और भकारादि विभक्तियों से पूर्व इस का इ बनता है । नपुं० प्रथ० द्विती० द्वि० तथा व० और द्विती० ए० को छोड़ कर शेष विभक्तियों में तीनों लिङ्गों के रूप समान बनते हैं ।

स्वर-भेद—नपुं० के कृदन्त प्रातिपदिकों का उदात्त जनुस् “जन्म” को छोड़ कर शेष सब में धातुसम्बन्धी अक्षर पर रहता है । नहुस् तथा मनुस् को छोड़ कर शेष पुं० प्रातिपदिकों का उदात्त प्रत्यय के अक्षर पर रहता है ।

पुं० प्रातिपदिक—प्रमुख पुं० प्रातिपदिक ये हैं—चक्षुस् “देखने वाला” वि०, वपुस् “सुन्दर” वि०, विदुस् “सावधान” (यह उकारान्त प्रातिपदिक भी हो सकता है), जनुस् “जन्म”, तपुस् “गर्म” वि०, वनुस् “उत्सुक” वि०, नहुस् “पड़ोसी”, मनुस् “मनुष्य”, जयुस् “विजयी” । -आयुस् उत्तरपद वाले अनेक बहुव्रीहि समास पुं० में प्रयुक्त होते हैं; यथा—द्विर्घायुस् “दीर्घ आयु वाला”, शतायुस् “सौ वर्ष की आयु वाला” इत्यादि ।

स्त्री० प्रातिपदिक—स्त्री० में निम्नलिखित दो विशेषण तथा चार बहुव्रीहि समास मिलते हैं—चक्षुस् “देखने वाली”, तपुस् “गर्म”, अघोरचक्षुस्

“वह स्त्री जिस की दृष्टि घोर नहीं है”, चित्रायुस् (कन्या) “विचित्र जीवनशक्ति वाली”, इदेचक्षुस् (श्रेणि: ऋ० १०, १५, ६) “सरोवर में प्रतिचिम्बित?”, गोवपुस् “गायों की आकृति वाली”।

नपुं० प्रातिपदिक—प्रमुख नपुं० प्रातिपदिक ये हैं—अरुस् “घाव”, आयुस् “आयु”, चक्षुस् “आंख”, जनुस् “जन्म”, तपुस् “गर्मी”, धनुस् “धनुष”, परुस् “जोड़”, यजुस् “यजन, यजुर्वेद का मन्त्र”, वपुस् “सुन्दरता”, शसुस् “आज्ञा”, तरुस् “श्रेष्ठता”।

उपलब्ध रूपों के आधार पर चक्षुस् के रूप इस प्रकार बनेंगे—

प्रथ० द्विती० ए० चक्षुः, द्वि० चक्षुषी; व० चक्षुषि।

तृ० ए० चक्षुषा; व० चक्षुषिः।

च० ए० चक्षुषे; द्वि० चक्षुष्याम्; व० चक्षुष्यः।

पं० ए० चक्षुषः।

प० ए० चक्षुषः; व० चक्षुषाम्।

स० ए० चक्षुषि।

(ङ्) -ओस् अन्त वाले प्रातिपदिक—दोस् “बाहु” तथा योस् “कन्याण” इन दो नपुं० प्रातिपदिकों के अन्त में -ओस् मिलता है। योस् का केवल प्रथ० ए० का रूप मिलता है। इसलिये कतिपय विद्वान् इसे अव्यय मानते हैं। यद्यपि कतिपय भारतीय व्याकरणों में टोपन् को दोप प्रातिपदिक का आदेश माना गया है^१, तथापि कैयट तथा आधुनिक विद्वान् टोपन् को दोस् का पूरक मानते हैं^२। दोस् तथा टोपन् से बने हुए निम्नलिखित रूप उपलब्ध होते हैं—

प्रथ० द्विती० ए० दोः (ऋ०, शत० ब्रा०); द्वि० दोषी (कौशि०),
टोपणी (अ०, मै० सं०, ऐ० ब्रा०)।

तृ० ए० दोष्णा (राजतरंगिणी ४, ४८१); द्वि० दोष्याम् (चा०
गं० २५, ३); व० दोषिः (मालविकाग्निमित्र)।

च० द्वि० टोप्याम् (त्रै० सं० ७, ३, १६, २)।

प० ए० टोष्णाः (गत० ब्रा० ३, ८, ३, १७);

द्वि० टोष्णोः (राजतरंगिणी)।

स० ए० दोषिण (राजतरंगिणी), दोषणि- (अ० में अलुक् समास);

व० दोःपु (भा० पुरा० १, १५, १६) ।

१२३. हकारान्त प्रातिपदिक—वैदिक भाषा में लगभग ८० हकारान्त प्रातिपदिकों के रूप मिलते हैं। आठ एकाच् प्रातिपदिकों को छोड़ कर शेष सभी हकारान्त प्रातिपदिक समास हैं और अधिकतर समासों के उत्तरपद में √बुह्, √वह् तथा √सह् धातुओं से बने हुए कृदन्त रूप मिलते हैं। अकेले √सह् धातु के योग से बनने वाले समासों की संख्या ३० से अधिक है। यद्यपि हकारान्त प्रातिपदिकों के रूप तीनों लिङ्गों में मिलते हैं, तथापि नपुं० प्रातिपदिकों की संख्या अत्यल्प है। पुरुस्पृह् “बहुत वाञ्छित या बहुत जनों द्वारा वाञ्छित” और मह् “बड़ा” इन दो प्रातिपदिकों के रूप नपुं० में मिलते हैं।

पूर्वोक्त नियम (दे० अनु० २५, ७३) के अनुसार पदान्त में तथा झलादि विभक्ति से पूर्व पूर्वकालीन तालव्य ह् का ह् और उत्तरकालीन तालव्य ह् का घ् बनता है; यथा—तुराषाट् (प्रथ० ए०), पुरुस्पृक् (प्रथ० ए०) ।

√वह् से बने हुए प्रातिपदिकों के लगभग सभी रूपों में और √सह् से बने हुए प्रातिपदिकों के कुछ रूपों में इन की उपधा के झ का दीर्घ हो जाता है^{१३}, और उपधादीर्घत्व होने पर प्रथ० ए० में और कहीं कहीं अन्यत्र सह् के स् का प् बन जाता है^{१४}; यथा—हव्यवाट् (प्रथ० ए०), हव्यवाहम् (द्विती० ए०), वाहै (च० ए०), सत्राषाट् (प्रथ० ए०), सत्राषाहम् (द्विती० ए०), पृत्तनाषाहम् (द्विती० ए०); परन्तु सदासहम् (द्विती० ए०) । परन्तु पदपाठ में √वह् से बने हुए प्रातिपदिकों के सब रूपों का उपधादीर्घत्व (वाह्-) दिखलाया गया है, जबकि √सह् से बने हुए प्रातिपदिकों के रूपों की उपधा का अच् (प्रथ० ए० को छोड़ कर) सर्वत्र हस्व (सह्-) दिखलाया गया है।

मैक्डानल का यह मत पूर्णतया ग्राह्य नहीं है कि -वह् तथा -सह् जिन समासों के उत्तरपद में आते हैं उन समास-प्रातिपदिकों में शक्ताङ्ग (Strong stem) तथा अशक्ताङ्ग (Weak stem) का भेद होता है

और सर्वनामस्थान (Strong cases) से पूर्व -वह् तथा -सह् की उपधा का अ दीर्घ हो जाता है^{५५} । वस्तुतः इन प्रातिपदिकों के विषय में शक्ताङ्ग तथा अशक्ताङ्ग का सिद्धान्त लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि कतिपय रूपों में सर्वनाम-स्थान (Strong cases) से पूर्व उपधादीर्घत्व का अभाव और असर्वनामस्थान (Weak cases) से पूर्व उपधादीर्घत्व मिलता है; यथा—प्रासहम्, विभ्वासहम् (द्विती० ए०), सत्रासाहं (च० ए०) । अत एव उक्त सिद्धान्त के आधार पर मैक्डानल द्वारा प्रदर्शित सह् प्रातिपदिक के अधोलिखित रूप पूर्णतया स्वीकार नहीं किये जा सकते^{५६}, क्योंकि वैदिक वाङ्मय में सह् के इन सब रूपों का अस्तित्व नहीं है और केवल कुछेक रूप मिलते हैं—

मैक्डानल द्वारा प्रदर्शित सह् के रूप^{५७}

प्रथ० तथा सम्बोधन ए० पुं० स्त्री० षाट्; द्वि० पुं० स्त्री० साहा, साहौ;

द्वि० नपुं० सही; व० पुं० स्त्री० साहः ।

द्विती० ए० पुं० स्त्री० साहम्; द्वि० पुं० स्त्री० साहा, साहौ; नपुं० द्वि०

सही; व० पुं० सहः, सहः; व० स्त्री० सहः ।

तृ० ए० सहा ।

च० ए० सहे; व० पृङ्म्यः ।

पं० प० ए० सहः; प० व० सहाम् ।

स० ए० सहि; व० पट्सु ।

√दह्, √दुह्, √द्रुह् इत्यादि दकारादि धातुओं से बने हकारान्त प्रातिपदिकों का धातुसम्बन्धी द् प्रथ० ए० में ध्-वन जाता है (दे० अनु० ७२); यथा—उशर्दह्, गोदुह् तथा अभिद्रुह् का प्रथ० ए० कमशः उशर्धक्, गोधुक् तथा अभिधुक् बनता है ।

पुं० प्रातिपदिक—प्रमुरा पुं० प्रातिपदिक ये हैं—वाह् “वहन करने वाला”, सह् “शत्रुओं को जीतने वाला”, अभीपाह् “अधीन करने वाला”, विद्रवा-साह् “सब को अधीन करने वाला”, सत्रासाह् “सदा अधीन करने वाला”, पृतना-साह् “शत्रु-सेना को अधीन करने वाला”, रथा-सह् “रथ को रींचने वाला”, गोदुह् “गाय का दोहन करने वाला”,

उश्रदह् “उत्सुकता से जलता हुआ”, अभिद्रुह् “द्रोह करने वाला”, ह्व्य-वाह् “हवि का वहन करने वाला (अग्नि)”, इन्द्र-वाह् “इन्द्र का वहन करने वाला” ।

विशेष—पा० के अनुसार श्वेतवह् “इन्द्र” का प्रथ० ए० श्वेतवाः बनता है (दे० टि० ५३) । पा० ३, २, ७१ पर महाभाष्य के अनुसार इस के अन्य रूप श्वेतवाहौ, श्वेतवाहः, श्वेतवोभ्याम्, श्वेतवोभिः दिखलाये गये हैं । परन्तु इन रूपों के वैदिक उदाहरण मृग्य हैं ।

स्त्री० प्रातिपदिक—प्रमुख स्त्री० प्रातिपदिक ये हैं—उष्णिह् (एक छन्द का नाम), गुह् “छिपने का स्थान”, द्रुह् “शत्रु. राक्षस” (इस के कुछ प्रयोग पुं० के प्रतीत होते हैं), नह् “बन्धन”, निह् “हनन करने वाली?”, मिह् “धुन्ध, वर्षा”, रुह् “अङ्कुर”, सब्रुह् “अमृत का दोहन करने वाली”, उपानह् “जूती”, पुरीणह् “घेरा”, मनोमुह् “मन को मुग्ध करने वाली”, प्रासह् “शक्ति” । सरह् प्रातिपदिक के विषय में देखिये अनु० १०५ ।

विशेष—प्रथ० ए० तथा स० व० में नह् के ह् का व् बन जाता है और भकारादि विभक्तियों से पूर्व इस का ह् ड् में परिणत हो जाता है^६; यथा—उपानव् (वैखा० शृ० सू०); च० व० नद्भ्यः (ऋ० १०, ६०, ६); पुरीणव् (तै० आ० ५, १, १) “स्थान-विशेष का नाम”, उपानद्भ्याम् (ला० श्रौ०) ।

मह् प्रातिपदिक के रूप—मह् “महान्, शक्तिशाली” विशेषण के रूप तीनों लिङ्गों में बनते हैं और पुं० तथा नपुं० में कहीं-कहीं अकारान्त प्रातिपदिक मह् के रूप भी इसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं । स्त्री० में प्रायेण मह् का मुही बन जाता है और ऋ० में मुही से बने हुए बहुत से रूप मिलते हैं । धीरे-धीरे मह् प्रातिपदिक का हास होता गया और उत्तरकालीन भाषा में यह प्रातिपदिक छुप्तप्राय हो गया । मह् के निम्नलिखित रूप मिलते हैं—

प्रथ० द्वि० मुही (ऋ० १, १२१, ११)^७; व० महः (पुं०) ।

द्विती० द्वि० मुही (ऋ० ६, ६८, ३)^८; व० महः (पुं०) ।

चतुर्थाऽध्यायः

तृ० ए० म॒हा (स्त्री० नपुं०) ।

च० ए० म॒हे (पुं० स्त्री० नपुं०) ।

पं० ए० म॒हः (पुं० नपुं०) ।

प० ए० म॒हः (पुं० नपुं०) ; व० म॒हाम् (पुं०) ।

ख. विकार्यङ्ग हलन्त प्रातिपदिक

१२४. यद्यपि अविकार्यङ्ग हलन्त प्रातिपदिकों के वर्णन में प्रसङ्गवश कुछ विकार्यङ्ग हलन्त प्रातिपदिकों के रूपों का गौण विवेचन अनिवार्य है, तथापि वहां पर सब विकार्यङ्ग हलन्त प्रातिपदिकों के रूपों का विस्तृत विवेचन वाञ्छनीय नहीं है। अत एव यहां पर विकार्यङ्ग हलन्त प्रातिपदिकों के रूपों का पृथक् विवेचन किया जायगा।

(क) विकार्यङ्ग हलन्त प्रातिपदिकों का वर्गीकरण—सब विकार्यङ्ग हलन्त प्रातिपदिकों को दो मुख्य श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—(१) वे विकार्यङ्ग हलन्त प्रातिपदिक जिन के अङ्ग में होने वाले विकार व्यापक नियमों का अनुसरण करते हैं; यथा—-अत्, -वत्, -मत्, -अन्, -इन्, -यस् (पा० ईयसुन्), -वस् तथा -अब्च् अन्त वाले प्रातिपदिक (२) वे विकार्यङ्ग हलन्त प्रातिपदिक जिन के अङ्ग में होने वाले विशेष विकार किसी नियम के अधीन नहीं आते हैं और प्रातिपदिकविशेष तक सीमित हैं; यथा—अनुड्वह् (पा० अनुड्वह्), पुंस इत्यादि। हम यहां पर सर्वप्रथम उन प्रातिपदिकों के रूपों का वर्णन करेंगे जिन के अङ्ग में नियमपूर्वक विकार होते हैं, और तदनन्तर अन्य प्रातिपदिकों का विवेचन किया जायगा।

(ख) नियमित अङ्गविकारों का वर्गीकरण—विकार्यङ्ग हलन्त प्रातिपदिकों के अङ्गों में नियमपूर्वक होने वाले विकारों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—(१) सर्वनामस्थान (Strong cases) से पूर्व होने वाले विकार जिन के अनुसार शक्ताङ्ग (Strong stem) तथा अशक्ताङ्ग (Weak stem) का भेद किया जाता है; (२) अमर्यनामस्थान या अशक्त विभक्तियों (Weak cases) से पूर्व होने वाले विकार; (३) अशक्त अजादि विभक्तियों से पूर्व भसंशक्त

या अत्यशक्त अङ्ग (Weakest case) में होने वाले विकार (दे० अनु० १०१)। उपर्युक्त वर्गीकरण के अनुसार जिन प्रातिपदिकों के अङ्ग में केवल सर्वनामस्थान से पूर्व विकार होता है उन के दो प्रकार के अङ्ग (शक्ताङ्ग तथा अशक्ताङ्ग) बनते हैं। इस लिये उन्हें द्व्यङ्गप्रातिपदिक कह सकते हैं। जिन प्रातिपदिकों के तीन प्रकार के अङ्ग (शक्ताङ्ग, अशक्ताङ्ग तथा अत्यशक्ताङ्ग) बनते हैं उन्हें त्र्यङ्गप्रातिपदिक कह सकते हैं। द्व्यङ्गप्रातिपदिकों के कुछ उदाहरण अविकार्यङ्ग हलन्त प्रातिपदिकों के वर्णन में भी प्रस्तुत किये गये हैं। परन्तु वहां पर उन का वर्णन पूर्णतया गौण है।

द्व्यङ्गप्रातिपदिक

जिन प्रातिपदिकों के अन्त में -अत् (पा० शतृ), -वत्, -मत्, -इन्, या -यस् (पा० ईयसुन्) आए उन के अङ्ग में शक्त तथा अशक्त का भेद दृष्टिगोचर होता है।

१२५. -अत् (शतृ) अन्त वाले प्रातिपदिक—ऐसे प्रातिपदिकों के अन्त में -अत् (पा० शतृ) कृतप्रत्यय आता है और इन के रूप केवल पुं० तथा नपुं० में बनते हैं। स्त्री० में ऐसे प्रातिपदिकों के आगे स्त्रीत्व-वाचक ई (पा० ङीप्) प्रत्यय जोड़ कर ईकारान्त प्रातिपदिकों के समान रूप बनाये जाते हैं। प्रथ० तथा द्विती० को छोड़ कर शेष सब विभक्तियों में पुं० तथा नपुं० के रूप सर्वथा समान बनते हैं।

शक्ताङ्ग की विशेषता—सर्वनामस्थान से पूर्व शक्ताङ्ग की उपधा के आगे न् आगम जोड़ दिया जाता है^{६०}; यथा—अदत् का द्विती० ए० अदन्तम्। अशक्त विभक्तियों से पूर्व प्रातिपदिक के अङ्ग में कोई विकार नहीं होता है; यथा—स० व० अदत्सु।

स्वरचैशिष्ट्य—जिन प्रातिपदिकों के प्रत्ययसम्बन्धी अन्तिम अच् पर उदात्त रहता है उन का उदात्त असर्वनामस्थान की अजादि विभक्तियों के अच् पर चला जाता है; यथा—अदत् का तृ० ए० अदुत्ता। उपलब्ध रूपों के आधार पर अदत् के रूप इस प्रकार बनेंगे—

अदत् “भक्षण करता हुआ” के पुं० रूप
प्रथ० ए० अदन् ; द्वि० अदन्ता, अदन्तौ; व० अदन्तः।

सम्बो० ए० अदन्; द्वि० अदन्ता, अदन्तौ; व० अदन्तः ।
 द्विती० ए० अदन्तम्; द्वि० अदन्ता, अदन्तौ; व० अदन्तः ।
 वृ० ए० अदन्ता; व० अदन्तिः ।
 च० ए० अदन्ते; द्वि० अदद्भ्याम्; व० अदद्भ्यः ।
 पं० ए० अदन्तः; व० अदद्भ्यः ।
 ष० ए० अदन्तः; द्वि० अदन्तो; व० अदन्ताम् ।
 स० ए० अदन्ति; व० अदन्सु ।

नपुं० रूप

प्रथ० द्विती० ए० अदन्; द्वि० अदन्ती; व० अदन्ति ।

२. य शत्रन्त प्रातिपदिक—जिन प्रातिपदिकों के रूप अदन् के सदृश बनते हैं उनमें से कुछ प्रमुख प्रातिपदिक ये हैं—अर्चन्, इच्छन्, कृण्वन्, करिष्यन्, घ्नन् (√हन), सन् (√अस्), ज्ञानन् (√ज्ञा), जनयन्, सीदन् (√सिद्), सुन्वन् (√सु), शृण्वन् (√श्रु) ।

३. अत् अन्त वाले वि० प्रातिपदिक—ऋहत् “दुर्बल”, पृषत्, बृहत्, रशत् “प्रकाशमान” इत्यादि विशेषणों के रूप भी इसी प्रकार बनते हैं । पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि मूलतः ये विशेषण भी शत्रन्त प्रातिपदिक थे, परन्तु कालान्तर में इन के शत्रु-विषयक अर्थ का लोप हो गया ।

मृहत् के रूप—पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार मूलतः मृहत् भी √मृह (मूल √मृष्) धातु से बना हुआ शत्रन्त प्रातिपदिक था, परन्तु इस के रूपों में कुछ विशेषता आ गई । सर्वनामस्थान से पूर्व मृहत् की उपधा का अ दीर्घ हो जाता है^{६१}, परन्तु सम्बुद्धि में उपधादीर्घत्व नहीं होता है । मृहत् के निम्नलिखित पुं० रूप मिलते हैं—

प्रथ० ए० मृहान्; द्वि० मृहान्ता, मृहान्तौ; व० मृहान्तः ।
 द्विती० ए० मृहान्तम्; द्वि० मृहान्ता, मृहान्तौ; व० मृहन्तः ।
 वृ० ए० मृहन्ता; व० मृहन्तिः ।
 च० ए० मृहन्ते; द्वि० मृहद्भ्याम्; व० मृहद्भ्यः ।
 पं० ए० मृहन्तः ।
 ष० ए० मृहन्तः; व० मृहन्ताम् ।
 स० ए० मृहन्ति; व० मृहन्सु ।

भवंत् के रूप—ब्राह्मणों तथा वेदाङ्गों में प्रयुक्त भवंत् “आप” के रूप भी मूहत् की भांति बनते हैं। परन्तु शत्रन्त भवंत् “होते हुए” (ऋ०) के रूप सर्वथा अदत् की भांति बनते हैं।

अपवाद—धातु के अभ्यस्त (द्वित्वयुक्त Reduplicated) रूप से बने हुए शत्रन्त प्रातिपदिकों के अङ्ग में सर्वनामस्थान से पूर्व भी कोई विकार नहीं होता है^{६१}; यथा— ✓भी “डरना” से बने विभ्यत् का प्रथ० ए० पुं० भी विभ्यत् ही होगा। इसी प्रकार ✓दा से बने ददत् के निम्नलिखित रूप बनते हैं—

प्रथ० ए० पुं० नपुं० ददत् ; व० पुं० ददतः ।

द्विती० ए० पुं० ददतम् ; व० पुं० ददतः ।

शेष विभक्तियों में इस के रूप अदत् की भांति बनते हैं।

✓जागृ, ✓शास् इत्यादि कृतिपय अभ्यस्तसंज्ञक धातुओं के शत्रन्त प्रातिपदिकों (जाग्रत्, शासत्) के रूप भी द्वित्वयुक्त शत्रन्त प्रातिपदिक ददत् इत्यादि की भांति बनते हैं^{६२}। इस प्रकार के अविकार्यङ्ग तकारान्त प्रातिपदिकों के लिये देखिये अनु० ११०।

१२६. -मत् , -वत् अन्त वाले प्रातिपदिक—जिन प्रातिपदिकों के अन्त में तद्धित प्रत्यय -मत् या -वत् (पा० मतप्) आता है उन के शक्ताङ्ग की उपधा के आगे न् आगम जोड़ दिया जाता है (टि० ८०) और प्रथ० ए० पुं० में उपधा का अ दीर्घ हो जाता है (टि० ५६)। सम्बुद्धि में -मत् तथा -वत् के अन्तिम व् का स (पा० ‘रु’) बन जाता है^{६३}; यथा—भानुमः (भानुमत्), मरुत्वः (मरुत्वत्)। इन प्रातिपदिकों के रूप केवल पुं० तथा नपुं० में बनते हैं। परन्तु स्त्री० में इन के आगे ई प्रत्यय जोड़ कर ईकारान्त प्रातिपदिकों के समान रूप बनाये जाते हैं। गोमत् “गायों से सम्पन्न” पुं० प्रातिपदिक के निम्नलिखित रूप मिलते हैं, परन्तु कोष्ठकान्तर्गत रूप अन्य प्रातिपदिकों के उपलब्ध रूपों के आधार पर बनाये गये हैं—

प्रथ० ए० गोमान् ; (द्वि० गोमन्ता, गोमन्तौ); (व० गोमन्तः) ।
(सम्बो० ए० गोमः) ।

चतुर्थ्याऽध्यायः

- द्विती० ए० गोर्मन्तम्; व० गोर्मतः ।
 तृ० ए० गोर्मता ; व० गोर्मद्भिः ।
 च० ए० गोर्मते; व० (गोर्मद्भ्यः) ।
 घ० ए० गोर्मतः; व० गोर्मताम् (अ०) ।
 स० ए० गोर्मति; व० (गोर्मत्सु) ।

प्रथ० तथा द्विती० विभक्तियों को छोड़ कर शेष सब विभक्तियों में पुं० तथा नपुं० के रूप सर्वथा समान वनते हैं । प्रथ० द्विती० ए० में बहुत से नपुं० रूप मिलते हैं, परन्तु इन के द्वि० में नपुं० का कोई उदाहरण नहीं मिलता है । व० में घृतवन्ति (ऋ० ९, ९६, १३) तथा पशुमान्ति (ऋ० ९, ९७, १) रूप मिलते हैं, परन्तु पदकार इन के उपधादीर्घत्व को हटा कर घृतवन्ति तथा पशुमान्ति रूप स्वीकार करता है ।

-वत् अन्त वाले प्रातिपदिकों के रूप भी गोर्मत् की भांति वनते हैं ।

१२७. -इन् अन्त वाले प्रातिपदिक—जिन प्रातिपदिकों के अन्त में -इन् आता है^{५५}, वे प्रायेण पुं० में उपलब्ध होते हैं और नपुं० में एक दर्जन से भी कम -इनन्त प्रातिपदिकों के रूप दृष्टिगोचर होते हैं । स्त्री० में -इन् के आगे ई जोड़ कर ईकारान्त रूप बना दिया जाता है; यथा—अश्विन् “अश्वीं से सम्पन्न” का स्त्री० अश्विनीं वनता है । प्रथ० ए० पुं० में -इनन्त प्रातिपदिकों की उपधा का इ दीर्घ हो जाता है^{५६} और अन्तिम न् का लोप हो जाता है^{५७} । प्रथ० ए० नपुं० में तथा हलादि विभक्तियों से पूर्व भी अन्तिम न् लुप्त हो जाता है (टि० ८७) । परन्तु सम्बुद्धि में अन्तिम न् का लोप नहीं होता है^{५८}; यथा—वज्रिन् “वज्र धारण करने वाला” ।

स्वर-घंशिष्ट्य—लगभग सभी -इनन्त प्रातिपदिकों के अन्तिम अच् पर उदात्त रदाता है और सम्बोधनवर्जित किसी भी रूप में उदात्त अपने स्थान से विचलित नहीं होता है ।

-इतन्त प्रातिपदिकों के उपलब्ध रूपों के आधार पर हस्तिन्
“हाथी” पुं० के रूप इस प्रकार बनेंगे—

प्रथ० ए० हस्ती (ऋ०); द्वि० हस्तिना, हस्तिनौ;
व० हस्तिनः (ऋ०) ।

सम्बो० ए० हस्तिन् ।

द्विती० ए० हस्तिनम् ; द्वि० हस्तिना, हस्तिनौ;
व० हस्तिनः (वा० सं०) ।

तृ० ए० हस्तिना; द्वि० हस्तिभ्याम् ; व० हस्तिभिः (ऋ०) ।

च० ए० हस्तिने; द्वि० हस्तिभ्याम् ; व० हस्तिभ्यः (अ०, वा० सं०) ।

पं० ए० हस्तिनः ।

ष० ए० हस्तिनः; द्वि० हस्तिनोः; व० हस्तिनाम् ।

स० ए० हस्तिनि; द्वि० हस्तिनोः; व० हस्तिषु (अ०) ।

विशेष—पाणिनि पथिन् प्रातिपदिक मान कर पथिभ्याम्, पथिभिः इत्यादि
रूपों का समाधान करता है, परन्तु पाश्चात्य विद्वान् इकारान्त पथि
प्रातिपदिक मान कर ऐसे रूपों का समाधान करते हैं (दे० अनु०
१३९ ग) । पथि से बने हुए पथयः (तै० सं० ५, ७, २, ३),
पथिभिः (ऋ० इत्यादि), पथीनाम् (ऋ० इत्यादि) तथा पथिषु
वैदिक रूप मिलते हैं ।

नपुं० प्रातिपदिकों के रूप—नपुं० में केवल निम्नलिखित रूप उपलब्ध
होते हैं—

प्रथ० ए० अनामि “न झुकने वाला”, उभया-हस्ति “दोनों हाथों से
भरने वाला”, त्सारि “गुप्त”, पत्त्रि “पांखों वाला”,
वाजि “बलपूर्ण”, शकल्येषि “क्षौर का इच्छुक” ।

तृ० ए० क्रीरिणा “स्तुति करते हुए द्वारा” ।

ष० ए० प्रहोषिणः “आहुति देते हुए का” ।

सुगन्धिना प्रमृति कतिपय रूप सन्दिग्ध हैं ।

१२८. (क) -यस् अन्त वाले प्रातिपदिक—तुलनावाचक ईयस् या यस् प्रत्यय
(दे० अनु० १९६ क) से बने हुए प्रातिपदिकों के रूप केवल पुं०

तथा नपुं० में वनते हैं और स्त्री० में ई प्रत्यय जोड़ कर इन्हें ईकारान्त प्रातिपदिक बना दिया जाता है; यथा—प्रेर्यस् “प्रियतर” का स्त्री० प्रेर्यसी वनता है। सर्वनामस्थान से पूर्व -यस् अन्त वाले प्रातिपदिकों की उपधा का अ दीर्घ हो जाता है (टि० ८१) और इस के आगे न् आगम जोड़ा जाता है (टि० ८०)। परन्तु सम्बुद्धि में उपधादीर्घत्व नहीं होता है। वेदों में इन का द्विवचनान्त रूप नहीं मिलता है और तृ०, च०, पं०, स० के व० का रूप भी उपलब्ध नहीं होता है।

स्वरवैशिष्ट्य—इस प्रकार के लगभग सभी प्रातिपदिकों के आदि अच् पर उदात्त रहता है और किसी भी विभक्ति में वह अपने स्थान से विचलित नहीं होता है।

पुं० में कर्नीयस् तथा श्रेर्यस् के रूप— -यस् अन्त वाले प्रातिपदिकों के उपलब्ध रूपों के आधार पर कर्नीयस् तथा श्रेर्यस् के रूप पुं० में इस प्रकार बनेंगे—

प्रथ० ए० कर्नीयान्, श्रेर्यान्; व० कर्नीयांसः, श्रेर्यांसः।

द्विती० ए० कर्नीयांसम्, श्रेर्यांसम्; व० कर्नीयसः, श्रेर्यसः।

तृ० ए० कर्नीयसा, श्रेर्यसा।

च० ए० कर्नीयसे, श्रेर्यसे।

पं० प० ए० कर्नीयसः, श्रेर्यसः।

स० ए० कर्नीयसि, श्रेर्यसि।

नपुं० में कर्नीयस् तथा श्रेर्यस् के रूप—तृ० प्रमृति विभक्तियों में नपुं० तथा पुं० के रूप सर्वथा समान वनते हैं। मुख्य भेद निम्नलिखित रूपों में है—

प्रथ० द्विती० ए० कर्नीयः, श्रेर्यः; व० कर्नीयांसि, श्रेर्यांसि।

सम्बुद्धि—पुं० का रूप ज्यायः (ऋ० ७, ३२, २४) निश्चय ही सम्बुद्धि में प्रयुक्त किया गया है, परन्तु ओर्जीयः (ऋ० १०, १२०, ४) के विषय में मतभेद है। पाश्चात्य विद्वान् इसे सम्बुद्धि का पुं० रूप मानते हैं, जब कि सायण इसे द्विती० ए० नपुं० का रूप मानता है। मैक्डानल ने इन रूपों के आधार पर सम्बुद्धि में कर्नीयः पुं० रूप की कल्पना की है।

प्रमुख प्रातिपदिक—प्रमुख प्रातिपदिक ये हैं—ऋजीयस् “ऋजुतर”, ओर्जीयस् “बलवत्तर”, ज्यायस् “अधिक शक्तिशाली”, जवीयस् “शीघ्रतर”, तव्यस् तथा तवीयस् “बलवत्तर”, नव्यस् तथा नवीयस् “नवतर”, नेदीयस् “समीपतर”, दवीयस् “दूरतर”, पन्यस् तथा पनीयस् “अधिक अद्भुत”, भूर्यस् तथा भवीयस् “अधिक”, महीयस् “अधिक दानशील”, यर्जीयस् “अधिक यज्ञ करने वाला”, वर्षीयस् “उच्चतर”, वस्यस् तथा वसीयस् “अधिक अच्छा”, सनीयस् “अधिक प्राप्त करने वाला”, सख्यस् तथा सहीयस् “बलवत्तर”।

व्यङ्गप्रातिपदिक

१२८. (ख) -वस् अन्त वाले प्रातिपदिक—ऋ० में लगभग ७५ प्रातिपदिक ऐसे हैं जिनके अन्त में -वस् आता है। इन प्रातिपदिकों के लिये पाश्चात्य विद्वान् Perfect Participle Active संज्ञा का व्यवहार करते हैं और कहते हैं कि धातु के साथ -वांस् प्रत्यय जोड़ कर ऐसा प्रातिपदिक बनाया जाता है। पा० ७, १, ३६ के अनुसार √विद् के साथ शतु-प्रत्यय का वसु आदेश जोड़ कर विद्वस् प्रातिपदिक बनाया जाता है, और पा० ३, २, १०७ के अनुसार धातुओं के आगे लिडादेशात्मक कसु प्रत्यय जोड़ कर चकृवस् इत्यादि अन्य प्रातिपदिक बनाये जाते हैं।

सर्वनामस्थान से पूर्व ऐसे प्रातिपदिकों की उपधा के आगे न् का आगम (टि० ८०) और उपधा के अच् का दीर्घ (टि० ८१) होता है। परन्तु सम्बुद्धि में नकारागम के बहुत कम उदाहरण मिलते हैं और अधिकतर वैदिक प्रयोगों में -वस् अन्त वाला सम्बो० ए० रूप मिलता है (टि० ८४)। व्यङ्गनादि अशक्त विभक्तियों (Weak cases) से पूर्व ऐसे अङ्ग (पा० पदसंज्ञक अङ्ग) के स् का द् वन जाता है^{११}। और अजादि विभक्तियों से पूर्व अत्यशक्त अङ्ग (Weakest stem पा० भसंज्ञक अङ्ग) के -वस् के व् का सम्प्रसारण होकर -उप् वन जाता है^{१२}।

स्वरवैशिष्ट्य—इन प्रातिपदिकों के अन्तिम अच् पर उदात्त रहता है और सम्बोधन-वर्जित किसी विभक्ति में यह अपने स्थान से विचलित नहीं होता है।

पुं० तथा नपुं० रूप—-वस् अन्त वाले प्रातिपदिकों के रूप केवल पुं० तथा नपुं० में बनते हैं और स्त्री० में इन के अत्यशक्त अङ्ग के आगे ई प्रत्यय जोड़ कर ईकारान्त प्रातिपदिक बना दिया जाता है; यथा—जृग्मिवस् “गया हुआ” से जृग्मुषी और चकृवस् से चकृषी। प्रथ० तथा द्विती० विभक्ति को छोड़ कर शेष सब विभक्तियों में पुं० तथा नपुं० के रूप सर्वथा समान बनते हैं। तत्तन्वत् “दूर तक फैला हुआ” (ऋ० ६, २१, ३) तथा संववृत्वत् “आवृत करने वाला” (ऋ० ५, ३१, ३) ये दो नपुं० रूप द्विती० ए० में मिलते हैं और प्रथ० द्विती० के अन्य वचनों में कोई निश्चित नपुं० प्रयोग नहीं मिलता है।

पुं० में चकृवस् “जो कर चुका है” तथा विद्वस् “जानता हुआ” के रूप—-वस् अन्त वाले प्रातिपदिकों से बने हुए उपलब्ध रूपों के आधार पर चकृवस् तथा विद्वस् के रूप इस प्रकार बनेंगे—

प्रथ० ए० चकृवान्, विद्वान्; द्वि० चकृवांसां, विद्वान्सां^१;

व० चकृवांसः, विद्वान्सः।

द्विती० ए० चकृवांसम्, विद्वान्सम्; द्वि० चकृवांसां, विद्वान्सां;

व० चकृषः, विदुषः।

तृ० ए० चकृषां, विदुषां; व० चकृवन्निः, विद्वन्निः।

च० ए० चकृषे, विदुषे।

पं० ष० ए० चकृषः, विदुषः; प० व० चकृषाम्, विदुषाम्।

सम्बुद्धि—ऋ० में उपलब्ध पुं० सम्बुद्धि के चारों उदाहरणों में -वस् आता है; यथा—चिकित्त्वः “जानता हुआ”, तित्तिर्वः “जो पार कर चुका है”, दीदिवः “चमकता हुआ”, मीद्वः “दानशील”। परन्तु अ० ७, १७, १ (=ऋ० ३, २९, १६) में चिकित्त्वः के स्थान पर चिकित्वन् रूप मिलता है। वैदिक प्रयोग के अनुसार सम्बुद्धि में चकृवः तथा विद्वः रूप बनाये जा सकते हैं, परन्तु उत्तरकालीन संस्कृत में विद्वन् प्रयोग का प्रचार है।

विशेष—(१) सर्वनामस्थान से पूर्व -वस् अन्त वाले प्रातिपदिक के अङ्ग को सम्प्रसारण होने के कुछ उदाहरण मिलते हैं; यथा—द्विती० ए० चकृषाम्

(ऋ० १०, १३७, १; अ० ४, १३, १); प्रथ० व० अविभ्युषः (ऋ० १, ११, ५); द्विती० ए० प्रोषुषम् = प्रोषिवांसम् (शत० ब्रा० १२, ५, २, ८) । एमुषम् तथा भुक्तिवांसः इत्यादि कतिपय रूप सन्दिग्ध हैं । महाभारत आदि में भी ऐसे प्रयोग मिलते हैं; यथा— प्रथ० द्वि० दिव्यास्त्रविदुषौ (महाभारत ४, ५८, २४), प्रथ० व० विदुषः (महाभारत वनपर्व), प्रथ० व० वेदविदुषः (बृहत्संहिता १६, २४) ।

(२) जिन प्रातिपदिकों में -वस् से पूर्व इ (पा० इट्) आता है उन के भसंज्ञक अङ्ग (Weakest stem) का सम्प्रसारण होने पर इ का लोप हो जाता है^{१४}; यथा—तस्थिवस् का ष० ए० तस्थुषः (ऋ० १, ११५, १) । इस प्रकार के कुछ प्रमुख प्रातिपदिक ये हैं—जञ्जिवस् (√ज्ञा “जानना” से), पृषिवस् (√पा “पीना” से), यृथिवस् (√या “जाना” से), रृथिवस् (√रा “देना” से), ईथिवस् (√इ “जाना” से), जृथिवस् (√गम् “जाना” से), पृथिवस् (√पत् “उड़ना” से), प्रोषिवस् (प्र+वस् “रहना” से), विविश्वस् (√विश् “प्रवेश करना” से), ओक्थिवस् (√उच् “आनन्द लेना” से), सेथिवस् (√सद् “बैठना” से) ।

१२९. -अन्, -मन्, तथा -वन् अन्त वाले प्रातिपदिक—जिन प्रातिपदिकों के अन्त में -अन्, -मन्, तथा -वन् आता है उन के रूप साधारणतया समान विधि से बनते हैं । इस लिये उन की रूप-रचना पर साधारण विचार करना आवश्यक है । ऐसे प्रातिपदिकों में -वन् अन्त वाले प्रातिपदिक सब से अधिक और -अन् अन्त वाले सब से कम हैं । -वन् अन्त वाले अधिकतर प्रातिपदिक कृदन्त विशेषण हैं और प्रायेण पुं० में प्रयुक्त होते हैं । लगभग एक दर्जन -वन् अन्त वाले प्रातिपदिकों से बने हुए नपुं० रूप उपलब्ध होते हैं और स्त्री० रूप अत्यल्प हैं । -मन् अन्त वाले प्रातिपदिकों के रूप पुं० तथा नपुं० में मिलते हैं; पुं० प्रातिपदिक प्रायेण कर्तृवाचक और नपुं० प्रातिपदिक भाववाचक हैं; यथा—ब्रह्मन् पुं० “प्रार्थना करने वाला” (शाब्दिक—‘वर्धक’) और

ब्रह्मन् “प्रार्थना” (शाब्दिक—‘वृद्धि’) । समासों के उत्तरपद में आने वाले लगभग एक दर्जन -मनन्त प्रातिपदिक स्त्री० में प्रयुक्त होते हैं । -अन् अन्त वाले प्रातिपदिक अल्पसंख्यक हैं और इन का प्रयोग प्रायेण पुं० तथा नपुं० में मिलता है । लगभग आधा दर्जन -अनन्त प्रातिपदिकों के रूप स्त्री० में उपलब्ध होते हैं ।

अङ्ग-विकार—सम्बुद्धिवर्जित सर्वनामस्थान से पूर्व उपर्युक्त प्रकार के प्रातिपदिकों के अङ्ग की उपधा का अ दीर्घ हो जाता है^{१५} । परन्तु अर्यमन् आदि कतिपय प्रातिपदिकों के अङ्ग में यह विकार नहीं होता है । नपुं० के प्रथ० द्विती० ए० और पुं० के प्रथ० ए० में प्रातिपदिक का अन्तिम न् लुप्त हो जाता है और असर्वनामस्थान, हलादि विभक्तियों (Weak cases) से पूर्व भी प्रातिपदिकों के अन्तिम न् का लोप हो जाता है (टि० ८७) ; यथा—कर्म, राजा, राजभिः । असर्वनामस्थान अजादि विभक्तियों से पूर्व भसंज्ञक अङ्ग की उपधा के अ का लोप हो जाता है^{१६} ; यथा—राज्ञः, ग्राव्णः, मुहिनः । परन्तु जिन -मनन्त और -वनन्त प्रातिपदिकों में -मन् तथा -वन् से ठीक पूर्व कोई व्यञ्जन हो अर्थात् व् तथा म् से संयुक्त व्यञ्जन हो, उन के अङ्ग का उपधालोप नहीं होता है^{१७} ; यथा—अध्वनः, अश्मनः । यद्यपि पाणिनि ने स० ए० तथा प्रथ० द्विती० द्वि० (नपुं०) में वैकल्पिक उपधालोप का विधान किया है^{१८}, वेदों में ऐसे प्रयोग बहुत कम हैं । स० ए० में उपधालोप का केवल एक उदाहरण शतदाग्नि ऋ० (५, २७, ६) में और कुछेक उदाहरण अ० में मिलते हैं ; यथा—स्थान्नि, विजान्नि, लोन्नि, अहिं । ऋ० में प्रथ० द्विती० द्वि० से पूर्व नपुं० प्रातिपदिक के उपधालोप का कोई उदाहरण नहीं मिलता है । परन्तु अ० तथा उत्तरकालीन भाषा में इस के कुछ उदाहरण अवश्य मिलते हैं ; यथा—नार्त्नी (अ० ४, ९, १०) ।

विभक्ति-लोप—अन्य हलन्त प्रातिपदिकों की भांति इन की प्रथ० ए० विभक्ति (स्) का भी लोप हो जाता है ; यथा—राजा, कर्म । प्रमुख विशेषता यह है कि ऋ० के अधिकतर रूपों में स० ए० की विभक्ति इ भी लुप्त हो जाती है^{१९} ; यथा—मूर्धन् और मूर्धनि । ऋ० के १२७ प्रयोगों में

स० ए० का इकार उपलब्ध होता है और २०३ प्रयोगों में स० ए० के इकार का लोप हो जाता है। लैन्मैन का मत है कि यह विभक्तिलोप प्रायेण छान्दस वैशिष्ट्य से सम्बद्ध है। यद्यपि अधिकतर वैदिक प्रयोगों में नपुं० प्रातिपदिकों के प्रथ० द्विती० व० रूप साधारण नियम के अनुसार बनते हैं और विभक्ति अलुप्त रहती है (यथा—कर्माणि), तथापि लगभग एक-तिहाई प्रयोगों में प्रथ० द्विती० व० की विभक्ति इ का लोप हो जाता है और प्रथ० द्विती० ए० के समान रूप बनता है^{१००}; यथा—कर्मन् का प्रथ० द्विती० व० रूप भी कर्म बनता है। कुछ ऐसे रूपों में विभक्तिलोप होने पर भी प्रातिपदिक का उपधादीर्घत्व दृष्टिगोचर होता है; यथा—शीर्षा, अहा, पवा। २७ उदाहरणों में, ऋ० संहिता के अनुसार, प्रातिपदिक की उपधा का अ दीर्घ दिखलाया गया है, परन्तु पदपाठ तथा प्रातिशाख्य उस का ह्रस्व रूप स्वीकार करते हैं; यथा—जनिमा, धर्मा, नामा। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि ये २७ रूप -मनन्त प्रातिपदिकों से बने हुए हैं। पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि अवेस्ता से उपलब्ध होने वाले प्रमाण के अनुसार, संहिता में मिलने वाला आकारान्त रूप प्राचीनतर है^{१०१}।

स्वर-वैशिष्ट्य—अन्तोदात्त प्रातिपदिकों का उदात्त असर्वनामस्थान की अजादि विभक्तियों (Weak cases) से पूर्व अ (उपधा) का लोप होने पर विभक्ति के अच् पर चला जाता है; यथा—महिमन् का तु० ए० महिम्ना। अधिकतर -मनन्त प्रातिपदिक आद्युदात्त हैं। इस लिये ऐसे प्रातिपदिकों से बने रूपों में विभक्ति के अच् पर उदात्त-परिवर्तन का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। -मनन्त नपुं० प्रातिपदिक प्रायेण आद्युदात्त हैं, परन्तु पुं० प्रातिपदिक प्रायेण अन्तोदात्त हैं। अत एव उपधालोप होने पर इन का उदात्त विभक्ति के अच् पर चला जाता है; यथा—महिम्ना, अर्यम्णे, क्लोन्नः। -अन् अन्त वाले बहुत से नपुं० तथा पुं० प्रातिपदिक अन्तोदात्त हैं और उपधालोप होने पर इन का उदात्त विभक्ति के अच् पर चला जाता है; यथा—पूष्णे, मूर्धः।

१३०. -अन् अन्त वाले प्रातिपदिक—प्रथ० तथा द्विती० विभक्तियों को

छोड़ कर शेष सब विभक्तियों में पुं० तथा नपुं० के रूप सर्वथा समान बनते हैं ।

(क) पुं० प्रातिपदिक—उपलब्ध रूपों के आधार पर पुं० प्रातिपदिक राजन् “वृष” के रूप इस प्रकार बनेंगे—

प्रथ० ए० राजा; द्वि० राजाना, राजानौ; व० राजानः ।

सम्बन्ध० ए० राजन् ।

द्विती० ए० राजानम्; द्वि० राजाना, राजानौ; व० राज्ञः ।

तृ० ए० राज्ञा; द्वि० राजभ्याम्; व० राजभिः ।

च० ए० राज्ञे; द्वि० राजभ्याम्; व० राजभ्यः ।

पं० ए० राज्ञः; व० राजभ्यः (अ०) ।

ष० ए० राज्ञः; द्वि० राज्ञोः; व० राज्ञाम् ।

स० ए० राजन्ति, राजन्; व० राजसु ।

विशेष—(१) प्रथ० ए० को छोड़ कर अन्य सर्वनामस्थान विभक्तियों में पूषन् तथा ऋभुक्षन् “ऋभु-पति” की उपधा का अकार दीर्घ नहीं होता है^{१०२}; यथा—द्विती० ए० पूषणम्, ऋभुक्षणम्; प्रथ० द्वि० पूषणा; प्रथ० व० ऋभुक्षणः । उक्षन् “वैल” तथा वृषन् “साण्ड” की उपधा का अकार सर्वनामस्थान से पूर्व कहीं दीर्घ हो जाता है और कहीं ह्रस्व रहता है^{१०३}; यथा—द्विती० ए० उक्षाणम्, उक्षणम्, वृषाणम्, वृषणम्; प्रथ० द्वि० वृषाणौ, वृषणा (अ०); प्रथ० व० उक्षाणः, उक्षणः, वृषाणः, वृषणः ।

(२) पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि व्युत्पत्ति के विचार से निम्नलिखित प्रातिपदिकों को -अन् अन्त वाले प्रातिपदिकों के वर्ग में सम्मिलित करना चाहिए, यद्यपि इन में से पांच के अन्त में -वन् और एक के अन्त में -मन् मिलता है^{१०४}—युवन् “जवान”, श्वन् “कुत्ता”, ऋजिश्वन् (पुरुषविशेष का नाम), मातरिश्वन् (एक देवता का नाम, वायु), विभ्वन् “दूर तक पहुंचने वाला”, परिज्मन् “चारों ओर जाने वाला” । युवन् तथा श्वन् के अतिरिक्त शेष प्रातिपदिकों के रूप राजन् की भांति बनते हैं । सम्बुद्धि में मातरिश्वन् का रूप मातरिश्वः (ऋ० १०, ८८, १९) मिलता है ।

युवन् तथा श्वन् के रूप

असर्वनाम-स्थान की अजादि विभक्तियों (Weakest cases) से पूर्व युवन् तथा श्वन् के व् का सम्प्रसारण हो जाता है^{१०५}। इन विभक्तियों से पूर्व सम्प्रसारण होने पर श्वन् का शुन् बनता है और युवन् में सम्प्रसारण तथा सवर्णदीर्घसन्धि होने पर यून् अङ्ग बनता है। इन से बने हुए निम्नलिखित रूप उपलब्ध होते हैं—

प्रथ० ए० युवा, श्वा; द्वि० युवाना, यूना (ऋ० १, ६८, ५),

श्वाना, श्वानौ; व० युवानः, श्वानः ।

सम्बो० ए० युवन् ।

द्विती० ए० युवानम्, श्वानम्; द्वि० युवाना, श्वाना, श्वानौ;

व० यूनः, शुनः ।

तृ० ए० शुना (अ०); व० युवभिः, श्वभिः ।

च० ए० यूने; व० युवभ्यः, श्वभ्यः (अ०, वा० सं०) ।

प० ए० यूने; शुने; व० शुनाम् (अ०) ।

(३) वृत्रहन् के रूप—ऋ० के पैंतीस समासों के उत्तरपद में आने वाले कृदन्त प्रातिपदिक हन् के रूप साधारणतया पुपन् की भांति बनते हैं। प्रथ० ए० के अतिरिक्त उपधादीर्घत्व नहीं होता है (टि० १०२) और असर्वनामस्थान की अजादि विभक्तियों (Weakest cases) से पूर्व भसंज्ञक अङ्ग का उपधालोप होने पर ह् का घ् बन जाता है^{१०६}। वृत्रहन् “वृत्र की हत्या करने वाला” से बनने वाले उपलब्ध रूप इस प्रकार हैं—

प्रथ० ए० वृत्रहा; द्वि० वृत्रहणा, वृत्रहणौ; व० वृत्रहणः ।

सम्बो० ए० वृत्रहन् ।

द्विती० ए० वृत्रहणम्; द्वि० वृत्रहणा, वृत्रहणौ; व० वृत्रघ्नः ।

तृ० ए० वृत्रघ्ना; व० वृत्रहभिः ।

च० ए० वृत्रघ्ने ।

प० ए० वृत्रघ्नः ।

स० ए० वृत्रघ्नि ।

(४) पाश्चात्य विद्वान् पन्थन् “मार्ग” प्रातिपदिक मान कर निम्नलिखित वैदिक रूपों का समाधान करते हैं—प्रथ० ए० पन्था (का० सं०); द्विती० ए० पन्थानम्; प्रथ० व० पन्थानः। पाश्चात्य विद्वान् पृथि, पन्था, पन्थन् तथा पथ् को परस्पर पूरक तथा भिन्न प्रातिपदिक मानते हैं। पाणिनि इन्हें पथिन् प्रातिपदिक के अङ्ग मानता है (दे० अनु० १३९ ग)।

(ख) स्त्री० प्रातिपदिक—योषन् “युवति” के रूपों के अतिरिक्त -अन् अन्त वाले प्रातिपदिकों के निम्नलिखित रूप स्त्रीवाचक माने जाते हैं— वृषा (काशा, ऋ० ८, ३३, ११; वाक्, ऋ० १०, ११५, ८), वृषणम् (त्वचम्, ऋ० १, १२९, ३), वृषणा (घावापृथिवी, ऋ० १०, ६६, ६), परिज्मानः (विद्युतः, ऋ० ५, १०, ५), रूपावृषभिः (धेनुभिः, ऋ० २, ३४, ५)। सर्वनामस्थान से पूर्व योषन् का उपधा-दोर्धत्व नहीं होता है (दे० टि० १०३); यथा—प्रथ० व० योषणः (ऋ० में ८ बार) पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि योषणा तथा योषा प्रातिपदिक योषन् के पूरक हैं^{१०}।

(ग) नपुं० प्रातिपदिक—अन् अन्त वाले नपुं० प्रातिपदिक मुख्यतया अन्य प्रातिपदिकों के पूरक हैं और ऐसा कोई नपुं० प्रातिपदिक नहीं मिलता है जिस के रूप सभी विभक्तियों में उपलब्ध होते हों। अथवा यह भी कहा जा सकता है कि अन्य समानार्थक प्रातिपदिकों से बने रूप -अन् अन्त वाले प्रातिपदिकों के रूपों के पूरक हैं। प्रमुख पूरक नपुं० प्रातिपदिक निम्नलिखित हैं—अचन् “आंल” अक्षि का; अस्न “रुधिर” असृज् का; अस्थन् “हड्डी” अस्थि का; दधन् “दही” दधि का; दोषन् “बाहु” दोस का; युक्न् “जिगर” यकृत का; शकन् “गोबर” शकृत का; शीर्षन् “सिर” शिरस् का; तथा सुक्थन् “जंघा” सर्बिथ का^{१०}। पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार निम्नलिखित समूहों में निर्दिष्ट प्रातिपदिक परस्पर पूरक हैं—आसन् “मुख”, आस्य, आस्; उदन् “जल”, उदक, उद्; यूपन् “कथित रस”, यूप, यूस् (तै० सं० ६, ३, ११; १.४); ऊर्धन् “आपीन”, ऊर्धस्, ऊर्धर; अहन् “दिन”,

अहस्, अहर^{१०९} । कतिपय -अन् अन्त वाले पूरक प्रातिपदिकों के रूप ऊपर (अविकार्यङ्ग हलन्त प्रातिपदिकों के प्रकरण में) दिये जा चुके हैं (दे० अनु० १०८, ११०, १२२) । उदन् के निम्नलिखित रूप ऋ० में मिलते हैं—तृ० ए० उदना; पं० ष० ए० उदन्; स० ए० उदन्, उदनि; तृ० व० उदाभिः (पा० ६, १, ६३) ।

पाश्चात्य विद्वानों का यह निष्कर्ष है कि प्रथ० द्विती० ए० में -अन् अन्त वाले नपुं० प्रातिपदिकों का कोई वैदिक प्रयोग नहीं मिलता है और प्रथ० द्विती० ए० रूप अहर "दिन" रेफान्तः प्रातिपदिक अहर से बनता है^{११०} । इस मत के अनुसार, अहन्, अहस् तथा अहर से बने वाले उपलब्ध वैदिक रूप निम्नलिखित हैं, परन्तु पाणिनि के अनुसार ये सब रूप अहन् प्रातिपदिक से बने हैं—

	अहन्	;	अहस्	;	अहर
प्रथ० द्विती० ए०	—	;	—	;	अहः ^{१११}
प्रथ० द्विती० द्वि०	अहनी	;	—	;	—
प्रथ० द्विती० व०	अहानि, अहा	;	—	;	—
तृ० ए०	अहा	;	—	;	—
तृ० व०	अहभिः (ऋ०);		अहोभिः ^{११२}	;	अहभिः (पं० त्रा०) ।
च० ए०	अहै	;	—	;	—
च० द्वि०	—	;	अहोभ्याम् (तै० सं०);		—
च० पं० व०	अहभ्यः	;	अहोभ्यः (वा० सं०);		—
पं० ष० ए०	अहः	;	—	;	—
पं० द्वि०	अहोः (अ०)	;	—	;	—
पं० व०	अहाम्	;	—	;	—
स० ए०	अहनि, अहन्	;	—	;	—
स० व०	अहसु (ऋ०)	;	अहःसु (ए० त्रा०; शत० त्रा०);		— ।

१३१. -अन् अन्त वाले प्रातिपदिक—इन के रूप साधारणतया -अन् अन्त वाले प्रातिपदिकों की भांति बनते हैं । परन्तु यदि -अन् के मू से ठीक

पूर्व व्यञ्जन हो, तो उपधालोप नहीं होता है (अनु० १२९) और इस प्रकार के प्रातिपदिकों का बाहुल्य है। उपलब्ध रूपों के आधार पर अश्मन् “पत्थर” के रूप इस प्रकार बनेंगे—

(क) पुं० प्रातिपदिक—अश्मन् “पत्थर” के रूप—

प्रथ० ए० अश्मा; द्वि० अश्माना; व० अश्मानः ।

सम्बो० ए० अश्मन्; द्वि० अश्माना; व० अश्मानः ।

द्विती० ए० अश्मानम्; द्वि० अश्माना; व० अश्मनः ।

तृ० ए० अश्मना; व० अश्मभिः ।

च० ए० अश्मने; व० अश्मभ्यः ।

पं० ष० ए० अश्मनः; प० व० अश्मनाम् ।

स० ए० अश्मनि, अश्मन्; द्वि० अश्मनोः; व० अश्मसु ।

विशेष—(१) प्रथ० ए० को छोड़ कर अन्य सर्वनामस्थान-विभक्तियों से पूर्व अर्यमन् (अग्नि का एक नाम), त्मन् “अपने आप” तथा जेर्मन् “विजयी” का उपधादीर्घ नहीं होता है^{१३}; यथा—द्विती० ए० अर्यमणम्, त्मनम्; प्रथ० द्विती० द्वि० अर्यमणा, जेर्मना ।

(२) -मन् के म् से पूर्व स्वर होने पर भी (दे० अनु० १२९) लगभग एक दर्जन प्रातिपदिकों का उपधालोप नहीं होता है; यथा—
तृ० ए० ओमना, प्रवद्यामना, भूमना; प० ए० मुहिमनः ।

(३) तृ० ए० के कुछ रूपों में उपधालोप के साथ-साथ निम्न-लिखित पांच प्रातिपदिकों के -मन् का म् भी लुप्त हो जाता है—
प्रथिमन् “विस्तार” से प्रथिना (=प्रथिन्ना); प्रेमन् “प्रेम” से प्रेणा (=प्रेम्णा); भूमन् “आधिक्य” से भूना (=भूमना); मुहिमन् “महता” से मुहिना (ऋ० में ३५ वार; मुहिन्ना केवल ३ वार); वृमिन् “विस्तार” से वृणिना (=वृम्णिना) । और ऋ० में द्राघमन् “लम्बाई” तथा रश्मन् “लगाम” के अन्तिम न् का लोप हो जाता है; यथा—द्राघ्मा (=द्राघ्ना), रश्मा (=रश्ना) ।

(ख) स्त्री० प्रातिपदिक— मन् अन्त वाले स्त्री० प्रातिपदिक प्रायेण समासों के उत्तरपद में मिलते हैं। ऐसे प्रातिपदिकों से बनने वाले प्रमुख वैदिक रूप ये हैं—

प्रथ० ए० पुरु-शर्मा (अर्दितिः) “अनेक रक्षण देने वाली” (वा० सं० १०, ९); सलक्ष्मा “समान लक्षणों वाली” (ऋ० १०, १०, २) ।

प्रथ० द्वि० सुजन्मनी (विषर्णे) “शोभन जन्म वाली” (ऋ० १, १६०, १)^{१४} ।

सम्बो० ए० अरिष्ट-भर्मन् (अर्दिते) “सुरक्षा देने वाली” (ऋ० ८, १८, ४); पृथु-यामन् (दुहितः) “विशाल मार्ग वाली” (ऋ० ६, ६४, ४) ।

द्विती० ए० द्युतर्धामानम् (उषसम्) “प्रकाशमान मार्ग वाली” (ऋ० ५, ८०, १); सुतर्माणम् (नार्वम्) “अच्छी प्रकार पार करने वाली” (ऋ० ८, ४२, ३); सुत्रामाणम् (पृथिवीम्) “अच्छी प्रकार रक्षा करने वाली” (ऋ० १०, ६३, १०); सुशर्माणम् (अर्दितिम्) “अच्छा रक्षण देने वाली” (ऋ० १०, ६३, १०) ।

द्विती० व० शुचि-जन्मनः (उषसः) “शुद्ध या प्रकाशमान जन्म वाली” (ऋ० ६, ३९, ३) ।

तृ० ए० वार्ज-भर्मभिः (कृतिभिः) “अन्न, वल या पुरस्कार देने वाली” (ऋ० ८, १९, ३०); सूकर्मभिः (अंगुलीभिः—सायण) “शोभन-कर्मयुक्त” ।

प० व० शुक्र-संभ्रानाम् (उपसाम्) “शुभ्रस्थान वाली” (ऋ० ६, ४७, ५) ।

(ग) नपुं० प्रातिपदिक—प्रथ० तथा द्विती० विभक्ति को छोड़ कर शेष सब विभक्तियों में नपुं० प्रातिपदिकों के रूप पुं० के समान बनते हैं। जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं (दे० अनु० १२९) कुछ नपुं० रूपों

में प्रथ० द्विती० व० विभक्ति का लोप हो जाता है। कतिपय प्रमुख नपुं० प्रातिपदिकों के प्रथ० तथा द्विती० विभक्ति के उपलब्ध वैदिक रूप इस प्रकार हैं—

प्रथ० द्विती० ए०—कर्म^१ “काम”, जःमं तथा जनिम^१ “जन्म”, धर्म^१ “धर्म”, धाम^१ “स्थान”, नाम^१ “नाम”, शर्म^१ “रक्षा” ।

प्रथ० द्विती० द्वि०—जन्मनी, धामनी, नाझी (अ०), शर्मणी ।

प्रथ० द्विती० व०—कर्माणि, कर्म; जन्मानि, जन्म; जनिमानि, जनिम, जनिमा; धर्माणि, धर्म, धर्मा; धामानि, धाम; नामानि, नाम, नामा; शर्माणि, शर्म ।

विशेष—(१) संहिता में प्रथ० द्विती० ए० के कतिपय रूपों के अन्त में आ मिलता है, परन्तु पदपाठ में इस का ह्रस्व रूप (अ) दिखलाया गया है; यथा—संहितापाठ कर्मा^१, जनिमा^१, भूमा^१, धामा^१=पपा० कर्म^१, जनिम^१, भूम^१, धाम^१ ।

(२) -मन् के म् से पूर्व स्वर होने पर भी (दे० अनु० १२९) कतिपय प्रातिपदिकों का उपधालोप नहीं होता है; यथा—तृ० ए० भूमना, स्यूमना, हेमना; च० ए० त्रामणे, दामने; पं० ए० भूमनः; ष० ए० दामनः, भूमनः, यामनः, व्योमनः ।

१३२. -वन् अन्त वाले प्रातिपदिक—वन् अन्त वाले अधिकतर प्रातिपदिक पुं० में प्रयुक्त होते हैं और स्त्री० तथा नपुं० में बहुत थोड़े प्रातिपदिकों के रूप मिलते हैं। इन के रूप साधारणतया -वन् अन्त वाले प्रातिपदिकों की भांति बनते हैं ।

(क) पुं० प्रातिपदिक—वन् अन्त वाले प्रातिपदिकों से बने हुए जो वैदिक रूप उपलब्ध होते हैं उन के आधार पर प्रावन् पुं० “सोम पीसने की शिला” के रूप इस प्रकार बनेंगे—

प्रथ० ए० प्रावां; द्वि० प्रावाणा, प्रावाणौ; व० प्रावाणः ।

सम्बो० ए० प्रावन्; द्वि० प्रावाणा, प्रावाणौ; व० प्रावाणः ।

द्विती० ए० आवाणम्; द्वि० आवाणा, आवाणौ; व० आवाणः ।

तृ० ए० आवाणा; द्वि० आवाभ्याम्; व० आवाभिः ।

च० ए० आवाणे; व० आवाभ्यः ।

पं० ष० ए० आवाणः; ष० द्वि० आवाणोः; ष० व० आवाणाम् ।

स० ए० आवाणि, आवान्; व० आवासु ।

विशेष—(१) ऐसे प्रातिपदिकों के सम्बन्ध० ए० के अन्त में प्रायेण -वन् मिलता है; यथा—अथर्वन् । परन्तु कतिपय प्रातिपदिकों के सम्बन्ध० ए० में -वन् के स्थान पर -वः उपलब्ध होता है (टि० ८४); यथा—ऋतावः, एवयावः, प्रातरित्त्वः, विभावः ।

(२) -वन् के व् से पूर्व स्वर होने पर भी (दे० अनु० १२९) कतिपय प्रातिपदिकों का उपधालोप नहीं होता है; यथा—च० ए० वसुवने (वा० सं० २१, ४८); स० ए० ऋतावनि (ऋ०) ।

(३) मध्वन् “दानशील” के रूप—असर्वनामस्थान की अजादि विभक्तियों से पूर्व मध्वन् के अङ्ग का सम्प्रसारण होता है (दे० टि० १०५) और मध्वत् प्रातिपदिक इस का पूरक माना जाता है^{१५} । मध्वन् से बने हुए निम्नलिखित वैदिक रूप उपलब्ध होते हैं—

प्रथ० ए० मधवा; द्वि० मधवाना; व० मधवानः ।

सम्बन्ध० ए० मध्वन् ।

द्विती० ए० मधवानम्; व० मध्वोनः ।

ष० ए० मध्वोनः; द्वि० मध्वोनोः; व० मध्वोनाम् ।

पूरक प्रातिपदिक मध्वत् के निम्नलिखित रूप मिलते हैं—

प्रथ० ए० मधवान्; तृ० व० मध्वन्निः; च० व० मध्वन्नयः;

स० व० मध्वत्सु । एक वार (ऋ० ६, ४४, १२) प्रथ० व० में सम्प्रसारणयुक्त मध्वोनः रूप मिलता है ।

(४) अर्वन् “गमनशील”—प्रथ० ए० से अन्य विभक्तियों में अर्वत् प्रातिपदिक के रूप अर्वन् के रूपों के पूरक हैं^{१६} ।

(ख) स्त्री० प्रातिपदिक—विशेषण्यः (बहुव्रीहि) गमासों के उत्तरपद

में आने वाले प्रातिपदिकों से बने हुए निम्नलिखित रूप स्त्री० में प्रयुक्त होते हैं—

प्रथ० ए० सुयुग्वा (गायत्री) “साथ जुड़ी हुई” (ऋ० १०, १३०, ४), अनुर्वा (अदितिः) “अनवरुद्धा” (ऋ० २, ४०, ६); द्वि० संस्थावानी (रोदसी) “साथ खड़ी हुई” (ऋ० ८, ३७, ४) ।

द्विती० ए० अनुर्वणम् (अदितिम्) “अनवरुद्धा” (ऋ० १०, ९२, १४) ।

तृ० व० इन्धन्वभिः (धेनुभिः) “इन्धनयुक्त” (ऋ० २, ३४, ५) ।

ष० व० सहस्रदानाम् (सुमतीनाम्) “सहस्र दानों वाली” (ऋ० १, १७, ५) ।

विशेष—उपर्युक्त प्रयोग अनुर्वणम् में सर्वनामस्थान से पूर्व भी उपधादीर्घत्व नहीं हुआ है ।

(ग) नपुं० प्रातिपदिक—प्रथ० तथा द्विती० विभक्ति को छोड़ कर शेष विभक्तियों में नपुं० और पुं० के रूप सर्वथा समान बनते हैं । प्रथ० द्विती० द्वि० में कोई नपुं० रूप नहीं मिलता है । इन विभक्तियों में उपलब्ध होने वाले कतिपय प्रमुख वैदिक रूप ये हैं—

प्रथ० द्विती० ए० धन्वं “धनुष तथा मरुस्थल”, पर्व “जोड़” (अ०), विवस्व “शुभ्र ज्वाला”, स्नावं “स्नायु” (अ०) ।

प्रथ०, द्विती०, व० धन्वानि, धन्व; पर्वणि, पर्व, पर्वी (अ० १२, ५, ४२); स्नावानि ।

विशेष—संहिता (ऋ० ६, १२, ५) में द्विती० ए० का रूप धन्वा मिलता है, परन्तु पपा० में धन्वं पाठ माना गया है ।

१३३. -अञ्च् अन्त वाले प्रातिपदिक—उपसर्ग तथा अन्य शब्दों के साथ ✓अञ्च् “जाना, झुकना, आदर करना” धातु के कृदन्त को उत्तरपद में रख कर बहुत से वैदिक समास बनाये जाते हैं जो प्रायेण विशेषणों का कार्य करते हैं^{१०} । -अञ्च् अन्त वाले प्रातिपदिकों की रूपरचना की कुछ विशेषताएं हैं । -अञ्च् उत्तरपद वाले समासों के कतिपय हलन्त

पूर्वपद इकारान्त बनाये जाते हैं और, कुछ पूर्वपदों के अन्त में -रि या अन्तिम अच्सहित सम्पूर्ण अन्तिम भाग के स्थान पर -अद्रि कर दिया जाता है^{१६}; यथा—अस्मद् + अञ्च् = अस्मद्रि + अञ्च् = अस्मद्र्यञ्च् “हमारी ओर आता हुआ”; सम् + अञ्च् = समि + अञ्च् = सम्यञ्च् “साथ जाता हुआ”; विष्वक् (टि० ११८) + अञ्च् = विष्वद्रि + अञ्च् = विष्वद्र्यञ्च् “सर्वत्र जाता हुआ”; देव + अञ्च् = देवद्रि + अञ्च् = देवद्र्यञ्च् “देवताओं की ओर जाता हुआ”; सह (मूल सध) + अञ्च् = सध्रि + अञ्च् = सध्र्यञ्च् “साथ जाता हुआ”; तिरस् + अञ्च् = तिरि + अञ्च् = तिर्यञ्च् “तिरछा जाता हुआ” । ऐसे सब समासों में उत्तरपद (-अञ्च्) का अर्थ प्रायेण “—की ओर जाता हुआ” होता है । अन्य प्रमुख प्रातिपदिक ये हैं—अधराञ्च् (अधर + अञ्च्) “नीचे की ओर जाता हुआ”, अपाञ्च् (अप + अञ्च्) “पीछे की ओर जाता हुआ”, भुवाञ्च् (भव + अञ्च्) “इस ओर आता हुआ”, पराञ्च् (परा + अञ्च्) “दूर जाता हुआ”, प्राञ्च् (प्र + अञ्च्) “सामने आता हुआ”, न्यञ्च् (नि + अञ्च्) “नीचे की ओर जाता हुआ”, उदञ्च् (उद् + अञ्च्) “ऊपर की ओर जाता हुआ”, विष्वञ्च् (विष् + अञ्च्) “सब ओर जाता हुआ”, प्रत्यञ्च् (प्रति + अञ्च्) “विपरीत जाता हुआ” ।

पुं० तथा नपुं० रूप—इन प्रातिपदिकों के रूप केवल पुं० तथा नपुं० में बनते हैं और स्त्री० में इन के आगे ई जोड़ कर ईकारान्त प्रातिपदिक बना दिया जाता है (दे० अजु० १३७) ।

अङ्गविकार—सर्वनामस्थान से पूर्व -अञ्च् अङ्ग प्रयुक्त होता है और प्रथ० ए० पुं० में विभक्ति (स्) का लोप होने पर अङ्ग का अन्तिम वर्ण इ में परिणत हो जाता है^{१७}; यथा—प्राङ्, प्रत्यङ् । असर्वनामस्थान से पूर्व -अञ्च् की उपधा के वर्ण न् (ज्) का लोप हो जाता है^{१८}; यथा—द्विती० व० प्राचः, पराचः । परन्तु जिस प्रातिपदिक के पूर्वपद के अन्त में -अञ्च् से पूर्व इकार या उकार हो उस प्रातिपदिक के भसञ्जक अङ्ग के -अञ्च् का अकार (असर्वनामस्थान की अजादि विभक्तियों से पूर्व) लुप्त हो जाता है, और हस्व इकार या उकार का दीर्घ हो जाता है^{१९};

यथा—प्रत्यञ्च् का तृ० ए० प्रतीचा; और विष्वञ्च् का द्विती० व० विष्वचः। उपर्युक्त परिस्थिति में उदञ्च् के -भञ्च् का अ ई में परिणत हो जाता है^{३३}; यथा—द्विती० व० उदीचः। असर्वनामस्थान की अजादि विभक्तियों से पूर्व त्रियञ्च् का त्रिरञ्च् बनता है (टि० ११८); यथा—तृ० ए० त्रिश्वा।

स्वरवैशिष्ट्य—उपर्युक्त अङ्गविकार के अनुसार असर्वनामस्थान की विभक्तियों से पूर्व अन्तोदात्त प्रातिपदिकों के -अञ्च् के अकार का लोप होने पर उसका उदात्त विभक्ति के अच् पर चला जाता है; यथा—प्रत्यञ्च् से प्रतीचा; अन्वञ्च् से अनूचः। और ऐसे प्रातिपदिकों से स्त्री० का रूप बनते समय भी अन्तोदात्त अङ्ग का उदात्त ई प्रत्यय पर चला जाता है; यथा—प्रत्यञ्च् का स्त्री० प्रतीची। परन्तु स्वरसम्बन्धी यह नियम केवल ऋ० में लागू होता है। अन्य संहिताओं में तथा उत्तरकालीन भाषा में इस नियम का पालन नहीं किया गया है; यथा—अ० में प्रत्यञ्च् का द्विती० व० प्रतीचः और स्त्री० प्रतीची।

प्राञ्च्; प्रत्यञ्च् तथा विष्वञ्च् के रूप—इस सम्बन्ध में यह तथ्य विशेषतया ध्यान रखने योग्य है कि प्रथ० तथा द्विती० से भिन्न किसी विभक्ति में बहुवचन का प्रयोग नहीं मिलता है और द्वि० का प्रयोग केवल प्रथ०, द्विती० तथा स० में उपलब्ध होता है। ऋ० तथा अ० में प्रथ० द्विती० व० का कोई नपुं० रूप नहीं मिलता है, ब्राह्मणों में कुछ उदाहरण उपलब्ध होते हैं। अत एव प्रथ० द्विती० ए० के नपुं० रूपों के अतिरिक्त असर्वनामस्थान में इन प्रातिपदिकों से कोई रूप नहीं बनता है। प्राञ्च्, प्रत्यञ्च् तथा विष्वञ्च् से बने हुए वैदिक रूप ये हैं—

	पुं०		
	प्राञ्च्	; प्रत्यञ्च्	; विष्वञ्च्
प्रथ० ए०—	प्राङ्	; प्रत्यङ्	; विष्वङ्।
प्रथ० द्विती० द्वि०—		;	; विष्वञ्चौ
			(तै० सं०, वा० सं०)।
प्रथ० व०—	प्राञ्चः	; प्रत्यञ्चः	; विष्वञ्चः ;

द्विती० ए०—	प्राञ्चम्	;	प्रत्यञ्चम्	;	विध्वञ्चम् ।
द्विती० व०—	प्राचः	;	प्रतीचः (ऋ०),		
			प्रतीचः (अ०);		विपूचः ।
तृ० ए०—	प्राचा	;		;	
पं० ए०—		;	प्रतीचः	;	
स० ए०—	प्राचि	;		;	
स० द्वि०—		;		;	विपूचोः ।

नपुं०

प्रथ० द्विती० ए०— प्राक् ; प्रत्यक् ; विध्वक् ।

(ए० के रूप प्रायेण क्रियाविशेषण हैं) ।

प्रथ० द्विती० द्वि०— ; प्रतीची ; ।

प्रथ० द्विती० व०— प्राञ्चि ; प्रत्याञ्चि (शत० ब्रा०) ; ।

अपाञ्च्, अवाञ्च्, पराञ्च्, अर्वाञ्च् तथा अध्वराञ्च् प्रसृति के रूप प्राञ्च् की भांति बनते हैं ।

न्यञ्च्, सम्यञ्च्, दध्यञ्च्, सध्व्यञ्च्, अस्मद्रथञ्च्, विध्वद्रथञ्च्, तथा उर्दञ्च् के रूप प्रत्यञ्च् की भांति बनते हैं ।

अन्वञ्च् तथा स्वञ्च् के रूप विध्वञ्च् की भांति बनते हैं ।

१३४. पुंस् "पुरुष" के रूप—सर्वनामस्थान से पूर्व पुंस् का शक्ताङ्ग (Strong stem) पुमांस् बनता है^{१३३}, और भकारादि तथा स० व० विभक्ति से पूर्व पुंस् के अन्तिम स् का लोप होकर केवल पुम् शेष रहता है^{१३४} । असर्वनामस्थान की विभक्तियाँ परे आने पर प्रातिपदिक का उदात्त विभक्ति के अच् पर चला जाता है । पुंस् से बने हुए निम्नलिखित रूप उपलब्ध होते हैं—

प्रथ० ए० पुमान् ; द्वि० पुमांसौ (ब्रा०) ; व० पुमांसः ।

सम्बो० ए० पुमः (ऋ० ९, ९, ७) ; लौकिक संस्कृत—पुमन् ।

द्विती० ए० पुमांसम् ; व० पुंसः ।

तृ० ए० पुंसा (पै० सं०, ब्रा०) ।

चतुर्थोऽध्यायः

च० ए० पुंसे (अ० ५, ३०, ३) ।

च० पं० व० पुम्भ्यः (गृ० सू०) ।

पं० ष० ए० पुंसः; प० व० पुंसाम् ।

स० ए० पुंसि; व० पुंसु (अ० १२, १, २५) ।

१३५. अ॒न॒डु॒ह् (अ॒न॒ड्व॒ह् = अ॒न॒स् + √व॒ह्) “गाड़ी खींचने वाला, बैल” के रूप—यद्यपि पाणिनि अ॒न॒डु॒ह् प्रातिपदिक मान कर रूपों का व्याख्यान करता है, तथापि ग्रासमैत्र प्रभृति पाश्चात्य विद्वान् व्युत्पत्ति-सम्मत अ॒न॒ड्व॒ह् प्रातिपदिक मानते हैं^{१२५} । सर्वनामस्थान से पूर्व उ के पश्चात् पाणिनि आ (आम्) का आगम करके अ॒न॒ड्व॒वा॒ह् शक्ताङ्ग (Strong stem) बनाता है और प्रथ० ए० में इस आ के पश्चात् न् (नुम्) का आगम करके अ॒न॒ड्व॒वा॒न् रूप बनाता है^{१२५क} । पाश्चात्य विद्वान् सर्वनामस्थान से पूर्व अ॒न॒ड्व॒वा॒ह् शक्ताङ्ग (Strong stem) मान कर असर्वनामस्थान से पूर्व इस का सम्प्रसारण स्वीकार करते हैं^{१२६} । भकारादि विभक्ति तथा स० व० (सु) से पूर्व अ॒न॒डु॒ह् के ह् का द् बन जाता है (दे० अनु० ७३) । इस के निम्नलिखित रूप उपलब्ध होते हैं—
 प्रथ० ए० अ॒न॒ड्व॒वा॒न् ; द्वि० अ॒न॒ड्व॒वा॒हौ ; व० अ॒न॒ड्व॒वा॒हः ।
 द्विती० ए० अ॒न॒ड्व॒वा॒हम् ; द्वि० अ॒न॒ड्व॒वा॒हौ ; व० अ॒न॒डु॒हः ।
 तृ० ए० अ॒न॒डु॒ह्वा (तै० सं०, मै० सं०); व० अ॒न॒डु॒ह्विः (मै० सं० २, ७, १२) ।

च० व० अ॒न॒डु॒द्भ्यः (अ०)^{१२७} । प० ए० अ॒न॒डु॒हः ।

स० ए० अ॒न॒डु॒हि (अ०); व० अ॒न॒डु॒त्सु ।

२. अजन्त प्रातिपदिक

१३६. हलन्त से अजन्त प्रातिपदिक बनाने की प्रवृत्ति—अजन्त प्रातिपदिकों की रूप-रचना के विषय में विचार करने से पूर्व यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि हलन्त प्रातिपदिकों से अजन्त प्रातिपदिक बनाने की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर घटती गई है । प्राचीनतम वैदिक भाषा में जो प्रातिपदिक केवल हलन्त थे उन के कुठ रूप प्रारम्भ में अजन्त प्रातिपदिकों की भाँति बनाये जाने लगे और कुठ समय तक भाषा में दोनों

प्रकार के रूप साथ-साथ प्रयुक्त होते रहे । अजन्त प्रातिपदिकों के रूपों ने धीरे-धीरे अपना पूर्ण आधिपत्य जमा कर हलन्त प्रातिपदिकों को कालान्तर में भाषा से पूर्णतया निकाल दिया और समास आदि में कहीं-कहीं प्राचीन हलन्त प्रातिपदिकों के अवशेष रह गये । इस तथ्य की पुष्टि के लिये हम धर्म^१ शब्द का उदाहरण ले सकते हैं । ऋ० में केवल हलन्त प्रातिपदिक धर्मन् “धारण-करने वाला” पुं० तथा धर्मन् “नियम” नपुं० के रूप मिलते हैं और अकारान्त प्रातिपदिक धर्म का कोई प्रयोग नहीं है । अ० इत्यादि में अजन्त प्रातिपदिक धर्म का प्रयोग उपलब्ध होता है और इस के समानार्थक हलन्त प्रातिपदिक का प्रयोग धीरे-धीरे छुप्त होता गया । पाणिनि के काल तक इस हलन्त प्रातिपदिक का प्रयोग इतना न्यून हो चुका था कि, बहुव्रीहि समास में हलन्त प्रातिपदिक धर्मन् अजन्त प्रातिपदिक धर्म का आदेश माना जाने लगा^{२२६} ।

प्राचीन भारतीय वैयाकरण भी हलन्त से अजन्त प्रातिपदिक बनाने की प्रवृत्ति से परिचित थे । सि० कौ० के अच्यय-प्रकरणम् में भट्टोजिदीक्षित द्वारा उद्धृत निम्नलिखित श्लोक में इस ओर संकेत किया गया है—

वष्टि भागुरिरल्लोपमंवाप्योखपसर्गयोः ।

आपं चैव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा ॥

इस विषय में यह तथ्य महत्त्वपूर्ण है कि प्रायेण अविकार्यङ्ग हलन्त प्रातिपदिकों से अजन्त प्रातिपदिक बनाये गये हैं । इस सम्बन्ध में कुछ प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत हैं—

- (१) अकारान्त प्रातिपदिक—हलन्त प्रातिपदिकों से बनाये गये अधिकतर अकारान्त प्रातिपदिक नपुं० में प्रयुक्त होते हैं और इस प्रकार कतिपय हलन्त प्रातिपदिकों का लिङ्ग-परिवर्तन कर दिया गया है । उदाहरणार्थ विष्टप् “शिखर”, द्वार “दरवाजा” तथा पुर “दुर्ग” स्त्री० हैं और इन से बने हुए अजन्त प्रातिपदिक विष्टर्प, द्वारं तथा पुरं नपुं० में प्रयुक्त होते हैं । ककुद् “शिखर” से बना हुआ अकारान्त प्रातिपदिक ककुद् पुं० तथा नपुं० दोनों लिङ्गों में प्रयुक्त होता है । हलन्त से

अकारान्त वनने पर भी कुछ प्रातिपदिकों का लिङ्ग अपरिणत रहता है; यथा—पद्, मास् तथा पुरोडाश् से क्रमशः पाद, मास तथा पुरोडाशं पुं० प्रातिपदिक ही बनते हैं। कतिपय नपुं० हलन्त प्रातिपदिकों से पुं० अकारान्त प्रातिपदिक बनाये गये हैं, यथा—धर्मन् तथा यामन् से क्रमशः धर्म तथा याम्।

(२) आकारान्त प्रातिपदिक—स्त्री० हलन्त प्रातिपदिकों से बनाये हुए सभी आकारान्त प्रातिपदिक स्त्री० में प्रयुक्त होते हैं और लिङ्ग-परिवर्तन का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। प्रमुख उदाहरण ये हैं—निद् “निन्दा” से निदा, क्षप् “रात्रि” से क्षपा, क्षिप् “अङ्गुलि” से क्षिपा, अप्सरस् से अप्सरा, आशस् से आशा, उपस् से उषा, जुरस् “बुढापा” से जुरा, नस् से नास् द्वारा नासा “नासिका”, और मेधस् “बुद्धि” से मेधा। पाणिनि केवल बहुव्रीहि समास में मेधा के अन्त में असिच् करके मेधस् के रूप को स्वीकार करता है^{१३५}।

(३) इकारान्त प्रातिपदिक—हलन्त प्रातिपदिकों से बनाये हुए अधिकतर इकारान्त प्रातिपदिक स्त्री० में प्रयुक्त होते हैं। नपुं० हलन्त प्रातिपदिक वार “जल” से बने हुए इकारान्त प्रातिपदिक वारि का लिङ्गपरिवर्तन नहीं हुआ है। परन्तु नपुं० हलन्त प्रातिपदिक अर्चि; “ज्वाला” से अर्चि पुं० और शोचिस् “ज्वाला” से शोचि स्त्री० (अ० १८, २, ९) प्रातिपदिक बनाये गये हैं। ज्योतिस् “प्रकाश” से बने हुए इकारान्त प्रातिपदिक ज्योति के रूप भी उपलब्ध होते हैं (पं० ब्रा० १६, १०, २; इत्यादि)।

१३७. पुं० हलन्त से स्त्री० अजन्त प्रातिपदिक—जैसा कि हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं, बहुत से विकार्यङ्ग प्रातिपदिकों के रूप केवल पुं० तथा नपुं० में बनते हैं और स्त्री० में प्रयोग करने के लिये उन से अजन्त प्रातिपदिक बनाये जाते हैं।

(१) जिन विकार्यङ्ग पुं० प्रातिपदिकों के अन्त में -वत्, -मत्, -वत्, -इन्, -यस्, -वस्, तथा -अभ्य् आता हैं (दे० अयु०

१२५-१२८, १३३) उन से स्त्री० प्रातिपदिक बनाने के लिये उन के साथ ई (पा० डीप्) प्रत्यय जोड़ा जाता है^{१३०}; यथा—अदत् से अदती, पिप्रत् से पिप्रती, परन्तु भवत् से भवन्ती, पुष्यत् से पुष्यन्ती, मदत् से मदन्ती^{१३१}; धेनुमत् से धेनुमती; अमवत् से अमवती; अर्किन् से अर्किणी; नवीयस् से नवीयसी; जग्मिवस् से जग्मुषी; प्रत्यञ्च् से प्रतीची, प्राञ्च् से प्राची ।

(२) -वन् अन्त वाले पुं० प्रातिपदिकों से स्त्री० बनाने के लिये अन्तिम न् के स्थान पर र् आदेश करने के अनन्तर ई (पा० डीप्) प्रत्यय जोड़ा जाता है^{१३२}; यथा—ऋत्तावन् से ऋतावरी । परन्तु जित प्रातिपदिकों के अन्त में -मन् आता है उन के पुं० तथा स्त्री० रूप समान रहते हैं^{१३३} । दे० अनु० १३१ ।

(३) -अन् अन्त वाले कतिपय प्रातिपदिकों के रूप पुं० तथा स्त्री० में समान रहते हैं । परन्तु कुछ पुं० प्रातिपदिकों का स्त्री० बनाने के लिये उपधालोप के अनन्तर ई (पा० डीप्) जोड़ा जाता है; यथा—सत्राज्ञी (-राज्ञन् से); अपतिघ्नी (-हन् से); मुधवन् से मुधोनी; श्वन् से शुनी । परन्तु युवन् का स्त्री० युवति बनता है^{१३४} ।

१३८. अकारान्त प्रातिपदिक—वैदिक भाषा में अकारान्त प्रातिपदिकों से बने हुए रूप सब से अधिक हैं और इन प्रातिपदिकों के रूप केवल पुं० तथा नपुं० में बनते हैं, क्योंकि स्त्री० में इन से प्रायेण आकारान्त प्रातिपदिक बना कर रूप चलाये जाते हैं । प्रथ० तथा द्विती० को छोड़ कर शेष सब विभक्तियों में पुं० तथा नपुं० के रूप सर्वथा समान बनते हैं ।

(क) विभक्ति-विकार तथा रूप-वैविध्य—अकारान्त प्रातिपदिकों के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियों में निम्नलिखित परिवर्तन हो जाते हैं और कतिपय विभक्तियों के दो रूप मिलते हैं—

(१) प्रथ० द्विती० ए० में नपुं० के साथ आने वाली विभक्ति का अम् बन जाता है^{१३५}; यथा—प्रियम् ।

(२) प्रथ० द्विती० द्वि० नपु० में ई विभक्ति जोड़ी जाती है^{१६}, और पुं० में कहीं औ और कहीं भा विभक्ति प्रयुक्त होती है^{१७}; यथा—प्रिये (नपु०), प्रियौ, प्रिया (पुं०) ।

विशेष—औ विभक्ति वाले द्वि० रूपों की तुलना में भा विभक्ति वाले रूपों का प्रयोग ऋ० में सात-गुने से भी अधिक है ।

(३) प्रथ० व० पुं० में कहीं अस (पा० जस्) और कहीं असस् विभक्ति प्रयुक्त होती है^{१८}; यथा—प्रियाः, प्रियासः ।

विशेष—असस् विभक्ति वाले रूपों की तुलना में अस विभक्ति वाले रूपों का प्रयोग ऋ० में द्वागुना और अ० में चौबीसगुना है ।

(४) प्रथ० द्विती० व० नपु० के रूपों में कहीं-कहीं विभक्ति तथा न् आगम अर्थात् नि (न्+इ) का लोप हो जाता है और केवल आकारान्त रूप बनता है (टि० १००); यथा—प्रिया, प्रियाणि ।

विशेष—ऋ० में -आ अन्त वाले रूप -आनि अन्त वाले रूपों से ज्योड़े हैं । परन्तु अ० में -आनि अन्त वाले प्रयोग -आ अन्त वाले प्रयोगों से ज्योड़े हैं और उत्तरकालीन संस्कृत में -आ अन्त वाले रूपों का पूर्ण लोप हो गया । पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि -अन् अन्त वाले नपुं० रूपों (यथा नामा, नामानि) के प्रभाव से -आनि अन्त वाले अन्य रूपों का प्रादुर्भाव हुआ ।

(५) द्विती० व० पुं० में प्रातिपदिक के अन्तिम अच् (अ, इ, उ, ऋ) तथा विभक्ति के आदि झ का पूर्वस्वर्णदीर्घ होने के अनन्तर विभक्ति के अन्तिम स् का न् बन जाता है^{१९}; यथा—प्रियान्, शुचीन्, मधून्, पितृन् ।

(६) वृ० ए० में विभक्ति के आ का इन, व० ए० में ए (पा० छे) का य, पं० ए० में अस (पा० रसि) का भात्, और ष० ए० में अस (पा० एत्) का स्य बन जाता है^{२०}; यथा—प्रियेण, प्रियार्य, प्रियात्, प्रियस्य ।

विशेष—तृ० ए० के कुछ रूपों में आ विभक्ति का प्रयोग मिलता है (टि० ९९); यथा—प्रिया । लगभग २५ रूपों में -इन् विभक्ति का अकार दीर्घ मिलता है (दे० अनु० ४६ ग); यथा—अमृतैना, ऋतेना ।

(७) तृ० व० में प्रायेण भिस् विभक्ति को ऐस् आदेश हो जाता है^{१४२}; यथा—प्रियैः, प्रियोभिः ।

विशेष—ऋ० में -ऐस् विभक्ति वाले रूप -भिस् विभक्ति वाले रूपों से कुछ अधिक हैं, परन्तु अ० में इन का प्रयोग पाँचगुना है और उत्तरकालीन संस्कृत में -भिस् विभक्ति के रूपों का पूर्ण अभाव है ।

(८) ष० व० में अकारान्त, आकारान्त, इकारान्त, उकारान्त, ऋकारान्त, इयविकाररहित ईकारान्त स्त्री० तथा उव्- विकाररहित ऊकारान्त स्त्री० प्रातिपदिकों के साथ प्रयुक्त होने वाली -भाम् विभक्ति से पूर्व न् जोड़ कर नाम् विभक्ति बना ली जाती है^{१४३}; यथा—प्रियाणाम् (प्रिय से), प्रियाणाम् (प्रिया से), शुचीनाम्, मधूनाम्, पितृणाम्, मातृणाम्, देवीनाम्, तनूनाम् ।

(९) सम्बुद्धि में विभक्ति के स् का लोप हो जाता है^{१४४}; यथा—प्रियं ।

(ख) अङ्गविकार—(१) च० ए० की विभक्ति य तथा तृ० च० पं० द्वि० की विभक्ति भ्याम् से पूर्व अङ्ग के अन्तिम अ का दीर्घ हो जाता है^{१४५}; यथा—प्रियायं, प्रियाभ्याम् ।

(२) ष० व० में नाम् से पूर्व अङ्ग के अन्तिम ह्रस्व स्वर का दीर्घ हो जाता है^{१४६}; यथा—प्रियाणाम् इत्यादि ऊपर देखिए ।

(३) बहुवचन की भकारादि विभक्ति, स० व० की सु विभक्ति, तथा ष० स० द्वि० की ओस् विभक्ति से पूर्व अकारान्त प्रातिपदिक के अन्तिम अ का ए बन जाता है^{१४७}; यथा—प्रियोभिः, प्रियेभ्यः, प्रियेषु, प्रियेषां (प्रिये + ओस्) ।

(ग) स्वर-वैशिष्ट्य—सम्बोधनवर्जित सभी विभक्तियों में अकारान्त प्रातिपदिकों का उदात्त अपने मूल स्थान पर ही रहता है ।

(घ) प्रिय के रूप—अकारान्त प्रातिपदिकों के जो रूप उपलब्ध होते हैं उन के आधार पर प्रिय शब्द के रूप इस प्रकार बनेंगे—

प्रिय (पुं०)

ए० ;	द्वि० ;	व०
प्रथ० प्रियः ;	प्रिया, प्रियौ ;	प्रियाः, प्रियासः ।
सम्बो० प्रिये ;	प्रिया, प्रियौ ;	प्रियाः, प्रियासः ।
द्विती० प्रियम् ;	प्रिया, प्रियौ ;	प्रियान् ।
तृ० प्रियेण, प्रियाः ;	प्रियाभ्याम् ;	प्रियैः, प्रियेभिः ।
च० प्रियार्य ;	” ;	प्रियेभ्यः ।
पं० प्रियात् ;	” ;	” ।
ष०, प्रियस्य ;	प्रिययोः ;	प्रियाणाम् ।
स० प्रिये ;	” ;	प्रियेषु ।
	नपुं०	
प्रथ० द्विती० प्रियम् ;	प्रिये ;	प्रिया, प्रियाणि ।

१३९. आकारान्त प्रातिपदिक—आकारान्त प्रातिपदिक दो वर्गों में विभक्त किये जा सकते हैं—(१) आवन्त प्रातिपदिक जिन के अन्त में स्त्रीवाची आ (पा० आप्) प्रत्यय आता है^{१३९}; यथा—कन्या, मनीषा (२) धातुज आकारान्त प्रातिपदिक; यथा—दा “देने वाला”, स्था “ठहरने वाला” । रूप-रचना में इन दोनों वर्गों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं । अत एव इन का पृथक् विवेचन वाञ्छनीय है ।

(क) आवन्त प्रातिपदिक—सभी आवन्त प्रातिपदिक निश्चय ही केवल स्त्री० में प्रयुक्त होते हैं । इन की विभक्तियों में निम्नलिखित विकार होते हैं—

विभक्ति-विकार तथा अङ्गविकार—प्रथ० ए० की विभक्ति का लोप हो जाता है^{१४०} और प्रथ० द्विती० द्वि० में ई (पा० शी) विभक्ति का प्रयोग होता है^{१४१}; यथा—मनीषा, शुभ्र । तृ० ए० में दो प्रकार के रूप बनते हैं—पुल्ल रूपों में आ विभक्ति (टि० १९) प्रातिपदिक के

साथ सीधी जोड़ दी जाती है, यथा—सुनीषा; परन्तु अधिकतर रूपों में आ विभक्ति से पूर्व अङ्ग के अन्तिम आ को ए में परिणत कर दिया जाता है^{१५०}; यथा—सुनीषया। इसी प्रकार ष० सं० द्वि० (टि० १५०) तथा सम्बुद्धि में अङ्ग के अन्तिम आ का ए बन जाता है^{१५१}; यथा—जङ्घयोः (अ०); गङ्गे (ऋ०)। च० पं० ष० सं० ए० की विभक्ति से पूर्व या (पा० याट्) आगम जोड़ा जाता है^{१५२} और सं० ए० की विभक्ति इ को आम् आदेश हो जाता है^{१५३}; यथा—जुरायै, कन्यायाः, ग्रीवायाम्।

विशेष—(१) ऋ० के लगभग बीस स्त्री० रूपों में प्रथ० व० के विशेष वैदिक प्रत्यय असस् (टि० १३८) का प्रयोग मिलता है; यथा—अतन्द्रासः “तन्द्रारहित”, पान्कासः “पवित्र”। इस विषय में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि ऐसे रूप प्रायेण विशेषण हैं। मैक्डानल प्रभृति विद्वानों के मतानुसार असस् प्रत्यय वाले पुं० रूपों के प्रभाव से ऐसे रूप बने हैं।

(२) ऋ० में तीन बार प्रयुक्त होने वाला अनुदात्त पद अन्व अम्बा का सम्बोधन माना जाता है^{१५४}, परन्तु वा० सं० (२३, १८) तथा तै० सं० (७, ४, १९, १) में अम्बै रूप उपलब्ध होता है।

(३) ब्राह्मणों तथा सूत्रों में, भारतीय वैयाकरणों के अनुसार, षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग मिलता है, और पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार पं० ष० ए० की विभक्ति के स्थान पर च० ए० की विभक्ति प्रयुक्त होती है^{१५५}; यथा—जीर्णायै त्वचः (कौ० ब्रा०) = जीर्णयाः त्वचः “जीर्ण त्वचा का”; ज्यायसी याज्यायै (ऐ० ब्रा०) = ज्यायसी याज्यायाः “याज्या से बड़ी”; अहल्यायै जारः (शत० ब्रा०) = अहल्यायाः जारः।

(४) अनेक भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार, कतिपय रूपों में सं० ए० की विभक्ति का पूर्ण लोप हो जाता है और केवल आकारान्त रूप मिलता है^{१५६}; यथा—गुहा (ऋ० ५, ६, ५; इत्यादि), दोषा (ऋ० २, ८, ३; इत्यादि)। परन्तु बहुत से

आधुनिक विद्वानों का मत है कि ये तृ० ए० के रूप हैं और स० ए० में आकारान्त प्रातिपदिकों का ऐसा कोई रूप नहीं है^{१५७} ।

(५) अधिकतर विद्वान् कुनीनाम् पद को कुन्या शब्द का ष० ब० का रूप मानते हैं^{१५८}, परन्तु कतिपय विद्वान् इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं^{१५९} । अ० में एक बार कुन्यानाम् पद का प्रयोग मिलता है ।

प्रिया के रूप

उपलब्ध रूपों के आधार पर प्रिया शब्द के रूप इस प्रकार बनेंगे—

ए०	;	द्वि०	;	ब०
प्रथ० प्रिया	;	प्रिये	;	प्रियाः, प्रियासः ।
सम्बो० प्रिये	;	प्रिये	;	प्रियाः ।
द्विती० प्रियाम्	;	प्रिये	;	प्रियाः ।
तृ० प्रियाया, प्रिया;		प्रियाभ्याम्;		प्रियाभिः ।
च० प्रियायै	;	„	;	प्रियाभ्यः ।
पं० प्रियायाः	;	„	;	„ ।
प० „	;	प्रिययोः	;	प्रियाणाम् ।
स० प्रियायाम्	;	„	;	प्रियासु ।

(ख) धातुज आकारान्त प्रातिपदिक—धातुज आकारान्त प्रातिपदिकों के रूप पुं० तथा स्त्री० में बनते हैं, परन्तु नपुं० में इन का कोई रूप नहीं बन सकता, क्योंकि नपुं० में प्रातिपदिकों का अन्तिम दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है^{१६०} । लगभग तीस धातुओं से बने हुए आकारान्त प्रातिपदिक मिलते हैं और इन में से अधिकतर प्रातिपदिक विशेषणात्मक समासों के उत्तरपद में मिलते हैं । इस सम्बन्ध में यह तथ्य विशेषतया उल्लेखनीय है कि धातुज आकारान्त प्रातिपदिकों को अकारान्त बनाने की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई है । उदाहरणार्थ अ० में धातुज आकारान्त पुं० प्रातिपदिकों का प्रायेण अभाव है और ऋ० के आकारान्त प्रातिपदिकों के स्थान पर अकारान्त प्रातिपदिक मिलते हैं; यथा—
नामधाः (ऋ० १०, ८२, ३) = नामधः (अ० २, १, ३); स्वर्णिप्राः

(ऋ०) = चर्षणिप्रः (अ०); सोमपाः (ऋ०) = सोमप (अ०) ।
उत्तरकालीन संस्कृत में धातुज आकारान्त प्रातिपदिकों के रूप अत्यल्प हैं ।

विभक्तियां तथा अङ्गविकार—इन प्रातिपदिकों के रूपों की प्रमुख विशेषता यह मानी जाती है कि पुं० प्रातिपदिकों की प्रथ० ए० विभक्ति (स) का लोप नहीं होता है और स्त्री० प्रातिपदिकों के कुछ रूपों में भी यह विभक्ति मिलती है^{१११} । असर्वनामस्थान की अजादि विभक्तियों से पूर्व प्रातिपदिक के अन्तिम आ का लोप हो जाता है^{११२}; यथा—क्रीलालपा + ए (च० ए०) = क्रीलालपे (ऋ० १०, ११, १४) । इन प्रातिपदिकों के अधिकतर रूप प्रथ० तथा द्विती० विभक्ति में मिलते हैं और अन्य विभक्तियों के रूप अत्यल्प हैं । प्रथ० ए० से अन्य विभक्तियों में पुं० तथा स्त्री० के रूप सर्वथा समान बनते हैं ।

स्वरवैशिष्ट्य—सब विभक्तियों में इन का उदात्त प्रातिपदिक पर रहता है ।

पुं० प्रातिपदिक—जा “सन्तति”, त्रा “रक्षक”, दा “दाता”, तथा स्था “खड़ा हुआ”—ये चार प्रातिपदिक एकाच् हैं और शेष पुं० प्रातिपदिक विशेषणात्मक समासों के उत्तरपद में मिलते हैं । अधिकतर विशेषणात्मक समासों के उत्तरपद में -गा “जाने वाला”, -जा (√जन् से) “उत्पन्न हुआ”, -दा “दाता”, -घा “कर्ता या दाता”, -पा “रक्षक”, -पा “पीने वाला”, -प्रा “पूरक”, -या “जाने वाला”, -सा (√सन् से) “प्राप्त करने वाला”, तथा -स्था “खड़ा हुआ” प्रातिपदिक उपलब्ध होते हैं^{११३}; यथा—अग्नेगा, अद्रिजा, गोदा, धामदा, रत्नधा, आयुष्पा, ऋतुपा, सोमपा, क्रीलालपा, चर्षणिप्रा, देव्या, धनसा, गोषा, ऋतुस्था, रथेष्ठा । इन के अतिरिक्त दुधिक्रा (सूर्य का एक नाम), ऋभुक्षा “ऋभुपति” (टि० १०२) । विस्रवा “मृगाल खोदने वाला”, इत्यादि महत्त्वपूर्ण हैं ।

जा के रूप

पुं० प्रातिपदिकों के उपलब्ध रूपों के आधार पर जा “सन्तति” के रूप इस प्रकार बनेंगे—

चतुर्थोऽध्यायः

	ए०	;	द्वि०	;	ब०
प्रथ०	जाः	;	जा, जौ	;	जाः ।
सम्बो०	जाः	;	जा, जौ	;	— ।
द्विती०	जाम्	;	जा, जौ	;	— ।
तृ०	—	;	जाभ्याम्	;	जाभिः ।
च०	जे	;	—	;	— ।
पं०	—	;	—	;	जाभ्यः ।
ष०	जः	;	—	;	— ।

स्त्री० प्रातिपदिक—क्षा “निवासस्थान”, खा “कूप”, मा “देवपत्नी”, जा “सन्तति”, ज्या “धनुष की डोरी”, मा “माप, मापने वाली”, तथा वा “समूह”—इन एकाच् प्रातिपदिकों के अतिरिक्त बहुत से स्त्री० प्रातिपदिक विशेषणात्मक समासों के उत्तरपद में आते हैं । समासों के उत्तरपद में आने वाले प्रातिपदिक प्रायेण वे ही हैं जिन की परिगणना पुं० प्रातिपदिकों में की जा चुकी है; यथा—अर्पगा, द्विविजा, वसुदा, गोधा, गोपा, गोपा, प्रतिष्ठा ।

प्रथ० ए० विभक्ति—(१) निम्नलिखित स्त्री० रूपों में प्रथ० ए० विभक्ति का स मिलता है—क्षाः, प्राः, ऋतृपाः, ऋतेजाः, कुलुपाः (अ०), वयोधाः (अ० ६, १, ८), गोधाः, गोपाः (अ०), गोधाः, द्विविजाः, द्विवेजाः, वनेजाः, वसुदाः, शतसाः, समनगाः, सहस्रसाः ।

(२) प्रासमैत्र प्रमृति विद्वान् वाः (ऋ० १, १२४, ८) को प्रथ० ए० का रूप मानते हैं, जबकि सायण तथा राट प्रमृति इसे प्रथ० य० का रूप स्वीकार करते हैं^{१५} ।

(३) यद्यपि पदपाठ के अनुसार निम्नलिखित रूप आकारान्त हैं अर्थात् इन की प्रथ० ए० विभक्ति का लोप माना गया है, तथापि पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि इन रूपों में विभक्ति के स की सत्ता मानी जा सकती है, क्योंकि इन में धरे स्वर रहते हुए भी इन का अन्तिम वा विवृत्ति-भाव (Hiatus) से रहता है^{१६}—ज्या (ऋ० ६, ७५, ३) निद्रा (ऋ० ८, ४८, १४), प्रपा (ऋ० १०,

४, १), श्रद्धा (ऋ० ७, ३२, १४), स्वधा (ऋ० १०, १२९, ५)-
तै० सं० ४, ४, ११, ३ में प्रतिमा, विमा, उन्मा, प्रमा ।

(४) अन्य सब आकारान्त प्रातिपदिकों की प्रथ० ए० विभक्ति छूट हो जाती है ।

जा "सन्तति" के रूप

उपलब्ध रूपों के आधार पर जा स्त्री० प्रातिपदिक के रूप इस प्रकार बनेंगे—

प्रथ० ए० जाः, जा (अ०) ।

प्रथ० व० जाः ।

द्विती० ए० जाम्; व० जाः ।

तृ० ए० जा; द्वि० जाम्याम्; ष० जाभिः ।

च० ए० जे; व० जाम्यः ।

स० ए० जासु ।

(ग) पन्था, मन्था, ऋभुक्षा, म्हा, अर्तथा और उशर्ना के रूप—पाणिनि के मतानुसार, पथिन्, मथिन् तथा ऋभुक्षिन् प्रातिपदिकों के अन्तिम -इन् के स्थान पर वा आदेश करने से प्रथ० ए० में पन्थाः, मन्थाः तथा ऋभुक्षाः रूप बनते हैं; सर्वनामस्थान में अन्तिम -इन् के स्थान पर -अन् और थ का स्थ आदेश करने से पन्थानौ, पन्थानः, मन्थानौ, मन्थानः, ऋभुक्षाणौ, ऋभुक्षाणः इत्यादि रूप बनते हैं; असर्वनामस्थान की हलादि विभक्तियों से पूर्व अन्तिम न् का लोप करने से पथिभिः, मथिभिः, ऋभुक्षिभिः इत्यादि रूप बनते हैं; और असर्वनामस्थान की अजादि विभक्तियों से पूर्व अन्तिम -इन् का लोप करने से पथः, मथः, ऋभुक्षः इत्यादि रूप बनते हैं^{६६} । पाणिनि उशर्नस प्रातिपदिक मान कर प्रथ० ए० में उशर्ना रूप का समाधान करता है (दे० अनु० १२२ क; टि० ५९) ।

आधुनिक विद्वानों के मतानुसार, पन्था आकारान्त प्रातिपदिक है; पथ्, पन्थन् तथा पथि पृथक् और पूरक प्रातिपदिक हैं; और इन में से प्रत्येक के अपने-अपने रूप मिलते हैं (दे० अनु० १११, १२७, १३० क;

चतुर्थोऽध्यायः

टि० २८) । इसी प्रकार मन्था आकारान्त प्रातिपदिक माना जाता है ।

पन्था तथा मन्था के निम्नलिखित रूप उपलब्ध होते हैं—

प्रथ० ए० पन्थाः ।

प्रथ० व० पन्थाः, पन्थासः (ऋ० १, १००, ३) ।

द्विती० ए० पन्थाम्, मन्थाम् ।

पृथि प्रातिपदिक से बने हुए रूप भी मिलते हैं; यथा—प्रथ० व० पृथयः (तै० सं० ५, ७, २, ३), प० व० पृथीनाम् (ऋ०, अ०) । इसी प्रकार ऋ० (८, ५३, ८) में मृथीनाम् रूप मिलता है जिस का प्रातिपदिक मृथि (मृथिन् ?) माना जा सकता है ।

पाश्चात्य विद्वान् ऋभुक्षा को आकारान्त प्रातिपदिक मान कर प्रथ० ए० में ऋभुक्षाः रूप का समाधान करते हैं (टि० १०२) । उशना को आकारान्त प्रातिपदिक मान कर इस के आधार पर निम्नलिखित रूपों का समाधान किया जाता है^{१५०}—

प्रथ० ए० उशना ।

द्विती० ए० उशनम् ।

च० ए० उशने ।

अनेक आधुनिक विद्वान् महा प्रातिपदिक के आधार पर द्विती० ए० के रूप महाम् (ऋ०) तथा महाकुल, महाम्राम इत्यादि समासों के पूर्वपद म्हा का समाधान करते हैं, परन्तु पाणिनि के मतानुसार महव के व को आदेश करने से महा वर्तता है^{१५१} । अर्थात् (ऋ० १, ८२, १) “वैसा न करने वाला” रूप आकारान्त प्रातिपदिक अर्थात् (नव्+तथा) का प्रथ० ए० माना जाता है ।

इकारान्त तथा उकारान्त प्रातिपदिक

१४०. वैदिक भाषा में इकारान्त तथा उकारान्त प्रातिपदिकों से बनने वाले रूपों की संख्या बहुत बड़ी है । इन में से अधिकतर रूप पुं० तथा स्त्री० के हैं और कुछ रूप नपुं० के भी हैं । इकारान्त तथा उकारान्त प्रातिपदिकों की रूप-रचना में विशेष सादृश्य है और पाणिनि ने सखिर्वर्जित इकारान्त तथा उकारान्त प्रातिपदिकों के लिये सामान्य घि संज्ञा का व्यवहार किया

है^{१९९}। अत एव इन प्रातिपदिकों की रूप-रचना पर सामान्य विवेचन करना समीचीन होगा।

विभक्ति-विकार तथा अङ्ग-विकार—(१) पुं० तथा स्त्री० प्रातिपदिकों के प्रथ० द्विती० द्वि० रूपों में प्रातिपदिक के अन्तिम स्वर (इ उ) और विभक्ति के स्वर (औ) दोनों के स्थान पर पूर्ववर्ती स्वर (इ उ) का दीर्घ हो जाता है^{१९०}; यथा—अग्नी, जामी (स्त्री०), ब्राह्म, धेनु। द्विती० व० में प्रातिपदिक के अन्तिम स्वर (इ उ) और अस (पा० शस्) विभक्ति के आदिं अ के स्थान पर पूर्ववर्ती स्वर (इ उ) का दीर्घ हो जाता है (टि० १७०) और पुं० में विभक्ति के अन्तिम स का न् वन जाता है (टि० १३९); यथा—गिरीन्, भूर्मीः, शत्रून्, धेनुः।

विशेष—ब्राह्म का द्विती० द्वि० ब्राह्मवा मिलता है (टि० १७४) और पशु का द्विती० व० पश्वः तथा पशून् बनता है।

(२) अकारान्त भिन्न नपुं० प्रातिपदिकों से परे प्रथ० द्विती० ए० की विभक्ति का लोप हो जाता है^{१९१}; यथा—दधि, मधु। प्रथ० द्विती० व० की विभक्ति (इ) से पूर्व अङ्ग को न् (पा० नुम्) का आगम होता है^{१९२} और उस के पश्चात् अङ्ग के अन्तिम स्वर का दीर्घ हो जाता है (टि० ९५) है; यथा—शुचीनि, मधूनि।

विशेष—प्रथ० द्विती० व० के कुछ रूपों में अङ्ग के अन्तिम स्वर का दीर्घ होने के पश्चात् न् आगमसहित विभक्ति इ अर्थात् नि का लोप हो जाता है और कहीं-कहीं न् आगम से पूर्व ही विभक्ति का लोप हो जाता है (टि० १००); यथा—शुचीं, भूरिं, वसू, मधु। पदपाठ में सर्वत्र ह्रस्व स्वर दिखलाया गया है। ऋ० में प्रथ० द्विती० व० के इकारान्त (भूरिं जैसे) तथा ईकारान्त (शुचीं जैसे) प्रयोग लगभग तुल्य ही हैं और लगभग पचास रूपों में मिलते हैं। शुचीनि जैसे पूर्ण रूप ऋ० में चौदह बार प्रयुक्त हुए हैं। परन्तु उकारान्त प्रातिपदिकों के मधूनि जैसे पूर्ण रूपों का प्रयोग विभक्तिलोप वाले प्रयोगों से ऋ० में अधिक है, और वसू जैसे उकारान्त रूपों की तुलना में मधु जैसे उकारान्त रूपों का

प्रयोग दुगुना है। वारह उकारान्त प्रातिपदिकों से विभक्तिलोप वाले रूप बनते हैं।

अुरि “श्रद्धालु” का द्विती० ए० अुरिम् तथा अुर्यम् बनता है। अनेक विद्वान् वा० सं० ६, ३६ के अुरीः पद को इस का प्रथ० ए० मानते हैं^{१७३}क।

(३) पुं० तथा नपुं० प्रातिपदिकों के तृ० ए० के रूपों में साधारण-तया विभक्ति का ना बन जाता है^{१७४}; यथा—शुचिना, मधुना। स्त्री० प्रातिपदिक के साथ विभक्ति का अविकृत रूप आ जोड़ा जाता है; यथा—शुच्या।

विशेष—नपुंसक रूपों में सर्वत्र विभक्ति का ना हो जाता है, परन्तु ऋ० के पांच इकारान्त तथा चार उकारान्त पुं० प्रातिपदिकों के साथ विभक्ति का अविकृत रूप आ जोड़ा जाता है^{१७५} यथा; शुच्या, मध्वा। और पच्चीस इकारान्त तथा तीस उकारान्त प्रातिपदिकों के साथ विभक्ति का ना रूप आता है। स्त्री० प्रातिपदिकों के बहुत से रूपों में प्रातिपदिक के अन्तिम स्वर इ और विभक्ति के स्वर आ के स्थान पर पूर्ववर्ती स्वर (इ) का दीर्घ हो जाता है (टि० ९९); यथा—शुचि + आ = शुची; ऊती। इस प्रकार के स्त्री० रूप ऋ० में साधारण (आकारान्त) रूपों से दुगुने हैं। ऊती का प्रयोग प्रायेण च० के अर्थ में किया जाता है। लगभग एक दर्जन स्त्री० रूपों में इकारान्त प्रातिपदिक से परे आने वाली विभक्ति का लोप हो जाता है (टि० ९९); यथा; सुवृक्ति, सुशुक्ति। इकारान्त स्त्री० प्रातिपदिकों के कतिपय रूपों में अङ्ग के साथ पुं० रूपों की भांति ना विभक्ति जोड़ी जाती है^{१७६}; यथा—घ्रासिना “स्थान” (ऋ० ६, ६७, ६); नाभिना (ऋ० ६, ३९, ४) प्रेतिना “प्रगति” (वा० सं० १५, ६; शत० ब्रा० ८, ५, ३, ३)।

विशेष—(४) उत्तरकालीन संस्कृत में सभी अजादि विभक्तियों से पूर्व इकारान्त, उकारान्त तथा ऋकारान्त प्रातिपदिकों के अन्तिम स्वर को न् का भागम किया जाता है^{१७७}, परन्तु वैदिक-भाषा में बहुत थोड़े प्रातिपदिकों के कतिपय रूपों में अजादि विभक्ति से पूर्व न् का आगम किया जाता है और प्रायेण इस न् आगम के बिना रूप बनाये जाते हैं; यथा—प्रथ०

द्विती० द्वि० शुची (ऋ०), उर्वी (उरु से, ऋ० का एकमात्र उदाहरण); च० ए० शुचये (ऋ०), उरवे; पं० ए० मधोः; ष० ए० भूरेः, मधोः । इकारान्त प्रातिपदिकों के रूपों में न् आगम के उदाहरण लगभग अप्राप्य हैं, परन्तु उकारान्त प्रातिपदिकों की निम्नलिखित विभक्तियों में न् आगम के कतिपय उदाहरण उपलब्ध होते हैं; यथा— प्रथ० द्वि० जानुनी (वा० सं० २०, ८, एकमात्र उदाहरण); च० ए० मधुने (ऋ०); पं० ष० ए० मधुनः; स० ए० सानुनिं; ष० द्वि० जानुनोः (अ०) ।

(५) प्रथ० व० तथा च० पं० ष० ए० में पुं० और स्त्री० इकारान्त तथा उकारान्त प्रातिपदिकों के अङ्ग के अन्तिम स्वर को गुण हो जाता है^{१७७}; और गुण स्वर के पञ्चात् पं० ष० ए० की विभक्ति (अस्) के आदि ष का पूर्वरूप हो जाता है^{१७८} । उदाहरण नीचे देखिये । उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि च० पं० ष० ए० में जिन नपुं० प्रातिपदिकों के अङ्ग को न् का आगम नहीं होता उन के अन्तिम स्वर को गुण होकर पुं० तथा स्त्री० की भांति रूप बनते हैं ।

विशेष—(क) कुछ रूपों में इकारान्त तथा उकारान्त प्रातिपदिकों के अङ्ग को गुण नहीं होता है^{१७९}; यथा— प्रथ० व० पुं० स्त्री० अर्यः (ऋ० में १६ वार, अरि “श्रद्धालु” से); पुं० स्त्री० मध्वः (ऋ० में ४ वार), स्त्री० शतक्रत्वः (ऋ० १०, १७, २); च० ए० पुं० क्रत्वै (कर्तु से), शिश्वै (शिशु से), सहस्रवाह्वे (बाहु से), नपुं० पश्वै^{१८०}; पं० ए० पुं० पित्वः (पितु “अन्न” से), नपुं० मध्वः (एक वार); ष० ए० पुं० अर्यः (अरि से), अव्ययः (अवि “भेड़” से), पश्वः, पित्वः, क्रत्वै; पुं० नपुं० मध्वः, वस्वः (वसु से) ।

(ख) ऋ० में प्रथ० व० से पूर्व दस इकारान्त स्त्री० प्रातिपदिकों के कुछ रूपों में अन्तिम इ को गुण नहीं होता है (टि० १७९) और ईकारान्त स्त्री० रूपों की भांति अङ्ग के अन्तिम इकार तथा अस् विभक्ति के अकार के स्थान पर पूर्वसवर्णदीर्घ (ई) हो जाता है^{१८१}; यथा— अ्वनीः “धाराए”, आजानीः “जन्म”, ऊतीः “अनुग्रह”, भूमीः, अङ्गुलीः (अ०), नाभीः (अ०) । सामान्यतया अ्वनयः, कृतयः, भूमयः

इत्यादि बनते हैं। च० पं० प० ए० में इकारान्त स्त्री० प्रातिपदिकों के कुछ रूप ईकारान्त स्त्री० की भांति बनते हैं और अन्तिम स्वर को गुण नहीं होता है; यथा—च० ए० भृत्यै (भृति “भरण” से); पं० प० ए० भूम्याः, प० ए० युवत्याः। ब्राह्मणग्रन्थों में ष० ए० विभक्ति के स्थान पर च० ए० विभक्ति ऐ (आ+ए) का प्रयोग मिलता है (टि० १५५)।

(ग) वेवर द्विद्योत् (तै० सं०, १, ८, १४, १) तथा विद्योत् (वा० सं० २२, २) को उकारान्त प्रातिपदिक का पं० ए० मानता है^{१८२}।

(६) स० ए० में प्रातिपदिक के अन्तिम स्वर का अ बन जाता है और विभक्ति (इ) का औ बन जाता है^{१८३}; यथा—शुचौ, मधौ।

विशेष—(क) परन्तु पुं० तथा स्त्री० इकारान्त प्रातिपदिकों के लगभग एक तिहाई रूपों में इ विभक्ति के स्थान पर आ (पा० डा) का प्रयोग होता है और अङ्ग के अन्तिम स्वर का लोप हो जाता है (टि० १९); यथा—स० ए० पुं० अग्ना, स्त्री० नाभा। केवल एक रूप अप्रता (ऋ० ८, ३२, १६) नपुं० में मिलता है।

(ख) कुछ इकारान्त स्त्री० प्रातिपदिकों के साथ स० ए० में ईकारान्त स्त्री० प्रातिपदिकों की भांति आम् (टि० १५३) विभक्ति आती है^{१८४}; यथा—भूम्याम्, युवत्याम्।

(ग) चार प्रयोगों में वेदि का स० ए० वेदी और ऋ० ३, ५१, ७ में प्रणीति का स० ए० प्रणीती बनता है [दे० अनु० ४५ ख (२)]। प्रणीती तृ० ए० का रूप भी हो सकता है जैसा कि सायण ने माना है।

(घ) कुछ उकारान्त पुं० तथा नपुं० प्रातिपदिकों के स० ए० रूप में अङ्ग के अन्तिम स्वर को गुण होने पर इ विभक्ति जोड़ी जाती है (इ का औ नहीं बनता है, न उ का ष; दे० टि० १७९); यथा—पुं० सूनवि (सूनु से), नपुं० सानवि (सानु से)।

(७) सम्युद्धि में इकारान्त तथा उकारान्त पुं० स्त्री० प्रातिपदिकों के अन्तिम स्वर को गुण हो जाता है^{१८५} और विभक्ति (स् का लोप हो

जाता है (टि० १४३); यथा—अग्ने^०, अदिते, वायो, सिन्धो ।

विशेष—नपुं० में गुग्गुलु (अ० १६, ३८, २; पामे० गुल्गुलु, गुग्गुलु, गुग्गुलो) तथा उरौ (तै० सं० १, ३, ८, १) दो उदाहरण उपलब्ध होते हैं, जिन में से एक को गुण हुआ है^{१८९} ।

(८) वि "पक्षी" का प्रथ० ए० वि: तथा वे: वनता है^{१९०} । जनी "पत्नी" का ष० ए० जन्युः (ऋ० १०, १०, ३) और प्रथ० ए० जनी (ऋ० ४, ५२, १) माना जाता है^{१९१} । अक्षि, अस्थि, दधि तथा सर्षि अपूर्ण प्रातिपदिक हैं और इन के पूरक प्रातिपदिकों के लिये देखिये अनु० १३० (ग) ।

स्वर-वैशिष्ट्य—जिन विभक्तियों में अन्तोदात्त प्रातिपदिकों के इ उ का य् ष् वनता है, उन विभक्तियों में तथा ष० व० में अन्तोदात्त प्रातिपदिकों का उदात्त विभक्ति के स्वर पर चला जाता है; यथा—कृत्वः, अर्यः, अग्नीनाम्, पशूनाम् ।

शुचि तथा मधु के रूप—

यद्यपि किसी भी प्रातिपदिक के सम्पूर्ण रूप नहीं मिलते हैं, तथापि शुचि "शुभ्र" तथा मधु "मधुर" शब्दों के अनेक रूप तीनों लिङ्गों में उपलब्ध होते हैं । अत एव हम इन के रूप चलाएंगे । इकारान्त तथा उकारान्त प्रातिपदिकों के उपलब्ध रूपों के आधार पर इनके रूप इस प्रकार बनेंगे—

शुचि पुं०

	ए०	;	द्वि०	;	ब०
प्रथ०	शुचिः	;	शुची	;	शुचयः ।
सम्बो०	शुचे	;	शुची	;	शुचयः ।
द्विती०	शुचिम्	;	शुचीं	;	शुचीन् ।
तृ०	शुचिना, शुच्या	;	शुचिभ्याम्	;	शुचिभिः ।
च०	शुचये	;	"	;	शुचिभ्यः ।
पं०	शुचैः	;	"	;	"

चतुर्थोऽध्यायः

ष०	शुचैः	;	शुच्योः	;	शुचीनाम् ।
स०	शुचौ, शुचा	;	,,	;	शुचिषु ।

शुचि स्त्री०

प्रथ०	शुचिः	;	शुची	;	शुचयः ।
सम्बो०	शुचै	;	शुची	;	शुचयः ।
द्विती०	शुचिम्	;	शुची	;	शुचीः ।
तृ०	शुच्या, शुची, शुचिः	;	शुचिभ्याम्	;	शुचिभिः ।
च०	शुचये	;	शुचिभ्याम्	;	शुचिभ्यः ।
पं०	शुचैः	;	शुचिभ्याम्	;	शुचिभ्यः ।
ष०	शुचैः	;	शुच्योः	;	शुचीनाम् ।
स०	शुचौ, शुचा	;	,,	;	शुचिषु ।

शुचि नपुं०

प्रथ०	द्विती०	शुचि	;	शुची	;	शुची, शुचि, शुचीनि
सम्बो०		×		×		×
तृ०	शुचिना (एकमात्र उदाहरण, ऋ० २, ३५, ८) ;		शुचिभ्याम् ;			×
च०	शुचये (एकमात्र उदाहरण, ऋ० ७, ४१, ६) ;		×	;		×
पं०		×	;	×	;	शुचिभ्यः ।
ष०	शुचैः	;	×	;		×
स०	शुचौ, शुचा	;	शुच्योः	;		शुचिषु ।

× इन के उदाहरण अनुपलब्ध हैं ।

मधु पुं०

	ए०	;	द्वि०	;	ष०
प्रथ०	मधुः	;	मधू	;	मधयः, मध्वः ।
सम्बो०	मधो	;	मधू	;	मधवः, मध्वः ।
द्विती०	मधुम्	;	मधू	;	मधून् ।

तृ०	मधुना, मध्वा ;	मधुभ्याम् ;	मधुभिः ।
च०	मध्वे, मध्वै ;	मधुभ्याम् ;	मधुभ्यः ।
पं०	मधोः, मध्वः ;	मधुभ्याम् ;	मधुभ्यः ।
ष०	मधोः, मध्वः ;	मध्वोः ;	मधूनाम् ।
स०	मधौ, मध्वि ;	मध्वोः ;	मधुषु ।

मधु स्त्री०

प्रथ०	मधुः ;	मधू ;	मध्वः, मध्वः ।
सम्बो०	मधो ;	मधू ;	मध्वः, मध्वः ।
द्विती०	मधुस् ;	मधू ;	मधूः, मध्वः ।
तृ०	मध्वा ;	×	मधुभिः ।
च०	मध्वे ;	×	मधुभ्यः ।
पं०	मधोः ;	×	मधुभ्यः ।
ष०	मधोः ;	×	मधूनाम् ।
स०	मधौ ;	मध्वोः ;	मधुषु ।

मधु नपुं०

प्रथ०	द्विती०	मधु ;	मध्वी, मधुनी ;	मधू, मधु, मधूभिः
सम्बो०	मधु, मधो ;	×	;	×
तृ०	मधुना, मध्वा ;	×	;	मधुभिः ।
च०	मधुने, मध्वे, मध्वै ;	×	;	मधुभ्यः ।
पं०	मधुनः, मधोः, मध्वः ;	मधुभ्याम् (अ०) ;	×	
ष०	मधुनः, मधोः, मध्वः ;	मधुनोः (अ०) ;	;	मधूनाम् ।
स०	मधुनि, मधौ, मध्वि ;	×	;	मधुषु ।

× इन के उदाहरण अनुपलब्ध हैं ।

२४१. पति तथा सखि के रूप—

इन दोनों प्रातिपदिकों के रूपों की अनेक विशेषताएँ हैं। अत एव इनका पृथक् विवेचन वाञ्छनीय है। पति के रूप प्रथ० तथा द्विती० में और इन दोनों शब्दों के रूप सम्युद्धि में और तृ० द्वि० आदि हलादि

तथा भोस् (प० स० द्वि०) से पूर्व साधारण इकारान्त (धिसंज्ञक) प्रातिपदिकों के समान बनते हैं ।

(क) पति के रूप—जब पति शब्द का अर्थ “भर्ता” होता है और यह समास के उत्तरपद में नहीं आता है, तब इसके तृ० च० ए० में शुद्ध अङ्ग के साथ विभक्ति का शुद्धरूप (आ, ए) जोड़ा जाता है; यथा—पत्या, पत्ये । पति “भर्ता” से परे पं० प० ए० की विभक्ति को उस् आदेश और स० ए० विभक्ति को औ आदेश हो जाता है^{१९}; यथा—पत्युः, पत्यौ । अन्य विभक्तियों में इसके रूप साधारण इकारान्त (धिसंज्ञक) प्रातिपदिकों की भांति बनते हैं ।

परन्तु जब पति शब्द “स्वामी” अर्थ का वाचक है या समास के उत्तरपद में आता है, तब इसके रूप साधारण इकारान्त (धिसंज्ञक) प्रातिपदिकों की भांति बनते हैं^{२०}; यथा—पतिना, पतये (अ० ३, १०, ९), प० ए० पतेः (ऋ० ९, ३५, ६), बृहस्पतिना, बृहस्पतये, पं० ए० प्रजापतेः, प० ए० बृहस्पतेः, स० ए० गोपतौ ।

अपवाद—उपर्युक्त नियम के अपवाद भी मिलते हैं । “भर्ता” अर्थ के वाचक पति शब्द के रूप धिसंज्ञक के समान मिलते हैं; यथा—पतौ (अ० ३, १८, ३) । इसके विपरीत “स्वामी” अर्थ के वाचक पति शब्द के रूप गुणरहित अङ्ग के साथ शुद्ध विभक्ति से बनते हैं; यथा—पत्ये विश्वस्य भूर्मनः (वा० सं० १७, ७८) । पति का स्त्री० पत्नी बनता है और उसके रूप ईकारान्त स्त्री० (देवी इत्यादि) के सदृश चलते हैं ।

(ख) सखि के रूप—प्रथ० ए० में सखि का सखा रूप बनता है और सर्वनामस्थान की सम्बुद्धिवर्जित विभक्तियों से पूर्व सखि के इ को गुण हो जाता है^{२१}; यथा—प्रथ० ए० सखा; द्वि० सखाया, सखायौ; व० सखायः । द्विती० ए० सखायम्; द्वि० सखाया, सखायौ; व० सखीन् । सम्बो० ए० सखे ।

च० ए० इत्यादि विभक्तियों से पूर्व सखि के इ को गुण नहीं होता है (टि० १६९) और तृ० च० ए० की शुद्ध विभक्ति (आ, ए) शुद्ध अङ्ग के साथ जोड़ी जाती है; यथा—सख्या, सख्ये । पं० प० ए०

की विभक्ति को उस और स० ए० की विभक्ति को औ आदेश (टि० १८९) हो जाता है; यथा—सख्युः, (सख्यौ) ।

ऋ० में आठ समासों के उत्तरपद में आने वाले सखि शब्द के रूप पुं० तथा स्त्री० में उपर्युक्त नियमों के अनुसार बनते हैं; यथा—प्रथ० ए० पुं० स्त्री० म॒ख्यसखा (वस०), पुं० गोसखायम्, सुसखायः । परन्तु ऋ० के चार समासों के उत्तरपद में आने वाला सखि शब्द अकारान्त बना दिया गया है^{१९२}; यथा—म॒ख्यत्सखम् (ऋ० १,४,७) । दे० अनु० १९१ (ख) ।

ईकारान्त तथा ऊकारान्त प्रातिपदिक

१४२. अधिकतर ईकारान्त तथा ऊकारान्त प्रातिपदिक स्त्री० में प्रयुक्त होते हैं और पुं० प्रातिपदिक बहुत थोड़े हैं । समासों के उत्तरपद में प्रयुक्त होने वाले विशेषणात्मक प्रातिपदिक पुं० तथा स्त्री० में आते हैं । नपुं० में कोई ईकारान्त तथा ऊकारान्त प्रातिपदिक नहीं है और समास के उत्तरपद में आने वाला ईकारान्त तथा ऊकारान्त प्रातिपदिक जब नपुं० का विशेषण बनता है, उस का अन्तिम ई ऊ ह्रस्व हो जाता है (टि० १६०) ।

रूप-रचना के विचार से प्रातिपदिकों को पाणिनीय व्याकरण के अनुसार तीन मुख्य वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—

- (१) नदीसंज्ञक प्रातिपदिक^{१९३};
- (२) द्व्यङ्ग्वङ्स्थान प्रातिपदिक^{१९४} तथा
- (३) यण्स्थान प्रातिपदिक ।

नदीसंज्ञक प्रातिपदिक प्रायेण अनेकाच् और द्व्यङ्ग्वङ्स्थान प्रातिपदिक एकाच् हैं । पुं० प्रातिपदिकों की विशेषता यह है कि उन के अङ्ग में तथा विभक्ति में प्रायेण विकार नहीं होता है । कुल्लेक पुं० प्रातिपदिक एकाच् हैं और अधिकतर पुं० प्रातिपदिक समासों के उत्तरपद में मिलते हैं । अधिकतर पुं० प्रातिपदिक तृतीय वर्ग में आते हैं, परन्तु तृतीय वर्ग में अनेक स्त्री० प्रातिपदिक भी सम्मिलित हैं ।

ईकारान्त प्रातिपदिकों के रूप

१४३. (क) नदीसंज्ञक ईकारान्त प्रातिपदिक—

नदीसंज्ञक ईकारान्त प्रातिपदिकों की संख्या बहुत बड़ी है और इन में से अधिकतर प्रातिपदिक स्त्रीवाचक ई (पा० ङी) प्रत्यय जोड़ने से बने हुए हैं^{१५}। इन प्रातिपदिकों को ङ्यन्त कहा जा सकता है। देवी प्रातिपदिक को इन का प्रतिनिधि कहा जा सकता है। इस वर्ग में कतिपय प्रातिपदिक ऐसे हैं जिन के रूप प्रथ० द्विती० के सब वचन, च० पं० ष० स० ए० में कहीं-कहीं भिन्न बनते हैं। इन में वृकी, यमी, गौरी आदि प्रमुख हैं और वृकी को इन का प्रतिनिधि माना जा सकता है। उत्तरकालीन संस्कृत में दोनों की रूप-रचना का भेद विलीन हो गया।

विभक्तिविकार तथा अङ्गविकार—

(१) ङ्यन्त प्रातिपदिकों से परे आने वाले प्रथ० ए० स् का लोप हो जाता है (टि० १४८); यथा—देवी।

विशेष—जो ईकारान्त प्रातिपदिक ङ्यन्त नहीं माने जाते हैं उन से परे प्रथ० ए० स् का लोप नहीं होता है। यद्यपि उत्तरकालीन संस्कृत भाषा में ऐसे प्रातिपदिक कुछेक हैं, तथापि वैदिक भाषा में ३३ प्रातिपदिकों से बने ५६ रूप मिलते हैं जिनमें स् का लोप नहीं होता है; यथा—लक्ष्मीः, नादीः, तुन्द्रीः, शुकटीः। कुछ प्रातिपदिकों के अन्त में ङी प्रत्यय माना जाता है, तब भी वेद में उन से परे स् विभक्ति का लोप नहीं होता है; यथा—गौरीः (ऋ० १, १६४, ४१), कल्याणीः (ऋ० ३, ५३, ६), यमीः (ऋ० १०, १०, ९); वृकीः।

(२) सम्बुद्धि में अङ्ग के अन्तिम स्वर का ह्रस्व हो जाता है (टि० १५४) यथा—देवि।

(३) प्रथ० द्विती० द्वि० के अधिकतर रूपों में औ विभक्ति अङ्ग के ई में विलीन (अर्थात् पूर्वरूप) हो जाती है (टि० १८१); यथा—देवी। ऋ० में एक भी ऐसा रूप नहीं मिलता है जिस में औ आता हो, परन्तु अन्य संहिताओं के कुछेक रूपों में औ मिलता है; यथा—फलुन्वी (अ०), ग्वीन्वी (तै० सं०),

पत्न्यौ (वा० सं०) । कुछ रूपों में औ, का आ हो जाता है; यथा—
नृधा, यर्म्या (ऋ०), नृड्यौ (अ०) ।

(४) अधिकतर वैदिक रूपों में प्रथ० व० विभक्ति अस् (पा० जस्) का अकार अङ्ग के अन्तिम ई में विलीन (अर्थात् पूर्वरूप) हो जाता है (टि० १८१); यथा—देवीः । ऋ० में उपलब्ध होने वाले ४०० से अधिक रूपों में से केवल स्त्रियः, पृश्न्यः तथा सुपुण्यः में इस का अपवाद मिलता है । इसी प्रकार अ० के दो रूपों में और वा० सं० के लगभग दस रूपों में इस नियम का अपवाद मिलता है ।

द्विती० व० के रूपों में सर्वत्र अस् (पा० शस्) विभक्ति का अकार अङ्ग के अन्तिम ई में विलीन हो जाता है (टि० १७०); यथा—देवीः । परन्तु वृकी सदृश प्रातिपदिकों के प्रथ० द्विती० व० रूपों में विभक्ति (अस्) का पूर्वरूप नहीं होता है; यथा—गौर्यः, नृधः, यर्म्यः ।

(५) द्विती० ए० की अस् विभक्ति का अकार प्रायेण अङ्ग के अन्तिम ई में विलीन हो जाता है^{१५}; यथा—देवीम् । परन्तु वृकी सदृश प्रातिपदिकों के रूपों में विभक्ति के अ के निमित्त से अङ्ग के ई का य् वन जाता है (टि० १९६); यथा—नृधम् (ऋ०), गौर्यम् (ऋ०), सिंद्धम्, कुमार्थम् (अ०), लक्ष्म्यम् (अ०), वृक्यम् (ऋ०) ।

(६) च० पं० ष० ए० की विभक्ति से पूर्व आ (पा० आट्) आगम जोड़ा जाता है^{१६}; और उस से इन विभक्तियों का रूप क्रमशः ऐ, आस्, आस् वन जाता है; यथा—देव्यै, देव्याः, देव्याः । परन्तु वृकी सदृश प्रातिपदिकों की विभक्तियों को आ आगम नहीं होता है; यथा—च० ए० वृक्यै; ष० ए० नृधः (ऋ०) ।

(७) स० ए० की विभक्ति इ को आम् आदेश हो जाता है (टि० १५३); यथा—देव्याम् । परन्तु दो रूपों में स० ए० की विभक्ति का लोप हो जाता है^{१७}, यथा—गौरी (ऋ० ९, १२, ३), सरसी (ऋ० ७, १०३, २) ।

(८) स्त्री शब्द के रूप नदीसंज्ञक तथा इयस्थान प्रातिपदिकों की

भाति वन्ते ई । प्रथ० ए० में स् का लोप होता है और च० पं० प० स० ए० में भी नदीसंज्ञक रूपों के प्रत्यय ऐ, आस्, आस्, आम् आते हैं; परन्तु अजादि विभक्तियों से पूर्व इयल् आदेश भी होता है^{१११}; यथा—स्त्री, स्त्रियम्, प्रथ० द्विती० च० स्त्रियः, स्त्रीभिः, स्त्रियै (अ०), प० ए० स्त्रियाः ।

(९) पा० ७, १, १० (टि० १४१) का व्याख्यान करते हुए काशि० ने नदी का तृ० व० नद्यैः वैदिक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है, परन्तु वैदिक भाषा में ऐसा कोई प्रयोग उपलब्ध नहीं होता है ।

स्वर-वैशिष्ट्य—तृ० च० पं० प० स० ए०, प० स० द्वि०, तथा प० व० में अन्तोदात्त प्रातिपदिकों का उदात्त विभक्ति के अच् पर चला जाता है । वृकी सदृश अन्तोदात्त अङ्ग से परे अजादि विभक्ति आने पर उदात्त का नाश हो कर विभक्ति के अच् पर क्षप्र स्वरित आ जाता है, और प० व० की विभक्ति से पूर्व उदात्त अङ्ग पर ही रहता है । तृ० व० में स्त्री का उदात्त विभक्ति पर चला जाता है ।

उपलब्ध रूपों के आधार पर देवी शब्द के रूप इस प्रकार बनेंगे—

		देवी के रूप			
	ए०	;	द्वि०	;	व०
प्रथ०	देवी	;	देवी	;	देवीः ।
सम्बो०	देविं	;	देविं	;	देविः ।
द्विती०	देवीम्	;	देवी	;	देवीः ।
तृ०	देव्या	;	×	;	देवीभिः ।
च०	देव्यै	;	देवीभ्याम्	;	देवीभ्यः ।
पं०	देव्याः	;	”	;	” ।
प०	”	;	देव्योः	;	देवीनाम् ^{१००} ।
स०	देव्यास्	;	”	;	देवीषु ।

वृकी सदृश प्रातिपदिकों के उपलब्ध रूपों के आधार पर वृकी के रूप इस प्रकार बनेंगे—

वृकी के रूप

	ए० ;	द्वि० ;	व०
प्रभ०	वृकीः ;	वृक्यां ;	वृक्यैः ।
द्विती०	वृक्यम् ;	वृक्यां ;	वृक्यैः ।
तृ०	वृक्यां ;	वृकीभ्याम् ;	वृकीभिः ।
च०	वृक्ये ;	×	वृकीभ्यः ।
प०	वृक्यः ;	वृक्योः ;	वृकीणाम् ।
स० (सरसी, गौरी) ;		वृक्योः ;	वृकीषु ।

(ख) इयङ्स्थान प्रातिपदिकों के रूप—

इयङ्स्थान प्रातिपदिक प्रायेण एकाच्, स्त्री० और धातुज हैं। धी “बुद्धि”, भी “भय” तथा श्री “कान्ति” ये तीन एकाच् स्त्री० प्रातिपदिक हैं, और समासों के उत्तरपद में इन प्रातिपदिकों के आने से भी कुछ नये प्रातिपदिक बनते हैं; यथा—अवृद्धभी, आधी। समासों के उत्तरपद में √की “खरीदना”, √नी “ले जाना”, √प्री “प्रेम करना”, √श्री “मिश्रित करना”, तथा √मी “घटाना” का कृदन्त रूप आने से भी कुछ प्रातिपदिक बनते हैं; यथा—प्रुकी “खरीदने योग्य”, आप्री “प्रीति प्राप्त करने वाली”, अभिप्री “सम्यक् मिश्रण, या मिश्रण करने वाली”।

विभक्तियां— प्रथ० ए० विभक्ति स् का लोप नहीं होता है। प० व० में अङ्ग के साथ नाम् विभक्ति जोड़ी जाती है, और उपलब्ध रूपों में से केवल एक रूप में प० व० आम् विभक्ति का प्रयोग मिलता है—धियाम्। प्रथ० द्विती० द्वि० में प्रायेण धा विभक्ति आती है और शेष विभक्तियों का अविकृत रूप प्रयुक्त होता है। स० व० में सु का पु अवश्य बनता है।

विशेष—नदीसंज्ञक प्रातिपदिकों के रूपों के सदृश इन प्रातिपदिकों के रूप बनाने की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई^{२०१}, और इस प्रकार के कतिपय रूप ये हैं—भियै (ऋ०); द्वियै (वा० सं०); धियै (वा० सं०), स० ए० धियाम् (अ०), श्रीम् (शत० त्रा०)।

इयद् तथा यण् का नियम—अजादि विभक्ति से पूर्व एकाच् ईकारान्त प्रातिपदिक के ई के स्थान पर इय् (पा० इयद्) हो जाता है (दे० अनु० ६७)। अनेकाच् प्रातिपदिक के अन्तिम ई के स्थान पर भी इय् होता है, यदि ई से ठीक पूर्व संयुक्त व्यञ्जन हों (टि० २०४); यथा—
अभिप्रियः, आप्रियः। अन्यथा ई का य् वनता है; यथा—च० ए० आध्वै, प्रथ० व० आप्यः (आधी से)।

स्वर-वैशिष्ट्य—इन की प्रमुख विशेषता यह है कि ये प्रातिपदिक प्रायेण अन्तोदात्त हैं और अनेकाच् प्रातिपदिकों का उदात्त सम्बोधनवर्जित सभी रूपों में अवचल रहता है। प्रथ० द्विती० को छोड़ कर शेष विभक्तियों में एकाच् प्रातिपदिकों का उदात्त विभक्ति पर चला जाता है। उपलब्ध रूपों के आधार पर धी के रूप इस प्रकार बनेंगे—

धी के रूप

	ए०	;	द्वि०	;	च०
प्रथ०	धीः	;	धियां, धियौ	;	धिर्यः।
द्विती०	धिर्यम्	;	धियां, धियौ	;	धिर्यः।
तृ०	धिया	;	×	;	धीभिः।
च०	धिये	;	×	;	×
प०	धियः	;	×	;	धीनाम्, धियाम्(एक बार)।
स०	×	;	×	;	धीषु।

× इन के उदाहरण अनुपलब्ध हैं^{२०२}।

(ग) पुं० प्रातिपदिक—तिरश्ची, नर्मी, पृथी, मार्तली, सोभरी (सब व्यक्तिविशेषों के नामः) राष्ट्री “शासक” तथा सिरी “जुलाहा या हलवाहा?”—ये सात प्रातिपदिक पुं० माने जाते हैं और इन के रूप नदीसंज्ञक ईकारान्त प्रातिपदिकों की भांति बनते हैं^{२०१}; यथा—
प्रथ० ए० विभक्ति स्र का लोप हो जाता है, तृ० ए० में आ, और प०

ए० में भास् विभक्ति आती है। इन से बने हुए निम्नलिखित रूप उपलब्ध होते हैं।

प्रथ० ए० नमीं, पृथीं, मातली, राष्ठीं (ऋ० ६,४,५), सोभरी (ऋ० ८,२२,१५)।

प्रथ० ब० सिरीः (ऋ० १०,७१,९)।

द्विती० ए० नमीम्।

तृ० ए० नम्या।

प० ए० तिरिश्च्याः, पृथ्याः, सोभ्याः (ऋ० ८,१०३,१४)।

इयङ्स्थान तथा यण्स्थान पुं० प्रातिपदिक—पुं० में केवल एक प्रातिपदिक वी “इच्छुक, पाने वाला”—एकाच् है और उसका एक ही रूप वीः (ऋ १,१४३,६) प्रथ० ए० में उपलब्ध होता है। शेष सभी ईकारान्त प्रातिपदिक अनेकाच् हैं। प्रायेण बहुव्रीहि समासों के उत्तरपद में धी तथा श्री आने से कई पुं० प्रातिपदिक बनते हैं; यथा—
इत्थाधी “शुद्ध बुद्धि वाला”, हीर्घाधी “विशाल बुद्धि वाला”, दुराधी तथा दूही “दुष्ट बुद्धि वाला”, नानाधी “अनेक मतियों वाला”, सुधी “अच्छी बुद्धि वाला”; अध्वरश्री “यज्ञ को सुशोभित करने वाला”, क्षत्रश्री “राष्ट्र को सुशोभित करने वाला”, घृतश्री “घृत द्वारा सुशोभित”, जनश्री “जनता को सुशोभित करने वाला”, यज्ञश्री “यज्ञ को सुशोभित करने वाला”, इत्यादि। समासों के उत्तरपद में ✓क्री “खरीदना”, ✓नी “ले जाना, नेतृत्व करना”, ✓प्री “प्रेम करना”, ✓मी “घटाना”, ✓वी “जाना, ढांपना”, तथा ✓शी “सोना”, तथा ✓श्री “मिश्रित करना” के कृदन्त रूप आने से कई प्रातिपदिक बनते हैं; यथा—सद्यःक्री “पुरन्त खरीदा हुआ”, अग्रणी “नेता”, ग्रामणी “ग्राम का नेता”, सेनानी “सेना का नेता”, यज्ञप्री “यज्ञ से प्रेम करने वाला”, मन्थुमी “क्रोध को घटाने वाला”, वार्तप्रमी “वायु को पीछे छोड़ने वाला”, देववी “देवों को प्रसन्न करने वाला”, पुद्वी “नेता”, मध्यमशी “बीच में सोने वाला”, गणश्री “समूह को मिश्रित करने वाला”, इत्यादि।

इनके अतिरिक्त कतिपय ईकारान्त पुं० प्रातिपदिक ये भी हैं—
अही “सांप”, उपावी “प्रोत्साह देने वाला”, ययी “जाता हुआ”, रथी
“कोचवान” ।

इयङ् तथा यण् का नियम—जिस ईकारान्त प्रातिपदिक के अन्तिम
ई से ठीक पूर्व संयुक्त व्यञ्जन हों उससे परे अजादि विभक्ति
आने पर ई के स्थान पर इय् (पा० इयङ्) हो जाता है, परन्तु ई से
पूर्व संयुक्त व्यञ्जन न होने पर ई का य् (पा० यण्) वनता है^{२०४};
यथा—प्रथ० व० अग्निश्रियः, अध्वरश्रियः; द्विती० ए० अध्वरश्रियम्,
क्षत्रश्रियम्; प० ए० गणश्रियः; परन्तु—प्रथ० व० ग्रामण्यः (अ०),
रथ्यः; द्विती० ए० ग्रामण्यम् (वा० सं०) ।

विशेष—(१) कुछ वैदिक प्रयोगों में सुधी के ई को इय् और कहीं-कहीं य्
आदेश होता है^{२०५}; यथा— प्रथ० व० सुध्यः (ऋ० ६, १, ७), सुधियः
(तै० ब्रा० ३, ६, १०, ३) ।

(२) समास में जिन एकाच् ईकारान्त प्रातिपदिकों से पूर्व कारक
या गति से भिन्न (अर्थात् विशेषण, आदि) शब्द हो, उनके ई को भी
इय् आदेश होता है^{२०६}; यथा—प्रथ० व० दीर्घाधियः, नानाधियः; च०
ए० इत्याधिये ।

विभक्तियां—इन प्रातिपदिकों के साथ जुड़ने वाली विभक्तियों में प्रायेण कोई
विकार नहीं होता है । कहीं-कहीं प्रथ० द्विती० द्वि० में आ विभक्ति का
प्रयोग मिलता है ।

जिन ईकारान्त प्रातिपदिकों के ई को इय् होता है उनके उपलब्ध
रूपों के आधार पर यज्ञश्री के रूप इस प्रकार चनेंगे—

यज्ञश्री के रूप

ए०	;	द्वि०	;	च०
प्रथ० यज्ञश्रीः	;	यज्ञश्रिया, यज्ञश्रियौ (अ०)	;	यज्ञश्रियः
द्विती० यज्ञश्रियम्	;	” ”	;	” ।
तृ० यज्ञश्रिया	;	×	;	यज्ञश्रीभिः ।

च० ए० यज्ञश्रिये ।

ष० ए० यज्ञश्रियः ।

जिन ईकारान्त प्रातिपदिकों के ई को य् होता है उनके उपलब्ध रूपों के आधार पर (तथा र्थी प्रातिपदिक के अपने उपलब्ध रूपों के आधार पर) इसके रूप इस प्रकार वनेंगे—

र्थी के रूप

	ए०	;	द्वि०	;	व०
प्रथ०	र्थीः	;	र्थ्या	;	र्थ्यः ।
सम्बो१	X	;	र्थ्या	;	र्थ्युः ।
द्विती०	र्थ्यम्	;	र्थ्या	;	र्थ्यः ।
तृ०	र्थ्या	;	र्थीभ्याम्	;	र्थीभिः ।
च०	र्थ्ये	;	X	;	र्थीभ्यः ।
प०	र्थ्यः	;	र्थ्योः	;	र्थीनाम् ।

पं० स० तथा सम्बुद्धि का कोई उदाहरण नहीं मिलता है^{१००} ।

ऊकारान्त प्रातिपदिक

२४४. जू “गतिशील, घोड़ा”, दू “दान”, भू “पृथिवी”, भू “भोह”, सू “जनयिता, जनयित्री”, स्यू “धागा”, सू “धारा”—ये सात प्रातिपदिक एकाच् हैं जिन में से जू पुं०, सू पुं० स्त्री० और शेष सब स्त्री० शब्द हैं। इन के अतिरिक्त लगभग साठ समासों के उत्तरपद में लगभग ग्यारह धातुओं से बने हुए ऊकारान्त एकाच् प्रातिपदिक आते हैं, जिन में से कुछ स्त्री० और पुं० संज्ञाएं हैं और कुछ उभयलिङ्ग विशेषण हैं;—यथा अुपीजू “प्रेरक”, श्रीजू “बुद्धि-प्रेरक”, मनोजू “मनः-प्रेरक”, अुग्रेपू “पहले पीने वाला”, उदुपू “जल-पूत”, केतुपू “संकल्प को पवित्र करने वाला”, स्वपू “ज्ञाह”, अुभिभू “अभिभूत करने वाला”, आभू “विश्रमान”, परिभू “घेरने वाला”, प्रभू “श्रेष्ठ”, मयोभू “सुखोत्पादक”, विभू “दूर तक व्यापक”,

चतुर्थोऽध्यायः

शम्भू “कल्याणकारी”, विश्वस् “सब को उत्पन्न करने वाली”, वीरस् “वीर को जन्म देने वाली”, सुहू “अच्छी प्रकार आह्वान करने वाला”, अग्नेगू “आगे जाने वाला”, रुधुद्रू “तेज भागने वाला”, घृतस्नु “घी टपकाने वाला” । जुहू “जिह्वा” स्त्री०, जुहू “यज्ञीय चमच” स्त्री० और जोर्गू “जोर से गाने वाला” पुं०, ये प्रातिपदिक धातुओं के द्वित्व द्वारा बने हुए माने जाते हैं । उपर्युक्त प्रातिपदिक कृदन्त हैं और इन में पुं० तथा स्त्री० दोनों प्रकार के शब्द हैं ।

द्वितीय वर्ग के प्रातिपदिक प्रायेण उकारान्त पुं० प्रातिपदिकों तथा विशेषणों के साथ स्त्रीत्ववाची ऊ प्रत्यय जोड़ कर बनाये गये हैं^{२००} । प्राशू “अतिथि”, अर्त्तप्ततनू “जिसका शरीर नहीं तपाया गया है”, सर्वतनू “विश्व जिसका शरीर है”, कृकृदाशू (एक राक्षस), मधू “शीघ्र”—इन पांच प्रातिपदिकों के अतिरिक्त शेष सभी स्त्री० हैं । कुछ ऊकारान्त स्त्री० प्रातिपदिक आद्युदात्त उकारान्त नपुं० या पुं० प्रातिपदिकों से बने हुए माने जाते हैं; यथा—अमू (पुं० अमृ) “कुमारी”, कद्रू (पुं० कर्दू “भूरा”) “सोम-पात्र”, गुग्गुलू (नपुं० गुग्गुलु) “एक अप्सरा का नाम”, जलू (नपुं० जलु) “चमगीदड़”, धनू (पुं० धनु) “सूखी मिट्टी का तट”, पृदाकू (पुं० पृदाकु) “साँप”, मधू (मधु) “मधुर” । श्वश्रू “सास” अकारान्त श्वश्रुर से बनता है (टि० २०८) ।

बहुत से अन्तोदात्त ऊकारान्त स्त्री० वि० प्रातिपदिकों का आधार अन्तोदात्त उकारान्त पुं० वि० प्रातिपदिक माना जाता है, यद्यपि सभी स्त्री० प्रातिपदिकों के आधारभूत पुं० प्रयोग उपलब्ध नहीं होते हैं; यथा—अंहोयू “कष्टप्रद”, अघायू “बुरा चाहने वाली”, अप्स्यू “कर्म-शील”, अभिद्विप्स् “धोखा देने की इच्छुक”, अवप्स्यू “अनुग्रह की इच्छुक”, आयू “कर्मशील”, जिघ्रस् “भूली”, तनू “पतली”, पतयाल्ल “उड़ती हुई”, वृधू “भूरी”, दीभत्स् “घृणा करने वाली”, सनायू “प्राप्त करने की इच्छुक”, इत्यादि ।

निम्नलिखित ऊकारान्त स्त्री० प्रातिपदिकों के लिये आधारभूत पुं० प्रातिपदिकों का निर्देश करना बटिन है—कृहू “चन्द्रदर्शन रहित

अमावास्या”, चमू “सोमपात्र”, जुहू “जिह्वा”, लुहू “यज्ञीय चमच”,
तुनू “शरीर”, वधू “वहू” ।

उवङ् तथा यण् का नियम—(१) एकाच् ऊकारान्त प्रातिपदिकों से परे
अजादि विभक्ति आने पर अङ्ग के ऊ के स्थान पर उव् आदेश हो जाता
है (अनु० ६७); यथा—प्रथ० व० जुर्वः; भुर्वः । जिन समासों का
उत्तरपद धातुज एकाच् है उन का अन्तिम ऊ भी अजादि विभक्ति से
पूर्व उव् में परिणत होता है; यथा—प्रथ० व० मयोभुर्वः, मनोजुर्वः ।

विशेष—उत्तरपद में -पू, -भू तथा -सू आने वाले लगभग एक दर्जन समासों
में अजादि विभक्ति से पूर्व ऊ के स्थान पर व् (पा० यण्) आदेश
होता है^{२०}; यथा—प्रथ० व० घृतप्र्वः, नव्वर्ष्वः, प्रर्व्वः, विर्व्वः,
सुर्व्वः ।

(२) जिन प्रातिपदिकों का अन्तिम ऊ धातुज नहीं है उन से परे
अजादि विभक्ति आने पर ऊ का व् बनता है; यथा—प्रथ० व०
चुर्व्वः, तुर्व्वः ।

विशेष—परन्तु अमू, कद्रू, वीभत्सू, तथा यकारोपध प्रातिपदिकों (अंहोयू,
अपस्यू, अवस्यू इत्यादि) के ऊ को उव् आदेश होता है; यथा—प्रथ०
व० अमुर्व्वः, अपस्युर्व्वः ।

(३) तै० से० में यण् के स्थान पर इयङ् या उवङ् करने की
प्रवृत्ति प्रधान है (दे० अनु० ६ छ); यथा—द्विती० ए० तुनुर्वम् ।

विभक्तियां—ऊकारान्त प्रातिपदिकों के साथ विभक्तियों का शुद्ध रूप जोड़ा
जाता है और पुं० तथा स्त्री० में समान रूप बनते हैं । समासरहित
कृदन्त प्रातिपदिकों (जोगू, भू) के ष० व० के केवल दो रूप जोगुवाम्
(श्र० १०, ५३.६) तथा भुवाम् (वा० सं० ३७, १८) उपलब्ध होते हैं
जिन में आम् विभक्ति प्रयुक्त हुई है । अनेकाच् तथा अकृदन्त प्राति-
पदिकों के ष० व० रूपों में नाम् विभक्ति का प्रयोग मिलता है । प्रथ०
द्विती० द्वि० में आ विभक्ति प्रयुक्त होती है ।

विशेष—(१) अकृदन्त ऊकारान्त प्रातिपदिकों के कुछ रूपों में स० ए० विभक्ति

का लोप हो जाता है (अनु० ४५^{ख२}, टि० १९८); यथा—घृम् (६ वार),
तृन् (ऋ० १०, १८३, २) ।

(२) द्विती० च० ष० स० ए० के कुछ स्त्री० रूपों में नदीसंज्ञक प्रातिपदिकों के रूपों की भांति क्रमशः भ्रम् के भ का पूर्वरूप, ऐ भास् तथा भाम् विभक्ति का प्रयोग मिलता है (टि० १९७, १५३); यथा—
द्विती० ए० कुहृम् (तै० सं०, अ०), तृन्म् (तै० सं० अ०), वृधृम् (अ०); च० ए० तृन्वै (वा० सं०), वृध्वै (अ०), श्वश्र्वै (अ०); ष० ए० तृन्वाः (वा० सं०), श्वश्र्वाः (अ०); स० ए० तृन्वाम्, तृन्वाम् (तै० सं० १, ७, १२, २), श्वश्र्वाम् (ऋ०) ।

स्वर-वैशिष्ट्य—गिने-चुने अपवादों को छोड़ कर ऊकारान्त प्रातिपदिक अन्तोदात्त हैं। प्रथ० द्विती० से भिन्न विभक्तियों में एकाच् प्रातिपदिकों का उदात्त विभक्ति पर चला जाता है, परन्तु अनेकाच् प्रातिपदिकों का उदात्त सम्बोधनवर्जित सभी विभक्तियों में अचल रहता है। तृन् इत्यादि प्रातिपदिकों का उदात्त अजादि विभक्तियों के साथ होने वाली क्षैप्रसन्धि के कारण नष्ट हो जाता है और उसके स्थान पर क्षैप्र स्वरित आता है।

एकाच् ऊकारान्त प्रातिपदिकों के उपलब्ध रूपों के आधार पर भ्र् के रूप इस प्रकार बनेंगे—

भ्र् के रूप

	ए० ;	द्वि० ;	ब०
प्रथ०	भ्रः ;	भ्रवा ;	भ्रवः ।
द्विती०	भ्रवम् ;	भ्रवा ;	भ्रवः ।
तृ०	भ्रवा ;	भ्रुभ्याम् (वा० सं);	× ।
ष०	भ्रवः ;	× ;	× ।
ष०	„ ;	× ;	भ्रवाम् ।
स०	भ्रुवि ;	भ्रुवोः ;	× ।

अनेकाच् यण्स्थान ऊकारान्त स्त्री० प्रातिपदिकों के उपलब्ध रूपों

के आधार पर तनू के रूप इस प्रकार बनेंगे—

तनू के रूप

	ए०	;	द्वि०	;	ब०
प्रथ०	<u>तनूः</u>	;	<u>तन्वा</u>	;	<u>तन्वः</u> ।
सम्बो०	<u>तनुं</u>	;	×	;	×
द्विती०	<u>तन्वम्</u>	;	<u>तन्वा</u>	;	<u>तन्वः</u> ।
तृ०	<u>तन्वा</u>	;	×	;	<u>तनूभिः</u> ।
च०	<u>तन्वै, तन्वै</u> ;		<u>तनूभ्याम्</u> ;		<u>तनूभ्यः</u> ।
पं०	<u>तन्वः</u> ;		×		×
ष०	<u>तन्वः, तन्वाः</u> ;		×		<u>तनूनाम्</u> ।
स०	<u>तन्वि, तन्वाम्, तनू</u> ;		<u>तन्वोः</u> ;		<u>तनूषु</u> ।

ऋकारान्त प्रातिपदिक

१४५. ऋकारान्त प्रातिपदिकों में पुं० शब्दों का बाहुल्य है । सम्बन्ध-वाचक कुछ स्त्री० शब्द भी हैं, परन्तु नपुं० शब्द अत्यल्प हैं । देव “देवर”, नृ “नर”, उख “उषा”, ननान्द “ननन्द”, स्वस्व “भगिनी” इन पांच प्रातिपदिकों के अन्त में केवल ऋ आता है और इनकी व्युत्पत्ति अनिश्चित है । १५० से अधिक जिन प्रातिपदिकों के अन्त में -नृ प्रत्यय मिलता है, उनमें से अधिकतर कर्तृत्व के वाचक हैं और कुछ सम्बन्ध-वाचक हैं ।

अङ्गविकार— सर्वनामस्थान परे रहने पर ऋकारान्त प्रातिपदिकों के अङ्ग म जो विकार होता है उसके अनुसार सब प्रातिपदिकों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—(१) गुण-विकार वाले प्रातिपदिक और (२) वृद्धि-विकार (पा० उपधादीर्घत्व) वाले प्रातिपदिक ।

(१) गुण-विकार वाले प्रातिपदिक— इस वर्ग में सम्बन्धवाचक प्रातिपदिक जामावृ, दुहिवृ, देवृ, ननान्द, पितृ, भ्रातृ तथा मावृ और नृ प्रातिपदिक का संनिवेश है । सर्वनामस्थान तथा

स० ए० परे रहने पर इनके अन्तिम ऋ का अर्ध बन जाता है^{२१०};
यथा—द्विती० ए० द्वेवरंम्, पितरंम्, जामातरंम् (ऋ० ८, २६, २२) ।

(२) वृद्धि-विकार वाले प्रातिपदिक—सम्बन्धवाचक शब्द स्वस्त् तथा -त् प्रत्यय अन्त वाले शेष सभी प्रातिपदिक इस वर्ग में आते हैं । सर्वनामस्थान परे रहने पर इनके ऋ को आर्ध आदेश होता है (टि० ३७); यथा—द्विती० ए० स्वसारंम्, दातारंम् ।

विशेष—लैन्मैन, मैक्डानल प्रभृति विद्वान् नष्ट् शब्द को गुण-विकार वर्ग में रखते हैं^{२११}; परन्तु पाणिनि (टि० ३७) इसे उपधादीर्घत्व का आदेश करता है और ऐसे रूप भी उपलब्ध होते हैं; यथा—नसारंम् (तै० सं० १, ३, ११, १; का० सं० ३, ८) । ऋ० में इसका कोई भी रूप सर्वनाम-स्थान में नहीं मिलता है और केवल नपात् के रूप (प्र० ए० नपात्; द्वि० नपाता; व० नपातः; द्विती० ए० नपातन्) इसी अर्थ में उपलब्ध होते हैं । नष्ट् के रूप केवल असर्वनामस्थान में मिलते हैं; यथा—तृ० ए० नष्ट्रा; व० नष्ट्रभिः; च० ए० नष्ट्रैः; ष० ए० नष्टुः ।

(३) प्रथ० ए० में ऋकारान्त प्रातिपदिकों के अन्त में आ हो कर विभक्ति-लोप हो जाता है^{२१२}; यथा—दाता, माता, पिता ।

(४) स० ए० में सभी प्रकार के ऋकारान्त प्रातिपदिकों के ऋ को गुण अर्ध होता है (टि० २१०); यथा—दातरि, मातरि, पितरि । सम्बोधन में भी इसी प्रकार ऋ को गुण हो जाता है (टि० २१०) और विभक्ति का लोप हो जाता है (टि० १४८); यथा—दातः, पितः, मातः ।

विशेष—(५) उस् के रूपों में ऋ का र बनता है और सम्बुद्धि के अतिरिक्त कहीं गुण नहीं होता है; यथा—द्विती० व० उस्त्रः; तृ० ए० उस्त्रा; ष० ए० उस्त्रैः; स० ए० उस्त्रि तथा ईकारान्त-सदृश रूप उस्त्राम्; सम्बो० ए० उपः (ऋ० १, ४९, ४)^{२१३} ।

विभक्तियां—(१) जैसा कि हम अभी स्पष्ट कर चुके हैं, प्रथ० ए० तथा सम्बो० ए० की विभक्ति का लोप हो जाता है । द्विती० व० में पुं० प्रातिपदिकों के अन्तिम स्वर ऋ और अस् विभक्ति के अ का पूर्वसवर्ण-

दीर्घ (ऋ) वन कर विभक्ति के स् का न् वन जाता है (टि० १७०, १३९), परन्तु पूर्वसवर्णदीर्घ होने पर स्त्री० प्रातिपदिकों से परे अस् का स् बना रहता है; यथा— पितृन्, मातृः ।

विशेष— ऋ० १०, ३५, २ में मातृन्^{२३क} (सिन्धून्) मिलता है और सायण इसका व्याख्यान निर्मातृन् करता है, परन्तु प्रासमैन इसे मातृ के रूपों में दिखाता है ।

(२) ऋ० में प्रथ० द्विती० द्वि० में प्रायेण आ विभक्ति आती है, परन्तु पीछे औ का प्रयोग बढ़ता गया; यथा— दातारा, पितरा ।

(३) पं० ष० ए० में अङ्ग के अन्तिम ऋ तथा अस् के अ के स्थान पर उ होने से उस् विभक्ति वन जाती है^{२१५}; यथा— दातुः, पितुः ।

(४) ष० व० में आम् को न् का आगम हो कर नाम् वनता है और उससे पूर्व अङ्ग के अन्तिम ऋ का दीर्घ हो जाता है (टि० १४२, १४५); यथा — दातृणाम्, पितृणाम् ।

विशेष— नृ के अधिकतर वैदिक रूपों में ऋ ह्रस्व ही रहता है^{२१५}; यथा— नृणाम् । ऋ० में नृ के १६ रूपों में और स्वर्त् के एक रूप में आम् विभक्ति को न् का आगम नहीं होता है; यथा— नृराम्, स्वर्त्तम (ऋ० १, ६५, ७) ।

स्वर-वैशिष्ट्य—जिन विभक्तियों में अन्तोदात्त अङ्ग के ऋ का र् वनता है उन रूपों का उदात्त-विभक्ति पर चला जाता है; यथा—पित्रा, मात्रोः । इसी प्रकार ष० व० में भी अन्तोदात्त अङ्ग का उदात्त विभक्ति पर चला जाता है; यथा—पितृणाम् । पं० ष० ए० में उस् एकादेश होने पर अन्तोदात्त अङ्ग का उदात्त निश्चय ही उस् पर रहेगा; यथा—पितुः ।

पुं० पितृ, दातृ और स्त्री० मातृ के रूप इस प्रकार बनेंगे—

पितृ के रूप

	ए०	द्वि०	व०
प्रथ०	पिता ;	पितरा, पितरौ ;	पितरः ।
सम्बो०	पितः ;	पितरा, पितरी ;	पितरः ।
द्विती०	पितरम् ;	पितरा, पितरौ ;	पितृन् ।

चतुर्थोऽध्यायः

तृ०	पित्रा ;	पितृभ्याम् ;	पितृभिः ।
च०	पित्रे ;	" ;	पितृभ्यः ।
पं०	पितुः ;	" ;	" ।
ष०	" ;	पित्रोः ;	पितृणाम् ।
स०	पितरि ;	" ;	पितृषु ।

मातृ के रूप

	ए०	द्वि०	ब०
प्रथ०	माता ;	मातरा, मातरौ ;	मातरः ।
सम्बो०	मातः ;	मातरा, मातरौ ;	मातरः ।
द्विती०	मातरम् ;	मातरा, मातरौ ;	मातृ ।
तृ०	मात्रा ;	मातृभ्याम् ;	मातृभिः ।
च०	मात्रे ;	" ;	मातृभ्यः ।
पं०	मातुः ;	" ;	" ।
ष०	" ;	मात्रोः ;	मातृणाम् ।
स०	मातरि ;	" ;	मातृषु ।

दातृ के रूप

	ए०	द्वि०	ब०
प्रथ०	दाता ;	दातारा, दातारौ ;	दातारः ।
सम्बो०	दातः ;	दातारा, दातारौ ;	दातारः ।
द्विती०	दातारम् ;	दातारा, दातारौ ;	दातृन् ।
तृ०	दात्रा ;	दातृभ्याम् ;	दातृभिः ।
च०	दात्रे ;	" ;	दातृभ्यः ।
पं०	दातुः ;	" ;	" ।
ष०	" ;	दात्रोः ;	दातृणाम् ।
स०	दातरि ;	" ;	दातृषु ।

स्वसृ के रूप

इसके निम्नलिखित रूप उपलब्ध होते हैं—

- प्रथ० ए० स्वसा ; द्वि० स्वसारा, स्वसारौ ; व० स्वसारः ।
 द्विती० ए० स्वसारम् ; द्वि० स्वसारा, स्वसारौ ; व० स्वसृः ।
 तृ० ए० स्वसा ; व० स्वसृभिः ।
 च० ए० स्वसृ ।
 पं० ष० ए० स्वसुः ; ष० व० स्वसृणाम्, स्वसृाम् ।
 स० द्वि० स्वसृः ।

नपुं० प्रातिपदिक—वेदों के मन्त्रभाग में ऋकारान्त नपुं० प्रातिपदिकों के रूप अत्यल्प हैं । ऋ० में धृत्, ध्मात्, स्थात् तथा विधृत् से बने हुए लगभग आधा दर्जन रूप उपलब्ध होते हैं, परन्तु इन में से अधिकतर रूपों के वास्तविक स्वरूप तथा अर्थ के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है ।

प्रथ० तथा द्विती० ए०—वेदों के मन्त्रभाग में ऋकारान्त नपुं० का कोई ऐसा रूप नहीं मिलता है जो उत्तरकालीन संस्कृत के रूपों की भांति प्रथ० द्विती० ए० में ऋकारान्त हो ।

विशेष—(१)—कतिपय पाश्चात्य विद्वान् निम्नलिखित ऋग्वैदिक रूपों को ऋकारान्त नपुं० प्रातिपदिकों के प्रथ० द्विती० ए० के रूपों के प्रतिनिधि मानते हैं—

स्थात् (ऋ० ६, ४९, ६)^{२९६}; स्थात् (ऋ० १, ५८, ५; ६८, १; ७०, ७)^{२९७}; स्थात् (ऋ० १, ७०, ६)^{२९८}; धृत् (ऋ० २, २३, १७; ९, ८६, ४२)^{२९९}; विधृत् (ऋ० ८, ७०, २; ९, ४७, ४)^{३००} ।

(२) कतिपय विद्वानों का मत है कि तै० सं० ७, ५, २०, १ (वर्षा^१ पूर्जन्युः पक्ता सुस्यम्) का पद पक्ता तथा शत० ब्रा० २, ५, २, २७ (क्षत्रं वै विशो निपेद्वा) का पद निपेद्वा नपुं० प्रथ० ए० है और पुं० के सदृश है^{२२१} ।

(३) उत्तरकालीन संस्कृत में प्रथ० द्विती० ए० के ऋकारान्त रूपों के उदाहरण उपलब्ध होते हैं; यथा—तै० ब्रा० ३, ११, १, ८ में

जुनयित् “उत्पादक” तथा भृत् “धारक” (अन्तरिक्षम् के विशेषण); वृ० उप० ३, ८, ११ में द्रष्ट “देखने वाला”, श्रोत् “सुनने वाला”, मन्त् “सोचने वाला”, तथा विज्ञात् “जानने वाला”, (अक्षरम् के विशेषण); और कौ० उप० २, १ में (चक्षुर्) गोप्त् “रक्षक” तथा (श्रोत्रम्) संश्रावयित् “सुनाने वाला” प्रयोग मिलते हैं।

प्रथ० द्विती० च०—वेदों के मन्त्र-भाग में इनके कोई उदाहरण नहीं मिलते हैं, परन्तु उत्तरकालीन संस्कृत में इनके उदाहरण उपलब्ध होते हैं; यथा—
तै० ब्रा० ३ ११, १, १३ में भृत्णि तथा जुनयित्णि (नक्षत्राणि के विशेषण); और मनुस्मृति १, १५ में ग्रहीत्णि (इन्द्रियाणि का विशेषण) मिलते हैं।

तृ० ए०—वैदिक-भाषा में इसके उदाहरण नहीं मिले हैं, परन्तु रामायण तथा महाभारत आदि में ऐसे अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं; यथा—ग्रहणा लोककवृणा (रामायण ७, ३७ प्रक्षिप्त १, १०; महाभारत ३, ११०, ३६)।

च० ए०—सायण तथा वेङ्कटमाधव स्थात्रे को स्थात् का च० ए० मानते हैं, परन्तु अनेक आधुनिक विद्वान् इसे स्थात्र “स्थान” का स० ए० मानते हैं^{२२२}।

ष० ए०—स्थातुः (ऋ० १, १५९, ३; २, ३१, ५; ४, ५३, ६; ६, ५०, ७; ७, ६०, २; १०, ६३, ८)। निघातुः (ऋ० ५, ३०, २)^{२२१}।

स० ए०—ध्मातरी (पपा० ध्मातरि—ऋ० ५, ९, ५)।

ऐकारान्त प्रातिपदिक

१४६. वैदिक भाषा में लृकारान्त तथा एकारान्त प्रातिपदिकों के रूप का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। कुछ वैदिक रूप ऐकारान्त प्रातिपदिक रै “घन” से बने हुए माने जाते हैं। रै प्रातिपदिक प्रायेण पुं० है और कहीं-कहीं स्त्री० है।

विभक्तियां—हलन्त प्रातिपदिकों की भांति रै के साथ विभक्तियों का शब्द रूप प्रयुक्त किया जाता है।

अङ्ग-विकार—हलादि विभक्तियों से पूर्व रै का रा आदेश हो जाता है^{२२४} ।
द्विती० ए० तथा व० के दो वैदिक रूपों में अजादि विभक्ति से पूर्व भी
रै का रा बन जाता है; यथा—राम् (ऋ० १०, १११, ७); राः
(सा० १, ४, १, ४) ।

पूरक प्रातिपदिक रुयि—रै के रूप सब विभक्तियों में नहीं मिलते हैं और
अनेक विभक्तियों में रुयि “धन” (पुं० तथा स्त्री०) के रूप रै के रूपों
के पूरक हैं ।

स्वर-वैशिष्ट्य—प्रथ० ए० व० तथा द्विती० ए० में उदात्त प्रातिपदिक पर
रहता है, परन्तु वृ० प्रभृति विभक्तियों के रूपों में उदात्त विभक्ति के
अन्व पर चला जाता है । ऋ० में द्विती० व० के केवल ४ रूपों में
प्रातिपदिक पर और २२ रूपों में विभक्ति पर उदात्त है । ष० ए० के
कतिपय रूपों में प्रातिपदिक पर उदात्त है ।

रै तथा रुयि के रूप

रै तथा इस के पूरक प्रातिपदिक रुयि के निम्नलिखित वैदिक
रूप मिलते हैं—

	रै	;	रुयि
प्रथ० ए०	×	;	रुयिः ।
प्रथ० व०	रायः	;	×
द्विती० ए०	राम् (ऋ०)	;	रुयिम् ।
द्विती० व०	रायः, रायः	, राः (सा०) ;	×
वृ० ए०	राया,	;	रुयिणा, रुय्या (ऋ०) ।
वृ० व०	×	;	रुयिभिः ।
च० ए०	राये	;	×
पं० ए०	रायः	;	×
ष० ए०	रायः, रायः	;	×
ष० व०	रायाम्	;	रुयिणाम् ।

विशेष—उत्तरकालीन संस्कृत में राः (प्रथ० ए०), रायि (स० ए०), रायम्
(द्विती० ए०), राय्याम् (वृ० च० पं० द्वि०), राभिः (वृ० व०), राभ्यः

(च० पं० ब०), रायोः (ष० स० द्वि०), तथा रासु (स० व०) इत्यादि रूप बनते हैं ।

ओकारान्त प्रातिपदिक

१४७. गो पुं० “वैल”, स्त्री० “गाय” और घो पुं० स्त्री० “धुलोक” इन दो ओकारान्त प्रातिपदिकों के रूप उपलब्ध होते हैं । हम पहले अनु० ११९ में दिव् तथा धु पूरक प्रातिपदिकों के रूपों के साथ घो के रूपों का वर्णन कर चुके हैं । यहाँ पर हम ओकारान्त प्रातिपदिकों की रूप-रचना के साधारण नियम तथा गो की रूप-रचना पर विचार करेंगे ।

विभक्तियाँ—ओकारान्त प्रातिपदिकों के साथ अधिकतर विभक्तियों का शुद्ध रूप प्रयुक्त किया जाता है । गो के ष० व० के लगभग २० रूपों में (टि० २२७) भाम् विभक्ति को न् का आगम करके नाम् बनाया जाता है; यथा—गोनाम् । परन्तु ऋ० के ५५ प्रयोगों में गवान् मिलता है । पं० ष० ए० के अस् का अ अङ्ग के ओ के साथ विलीन (पा० पूर्वरूप) हो जाता है (टि० १७८) ।

अङ्ग-विकार—सर्वनामस्थान से पूर्व ओकारान्त प्रातिपदिक के अन्तिम ओ का औ बन जाता है^{११५}; परन्तु द्विती० ए० तथा व० में ओ का आ हो जाता है^{११६} ।

स्वर-वैशिष्ट्य—सभी विभक्तियों में गो तथा घो का उदात्त प्रातिपदिक के अङ्ग पर रहता है ।

गो के रूप

गो के निम्नलिखित रूप उपलब्ध होते हैं—

	ए०	;	द्वि०	;	व०
प्रथ०	गौः	;	गावां, गावौ	;	गावः ।
सम्बो०	×	;	×	;	गावः ।
द्विती०	गाम्	;	गावां, गावौ	;	गाः ।
तृ०	गवां	;	×	;	गोभिः ।
च०	गवै	;	×	;	गोभ्यः ।

प०	गोः	;	×	;	×	।
ष०	गोः	;	×	;	गवाम्, गोनाम् ^{२२७}	।
स०	गवि	;	×	;	गोषु	।

औकारान्त प्रातिपदिक

१४८. नौ "नाव" स्त्री० और ग्लौ "पिण्ड, फोड़ा, हृदय-नाडी" पुं० इन दो औकारान्त प्रातिपदिकों के निम्नलिखित वैदिक रूप मिलते हैं। विभक्ति या अङ्ग में कोई विशेष विकार नहीं होता है। प्रथ० द्विती० से भिन्न विभक्तियों में उदात्त विभक्ति के अच् पर चला जाता है।

नौ के रूप

	ए०	;	द्वि०	;	ब०
प्रथ०	नौः	;	×	;	नावः ।
द्विती०	नावम्	;	×	;	(नावः) ।
तृ०	नावा	;	×	;	नौभिः ।
ष०	नावः	;	×	;	×
स०	नावि	;	×	;	×

विशेष—ऋ० १, ९७, ८ में मिलने वाले नावया रूप को पाश्चात्य विद्वान् आकारान्त प्रातिपदिक नावा का तृ० ए० मानते हैं (दे० तै० आ० ६, ११, २)। परन्तु सायण इस रूप में तृ० ए० के आ के स्थान पर अयाद् आदेश मान कर समाधान करता है^{२२८}।

ग्लौ के रूप

प्रथ० ए० ग्लौः (अ० ६, ८३, ३) । द्विती० ब० ग्लौवः (ए० ब्रा० १, २५)^{२२९} । तृ० ब० ग्लौभिः (वा० सं० २५, ८; मै० सं० ३, १५, ७) ।

३. संख्यावाचक शब्द

१४९. संख्यावाचक शब्द विशेषणों की भांति प्रयुक्त होते हैं। परन्तु केवल एक, दो, तीन तथा चार की संख्या के वाचक शब्दों के रूप लिङ्ग के

अनुसार भिन्न वनते हैं और पांच से प्रारम्भ करके ऊपर की सभी संख्याओं के वाचक शब्दों के रूप तीनों लिंगों में समान रहते हैं। एक से दस तक संख्यावाचक शब्द मूल हैं और इन्हीं के द्वन्द्वसमास (टि० २३१) या तद्धित रूप द्वारा ११ से ९९ तक संख्यावाचक शब्द बनाये जाते हैं। प्रमुख संख्यावाचक शब्द निम्नलिखित हैं—

१. एक	३०. त्रिंशत्	स्त्री०
२. द्वि (Lat. duo)	४०. चत्वारिंशत्	स्त्री०
३. त्रि (Lat. tri)	५०. पञ्चाशत्	स्त्री०
४. चतुर (Lat. quatuor)	६०. षष्टि	स्त्री०
५. पञ्चन् (Gk. pénte)	७०. सप्तति	स्त्री०
६. षष् (Lat. sex)	८०. अशीति	स्त्री०
७. सप्तन् (Gk. heptá)	९०. नवति	स्त्री०
८. अष्टन् (Lat. octō)	१००. शत (Lat. centum)	नपुं०
९. नवन् (Lat. novem)	१,०००. सहस्रं	नपुं०
१०. दशन् (Gk. déka)	१०,०००. अयुतं	नपुं०
११. एकादशन्	१००,०००. त्रियुतं	नपुं०
१२. द्वादशन्	१,०००,०००. प्रयुतं	नपुं०
१३. त्रयोदशन्	१०,०००,०००. षड्विंशत्	नपुं०
१४. चतुर्दशन्	१००,०००,०००. नवविंशत्	नपुं०
१५. पञ्चदशन्	१,०००,०००,०००. सप्तत्युतं	नपुं०
१६. षोडशन्	१०,०००,०००,०००. अष्टत्युतं	नपुं०
१७. सप्तदशन्	१००,०००,०००,०००. अन्तं	नपुं०
१८. अष्टादशन्	१,०००,०००,०००,०००. पञ्चाशत्युतं	नपुं० ^{२१०}
१९. नवदशन्		
२०. विंशति (Lat. viginti)		स्त्री०

१५०. २१-९९ तक संख्यावाचक शब्द—२१ से ९९ तक संख्यावाचक शब्द द्वन्द्वसमासों (टि० २३१) के रूप में बनाये जाते हैं; यथा—एकादशति २१, पञ्चत्रिंशत् ३५, नवषष्टि ६९ इत्यादि। ऐसे द्वन्द्व समास में छोटी

संख्या को पहले और बड़ी संख्या को पीछे रखते हैं और पूर्वपद पर उदात्त प्रकृतिभाव से रहता है। ऐसे संख्यावाचक समासों में पूर्वपद के द्वि, त्रि तथा अष्टन् को प्रायेण क्रमशः द्वा, त्रयस् तथा अष्टा आदेश हो जाता है, परन्तु अशीति से पूर्व यह आदेश नहीं होता है^{२३१}; यथा—
द्वात्रिंशत् ३२, त्रयस्त्रिंशत् ३३, अष्टात्रिंशत् ३८, परन्तु द्वयशीति ८२, त्र्यशीति ।

१५१. १०० से ऊपर संख्या—सौ से ऊपर की संख्या के वाचक शब्द भी इसी प्रकार छोटी संख्या को पूर्वपद के रूप में रख कर बनाये जाते हैं; यथा—एकशतम् १०१, चतुःशतम् १०४, त्रिंशच्छतम् १३० । शत, सहस्र आदि से पूर्व उपर्युक्त द्वा आदि आदेश नहीं होता है^{२३१क}; यथा—
द्विशतम् १०२, त्रिशतम् १०३ । ब्राह्मणग्रन्थों में तथा उत्तरकालीन संस्कृत में १०० से ऊपर की संख्या को प्रकट करने की एक अन्य पद्धति भी है, जिस के अनुसार छोटी संख्या के पूरण तद्धित रूप को बड़ी संख्या के विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है^{२३१}; यथा—द्वादशं शतम् = ११२; चतुश्चत्वारिंशं शतम् = १४४; षट्षष्टं शतम् = १६६ (दे० अनु० १५९) ।

१५२. च का प्रयोग—च निपात के प्रयोग द्वारा भी दो संख्यावाचक शब्दों के समाहार को अभिव्यक्त किया जाता है; यथा—नव च नवति च = ९९ । च के विना भी यह अर्थ अभिव्यक्त किया जाता है; यथा—
नवति नव = ९९ ।

१५३. न तथा ऊन का प्रयोग—बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने के लिये वैदिक वाङ्मय में प्रायेण न का प्रयोग मिलता है। छोटी संख्या के तृ० ए० या पं० ए० के साथ यह न प्रयुक्त किया जाता है और तै० सं० के कुछ प्रयोगों में एक के पं० ए० एकस्मात् के स्थान पर एकात् रूप मिलता है^{२३२क}; यथा—एकान्न विंशति = १९; एकान्न चत्वारिंशत् = ३६; एकान्न षष्टि = ५९; एकान्नाशीति = ७९; एकान्न शतम् = ९९ । उत्तरकालीन संस्कृत में भी यह प्रयोग मिलता है। एक के साधारण रूपों का प्रयोग भी तै० सं० में मिलता है; यथा—तै० सं० ७, ४, ७, ३ में एकस्यै न पञ्चाशत् तथा एकस्मान्न पञ्चाशत्

(४९) प्रयोग उपलब्ध होते हैं। ऐसे अन्य प्रयोग भी मिलते हैं; यथा—
 एक्या न त्रिंशत् = २६ (शत० द्वा०, पं० ब्रा०, कौ० द्वा०); द्वाभ्यां
 नाशीतिम् = ७८ (शत० ब्रा०); पञ्चभिर्न चत्वारिंशत् = ३९५
 (शत० ब्रा०)। वीस, तीस इत्यादि संख्याओं में से एक की न्यूनता को
 प्रकट करने के लिये एक तथा ऊन के साथ उस संख्या का समास करते
 हैं; यथा—एकौनविंशति = १९ (अ० १९)। परन्तु वैदिक वाङ्मय में
 ऐसे प्रयोग बहुत कम हैं।

१५४. गुणा करना—गुणा करने की प्रमुख पद्धति यह है कि छोटी संख्या
 को बड़ी संख्या के विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और वचन
 के अनुसार बड़ी संख्या का द्वि० या व० रूप प्रयुक्त होता है; यथा—
 द्वे शते = २०० (श० ७, १८, २२); पृष्टिं सहस्रां = ६०,००० (श० ६,
 २६, ६); त्रीणि शता त्री सहस्राणि त्रिंशच्च नव च = ३,३३९ (श०
 ३, ९, ९); नवतीनिव = ९ × ९० = ८१० (श० १, ८४, १३)। गुणित
 संख्या को प्रकट करने की दूसरी पद्धति यह है कि जिस संख्या से गुणा
 करना हो उसे पूर्वपद में रख कर दूसरी संख्या के साथ बहुव्रीहि समास
 बनाते हैं और समस्त पद विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है;
 यथा—त्रिसप्तैः (सत्त्वभिः) = २१ (श० १, १३३, ६); त्रिपसाः (अ० १,
 १, १); त्रिणव = २७ (वा० सं०); त्र्यंशिशत् त्रिशताः पद्सहस्राः = ६,
 ३३३ (अ०)।

रूप-रचना

१५५. एक, द्वि, त्रि, चतुर के रूप—इन शब्दों के रूप पुं०, स्त्री० तथा
 नपुं० में भिन्न-भिन्न बनते हैं। पाणिनि ने एक तथा द्वि को सर्वनामों
 में गिनाया है। च०, पं०, स० ए० में एक के रूप सर्वनामों की भाँति
 बनते हैं (अनु० १६५)।

(क) एक के रूप—संख्यावाचक एक शब्द के रूप केवल एकवचन में बनते
 हैं। एक से बने हुए निम्नलिखित वैदिक रूप उपलब्ध होते हैं—

प्रथ० एकः पुं०, एका स्त्री०, एकम् नपुं०।
 द्विती० एकम् पुं० नपुं०, एकाम् स्त्री०।

- तृ० एकैन् पुं० नपुं०, एकया स्त्री० ।
 च० एकस्मै पुं० नपुं०, एकस्यै स्त्री० ।
 पं० एकस्मात् पुं० नपुं०, एकात् (अनु० १५३), एकस्याः स्त्री० ।
 ष० एकस्य पुं० नपुं०, एकस्याः स्त्री० ।
 स० एकस्मिन् पुं० नपुं०, एकस्याम् स्त्री० ।
 स० नपुं० एकै (अ० १९, ५६, २)^{२३३क} ।

विशेष—जब एक शब्द 'कतिपय' का वाचक होता है, तब उसके रूप द्वि० तथा ब० में भी चलते हैं और वे रूप भी सर्वनामों के रूपों की भांति बनते हैं (अनु० १६५) । द्वि० तथा ब० में एक के निम्नलिखित वैदिक रूप मिलते हैं—

- प्रथ० द्वि० एकै युवती स्त्री० (अ० १०, ७, ४२); प्रथ० ब० एकै पुं०, एकाः स्त्री० (अ०) ।
 च० व० एकैभ्यः पुं० ।
 ष० ब० एकैषाम् (ऐ० आ०; कल्पसूत्र तथा प्रातिशाख्य) ।

(ख) द्वि के रूप—द्वि के रूप केवल द्वि० में बनते हैं । इस के निम्नलिखित वैदिक रूप मिलते हैं—

- प्रथ० द्विती०—द्वा, द्वौ पुं०; द्वे स्त्री० नपुं० ।
 तृ० द्वाभ्याम् पुं० स्त्री० नपुं० ।
 ष० स० द्वयोः पुं० स्त्री० नपुं० ।

(ग) त्रि के रूप—पुं० तथा नपुं० में त्रि के रूप इकारान्त प्रातिपदिक की भांति (अनु० १४०) चलते हैं । परन्तु स्त्री० में त्रि का त्रिस् वन जाता है^{२३४} और त्रिस् के रूप साधारणतया ऋकारान्त प्रातिपदिकों की भांति चलते हैं (अनु० १४५) । परन्तु प्रथ० तथा द्विती० में अस् विभक्ति से पूर्व ऋ को गुण न होकर र होता है^{२३५} । त्रि के रूप केवल ब० में बनते हैं ।

त्रि के निम्नलिखित वैदिक रूप उपलब्ध होते हैं—

- प्रथ० त्रयः पुं०; त्रीणि, त्री नपुं०; त्रिस्त्रः स्त्री० ।
 द्विती० त्रीन् पुं०; त्रीणि, त्री नपुं०; त्रिस्त्रः स्त्री० ।

तृ० त्रिभिः पुं०; तिसृभिः स्त्री० ।

च० त्रिभ्यः पुं०; तिसृभ्यः स्त्री० ।

ष० त्रीणाम्, त्रयाणाम् पुं०^{२३९}; तिसृणाम् स्त्री०^{२४०} ।

स० त्रिषु पुं०; तिसृषु स्त्री० ।

(घ) चतुर् के रूप—चतुर् के रूप केवल व० में बनते हैं और स्त्री० में इस का चतस्र हो जाता है (टि० २३४) । चतस्र के रूप ऋकारान्त प्रातिपदिकों की भांति चलते हैं (अनु० १४५), परन्तु प्रथ० तथा द्विती० में धस् विभक्ति से पूर्व ऋ को गुण न होकर र होता है (टि० २३५) । सर्वनामस्थान से पूर्व चतुर् का चत्वार बन जाता है (टि० १२५) । चतुर् के निम्नलिखित वैदिक रूप मिलते हैं—

प्रथ० चत्वारः पुं०; चत्वारि नपुं०; चतस्रः स्त्री० ।

द्विती० चतुरः पुं०; चत्वारि नपुं०; चतस्रः स्त्री० ।

तृ० चतुभिः पुं०; चतसृभिः स्त्री० ।

च० चतुभ्यः पुं०; चतसृभ्यः स्त्री० ।

ष० चतुर्णाम् पुं०^{२४१}; चतसृणाम् स्त्री०^{२४२} ।

स० चतसृषु स्त्री० (शत० ब्रा०) ।

१५६. ५ से १९ तक की संख्याओं के रूप—पांच से उन्नीस तक की संख्याओं के रूप केवल बहुवचन में बनते हैं और सभी लिङ्गों में समान रहते हैं ।

प्रातिपदिक रूप—पाणिनीय व्याकरण के अनुसार, षष् को छोड़ कर पांच से उन्नीस तक की संख्या के वाचक प्रातिपदिक नकारान्त हैं, जैसा कि हमने अनु० १४९ में दिखलाया है । परन्तु पाश्चात्य विद्वान् इन्हें षकारान्त मानते हैं और कहते हैं कि आठ के वाचक प्रातिपदिक से प्रथ० द्विती० में बनने वाला रूप अष्टा या अष्टौ वास्तव में द्विवचन का रूप है^{२४३} । यद्यपि अधिकतर वैदिक रूपों में अष्टा अङ्ग मिलता है और पाणिनि ने भी इस भा का व्याख्यान किया है^{२४०}, तथापि कतिपय रूपों में अष्ट अङ्ग दृष्टिगोचर होता है^{२४४}; यथा—अष्ट प्रथ० (ऋ० १०, २७, १५; अ०) । पूरणवाचक रूप अष्टमम् (ऋ०) तथा अष्ट-स्तना (तं० सं०) इत्यादि समासों में भी अष्ट अङ्ग मिलता है ।

विभक्तियां तथा अङ्गविकार—अष्ट-वर्जित पांच से उन्नीस तक के प्रातिपदिकों से परे प्रथ० द्विती० विभक्ति का लोप हो जाता है^{२५२}। ष० में भाम् को नुट् का आगम हो कर नाम् विभक्ति बनती है और नाम् से पूर्व नकारान्त प्रातिपदिकों की उपधा के अकार का दीर्घ हो जाता है^{२५३}।

स्वर-वैशिष्ट्य—षप् तथा अष्टन् के अष्टा अङ्ग का उदात्त विभक्ति के अच् पर चला जाता है^{२५४}, परन्तु अष्ट का उदात्त अङ्ग पर ही रहता है। शेष नकारान्त संख्यावाचक प्रातिपदिकों का उदात्त ष० में विभक्ति के अच् पर चला जाता है परन्तु हलादि विभक्तियों से पूर्व अङ्ग की उपधा अर्थात् अन्तिम ष पर रहता है।

इन संख्यावाचक शब्दों के निम्नलिखित वैदिक रूप उपलब्ध होते हैं—

- (क) षप् के रूप— प्रथ० द्विती० षट्; तृ० षड्भिः; च० षड्भ्यः; ष० षण्णाम् (पै० सं०); स० षट्सु।
- (ख) अष्टन् के रूप— प्रथ० द्विती० अष्टौ, अष्टा, अष्ट (ऋ०, अ०); तृ० अष्टाभिः; च० अष्टाभ्यः; ष० अष्टानाम् (ऐ० ब्रा०); स० अष्टासु।
- (ग) पञ्चन् के रूप— प्रथ० द्विती० पञ्च; तृ० पञ्चभिः; च० पञ्चभ्यः; ष० पञ्चानाम्; स० पञ्चसु।
- (घ) सप्तन् के रूप— प्रथ० द्विती० सप्त; तृ० सप्तभिः; च० पं० सप्तभ्यः; ष० सप्तानाम्; स० सप्तसु (मै० सं०, ब्रा०)।
- (ङ) नवन् के रूप— प्रथ० द्विती० नव; तृ० नवभिः; च० नवभ्यः; ष० नवानाम्।
- (च) दशन् के रूप— प्रथ० द्विती० दश; तृ० दशभिः; च० दशभ्यः; ष० दशानाम्; स० दशसु।
- (छ) एकादशन् के रूप— प्रथ० द्विती० एकादश; च० एकादशभ्यः (तै० सं०)।
- (ज) द्वादशन् के रूप— प्रथ० द्विती० द्वादश; च० द्वादशभ्यः (तै० सं०)।

- (झ) त्रयोदशन् के रूप— प्रथ० द्विती० त्रयोदश; तृ० त्रयोदशभिः (तै० सं०) ; च० त्रयोदशभ्यः (तै० सं०) ।
- (ञ) चतुर्दशन् के रूप— प्रथ० द्विती० चतुर्दश; च० चतुर्दशभ्यः (तै० सं०) ।
- (ट) पञ्चदशन् के रूप— प्रथ० द्विती० पञ्चदश; च० पञ्चदशभ्यः (तै० सं०) ।
- (ठ) षोडशन् के रूप— प्रथ० द्विती० षोडश (वा० सं०) ; च० षोडशभ्यः (तै० सं०) ।
- (ड) सप्तदशन् के रूप— प्रथ० सप्तदश; च० सप्तदशभ्यः (तै० सं०) ।
- (ढ) अष्टादशन् के रूप— प्रथ० अष्टादश; च० अष्टादशभ्यः (तै० सं०) ।
- (ण) नवदशन् के रूप— प्रथ० नवदश (वा० सं०) ; तृ० नवदशभिः (वा० सं०) ।

तै० सं० में १९ के लिये च० का रूप एकान्न विश्रुत्यै भी मिलता है ।

१५७. विश्रुति तथा ऊपर की संख्याओं के रूप— २० से ९९ तक की संख्याओं के रूप स्त्री० के एकवचन में और १०० से १००,०००,००० तक की संख्याओं के रूप नपुं० के एकवचन में चलते हैं और इन के रूप प्रातिपदिक के अन्तिम वर्ण के अनुसार नियमपूर्वक बनाये जाते हैं^{१५५}; यथा— प्रथ० विश्रुतिः; द्विती० विश्रुतिम्; तृ० विश्रुत्या; प्रथ० त्रिंशत्; द्विती० त्रिंशतम्; तृ० त्रिंशता; स० त्रिंशतिः; प्रथ० द्विती० शतम्; तृ० शतेन । इन संख्याओं को गुणा करते समय (अनु० १५४) इन्हें द्वि० या व० में प्रयुक्त करते हैं (टि० २४५); यथा— नवतीनव = ९×९०=८१० (श्र० १,८४,१३); नवानां नवतीनाम् (श्र० १,१९१, १३); द्वे शुते “दो सौ”; सप्त शतानि “सात सौ”; त्री सहस्राणि “तीन हजार” ।

१५८. वाक्य-रचना में संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग—

(क) १ से १९ तक संख्यावाचक शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं और विशेष्य की विभक्ति तथा वचन के अनुसार इन के रूप चलते हैं और १ से ४ तक संख्यावाचक शब्दों का लिङ्ग भी विशेष्य के अनुसार रहता है; यथा— देव एकः (श्र०); एका सरस्वती (श्र०); त्रयो वीराः

(ऋ०); तिसृभिर्गोभिः (ऋ०); जनेषु पञ्चसु (ऋ०); सप्तभिः पुत्रैः (ऋ०); दशभिर्वीरैः (ऋ०); देवा एकादश (अ०) ।

(ख) १९ से ऊपर के संख्यावाचक शब्द साधारणतया एकवचन में प्रयुक्त होते हैं, परन्तु जब इन की संख्या को गुणा करना हो तब इन का प्रयोग प्रकरणानुसार द्विवचन या बहुवचन में किया जाता है (अनु० १५४) । इन संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है—

१. बहुवचन विशेष्य के साथ भी इन का प्रयोग एकवचन में ही होता है, परन्तु विशेष्य की विभक्ति के अनुसार इन का रूप बनता है और ये प्रायेण विशेष्य से पूर्व प्रयुक्त होते हैं; यथा— तृ० विंशत्या हरिभिः (ऋ०); प्रथ० त्रिंशद् देवाः (ऋ०); द्विती० त्रिंशत्तुं योजनानि (ऋ०); तृ० त्रिंशत्ता हरिभिः (ऋ०); तृ० चत्वारिंशत्ता हरिभिः (ऋ० २, १८, ५); प्रथ० शतं पुरं (ऋ० ४, २७, १); तृ० शतेन हरिभिः (ऋ० २, १८, ६); प्रथ० सहस्रं हरयः (ऋ० ४, ४६, ३); द्विती० सहस्रं पशून् (तै० सं०); त्रयस्त्रिंशतो देवानाम् (ऐ० ब्रा०) ।

विशेष— (१) कतिपय वैदिक प्रयोगों में विशेष्य के अनुसार संख्यावाचक शब्दों के बहुवचनान्त रूप भी मिलते हैं; यथा— द्विती० शता पुरं (ऋ० १, ५३, ८); प्रथ० सहस्राण्यधिस्थानि (ऋ० १०, १८, ९) ।

(२) सहस्राद् यूपान् (ऋ० ५, २, ७) प्रयोग में विशेष्य का रूप भी ए० में प्रयुक्त है^{२४९} ।

२. इन संख्यावाचक शब्दों के प्रयोग की दूसरी पद्धति यह है कि इन के विशेष्य को षष्ठी विभक्ति में प्रयुक्त किया जाता है और संख्यावाचक शब्द का रूप विशेष्य के अर्थ के अनुसार निर्धारित किया जाता है; अर्थात् विशेष्य के कारक के अनुसार संख्यावाचक शब्द का विभक्ति-रूप होगा और यदि संख्या को गुणा करना है तो उसका रूप द्वि० या ब० में होगा अन्यथा ए० में ही रहेगा; यथा— द्विती० पुत्राशतमश्वानाम् (ऋ० ५, १८, ५); द्विती० षष्टिं सहस्रांश्चरवानाम् (ऋ० ८, ४६, २९); द्विती० शतं गोनाम् (ऋ० १, १२६, २); द्विती० शतं सहस्रम् अयुतं न्युष्टं जुधानं शक्रो दस्यूनाम् (अ० ८, ८, ७); द्विती० गवां शतानि

(ऋ० ७, १०३, १०); द्विती० सुहस्राणि गर्वान् (ऋ० ८, ५१, २) ।

(ग) विशेष— १. कतिपय वैदिक प्रयोगों में संख्यावाचक शब्दों का विभक्ति-रूप विशेष्य के रूप के अनुसार नहीं बनता । संख्यावाचक शब्द का रूप प्रथ० (या द्विती०) विभक्ति में रहता है जब कि विशेष्य का रूप किसी अन्य विभक्ति में होता है^{२४०}; यथा— अधि पञ्च कृष्टिषु (ऋ० २, २, १०); पञ्च क्षितीनाम् (ऋ० ५, ३५, २); सुप्त होतृभिः (ऋ० ३, १०, ४); सुप्त धार्मभिः (ऋ० १, २२, १६); सुप्त सिन्धुषु (ऋ० ८, २४, २७); शतम् उत्तिभिः (ऋ० ४, ३१, ३); शतं पुभिः (ऋ० ६, ४८, ८); सुहस्रम् ऋषिभिः (ऋ० १, १८९, ८)^{२४८}; सुहस्रं पितृभिः (ऋ० १०, १५, १०) ।

२. कति "कितने", तति "उतने", और यति "जितने" के प्रथ० द्विती० के रूपों में विभक्ति का लोप हो जाता है और संहिताओं में इन के रूप केवल प्रथ० द्विती० में ही मिलते हैं^{२४९}; यथा— कत्युरनयुः कति स्यासुः कत्युषासुः कत्यु स्थिदापः (ऋ० १०, ८८, १८) "कितनी अग्नियाँ, कितने सूर्य, कितनी उपायें, और कितने जल ?"

क्रमवाचक शब्द Ordinals

१५९. पाणिनीय व्याकरण में प्रथम से भिन्न क्रमवाचक शब्दों के लिये पूरण संज्ञा का प्रयोग मिलता है^{२५०}, और संख्यावाचक शब्द के साथ जिस प्रत्यय के जोड़ने से पूरण बनता है उसे पूरण-प्रत्यय कहते हैं । पाणिनि द्वारा किया गया यह संज्ञाकरण सर्वथा समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि पूरण के द्वारा संख्या (संख्यान या गणना) पूर्ण होती है; यथा— द्वौ संनिषद्य यन्मन्त्रयन्ते राजा तद्वैदु वरुणस्तुतीयः (ऋ० ४, १६, २) "दो बैठ कर जो मन्त्रणा करते हैं उसे राजा वरुण तीसरा (होते हुए) जानता है"; दशास्यां पुत्रानार्धेहि पतिमेकादशं कृधि (ऋ० १०, ८५, ४५) "इसे दस पुत्र प्रदान कीजिये और पति को ग्यारहवां कीजिये"; द्वादश मासाः, पञ्चत्वेवुः, अयं इमे लोकाः असावादित्य एकविंशः (तै० सं० ५, ४, १२, २) "बारह महीने, पांच ऋतुएं, तीन ये लोक, वह आदित्य इषीसर्वा है" ।

१६०. क्रमवाचक शब्द बनाने की विधि के अनुसार संख्यावाचक शब्दों को

चार वर्गों में विभक्त किया जा सकता है— (क) १-१०; (ख) ११-१९; (ग) २०-९९; (घ) १००-१००० ।

(क) १ से १० तक संख्यावाचक शब्दों से क्रमवाचक शब्द बनाने के लिये अनेक प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं । कतिपय संख्यावाचक शब्दों से दो क्रमवाचक शब्द बनते हैं और चतुर् से तीन बनते हैं ।

१. भिन्न शब्द का प्रयोग— एक से क्रमवाचक शब्द बनाने के लिये इसका प्रयोग नहीं किया जाता है और प्र के साथ प्रत्यय जोड़ कर प्रथम क्रमवाचक शब्द बनाया जाता है^{२५१} ।

२. -तीय प्रत्यय— द्वि तथा त्रि से क्रमवाचक शब्द बनाने के लिये इनके साथ -तीय प्रत्यय जोड़ा जाता है और सम्प्रसारण द्वारा त्रि का तृ बनाया जाता है^{२५२}; यथा— द्वितीय, तृतीय ।

३. -ईय तथा -य प्रत्यय— चतुर् से क्रमवाचक शब्द बनाने के लिये जब इस के साथ -ईय और -य प्रत्यय जोड़े जाते हैं तब इस के आदि अक्षर (च) का लोप हो जाता है^{२५३}; यथा— तुरीय, तृथ (अ०) ।

४. -थ प्रत्यय— चतुर् तथा षष् से क्रमवाचक शब्द बनाने के लिये -थ प्रत्यय जोड़ा जाता है^{२५४}; और कतिपय वैदिक प्रयोगों में पञ्चन् तथा सप्तन् से भी -थ प्रत्यय द्वारा क्रमवाचक रूप बनाये जाते हैं^{२५५}; यथा— चतुर्थ (अ०, वा० सं०); षष्ठ (अ०, वा० सं); पञ्चथ (का० सं०); सप्तथ (ऋ०) ।

५. -म प्रत्यय— पञ्चन्, सप्तन्, अष्टन्, नवन् तथा दशन् से क्रमवाचक शब्द बनाने के लिये साधारणतया -म प्रत्यय जोड़ा जाता है^{२५६}; यथा— पञ्चम (अ०, वा० सं०); सप्तम (वा० सं०); अष्टम; नवम; दशम ।

(ख) ११ से १९ तक संख्यावाचक शब्दों के साथ -ज (पा० ङट्—टि० २५४) प्रत्यय जोड़ कर क्रमवाचक शब्द बनाये जाते हैं; यथा— एकदश; द्वादश (वा० सं०); त्रयोदश (अ०, वा० सं०); चतुर्दश (वा० सं०); पञ्चदश (अ०, वा० सं०); षोडश (अ०, वा० सं०); सप्तदश (वा० सं०) ।

(ग) २० से ९९ तक संख्यावाचक शब्दों से क्रमवाचक शब्द बनाने के लिये प्रायेण -अ (पा० इट्—टि० २५४) प्रत्यय जोड़ा जाता है और इस से पूर्व संख्यावाचक शब्द के अन्तिम अक्षर (व्यञ्जनसहित स्वर) का लोप हो जाता है; यथा— एकविंश (तै० सं०, शत० ब्रा०) “२१वां”; त्रयोविंश (वा० सं०) “२३वां”; एकत्रिंश (वा० सं०) “३१वां”; चतुस्त्रिंश (शत० ब्रा०) “३४वां”; चत्वारिंश (ऋ०) “४०वां”; अष्टा-चत्वारिंश (वा० सं०) “४३वां”; द्वापञ्चाश (कौ० ब्रा०) “५२वां”; एकपष्ट (शत० ब्रा०) “६१वां” । कुछेक ब्राह्मण-प्रयोगों में तथा उत्तर-कालीन भाषा में -तम प्रत्यय द्वारा भी क्रमवाचक शब्द बनाये जाते हैं^{२५५}; यथा— एकविंशतितम ।

(घ) शत, सहस्र आदि से क्रमवाचक शब्द बनाने के लिये इन के साथ -तम प्रत्यय जोड़ा जाता है^{२५६}; यथा— शततम “१००वां”; सहस्रतम (तै० सं०, शत० ब्रा०) “१०००वां” ।

१६१. (क) स्वर-वैशिष्ट्य तथा अंशवाचक शब्द— पूरण-संज्ञक शब्दों का उदात्त प्रायेण अन्तिम अक्षर पर रहता है और केवल द्वितीय, तृतीय, तुरीय, तुर्थ, सप्तथ में इस नियम का अपवाद मिलता है । परन्तु जब ऐसे शब्द अंशवाचक होते हैं तब इन का उदात्त प्रातिपदिक के प्रथम अक्षर पर चला जाता है^{२५७}; यथा— चतुर्थ “चौथा”, परन्तु चतुर्थ “४” (शत० ब्रा०); तुरीय “चौथा”, परन्तु तुरीय (अ०) “४”; तृतीय “तीसरा”, परन्तु तृतीय (मै० सं०, तै० सं०) “३” । ऋ० में अंशवाचक प्रयोग नहीं मिलते हैं; परन्तु अ० तथा यजुर्वेदसंहिताओं के ब्राह्मणभाग में और ब्राह्मणग्रन्थों में ऐसे प्रयोग उपलब्ध होते हैं । परन्तु अंशवाचक शब्द में उदात्त-परिवर्तन-सम्बन्धी नियम के अनेक अपवाद भी दृष्टिगोचर होते हैं; यथा— चतुर्थ (मै० सं० १, ९, ४) “४”; पञ्चम (मै० सं० १, ९, ४) “५”; षष्ठ (मै० सं० १, ९, ४) “६”; षोडश (अ०) “१६”; दे० टि० २५९ ।

(ख) स्त्री-वाचक शब्द— उपर्युक्त क्रमवाचक शब्द पुं० तथा नपुं० में अकारान्त हैं । प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तुर्थ, तुरीय से स्त्रीवाचक शब्द

वनाने के लिये इनके साथ आ (पा० टाप्) प्रत्यय जोड़ा जाता है और शेष सब क्रमवाचक शब्दों के साथ ई (पा० ङीप्) जोड़ा जाता है; यथा— प्रथमा (अ०); द्वितीया; तृतीया (अ०); तुरीया (तै० सं०); चतुर्थी (अ०); अष्टमी (अ०); दशमी (अ०); पञ्चदशी (तै० ब्रा०); त्रिंशत्तमी (शत० ब्रा०); चत्वारिंशी (ऋ०); द्वापञ्चाशी (कौ० ब्रा०); सहस्रतमी (तै० सं०) ।

- (ग) विभक्ति-रूप—पुं० तथा नपुं० क्रमवाचक शब्दों के रूप अकारान्त प्रातिपदिकों की भांति बनते हैं (अनु० १३८); यथा एकदश पुं० के रूप इस प्रकार चलते हैं— प्रथ० ए० एकदशः; प्रथ० व० एकदशाः; एकदशासः; द्विती० ए० एकदशम्; द्विती० व० एकदशान्; तृ० ए० एकदशेन; तृ० व० एकदशैः; इत्यादि । प्रथ० व० में प्रथम से प्रथमे रूप सर्वनामों की भांति बनता है (अनु० १६५) और प्रथमासः (ऋ०) भी मिलता है । स्त्री० क्रमवाचक शब्दों के रूप आकारान्त तथा ईकारान्त स्त्री० प्रातिपदिकों के रूपों की भांति बनते हैं (अनु० १३९, १४३); परन्तु -तीय प्रत्ययान्त स्त्री० शब्द तथा प्रथमा के च० पं० ष० सं० ए० के रूप सर्वनामों की भांति भी बनते हैं^{२९०}; यथा—स० ए० तृतीयस्याम् (अ०); ष० ए० प्रथमस्याः (अ०) ।

संख्यावाचक शब्दों के अन्य तद्धित रूप

१६२. संख्यावाचक शब्दों से क्रमवाचक शब्दों के अतिरिक्त अन्य तद्धित रूप भी बनते हैं जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं—

- (क) आवृत्ति-वाचक तद्धित अव्यय—किसी क्रिया की आवृत्ति (पा० अभ्यावृत्ति) को प्रकट करने के लिये संख्यावाचक शब्दों से जो तद्धित शब्द बनते हैं वे सभी अव्यय होते हैं और ऐसे अव्यय तीन प्रकार से बनाये जाते हैं—

१. एक से आवृत्ति-वाचक अव्यय सहस्रद् “एक वार” बनता है^{२९१} ।
२. द्वि, त्रि तथा चतुर् से क्रमशः द्विः “दो वार”, त्रिः “तीन वार” तथा चतुः “चार वार” आवृत्ति-वाचक अव्यय -स् प्रत्यय द्वारा बनते हैं^{२९२} ।

३. चार से ऊपर संख्यावाचक शब्दों से आश्रुति-वाचक शब्द बनाने के लिये इन के साथ कृत्वः (पा० कृत्वसुच् प्रत्यय) जोड़ दिया जाता है और कुछेक शब्दों को छोड़ कर शेष वैदिक प्रयोगों में संख्यावाचक शब्द तथा कृत्वः का समास नहीं होता है और वे दोनों पृथक् पदों के रूप में रहते हैं^{२११}; यथा— (समास-रूप में) अष्टकृत्वः (अ० ११, २, ९) “आठ वार”; पञ्चकृत्वः (तै० ब्रा० २, ३, ६, २) “पाँच वार”; षट्कृत्वः (तै० ब्रा० २, ३, ६, ३) “छः वार”; सप्तकृत्वः (तै० ब्रा० २, ३, ६, ३) “सात वार”; दशकृत्वः (तै० ब्रा० २, ३, ६, ४) “दस वार”; (पृथक् पदों के रूप में)—दशकृत्वः (अ० ११, २, ९) “दस वार”; त्रिः सप्तकृत्वः (अ० १२, २, २९) “तीन वार सात वार”; भूरि कृत्वः (ऋ० ३, १८, ४) “बहुत वार”। कृष्णयजुर्वेद की संहिताओं के ब्राह्मणभाग में तथा शत० ब्रा० में पञ्च, षट्, सप्त, अष्टौ, दश, एकादश, द्वादश, सप्तदश इत्यादि के पश्चात् कृत्वः का प्रयोग पृथक् पद के रूप में मिलता है। ब्राह्मण-ग्रन्थों में द्विः, त्रिः, चतुः जैसे आश्रुति-वाचक शब्दों के साथ भी कृत्वः का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है; यथा—द्विस्तु कृत्वः (शत० ब्रा० ६, ८, २, ५); त्रिः कृत्वः (शत० ब्रा० ७, ३, २, १९); चतुः कृत्वः (शत० ब्रा० ३, २, ४, ८)। इस में सन्देह नहीं कि सूत्रकालीन भाषा में कृत्वः संख्यावाचक शब्द के साथ केवल समास में प्रयुक्त होता था और एक प्रत्यय बन कर रह गया था, जैसा कि पाणिनि ने माना है; यथा—शतकृत्वः (आप० श्रौ० सू० २०, ४, ६); सहस्रकृत्वः (आप० ध० सू० १, २६, १४)।

(ख) क्रिया-प्रकार-वाचक तथा विभाग-वाचक तद्धित अव्यय— संख्यावाचक शब्दों के साथ -धा प्रत्यय जोड़ कर क्रिया-प्रकार-वाचक तथा विभाग-वाचक तद्धित अव्यय बनाये जाते हैं^{२१२}; यथा— एकधा (अ०) “एक प्रकार से”; द्विधा (ऋ० १०, ५६, ६) “दो प्रकार से”; द्वेधा^{२१३} (ब्रा०) “दो प्रकार से”; त्रिधा (ऋ० २, ३, १०) “तीन प्रकार से”; त्रिधा (ऋ० १, ११७, २४) “तीन भागों में”; त्रेधा^{२१४} (ऋ० १, १५४, १) “तीन प्रकार से”; त्रेधा (ऋ० १०, ८७, १०) “तीन भागों में”; चतुर्धा (ऋ०) “चार प्रकार से”; चोढा^{२१५} (ऋ०) “छः प्रकार से”; षट्धा (शत० ब्रा०) “छः प्रकार से”; षट्धा (पं० ब्रा०) “छः

प्रकार से"; सहस्रधा (ऋ० १०, ११४, ८) "सहस्र प्रकार से, सहस्र भागों में" । इसी प्रकार पुञ्चधा (अ०); सप्तधा (अ०, वा० सं०, तै० सं०); अष्टधा (अ०); नवधा (अ०), इत्यादि वनते हैं ।

(ग) वीप्सा-वाचक तद्धित अव्यय— संख्यावाचक शब्दों के साथ -शस् प्रत्यय जोड़ कर वीप्सा-वाचक तद्धित अव्यय बनाये जाते हैं^{२५७}; यथा— सहस्रशः (ऋ० ८, ३४, १५) "हज़ार हज़ार करके"; शतशः (अ०) "सौ सौ करके"; बद्धशः (ऐ० ब्रा० ८, २३, ४) "बद्ध बद्ध करके" ।

(घ) समुदाय-वाचक तद्धित शब्द— संख्या-वाचक शब्दों के साथ साधारणतया -तय (पा० तयप्) प्रत्यय जोड़ कर समुदाय-वाचक पुं० नपुं० शब्द बनाये जाते हैं^{२५८}, और द्वि तथा त्रि के साथ -अय (पा० अयच्) प्रत्यय जोड़ कर भी समुदाय-वाचक शब्द बनाये जाते हैं^{२५९} । चतुर के साथ -चय प्रत्यय जोड़ कर भी ऐसा रूप बनाया जाता है । इन शब्दों का स्त्री० रूप बनाने के लिये इनके साथ ई (पा० ङीप्) प्रत्यय जोड़ा जाता है; यथा— एकतय "एक अवयव वाला"; द्वितय या द्वय "दो अवयवों वाला"; त्रितय या त्रय "तीन अवयवों वाला"; चतुष्टय या चतुर्वच (ऋ०) "चार अवयवों वाला"; दशतय "दश अवयवों वाला"; स्त्री० शब्द त्रयी (शत० ब्रा०); एकतयी (मै० सं०); द्वयी (मै० सं०) ।

४. सर्वनाम-संज्ञक शब्द

१६३. सर्वनामों की अपनी अनेक विशेषताएं हैं । रूप-रचना के विषय में नामों और सर्वनामों का विशेष भेद है और सर्वनाम-रूपों के मूल में अनेक प्रातिपदिक माने जाते हैं, यद्यपि इस सम्बन्ध में पूर्ण मतैक्य नहीं है ।

पाणिनि के अतिरिक्त, निरुक्त, अ० प्रा०, तथा आप० ध० सू० में सर्वनामन् संज्ञा का उल्लेख मिलता है और आप० ध० सू० ने एक ही सूत्र में नामन् तथा सर्वनामन् दोनों का उल्लेख किया है^{२६०} । पतञ्जलि के मतानुसार, जो सब का नामन् है वही सर्वनामन् है^{२६१} । सर्वनामों का प्रयोग सभी के लिये प्रसङ्गानुसार किया जा सकता है, जबकि नाम एक एक विषय के लिये प्रयुक्त होते हैं; यथा—तद् सर्वनाम का

प्रयोग सभी विषयों का संकेत करने के लिये सामान्यतया किया जा सकता है, परन्तु पुरुष, अश्व इत्यादि नामों का प्रयोग विशिष्ट विषयों के लिये किया जाता है।

पाणिनि (१,१,२७) ने निम्नलिखित सर्वनामों की परिगणना की है—

सर्वं “सव”; विश्व “सव”; उभ “दोनो”; उभय “दोनो”; डतर-प्रत्ययान्त शब्द (पा० ५,३,९२; अनु० २०१^ग) यथा—कृत्तर “दो में से कौन सा”, यत्तर “दो में से जौन सा”, तत्तर “दो में से वही”; डतम-प्रत्ययान्त शब्द (पा० ५,३,९३; अनु० २०१^ग) यथा—कृत्तम “बहुतों में से कौन सा”, यत्तम “बहुतों में से जौन सा”, तत्तम “बहुतों में से वही”; अन्य; अन्यत्तर; इतर “अन्य”; त्वत् “अन्य”, त्व “अन्य” (टि० २९९); नेम “कई, आधा”; सम “प्रत्येक”; सिम “सब”; पूर्व; पर, अवर; दक्षिण “दक्षिण में स्थित”; उत्तर “उत्तर में स्थित”; अपर; अधर; स्व “अपना”; अन्तर “बाह्य, अन्तरीय”; त्यद् “वह”; तद्; यद्; एतद्; इदम्; अदस्; एक; द्वि; युष्मद्; अस्मद्; भवत् “आप”; किम्।

अब हम उन सर्वनामों की रूप-रचना पर विचार करेंगे जिन का प्रयोग वैदिक भाषा में उपलब्ध होता है। इस विषय में यह तथ्य विशेषतया उल्लेखनीय है कि रूप रचना की दृष्टि से अस्मद् तथा युष्मद् को एक वर्ग में और शेष सर्वनामों को दूसरे वर्ग में रखा जा सकता है।

अस्मद् तथा युष्मद्

१६४. अस्मद् तथा युष्मद् के रूपों के व्याख्यान के लिये विशिष्ट नियम नहीं निर्धारित किये जा सकते, क्योंकि कुछ रूपों में कोई भी सामान्य विभक्ति-चिह्न नहीं दीख पड़ता है। युष्माः (वा० सं०) को छोड़ कर इनके रूपों में कोई लिङ्गभेद नहीं माना जाता है। यद्यपि पाणिनि ने अस्मद् तथा युष्मद् प्रातिपदिक मान कर इन रूपों का व्याख्यान किया है^{१०१}, आधुनिक विद्वानों के मतानुसार इन रूपों की रचना भिन्न-भिन्न प्राति-

पदिकों से है और एक साधारण प्रातिपदिक के आधार पर इनका व्याख्यान नहीं किया जा सकता। अन्य सर्वनामों के समान अस्मद् तथा युष्मद् का भी सम्बोधनरूप नहीं होता है।

(क) अस्मद् के रूप—

ए० ; द्वि० ; व०

प्रथ० अहम् ; वाम्^{१७३}, आवम् (मै०सं०, तै०सं०, शत०ब्रा०)^{१७४}; वृथम् ।

द्विती० माम् ; आवाम् (शत० ब्रा०) ; अस्मान् ।

तृ० मया ; आवाभ्याम् (ऐ० ब्रा० २, ३) ; अस्माभिः ।

च० मह्यम्, मह्य^{१७५}; × ; अस्मभ्यम्, अस्मे^{१७६} (ऋ०) ।

पं० मत् ; आवाभ्याम् (का०सं०), आवत् (तै०सं०) ; अस्त् ।

ष० मम ; आवयोः (तै०सं०, का०सं०, शत०ब्रा०) ; अस्मार्कम्,
अस्मार्कं (ऋ० १, १७३, १०) ।

स० मयि, मे (वा० सं० ४, २२)^{१७७} ; अस्मात्, अस्मे (ऋ०)^{१७८} ।

अस्मद् के निघातादेश—द्विती०, च०, ष० विभक्ति में अस्मद् के ऐसे संक्षिप्त रूप भी बनते हैं जो पूर्णतया अनुदात्त होते हैं। ऐसे रूपों को निघातादेश कहा जाता है। अस्मद् के निघातादेश निम्नलिखित हैं^{१७८}—

ए० ; द्वि० ; व०

द्विती० मा ; नौ ; नः ।

च० ष० मे ; नौ ; नः ।

वाक्य में इन के प्रयोग पर नीचे (ग) भाग में विचार किया गया है।

(ख) युष्मद् के रूप—

ए० ; द्वि० ; व०

प्रथ० त्वम् ; युवम् ; यूयम् ।

द्विती० त्वाम् ; युवाम् ; युष्मान्, युष्माः^{१७९}
(वा० सं० १, १३, ११, ४७) स्त्री० ।

तृ० स्वया, त्वा (ऋ०) ; युवभ्याम् (ऋ०, आश्व० श्रौ० सू०),
युवाभ्याम् ; युष्माभिः (ऋ० ८,
६३, १०; तै०सं०) ।

- च० तुभ्यम्, तुभ्य (ऋ०)^{२८०} ; × ; युष्मभ्यम्, युष्मे (ऋ०)^{२९१} ।
 प० स्वत् ; युवत् (ऋ० १, १०९, १) ; युष्मत् ।
 ष० त्वं ; युवोः (ऋ०), युवयोः (तं० सं०) ;
 युष्मार्कम्, युष्मार्क (ऋ० ७, ५९, ९. १०) ।
 स० त्वयि (अ०, वा० सं०, तं० सं०), त्वे (ऋ०)^{२९०} ;
 × ; युष्मे (ऋ०)^{२९१}, युष्मासु (का० सं०) ।

युष्मद् के निघातादेश— द्विती०, च०, तथा ष० विभक्ति में युष्मद् के ऐसे संक्षिप्त रूप भी बनते हैं जो पूर्णतया अनुदात्त होते हैं। युष्मद् के निघातादेश निम्नलिखित हैं (टि० २७८)—

ए०	;	द्वि०	;	ष०	
द्विती०	त्वा	;	वाम्	;	वः ।
च० ष०	ते	;	वाम्	;	वः ।

(ग) निघातादेशों का वाक्य में प्रयोग— अस्मद् तथा युष्मद् के निघातादेश ऋकपाद, श्लोकपाद और वाक्य के आदि में प्रयुक्त नहीं किये जा सकते^{२८१}। च्, वा, ह्, अह्, एव निपातों के साथ भी इन का प्रयोग नहीं होता है^{२८२}। ऐसे निघात आदेशों का प्रयोग समान वाक्य में किया जा सकता है और एक वाक्य में साधारणतया एक ही तिबन्त (आख्यात) होता है^{२८३}; यथा— शं तं सन्तु प्रचेतसे (ऋ० १, ५, ७); अप्सु मे सोमो अन्नवीत् (ऋ० १, २३, २०) ।

सर्वनामों की विभक्तियां

१६५. अस्मद् तथा युष्मद् को छोड़ कर अन्य सर्वनामों की बहुत सी विभक्तियां समान हैं। अतएव यहाँ पर उन सामान्य विभक्तियों का विवेचन आवश्यक है। सर्वनाम की इन विशेष विभक्तियों के अतिरिक्त अन्य विभक्तियां लगभग वैसी ही हैं जो नामों के रूपों में साधारणतया जोड़ी जाती हैं और अद्स् इत्यादि के साथ जुड़ने वाली विभक्तियों की विशेषताओं पर आगे चल कर यथाप्रसङ्ग विचार करेंगे। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि अद्स् को छोड़ कर शेष सर्वनामों का अज्ञ विभक्तियों से पूर्व पुं० में प्रायेण अकारान्त और स्त्री० में आकारान्त

होता है। प्रथ० द्विती० ए० से पूर्व कुछ सर्वनामों का अङ्ग हलन्त रहता है, परन्तु शेष विभक्तियों से पूर्व वह पुं० के समान होता है।

- (क) पुं० तथा नपुं० सर्वनामों की सामान्य विभक्तियाँ—अकारान्त पुं० के प्रथ० व० में ई (पा० शी) विभक्ति आती है^{२८४}; यथा— विश्व + ई = विश्वै; सर्व + ई = सर्वै। अकारान्त पुं० तथा नपुं० के च० ए० में स्मै, पं० ए० में स्मात्, स० ए० में स्मिन्, और ष० व० में साम् विभक्ति आती है^{२८५}; और साम् से पूर्व सर्वनाम के अन्तिम अ का ए और परिणाम-स्वरूप साम् के स् का ष बन जाता है; यथा— च० ए० विश्वस्मै; पं० ए० विश्वस्मात्; स० ए० विश्वस्मिन्; ष० व० विश्वेषाम्। शेष विभक्तियों में पुं० तथा नपुं० सर्वनामों के रूप प्रायेण अकारान्त प्रातिपदिकों के समान चलते हैं। अदस् के साथ भी सर्वनाम की विशेष विभक्तियाँ आती हैं।

विशेष— पूर्व, परं, अपरं, दक्षिण, उत्तर, अपरं, अधरं, स्व तथा अन्तर— इन नौ सर्वनामों के साथ कहीं कहीं सर्वनामों की विशेष विभक्तियों के स्थान पर नामों के साथ जुड़ने वाली साधारण विभक्तियाँ जोड़ कर भी प्रथ० च० पं० तथा स० के रूप बनाये जाते हैं^{२८६}; यथा— प्रथ० व० पूर्व, पूर्वासः; अपरे, अपरासः; पं० ए० उत्तरस्मात्, उत्तरात्; स० ए० उत्तरस्मिन्, उत्तरे। इसी प्रकार नेमं (टि० २८६), विश्वं, उपरं इत्यादि कतिपय अन्य विशेषणों के रूप भी कहीं सर्वनामों की भाँति और कहीं नामों की भाँति बनते हैं; यथा— च० ए० विश्वस्मै, विश्वाय; पं० ए० विश्वस्मात्, विश्वात्; स० ए० विश्वस्मिन्, विश्वै (ऋ०); प्रथ० व० उपरे, उपराः।

- (ख) स्त्री० सर्वनामों की सामान्य विभक्तियाँ—जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, अदस् को छोड़ कर अन्य सर्वनामों का अङ्ग स्त्री० में प्रायेण आकारान्त रहता है। स्त्री० सर्वनामों के आकारान्त अङ्ग के साथ च० ए० में स्यै, पं० प० ए० में स्याः, तथा स० ए० में स्यान् विभक्ति जोड़ी जाती है और इन विभक्तियों से पूर्व अङ्ग के आ को ह्रस्व फर दिया जाता है^{२८७}; यथा—च० ए० तस्यै, सर्वस्यै; पं० प० ए० तस्याः, अन्यस्याः; स० ए० तस्याम्, पूर्वस्याम्। पुं० नपुं० की भाँति (टि०

१८५) स्त्री० में भी प० व० की विभक्ति स् के आगम द्वारा साम् घन जाती है; यथा—तासाम्, भासाम्, अन्यासाम्। भृदस् (स्त्री०) के साथ भी सर्वनाम की विशेष विभक्तियां जोड़ी जाती हैं। शेष विभक्तियों में स्त्री० सर्वनामों के रूप प्रायेण आकारान्त स्त्री० प्रातिपदिकों के समान घनते हैं।

१६६. तद्, एतद् तथा त्यद्—इन तीनों सर्वनामों के रूपों में विशेष समानताएं हैं। अतएव इन के रूपों के सम्बन्ध में सामान्य विमर्श आवश्यक है। नपुं० की प्रथ० द्विती० ए० में इन सर्वनामों का अङ्ग अकारान्त रहता है और विभक्ति का लोप हो जाता है (टि० १७१), परन्तु नपुं० की शेष विभक्तियों तथा पुं० की सभी विभक्तियों से पूर्व इन सर्वनामों का अङ्ग अकारान्त रहता है^{१८६}; और स्त्री० में इन का अङ्ग आकारान्त हो जाता है। और प्रथ० ए० पुं० स्त्री० में इन सर्वनामों के तकार को सकार आदेश हो जाता है^{१८७}। यथाप्रसङ्ग सर्वनामों की विशेष विभक्तियां (अनु० १६५) और अन्यत्र पुं० तथा नपुं० में अकारान्त प्रातिपदिकों की विभक्तियां और स्त्री० में आकारान्त स्त्री० प्रातिपदिकों की विभक्तियां जोड़ कर इन सर्वनामों के रूप बनाये जाते हैं। प्रथ० ए० पुं० के रूप सः, एषः तथा स्यः के सन्धिविकारों के लिये दे० अनु० ६०।

विशेष—ऋ० में कहीं-कहीं स० ए० पुं० नपुं० में और छान्दोग्योपनिषद् में पं० ए० पुं० में भी तद् के त् का स घन जाता है; यथा—सस्मिन्, सस्मात्।

(फ) तद् “वह” के रूप^{१९०}—

		पुं० रूप		
	ए० ;		द्वि० ;	ब०
प्रथ०	सः ;		ता, तौ ;	ते।
द्विती०	तम् ;		ता, तौ ;	तान्।
तृ०	तेन,		ताभ्याम् ;	तेभिः, तैः।
	तेना (पपा० तेन, अनु० ४६ग);			
च०	तस्मै ;	X ;		तेभ्यः।

पं०	तस्मात्, तात् (ऋ०) ^{२११} ; ताभ्याम् ;	तेभ्यः ।
	सस्मात् (छा० उप० ?);	
ष०	तस्य ; तयोः ;	तेषाम् ।
स०	तस्मिन् (२२वार); तयोः ;	तेषु
	सस्मिन् ^{२११} क (ऋ० में ९वार);	

नपुं० रूप

	ए० ; द्वि० ;	व०
प्रथ०	द्विती० तत् ; ते ;	ता, तानि ।

नपुं० के शेष रूप पुं० के समान बनते हैं ।

स्त्री० रूप

	ए० ; द्वि० ;	व०
प्रथ०	सा ; ते ;	ताः ।
द्विती०	ताम् ; ते ;	ताः ।
तृ०	तया ; ताभ्याम् ;	ताभिः ।
च०	तस्यै ; × ;	ताभ्यः ।
पं०	तस्याः ; ताभ्याम् ;	× ।
ष०	तस्याः ; × ;	तासाम् ।
स०	तस्याम् ; × ;	तासु ।

(ख) एतद् “यद्” के रूप^{२११}—

पुं० रूप

	ए० ; द्वि० ;	व०
प्रथ०	एषः ; एता, एतौ ;	एते ।
द्विती०	एतम् ; एतौ (तै० सं) ;	एतान् ।
तृ०	एतेन ; एताभ्याम् (तै० सं०);	एतेभिः, एतैः ।
च०	एतस्मै (तै० सं०); × ;	एतेभ्यः ।
पं०	एतस्मात् (अ०, तै० सं०); × ;	× ।
ष०	एतस्य (अ०, तै० सं०) ; एतयोः (तै० सं०);	एतेषाम् (तै० सं०) ।
स०	एतस्मिन् (तै० सं०) ; × ;	एतेषु (ऐ० प्रा०) ।

नपुं० रूप

ए० ; द्वि० ; ष०
 प्रथ० द्विती० एतत् ; पुते (तै०सं०) ; पुतानि, पुता ।

शेष रूप पुं० के समान बनते हैं ।

स्त्री० रूप

ए० ; द्वि० ; ष०
 प्रथ० एषा ; पुते ; पुताः ।
 द्विती० एताम् ; × ; पुताः ।
 तृ० एतर्या, एताभ्याम् (मै०सं०) ; एताभिः ।
 पुता (ऋ० १०, ९५, २);
 च० एतस्यै (तै०सं०); × ; एताभ्यः (तै०सं०) ।
 ष० एतस्याः (तै०सं०); × ; पुतासाम् (तै०सं०) ।
 स० एतस्याम् ; × ; पुतासु ।

- (ग) त्यद् "वह" के रूप^{११३}—ऋ० में इस सर्वनाम से बने हुए बहुत से रूप मिलते हैं, परन्तु उत्तरकालीन संहिताओं तथा ब्राह्मणग्रन्थों में इसके बहुत कम रूप उपलब्ध होते हैं। तद् की भांति त्यद् का स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होता है और यह प्रायेण विशेषण के रूप में विशेष्य के साथ ही प्रयुक्त होता है। यदि त्यद् के तुरन्त पश्चात् उ, चित्, जु, सु इत्यादि निपात न आए, तो त्यद् पाद या चाक्य के प्रारम्भ में नहीं आता है। त्यद् अनेक बार एतद्, इदम् जैसे सर्वनामों के रूपों के साथ प्रयुक्त होता है; यथा—एष स्य ते मधुमाँ इन्द्र सोमः (ऋ० ९, ८७, ४) ।

त्यद् से बने हुए निम्नलिखित वैदिक रूप उपलब्ध होते हैं—

पुं० रूप

प्रथ० ए० स्य ; द्वि० त्या (ऋ०), त्यौ (तै० सं०); ष० स्ये;
 द्विती० ए० त्यम् ; ; ष० त्यान् ।
 तृ० ष० त्येभिः ।

ष० ए० त्यस्य ; द्वि० त्ययोः (तै० सं०) ।
स० ए० त्यस्मिन् (मै० सं०) ।

नपुं० रूप

प्रथ०द्विती०ए० त्यद्, त्यम् (शत०ब्रा० १४,५,३,१); व० स्या,त्यानि ।

स्त्री० रूप

प्रथ० ए० स्या^{२५} ; द्वि० त्वे ; व० स्याः ।
द्विती०ए० त्याम् ; ; व० स्याः ।
तृ० ए० त्या (ऋ० १०,७५,६) ।
ष० ए० त्यस्याः ।

(घ) तुक् “वह” शब्द भी, पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार^{२५}, तद् सर्वनाम के साथ ह्रस्ववाचक क प्रत्यय जोड़ कर बनाया गया है^{२५क}। इस के निम्नलिखित रूप मिलते हैं—

प्रथ० व० पुं० तकाः (क्रा० श्रौ० १३,३,२१); द्विती० ए० पुं० तुक्त् (ऋ०); द्विती० ए० नपुं० तुक्त् (ऋ०) ।

तद् से बने हुए शब्द तुक् “वह छोटा” (टि० २९५) का स्त्री० रूप सुका भी मिलता है ।

१६७. अ॒व, अ॒म, त्त्वत्, त्व, ने॒म, स्मि॒म, सु॒म— इन सर्वनामों से बने हुए बहुत थोड़े रूप उपलब्ध होते हैं; इनके अर्थ तथा प्रयोग के विषय में भी अनेक मतभेद हैं; और इन के अर्थों में पारस्परिक सम्बन्ध भी है। अत एव यहां पर इन का विवेचन वाञ्छनीय है ।

(क) अ॒व “यह” के रूप—इस सर्वनाम के केवल तीन रूप ऋ० में ही मिलते हैं। “अ॒वो॒रि॒त्या वा॒म्” (ऋ० ६,६७,११) तथा “अ॒वो॒र्वा॒म्” (ऋ० ७,६७,११) में अ॒वोः के पश्चात् वा॒म्, और “अ॒वो॒र्वा॒म्” (ऋ० १०,१३२,५) में वा॒ आता है^{२६}। स त्वम् “तुम ऐसे” की भांति अ॒वो॒र्वा॒म् का अर्थ है “ऐसे तुम दोनों का” और ये तीनों रूप ष० द्वि० के हैं^{२६} ।

(ख) अ॒म “यह” के रूप—अ० १४,२,७१ तथा का० सं० ३५,१८ के मन्त्रभाग—अ॒मोऽ॒हम॑स्मि सा त्वम् “मैं यह हूँ, तुम वह हो” में इस

चतुर्थोऽध्यायः

सर्वनाम के प्रथ० ए० पुं० का प्रयोग मिलता है और गृह्यसूत्रों के विवाह-मन्त्रों में भी इसी रूप का प्रयोग उपलब्ध होता है। इसी प्रकार ब्राह्मण-ग्रन्थों में भी अमः अनेक वार प्रयुक्त किया गया है^{२१८}।

(ग) त्वत्, त्व के रूप—इन सर्वनामों के अर्थ तथा प्रयोग के विषय में अनेक मतभेद हैं। कतिपय भारतीय वैयाकरणों के मतानुसार, त्वत् तथा त्व दो पृथक् सर्वनाम हैं—एक उदात्त, दूसरा अनुदात्त; अन्य मत के अनुसार दोनों सर्वनाम अनुदात्त हैं; कुछ वैयाकरण दोनों सर्वनामों को अकारान्त मानते हैं^{२१९}। पाश्चात्य विद्वान् केवल एक अकारान्त तथा अनुदात्त सर्वनाम त्व की सत्ता को स्वीकार करते हैं। वस्तुतः अ० ८,९,९ के प्रयोग “त्वे न त्वे” तथा ऋ० खिलसूक्त ६,४५,१ के अप्रामाणिक पाठ “एतं त्वं मन्ये”^{२००} को छोड़ कर समस्त वैदिक वाङ्मय में त्व का उदात्त रूप नहीं मिलता है।

अनेक भारतीय वैयाकरण त्व का अर्थ “अन्य” मानते हैं (टि० २९९)। निरुक्त के अनुसार त्व का अर्थ “अर्ध” भी माना जाता था^{१०१}। त्व का अर्थ साधारणतया “एक, अनेक” है; और जब त्व की आवृत्ति की जाये तब प्रथम त्व का अर्थ “एक” और द्वितीय त्व का अर्थ “अपर” होता है^{१०२}; यथा—उत्त त्वः पश्यन्न ददशुं वार्चमुत्त त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम् (ऋ० १०,७१,४) “एक देखते हुए भी वाणी को नहीं देखता है, दूसरा सुनते हुए भी इसे नहीं सुनता है।”

ऋ० में त्व के लगभग बीस रूप मिलते हैं और वैदिक वाङ्मय में त्व से बने हुए निम्नलिखित रूप उपलब्ध होते हैं—

पुं० रूप

प्रथ० ए० त्वः ; व० त्वे (ऋ०), त्वे (अ)।

द्विती० ए० त्वम् ; व० त्वान् (जै० ब्रा०)।

तृ० ए० त्वेन । च० ए० त्वस्मै ।

प० ए० त्वस्य ।

वैदिक व्याकरण

स्त्री० रूप

प्रथ० ए० त्वा ; व० त्वाः (जै० ब्रा०; पं० ब्रा०)।

च० ए० त्वस्यै ।

नपुं० रूप

प्रथ० ए० त्वत् । वैदिक वाङ्मय में विशेषतः ब्राह्मणग्रन्थों में कहीं-कहीं त्वत् पद “अंशतः” के अर्थ में अव्यय की भांति प्रयुक्त होता है^{१०३} ।

- (घ) नेर्म के रूप— यास्क तथा वैयाकरणों के मतानुसार, नेर्म शब्द अर्ध-वाचक है^{१०४} । परन्तु सायण ने नेर्म के अर्थ “यह” “कुछ”, “अर्ध” इत्यादि किये हैं^{१०५} । पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार, नेर्म का अर्थ भी लगभग “त्व” जैसा ही है, अर्थात् “एक, अनेक, अपर” । जहाँ नेर्म की आवृत्ति होती है, वहाँ भी नेर्म का अर्थ “त्व” के समान है और “त्व” के साथ भी इस का प्रयोग मिलता है; यथा— प्र नेर्मस्मिन्ददृशे सोमो अन्तर्गोपा नेर्ममाविरस्या कृणोति (ऋ० १०, ४८, १०) “एक के अन्दर सोम दिखाई देता है, दूसरे को रक्षक अस्थि से प्रकट करता है”; नेन्द्रो अस्तीति नेर्म उ त्व आह क ई ददृशे कमभिं ष्टवाम (ऋ० ८, १००, ३) “इन्द्र नहीं है” यह बात एक, और दूसरा कहता है ‘इसे किसने देखा है, हम किस की स्तुति करें’ ।”

नेर्म के निम्नलिखित रूप मिलते हैं—

पुं० रूप

प्रथ० ए० नेर्मः ; व० नेर्मै (ऋ०, मै० सं०), नेर्माः (मै० सं०) ।

द्विती० ए० नेर्मम् ।

ष० व० नेर्मानाम् (ऋ० ६, १६, १८) ।

स० ए० नेर्मस्मिन् ।

नपुं० रूप

प्रथ० द्विती० ए० नेर्मम् ।

चतुर्थोऽध्यायः

(७) सिम "सब, प्रत्येक"^{१०१} के थोड़े से रूप ऋ० में उपलब्ध होते हैं। यद्यपि फिस्सूय तथा महाभाष्य में इसे अनुदात्त माना गया है^{१००}, तथापि ऋ० में यह सर्वनाम अन्तोदात्त है। इसके निम्नलिखित रूप उपलब्ध होते हैं—

प्रथ० ए० पुं० सिमः ; च० पुं० सिमे ।

सम्बो० ए० पुं० सिमं (ऋ० ८, ४, १) ।

च० ए० नपुं० सिमस्मै (ऋ० १, ११५, ४) ।

पं० ए० नपुं० सिमस्मात् (ऋ० १, १५, ७) ।

(८) सुम "प्रत्येक, कोई" के रूप— वैयाकरणों के मतानुसार यह सर्वनाम सर्व-व्याचक तथा अनुदात्त है और अन्तोदात्त सुम "समान" से भिन्न है जो कि सर्वनाम नहीं है^{१०२}। इसके निम्नलिखित पुं० रूप मिलते हैं—

प्रथ० व० सुमे (ऋ०) ।

द्विती० ए० सुमम् (ऋ० १, १७६, ४) ।

च० ए० सुमस्मै (ऋ० ६, ५१, ६) ।

पं० ए० सुमस्मात् (ऋ० ५, २४, ३; वा० सं० ३, २६)^{१०३} ।

ष० ए० सुमस्यु (ऋ०) ।

स० ए० सुमस्मिन् (ऋ० ८, २१, ८) ।

१६८. इदम् "यह" के रूप—इस सर्वनाम का प्रयोग समीपस्थ द्रव्य की ओर संकेत करने के लिये किया जाता है; यथा—अयं सोमः (ऋ० १, ४६, १०) "यह सोम" जो समीप विद्यमान है। पाणिनि के अनुसार, इदम् प्रातिपदिक से अयम्-, इयम्-, इम-, अन-, अ-, इत्यादि अङ्ग बनते हैं और इन के साथ भिन्न-भिन्न विभक्तियाँ जोड़ी जाती हैं^{१०४}। प्रथ० ए० पुं० में अयम्-, तथा स्त्री० में इयम्-, प्रथ० द्विती० के शेष रूपों में इम-, और तृ० आदि शेष विभक्तियों से पूर्व अ-, परन्तु तृ० ए०, तथा ष० स० द्वि० में कहीं-कहीं अन-, से बने रूपों का प्रयोग मिलता है (टि० ३१०)। पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार अ, इ, इम मूलतः पृथक् प्रातिपदिक थे जिन से सर्वनाम रूप तथा

तद्धित रूप वनते थे; यथा—म से अत्र “यहां”, अर्थ “तव”, अस्य “इस का” इत्यादि; इ से इह “यहां”, इतर “अन्य”, इतः “यहां से”, इयम् “यह स्त्री”; इम से इमस्य (ऋ०) “इस का”, इमथा (ऋ०) “इस प्रकार”, इमस् “इसको”^{१११} । इन के निम्नलिखित वैदिक रूप उपलब्ध होते हैं—

पुं० रूप

	ए० ;	द्वि० ;	ब०
प्रथ०	अयम् ;	इमा, इमौ ;	इमे ।
द्विती०	इमस् ;	इमा, इमौ ;	इमान् ।
तृ०	इना (अनु० १६९ क), अनेन ^{१११} क, आभ्याम् ;	इभिः, इमैः	(महाभारत १, १२८, २३)
च०	अस्मै, इमस्मै (ऐ० आ०);	आभ्याम् ;	इभ्यः ।
पं०	अस्मात्, खात् ^{११२} ;	आभ्याम् ;	इभ्यः ।
ष०	अस्य, इमस्य (ऋ०);	अयोः (ऋ०), अनयोः (तै० सं०);	इषाम् ।
स०	अस्मिन् ;	अयोः (ऋ०) ^{११२} , अनयोः (तै० सं०);	इषु ।

नपुं० रूप

	ए० ;	द्वि० ;	ब०
प्रथ०	द्विती० इदम् ;	इमे ;	इमा, इमानि ।

शेष रूप पुं० के समान हैं ।

स्त्री० रूप

	ए० ;	द्वि० ;	ब०
प्रथ०	इयम् ;	इमे ;	इमाः ।
द्विती०	इमाम् ;	इमे ;	इमाः ।
तृ०	अया, अनया;		आभिः ।
च०	अस्यै ;		आभ्यः ।
पं०	अस्याः ;		आभ्यः ।

अनयोःऽभ्यायः

प०	अस्याः ;	अयोः (ऋ० १, १८५, १);	आसाम् ।
स०	अस्याम् ;	अयोः (ऋ० ३, ५४, २) ^{११३} ;	आसु ।

स्वर-वैशिष्ट्य तथा स्वर-निघात— साधारणतया इदम् के अङ्ग से परे आने वाली असर्वनाम-विभक्ति पर उदात्त रहता है^{११४}, जैसा कि उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है। परन्तु इस साधारण नियम के कुछ अपवाद भी मिलते हैं; यथा— ऋ० में आद्युदात्त रूप अस्मै, अस्य, आभिः, तथा अया (ऋ० ६, ६६, ४)^{११५} उपलब्ध होते हैं। ऐसे आद्युदात्त रूप प्रायेण पाद के आदि में आते हैं।

जिस रूप का वाक्य में प्रथम बार प्रयोग होता है उस पर उदात्त रहता है, परन्तु तृतीयादि विभक्ति में इदम् सर्वनाम का जो रूप पूर्व-कथित वस्तु को कहता है वह अन्वादेश-विषय (वा० प्रा० अनुदेश) कहलाता है और पूर्णतया अनुदात्त होता है^{११६}; यथा— कृथा दाशे-माग्नये कार्स्मै देवजुष्टोच्यते भामिने गीः (ऋ० १, ७७, १) “हम अग्नि के लिये किस प्रकार हवि प्रदान करें; इस तेजस्वी के लिये (अस्मै) कौन सी देवप्रिय वाणी बोली जाती है।” इसी प्रकार अन्वादेश में अस्मात्, अस्य, अस्मिन्, अस्याः, अस्याम्, एभिः, एभ्यः, आभिः, आभ्यः, एषाम्, आसाम्, एषु, आसु इत्यादि अनुदात्त रूप बनते हैं।

१६९. एन तथा एन के रूप— एन के अधिकतर रूप द्विती० में मिलते हैं, परन्तु तृ० ए०, प० स० द्वि० में भी कुछ रूप उपलब्ध होते हैं। पाणिनि के मतानुसार, द्विती०, तृ० ए०, प० स० द्वि० विभक्ति परे रहने पर, अन्वादेश (टि० ३१६) को प्रकट करने वाले इदम् तथा एतद् सर्वनाम को पुं० स्त्री० में अनुदात्त एन आदेश हो जाता है^{११७}, और वार्तिक के अनुसार नपुं० ए० में एनद् आदेश होता है। पाश्चात्य विद्वान् एन को अपूर्ण (defective) परन्तु पृथक् सर्वनाम मानते हैं^{११८}, यद्यपि वे इस का अर्थ एतद् तथा इदम् से भिन्न नहीं समझते हैं। ऐसे रूप प्रायेण पाद या वाक्य के प्रारम्भ में नहीं आते हैं।

एन के निम्नलिखित रूप मिलते हैं—

पुं० तथा नपुं० रूप

द्विती० ए० पुं० ए॒नम् ; द्वि० पुं० ए॒नौ; व० पुं० ए॒नात् ।
 द्विती० ए० नपुं० ए॒नत् (अ०, तै० सं०); द्वि० नपुं० ए॒ने (का० सं०);
 व० नपुं० ए॒नान्ति ।
 तृ० ए० ए॒नेन (अ०, तै० सं०), ए॒ना (ऋ०)^{११९} ।
 ष० द्वि० ए॒नोः (ऋ०), ए॒नयोः (अ०, तै० सं०) ।

स्त्री० रूप

द्विती० ए० ए॒नाम् ; द्वि० ए॒ने ; व० ए॒नाः ।
 तृ० ए० ए॒नया (तै० सं० ६, १, ७, ७) ।
 ष० द्वि० ए॒नयोः (तै० सं० ५, ५, ४, २) ।

विशेष— ए॒न की द्विती० विभक्ति के उपर्युक्त कतिपय रूप प्रथ० के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं^{१२०}; यथा—ए॒नत्—तदे॒नत्पीतं क्षत्राद्गोपायसि (ऐ० ब्रा० ७, २२, ४) “यह प्रसन्न हुआ (ब्रह्म) (यजमान को) क्षत्र (क्षत्रियबल) से वचता है”; तदे॒नत्सृष्टं परा॒डत्यजिघांसत् (ऐ० आ० २, ४, ३) “इस उत्पन्न हुए (अन्न) ने दूर होकर वचना चाहा”; इसी प्रकार ए॒नौ—तस्मादे॒नौ प्रथमौ शस्येते स्वर्ग्यौ (कौ० ब्रा० २२, १) “इस लिये प्रथम इन दोनों की स्वर्ग्य के रूप में स्तुति की जाती है”; अथै॒नौ दधिमधु समश्नुतः (मा० गृ० सू० १, १२, ५) “तब ये दोनों (दम्पती) दही और शहद का भक्षण करते हैं” ।

(क) उदात्तयुक्त ए॒न के रूप— उदात्तयुक्त ए॒न से बने हुए कुछ रूप भी वैदिक भाषा में उपलब्ध होते हैं । पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार, इन में से अधिकतर रूप अ सर्वनाम (इ॒दम्) से बने हैं और कतिपय रूपों में पाण्डुलिपि की अशुद्धि से उदात्त हैं^{१२१} । ए॒न के निम्नलिखित रूप मिलते हैं—

द्विती० ए० स्त्री० ए॒नाम् (ऋ० ८, ६, १९ पाद के आदि में)^{१२२} ।

ए॒ना—संहितापाठ में मिलने वाले ए॒ना पाठों में से अधिकतर रूप निःसन्देह तृ० ए० पुं० तथा नपुं० के हैं । परन्तु इन में से कुछ पाठों

चतुर्थोऽध्यायः

के रूप के सम्बन्ध में मतभेद है; यथा— एना सख्या (ऋ० १०, २३, ७) “ये मित्रताएं” के एना को सायण तथा अनेक पाश्चात्य विद्वान् द्विती० व० नपुं० का रूप मानते हैं, परन्तु राट इस मत को स्वीकार नहीं करता है। अथर्ववेद के पपा० तथा अ० प्रा० ३, ३४ के अनुसार, अ० १२, ३, ३३ के “एना एद्वाः” का विग्रह “एना+एद्वाः” है और एना तृ० ए० का रूप है, परन्तु छिटने (अ० प्रा० ३, ३४की टि०) के अनुसार यह द्विती० व० स्त्री० पद एनाः है। कहीं कहीं एना पद “इस प्रकार” के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है।

अशुद्ध उदात्त— कहीं कहीं पाण्डुलिपि की अशुद्धि के कारण भी एनु पर उदात्त लग गया है; यथा—का० सं० ११, ६ में एनुम् पर उदात्त है, जबकि मै० सं० २, २, १ के समान भाग में एनुम् अनुदात्त है^{११}।

१७०. अदस् “वह” के रूप—इस सर्वनाम का प्रयोग दूरस्थ द्रव्य की ओर संकेत करने के लिये किया जाता है; यथा—असौ सूर्यः (ऋ० १, १९१, ९) “वह सूर्य”। प्रथ० ए० पुं० स्त्री० में असौ^{१२} और प्रथ० द्विती० ए० नपुं० में अदः रूप बनता है। प्रथ० व० पुं० में अमी रूप और तृ० च० पं० प० स० व० पुं० नपुं० में विभक्ति से पूर्व अमी-अङ्ग बनता है^{१३}। पुं० नपुं० तथा स्त्री० की शेष विभक्तियों से पूर्व अमु-अङ्ग बनता है जिस का उकार पुं० की द्विती० ए० और पुं० नपुं० स्त्री० की तृ० च० पं० प० स० ए० तथा प० स० द्वि० को छोड़ कर अन्य विभक्तियों से पूर्व दीर्घ हो जाता है^{१४}। अदस् के निम्नलिखित वैदिक रूप उपलब्ध होते हैं—

पुं० रूप

प्रथ० ए०	असौ	;	व०	अमी (प्रशुद्ध, अनु० ४५ ख)।
द्विती० ए०	अमुम्	;	व०	अमून् (अ०)।
तृ० ए०	अमुना	;	व०	अमीभिः।
च० ए०	अमुमै	;	व०	अमीभ्यः (अ०)।
पं० ए०	अमुप्मात्	;	व०	अमीभ्यः (अ०)।

वैदिक व्याकरण

ष० ए० अमुष्य ; व० अमीषाम् ।

स० ए० असुभिन् ; व० अमीषु ।

नपुं० रूप

प्रथ० द्विती० ए० अदः ; व० अमू (अ०) ।

शेष विभक्तियों में इस के रूप पुं० के समान बनते हैं ।

स्त्री० रूप

प्रथ० ए० असौ ; द्वि० अमू (अ०, का० सं०); व० अमूः ।

द्विती० ए० अमूम् ; व० अमूः ।

तृ० ए० अमुया^{३१७} ; व० अमूभिः ।

च० ए० असुभ्यै (वा० सं०) ।

ष० ए० अमुष्याः (अ०, तै० सं०) ।

स० ए० असुष्याम् (तै० सं०) ।

विशेष—अदस के साथ ह्रस्ववाचक क प्रत्यय जोड़ने से असुकौ “बह छोटा” शब्द बनता है (टि० ३२४); यथा—प्रथ० ए० स्त्री० असुकौ (वा० सं० २३, २२.२३) ।

१७१. यद् “जो” के रूप—नपुं० प्रथ० द्विती० ए० में इस सर्वनाम का रूप यद् बनता है, परन्तु नपुं० की शेष विभक्तियों में और पुं० की सभी विभक्तियों में इस के रूप अकारान्त सर्वनाम के सामान्य नियमों के अनुसार (अनु० १६५) बनते हैं । स्त्री० में यद् का या बन जाता है । इस के निम्नलिखित वैदिक रूप उपलब्ध होते हैं—

पुं० रूप

	ए० ;	द्वि० ;	व०
प्रथ०	यः ;	या, यौ ;	ये ।
द्विती०	यम् ;	या, यौ ;	यान् ।
तृ०	येन, येना (पपा०	येन, अनु० ४६ग);	यैः (अ०) येभिः (ऋ०)
ष०	यस्मै ;	याभ्याम् ;	येभ्यः ।

चतुर्थोऽध्यायः

पं० यस्मात् , यात् "क्योंकि, जब तक" निपात के रूप में प्रयुक्त होता है ।

ष० यस्य ; ययोः ; येषाम् ।

स० यस्मिन् ; ययोः, योः (ऋ० १०, १०५, ३)^{११८}; येषु ।
नपुं० रूप

ए० ; द्वि० ; व०

प्रथ० द्विती० यत् ; ये ; या, यानि ।

शेष विभक्तियों में पुं० के समान रूप बनते हैं ।

स्त्री० रूप

ए० ; द्वि० ; व०

प्रथ० या ; ये (अ०, तै० सं०); याः ।

द्विती० याम् ; ; याः ।

तृ० यया ; ; याभिः ।

च० यस्यै ; ; याभ्यः ।

पं०प०ए० यस्याः ; प० द्वि० ययोः; प०व० यासाम् ।

स० यस्याम् ; ययोः ; यासु ।

(क) युक् "जो छोटा" के रूप— यद् के साथ ह्रस्ववाचक क प्रत्यय जोड़ने से जो तद्धित शब्द बनता है^{११९} उस के निम्नलिखित रूप मिलते हैं—

प्रथ० ए० पुं० युक्; व० युके (त्र०) ।

प्रथ० ए० स्त्री० युका (वा० सं०) ।

(ख) यद् से बने शब्द यत्तर "दो में से जौन सा" तथा यत्तम "बहुतों में से जौन सा" के रूप भी सर्वनामों की भांति बनते हैं; यथा— प्रथ० ए० नपुं० यत्तरत् (ऋ०), यत्तमत् (अ०); प्रथ० व० पुं० यत्तरे (का० सं०), यत्तमे (अ०); स० ए० स्त्री० यत्तमस्याम् (अ०) ।

१७२. किम् "कौन, क्या" के रूप—प्रथ० द्विती० ए० नपुं० में किम् रूप बनता है, परन्तु नपुं० की शेष विभक्तियों में और पुं० की सभी विभक्तियों में

इस सर्वनाम का अङ्ग क- वनता है^{३३०} । इस लिये पुं० तथा नपुं० में अकारान्त और स्त्री० में आकारान्त सर्वनाम के सामान्य नियमों के अनुसार (अनु० १६५), क और का अङ्ग से रूप बनाये जाते हैं ।

विशेष— ऋ० में किम् के अतिरिक्त क्व रूप भी प्रथ० द्विती० ए० नपुं० में प्रयुक्त होता है । क्व का प्रयोग प्रायेण प्रश्नात्मक विशेषण के रूप में किया जाता है । प्रथ० ए० पुं० में एक वार किः (ऋ० १०, ५२, ३) रूप का प्रयोग भी हुआ है^{३३१} । और निषेधवाचक निपात मा तथा न के साथ समस्त हो कर भी किः प्रयुक्त होता है; यथा— मार्किः “कोई नहीं, कुछ नहीं”; नर्किः “कोई नहीं, कुछ नहीं” ।

निम्नलिखित वैदिक रूप उपलब्ध होते हैं—

	ए०	पुं० रूप	व०
प्रथ०	कः, किः ;	कौ ;	के ।
द्विती०	कम् ;	;	कान् (शत० ब्रा०) ।
तृ०	केन ;	;	केभिः (ऋ०), कैः ।
च०	कस्मै ;	;	केभ्यः (गो० ब्रा०) ।
पं०	कस्मात् ;		
ष०	कस्य ;		केषाम् (ला० श्रौ०) ।
स०	कसिन् ;	;	केषु ।

नपुं० रूप

प्रथ० द्विती० ए० किम्, क्व ; ; व० का, कानि ।

नपुं० की शेष विभक्तियों के रूप पुं० के समान वनते हैं ।

स्त्री० रूप

प्रथ०	ए० का ;	व० काः ।
द्विती०	ए० काम् ;	व० काः ।
तृ०	ए० कया ।	
प०	ए० कस्याः (अ०, वा० सं०);	स० व० कासु ।

विशेष— (१) ऋ० में किम् के अर्थ में कर्य का प्रयोग भी मिलता है, परन्तु इस शब्द का केवल ष० ए० रूप चित् निपात के साथ प्रयुक्त हुआ है; यथा— कर्यस्यचित् (ऋ० १, २७, ८; १, १२९, ५; ८, २५, १५) “किसी का” ।

(२) अनिश्चित द्रव्य का संकेत करने के लिये किम् सर्वनाम के रूप के साथ प्रायेण चन, चित् या च निपात का प्रयोग किया जाता है; और प्रश्नवाचक वाक्यों में स्वित् निपात प्रयुक्त होता है; यथा— कश्चन “कोई”; कश्चित् “कोई”; कश्च ‘कोई’; कः स्वित् “कौन सा” ।

(३) किम् से बने हुए शब्द कृत्तर “दो में से कौन सा”, कृतम “बहुत व्यक्तियों में से कौन सा”, तथा कर्ति “कितने” भी प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं । इनके निम्नलिखित वैदिक रूप उपलब्ध होते हैं—

प्रथ० ए० पुं० कृत्तरः, कृतमः (ऋ०); प्रथ० ए० नपुं० कृत्तरत् (अ०), कृतमत् (ऋ०); प्रथ० व० पुं० कृतमे (अ०); च० ए० पुं० कृतमस्मै (वा० सं०, का० सं०); प्रथ० ए० स्त्री० कृतरा (ऋ०), कृतमा (ऋ०); द्विती० ए० स्त्री० कृतमाम् (ऋ०); ष० ए० स्त्री० कृतमस्याः (अ०); प० व० स्त्री० कृतमासीम् (अ०); प० ए० पुं० कृतमस्यै; प्रथ० द्विती० व० पुं० स्त्री० नपुं० कर्ति (ऋ०) ।

१७३. स्व “अपना”, स्वयम् “अपने आप”, तन् “शरीर”, तथा आत्मन् “अपना”—

(क) स्व “अपना” के कुछ रूप सर्वनामों की भांति और शेष रूप नामों की भांति बनते हैं । इस से बने हुए निम्नलिखित वैदिक रूप उपलब्ध होते हैं—

पुं० रूप

प्रथ० ए० स्वः ;	व० स्वाः (अ०) ।
द्विती० ए० स्वम् ;	व० स्वान् (अ०) ।
तृ० ए० स्वेन, स्वेना (पपा० स्वेन, अनु० ४६ग);	व० स्वेभिः, स्वैः ।
च० ए० स्वार्थ ;	व० स्वैर्भ्यः ।
पं० ए० स्वाग ।	

प० ए० स्वस्य ;	व० स्वानाम् ।
स० ए० स्वे, स्वस्मिन् (ऋ०);	व० स्वेषु ।

नपुं० रूप

प्रथ० द्विती० ए० स्वम् ;	व० स्वा ।
--------------------------	-----------

शेष रूप पुं० के समान बनते हैं ।

स्त्री० रूप

प्रथ० ए० स्वा ;	व० स्वाः ।
द्विती० ए० स्वाम् ;	व० स्वाः ।
तृ० ए० स्वया ;	व० स्वाभिः ।
च० ए० स्वयै ।	
पं० ए० स्वायाः ।	
प० ए० स्वयाः (ऋ०) ।	
स० ए० स्वयाम् ;	व० स्वासु ।

(ख) स्वयम् “अपने आप”— स्व से बने हुए अव्यय स्वयम् का प्रयोग सभी पुरुषों तथा वचनों में होता है। इस का मुख्य प्रयोग कर्तृवाचक अर्थ से सम्बद्ध रहता है; यथा— प्र० पु० में स्वयं चित्स मन्यते दाशुर्जिनः (ऋ० ८, ४, १२) “दाता जन अपने आप समझता है”; म० पु० में— स्वयं यजस्व दिवि देव देवान् (ऋ० १०, ७, ६) “हे देव, तुम अपने आप दुलोक में देवताओं का यजन (सत्कार) करो”; उ० पु० में— अहमेव स्वयमिदं वदामि (ऋ० १०, १२५, ५) “मैं स्वयं यह कहती हूँ ।” पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार कहीं-कहीं यह शब्द कर्म आदि कारकों के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है; यथा— अयुजि स्वयं धुरि (ऋ० ५, ४६, १) “मैंने अपने आप को धुरे में जोता है”^{१११} ।

(ग) त्वन् “शरीर”— त्वन् “शरीर” शब्द भी “अपना” अर्थ प्रकट करने के लिये वेद में अनेक बार प्रयुक्त किया जाता है, परन्तु इस का प्रयोग प्रायेण कर्तृवाचक से भिन्न अर्थों के साथ किया जाता है और इस के साथ स्व या अन्य सम्बन्धवाचक शब्द का प्रयोग मिलता है; यथा— कर्मवाचक

अर्थ में तन्वं जुषस्व (ऋ० ३, १, १) “अपने आप को; आनन्दित करो”, सूर उपाके तन्वं १ दधानः (ऋ० ४, १६, १४) “सूर्य के समीप अपने आप को धारण करता हुआ”; च० के अर्थ में—स्वयं गालुं तन्वं इच्छमानम् (ऋ० ४, १८, १०) “अपने लिये अपने आप मार्ग की इच्छा करते हुए को”; द्विती० तथा तृ० के अर्थ में—स्वयां तन्वां तन्वमैरयत् (अ० ७, ३, १) “उस ने अपने आप को अपने आप से (शरीर से) प्रेरित किया।”

(घ) आत्मन् “अपना”—ऋ० के कतिपय प्रयोगों में और अन्य संहिताओं तथा ब्राह्मणग्रन्थों में अनेक बार आत्मन् शब्द “अपना” अथवा “शरीर” अर्थ में प्रयुक्त होता है; बलं दधान आत्मनि (ऋ० ९, ११३, १) “अपने अन्दर बल स्थापित करता हुआ”; यक्ष्मं सर्वस्मादात्मनः वि वृहामि ते (ऋ० १०, १६३, ६) “मैं क्षयरोग को तेरे समस्त शरीर से निकालता हूँ”; मात्मानंमप गूहथाः (अ० ४, २०, ५) “अपने आप को मत छुपाओ”।

१७४. अन्य, इतर “अन्य”, सर्व “सब”, तथा विश्व “सब” के रूप—
(क) अन्य के रूप सामान्य नियमों के अनुसार बनते हैं। इस के निम्नलिखित रूप उपलब्ध होते हैं—

पुं० रूप

	ए०	;	द्वि०	;	ब०
प्रथ०	अन्यः	;		;	अन्ये ।
द्विती०	अन्यम्	;		;	अन्यान् ।
तृ०	अन्येन	;		;	अन्येभिः, अन्यैः ।
च०	अन्यस्मै (अ०)	;		;	अन्येभ्यः (अ०) ।
पं०	अन्यस्मात् (पै०सं०, शत०ब्रा०)।				
प०	अन्यस्य	;		;	अन्येषाम् ।
स०	अन्यास्मिन्	;		;	अन्येषु ।

नपुं० रूप

प्रथ०	ए०	अन्यत्	;	ब०	अन्या ।
तृ०	द्वि०	अन्याभ्याम् (अ०) ।			

		स्त्री० रूप		
	ए० ;	द्वि० ;	व०	
प्रथ०	अ॒न्या ;	अ॒न्ये ;		अ॒न्याः ।
द्विती०	अ॒न्याम् ;			अ॒न्याः ।
तृ०	अ॒न्यया ;			अ॒न्याभिः ।
च०	अ॒न्यस्यै ;			
ष०	अ॒न्यस्याः ;			अ॒न्यासाम् ।
स०	अ॒न्यस्याम् ;			अ॒न्यासु ।

(क) इतर के निम्नलिखित वैदिक रूप मिलते हैं—

पुं० तथा नपुं० रूप

		ए०	द्वि०	व०
प्रथ०	पुं० इतरः, नपुं० इतरत् ; इतरौ (का० सं०);			पुं० इतरे, नपुं० इतरम् ^{३३३} ;
				प्रथ० द्विती० इत- राणि (मै० सं० इत्यादि) ।
द्विती०	पुं० इतरम्, नपुं० इतरत् ;			पुं० इतरान् (तै० सं०) ।
	इतरम् (टि० ^{३३३});			
तृ०	इतरेण (का० सं० इत्यादि);			इतरैः (शत० ब्रा०) ।
च०	इतरस्यै (का० सं०);			इतरेभ्यः (तै० सं०) ।
ष०	इतरस्मात् (शत० ब्रा०) ।			
स०	इतरयोः (का० सं०); इतरेषाम् (तै० सं०, ब्रा०) ।			
	इतरस्मिन् (शत० ब्रा०); इतरयोः (ऐ० ब्रा० इत्यादि); इतरेषु (मै० सं० इत्यादि) ।			

स्त्री० रूप

प्रथ०	ए० इतरा ;	प्रथ०	व० इतराः ।
द्विती०	ए० इतराम् (ब्रा०);	द्विती०	व० इतराः ।
तृ०	व० इतराभिः (मै० सं०, ब्रा०) ।		
च०	व० इतराभ्यः (ब्रा०) ।		
ष०	प० ए० इतरस्याः (ब्रा०);	प०	व० इतरासाम् (ब्रा०) ।

चतुर्थोऽध्यायः

स० ए० इतरस्याम् (ब्रा०); स० च० इतरासु (मै० सं०, ब्रा०) ।

(ग) सर्व के रूप—सर्व के सभी हप सामान्य नियमों (अनु० १६५) के अनुसार बनते हैं । इसके निम्नलिखित वैदिक हप मिलते हैं—

पुं० नपुं० रूप

	ए०	;	द्वि०	;	ष०
प्रथ० पुं०	सर्वैः, नपुं० सर्वैम्;				पुं० सर्वैः, नपुं० सर्वाँ(ऋ०) , सर्वाणि (वा० सं०, ब्रा०) ।
द्विती० पुं०	नपुं० सर्वैम् ;				पुं० सर्वाँन्, नपुं० सर्वाँ (ऋ०), सर्वाणि (ब्रा०) ।
तृ०	सर्वेण (ब्रा०) ;				; सर्वैः (तै० सं० इत्यादि) ।
च०	सर्वैस्मै ;				; सर्वैभ्यः(वा० सं० इत्यादि)।
पं०	सर्वैस्मात् ;				; सर्वैभ्यः (ब्रा०) ।
ष०	सर्वैस्य ;				; सर्वेषाम् ।
स०	सर्वैस्मिन् (ब्रा०);				; सर्वेषु (मै० सं० इत्यादि) ।

स्त्री०रूप

	ए०	;	द्वि०	;	ष०
प्रथ०	सर्वा	;			; सर्वाः ।
द्विती०	सर्वाम् (तै० सं० इत्यादि);				; सर्वाः ।
तृ०	सर्वया ;				; सर्वाभिः (वा०सं०, ब्रा०)
च०	सर्वैस्यै ;				; सर्वाभ्यः (ब्रा०) ।
पं०	;				; सर्वाभ्यः ।
ष०	सर्वैस्याः (अ० इत्यादि);				; सर्वासाम् ।
स०	सर्वैस्याम् (ब्रा०);				; सर्वासु (ब्रा०) ।

(घ) विश्व "सब" के रूप—विश्व के अधिकतर रूप सर्वनामसम्बन्धी सामान्य नियमों के अनुसार बनते हैं, परन्तु अपवादस्वरूप कतिपय रूप अकारान्त नामों के समान भी बनते हैं; यथा—

पुं० नपुं० रूप

	ए०	द्वि०	ष०
प्रथ० पुं०	विश्वैः, नपुं० विश्वैम् ;	×	पुं० विश्वे, नपुं० विश्वानि, विश्वा ।

द्विती०	पुं०	नपुं०	विश्वम् ; पुं० विश्वा (ऋ०); विश्वान्, नपुं० विश्वानि, विश्वा।
तृ०	विश्वेन	;	विश्वेभिः (ऋ०), विश्वैः ।
च०	विश्वस्म, विश्वाय (ऋ० १, ५०, १)	;	विश्वेभ्यः ।
पं०	विश्वस्मात्, विश्वात् (ऋ० १, १८९, ६);		विश्वेभ्यः ।
प०	विश्वस्य	;	विश्वेषाम् ।
स०	विश्वस्मिन्, विश्वे (ऋ० में दो चार)	;	विश्वेषु ।

स्त्री० रूप

	ए०	द्वि०	व०
प्रथ०	विश्वा	;	विश्वे (ऋ०); विश्वाः ।
द्विती०	विश्वाम्	;	विश्वाः ।
तृ०	विश्वया	;	विश्वाम्भिः ।
च०	विश्वस्यै	;	विश्वाम्भ्यः (तै० सं०, वा० सं० इत्यादि)
ष०	विश्वस्याः	;	विश्वाम् ।
स०	विश्वस्याम् (तै० सं० इत्यादि);		विश्वाम् ।

१७५. वैकल्पिक रूपों वाले सर्वनाम—प्रथ० व० पुं० तथा च० पं० ष० स० ए० में निम्नलिखित शब्दों के रूप कहीं सर्वनामों के समान और कहीं केवल अकारान्त नामों के समान बनते हैं^{११५}। ऐसे शब्द प्रायेण दिशावाचक हैं और इन के अधिकतर रूप सर्वनामों के समान हैं।

- (क) उत्तर “उत्तर या उच्चतर” के रूप—प्रथ० व० पुं० उत्तरे; पं० ए० पुं० नपुं० उत्तरेस्मात्, उत्तरान्; प० व० पुं० नपुं० उत्तरेषाम् (का० सं०); स० ए० पुं० नपुं० उत्तरस्मिन्, उत्तरे। स० ए० स्त्री० उत्तरस्याम् ।
- (ख) अपर “अन्य या अधर”, अवर “अधर”, उपर “अधर” के रूप—प्रथ० व० पुं० अपरे, अवरे, उपरे, तथा अपरासः, अवरासः, उपरासः, उपराः ।
- (ग) अग्रम “निम्नतम”, उग्रम “उच्चतम”, पुरम “दूरतम” तथा मध्यम “बिचला” के रूप—प्रथ० व० पुं० पुरमे (का० सं०); प० ए० स्त्री०

परमस्याः ; स० ए० स्त्री० अ॒व॒म॒स्याम् , उ॒प॒म॒स्याम् , प॒र॒म॒स्याम् ,
म॒ध्‍य॒म॒स्याम् ।

(घ) परं “दूर, अन्य” के रूप—प्रथ० ब० पुं० परं, परासः ; च० ए० पुं०
परस्मै ; पं० ए० पुं० परस्मात् ; स० ए० पुं० परस्मिन् , परं ; प० ब०
पुं० परंपाम् । प० ए० स्त्री० परस्याः ।

(ङ) पूर्वं “पहला” के रूप—प्रथ० ब० पुं० पूर्वं (अधिकतर), पूर्वासः (कहीं
कहीं); च० ए० पुं० नपुं० पूर्वस्मै ; पं० ए० पुं० नपुं० पूर्वस्मात् ;
प० ब० पुं० नपुं० पूर्वेषाम् ; स० ए० पुं० नपुं० पूर्वस्मिन् (का०
सं०), पूर्वं (ऋ०) । प० ब० स्त्री० पूर्वासाम् ; स० ए० स्त्री०
पूर्वस्याम् ।

टिप्पणियां

१. निरुक्त १,१—तद् यानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्ग-
निपाताश्च तानीमानि भवन्ति ।

ऋ० प्रा० १२,१७—नामाख्यातमुपसर्गो निपातश्चत्वार्याहुः पद-जातानि
शाब्दाः ॥

वा० प्रा० ८,४३-४४—तच्चतुर्धा ॥ नामाख्यातोपसर्गनिपाताः ॥

अ० प्रा० १,१—चतुर्णां पदजातानां नामाख्यातोपसर्गनिपातानां सन्ध्यपथौ
गुणौ प्रातिज्ञम् ॥

महाभा० १,१,१—चत्वारि पदजातानि । नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्च ।

कौटलीय अर्थशास्त्र २, १०, १६-१७—वर्णसंघातः पदम् ॥ तच्चतुर्विधं
नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्च ॥

२. निरुक्त १,१—तत्रैतन्नामाख्यातयोर्लक्षणं प्रदिशन्ति । भावप्रधानमाख्यातम् ।
सत्त्वप्रधानानि नामानि ।

- क्र० प्रा० १२, १८-१९—तन्नाम येनाभिदधाति सत्त्वम् ॥ तदास्यात्
येन भावं नभान् ॥
- क्र० प्रा० १२, २५ तथा ता० प्रा० ८, ४६—
क्रियाधानकमाग्यातमुपसर्गो विधेयहन् ।
सत्त्वाभिधायकं नाम निपातः पाठपूरणः ॥
- वृहद्देवता० २, १२१—भावप्रधानमाग्यातम् ।
- कौटलीय अर्थशास्त्र २, १०, १८-१९—तत्र नाम सत्त्वाभिधायि ॥
अविशिष्टलिङ्गमाग्यातं क्रियावाचि ॥
३. क्र० प्रा० १२, २०—
प्राभ्या परा निर्दुग्नु व्युपाप सं परि प्रति न्यत्यथि सूदवापि ।
उपसर्गा विगतिरर्थवाचकाः सहेतराभ्याम् ॥
पा० १, ४, ५८-५९—प्रादयः ॥ उपसर्गाः क्रियायोगे ॥
कौटलीय अर्थशास्त्र २, १०, २०-२१— क्रियाविशेषकाः प्रादय उपसर्गाः ॥
अव्ययाश्चादयो निपाताः ॥
४. पा० १, ४, १४—सुप्तिबन्तं पदम् ॥
५. पा० १, ४, ५७—५८; १, १, ३७; २, ४, ८२; १, १, ६२ ॥
६. पा० १, २, ४५—४६ ॥
७. Skt. Gr., p. 107; Ved. Gr. Stu., p. 48; Gr. Lg. Ved.,
pp. 191 ff.; Skt. Lg., p. 219.
८. पा० १, १, ४२-४३—शि सर्वनामस्थानम् ॥ सुडनपुंसकस्य ॥
९. पा० १, ४, १७—स्वादिष्वसर्वनामस्थाने ॥
१०. पा० १, ४, १८—यचि भम् ॥ १, ४, १७ (टि० ९) ।
११. पा० ४, १, ५-७—ऋज्ञेभ्यो ङीप् ॥ उगितश्च ॥ वनो र च ॥
१२. पा० ३, २, ५८-७६; ६, १, ६७—वेरपृक्तस्य ॥
१३. Ved. Gr., p. 179; Ved. Gr. Stu., p. 50.
१४. JAOS., vol. X, p. 454; M. W. D., s. v.; SPW., s. v.
Alt. Gr. III, p. 229.

१५. सायण इस प्रातिपदिक को टकारान्त मानते हुए निम्नलिखित व्युत्पत्ति देता है—“सु गतौ । सत्तेरटि ।” मैक्डानल (Ved. Gr. Stu., p. 56; Ved. Gr. p. 240) इस प्रातिपदिक को हकारान्त मानता है । दे० Skt. Gr., p. 145; WZR. s. v.; वै० प० को० ।

१६. JAOS., vol. X. p. 454; Weber, Ind. Stu., vol. XIII, p. 110; Alt. Gr. III, p. 229. सार्व शब्द के लिये दे० ऋ० १०, १०६, १०; ८, ४, ८; वा० सं० १९, ११; श० ब्रा० ३, ४, ३, १४ । सायण तथा उवट आदि विद्वान् सूरर्घा शब्द से सार्व की सिद्धि दिखलाते हैं, परन्तु तै० ब्रा० तथा पं० ब्रा० से पूर्वकालीन वाङ्मय में सूरर्घा शब्द नहीं मिलता है । उत्तरकालीन वाङ्मय में यह शब्द अनेक बार आया है ।

१७. पा० ३, २, ५९ में ऋतुभ्यञ् के साथ किन् प्रत्यय का विधान करके ऋत्विञ् की सिद्धि दिखलाई गई है और ८, २, ६२ के द्वारा पदान्त में और क्षत्वादि विभक्ति से पूर्व ऋत्विञ् के ज् क् ग् (कुत्व) किया गया है ।

१८. पा० ७, १, ७१—युजेरसमासे ॥ टि० १७ में निर्दिष्ट सूत्रों द्वारा किन् प्रत्यय और कुत्व का विधान किया गया है ।

१९. सि० कौ० में भट्टोजिदीक्षित ने हलन्तपुँल्लिङ्ग तथा हलन्तनपुंसकलिङ्ग प्रकरण में ऊर्ज् के रूप चलाये हैं और इस विषय में नागेश ल० श्लो० में कहता है—“अयं पुँल्लिङ्गोऽपि । नपुंसकस्येति सूत्रे ‘बहव ऊर्जः’ इति कैयटात्” । परन्तु वेद में ऊर्ज् का प्रयोग स्त्री० में ही दृष्टिगोचर होता है । दे० वा० सं० ४, १० इत्यादि; तै० सं०; का० सं० ।

२०. पा० ६, १, ६३—शस्प्रभृति विभक्तियों से पूर्व असञ् को असन् आदेश करता है ।

२१. SPW., s. v.; JAOS., vol. X, p. 463; Ved. Gr. p. 183.

२२. तै० सं० ४, १, ८, १ तथा वा० सं० २७, १४ में प्रयत्सु पाठ मिलता है ।

२३. पा० ३,२,७२ अव+यञ् के साथ ण्विन् प्रत्यय का विधान करता है और ८,२,६७ अ्वयाः रूप का निपातन करता है। दे० Ind. Stu. XIII, 96; JAOS. X, 463; ZDMG. xxvii, 709. पा० ८, २,६७ पर काशिका तथा सि० कौ० के अनुसार सम्बुद्धि में अवयाः रूप यन्ता है, परन्तु वैदिकप्रयोग की इस मत से संगति नहीं है, क्योंकि मन्वोधन के बिना भी प्रथ० ए० में यह रूप मिलता है। मैक्डानल प्रभृति विद्वान् प्रथ० ए० में अव+याञ् + स के ज् का लोप मानते हैं; Ved. Gr., pp. 61, 183; Ved Gr. Stu., p. 54. कतिपय पाश्चात्य विद्वान् अ्व-या प्रातिपदिक से इस रूप का समाधान करते हैं; Alt. Gr. III, p. 325; Skt. Gr., p. 152; अ० २,३५,१ पर ह्विष्टने की टि०। वै० प० को० में आचार्य विश्ववन्धु ने अनेक मतों का विवेचन करके अ्व-याञ् तथा अ्वयाञ्स प्रातिपदिकों के आधार पर अ्वयाः के रूपों का समाधान सुझाया है।

२४. SPW; s v. ने र्घवः (इयेनाः) पाठ सुझाया है। HOS. VIII, p. 501.

२५. SPW. s. v.; WZR; s. v.

२६. WZR; s. v.

२७. JAOS., X, 470.

२८. पा० ७, १, ८८ भस्य टेलोपः ॥ पथ् को स्वतन्त्र प्रातिपदिक मानने पर द्विती० व० में उदात्त का स्थानपरिवर्तन अर्थात् पथः की विभक्ति पर उदात्त का व्याख्यान कठिन है। इसी लिये पाश्चात्य विद्वान् इस रूप में उदात्तनियम का अपवाद मानते हैं। दे० JAOS; X, p. 470; Ved. Gr; p. 196 f. n. 10; वै० प० को० में पथः; पा० ६,१,१७१ (टि० ३१४)।

२९. पृदः में उदात्त का स्थान साधारण नियम का अपवाद है।

३०. पञ् "दृष्टि या चक्षु" से बने पृद्भिः (ऋ० ४,२,१२) के प्रभाव से पृद् का रूप भी तृ० व० में पृद्भिः (ऋ०) बन जाता है।

३१. कतिपय पाश्चात्य विद्वान् ऋ० ६,५३,६ इत्यादि कुछ स्थलों में हृदि को हृदि प्रातिपदिक का द्विती० ए० का रूप मानते हैं। दे० JAOS., X, p.

473; SPW., s. v.

३२. Ind. Stu., XIII, pp. 108-110; JAOS., X, p. 471; Gr. Lg. Ved., p. 54.

३२क. व् के भ् विकार के लिये दे० अनु० ७२ (ग) ।

३३. SPW., s. v.; JAOS., X, 478-80 (N.IF). WZR., s. v. प्रासमैन तथा लैन्मैन दन् को स० ए० का रूप मानते हैं ।

३४. Ved. Gr., p. 218; Ved. Gr. Stu., p. 53; Gr. Lg. Ved., pp. 81, 147; M.W. D., s. v.; Skt. Gr., p. 145; Brugmann, Grundriss II, p. 453. मैक्डानल तथा मोनियर विलियम्स प्रमृति विद्वान् दन् को ष० ए० का रूप मानते हैं ।

पा० ८, २, ६४ (मो नो धातोः) के अनुसार, मकारान्त धातु के पद को नकार आदेश हो जाता है और काशिका ने इस के व्याख्यान में प्रशान्, प्रतान् तथा प्रदान् (प्र+√दम्) उदाहरण प्रस्तुत किए हैं ।

३५. सि० कौ० में भट्टोजिदीक्षित ने गुप् 'रक्षक' पुं० के रूप चलाये हैं । दे० नैषधचरितम् ६, ६६; धर्मगुप् (महाभारत) । कोई वैदिक उदाहरण नहीं मिला है ।

३६. भट्टोजिदीक्षित ने सि० कौ० हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम् में स्वप् "अच्छे जल वाला" के रूप चलाये हैं । परन्तु कोई वैदिक उदाहरण नहीं मिला है ।

३७. पा० ६, ४, ११; ऋ० प्रा० १, ९३ ।

३८. प्रासमैन (WZR. s. v.) नेऽग्मः तथा ज्मः को क्रमशः ग्मा तथा ज्मा से बने हुए रूप माना है और इसी प्रकार क्षमः को भी क्षमा का रूप माना जा सकता है । JAOS., X, p. 485.

३९. पाश्चात्य विद्वान् स्वर् को सुवर् मान कर उसी प्रकार लिखते हैं । तै० मं० में सुवर् मिलता है [दे० अनु० ६ (छ)] । भारतीय वैयाकरण स्वर् को अव्यय मानते हैं । दे० पा० १, १, ३७ ।

४०. पा० ८,२,७६—वैरुपधाया दीर्घ इकः ॥
४१. पा० ८,३,१६—रोः सुपि ॥
४२. पदकार ने ऋ० ८,७२,१७ "सूर भा ददे" में "सूरै । आ । ददे ।" पदपाठ किया है । परन्तु पादचान्य विद्वान् इन में सूरः पाठ मानते हैं । WZR., s. v.; JAOS., X, p. 488; Ved. Gr. p. 241, f. n. 12.
४३. पा० ७,१,८४—दिव औत् ॥
४४. पा० ६,१,१३१—दिव उत् ॥
४५. Ved. Gr.; p. 247; Ved. Gr. Stu., p.85 f. n. 1; Gr. Lg. Ved., pp. 41, 65, 211 (ए तथा दिव् अशक्ताम् माने गये हैं) । Ved. Gr. Stu., p. 84 में मैक्डानल का मत है कि ए, जो मूलतः द्विड था, घो का अशक्ताम् है । Ved. Gr. p. 247 में मैक्डानल ने इस प्रातिपदिक के रूप ओकारान्त प्रातिपदिकों के क्रम में वर्णित किये हैं । परन्तु Ved. Gr. Stu., pp. 84-85 में उसने ए को प्रातिपदिक मान कर उकारान्त प्रातिपदिकों के क्रम में इस प्रातिपदिक के रूपों का वर्णन किया है । मोनियर विलियम्स (M. W. D., s. v.) घो को ए का गुण रूप मानता है । मैक्डानल ने Ved. Gr. Stu., p. 94 में घो के रूप पृथक् दिखलाये हैं । हिटने ने Skt. Gr. p. 131 में घो प्रातिपदिक के नीचे इन के रूप चलाये हैं । दे० Kuiper, N.V.N., pp. 38-39.
४६. WZR , s. v.; JAOS., X, p. 432; SPW., s. v.
४७. लैन्मैन (JAOS., X, p. 432) का मत है कि ऋ० के ४६ प्रयोगों में द्यौः का उच्चारण एक अच् वाला है, परन्तु २६ प्रयोगों में इस का उच्चारण दो अच्चों वाला अर्थात् द्विद्यौः होना चाहिए । ऋ० के चार प्रयोगों में सम्बो० द्यौः एकाच् माना जाता है, परन्तु ऋ० ६,५१,५ का सम्बो० द्यौः दो अच्चों वाला माना जाता है अर्थात् इस का उच्चारण द्विद्यौः माना जाता है; दे० JAOS., X, p. 432; Ved.Gr., p.

247 f. n. 11; WZR., s. v.

४८. घर्वाँ नपुं० का रूप माना जाता है और यह प्रयोग केवल एक बार (ऋ० ४,५६,५) मिलता है ।
४९. प्रासमैन (WZR., s. v.) के अनुसार १२ प्रयोगों में घाम् का उच्चारण द्विआम् करना चाहिए, परन्तु लैन्मैन के अनुसार (JAOS., X, p. 432) लगभग ८ या ६ प्रयोगों में ऐसा उच्चारण करना उचित है । लगभग ७० प्रयोगों में घाम् का एकाच् उच्चारण शुद्ध है ।
५०. घून् तथा घुभिः रूपों का प्रयोग केवल ऋ० में या ऋ० से गृहीत मन्त्रों में मिलता है । ऋ० ५,८६,५ में आने वाले घून् का उच्चारण दो अर्चों वाला अर्थात् द्विऊन् माना जाता है; दे० WZR., s. v.
५१. ऋ० १,७१,८; तै० सं० १,३,१४,६; तथा वा० सं० ३३,११ के प्रयोग "घौरभीके" का घौः पं० ए० का रूप माना जाता है । दे० WZR., s. v.; JAOS., X, p. 433; Ved. Gr., p. 247. कतिपय विद्वान् घौः को प० ए० का रूप मानते हैं; दे० HOS., XVIII, p. 50 f. n. 1. वा. सं० ३३,११ पर महीधर कहता है—
"प्रथमा पष्ठयर्थे । दिवः समीपेऽन्तरिक्षे.....।"
५२. पा० ७,१,६३—द्वक्खवस्खतवसां छन्दसि ॥
५३. पा० ८,२,६७—अवयाः श्वेतवाः पुरोडाश्व ॥
५४. पा० ३,२,५९; ८,२,६२ ।
५५. WZR., s. v.; JAOS., X, p. 494; Ved. Gr., p. 220; Ved. Gr. Stu., p. 56; Gr. Lg. Ved., pp. 121, 149.
५६. पा० ६,४,१४—अत्वसन्तस्य चाधातोः ॥
५७. लैन्मैन (JAOS., X, p. 560) के अनुसार २० से अधिक ऐसे रूप मिलते हैं । प्रासमैन (WZR., s. v.) केवल द्वेव-व्यचाः को स्वीकार करता है । (Ved. Gr., p. 228 । वेदों के भाष्यकार ऐसे रूपों को किसी पुं० या स्त्री० विशेष्य का विशेषण मान कर कहीं कहीं समाधान करते हैं । दे० गायण (ऋ० १,७१,६; १०,६१,१); महीधर (पा० सं० १८,५४; १५, ५) ।

५८. JAOS., X, p. 547; Alt. Gr. III, p. 249; Ved. Gr., p. 225, f. n. 7.
५९. JAOS., X, p. 559; Ved. Gr., p. 226 f. n. 5; Skt. Gr., pp. 155-156. पा० ७, १, ९४ 'अदुशनस्पुरुदंसोऽनेहसा च' के द्वारा सम्बुद्धिवर्जित स् (अर्थात् प्रथ० ए०) से पूर्व इन को अण्ड् आदेश किया गया है । कतिपय विद्वान् अनेहा को प्रथ० व० का रूप मानते हैं । दे० Alt. Gr., III, p. 287.
६०. JAOS., X, p. 559; Skt. Gr., p. 155; दे० द्वितीयाध्याय की टि० १८६ । पा० ७, १, ६३ (टि० ५२) के द्वारा नुम् का आगम करता है ।
६१. JAOS., X, pp. 549ff.; Ved. Gr., pp. 229-33; Ved. Gr. Stu., p. 59. प्रासमन अधिकतर रूपों में प्रातिपदिक के स् का लोप नहीं स्वीकार करता है अपितु इन्हें अकारान्त प्रातिपदिकों के रूप मानता है ।
६२. पा० ३, २, ७१— मन्त्रे श्वेतवहोकथशस्पुरोडाशो ण्विन् ॥
इस पर वार्तिक—श्वेतवहादीनां डस्पदस्येति वक्तव्यम् ॥
JAOS., X, p. 493; Ved. Gr., p. 219; Gr. Lg. Ved., p. 207.
६३. JAOS., X, p. 546; Ved. Mtr., p. 130; Ved. Gr., p. 224; Alt. Gr. III, p. 281.
६४. JAOS., X, pp. 550ff.; Ved. Gr., pp. 229-33; Alt. Gr. III, pp. 282 ff.
६५. WZR., s. v.; Alt. Gr. III, p. 283; Gr. Lg. Ved., p. 195. पा० ७, २, १०१—'जराया जरसन्यतरस्याम्' सूत्र के द्वारा अजादि विभक्ति से पूर्व जुरा को वैकल्पिक जुरस् आदेश करता है ।
६६. JAOS., X, pp. 493; Alt. Gr. III, p. 322
६७. JAOS., X, pp. 361, 492-94, 546; Ved. Gr., p. 219;

Ved. Gr. Stu., p. 58; Gr. Lg., Ved., p. 207; Alt. Gr. III, pp. 248 ff.

६८. Skt. Gr., pp. 145, 149; MWD., s. v.

६९. पा० ६,१,६३ पर वार्तिक "पदादिषु मांसृत्स्नूनामुपसंख्यानम्" के अनुसार शस्त्रभृति विभक्तियों से पूर्व मांस के स्थान पर मांस बन जाता है।

७०. सि० कौ० में पा० ६,१,६३ पर भट्टोजिदीक्षित आसन् को आस्य का आदेश मानता है और काशिकावृत्ति आसन् को भासन का आदेश स्वीकार करती है। प्रासमैन ने भास्, आसन् तथा आस्य तीन प्रातिपदिक माने हैं। अनेक पाश्चात्य विद्वान् आसन् को भास् के रूपों का पूरक मानते हैं। दे० Ved. Gr., p. 219; JAOS., X, pp. 492, 523; Skt Gr, p 150, Alt. Gr. III, pp. 316ff.

७१. कतिपय व्याकरणों में, सम्भवतः मुद्रण की अशुद्धि से, दोष का दोषन् आदेश दिखलाया गया है; यथा— दे० काशि० तथा सि० कौ० के कतिपय संस्करण; सि० कौ० के श्रीवेङ्कटेश्वरमुद्रणालयसंस्करण में दोष् पाठ है। मध्यकौमुदी (निर्णयमागरसंस्करण) में भी दोष् पाठ है।

७२. JAOS., X, p. 493; Ved. Gr., p. 219; Skt. Gr., pp. 149, 160; Gr. Lg. Ved, pp. 205, 227; Alt. Gr. III, pp. 317ff. पा० ६,१,६३ के महाभाष्य के व्याख्यान में कयट ने दोषन् को दोस् का आदेश माना है— "औटि दोशब्दस्य दोषजादेशः"। दे० वं० प० कौ०।

७३. तु० पा० ३, २, ६३-६४— छन्दसि सहः ॥ बहश्च ॥

७४. तु० पा० ८, ३, ५६— महेः गाडः सः ॥

७५. Ved. Gr., p. 238; Ved. Gr Stu., p. 57; cf. JAOS., X p. 498.

७६. Alt. Gr. III, p. 253— "Nach obiger Darstellung ist das Paradigma *sah- -sah-* bei Macdonell 239 falsch."

इत्यादि तुलनार्थक प्रातिपदिकों में ईयस् के ई का लोप हो जाता है। परन्तु अनेक पाश्चात्य विद्वान् कहते हैं कि धातु के साथ -यांस-कृतप्रत्यय जोड़ कर ये प्रातिपदिक बनाये जाते हैं और -यांस से पूर्व प्रायेण ई भी जोड़ देते हैं। Ved. Gr., p. 233; Ved. Gr. Stu., p. 65; Skt. Gr., pp. 172-73; Alt. Gr. III, pp. 294ff.

९०. Ved. Gr. p. 233; Ved. Gr. Stu., p. 65; द्वित्वे ने (Skt. Gr., p. 172) सम्बो० ए० पुं० में श्रेयन् रूप बनाया है और उत्तर-कालीन संस्कृत में यही रूप बनता है। परन्तु वैदिक भाषा में इन दो रूपों के अतिरिक्त कोई अन्य उदाहरण उपलब्ध नहीं हुआ है।

९१. पा० ८,२,७२— वसुसंमुखंस्वनडुहां दः ॥ दे० अनु० ७८ ॥

९२. पा० ६,४,१३१— वसोः सम्प्रसारणम् ॥ पा० ६,१,१०८ ॥

९३. एक बार विद्वांसौ (ऋ० १,१२०,२) प्रयोग मिलता है।

९४. पा० ६,४,१३१ के व्याख्यान से आगे सि० कौ० में सेदिवस् से बने हुए सेदुषः, सेदुषा इत्यादि रूपों में इडागम के अभाव का समाधान करते हुए भट्टोजिदीक्षित कहते हैं— “अन्तरङ्गोऽपीडागमः सम्प्रसारणविषये न प्रवर्तते, ‘अकृतव्यूहाः—’ इति परिभाषया।” इस पर वालमनोरमाटीका इ का यण् करके “लोपो व्योर्वलि” सूत्र से य् का लोप करती है।

पा० ७,२,६७-६८ के अनुसार, वसु (वस्) प्रत्यय परे रहते इडागम होता है।

९५. पा० ६,४,८— सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ ॥

९६. पा० ६,४,१३४— अल्लोपोऽनः ॥

९७. पा० ६,४,१३७— न संयोगाद्दमन्तात् ॥

९८. पा० ६,४,१३६— विभाषा द्विभ्योः ॥

९९. पा० ७,१,३९— मुपां सुल्लक्ष्पूर्वसवर्णाच्छेयाडाध्यायाजालः ॥

१००. पा० ६,१,७०— शेषछन्दसि बहुलम् ॥

१०१. JAOS., X, p. 535; Ved. Gr., p. 203; Ved. Gr. Stu., p. 67 f. n. 4.

१०२. पा० ६, ४, १२-१३— इन्द्रन्यूपार्यम्णा शौ ॥ सौ च ॥ वैकल्पिक उपधा-दीर्घ के लिये दे० टि० १०३ । पा० ७, १, ८५ (टि० १६६) में ऋभुक्षिन् प्रातिपदिक के प्रथ० ए० रूप ऋभुक्षाः का समाधान है । कतिपय पाश्चात्य विद्वान् ऋभुक्षा तथा ऋभुक्षन् को भिन्न प्रातिपदिक मानते हैं । दे० WZR., s. v.; Ved. Gr., p. 250; पा० ६, ४, ९ के व्याख्यान में काशि० ने ऋभुक्षणम् रूप का उदाहरण दिया है, परन्तु यह प्रयोग सन्दिग्ध है । इसका कोई वैदिक प्रयोग नहीं मिला है ।
१०३. वैकल्पिक उपधादीर्घत्व के लिये पाणिनि ने निम्नलिखित सूत्र बनाया है—
६, ४, ९—वा पपूर्वस्य निगमे ॥
१०४. JAOS., X, p. 522; Ved. Gr. p. 203; Ved. Gr. Stu., p. 68. मैक्डानल के मतानुसार ऋजिंश्चन् तथा मातरिश्वन् के -श्चन् की व्युत्पत्ति √श्च "फूलना" से, विभ्वन् की व्युत्पत्ति √भू "होना" से, और परिंजमन् की व्युत्पत्ति √गम् "जाना" से मानी जा सकती है ।
१०५. पा० ६, ४, १३३— श्वयुवमघोनामतद्धिते ॥ दे० पा० ६, १, १०८; ६, १, ३७ ।
१०६. पा० ७, ३, ५४— हो हन्तेऽङ्गिणेषु । पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार इन रूपों में हकार अपना मूल रूप घकार धारण करता है ।
१०७. WZR., s. v.; JAOS., X, p. 523; Ved. Gr., p. 204; Alt. Gr. III, pp. 112-113; Gr Lg. Ved., pp. 184, 202.
१०८. पा० ७, १, ७५— अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णामनहुदात्तः (काशि०ः... एतेषां नपुंसकानां तृतीयादिष्वजादिषु विभक्तिषु...) ॥ ६, १, ६३— पद्मोमान्-हृन्निशसन्पुषन्दोषन्यकच्छकन्नुदनासच्छस्प्रमृतिषु ॥ पाणिनि द्वारा निर्धारित विभक्तियों से अन्य विभक्तियों में भी इन प्रातिपदिकों के वैदिक प्रयोग मिलते हैं; यथा— प्रथ० द्विती० व० अक्षार्णि, सुक्थार्नि, अस्थार्नि; तृ० व० अक्षभिः, अस्थभिः; च० व० अस्थभ्यः (वा० सं); प्रथ० द्विती० द्वि० दोषणी (अ०) । तु० पा० ७, १, ७६— छन्दस्यपि दृश्यते ॥
१०९. JAOS., X, p. 523; Ved. Gr., p. 204; Skt. Gr.; p. 160;

WZR., s. v.; Alt. Gr. III, pp. 310 ff. दे० पा० ६, १, ६३ (टि० १०८) । पाणिनि केवल ऊधस् प्रातिपदिक मानकर ऊधर् (८, २ ७०) तथा ऊधन् का व्याख्यान करता है; यथा— ५, ४, १३१— ऊधसोऽनङ् (काशि० कुण्डोष्ठी) । तद्धित रूप ऊधन्य तथा ऊधस्य दोनों बनते हैं । ऊधस् का स० व० ऊधःसु (ऋ०) मिलता है । ऊधन् के रूप ऊधन्ः, ऊधनि, ऊधभिः उपलब्ध होते हैं ।

११०. JAOS., X, p. 530; Ved. Gr., p. 204; Ved. Gr. Stu., p. 68.

१११. पा० ८, २, ६९— रोऽमुपि ।

११२. अहोभिः इत्यादि रूपों की सिद्धि के लिये पाणिनि ८, २, ६८ “अहन्” सूत्र द्वारा न् का रु बना कर सन्धिनियमों के अनुसार रु का उ, तथा ञ+उ का ओ बनाता है ।

११३. दे० टि० १०० । आत्मन् शब्द के आदि षा का लोप करके त्मन् की सिद्धि के लिये देखिए— पा० ६, ४, १४१— मन्त्रेष्व्याड्यादेरात्मनः ॥ इस पर वार्तिक— आहोऽन्यत्रापि छन्दसि लोपो दृश्यते ॥

११४. इस रूप में नपुं० द्वि० विभक्ति ईं (पा० ‘शी’) का प्रयोग मिलता है । दे० JAOS., X, pp. 433, 528; Ved. Gr., p. 206, f. n. 9.

११५. पा० ६, ४, १२८— मघवा बहुलम् ॥

११६. पा० ६, ४, १२७— अर्घणस्त्रसावनजः ॥

११७. पाणिनि (३, २, ५९) किन् प्रत्यय द्वारा ऐसे रूप बनाता है । काशि०— “अधतेः सुबन्तमात्र उपपदं किन् प्रत्ययो भवति” ।

११८. पा० ६, ३, ९०-९५— विष्वग्देवयोश्च टेरदघघतौ व-प्रत्यये । समः समि ॥ तिरसस्तिर्यलोपे ॥ सहस्य सग्निः ॥ तिरस् का तिरि असर्वनाम-स्थान की अजादि विभक्तियों से पूर्व नहीं बनता है । पा० के अनुसार विष्वद्द्रयन् समास का पूर्वपद विष्वक् है, परन्तु प्रारामैत इसमें विष्व + द्वि (✓द से)+अन् मानता है और इसी प्रकार जिन अन्य प्रातिपदिकों में -दि मिलता है उन में भी तीन पद मानता है ।

११९. पाणिनि ६,४,२४ 'अनिदितां हल उपधायाः क्विडति' सूत्र द्वारा सर्वत्र गत्यर्थक भञ्च् अन्त वाले अङ्ग की उपधा के न् अर्थात् भञ्च् के ण् का लोप कर देता है और अन्य सूत्र (टि० ८०) द्वारा सर्वनामस्थान से पूर्व अङ्ग की उपधा में न् का आगम करता है। प्रथ० ए० पुं० में "किन्प्रत्ययस्य कुः" (८,२,२६) सूत्र द्वारा पदान्त के न् को ङ् में परिणत कर देता है।
१२०. जैसा कि ऊपर टि० ११९ में स्पष्ट किया गया है, पाणिनि के अनुसार सभी विभक्तियों से पूर्व उपधा के न् का लोप होता है, परन्तु सर्वनामस्थान में अन्य सूत्र द्वारा पुनः न् का आगम कर दिया जाता है। अतएव वास्तव में असर्वनामस्थान से पूर्व उपधालोप सार्थक होता है।
१२१. पाणिनि ६,४,१३८ "अचः" के अनुसार, असर्वनामस्थान की अजादि विभक्तियों (Weakest cases) से पूर्व -भञ्च् अन्त वाले उन सब प्रातिपदिकों के अङ्ग के -भञ्च् के भ का लोप होता है जिन की उपधा के अकार का लोप हुआ है (टि० ११९)। और अङ्ग के भ का लोप करने पर, पाणिनि ६,३,१३८ "चौ" सूत्र द्वारा पूर्वपद के भ, इ, उ को दीर्घ करता है।
१२२. पा. ६,४,१३९—उद ईत् ॥
१२३. पा० ७,१,८९—"पुंसोऽसुह्" सूत्र से पुंस् के अन्तिम स् के स्थान पर -अस् आदेश होकर पुमस् अङ्ग बनता है; पा० ६,४,१० (टि० ८१) के द्वारा उपधा के अकार का दीर्घ; और पा० ७,१,७० (टि० ८०) के द्वारा नुम् आगम किया जाता है। प्रथ० ए० की विभक्ति के लोप के लिये देखिये अनु० ७०।
१२४. संयोगान्त के स् के लोप के लिये दे० अनु० ७०।
१२५. वा० प्रा० ३,४५—"अनसो वाहौ सकारो डकारम्" में यह स्पष्ट किया है कि अनस् + वाह् में स् का ङ् हो जाता है। दे० वै० प० को०।
१२५. (क) पा० ७,१,९८—चतुरनडुहोरामुदात्तः ॥ सम्बुद्धि में पाणिनि अम् का आगम करता है—७,१,९९—अम् सम्बुद्धौ ॥ पा० ७,१,८२—सावनडुहः ॥

१२६. JAOS., X, pp. 498-99; Ved. Gr., p. 238; Ved. Gr. Stu., pp. 75-76; Skt. Gr., p. 151.
१२७. मैक्डानल की पुस्तक (Ved. Gr. Stu., p. 76) में अनुद्भ्रयः के स्थान पर मुद्रण-स्खलन से अनुद्भिः पाठ छप गया है। तु० ब० का रूप अप्राप्य है। दे० Skt. Gr., p. 152.
१२८. पा० ५, ४, १२४ — धर्मादनिच् केवलात् ॥ उदाहरण— कल्याणधर्मा, प्रियधर्मा (काशि०)।
१२९. पा० ५, ४, १२२—नित्यमसिच् प्रजामेधयोः ।
१३०. पा० ४, १, ५-६—ऋन्नेभ्यो ङीप् ॥ उगितश्च ॥ वार्तिक—अद्यतेश्चोपसंख्यानम् ॥
१३१. तु० पा० ७, १, ८०-८१—आच्छीनद्योर्नुम् ॥ शप्द्यनोर्नित्यम् ॥
१३२. पा० ४, १, ७—वनो र च ॥
१३३. पा० ४, १, ११—मनः ॥
१३४. पा० ४, १, ७७—यूनस्तिः ॥
१३५. पा० ७, १, २४—अतोऽम् ॥
१३६. पा० ७, १, १९—नपुंसकाच्च ॥
१३७. पा० ७, १, ३९ (दे० टि० १९) के अनुसार, औ को आ आदेश होता है ।
१३८. पा० ७, १, ५०—आज्जसेरसुक् ॥
१३९. पा० ६, १, १०३—तस्माच्छसो नः पुंसि ॥ पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार, सन्धिनियम (अनु० ५२) तथा तुलनात्मक भाषाविज्ञान से यह प्रतीत होता है कि इस विभक्ति के अन्त में मूलतः नृष आता था; तु० Goth.-ans, Gk.-ons. ।
१४०. पा० ७, १, १२-१३—टाडसिड्सामिनात्स्याः ॥ हेर्यः ॥
१४१. पा० ७, १, ९-१०—अतो भिस ऐस् ॥ बहुलं छन्दसि ॥
१४२. पा० ७, १, ५४—ह्रस्वनद्यापो नुट् ॥
१४३. पा० ६, १, ६९—एह्रस्वात् सम्बुद्धेः ॥
१४४. पा० ७, ३, १०२—मुपि च ॥
१४५. पा० ६, ४, ३—नामि ॥
१४६. पा० ७, ३, १०३-१०४—बहुवचने क्षत्येत् ॥ ओसि च ॥

१४७. अकारान्त पुं० शब्दों से आकारान्त स्त्री० शब्द बनाने के लिये पाणिनि ने टाप् (४, १, ४—अजाद्यतष्टाप्), डाप् (४, १, १३—डाबुभाभ्या-मन्यतरस्याम्), तथा घाप् (४, १, ७४-७५—यदश्चाप् ॥ आवट्याच्च) प्रत्ययों का विधान किया है, और अनेक सूत्रों में इन प्रत्ययों के लिये सामान्यसंज्ञा षाप् का व्यवहार किया है। दे० ४, १, १; ७, १, ५४; ६, १, ६८; इत्यादि। अतएव यहाँ पर ऐसे प्रातिपदिकों के लिये हमने षाप्रन्त विशेषण का प्रयोग किया है।
१४८. पा० ६, १, ६८—हल्ब्याब्भ्यो दीर्घात्पुत्तिस्यपृक्तं हल् ॥
१४९. पा० ७, १, १८—औठ आपः ॥
१५०. पा० ७, ३, १०५—आङ्ङि चापः ॥
१५१. पा० ७, ३, १०६—सम्बुद्धौ च ॥
१५२. पा० ७, ३, ११३—याडापः ॥ पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि ईकारान्त प्रातिपदिकों की रूप-रचना के प्रभाव से आकारान्त प्रातिपदिकों के इन रूपों में या का आगम किया गया है। दे० Ved. Gr., p. 264 n. 9; Ved. Gr. Stu., p. 77 n. 5.
१५३. पा० ७, ३, ११६—डेराम् नद्यात्रीभ्यः ॥
१५४. पा० ७, ३, १०७—अम्वार्यनद्योर्ह्रस्वः ॥ कतिपय पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि अम्त्र-पद सर्वत्र मातृशब्द का पर्यायवाचक नहीं है और सम्भव है कि मूलतः यह नैसर्गिक ध्वनि को प्रकट करने वाला निपात रहा होगा। दे० JAOS., X, p. 360; Ved. Gr. p. 265; Alt. Gr. III, pp. 121 ff; Gr. Lg. Ved., p. 219; शत० ब्रा० ६, ६, २, ५ (अम्वेति वै योषाया आमन्त्रणम्) के अनुसार, स्त्री को पुकारने के लिये अम्त्र शब्द का प्रयोग किया जाता है।
१५५. पा० २, ३, ६२ पर वार्तिक—षष्ठ्यर्थे चतुर्थी वक्तव्या (काशि०) ॥ दे० Skt. Gr., p. 134; Ved. Gr. Stu., p. 78.
१५६. ऋ० १, ६, ५ इत्यादि पर सायण पा० ७, १, ३९ (टि० ९९) के अनुसार गुहा में विभक्ति का षा अदिश मानता है। दे० Bollensen, Z D

MG., XXII, pp. 606, 618.

१५७. JAOS., X, p. 360; Alt. Gr. III, p. 120.
१५८. सायण ने कुनीनाम को कुन्या शब्द का ष० व० मानते हुए अनेक समाधान प्रस्तुत किए हैं। ऋ० १, ६६; ८ पर सायण कहता है—
‘कन्याशब्दात् पष्ठ्येकवचने (?) ‘बहुलं छन्दसि’ इति बहुलप्रहणात्
संप्रसारणम्।’ और ऋ० १, ११६, १० पर कहता है—“ ‘रयेर्मतौ बहुलम्’
इति बहुलवचनात् कन्याशब्दस्यात्र संप्रसारणम् ॥” ऋ० १, १५२, ४ पर
सायण का कथन है—“आमि कन्याशब्दस्य वा छान्दमं संप्रसारणम्।”
दे० JAOS., X, p. 364; Ved. Gr., p. 267; WZR., s. v.
१५९. M W D., s. v. (कुनी का ष० व०); Alt. Gr., III, p. 113;
Gr. Lg. Ved., p. 202 n.
१६०. पा० १, २, ४७— ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य ॥ नपुं० पदों के साथ
प्रयुक्त किये जाने वाले आकारान्त समासों के रूपों को नपुं० नहीं माना
जा सकता, जैसा कि लैन्मैन इत्यादि ने माना है। JAOS., X, pp.
445 ff. सम्भवतः यह मत उचित है कि नपुं० के स्थान पर पुं० रूप
प्रयुक्त किये गये हैं। दे० Ved. Gr, p. 251. f. n. 14.
१६१. पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि श्वायन्त स्त्री० रूपों के प्रभाव से भातुज
आकारान्त स्त्री० प्रातिपदिकों की प्रथ० ए० विभक्ति का लोप हो जाता
है। दे० Ved. Gr. p. 249; Ved. Gr. Stu., p., 79.
१६२. पा० ६, ४, १४०— आतो धातोः ॥
१६३. ऐसे धातुज आकारान्त प्रातिपदिकों की सिद्धि के लिये पाणिनि ने यह
सूत्र (३, २, ६७) बनाया है—जनसनखनकमगमो विट् ॥
१६४. WZR., s. v.; JAOS., X, p. 444; Ved. Gr., p. 251. इस
मत के विपरीत दे० सायणभाष्य; SPW., s. v.
१६५. JAOS., X p. 444; Ved. Gr., p. 251; Alt. Gr. III, p.
128. दे० अनु० ४०; ऋ० प्रा० २, ५९ तथा तै० प्रा० १०, १३
(द्वितीयाध्याय की टि० ८क)। Ind. Stu., XIII, p. 104.

१९६. पा० ७, १, ८५-८८— पश्चिमवृक्षामात् ॥ इतोऽन्तर्वर्णानामस्थाने ॥ धो
न्यः ॥ भस्य टेलोपः ॥ अन्तिम न् के लोप के लिये दे० टि० ८७ ॥
१९७. दे० WZR, s. v.; Ved. Gr., p. 249; Ved. Gr. Stu, p.
79; Gr. Lg. Ved, p. 195; Skt. Gr., p. 128; Alt. Gr.
III, p. 285. मैकडानल प्रभृति कतिपय विद्वान् प्रथ० ए० के रूप
उद्धाना को स्त्री० के सदृश मानते हैं। कुछ विद्वान् कहते हैं कि इस रूप
का मूल स्त्री० उद्धाना प्रथ्व या -अन् अन्त वाला उद्धानन् रहा होगा;
दे० Alt. Gr. III, p. 285. लेन्मैन इस आकारान्त प्रातिपदिक नहीं
मानता है और उद्धानस्य प्रातिपदिक के आधार पर वर्ण-लोप द्वारा इन रूपों
का समाधान करता है: JAOS., X, pp. 441, 551, 559.
१९८. पा० ६, ३, ४६— आन्महृतः समानाधिकरणजातीययोः ॥
१९९. पा० १, ४, ७— शेषो ध्यमसि ॥
१७०. पा० ६, १, १०२— प्रथमयोः पूर्वसवर्णः ॥
१७१. पा० ७, १, २३— स्वमोर्नपुंसकात् ॥
१७२. पा० ७, १, ७२— नपुंसकस्य झलचः ॥ मैकडानल प्रभृति पाश्चात्य विद्वान्
न् आगम वाले पूर्ण रूपों को गौण (secondary) और ईकारान्त तथा
ऊकारान्त व० रूपों को सामान्य (normal) मानते हैं। इन का मत है
कि नकारान्त प्रातिपदिकों के रूपों के प्रभाव से ऐसे (न् आगम वाले) रूप
बनने लगे।
- १७२क. SPW., s. v.; JAOS., X, p. 371; Ved. Gr., p. 279; Ved.
Gr. Stu; p. 85; Gr. Lg. Ved., p. 216. शत० ब्रा० ३,
९, ४, २१— “प्रजा वा अरीः” ।
१७३. पा० ७, ३, १२०— आळो नाऽस्त्रियाम् ॥ पाश्चात्य विद्वान् इसमें भी
नकारान्त प्रातिपदिकों के रूपों का प्रभाव मानते हैं।
१७४. पा० ७, १, ३९ (टि० ९९) पर वार्तिक— आढ्याजथारामुपसंख्यानम् ॥
काशि० तथा सि० कौ० दोनों इस वार्तिक के आधार पर ब्राह्मवा को ब्राह्मना
के स्थान पर तृ० ए० का रूप मानते हैं। वास्तव में ब्राह्मवा द्विती० द्वि०
का रूप है; दे० ऋ० ७, ६२, ५। तृ० ए० आ के स्थान पर ना आदेश

के अभाव के लिये टि० १७९ में लिखित वार्तिक समीचीन है। तु० Av. b̄zava. मैक्डानल (Ved. Gr., p. 297, f. n. 9) ब्राह्मणों को ब्राह्मण का रूप मानता है।

१७५. JAOS., X, p. 381; Ved. Gr., p. 281; Skt. Gr., p. 117; Alt. Gr. III, p. 147. मै० सं० २,८,८ में वा० सं० के प्रतिना के स्थान पर प्रेत्या पाठ मिलता है। उत्तरकालीन संस्कृत में नाभि शब्द के अनेक पुं० प्रयोग मिलते हैं। वेद में पुं० ध्रासि "अन्न" शब्द के रूप भी उपलब्ध होते हैं।
१७६. पा० ७,१,७३— इकोऽच विभक्तौ ॥ पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि नकारान्त प्रातिपदिकों के रूपों के प्रभाव से न् का आगम किया जाने लगा।
१७७. पा० ७,३,१०९.१११— जसि च ॥; धेर्ङिति ॥
१७८. पा० ६,१,११० — ङसिङ्सोश्च ॥
१७९. पा० ७,३,१०९ पर वार्तिक— जमादिषु छन्दसि वा वचनं प्राङ्गौ चङ्गुपधाया ह्रस्व इति ।
१८०. इसके प्रातिपदिक के सम्बन्ध में मतभेद है। प्रासमैन प्रभृति विद्वान् इसे पशु पुं० का च० ए० रूप मानते हैं; दे० WZR., s. v.; MWD., s. v.; JAOS., X, p. 409. अन्य विद्वान् इसे पशु नपुं० का रूप मानते हैं; दे० Skt. Gr., p. 121; Ved. Gr., p. 296 n. 1. वार्तिक (टि० १७९) पर काशि० तथा सि० कौ० इसे पुं० का रूप मानते हैं ॥
१८१. पा० ६,१,१०६— वा छन्दसि ॥
१८२. Ind. Stu., XIII, p. 101; Skt. Gr., p. 117; Alt. Gr. III, p. 151. राट प्रभृति अन्य विद्वान् विद्योत् को विद्युत् का पुं० ए० निपात रूप मानते हैं; दे० SPW., s. v.; JAOS., X, p. 468; Ved. Gr., p. 185, f. n. 7; Gr. Lg. Ved., p. 222.
१८३. पा० ७,३,११९— अष घेः ॥
१८४. पा० ७,३,११७— इदुद्गधाम् ॥

१८५. पा० ७,३,१०८— द्रस्वस्य गुणः ॥
१८६. पा० ७,१,९४ पर काशि० में कारिका—
सम्योभने तूशनसस्त्रिरूपं सान्तं तथा नान्तमथाप्यदन्तम् ।
माभ्यन्दिनिर्वाष्टे गुणं त्विगन्ते नपुंसके व्याघ्रपदां वरिष्ठः ॥
पा० ७,१,७३ पर महाभाष्य में “हे त्रपो !” और पा० ६,१,६९ पर
महाभाष्य में “हे त्रपु !” प्रयोग मिलता है ।
१८७. Ved. Gr., p. 279; Ved. Gr. Stu., p. 84; JAOS., X,
p. 375; Alt. Gr. III, pp. 139, 144; Skt. Gr., p. 122.
ऋ० में विः का प्रयोग छः बार और वेः का प्रयोग पांच बार मिलता है ।
इन में से केवल दो प्रयोगों (६,३,५; ९,७२,५) में सायण वेः को प्रथ०
ए० का रूप मानता है; ३,५४,६ तथा १०,३३,२ में वह इसे ष० ए०
का रूप मानता है और १,१७३,१ में वह इसे आख्यात समझता है ।
१८८. JAOS., X, pp. 371, 400; Ved. Gr., p. 279; Ved.
Gr. Stu.; p. 84; Alt. Gr. III, p. 137. प्रासमैन (W Z R.,
s. v.) जनिं तथा जनीं दो प्रातिपदिकों की कल्पना करता है, और इसी
प्रकार भूमिं तथा भूमीं को पृथक् मानता है । ऋ० ९,६१,१०
(भूम्या देव) में प्रासमैन प्रभृति विद्वान् प्रथ० ए० रूप भूमीं स्वीकार
करते हैं, परन्तु पपा० में भूमिः+आ दिखलाया गया है । दे० अनु०
५९ (क) । सायण जन्पुः को प्रथ० ए० का रूप मानता है ।
१८९. पा० ६,१,११२—ख्यत्यात्परस्य ॥ पा० ७,३,११८—औत् ॥
१९०. पा० १,४,८-९—पतिः समास एव ॥ षष्ठीयुक्तदृष्टन्दसि वा ॥
१९१. पा० ७,१,९२-९३—सख्युरसम्बुद्धौ ॥ अनङ् सौ ॥
१९२. पा० ५,४,९१—राजाहस्सखिभ्यष्टन् ॥
१९३. पा० १,४,३—यू स्त्र्याख्यौ नदी ॥
१९४. पा० १,४,४—नेयडुवड्स्थानावस्वी ॥
१९५. पा० ने पुं० से स्त्री० बनाने के लिये जिन प्रत्ययों का विधान किया है
(अनु० १३७) उन में से तीन प्रत्यय ङीप्, ङीष् तथा ङीन् हैं । इन
तीनों के लिये पा० सामान्य संज्ञा ङी का प्रयोग करता है । दे० पा०
४,१,१; ६,१,६८ इत्यादि ।

१९६. पा० ६,१,१०७— अमि पूर्वः ॥ काशिका इस सूत्र में “वा छन्दसि” (टि० १८१) सूत्र की अनुवृत्ति करके शमीम्, शम्यम्, गौरीम्, गौर्यम् इत्यादि रूप सिद्ध करती है ।
१९७. पा० ७,३,११२— आण् नद्याः ।
१९८. पा० ७,१,३९ (टि० ९९) पर काशिका के अनुसार, सुरसी में विभक्ति (ङि) को ईकार आदेश हुआ है, परन्तु सि० कौ० का मत है कि इसमें विभक्ति-लोप है । दे० अनु० ४५ख(२) ।
१९९. पा० ६,४,७९-८०— स्त्रियाः वाऽमशसोः ॥ पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि स्त्री शब्द मूलतः द्वयच् (सम्भवतः सूत्री “जनयित्री”) था; दे० WZR., s. v.; MWD., s. v.; Skt. Gr., p. 135.
२००. Ved. Gr. Stu., p. 88; Skt. Lg., p. 252 तथा Skt. Gr., p. 134 में देवीनाम् पद के ई पर उदात्त रखना स्वर-सम्बन्धी साधारण नियम के विरुद्ध है । मैकडानल ने ही अपनी अन्य पुस्तक (Ved. Gr., p. 274) में देवीनाम् की विभक्ति पर उदात्त रक्खा है और यही नियम के अनुकूल है; दे० JAOS., X, pp. 398-99; Gr. Lg. Ved., 217; Alt. Gr. III, pp. 165, 178. ऋ० में इस नियम के तीन अपवाद मिलते हैं— मुहीनाम्, युतीनाम्, देवयुतीनाम् । दे० पा०, ६, १,१७८ ।
२०१. पा० १,४ ६— ङिति ह्रस्वश्च ॥
२०२. मैकडानल ने (Ved. Gr. Stu., p. 87) पर तृ० द्वि० धीभ्याम् और प० स० द्वि० ध्रियोः रूप दिये हैं । परन्तु ऐसा कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है; दे० JAOS., X, p. 392; Ved. Gr., pp. 270ff.
२०३. JAOS., X, p. 367; Ved. Gr., p. 273; Ved. Gr. Stu., p. 87; WZR., s. v., परन्तु ऋ० ६ ४,५ पर सायणभाष्य के अनुसार, राट्ठीं पद राट्ठीन् से बना है । इसी प्रकार ऋ० १०, १४, ३ के भाष्य में गायण मार्तली पद को मार्तलिन प्रातिपदिक और ऋ० ८, १९-२०; १०३, १४ के भाष्य में सोभरी, सोभर्याः, सोभरीणाम् इत्यादि रूपों में सोभरि प्रातिपदिक मानता है । प्राक्मन ने भी सोभरी तथा सोभर्याः दो रूपों के लिये सोभरी और दोष रूपों के लिये सोभरि प्रातिपदिक

- माना है। मोनियर विलियम्स नर्मी को नपुं०, राष्ट्री को स्त्री०, सिरी को सन्दिग्धलिङ्ग और सोभरि (या सोभरी) को अनिश्चित प्रातिपदिक मानता है; MWD., s. v.
२०४. पा० ६,४,८२— एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य ॥
२०५. पा० ६,४,८६— छन्दस्युभयथा ॥ लौकिक संस्कृत में केवल यण आदेश होता है— पा० ६,४,८५ न भूसुधियोः ॥
२०६. पा० ६,४,८२ पर वार्तिक (सि० की०)— गतिकारकेतरपूर्वपदस्य यण नेष्यते ॥
२०७. मैक्डानल ने ऋ० १,१४१,८ के दृश्चि पद को काल्पनिक दृक्षी प्रातिपदिक का सम्बुद्धिरूप मान कर रथी का सम्बुद्धिरूप रथि दिखलाया है; दे० Ved. Gr., p. 270; Ved. Gr. Stu., p. 87 (रथि); JAOS, X, p. 390; WZR., s. v. परन्तु ३पा० में दृश्चि पद दिखलाया गया है और ऋ० प्रा० ४, ९८ में इस विशेष सन्धिविकार का उल्लेख है। जैसा कि सायण मानता है, सम्भवतः दृश्चि पद √दृह का आख्यातरूप हो; दे० SPW; ऋ० ४,४,४.
२०८. पा० ४,१,६६-७२ ।
२०९. पा० ६,४,८३-८४—ओः सुपि ॥ वर्णभ्रश्च—इस पर वार्तिक—पुनर्भ्र-
क्षेति वक्तव्यम्; काशि०—कारापूर्वस्थापीष्यते ॥ दे० टि० २०६ ।
२१०. पा० ७,३,११०—ऋतो ङिसर्वनामस्थानयोः ॥
२११. JAOS., X, p. 419; Ved. Gr., p. 243; Ved. Gr. Stu., p. 91; इस मत के विपरीत, दे० Skt. Gr., p. 137.
२१२. पा० ७,१,९४—ऋदुशनस्पुरोदंसोऽनेहसां च ॥ दे० टि० ३७,९५ १४८ ।
२१३. WZR., s. v.; Ved. Gr., p. 243; Ved. Gr. Stu., p. 91; Skt. Gr., p. 138; JAOS., X, p. 427. ऋ० ४,४५,५ के उस्त्रा को प्रासमै न उस्त्र का द्विती० द्वि० मानता है, परन्तु मोनियर विलियम्स उस्त्र का तृ० ए० समझता है ।
- २१३क. अनेक पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि मान् “माँ” के साथ पुं० विभक्ति जोड़ने से यह रूप बना है; दे० Ved. Gr., p. 246 f. n. 2; Gr.

Lg. Ved., p. 203; Alt. Gr. III, pp. 160, 208; JAOS., X, p. 429; Skt. Gr., p. 140.

२१४. पा० १,१,१११—ऋत उत् ॥

२१५. पा० ६,४,६— नृ च ॥ तै० सं० में प्रयुक्त होने वाले कतिपय प० व० रूपों में प्रातिपदिक के अन्तिम ऋ का दीर्घ नहीं होता है; यथा—
 पितृणाम् (तै० सं० १,३,६,१; वृ० उप० ४,३,३३); धातृणाम् (तै० सं० ४,७,१४,३); नेतृणाम् (तै० सं० १,३,६,१); उद्गातृणाम् (तै० सं० ३,२,९,५); भ्रातृणाम् (तै० सं० २,६,६,२) । महाभारत में भी कुछ ऐसे प्रयोग मिलते हैं; यथा—१२,६६,२३ में नप्तृणाम् रूप उपलब्ध होता है । भद्रोजिदीक्षित सि० कौ० के वैदिकप्रकरणम् में पा० ६, ४,५ “छन्दस्युभयथा” सूत्र द्वारा उपर्युक्त प्रकार के रूपों का समाधान करते हुए कहते हैं—“नामि दीर्घो वा ॥ धाता धातृणामिति बह्वृचाः । तैत्तिरीयास्तु ह्रस्वमेव पठन्ति ।”

२१६. Skt. Gr., p. 140; Ved. Gr., p. 243; JAOS., X, p. 422; प्रासमैन अपने कोश (WZR, s. v.) में स्थातृर पाठ को स्थातृ के रूप में संशोधित करता है और कहता है कि प्रथ० द्विती० ए० नपुं० के रूपों में ष० ए० की भांति—उर आता है । वाकरनागल (Alt. Gr. III, p. 204) इसे प्रथ० द्विती० ए० का रूप नहीं मानता है । SPW. के लेखक इस पाठ वाले मन्त्र-भाग को भ्रष्ट मानते हैं । सायण इसे स्थातृ का सम्बोधनरूप मानता है । दे० वै० प० को० ।

२१७. Skt. Gr., p. 140; Ved. Gr. p. 243; JAOS., X, p. 422; Alt. Gr. III, p. 204; WZR., s. v. (टि० २१६); Gr. Lg. Ved., p. 203, MWD., s. v. परन्तु SPW. के लेखक ऋ० के इन तीनों मन्त्रों में प्रयुक्त स्थातृर पद को स्थातृ प्रातिपदिक का रूप मानते हैं । सायण ने ऋ० १,५८,५ के स्थातृः के दो व्याख्यान दिये हैं—
 (१) “स्थातृः स्थावरम्” अर्थात् √स्था के साथ औणादिक उ प्रत्यय जुड़ने से बने स्थातृ प्रातिपदिक का प्रथ० ए० रूप (२) अथवा—
 “स्थातृरनन्तरम्” अर्थात् स्थातृ का प० ए० रूप । सायण ने ऋ० १, ६८, १ तथा १,७०, ७ के स्थातृः का व्याख्यान केवल स्थावरम् किया

है। आचार्य विश्ववन्धु वै० प० को० में स्थातुस प्रातिपदिक मानते हैं और √स्था के साथ तुसिः प्रत्यय जोड़ कर इस का समाधान करते हैं।

२१८. Ved. Gr., p. 243. वाकरनागल इस मत को स्वीकार नहीं करता है; दे० Alt. Gr. III, p. 204; WZR., s. v. और SPW. के लेखक इस पाठ में संशोधन करके स्थात् पाठ का सुझाव देते हैं। इस संशोधन का समर्थन करते हुए लैन्मैन कहता है कि इस रूप को छोड़ कर शेष सब पुं० रूप आशुदात्त प्रातिपदिक स्थात् से बनते हैं; दे० JAOS., X, p. 422. वै० प० को० में स्थात् प्रातिपदिक के आधार पर स्थात्तृन् का व्याख्यान किया गया है।

२१९. Ved. Gr., p. 243; Skt. Gr., p. 140; JAOS., X, p. 422; Alt. Gr. III, p. 205; WZR., s. v. मोनियर विलियम्स (MWD., s. v.) इसे सप्तमीतुमर्थक रूप (locative infinitive) मानता है। सायण इसे ध्रृत् (धारक) का स० ए० स्वीकार करता है। सप्तमीतुमर्थक के लिये दे० Skt. Gr., p. 351. वै० प० को० में अनेक मतों पर विवेचन किया गया है।

२२०. Ved. Gr., p. 243; JAOS., X, p. 423. इसे भी अनेक विद्वान् सप्तमी-तुमर्थक मानते हैं; दे० Skt. Gr., p. 351; MWD. (वि+√धृ); WZR. (√धृ); वै० प० को०।

२२१. Alt. Gr. III, p. 204; Gr. Lg. Ved., p. 203; वै० प० को० में पक्वृत् तथा निधेद्घ प्रातिपदिक माने गये हैं।

२२२. WZR, s. v.; JAOS., X, p. 423; MWD., s. v. परन्तु वाकरनागल सायण के मत का समर्थक है; दे० Alt. Gr. III, p. 205. वै० प० को० में आचार्य विश्ववन्धु √स्था के साथ अधिकरण में च प्रत्यय मान कर स्थात्र प्रातिपदिक बनाते हैं और इस का अर्थ करते हैं—“अचलत्वविशिष्टपृथिवीलोक—”।

२२३. मैल्डनर (Ved. St. I, p. 146A) इसे नपुं० निध्रात् से बना तुमर्थक रूप मानता है; दे० Alt. Gr. III, p. 204.

२२४. पा० ७,२,८५— रायो हलि ॥

२२५. पा० ७,१,९०— गोतो णित् ॥ इस सूत्र पर काशि० का कथन है—
 “केचिदोतो णिदिति पठन्ति । योश्चब्दादपि यत्सर्वनामस्थानं विद्यते
 तदर्थम् । द्यौः । द्यावौ । द्यावः । गोत इत्येव तपरकरणनिर्देशादो-
 कारान्तोपलक्षणं द्रष्टव्यम् । वर्णनिर्देशेषु हि तपरकरणं प्रसिद्धम् ।” द्यो को
 सर्वनामस्थान से पूर्व वृद्धि करने के लिये भट्टोजिदीक्षित ने (सि० कौ० में
 पा० ६,१,९३ के अनन्तर) कहा है—“ओतो णिदिति वाच्यम् । विहित-
 विशेषणं च । तेन सुद्यौः सुद्यावौ सुद्यावः ।” सि० कौ० के इस वचन पर
 नागेश (ल० शे० पृ० २८१) कहता है—“द्योः सर्वनामस्थाने णित्वं
 वक्तव्यम्” इति औतोऽम् इत्यत्र भाष्ये उक्तमित्याहुः ।” पा० ६,१,९३
 पर महाभाष्य में यह वार्तिक है—“द्योश्च सर्वनामस्थाने वृद्धिविधेयः” और
 इस पर पतञ्जलि कहता है—“द्योश्च सर्वनामस्थाने वृद्धिविधेया ।” इस
 महाभाष्य पर कैयट प्रदीप में कहता है—“‘ओतो णित्’ इति सूत्रं
 पठितव्यम् । गोत इत्योकारान्तोपलक्षणार्थं वा व्याख्येयम् । वर्णनिर्देशे हि
 तपरत्वं प्रसिद्धम् ।” भट्टोजिदीक्षित ने सि० कौ० के अजन्तस्त्रीलिङ्ग-
 प्रकरणम् में द्यो के रूपों पर और अजन्त पुलिङ्गप्रकरणम् में सुद्यो के रूपों
 पर विचार किया है ।

२२६. पा० ६,१,९३—औतोऽम्शसोः ॥

२२७. गोनाम् रूप का प्रयोग केवल पाद के अन्त में मिलता है; तु० पा० ७,
 १,५७—गोः पादान्ते । परन्तु पाद के अन्त में दो बार गवाम् का प्रयोग
 भी मिलता है (ऋ० १०,१६६,१;९,८१,१) । ऐसे रूपों का समाधान
 करते हुए पा० के उक्त सूत्र पर काशि० कहती है—“सर्वे विधयश्छन्दसि
 विकल्प्यन्त इति पादान्तेऽपि क्वचिन्न भवति ।”

२२८. पा० ७,१,३९ पर वार्तिक (काशि०)—“आढ्याज्याराणामुपसंख्यानम् ।”
 सि० कौ० में “आढ्याज्याराणामुपसंख्यानम्” पाठ मिलता है । परन्तु इन
 दोनों में अयाम् आदेश माना गया है और यही उदाहरण दिया गया है ।

२२९. अनेक पाश्चात्य विद्वान् इसे प्रथ० व० का रूप मानते हैं; दे० JAOS.,
 X, p. 434; Ved. Gr., p. 248 f. n. 2; Ved. Gr. Stū., P.

94 f. n. 3; Alt. Gr. III, p. 218. परन्तु ऐ० ब्रा० के भाष्यकार पङ्गुशिष्य तथा सायण इसे द्विती० य० का रूप मानते हैं और मैं उनसे सहमत हूँ ।

२३०. तै० सं० ४,४,११,४;७,२,२०,१; वा० सं० १७,२ में संख्याओं का यही क्रम है। मै० सं० (२,८,१४) में भी यही क्रम है, परन्तु नियुत संख्या का अभाव है और श्रुत, सहस्र, अयुत तथा प्रयुत की आवृत्ति मिलती है। का० सं० (१७,१०) में भी संख्याओं का यही क्रम है, परन्तु प्रयुत को नियुत से पूर्व रक्खा गया है। का० सं० (३९,६) में भी इसी प्रकार प्रयुत को नियुत से पूर्व रक्खा गया है और न्यर्बुद के पश्चात् एक नई संख्या बद्ध गिनाई गई है और उसके पश्चात् उपर्युक्त समुद्र आदि चार संख्याएँ हैं। पं० ब्रा० (३७,१४,१) में सहस्र, अयुत, प्रयुत, नियुत, अर्बुद, न्यर्बुद, निखर्वक, बद्ध, अक्षित संख्याओं का इस क्रम से उल्लेख मिलता है और अक्षित के पश्चात् गो शब्द आता है जो मैक्डानल तथा कीथ (Vedic Index; Vol. I, p. 342) के अनुसार उत्तरवर्ती संख्या का वाचक है, परन्तु सायणभाष्य के अनुसार यहाँ गो शब्द आदित्यवाची है। आप० श्रौ० सू० में एक, दशन्, शत, सहस्र, अयुत, नियुत, प्रयुत, अर्बुद, न्यर्बुद, समुद्र, मध्य, पद्म, अन्त, परार्ध संख्याएँ उल्लिखित हैं और वी० श्रौ० सू० में भी ये संख्याएँ गिनाई गई हैं, परन्तु नियुत तथा पद्म का लोप है। शां० श्रौ० सू० में संख्याओं का क्रम यह है—एक, दशन्, शत, सहस्र, अयुत, प्रयुत, नियुत, अर्बुद, न्यर्बुद, निखर्वक, समुद्र, सलिल, अन्त्य, अनन्त्य। वैदिक गणना में दशमलव-पद्धति का ग्रहण किया गया है। दे० Ind. V. K., pp. 338 f.

२३१. पा० ६,३,४७-४८—द्वयष्टनः संख्यायामबहुव्रीह्यशीत्योः ॥ त्रैल्यः ॥ भारतीय वैयाकरण ऐसे रूपों में समाहारद्वन्द्व या मध्यमपदलोपी तत्पुरुष समास मानते हैं जैसा कि महाभाष्य कहता है—“एकादश^१ द्वादशेति कोऽयं समासः ? एकादीनां दशादिभिर्द्वन्द्वः । अधिकांता संख्या संख्यया समानाधिकरणाधिकारेऽधिकलोपश्च ।” सि० कौ० में भी इसी प्रकार दो व्याख्यान प्रस्तुत किये गये हैं ।

- २३१क. पा० ६,३,४७ पर वार्तिक—“प्राक् शतादिति वक्तव्यम् ।”
२३२. पा० ५,२,४५-४६—तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताङ्कः ॥ शदन्तविंशतेदच ॥
- २३२क. ह्रिटने तथा मैक्डानल प्रमृति पाश्चात्य विद्वान् इसे पं० ए० का रूप मानते हैं, परन्तु पाणिनि ६,३,७६ “एकादिश्चैकस्य चादुक्” सूत्र द्वारा एक और न के साथ समास करके एक को अदुक् आगम करता है। दे० अनु० १८७।
२३३. पा० २,२,२५। इस पर महाभाष्य—“अथ द्विदशाः त्रिदशा इति कोऽयं समासः? बहुव्रीहिरित्याह। कोऽस्य विग्रहः? द्विदश द्विदशा इति।” इस पर सि० कौ० का मत है—“द्विरावृत्ता दश द्विदशाः, विंशतिरित्यर्थः।”
- २३३क. अ० १९,५६,२ पर टि० में ह्रिटने इसे स० ए० का रूप मानता है; HOS., Vol 8, p. 994. परन्तु सायण इसे प्रथ० ब० का रूप मानता है।
२३४. पा० ७,२,९९—त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्रचतस्र ॥
२३५. पा० ७,२,१००—अचि र ऋतः ॥
२३६. ऋ० में केवल स्त्रीणाम् रूप मिलता है, परन्तु उत्तरकालीन भाषा में त्रयाणाम् रूप पुं० तथा नपुं० में बनता है; यथा—तै० सं० ३,४,३,८; का० सं० १३,२२; ऐ० ब्रा० ३,४६,५-६ (नपुं०)। दे० पा० ७,१, ५३—त्रेस्त्रयः ॥ इस पर काशि० कहती है—“स्त्रीणामित्यपि छन्दसीष्यते। स्त्रीणामपि समुद्राणामिति।”
२३७. ऋ० ५,६९,२ के एकमात्र प्रयोग तिस्रुणाम् को छोड़ कर सारे ऋ० में तिस्रुणाम् रूप मिलता है। दे० अनु० ५ (ढ) तथा प्रथम अध्याय की टि० २१। पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि इस ह्रस्व ऋ का भी दीर्घ उच्चारण करना चाहिए; दे० WZR., s. v.; Ved. Gr., p. 309; Ved. Gr. Stu., p. 99 f. n.5. उत्तरकालीन भाषा में तिस्रुणाम् का प्रयोग होने लगा; यथा—का० सं० २७,९; मै० सं० ४,५,९; तथा शत० ब्रा० १२,८,२,११ में तिस्रुणाम्। वैदिक भाषा में ह्रस्व तथा

दीर्घ शकार के रूप मिलते हैं, परन्तु लौकिक संस्कृत में केवल ह्रस्व ऋकार वाले रूप प्रचलित हैं। इस लिये पाणिनि ने निम्नलिखित सूत्र बनाये—

पा० ६,४,४-५—न तिस्रचतस्र ॥ छन्दस्युभयथा ॥

२३८. यद्यपि पा० ६,४,५ (टि० २३७) के अनुसार वैदिक भाषा में चतस्रसृणाम् रूप भी बनता है, तथापि इस का वैदिक उदाहरण मृग्य है। रामायण १,७२,१२ इत्यादि में ऐसा रूप अवश्य दृष्टिगोचर होता है।

२३९. Ved. Gr., p. 309; Ved. Gr. Stu., p. 100; Alt. Gr. III, p. 357.

२४०. पा० ७,२,८४—अष्टन आ विभक्तौ ॥

२४१. पा० ६,१,१७२ (टि० २४४) तथा ७,१,२१ (टि० २४२) पर महाभाष्य और काशिका के अनुसार इन सूत्रों से यह शापित होता है कि अष्टन् को आ आदेश विकल्प से होता है। दे० पा० ७,१,२१ पर सि० कौ० “वैकल्पिकं चेदमष्टन आत्वम्—‘अष्टनो दीर्घादिति सूत्रे दीर्घग्रहणाज्ज्ञापकात्’ ।”

२४२. पा० ७,१,२१—अष्टाभ्य औश् ॥ १,१,२४ “ष्यान्ता षट्” से पाणिनि षकारान्त तथा नकारान्त संख्यावाचक प्रातिपदिकों को षट्संज्ञक करता है और ७,१,२२ “षड्भ्यो छक्” द्वारा प्रथ० द्विती० विभक्ति का लोप करता है।

२४३. पा० ७,१,५५ “षट्चतुर्भ्यश्च” से जुट् का आगम और ६,४,७ “नोपधायाः” से उपधादीर्घ होता है।

२४४. पा० ६,१,१७२—अष्टनो दीर्घात् ।

२४५. पा० २,२,२५ पर सि० कौ० की बालमनोरमा टीका कहती है—“विंशतेः प्रागेकादिशब्दाः संख्येषु वर्तन्ते विशेष्यलिङ्गाश्च । दशादयो नित्यबहुवचनान्ताः । विंशत्यादिशब्दास्तु नित्यमेकवचनान्ताः संख्यायां संख्येये च वर्तन्ते नवतिपर्यन्ता नित्यस्त्रीलिङ्गाश्च । यदा विंशत्यादिः संख्या, ततो द्वित्वबहुवचने स्तः ।”

तृ० अमरकोश २, ८३— विंशत्याद्याः सदैकत्वे सर्वाः संख्येय-संख्ययोः ।
संख्यार्थं द्विवहुत्वे स्तस्तासु चानवतेः स्त्रियः ।

२४६. मैक्डानल यूपात् के प्रयोग को समाहार के अर्थ में मानता है; दे० Ved. Gr., p. 310. सायण इस मन्त्र के सुहस्रात् का व्याख्यान “अनेकरूपात्” करता है । निघण्टु ३, १ में सुहस्र शब्द ‘बहु’ के नामों में गिनाया गया है । गैल्डनर प्रभृति पाश्चात्य विद्वान् इस मन्त्र के सुहस्र शब्द को हजार का वाचक मानते हैं ।
२४७. सायण प्रभृति भारतीय विद्वान् ‘सुपां सुलुक्’ (पा० ७, १, ३९) तथा ‘व्यत्ययो बहुलम्’ (पा० ३, १, ८५) इत्यादि के आधार पर ऐसे संख्या-वाचक रूपों का समाधान करते हैं ।
२४८. पाश्चात्य विद्वान् सुहस्रम् को ऋषिभिः का विशेषण मानते हैं; दे० Skt. Gr., p. 183; Ved. Gr., p. 311; Ved. Gr. Stu., p. 291; WZR., s. v. परन्तु सायण इस मन्त्र में सुहस्रम् का व्याख्यान ‘अपरिमितं धनम्’ करता है । परन्तु आगामी उदाहरण में सायण भी इसे तृ० के अर्थ में मानता हुआ कहता है “तृतीयार्थे प्रथमा” ।
२४९. पा० १, १, २३— बहुगणवतुडति संख्या ॥ १, १, २५— डति च ॥ ७, १, २२— षड्भ्यो लुक् ॥
२५०. पा० २, २, ११; ५, ३, ४८; ५, १, ४८; ५, ४, १४९; ५, २, ४८; इत्यादि ।
२५१. प्रथम के प्रत्यय के सम्बन्ध में मतभेद है । निरुक्त २, २२ “प्रथम इति मुख्यनाम । प्रथमो भवति” के अनुसार प्र के साथ तम प्रत्यय जोड़ने से यह शब्द बनता है और अनेक पाश्चात्य विद्वान् भी इस मत का समर्थन करते हुए ब्राह्मणग्रन्थों के प्रथमाम् (शत० ब्रा०, ऐ० ब्रा०) शब्द को उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि चुत्तुर्थ, पुञ्च्य, पुष्ट इत्यादि शकारान्त क्रमवाचक शब्दों के प्रभाव से प्रथम के त का थ बन गया; दे० Ved. Gr., p. 311 f. n. 4; Ved. Gr. Stu., p. 102 f. n. 4; Skt. Gr., p. 184; MWD., s. v. परन्तु वाकरनागल का मत है कि

प्र के साथ थ तथा म इन दो प्रत्ययों के जोड़ने से यह शब्द बना है; दे० Alt. Gr. III, p. 404; Gr. Lg. Ved., p. 245. सूत्रों में प्रथम के स्थान पर भाष्य शब्द का प्रयोग भी होने लगा था ।

२५२. पा० ५,२,५४-५५— द्वेस्तीयः ॥ त्रैः सम्प्रसारणं च ॥ पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि प्राचीन वैदिक शब्द द्वित 'दूसरा' और त्रित 'तीसरा' के साथ -ईय प्रत्यय जोड़ कर ये तद्धित रूप बनाये गये हैं; दे० Skt. Gr., p. 184; Alt. Gr. III, p. 406. Ved. Gr., p. 311; Ved. Gr. Stu., p. 102 f. n. 5-6 में मैक्डानल ने तुल्य पाठ दिया है जो केवल अ० में मिलता है ।

२५३. पा० ५,२,५१ (टि० २५४) पर वार्तिक (काशि०)— चतुरश्च्यतावाथ-क्षरलोपश्च । कतिपय पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार, प्रकल्पित शब्द *चतुरीय से तुरीय बना है और तुर्य इसी का विकार है; Ved. Gr., p. 311; Ved. Gr. Stu., p. 102; MWD., s. v.; Zend. Khtuiria; Alt. Gr. III, p. 407; Gr. Lg. Ved., p. 245. परन्तु ग्रासमैन के अनुसार, इस का पूर्वरूप *चतुरीय रहा होगा; WZR., s. v.

२५४. पा० ५,२,४८—तस्य पूरणे इट् ॥ ५, २, ५१— पट्कतिकतिपयचतुरां थुक् ॥ थुक् आगम है ।

२५५. पा० ५,२,४८; ५,२,५०—थट् च च्छन्दसि (थट् आगम) ॥

२५६. पा० ५,२,४८; ५,२,४९—नान्तादसंख्यादेर्मट् (मट् आगम) ॥

२५७. पा० ५,२,४८ (इट् प्रत्यय); ५,२,५६—विशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम् ॥ पा० ५, २, ५८—“पञ्चादेश्वासंख्यादेः” के अनुसार, षष्टि, सप्तति, अशीति, नवति से केवल -तम प्रत्यय द्वारा क्रमवाचक शब्द षष्टितम, सप्ततितम, अशीतितम, नवतितम बनते हैं ।

२५८. पा० ५,२,५७—नित्यं शतादिमासार्धमाससंवत्सराच्च ॥

२५९. पा० ५,३,४८—“पूरणाद्भागे तीयादन्” से तीय के पश्चात् अन् प्रत्यय होता है और पा० ६, १, १९७—“अिनत्यादिर्नित्यम्” से ऐसा शब्द

आद्युदात्त हो जाता है । पा० ५,३,४९—“प्रागेकादशभ्योऽच्छन्दसि” के द्वारा ११ से पूर्व संख्यावाचक शब्दों से बने पूरणप्रत्ययान्त शब्दों के साथ -अन् प्रत्यय आता है और उपर्युक्त नियम से ऐसे शब्द आद्युदात्त हो जाते हैं, परन्तु पाणिनि के मतानुसार वैदिकभाषा में यह सूत्र लागू नहीं होता है ।

२६०. पा० ७,३,११५—विभाषा द्वितीयातृतीयाभ्याम् ॥
२६१. पा० ५,४,१९—एकस्य सकृच्च ॥ पाश्चात्य विद्वान् सकृत् में स+कृत् का समास मानते हैं और कहते हैं कि इस का मूल अर्थ “एक, करता हुआ” रहा होगा; दे० Ved. Gr., p. 312; Ved. Gr. Stu., p. 103; Skt. Gr., p. 406; Alt. Gr. III, pp. 423-24; WZR, s. v.; MWD., s. v.
२६२. पा० ५,४,१८—द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच् (स् प्रत्यय) ॥
२६३. पा० ५,४,१७—संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच् ॥ अनेक पाश्चात्य विद्वान् कृत्वः को कृत् ‘करना’ का द्विती० ब० मानते हैं; दे० SPW., s. v.; Ved. Gr., p. 312; Ved. Gr. Stu., p. 103; MWD., s. v. परन्तु कतिपय पाश्चात्य विद्वान् इसे पं० ए० का रूप भी मानते हैं; दे० Alt. Gr. III, p. 425.
२६४. पा० ५,३,४२-४३—संख्याया विद्यार्थे धा ॥ अधिकरणविचाले च ॥
२६५. पा० ५,३,४६—एधाच्च ॥
२६६. पा० ६,३,१०९ पर वार्तिक ४ (काशि०)—धासु वा पप उत्वं भवति उत्तरपदादेश्च ष्टुत्वम् ॥
२६७. पा० ५,४,४३—संख्यैकवचनाच्च वीप्सायाम् ॥
२६८. पा० ५,२,४२—संख्याया अवयवे तयप् ॥
२६९. पा० ५,२,४३—द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा ॥
२७०. निरुक्त १,७; ५,२२; ७,२; अ० प्रा० २,४४; ४,६९; आप० ध० सू० १, ४,१४,२३ ।
२७१. पा० १,१,२७ पर महाभाष्य—अन्वर्थप्रदृष्टं तत्र विशास्यते । सर्वेषां

यजान तसर्पनाम ।

२७२. पा० ७, २, ८६-९७; ७, १, २७-३३ ।

२७३. ऋ० ६, ५५, १ में आने वाले सोदात्त पद वाम् को कतिपय पाश्चात्य विद्वान् ऋस्मद् का प्रथ० द्वि० (आचाम् का संक्षिप्त) रूप मानते हैं; दे० WZR., (under ahám); Ved. Gr., p. 300 f.n. 6; Ved. Gr. Stu., p. 105 f. n. 1; Skt. Gr., p. 187; Gr. Lg. Ved., p. 229; Skt. Lg., p. 266; Alt. Gr. III, p. 465. सायण वाम् का व्याख्यान "गन्तारं स्तोतारम्" करता है ।

२७४. तु०—पा० ७, २, ८८ "प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्" में भाषायाम् का प्रयोग ।

२७५. यद्यपि वैदिक भाषा में कोई मर्ह्य रूप नहीं है, तथापि पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि छन्दःपरिमाण के विचार से ऋ० के कतिपय मन्त्रों में मर्ह्यम् का उच्चारण मर्ह्य करना चाहिए; दे० WZR. (under ahám); Gr. Lg. Ved., p. 81; Skt. Lg., p. 264; Ved. Gr., p. 300; Ved. Gr. Stu., p. 104; Skt. Gr., p. 187.

२७६. अस्मे तथा युष्मे प्रगृह्य माने जाते हैं (दे० अनु० ४५ख) और पा० के अनुसार इन रूपों में विभक्ति को शेष आदेश हो जाता है (टि० ९९) । ये दोनों रूप च० व० तथा स० व० के अर्थों में ऋ० में प्रयुक्त होते हैं । परन्तु इन का सप्तम्यर्थक प्रयोग अधिक मिलता है । कहीं-कहीं ष० व० के अर्थ में भी इन का प्रयोग माना जाता है ।

२७७. पा० के अनुसार मे तथा त्वे में विभक्ति को शेष आदेश हो जाता है (टि० ९९) और ये रूप प्रगृह्य माने जाते हैं (दे० अनु० ४५ख) । ध्यान रहे कि ये रूप सोदात्त हैं, जब कि च० ष० ए० के आदेश से ते अनुदात्त हैं ।

२७८. पा० ८, १, २०-२३—युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोर्वाभावौ ॥ बहुवचनस्य वस्त्वसौ ॥ तेमयावेकवचनस्य ॥ त्वामौ द्वितीयायाः ॥

२७९. वा० सं० १, १३ के भाष्य में महीधर कहता है "आकारश्छान्दसः" ।

चतुर्थोऽध्यायः

- अनेक पाश्चात्य विद्वान् इसे द्विती० न० स्त्री० का रूप स्वीकार करते हैं; Ved. Gr., p. 300; Ved. Gr. Stu., p. 104 f. n. 3; Skt. Gr., p. 187; Gr. Lg. Ved., p. 228; वै० प० को० । राट प्रभृति कतिपय विद्वान् इसे अशुद्ध रूप मानते हैं; दे० SPW., s.v.; Alt. Gr. III, p. 468.
२८०. पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि छन्दःपरिमाण के विचार से तुभ्यम् का उच्चारण अनेक स्थलों पर तुभ्यं करना चाहिए; दे० WZR. (under tva-); Gr. Lg. Ved., p. 230; टि० २७५ ।
२८१. पा० ८, १, १७-१८- पदात् ॥ अनुदात्तं सर्वमपादादौ ।
२८२. पा० ८, १, २४- न चवाहाह्वयुक्ते ॥
२८३. पा० २, १, १; तथा ८, १, १९ पर वार्तिक (सि० कौ०)—समानवाक्ये निघातयुष्मदस्मदादेशा वक्तव्याः ॥ पा० २, १, १ पर वार्तिक और महाभाष्य में वाक्य का लक्षण इस प्रकार दिया गया है—वार्तिक १० “आख्यातं साव्ययकारकविशेषणं वाक्यम्”; महाभाष्य—“आख्यातं साव्ययं सकारकं सकारकविशेषणं वाक्यसंज्ञं भवतीति वक्तव्यम्” । वार्तिक ११—“सक्रियाविशेषणं च”; महाभाष्य—“सक्रियाविशेषणं चेति वाक्यम्” । वार्तिक १२—“एकतिङ्”; महाभाष्य—“एकतिङ् वाक्यसंज्ञं भवतीति वक्तव्यम्” ॥
२८४. पा० ७, १, १७—जसः शी ॥
२८५. पा० ७, १, १४-१५-सर्वनामः स्मै ॥ ङसिङ्योः स्मात् स्मिनौ ॥ ७, १, ५२-आमि सर्वनामः सुट् ॥
२८६. पा० १, १, ३२-३६-विभाषा जसि ॥ प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाश्च ॥ पूर्वापरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम् ॥ स्वमज्ञाति-धनाख्यायाम् ॥ अन्तरं चहिर्योगोपसंव्यानयोः ॥ ७, १, १६—पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा ॥
२८७. पा० ७, ३, ११४—सर्वनामः स्याद्द्वस्वथ ॥
२८८. पा० ७, २, १०२—त्यदादीनामः ॥

२८९. पा० ७,२,१०६—तदोः सः सावनन्त्ययोः ॥
२९०. पाश्चात्य विद्वान् त प्रातिपदिक मान कर इस से बनने वाले रूपों का व्याख्यान करते हैं; दे० Skt. Gr., p. 188; Ved. Gr., p. 300; Ved Gr. Stu., p. 105; Gr. Lg. Ved., p. 235.
२९१. ऋ० ६,२१,६; १०,९५,१६ में ये रूप मिलते हैं। ऋ० ६,२१,६ के भाष्य में सायण तात् का व्याख्यान “तैः” करता है और १०,९५,१६ में तात् का व्याख्यान “तेन” करता है। पा० ७,१,३९ पर काशि० “न ताद् ब्राह्मणाद् निन्दामि” उद्धृत करके कहती है कि इस में “तान् ब्राह्मणानिति प्राप्ते” भात् भादेश हो गया है। और पा० ७,१,३९ पर सि० कौ० (मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली, १९५१) ऋ० ६,२१,६ के यात् तथा तात् का व्याख्यान करते हुए कहती है “यं तमिति प्राप्ते (आत्)”। पाश्चात्य विद्वान् इन व्याख्यानों को स्वीकार नहीं करते और इन रूपों में पं० ए० का प्राचीन रूप मानते हैं; दे० WZR., s.v.; MWD., s.v.; Alt. Gr. III, pp. 500-501, 102.
- २९१क. सायण ने ऋ. भाष्य में सस्मिन् का व्याख्यान—“तस्मिन्, समाने, सर्वस्मिन्, तथा स्वकीये” किया है।
२९२. पाश्चात्य विद्वान् इसके रूपों में एत् प्रातिपदिक मानते हैं और कहते हैं कि वास्तव में त प्रातिपदिक से पूर्व ए- जोड़ कर यह प्रातिपदिक बनाया गया है; दे० Ved. Gr., p. 301 f. n. 6; Ved. Gr. Stu., p. 106 f. n. 10; Gr. Lg. Ved., p. 235; Skt. Gr., p. 191, WZR., s. v.
२९३. पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार, इस का प्रातिपदिक रूप त्य है और त सर्वनाम के साथ -य प्रत्यय जोड़ने से यह प्रातिपदिक बना है; दे० WZR., s. v.; Ved. Gr., p. 301; Ved. Gr., Stu., p. 107; Alt. Gr. III, p. 550.
२९४. हिटने (Skt Gr., p. 191) के मतानुसार, प्रथ० ए० स्त्री० में त्या रूप भी मिलता है, परन्तु मैं ऐसा उदाहरण खोजने में असफल रहा हूँ।

२९५. WZR., s. v.; MWD.; s. v; Ved. Gr., p. 305; Ved. Gr. Stu., p. 107.; Gr. Lg. Ved., p 239. पा० (टि० ३२९) के अनुसार, तद् के स्त्री० रूप सा से सका और पुं० रूप से सक बनता है; यथा प्रथ० ए० सूका (ऋ० १, १९१, ११) ।

२९५क. पा० ५, ३, ७१—अव्ययसर्वनाम्नामकच् प्राक् टेः ॥

२९६. प्रासमैन तथा ओल्डनबर्ग का मत है कि तृतीय उदाहरण का वा वास्तव में वाम् का विकृत रूप है और प्रासमैन के अनुसार यहां वाम् का उच्चारण करना चाहिये; दे० WZR., s. v.; Rig. Noten 1, 86. कतिपय पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि अुवोः=अुयोः (अनु० १६८); दे० SPW., s. v.; JAOS., X, p. 344; MWD., under *idám*.

२९७. अधिकतर विद्वान् अुवोः को ष० द्वि० का रूप मानते हैं; दे० WZR., s. v.; MWD., s. v.; Ved. Gr., p. 303; Ved. Gr. Stu., p. 110; Gr. Lg. Ved., p. 235. परन्तु कतिपय विद्वान् इन में स० द्वि० का रूप भी मानते हैं; दे० Skt. Gr., p. 194; Alt. Gr. III, p. 535. सायण प्रथम उदाहरण में अुवोः का व्याख्यान "अवतोः", द्वितीय में "रक्षित्रोः" और तृतीय में "हविभिस्त्पर्षयितुः" (अयु का ष० ए०) तथा विकल्प से "अवितुः रक्षितुः" करता है ।

२९८. अ० के इस मन्त्र-भाग के अन्य वैदिक प्रयोगों के लिये देखिये अ० १४, २, ७१ पर छिटने की टिप्पणी HOS. Vol. 8, p. 766.

२९९. पा० १, १, २७ पर काशि०—“त्वशब्दोऽन्यवाची स्वरभेदाद् द्विः पठितः । एक उदात्तो द्वितीयोऽनुदात्तः । केचित्तकारान्तमेकं पठन्ति । त्वत्वदिति द्वावपि चानुदात्ताविति स्मरन्ति ।” सि० कौ०—“त्व, त्व इति द्वावप्य-दन्तावन्यपर्यायौ । ‘एक उदात्तोऽपरोऽनुदात्तः’ इत्येके । ‘एकस्तान्तः’ इत्यपरे ।”

निरुक्त १, ७—त्व इति विनिग्रहार्थीयम् । सर्वनामानुदात्तम् ॥
१, ८—निपात इत्येके । तत्कथमनुदात्तप्रकृति नाम स्यात् । दृष्टव्यं तु भवति ॥

तु० वा० प्रा० २, १६; किट्सू ४, ११—त्वत्त्वसमसिमेत्यनुबानि ॥

३००. पा० १, १, २७ पर सि० कौ० के व्याख्यान में चालमनोरमा टीका उदात्तयुक्त रूप के उदाहरणार्थ इस मन्त्रभाग को उद्धृत करती है—

“एतं त्वं मन्ये” इत्युदात्तत्वस्य ‘उत्त त्वः पश्यन्’ इत्यादावनुदात्तत्वस्य च प्राग्दे दर्शनादिति भावः ।” परन्तु मैंने जो भारतीय तथा पाश्चात्य संस्करण देखे हैं उन में से किसी में भी “एतं त्वं मन्ये” पाठ नहीं मिला है, प्रायेण “एतं तं मन्ये” अथवा “एदं तं मन्ये” पाठ मिलता है ।

३०१. निरुक्त १, ७—अर्धनामेल्येके ॥ ३, २०—त्वो नेम इत्यर्धस्य । त्वोऽपततः । नेमोऽपनीतः ।

३०२. ऋ० १०, ७१, ४ के उद्धरण के व्याख्यान में निरुक्त १, १९; सायणभाष्य; महाभाष्य, पस्पशाह्निकं त्वुः का अर्थ केवल “एकः” करते हैं । परन्तु ऋ० १०, ७१, ७ के व्याख्यान में निरुक्त १, ९ “ह्ये... ह्ये” का अर्थ “अपरे... एके” करता है । ऋ० १, १४७, २ (=वा० सं० १२, ४२) के ‘ह्युः... ह्युः’ का व्याख्यान शत० द्रा० ६, ८, २, ९ में “एकः... एकः” किया गया है ।

३०३. दे० Alt. Gr. III, p. 576.

३०४. दे० टि० ३०१; पा० १, १, २७ पर सि० कौ०—‘नेमः’ इत्यर्थे ।

३०५. ऋ० १, ५४, ८ पर सायणभाष्य—‘नेमे इति सर्वनामशब्दः, एतच्छब्दसमानार्थः । नेमे एते’; ४, २४, ४—‘नेमे केचन’; ४, २४, ५—‘नेमे अन्ये’; ५, ६१, ८—‘नेमोऽर्धः’; ६, १६, १८—‘हे नेमानां वसो । नेमशब्दोऽल्पवाची । मनुष्याणां मध्ये कतिपयानां यजमानानां वासक ।’; ९, ६८, ५—‘नेममर्धम्’; १०, २७, १८—‘नेमः अर्धः’; १०, ४८, १०—‘नेमशब्दोऽर्धपर्यायः’ ।

३०६. ऋ० ८, ४, १ पर सायण सिम का अर्थ श्रेष्ठ करता है और कहता है—“सिम इति श्रेष्ठमाचक्षते इति वाजसनेयकम् ।” पा० १, १, २७

पर सि० कौ० पर तत्त्वबोधिनी—“सिमः कृत्ले च शक्ते च स्यान्मर्यादा-
ववक्ष्योः” ।

३०७. पा० ३, १, ३ पर वार्तिक ११, पर महाभाष्य—“प्रत्ययाद्युदात्तत्वस्याव-
काशः—यत्रानुदात्ता प्रकृतिः—समत्वम्, सिमत्वम् ।” ; फिट्सूत्र ४,
११—त्वत्वसमसिमेल्यनुच्चानि ॥

३०८. पा० १, १, २७ पर काशि०—“समः । समस्मै । कथं यथासंख्यमनु-
देशः समानां समे देशे यजेतेति । समस्य सर्वशब्दपर्यायस्य सर्वनाम-
संज्ञेष्यते न सर्वत्र ।” ; सि० कौ० —“समः सर्वपर्यायः । तुल्यपर्यायस्तु नेह
गृह्यते, ‘यथासंख्यमनुदेशः समानाम्’ इति ज्ञापकात् ।” सम् सर्वनाम के अनु-
दात्तत्व के सम्बन्ध में दे० टि० ३०७; तु० निरुक्त ५, २२—“सममिति
परिग्रहार्थीयम् । सर्वनामानुदात्तम् ।” ५, २३—“तत्कथमनुदात्तप्रकृति-
नाम स्यात् । दृष्टव्यं तु भवति ।”

३०९. वा० प्रा० २, १६ सर्वस्मात् को निपात मानता है ।

३१०. पा० ७, २, १०८—११३—इदमो मः । दश्च । मः सौ । इदोऽय्
पुंसि । अनाप्यकः । हलि लोपः ।

३११. Skt. Gr., p. 193; Ved. Gr., pp. 301-302; Ved., Gr.
Stu., pp. 108-109; Gr. Lg. Ved., p. 233; WZR., under
idám, MWD., *idám*; Alt Gr. III, pp. 512 ff. अनेक
पाश्चात्य विद्वान् इस को इ प्रातिपदिक का विकार मानते हैं ।

३११क. पूना रूप ऋ०, मै० सं०, का० सं०, अ० में मिलता है और अनेक ऋ०
में केवल तीन चार आता है, परन्तु अ० तथा उत्तरकालीन भाषा में इसी
का प्रयोग होता है ।

३१२. पाश्चात्य विद्वान् आत् “तव, पश्चात्” निपात को अ का पं० ए० रूप
मानते हैं ।

३१३. पदकार के अनुसार, केवल दो मन्त्रों (श्र० १, १८५, १ तथा ६, २५, ६)
में अ्रपोः पद आता है और अन्य चार मन्त्रों में (ऋ० १, १०४, ६; ३, ५४,

२; १०, १-५, ४.९) में वह सचायोः का विग्रह “सर्चा + अयोः” करता है। परन्तु अनेक पाश्चात्य विद्वान् पदकार के मत को स्वीकार नहीं करते और इस का विग्रह “सर्चा + अयोः” मानते हैं; दे० WZR-, under *idám*; Alt. Gr., III, p. 518; Ved. Gr., p. 302 f. n. 9; प्रासमैन ऋ० ३, १८५, १ के अयोः को प० द्वि० स्त्री० और ऋ० ३, ५४, २ के अयोः को स० द्वि० स्त्री० मानता है।

३१४. पा० ६, १, १७१—ऊडिदम्पदाद्यप्पुत्रैगुभ्यः ॥

३१५. यद्यपि प्रासमैन इसे तृ० ए० स्त्री० का रूप मानता है, तथापि यह सन्दिग्ध है। सायण इस का व्याख्यान “अया अयेन गमनसाधनेन” करता है; दे० WZR, s. v. *idám*; Alt. Gr. III, p. 519; आचार्य विश्वबन्धु के मतानुसार, यह √अय् से निष्पन्न अय- प्रातिपदिक का रूप है; दे० वै० प० को०।

३१६. निरुक्त ४, २५—अस्या इति चास्येति चोदात्तं प्रथमादेशे। अनुदात्त-मन्वादेशे। तीव्रार्थतरमुदात्तम्। अल्पीयोऽर्थतरमनुदात्तम् ॥

पा० २, ४, ३२—इदमोऽन्वादेशोऽशनुदात्तस्तृतीयादौ ॥ इस सूत्र पर वार्तिक—“अन्वादेशश्च कथितानुकथितमात्रम्” तथा इस के महाभाष्य पर कैत्यट्कृत प्रदीप—“तत्र समानाधिकरणग्रहणाच्छब्दान्तरेणेदमा वा कथितं यदाऽनु कथ्यते तदान्वादेशो भवति”; इस सूत्र पर काशि०—“आदेशः कथनम् अन्वादेशोऽनुकथनम् ।...नेह पश्चादुच्चारणमात्रमन्वादेशः किं तर्हि, एकस्यैवाभिधेयस्य पूर्वं शब्देन प्रतिपादितस्य द्वितीयं प्रतिपादन-मन्वादेशः।”

पा० २, ४, ३४ (टि० ३१७) पर काशि०—“यत्र किञ्चिद् विधाय वाक्यान्तरेण पुनरुपदिश्यते सोऽन्वादेशः”; सि० कौ०—“किञ्चित्कार्यं विधातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरुपादानमन्वादेशः।”

वा० प्रा० २, ७—“पूर्ववानुदेशः” में ऐसे सर्वनामरूप को अनुदेश कहा गया है।

३१७. पा० २, ४, ३४—द्वितीयादौस्वेनः ॥ इस पर वार्तिक—एनदिति नपुंसकै-कवचने वक्तव्यम् ॥ दे० टि० ३१६।

अनुर्थोऽभ्यासः

३१८. WZR., s. v.; Ved. Gr., p. 302; Ved. Gr. Stu., p. 109; Skt. Gr., p. 191; Alt. Gr. III, pp. 520 ff.
३१९. ऋ० १,१७३,९ के संहितापाठ तथा पपा० में एन पाठ मिलता है, परन्तु ऋ० ५,२,११;२,९६,२;१०,१०८,३ के संहितापाठ में एना और पपा० में एन पाठ दिखलाया गया है। ग्रासमैन (WZR., s.v. *idám*) के अनुसार ये इदम् के तु० ए० रूप हैं; दे० Ved. Gr., p. 302 f.n. 3; Ved. Gr. Stu., p. 108 f.n. 4.
३२०. Alt. Gr. III, pp. 523-24.
३२१. WZR., s.v. *idám*; Skt. Gr., p. 193; Ved. Gr., p. 302; Ved. Gr. Stu., p. 108; Gr. Lg. Ved., p. 233; MWD., s.v. *idám*; Skt. Lg., p. 276.
३२२. वैदिकसंशोधनमण्डल पूना के संस्करण के अनुसार, सायणभाष्य की कतिपय पाण्डुलिपियों में एनाम् के स्थान पर एनं पाठ मिलता है। दे० Alt. Gr. III, p. 525; Gr. Lg. Ved., p. 234.
३२३. दे० Alt. Gr. III, pp. 521, 525.
३२४. पा० ७,२,१०७—अदस औ सुलोपश्च ॥ इस पर वार्तिक—औत्वप्रतिषेधः साकच्चाद्वा वक्तव्यः सादुत्वं च ॥ असुकः, असकौ ॥ दे० पा० ५, ३,७१।
३२५. पा० ८,२,८१—एत ईद्वहुवचने ॥
३२६. पा० ८,२,८०—अदसोऽसैर्दादु दो मः ॥
३२७. पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार अन्तोदात्त ऋग्वैदिक पद अमुया “उस प्रकार” अर्थ में क्रियाविशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है; दे० WZR. s. v.; Ved. Gr., p. 302 f. n. 14; Ved. Gr. Stu., p. 109; Skt. Gr., p. 193.
३२८. सायण “अपु योः” का व्याख्यान “अपयोजयिता” करता है, परन्तु पाश्चात्य विद्वान् “योः” को यद् का स० द्वि० मानते हैं; दे० WZR., s. v. ya; Ved. St., I, p. 197; Alt. Gr. III, p. 502; Ved.

Gr., p. 303; ZDMG., Vol. 50, p. 589; Ved. Gr. Stu., p. 111; Gr. Lg. Ved., p. 236; Skt. Gr., p. 195.

३२९. पा० ७, ३, ४५—न यासयोः ॥ इस पर काशि०—“या सा इत्येत-
योरिकारादेशो न भवति । यका । सका । या सा इति निर्देशो न तन्त्रं,
यत्तदोरुपलक्षणमेतत् ।”

३३०. पा० ७, २, १०३—किमः कः ॥

३३१. सायण तथा अधिकतर पाश्चात्य विद्वान् किः का अर्थ “कः” मानते
हैं, परन्तु निरुक्त ६, ३४ में यास्क किः का व्याख्यान “कर्ता” करता
है । दे० WZR., s. v.; MWD., s. v.; Alt. Gr. III, p.
559; Ved. St. Vol. III, p. 70; Gr. Lg. Ved., p. 236;
तु० SPW., s. v.

३३२. पाश्चात्य विद्वान् इस प्रयोग में स्वयम् का कर्मवाचक अर्थ स्वीकार करते
हैं ; दे० Alt. Gr., III, p. 481; Ved. Gr. Stu., p. 112;
परन्तु सायण के अनुसार इस प्रयोग में भी स्वयम् कर्तृवाचक ही है—
“स्वयम् अनन्यप्रेरितः सन् ” । मैक्डानल द्वारा उद्धृत (Ved. Gr., p.
304) अन्य प्रयोग में भी स्वयम् का अर्थ कर्तृवाचक है— वृत्सं...स्वयं
गातुम्... इच्छमानम् (ऋ० ४, १८ १०) “स्वयं मार्ग की इच्छा
करते हुए वल्लड़े को” ।

३३३. तै० ब्रा० ३, १०, ११, ४ तथा शत० ब्रा० ४, ५, ८, १४; १३, ८, २,
९ में इतरत् रूप मिलता है और इस के लिये पा० ७, १, २५—“अद्-
इतरादिभ्यः पद्भ्यः” सूत्र लगता है । परन्तु पा० ७, २, २६—“नेतरा-
च्छन्दसि” के अनुसार, छान्दसभाषा में प्रथ० द्विती० ए० नपुं० में इतरम्
रूप बनता है । इस सूत्र पर काशि० ने निम्नलिखित उदाहरण दिये
हैं—इतरमितरमण्डमजाचत् । वार्तममितरम् । शत० ब्रा० ४, ६, ९,
११ में इतरम् का उदाहरण मिलता है । इसी प्रकार तै० सं० ६, १, ९,
१ तथा ६, ३, १०, ५ में “इतरम्...इतरम्” प्रयोग मिलता है ।

३३४. पा० १, १, ३२-३४—विभाषा जसि ॥ प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाश्च ॥
पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम् ॥

पञ्चमोऽध्यायः

समास-प्रकरणम्

१७६ अर्थ की दृष्टि से सम्बद्ध पदों को एक पद के रूप में रखने की योग्यता वैदिक भाषा ने मूल इण्डो-यूरोपीय भाषा से ग्रहण की है। तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के आधार पर आधुनिक विद्वान् इस मत का प्रतिपादन करते हैं और इस मत की पुष्टि के लिये इण्डो-यूरोपीय भाषा-परिवार की अन्य भाषाओं से समासों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं; यथा— वै० द्विपद् = Lat. bipes; वै० शतपद् = Lat. centipes. यद्यपि उत्तरकालीन संस्कृत में बीसों पदों को एक समास में रखने के उदाहरण मिलते हैं, तथापि वैदिक भाषा में प्रायेण दो पदों के समास दृष्टिगोचर होते हैं और अनेक पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि समासों के प्रयोग तथा लम्बाई के विचार से वैदिक भाषा और होमर की ग्रीक भाषा में समानता पाई जाती है। ऋ० तथा अ० में तीन से अधिक पदों के समास अति विरल हैं और ऐसे समासों के उदाहरण गिने चुने हैं; यथा— श्रद्धंभव्रतप्रमतिः (ऋ० २, ९, १) “अहिंसित व्रतों वाली अच्छी बुद्धि है जिस की”; पूर्वकामकृत्वने (अ० ७, ११६, १) “पहली इच्छाओं को पूरा करने वाले के लिये।”

ब्राह्मणग्रन्थों में तीन पदों के समासों के पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं और कल्पसूत्रों में तीन से भी अधिक पदों के समासों के बहुत से उदाहरण उपलब्ध होते हैं। समासों का जितना विकास संस्कृत में हुआ है उतना किमी अन्य इण्डो-यूरोपीय भाषा में नहीं हुआ है। परन्तु उत्तरकालीन संस्कृत में दीर्घ समास बनाने की जो प्रवृत्ति प्रचलित हुई वह कृत्रिम है, क्योंकि साधारण बोलचाल की भाषा में दो या तीन से अधिक पदों का समास अस्वाभाविक है।

समास की विशेषताएं— समास की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि अर्थ की दृष्टि से सम्बद्ध पदों के बीच ही समास हो सकता है। दूसरी मुख्य

विशेषता यह है कि समास का प्रधान स्वर (उदात्त) साधारणतया एक ही होता है और समस्त पदों का पृथक् उदात्त नहीं रहता है। तीसरी प्रमुख विशेषता यह है कि समास के पूर्वपद केवल प्रातिपदिक रूप में रहते हैं और अन्तिम पद के साथ विभक्तियाँ जोड़ी जाती हैं। वैदिक भाषा में समास के स्वर और पूर्वपद के प्रातिपदिक-रूप से सम्बद्ध नियम के अनेक अपवाद मिलते हैं। इन के अतिरिक्त, समास-सन्धि, समस्त पदों में होने वाले विकार तथा लिङ्ग इत्यादि की भी अनेक विशेषताएँ हैं जिन का वर्णन यथा-प्रसङ्ग किया जायगा।

१७७. (क) समास-सन्धि—यद्यपि पदसन्धि के नियम ही साधारणतया समास-सन्धि में लागू होते हैं, तथापि इस की कुछ अपनी विशेषताएँ हैं जिन का संक्षिप्त उल्लेख करना आवश्यक है।

१. अनेक समासों में पूर्वपद 'दुर्' के र का लोप होकर उस का उकार दीर्घ हो जाता है और उत्तरपद का आदि दन्त्य वर्ण मूर्धन्य में परिणत हो जाता है (अनु० ५९ क); यथा—दुर्+दभः=दूळभः, दुर्+धीः=दूढीः। कुछ अन्य समासों में भी पूर्वपद के कारण उत्तरपद के दन्त्य वर्ण का मूर्धन्य बन जाता है (अनु० ६५ क); यथा—षट्+दश=षोडशः; पुरः+दाशः=पुरोडाशः।
२. कुछ समासों के पूर्वपद में आए हुए र, ऋ तथा ए के निमित्त से उत्तरपद के न् का ण् हो जाता है (अनु० ६५ख); यथा—पितृ + धानम् = पितृधारणम्। इसी प्रकार पूर्वपद के अन्तिम इ ई उ ऊ ऋ ए ओ र के निमित्त से उत्तरपद के आदि स का ष बन जाता है (अनु० ६५ग); यथा—होतृ+सदनम् = होतृ-षदनम्।
३. नकारान्त पूर्वपद के अन्तिम न् का लोप हो जाता है; यथा—राजन् + पुत्रः = राजपुत्रः "राजा का पुत्र"; ब्रह्मन् + ओदन = ब्रह्मोदन— "ब्रह्मा के लिये ओदन"।

(ख) समासाश्रय-विधि (पूर्वपदविकार)—समास का पूर्वपद होने पर कतिपय पदों में विशिष्ट विकार हो जाते हैं। यहाँ पर ऐसे विकारों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है।

१. पूर्वपद के अन्तिम स्वर का दीर्घत्व—अनेक समासों में पूर्वपद के अन्तिम अ, इ, उ का दीर्घत्व हो जाता है; यथा—ऋतावृध् (पपा० ऋतवृध्) “ऋत को बढ़ाने वाला”; परीणहम् (पपा० परिणहम्) “आच्छादन, बन्धन”; शत्रुपाहः (पपा० शत्रुसहः) “शत्रुओं को अभिभूत करने वाले।” पदपाठ में इस प्रकार के दीर्घत्व को हटाकर शब्द का मूल रूप दिखलाया जाता है। समास के पूर्वपद में जिन वैदिक शब्दों के अन्तिम स्वर का दीर्घत्व मिलता है उन में से प्रमुख शब्द ये हैं (१) अकारान्त शब्द—ऋत्, प्र, विश्व; (२) इकारान्त शब्द—अधि, अभि, चर्षणि, तुवि, परि; (३) उकारान्त शब्द—अनु, पुरु, शत्रु।
२. कतिपय समासों में पूर्वपद के अन्तिम स्वर या अन्तिम स्वर तथा उस के पश्चात् आने वाले व्यञ्जन का भी लोप हो जाता है; यथा—पूपोदुराः (तै० सं० ५६, १४, १) “जिन का उदर बिन्दुओं वाला (पृषत्) है”।
३. यदि किसी प्रातिपदिक के अनेक अङ्ग घनते हों, तो समास के पूर्वपद में प्रायेण ऐसे अङ्ग का प्रयोग किया जाता है जो असर्वनामस्थान विभक्ति से पूर्व आता है; यथा—आस्थ के अर्थ में आत् तथा आसन् समास के पूर्वपद में आते हैं—आदृघ्न “मुख (आस) तक पहुँचने वाला”, आसक्षिपु “जिस के मुख (आसन्) में तीर हैं”। इसी प्रकार शर्कव (अनु० ११०) के अर्थ में शर्कन् “गोमय”, शिरस् के अर्थ में शीर्षन् “सिर”, उदक के अर्थ में उदन् “जल”, और पन्थन्, पृथि तथा पथ् में से पृथि समास के पूर्वपद में आता है (अनु० ११३, १२७, १३०क, १३१ग)। परन्तु पाद तथा पद् और हृदय तथा हृद् दोनों प्रकार के अङ्ग समासों के पूर्वपद में मिलते हैं (अनु० ११२)। यथा—उद-श्राभ “जल का ग्रहण करने वाला”, उद-मेघ “जल बरसाने वाला”; पृथि-कृत् “मार्ग बनाने वाला”, पृथि-रक्षि “मार्ग की रक्षा करने वाला”; शक-धूम (अ०) “गोबर का धूँआ”, शक-पिण्ड (वा० सं०) “गोबर का पिण्ड”; शीर्ष-ऋपाल (अ०) “सिर की खोपड़ी”; पद्-घोष (अ०) “पांव की ध्वनि”, पादुगृह्य “पांव से पकड़ कर”; हृद्-रोग “हृदय का रोग”, हृदय-विध् “हृदय को बीधने वाला”।

४. कर्मधारय समास में महत् “बड़ा” के अर्थ में महा- शब्द पूर्वपद में आता है, परन्तु बहुव्रीहि समास में इसी अर्थ में महि पूर्वपद में प्रयुक्त होता है; यथा—महा-धनम् (ऋ०) “बड़ा धन”, महाग्रामः (ऋ०) “बड़ा समूह”; महि-क्षत्रौ (ऋ०) “बड़े शासन वाले” (मित्रावरुणौ); परन्तु अ० में सहृत्काण्ड “घड़ा खण्ड” प्रयोग भी मिलता है।
५. पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार, कतिपय समासों के पूर्वपद में आने वाले सम् को स- आदेश हो जाता है। इस विषय में साधारण नियम यह है कि जब सम् से परे अजादि उत्तरपद आये या हलादि उत्तरपद के परे रहने पर भी सम् पर उदात्त रहता हो, तब समास के पूर्वपद में सम् अविकृत रहता है; परन्तु हलादि उत्तरपद से पूर्व अनुदात्त सम् को स आदेश हो जाता है; यथा—समिध् (सम् + इध्) “ईन्धन”; सङ्गति “साथ आना”; सन्धात् “साथ रखने वाला”; सवाम्बिन् “साथ रहने वाला”; सपत्नी। परन्तु इस नियम के अनेक अपवाद भी मिलते हैं। हलादि उत्तरपद से पूर्व अनुदात्त सम् और सोदात्त स- के उदाहरण भी उपलब्ध होते हैं; यथा—संवत्सर “वर्ष”; संग्राम (अ०) “समूह, युद्ध”; सग्धि (वा० सं०, मै० सं०) “सह-भक्षण”; सच्युति (मै० सं०) “साथ गिरना”; सहृति “साथ आह्वान”।

पाणिनि के मतानुसार संज्ञा, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास इत्यादि के विषय में सह को स- आदेश हो जाता है; यथा—सर्गणः (ऋ०) “गणसहित”; सङ्ग- (अ०) “अङ्गसहित”। कतिपय समासों में, पाणिनि के मतानुसार, समान को भी स- आदेश हो जाता है; यथा—सर्नाभिः (ऋ०) “समान नाभि वाला”; सर्वन्धू (ऋ०) “समान सम्बन्ध वाली दो स्त्रियाँ”; सर्वर्णाम् (ऋ०) “समान वर्ण वाली”। वैदिक भाषा में ऐसे समास बहुत अधिक मिलते हैं जिन के पूर्वपद का स- समान का पर्यायवाचक है, परन्तु ऐसे समास कम हैं जिन के पूर्वपद का स- सह का समानार्थक है। बहुत से वैदिक समासों के पूर्वपद में सह भी मिलता है; यथा—सह-वत्सा (ऋ०) “बछड़े सहित” (धेनुः)।

(ग) समासान्त—समास के अन्त में आने वाले बहुत से पदों में विकार हो

जाते हैं। ऐसे विकारों का व्याख्यान करने के लिये पाणिनि समासान्त संज्ञा का व्यवहार करता है और कहता है कि अमुक पद यदि समास के अन्त में आए तो अमुक समासान्त प्रत्यय उस समास का अन्तिम अवयव बनता है। यद्यपि सभी प्रकार के समासों के लिये समासान्तों का विधान है, तथापि सब से अधिक समासान्तों का प्रयोग बहुव्रीहि-समास में आता है। प्रत्येक समास के साथ-साथ उस से सम्बद्ध समासान्तों का वर्णन समीचीन प्रतीत होता है। अत एव हम यथा-प्रसङ्ग समासान्तों का विवेचन करेंगे।

१७८. समासों का वर्गीकरण—समस्त पदों के अर्थ के विचार से प्राचीन वैयाकरण समासों के चार मुख्य भेद मानते हैं—(१) जिस में पूर्वपद के अर्थ की प्रधानता रहे वह अव्ययीभाव समास है; (२) जिस में उत्तरपद के अर्थ की प्रधानता रहे वह तत्पुरुष समास है; (३) जिस में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता रहे वह बहुव्रीहि समास है; और (४) जिस में दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता रहे वह द्वन्द्व समास कहलाता है। परन्तु पा० २,१,४ पर महाभाष्य, काशि० तथा सि० कौ० के अनुसार, उपर्युक्त चार समासों के अतिरिक्त अन्य समास भी बनते हैं और ऐसे समासों के लिये किसी विशेष संज्ञा का प्रयोग नहीं मिलता है^०। भट्टोजिदीक्षित ने पूर्वार्चियों के मतों पर विवेचन करके छः प्रकार का समास माना है^१। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार, समासों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया जाता है—

(१) अव्ययीभाव; (२) तत्पुरुष और इस का उपभेद कर्मधारय तथा कर्मधारय का उपभेद द्विगु; (३) बहुव्रीहि; (४) द्वन्द्व; (५) संज्ञाविशेषरहित समास जो 'सह सुपा' (पा० २,१,४) सूत्र से बनता है।

यद्यपि वैदिक समासों के वर्गीकरण तथा नामकरण के विषय में सभी पाश्चात्य विद्वानों में मतैक्य नहीं है, तथापि अधिकतर विद्वान् निम्नलिखित वर्गीकरण को स्वीकार करते हैं^१—

(१) द्वन्द्व समास (Co-ordinative or Copulative Compound);

वैदिक व्याकरण

- (२) तत्पुरुष समास (Determinative Compound);
- (३) बहुव्रीहि समास (Possessive Compound);
- (४) पूर्वपदप्रधान समास (Governing Compound);
- (५) द्विरुक्त समास (Iterative Compound);
- (६) अच्यवस्थित समास (Anomalous Compound) । वैदिक समासों का विवेचन इसी क्रम से किया जायगा ।

१७९. लिङ्ग-वैशिष्ट्य—साधारणतया इतरेतरयोगद्वन्द्व तथा तत्पुरुष समास का लिङ्ग उत्तरपद के लिङ्ग के अनुसार रहता है^{१३}; यथा—गो-आयुधी (शत० व्रा०) । परन्तु इस नियम के अनेक अपवाद भी मिलते हैं और कतिपय द्वन्द्व समासों में पूर्वपद के अनुसार लिङ्ग माना जाता है^{१४}; यथा—उक्था-मुदानि (अ० ५, २६, ३) “स्तुति (उक्थ नपुं०) तथा आनन्द (मर्द पुं०)”; उक्थाका (ऋ० ६, ३४, १) प्रथ० व० “स्तुति (उक्थ नपुं०) तथा गान (अर्क पुं०)”; उक्ष्वशौ (तं० सं० २, १, ४, ४) “बैल (उक्षन्) तथा गाय (वशा)”; हेमन्तशिशिरौ (तै० सं०) “हेमन्त पुं० तथा शिशिर नपुं० (वेद में इस का पुं० प्रयोग भी मिलता है)”; अहोरात्रे (अ०) “दिन (अहन् नपुं०) तथा रात्रि स्त्री०” । समासान्त से बने हुए रात्र (रात्रि से) और अह तथा अह (अहन् से) सदा पुं० में प्रयुक्त होते हैं^{१५} । अपवादस्वरूप कतिपय तत्पुरुष समासों का रूप भी नपुं० में बनता है^{१६}; यथा—पत्नीशालम् (वा० सं०) “पत्नी की शाला”; अग्रजिह्वम् (मं० सं०, वा० सं०) “जिह्वा का अग्रभाग” (तुं० जिह्वाग्रेण तै० सं०); पापसर्मम् (तं० सं०) “धुरा वर्ष (सर्मा)” । समाहारद्वन्द्व, द्विगु तथा अव्ययीभाव नपुं० ए० में रहते हैं^{१७}; यथा—युगशम्यम् (शत० व्रा०) “जुआ (युग पुं०) तथा कीली (शम्या स्त्री०)”; षडर्चम् (अ०) “छः ऋचाओं का समूह”; अध्यात्मम् (शत० व्रा०) “आत्मा में”, प्रतिलोमम् (तै० सं०) “लोम के प्रतिकूल” । कर्मधारय तथा बहुव्रीहि समासों का लिङ्ग विशेष्य के लिङ्ग के अनुसार रहता है ।

समास के पूर्वपद में आने वाले पुं० तथा नपुं० शब्दों का लिङ्ग नहीं बदलता है, परन्तु जो स्त्री० शब्द समास के पूर्वपद में उत्तरपद के

विशेषण के रूप में आता है उस शब्द का पुं० प्रातिपदिक रूप समास के पूर्वपद में प्रयुक्त किया जाता है^{१८}; यथा—प्रयतदक्षिणम् (नरम्— ऋ० १, ३१, १५) “जिस पुरुष के द्वारा दक्षिणा दी गई है (प्रयता) उस को” ।

१. द्वन्द्व समास

१८०. द्वन्द्व का शाब्दिक अर्थ “जोड़ा” है और इस अर्थ में इस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग तै० सं० १, ६, ९, ४ के “द्वादश द्वन्द्वानि” तथा ऐ० ब्रा० २, २७; ३, ५० के “द्वन्द्वम्” इत्यादि में मिलता है । प्रातिशाख्यों में तथा पाणिनीय व्याकरण में द्वन्द्व शब्द समासविशेष की संज्ञा के लिये प्रयुक्त होता है^{१९} । वाक्य में अर्थ की दृष्टि से जो सुबन्त पद परस्पर सम्बद्ध तथा समानतया प्रधान होते हैं उनके समास के लिये द्वन्द्व संज्ञा का व्यवहार किया जाता है^{२०} । इस समास के दो भेद माने जाते हैं—(१) इतरेतरयोगद्वन्द्व (२) तथा समाहारद्वन्द्व । जिस समास में पदों के पारस्परिक साहचर्य का बोध होता है उसे इतरेतरयोगद्वन्द्व कहते हैं, परन्तु जिस समास में केवल समाहार या समूह के अर्थ की प्रधानता रहे उसे समाहारद्वन्द्व मानते हैं ।

- (क) इतरेतरयोगद्वन्द्व—इस समास के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के परिचायक उदाहरण संहिताओं में उपलब्ध होते हैं । इस द्वन्द्व के विकास की प्राचीनतम अवस्था में समास के दोनों पदों (पूर्वपद तथा उत्तरपद) के साथ द्विवचन की विभक्ति जोड़ी जाती है और दोनों पदों पर अपना-अपना उदात्त भी रहता है^{२१}; यथा—उपासा-नक्ता “उपा और रात”; मित्रा-वरुणा “मित्र और वरुण”; मातरां-पितरां “माता और पिता”; द्यावां-पृथिवी “धुलोक और पृथिवी” । ऐसे द्वन्द्वसमासों के लिये देवताद्वन्द्व संज्ञा का प्रयोग किया जाता है और ऋ० में मिलने वाले द्वन्द्व समासों में से लगभग तीन-चौथाई देवताद्वन्द्व समास हैं । देवताद्वन्द्व समासों के कतिपय उदाहरणों में पूर्वपद और उत्तरपद के बीच अन्य पद का व्यवधान मिलता है; यथा—द्यावा हृ क्षामा (ऋ० १०, १२, १) “धुलोक और पृथिवी”; द्यावां यज्ञैः पृथिवी

(ऋ० ७, ५३, १); इन्द्रा नो अत्र वरुणा (ऋ० ४, ४१, ६) “ हे इन्द्र और मित्र यहां हमारे लिये”; आ नर्का वृहिः सदतामुषासा (ऋ० ७, ४२, ५) “ रात और उषा हमारे लिये पवित्र घास पर बैठे । ” व्यवहित देवताद्वन्द्व के कुछ उदाहरणों में केवल पूर्वपद के साथ द्विवचन की विभक्ति मिलती है और उत्तरपद में एकवचन का रूप प्रयुक्त होता है; यथा—मित्रा...वरुणः (ऋ० ८, २५, २); इन्द्रा यो वा वरुण (पपा० वरुणा—ऋ० ६, ६८, ५) “ हे इन्द्र और वरुण तुम दोनों के लिये जो । ” कुछ गिने-चुने उदाहरणों में देवताद्वन्द्व के दोनों पदों में ष० द्वि० का रूप मिलता है; यथा—मित्रयोर्वरुणयोः (ऋ० ७, ६६, १); “मित्र और वरुण का । ” और व्यवहित देवताद्वन्द्व में भी ऐसे उदाहरण उपलब्ध होते हैं, यथा—चक्षुर्महि मित्रयोरौ पति प्रियं वरुणयोः (ऋ० ६, ५१, १) “मित्र और वरुण का बड़ा प्रिय नेत्र आता है” । दिवस्पृथिव्योः (ऋ० २, २, ३; १०, ३, ७; १०, ३५, २) “दुलोक और पृथिवी का” में पूर्वपद में ष० ए० और उत्तरपद में ष० द्वि० का रूप है (दे० पा० ६, ३, ३०) । ऐसे गिने-चुने उदाहरणों को छोड़ कर देवताद्वन्द्व के शेष रूपों के पूर्वपद में प्रथ० द्विती० द्वि० की विभक्ति और उत्तरपद में यथाप्रसङ्ग अन्य विभक्ति के द्विवचन का रूप मिलता है; यथा—द्यावापृथिव्योः (अ०); द्यावापृथिवीभ्याम् (अ०); मित्रावरुणाभ्याम्; मित्रावरुणयोः; इन्द्रावरुणयोः ।

द्वन्द्व समास के विकास की अगली अवस्था उन उदाहरणों में लक्षित होती है जिनमें पूर्वपद का उदात्त नष्ट हो जाता है और समास के अन्तिम अक्षर पर उदात्त रहता है; यथा—सूर्याचन्द्रमसा (ऋ०); इन्द्रापुण्डोः (ऋ०); भवारुद्रौ (अ०) ।

द्वन्द्व के विकास की अन्तिम अवस्था में पूर्वपद में केवल प्रातिपदिक रूप प्रयुक्त होता है और समास के अन्तिम अक्षर पर उदात्त रहता है । ऋ० में ऐसे समासों के बहुत थोड़े उदाहरण मिलते हैं, परन्तु अन्य संहिताओं में तथा ब्राह्मणग्रन्थों में लगभग नियत रूप से ऐसा द्वन्द्व समास मिलता है; यथा—इन्द्र-वायू (ऋ० ७, ९०, ७); सत्यानृत (ऋ० ७, ४९,

३); “सत्य और असत्य”; प्रस्तोतु-प्रतिहर्तृभ्याम् (तै० सं० १,८,१८, १); “प्रस्तोता और प्रतिहता के लिये”; दृष्टकृत् (तै० सं०) “चातुर्य और बुद्धि”; शूद्रायौ (वा० सं०) ‘शूद्र और आर्य’ । परन्तु कतिपय ऋकारान्त प्रातिपदिकों का प्रथ० ए० रूप ही द्वन्द्व के पूर्वपद में प्रयुक्त होता रहा है^{२३}; यथा—पितापुत्रौ (अ०); “पिता और पुत्र”; नेष्टापोतारौ (पं० ब्रा०); “नेष्टृ-नामक और पोतृ-नामक ऋत्विज्”; नेष्टापोतृभ्याम् (तै० सं० १ ८, १८ १); त्वष्टा-वरुत्री (कपि० सं० ४६, ४; तु० ऋ० ७, ३४, २२) “त्वष्टा और वरुत्री”; होताध्वर्युं (का० श्रौ० सू० १५, ६, ४) “होता और अध्वर्यु” ।

प्रयोग के प्राचुर्य के कारण कतिपय द्विवचनान्त द्वन्द्वों का एक पद भी प्रसिद्ध जोड़े के दोनों पदों के अर्थ का बोध करवाता है^{२४}; यथा—पितरौ “पिता और माता”; मातरौ “माता और पिता”; द्यावा “दुलोक और पृथिवी”; मित्रा “मित्र और वरुण”; उपासा “उपा और रात्रि” ।

। ऋ० में बहुवचनान्त द्वन्द्व के उदाहरण बहुत थोड़े हैं, परन्तु अन्य संहिताओं तथा ब्राह्मणग्रन्थों में इस के पर्याप्त उदाहरण उपलब्ध होते हैं । ऐसे समासों के पूर्वपद में प्रायेण प्रातिपदिक रूप मिलता है और समास के अन्तिम अक्षर पर उदात्त रहता है; यथा—भुजावर्यः (ऋ०) “वकरियां और भेड़ें”; अहो-रात्राणि (ऋ०) “दिन और रात”; देवमनुष्याः (अ० ८, १०, ९) “देव और मनुष्य”; मद्रुपापाः (अ०) “अच्छे और बुरे”; प्राणापानोदानेषु (तै० सं० ७, ३, ३, १) “प्राण, अपान और उदान में” । इस साधारण नियम के कुछ अपवाद भी मिलते हैं; यथा—पलाहुद्यांवा-पृथिवीः (ऋ० ८, ९, १६) “वे छः दुलोक और पृथिवीलोक बतलाते हैं”; अङ्गा-परुषि (तै० सं० २, ५, ६, १) “अङ्ग और जोड़”; उक्थ्या-मुदानि (अ०) “स्तुति और आनन्द” ।

(ख) समाहार-द्वन्द्व—समाहार-द्वन्द्व के कतिपय उदाहरणों के पूर्वपद में प्रथ० द्विती० द्वि० का आकारान्त रूप मिलता है; यथा—दृष्टा-पूर्तम् “जो यज्ञ किया गया और दिया गया”^{२५} । पाश्चात्य विद्वानों का अनुमान है कि इस का मूल रूप व० “दृष्टापूर्ता (नि) रहा होगा”^{२६} । वा० सं०

१८,६० में द्वि० रूप इष्टापूर्ते भी मिलता है। मै० सं० में मिलने वाले उदाहरण इध्मा-वर्हिः 'ईन्धन और पवित्र घास' में पूर्वपद का द्वि० रूप और दोनों पदों पर उदात्त है^{२१}। ऐसे कुछ गिने-चुने उदाहरणों को छोड़ कर समाहारद्वन्द्व समास का रूप नपुं० ए० में बनता है और समास के अन्तिम अक्षर पर उदात्त रहता है; यथा—केश-श्मश्रु (अ०) "केश और दाढ़ी"। प्रायेण प्राणियों के अङ्गवाचक, यज्ञ तथा विद्यासम्बन्धी विषय के वाचक, अप्राणियों की जातिवाचक (यथा तृण इत्यादि की जातिवाचक); तथा परस्पर विरोधी प्राणियों या गुणों के वाचक शब्दों और ऐसे ही अन्य सम्बद्ध शब्दों का समाहार समास बनता है^{२२}; यथा—क्लोम-हृदयम् (शत० ब्रा०) "फेफड़े और हृदय"; शिरो-श्रीवम् (सं०) "सिर और गर्दन"; समिष्ट-यजुः (वा० सं०) "यज्ञ तथा याज्ञिक मन्त्र"; इतिहास-पुराणम् (शत० ब्रा०) "इतिहास और पुराण"; ओषधि-वनस्पति (शत० ब्रा०) "पौदे और वृक्ष"; कृता-कृतम् (अ०) "जो किया गया है और जो नहीं किया गया है"^{२३}; भद्र-पापम् (अ०) "भला और बुरा"; भूत-भव्यम् (अ०) "भूत और भविष्य"; नील-लोहितम् (ऋ०) "नीला और लाल"; उत्कूल-निकूलम् (वा० सं०) "ऊपर जाना और नीचे आना"; भुजाविकस्यं (शत० ब्रा० ४, ५, ५, ४) "बकरियों और भेड़ों का"।

(ग) द्वन्द्व में पूर्वपद—इकारान्त तथा उकारान्त, अजादि तथा अकारान्त, न्यूनतर अक्षरों वाला, और कहीं-कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण शब्द द्वन्द्व समास के पूर्वपद में आता है^{२४}; यथा—कुरु-पुष्चालाः (का० सं०) "कुरुवासी और पञ्चालवासी"; इन्द्रामी (ऋ०) "इन्द्र और अग्नि"; सूर्या-चन्द्रमसां (ऋ०) "सूर्य और चन्द्रमा"; पर्जन्या-वार्ता (ऋ०) "पर्जन्य और वात"।

(घ) द्वन्द्व में समासान्त—इतरेतरयोगद्वन्द्व तथा समाहारद्वन्द्व के अन्त में आने वाले बहुत से हलन्त शब्दों को अकारान्त बना दिया जाता है^{२५}; यथा—धेनुवन्द्वाही (शत० ब्रा०) "गाय और बैल"; श्री-यशुसानिं (शत० ब्रा०) "लक्ष्मी और यश"; स्त्री-पुंसौ (मै० सं०) "स्त्री और पुरुष"; ऊर्ध्वंष्टीवे द्वि० (वा० सं० १८, २३) "जंघा (ऊरु)

और घुटना (अधीवत्)"; दण्डोपानहम् (शां० गृ० सू० ३, १, १८) "डण्डा और जूते"; ऋक्सामाभ्याम् (ऋ०) "ऋचाओं और साम-गान के द्वारा"; ऋग्यजुषम् (गं० ध० सू०) "ऋचाएं और यजुर्वेद के मन्त्र"। द्वन्द्व (तथा तत्पुरुष) समास के अन्त में आने वाले रात्रि शब्द का रात्र वन जाता है (टि० ७०, १०, १५); यथा—अहोरात्रे (अ०, तै० सं०); अहोरात्राणि (ऋ०, तै० सं०)।

२. तत्पुरुष समास

१८१. तत्पुरुषः शब्द का अर्थ है "तस्य पुरुषः" और समास के इस उदाहरण को ही इस समास की संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यद्यपि पाणिनि ने तत्पुरुष का क्षेत्र बहुत व्यापक माना है, तथापि आधुनिक विद्वानों की पद्धति के अनुसार तत्पुरुष को दो मुख्य भेदों में विभक्त किया जा सकता है—(१) वह तत्पुरुष समास जिसका पूर्वपद द्वितीया, तृ०, च०, पं०, प० या स० में से किसी एक विभक्ति के अर्थ का वाचक है; (२) और वह तत्पुरुष समास जिसका पूर्वपद उत्तरपद का विशेषण या क्रियाविशेषण है। पाश्चात्य विद्वान् प्रथम प्रकार के तत्पुरुष के लिये पराश्रित-तत्पुरुष (Dependent Determinative) और दूसरे प्रकार के तत्पुरुष के लिये विशेषणात्मक तत्पुरुष (Descriptive Determinative) संज्ञा का व्यवहार करते हैं। पाणिनि द्वारा विहित तत्पुरुष के सभी भेदों को उपर्युक्त दो वर्गों में रखना पूर्णतया न्याय्य तो नहीं हो सकता, परन्तु सुविधा के विचार से प्रायेण ऐसा वर्गीकरण कर दिया जाता है। हम तत्पुरुष का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अधीन करेंगे— (१) द्वितीयासमास इत्यादि (२) एकदेशिसमास (३) उपपदसमास (४) कर्मधारयसमास (५) द्विगुसमास (६) नञ् समास (७) कुणतिप्रादिसमास। यह वर्गीकरण पाणिनीय व्याकरण के अनुसार है, परन्तु पाश्चात्य विद्वानों की पद्धति से भिन्न है।

१८०. द्वितीयासमास इत्यादि—जिन तत्पुरुष समासों के पूर्वपद में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति के अर्थ को प्रकट करने वाला पद आता है वे समास उसी विभक्ति के नाम से जाने

जाते हैं; यथा—द्वितीयासमास, तृतीयासमास, चतुर्थीसमास, पञ्चमीसमास, षष्ठीसमास और सप्तमीसमास। वैदिकभाषा में षष्ठीसमास के उदाहरण सब से अधिक मिलते हैं और तृतीयासमास का प्रयोग इस से कुछ कम है। अन्य समासों के—विशेषतः चतुर्थीसमास तथा पञ्चमीसमास के—उदाहरण बहुत कम हैं।

- (क) **द्वितीयासमास**—इस समास का पूर्वपद द्वितीयान्त रूप के अर्थ का वाचक होता है^{३३}; यथा—संवत्सर-भृत-(शत० ब्रा०) “एक वर्ष तक पाला हुआ”; गोष्ठगतम् (वौ० ध० सू०) “गोष्ठ में गया हुआ”; भूमि गताः (वौ० ध० सू०) “भूमि में गये हुए”।
- (ख) **तृतीयासमास**—इस समास का पूर्वपद तृतीयान्त रूप के अर्थ को प्रकट करता है और इस की तृतीया विभक्ति प्रायेण कर्ता और करण के अर्थ में आती है, परन्तु कहीं-कहीं अन्य अर्थों में भी इस का प्रयोग मिलता है^{३४}; यथा—ब्रह्म-विज्ञायः (ऋ० १०, १०३, ५) “ब्रह्म के द्वारा जानने योग्य”; अग्नि-दग्ध (ऋ०) “अग्नि से जलाया गया”; रेष्म-च्छिन्न-(अ०) “तूफान से छिन्न किया गया”; नख-निभिन्न-(तै० सं०) “नाखन के द्वारा तोड़ा गया”; सोम-शित-(ऋ०) “सोम से तैज किया गया”; भद्रि-दुग्ध-(ऋ०) “शिला के द्वारा दुहा गया”; मधु-मिश्र-(तै० सं०); “मधु के साथ मिश्रित”; तिल-मिश्र-(अ०) “तिलों के साथ मिश्रित”।
- (ग) **चतुर्थीसमास**—इस समास का पूर्वपद चतुर्थ्यन्त रूप के अर्थ को प्रकट करता है^{३५}। प्राचीन वैदिक भाषा में चतुर्थीसमास के उदाहरण अतिविरल हैं, परन्तु उत्तरकालीन भाषा में इस के कुछ उदाहरण मिलते हैं; यथा—मनुर्हितम् (ऋ० ६, ७०, २) “मनुष्यों के लिये हितकारी”^{३६}; भृतबलिम् (शु० सू०, ध० सू०) “भूतों के लिये बलि”।
- (घ) **पञ्चमीसमास**—इस समास का पूर्वपद पञ्चम्यन्त रूप के अर्थ का वाचक होता है और उत्तरपद में प्रायेण भय या विद्वेष को प्रकट करने वाला शब्द रहता है^{३७}। प्राचीन वैदिक भाषा में इस के उदाहरण अतिविरल हैं, परन्तु उत्तरकालीन भाषा में इस समास के कुछ उदाहरण

मिलते हैं; यथा— वृकभीतिः “भेड़िये का डर” ।

(ब) षष्ठीसमास—वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में षष्ठीसमास के उदाहरण सब से अधिक मिलते हैं। इस समास का पूर्वपद पठ्यन्त रूप के अर्थ को प्रकट करता है^{११}; यथा—राज-पुत्र- (ऋ०) “राजा का पुत्र”; विश्वपति- “प्रजा का स्वामी”; राज-कर्तारः (ऐ० ग्रा० ८, १७, ५) राजा बनाने वाले”; क्षीर-होवृ (शत० ब्रा०) “दूध का होम करने वाला”; सोम-पीति- (ऋ०) “सोम का पान”; सोम-पीथम् (ऋ०) “सोम का पान” ।

(ब) सप्तमीसमास—इस समास का पूर्वपद सप्तम्यन्त रूप के अर्थ को प्रकट करता है^{१२}; यथा—अर्हर्जात- (अ०) “दिन में उत्पन्न हुआ”, उड-प्लुतम् (अ० १०, ४, ३) “जल में बहती हुई (लकड़ी)” ।

(छ) अलुक्समास—सामान्य नियम के अनुसार समास के पूर्वपद की विभक्ति का लोप हो जाता है और शब्द का प्रातिपदिक-रूप पूर्वपद में आता है, परन्तु ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिनमें पूर्वपद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। सि० कौ० में ऐसे समासों के लिये अलुक्समास संज्ञा का प्रयोग किया गया है। अलुक् के अधिकतर उदाहरण षष्ठीसमास में मिलते हैं ।

तृतीयासमास में अलुक् के निम्नलिखित उदाहरण दिये जाते हैं^{१३};
शुनैपितम् (ऋ० ८, ४६, २८) “कुत्तों द्वारा पहुंचाया गया”^{१४};
वाचा-स्तेनम् (ऋ० १०, ८७, १५) “वाणी के द्वारा चोर को ।”

पठ्ठीसमास में अलुक् के बहुत से उदाहरण मिलते हैं। कुछेक प्रमुख उदाहरण ये हैं—जास्पतिः (ऋ० ७, ३८, ६) “कुल का पति”; वास्तो-स्पतिः (ऋ०) “घर का पति”, जगत्स्पतिः (का० सं०) “जगत् का पति”; शुनःशेपः (ऋ०) “कुत्ते की पूंछ (एक व्यक्ति का नाम)”^{१५};
दिवोदास- (ऋ०) “स्वर्ग का दास (एक व्यक्ति का नाम)” (टि० ४०) ।

सप्तमीसमास में अलुक् के जो उदाहरण मिलते हैं उनमें से कुछेक ये हैं—गर्गि-धिर- (ऋ०, अ०, आद्य० श्रौ० सू०) “एक ऋषि का नाम

(गाय में स्थिर)"; मदेरघुः (ऋ० ८, १०, १, ३) "उत्साह या मस्ती में शीघ्र"; पद्मि-वृद्ध- (तै० सं०) "पांव में बंधा हुआ"; वारे-वृत- (तै० सं०) "चुनाव में चुना गया"; नाव्युदक- (का० श्रौ० सू०) "नाव में जल"; मासि-श्राद्ध- (आप० ध० सू०) "मास में (मासिक) श्राद्ध"; स्वप्ने-दुःस्वप्न्य- (अ०) "नींद में बुरा स्वप्न" ।

१८३. एकदेशिसमास—इस समास की अपनी विशेषता है। अत एव इस का पृथक् विवेचन आवश्यक है। इस प्रकार के समासों के उत्तरपद में आने वाला शब्द ऐसे द्रव्य का वाचक होता है जो एक सम्पूर्ण है परन्तु जिस के अनेक देश या अवयव (हिस्से) माने जा सकते हैं। समास के पूर्वपद में आने वाला शब्द (पूर्व, अपर, या अर्ध इत्यादि) इस द्रव्य के एक देश (हिस्से) का वाचक होता है^{१३}; यथा—पूर्वाह्न- (सं०) "दिन का पूर्व भाग"; पूर्वकाय- (का० श्रौ० सू०) "शरीर का अग्र भाग"; अपुराह्न- (तै० सं०) "दिन का पिछला भाग"; अर्ध-मास- (सं०) "मास का आधा भाग"; अर्धच- (अ०, तै० सं०) "ऋचा का आधा भाग"; अग्र-जिह्व- (वा० सं०) "जिह्वा का अगला भाग" । दे० अनु० १८९ ।

१८४. उपपदसमास—पाश्चात्य विद्वानों ने द्वितीयासमास इत्यादि और उपपदसमास का वर्णन एक साथ किया है, परन्तु उपपदसमास का पृथक् विवेचन आवश्यक है क्योंकि इस की अपनी विशेषताएँ हैं। उपपदसमास की सब से प्रमुख विशेषता यह है कि इस के उत्तरपद में केवल कृदन्त शब्द होता है। और ऐसे कृदन्त शब्द का प्रयोग प्रायण उपपदसमास के उत्तरपद में ही मिलता है, परन्तु स्वतन्त्र शब्द के रूप में कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता है; यथा—हविरद् "हवि को खाने वाला" के उत्तरपद में आने वाले -अद् "खाने वाला" शब्द का इस अर्थ में कोई स्वतन्त्र प्रयोग नहीं मिलता है; जबकि द्वितीयासमास इत्यादि में आने वाले शब्द सामान्यतया स्वतन्त्र रूप से भी प्रयुक्त होते हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार उपपदसमास के पूर्वपद में आने वाला शब्द उपपद कहलाता है और उपपद के पूर्वपद में रहने पर ही उत्तरपद का कृदन्त शब्द बन कर दोनों का नित्यसमास होता है^{१४} ।

उपपदसमासों के पूर्वपद में आने वाले अधिकतर शब्द द्वितीयान्त रूप का अर्थ प्रकट करते हैं, परन्तु तृतीयान्त, पञ्चम्यन्त तथा सप्तम्यन्त रूप के अर्थ के वाचक शब्द भी उपपदसमासों के पूर्वपद में मिलते हैं। समासों के साथ दिये गये अर्थ से स्पष्ट है कि उन का पूर्वपद किस विभक्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। प्रसिद्ध कृतप्रत्ययों के साथ उपपद-समास के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं—

- (१) उत्तरपद में केवल धातुरूपी कृदन्त (पा० क्विप्, णिव, विद्, णिवन्, विच्, क्विन्)^{१४}—हविरद्- (ऋ०) “हवि को खाने वाला”; हविर्वह- (ऋ०) “हवि का वहन करने वाला”; ज्योतिष्कृत्- (ऋ०, तै० सं०) “प्रकाश करने वाला”; वृत्र-हन्- (ऋ०) “वृत्र को मारने वाला”; सोम-सुव- (ऋ०) “सोम का सवन करने वाला”; अग्नि-चिद्व- (शत० द्वा०) “अग्नि का चयन करने वाला”^{१५}; वन्धु-क्षिद्व (ऋ०) “बन्धुओं के मध्य रहने वाला” ।
- (२) अ प्रत्यय (पा० अण्, क, टक्, अच्, ट, ड, कन्, कप्)^{१६}—अन्नाद- (तै० सं०) “अन्न का भक्षण करने वाला”; गोघ्न- (ऋ०) “गाय को मारने वाला”; सुवर्द्धव- (ऋ०) “अमृत का दोहन करने वाला”; हवि-रुद- (अ०) “हवि को खाने वाला”; रायस्कामः (ऋ० १, ७८, २) “धन की इच्छा करने वाला”^{१७}; पतिकामा (अ०) “पति की इच्छा करने वाली” (टि० ४६क) ।
- (३) इ प्रत्यय (पा० इन्)^{१८}—पथिरक्षि- (ऋ०) “मार्ग की रक्षा करने वाला”; हविर्मथि- (ऋ०) “हवि का मथन (नाश या वितरण) करने वाला”; क्षत्र-वर्नि- (वा० सं०) “क्षत्रियों से प्रीति करने वाला”; युद्ध-वर्नि- (वा० सं०) “ब्राह्मणों से प्रीति करने वाला”; गो-वर्नि- (अ०, वा० सं०, तै० सं०; ऋ० गो-पणि-) “गायें प्राप्त करने वाला” ।
- (४) इन् प्रत्यय (पा० णिनि)^{१९}—उन्मथ-शंसिन् (ऋ०) “सूक्त गाने वाला”; मृद्व-वादिन् (अ०) “वेद या यज्ञ पर विचार करने वाला”; मत्त-वारिन् (ऋ०) “मत का पालन करने वाला” ।

५. **य प्रत्यय (पा० क्यप्)**^{५१}—ब्रह्मोद्य- (ब्रा०, श्रौ० सू०) “ब्रह्म का विचार, ब्रह्म के सम्बन्ध में पहेली”; राज्ञ-सूर्य- (अ०, तै० सं०, इत्यादि) “एक यज्ञ का नाम”; कृष्ट-पच्य- (वा० सं०, पं० ब्रा०) “जोते हुए (कृष्ट) खेत में पकने वाली (फसल)”; देव-दूर्य- (ऋ०, शत० ब्रा०) “देवताओं का आह्वान” ।
६. **वन् प्रत्यय (पा० कनिप्)**^{५०}—सोम-पार्वन् (ऋ०) “सोम पीने वाला”; बल-दारधन् (अ०) “बल देने वाला”; पाप-कृत्वन् (अ०) “पाप करने वाला”; रथ-यार्वन् (ऋ०) “रथ में जाने वाला” ।

अलुक्-समास—पूर्वोक्त द्वितीया-समास इत्यादि की भांति उपपद-समास के बहुत से उदाहरणों में भी पूर्वपद की विभक्ति का लोप नहीं होता है । इस प्रकार के अलुक्-समास के प्रमुख उदाहरण निम्न-लिखित हैं—

द्वितीया का अलुक्—पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार निम्नोक्त उदाहरणों में तथा ऐसे ही अन्य समासों के पूर्वपद में द्वितीया का रूप है^{५१}, परन्तु पाणिनीय व्याकरण के अनुसार कृत्प्रत्यय खश् या खच् के निमित्त से एकाच् ईजन्त शब्द को अम् और शेष अजन्त शब्दों को सुम् आगम हो जाता है^{५२}; यथा—घनञ्ज्य- (ऋ०) “घन को जीतने वाला”; पुरन्दर- (ऋ०) “दुर्गों को नष्ट करने वाला (पुरम् व० के अर्थ में)”; सुतम्भर- (ऋ०) “सोम-रस को पाने वाला”; पुष्टिम्भर- (ऋ०) “पुष्टि-कारक”; धियुंधा- (ऋ०) “बुद्धिमान्”; उग्रम्पश्य- (अ०) “उग्रता से देखने वाला”; अयक्ष्करण- (अ०) “स्वस्थ करने वाला”; शूतर्कृच्- (तै० सं०) “पकाने वाला”; देवङ्गम- (अ०) “देवताओं के पास जाने वाला” ।

तृतीया का अलुक्—गिरा-वृध्- (अ०) “स्तुति से बढ़ने वाला”; दिवा-कृष- (अ०) “सूर्य”^{५३}; धिया-जुर- (ऋ०) “प्रार्थना (करने) में बड़ा होता हुआ” ।

पञ्चमी का अलुक्—दिवोजा- (ऋ०) “धुलोक से उत्पन्न हुई (उपा)”; दिवोदुह- (सा०) “धुलोक से दूध निकालता हुआ”; दिवोरुच्- (ऋ०)

“द्युलोक से चमकता हुआ”; दक्षिणात्-सद्- (मं० सं० २, ६, ३)
“दक्षिण की ओर बैठा हुआ” ।

सप्तमी का अलुक्—दिवि-यज्- (ऋ०) “द्युलोक में यज्ञ करने वाला”;
दिवि-चर्- (अ०) द्युलोक में घूमता हुआ”; दिवि-श्रय- (ऋ०) “द्युलोक
में रहने वाला”; तल्पे-शय- (अ०) “पलंग पर सोया हुआ”; अप्सु-षद्-
(सं०) “जल में रहता हुआ” ।

१८५. कर्मधारय-समास—कर्मधारय-समास में प्रायेण विशेषण और विशेष्य
का समास होता है^{५५}; यथा—सहा-ग्राम- (ऋ०) “बड़ा समूह”;
कुष्ण-शकुनि- (अ०) “कौवा (शाब्दिक-काल पक्षी)”; पूर्ण-मासः (तै०
सं० ३, ४, ४, १) “पूरा चन्द्रमा”; सप्तर्षयः “सात ऋषि”; एक-वीर
“अनुपम वीर”; सप्त-गृध्राः (अ०) “सात गिद्ध” ।

उपमा को प्रकट करने के लिये या कोई विशेषता प्रकट करने के लिये
भी कतिपय शब्दों का समास होता है^{५६}; यथा—शुक-वभ्रु (वा० सं०)
‘ तोते के सदृश वभ्रु रंग का’; ज्येन-जूत- (ऋ०) “वाज के सदृश तेज”;
ऊर्णा-मृदु (तै० ब्रा०) “ऊन के सदृश कोमल”; पुरुष-भृग- (वा०
सं०, तै० सं०) “पुँल्लिङ्ग हिरण”; पुरुष-व्याघ्रः (वा० सं०) “पुँल्लिङ्ग
वाघ (एक प्रकार का राक्षस)” । ऋ० ७, १०४, २२ तथा अ० ८, ४,
२२ में आने वाले समास उत्लक-यातुम् “उत्लरूपी या उत्लू सदृश
राक्षस”; गृध्र-यातुम् “गिद्धरूपी या गिद्ध सदृश राक्षस” सन्दिग्ध हैं,
क्योंकि इन का व्याख्यान अनेक प्रकार से किया जा सकता है^{५७} ।

१८६. द्विगु-समास—द्विगु-समास कर्मधारय-समास का ही एक भेद है ।
जिस कर्मधारय-समास के पूर्वपद में संख्या-वाचक शब्द हो उसे द्विगु
कहते हैं^{५८} । द्विगु का शाब्दिक अर्थ है “दो गायों का जोड़ा” । समा-
हार-द्विगु का प्रयोग केवल नपुं० एकवचन में होता है^{५९} । स्वर-वैशिष्ट्य
की समानता को ध्यान में रखते हुए अनेक पाश्चात्य विद्वान् द्विगु का
वर्णन बहुव्रीहि-समास के साथ करते हैं^{६०} । द्विगु-समास के कुछ प्रमुखा
उदाहरण निम्न-लिखित हैं—त्रि-युगम् (ऋ० १०, ९७, १) “तीन युग”;
दशाक्षरम् (ऋ० १०, ९०, १) “दस उद्गलियों की लम्बाई”; पृथ्वीम्

“छः ऋचाओं का समूह”; पञ्चवम् (शत० ब्रा०) “छः बैलों का समूह”; पडह- (अ०, तै० सं०) “छः दिन तक, छः दिनों का सोमयाग”; त्रि-योजनम् (अ०) “तीन योजन की दूरी”; पञ्च-योजनम् (अ०) “पांच योजन की दूरी ।” दे० अनु० १८९ ।

१८७. **नञ्समास**—निषेध-वाचक^० अव्यय न पूर्वपद में जोड़ कर नञ्समास बनाया जाता है^{१३} । हलादि शब्दों से पूर्व न के स्थान पर केवल अ और अजादि शब्दों से पूर्व अन् जोड़ा जाता है^{१४}; यथा—अ-कवि- (ऋ०) “जो कवि नहीं है”; अ-साधु (शत० ब्रा०) “जो भला नहीं है”; अ-दंभ (ऋ०) “जो छोटा नहीं है”; अ-मर्त्य- (ऋ०) “जो मरने वाला नहीं है”; अनृजु (ऋ०) “जो ऋजु (सरल) नहीं है”; अनाशु (ऋ०) “जो शीघ्रगामी नहीं है ।” कतिपय समासों के पूर्वपद में न का रूप ज्यों का त्यों भी मिलता है^{१५}; यथा—न-चिकेतस (तै० ब्रा०) “एक व्यक्ति का नाम”; न-पुंसक- (मै० सं०) “जो पुरुष (या स्त्री) नहीं है”; न-भ्राज्- (मै० सं०) “देवों के सोम-रक्षक का नाम”; न-मुचि- (ऋ०) “एक राक्षस का नाम”; नाकः (सं०) “स्वर्ग” (न+कक) ।

१८८. **कुगतिप्रादिसमास**—अर्थ की दृष्टि से सम्बद्ध शब्द के साथ कु, सु, अति, दुर्, प्र, परि, निर्, इत्यादि निपातों का समास होता है और क्रियावाचक शब्दों के साथ भी प्र, परा इत्यादि उपसर्गों तथा पुरस्, तिरस्, अन्तर् इत्यादि गतिसंज्ञक शब्दों का समास होता है^{१६} । समास के पूर्वपद में आने वाले निपात कु तथा दुर् बुराई के अर्थ में और सु तथा अति प्रशंसा के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं^{१७}; यथा—कुर्ववम् (वा० सं० १८, १०) “बुरा (घटिया) अन्न (फसल)”; दुर्मतिः (ऋ०) “बुरी बुद्धि”; सु-मतिः (ऋ०) “अच्छी बुद्धि”; अति-जीव (अ०) “पूर्णतया जीवित”; अति-पुरुष- (शत० ब्रा०); “बहुत बड़ा पुरुष” । इस के अतिरिक्त “बढ़ जाना या आगे निकल जाना” के अर्थ में भी अति पद समास के पूर्वपद में आता है और उत्तरपद द्वितीयान्त रूप के अर्थ में प्रयुक्त होता है (टि० ६५); यथा—अतिमात्रम् (अ०) “मात्रा से बढ़ कर”;

अति-रात्र- (सं०) “जो रातों रात किया जाय, एक सोम-याग”; अत्यंहस- (वा० सं०) “दुःख से परे”; अत्यवि- (ऋ०) “ऊन के वस्त्र को पार करने वाला”; अतिमृत्यु (छा० उप०) “मृत्यु से परे” । ऐसे समासों को पूर्वपद-प्रधान मानते हैं (दे० अनु० १९१) ।

प्र निपात “गत” के अर्थ में समास के पूर्वपद में प्रयुक्त होता है (टि० ६५); यथा—प्रपितामह- (सं०) “परदादा”; प्र-णपात्- (ऋ०) “परपोता”; प्राचार्य- (आप० धं० सू०) “आचार्य का आचार्य” ।

पदकार तथा वार्तिककार आदि इव के साथ भी पूर्ववर्ती रूप का समास मानते हैं, परन्तु इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि रूपरचना तथा स्वर में इससे कोई विकार नहीं आता है^{१५}; यथा—सुदुघामिव (ऋ० १, ४, १) “अच्छा दूध देने वाली गाय की तरह” ।

प्र इत्यादि अव्यय का अव्यय के साथ भी समास मिलता है^{१६}; यथा—प्रम्र (सं०) । पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार, यह द्विरुक्तसमास है (दे० अनु० १९२) ।

क्रियावाचक शब्दों के साथ उपसर्गों तथा गतिसंज्ञक शब्दों के समास के पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं और बहुत से उदाहरणों में एक क्रियावाचक शब्द के साथ अनेक उपसर्गों का समास मिलता है । कुछेक प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं—

नि-र्हित- “स्थापित किया हुआ”; पुरोर्हित- (ऋ०) “सामने स्थापित किया हुआ”; प्रणी त्तः (ऋ०) “नेतृत्व”; परा-भूत- (शत० ब्रा०) “उत्त हुआ”; अनुनिर्वाण्यः (तै० सं०) “बखेरने के लिये निकाले जाने के योग्य”; तिरोर्हित- (ऋ०) “छिपाया हुआ”; अन्तुर्याम- “अन्दर से रोकना” । तिउन्त पद (आख्यात) के साथ उपसर्ग का समास प्रायेण तभी होता है जब तिउन्त पद पर उदात्त हो, परन्तु एक से अधिक उपसर्गों का समास अनुदात्त आख्यात के साथ भी हो जाता है^{१७}; यथा—उप-यायः (ऋ० १, ३४, ९) “द्वम दोनों पास आते हो”; नि-पीर्दयः (ऋ० ८, ९, २१) “तुम दोनों चैठते हो”; अति-रोर्हित (ऋ० १०, १०, २) “धियास को प्राप्त होता है”; परिप्रयाय (ऋ० ४, ५१, ५)

“तुम सब चारों ओर वड़ते हो”; अनुसंप्रयाहि (अ० ११, १, ३६) “उन के पीछे मिल कर जावो।”

१८९. समासान्त—अङ्गुलि का अङ्गुल—जिस द्विगु समास के अन्त में अङ्गुलि शब्द और पूर्वपद में कोई संख्यावाचक शब्द आए उस के अङ्गुलि का अङ्गुल (पा० अच् प्रत्यय) हो जाता है^{१९}; यथा—दशङ्गुलम् (ऋ०)।

रात्रि का रात्र—कर्मधारय में सर्व, महा—इत्यादि से परे और एकदेशि-समास (अनु० १८३) द्विगु तथा प्रादिसमास (अनु० १८८) के अन्त में आने वाले रात्रि शब्द का रात्र (पा० अच् प्रत्यय) बन जाता है^{२०}; यथा—सर्वरात्र—(का० श्रौ० सू०) “सारी रात”; महारात्र—(ब्रा०, श्रौ० सू०) “आधी रात”; अपर-रात्र: “रात्रि का पिछला भाग”; पूर्व-रात्र—(ऐ० ब्रा०) “रात्रि का पूर्व भाग”; द्वि-रात्र—(अ०) “दो रात तक”; अति-रात्र—(सं०) “जो रातों-रात किया जाय, एक सोमयाग।”

अह्न का अह्न—कर्मधारय में सर्व से परे और एकदेशिसमास तथा प्रादि-समास के अन्त में आने वाले अह्न शब्द का अह्न बन जाता है^{२१}; यथा—सर्वाह्न—पुं० (मै० सं०) “सारा दिन”; पूर्वाह्न—पुं० (ऋ० इत्यादि) “दिन का पूर्व भाग (दोपहर से पहले)”; प्राह्न—पुं० (ष० ब्रा०) “प्रातः”।

अह्न का अह—उपर्युक्त उदाहरण से भिन्न कर्मधारय में यथा एक, पुण्य, भद्र इत्यादि से परे और समाहारद्विगु के अन्त में आने वाले अह्न का अह (पा० टच् प्रत्यय) बनता है^{२२}; यथा—एकाह—पुं० “एक दिन, सोम-यागविशेष”; पुण्याह—पुं० (ब्रा०, श्रौ०, ग० सू०) “शुभ दिन”; मद्राहम् (अ०) “शुभ दिन”; पद्दह—पुं० (अ०, तै० सं०) “छः दिन, सोमयाग-विशेष”; द्व्यह—पुं० (शत० ब्रा०, श्रौ० सू०) “दो दिन, यागविशेष”।

राजन् का राज और सखि का सख—तत्पुरुष के अन्त में आने वाले राजन् का राज और सखि का सख (पा० टच् प्रत्यय) बनता है (टि० ७२); यथा—महाराज—(ब्रा०, श्रौ० सू०) “बड़ा राजा”; देव-राज—(तै० ब्रा०) “देवताओं का राजा”; कृत्वासखः (पपा० कृवऽसखः, ऋ० ५,

३४,३) “बुरे पुरुष का मित्र”^३; देवसख (वा० सं० २३,४९) “हे देवताओं के मित्र ।”

गो का गव—तत्पुरुष के अन्त में आने वाले गो का गव (पा० टच् प्रत्यय) बन जाता है^४; यथा—पङ्गवम् “छः वैलों का समूह”; ब्रह्मगवी स्त्री० (अ०, शत० ब्रा०) “ब्राह्मण की गाय”; पुङ्गव (ला० श्रौ०) “साण्ड ।”

हलन्त शब्दों का अकारान्त में परिवर्तन—तत्पुरुष समासों के अन्त में आने वाले बहुत से हलन्त शब्द अकारान्त बन जाते हैं । कतिपय हलन्त शब्दों के अन्तिम व्यञ्जन का लोप हो जाता है और कतिपय हलन्त शब्दों के अन्तिम व्यञ्जन के पश्चात् अ जोड़ दिया जाता है^५; यथा—इयायुष- नपुं० (वा० सं०) “तिगुनी आयु”; पङ्चमम् “छः ऋचाओं का समूह”; महोक्ष- (शत० ब्रा०) “बड़ा साण्ड”; ब्रह्म-वर्चसम् (अ० इत्यादि) “ब्रह्म का तेज”; देव-कुर्मैभिः (ऋ० तृ० व०; देव-च्छन्दसम् (का० सं०) “देवताओं का छन्द ।”

बहुव्रीहि-समास

१९०. बहुव्रीहि का शाब्दिक अर्थ है “वह व्यक्ति जिस के पास बहुत व्रीहि (चावल) हैं” और तै० ब्रा० तथा आप० श्रौ० सू० में ‘बहुव्रीहियव-’ का प्रयोग भी मिलता है । कल्याणवाचक होने के हेतु से बहुव्रीहि उदाहरण इस समास की संज्ञा के लिये प्रयुक्त होने लगा । यह समास प्रायेण अन्यपदार्थप्रधान है^६ अर्थात् विशेषण के रूप में ही प्रयुक्त होता है । रूपरचना की दृष्टि से तत्पुरुष तथा बहुव्रीहि के बहुत से उदाहरण समान बनते हैं । केवल प्रसङ्ग तथा स्वर की सहायता से यह निर्णय किया जा सकता है कि इन दोनों में से कौन सा समास है; यथा राजपुत्र- “राजा का पुत्र” तत्पुरुष और राजवुत्र- “राजा जिस के पुत्र हैं” बहुव्रीहि समास है । इसी प्रकार सूर्यतेजस- “सूर्य का तेज” तत्पुरुष और सूर्यतेजस- “सूर्य के ममान जिस का तेज है” बहुव्रीहि समास है; इन्द्रशत्रु “इन्द्र का शत्रु (नाशक)” तत्पुरुष और इन्द्र-शत्रु- “इन्द्र जिस का शत्रु (नाशक) है” बहुव्रीहि समास है ।

(क) समानाधिकरणपदबहुव्रीहि— जिस बहुव्रीहि समास के दोनों पदों का अधिकरण^{५५} (अभिधेय) समान हो उसे समानाधिकरणपदबहुव्रीहि कहते हैं। विशेषण तथा चान्त शब्द बहुव्रीहिसमास के पूर्वपद में रक्खा जाता है^{५६}; यथा— उग्र-बाहुः (ऋ०) “जिस का बाहु उग्र है”; जीव-पुत्र— “जिस का पुत्र जीवित है”; रुद्रद्वत्सा (ऋ०) “जिस का वच्छा प्रकाशमान है”; हिरण्य-नेमि— “जिस की नेमि सोने की है”; द्वि-पद् “जिस के दो पांव हैं”; अष्टा-पद् “जिस के आठ पांव हैं”; शुक्र-वर्ण— “जिस का वर्ण चमकीला है”; हृत-मातृ— “जिस की माता मारी गई है”; रात-हविस्— “जिस के द्वारा हवि दी गई है”; प्रयत्न-दक्षिण— (ऋ०) “जिस के द्वारा दक्षिणा दी गई है”। कतिपय समासों में चान्त शब्द उत्तरपद में भी मिलता है^{५७}; यथा— गर-गीर्णः (अ० ५, १८, १३) “जिस ने विष निगल लिया है”^{५८}। अनेक बहुव्रीहि समासों के पूर्वपद में नाम मिलता है; यथा— सुरोदक— (अ०) “सुरा जिस का पानी है”; वृक्ष-केश— (अ०) “वृक्ष जिस के केश हैं”; इन्द्रज्येष्ठाः (ऋ०) “जिन (देवों) में इन्द्र ज्येष्ठ है”; यम-श्रेष्ठ— (अ०) “जिन (पितरों) में यम श्रेष्ठ है”; सोम-श्रेष्ठ— (अ०) “जिन में सोम श्रेष्ठ है”। कतिपय बहुव्रीहिसमासों के पूर्वपद में उपमानवाचक शब्द मिलता है और वार्तिककार के अनुसार उपमान तथा उपमेय के मध्य अर्थतः विद्यमान पद का लोप माना जाता है^{५९}; यथा— मनोजवस्— (ऋ०) “मन के वेग के सदृश जिस का वेग है”; सयूर-रोमन्— (ऋ०) “मोर के वालों के सदृश जिन के बाल हैं”; अग्नि-तेजस्— (अ०) “अग्नि के तेज के सदृश जिस का तेज है”; ऋक्ष-ग्रीव— (अ०) “रीछ की गर्दन के सदृश जिस की गर्दन है”।

पाणिनीय व्याकरण के अनुसार, प्रादि से परे आने वाले धातुज शब्द का अन्य पद के साथ बहुव्रीहि-समास होता है और धातुज शब्द का विकल्प ने लोप भी हो जाता है^{६०}। परिणाम-स्वरूप केवल प्रादि के साथ भी अन्य पद का बहुव्रीहि-समास मिलता है; यथा— वि-कृष्ण— (अ०) “जिस के कान दूर दूर हैं”; वि-ग्रीव— (ऋ०) “जिस की गर्दन विच्छिन्न है”; उद्गाहु— (शत० ब्रा०) “जिस के बाहु ऊपर उठे

हुए (उद्गत) हैं"; नि-मन्यु- (अ०) "जिस का क्रोध उतर गया है" । सु-पूर्ण- "जिस के पंख सुन्दर हैं"; दुष्पद् "जिस का पांव बुरा है" । कतिपय बहुव्रीहि-समासों के पूर्वपद में अन्य अव्यय भी मिलते हैं^५; यथा- पुरोरथ- (ऋ०) "जिस का रथ आगे (सामने) है"; इत्था-धी- "जिस की बुद्धि ऐसी है"; वहिलौम- (मै० सं०) "जिन के बाल बाहिर की ओर हैं"; और-शत्रु- (अ०) "जिस का शत्रु दूर है"; इह-चित्त- (अ०) "जिस का चित्त यहां पर है"; नीचा-व्याः (ऋ० १, ३२, ९) "जिस का बल नीचा है"; एवंरूप- (शत० द्रा०) "जिस का रूप ऐसा है" ।

कतिपय समासों के पूर्वपद में सह या स मिलता है^६; और ऐसा स प्रायेण 'समान' के अर्थ में आता है (अनु० १७७ ख, टि० ७.८) यथा— सह-वत्सा (ऋ०) "बछड़े सहित (भेजुः)"; सह-गोपाः (ऋ०) "गवाले सहित"; सह-पुरुष- (अ०) "पुरुषसहित"; सर्गणः (ऋ०) "गणसहित"; साङ्ग- (अ०) "अङ्गसहित"; सनाभिः (ऋ०) "जिस की नाभि समान है"; सर्वन्धू (ऋ०) "समान सम्यन्ध वाली दो स्त्रियां"; सर्वणाम् (ऋ०) "समान वर्ण वाली ।"

निषेधवाचक अव्यय न का आदेश क्ष या अन् (अनु० १८७, टि० ६१-६२) कतिपय बहुव्रीहि समासों के पूर्वपद में मिलता है^५; यथा— अफलाम् "फलरहित" तथा अपुष्पाम् "फूलरहित" (वाणी को) (ऋ० १०, ७१, ७) ; अजानि- (अ०) "पत्नीरहित"; अनुदक- (ऋ०) "जलरहित"; अनुपत्य- (ऋ०) "सन्तानरहित ।"

- (ख) व्यधिकरणपदबहुव्रीहि—जिस बहुव्रीहि-समास के दोनों पदों का अधिकरण (अभिधेय) भिन्न हो उसे व्यधिकरणपदबहुव्रीहि कहते हैं । वैदिक भाषा में इस के बहुत से उदाहरण मिलते हैं और अनेक उदाहरणों में पूर्वपद की विभक्ति का अलुक् रहता है; यथा— धिया-वसुः (ऋ०) "जो बुद्धि (या प्रार्थना) से धनी है"; भासा-कैतु- (ऋ०) "जो प्रकाश के द्वारा ज्ञेय है"; कर्त्वा-मघासः (ऋ० ५, ३३, ९) "बुद्धि के द्वारा प्राप्त पुरस्कार रूपी (अश्व)"; चर्म-वाहुः (ऋ०) "जिस की वाहु

में वज्र है (या वज्रयुक्त है)”, पात्र-हस्त- (अ०) “जिस के हाथ में पात्र है (या पात्रयुक्त है)”; मणि-ग्रीवम् (ऋ० १, १२२, १४) “जिस की गर्दन में मणि है (या मणियुक्त है)”; घृत-पृष्ठ- (ऋ०, अ०) “जिस की पीठ पर घी है (या घृतयुक्त है)”; मधु-जिह्व- (ऋ०, वा० सं०) “जिस की जिह्वा पर मधु है (या मधुयुक्त है)”; अश्रु-मुख- (अ०) “जिस के मुख पर अश्रु है (या अश्रुयुक्त है)”; द्वि-योनि- (ऋ०) “जिस का उत्पत्तिस्थान द्युलोक में है”; अणु-योनि- (शत० ब्रा०) “जिस का उत्पत्तिस्थान जलों में है”; दूरे-गन्व्यूती (अ० ४; २८, ३) “जिन दोनों का संवरण-क्षेत्र दूर है”; आसन्निधून् (ऋ० १, ८४, १६) “जिन के मुख में तीर हैं उन्हें ।”

(ग) समासान्त—गो का गु तथा रै का रि—बहुव्रीहिसमास के अन्त में आने वाले गो शब्द का गु बन जाता है^६; यथा—सुगु- (ऋ०, अ०, तै० ब्रा०) “अच्छी गायों वाला”; परन्तु ऋ० १, ११६, २५ में सुगवः “अच्छी गायों वाला” तथा संग्रवे स० ए० (ऋ०, अ०, ब्रा०, श्रौ० सू०) “गायें एकत्र करने के समय पर” प्रयोग भी मिलते हैं (तत्पुरुष में गव- के लिये दे० टि० ७४) । इसी प्रकार बहुव्रीहि के अन्त में आने वाले रै “धन” का रि आदेश दृष्टिगोचर होता है; यथा—बृहद्रथे च० ए० (ऋ० १, ५७, १) “विशाल धन वाले (इन्द्र) के लिये” (टि० ८६) ।

इकारान्त शब्दों का अकारान्त में परिवर्तन—बहुव्रीहि-समास के अन्त में अनेक इकारान्त शब्दों का अकारान्त में परिवर्तन हो जाता है । ऐसे कुछ प्रमुख शब्द सक्थि, भक्षि, भस्थि, भस्त्रि इत्यादि हैं^७; जिन के वैदिक उदाहरण उपलब्ध होते हैं; यथा—लोमश-सक्थि- (वा० सं०) “लोमयुक्त जङ्घन वाला”; सहस्राच- (सं०) “सहस्र आंखों वाला”; अनुस्थ- (ऋ०, अ०) “अस्थिरहित”; चतुरस्र- (का० श्रौ० सू०) “चार कोनों वाला” । परन्तु वैदिक वाङ्मय में इन के अनेक अपवाद भी मिलते हैं ।

नेत् का नेत्र—बहुव्रीहि समास के अन्त में आने वाले नेत् शब्द का

कतिपय वैदिक प्रयोगों में नेत्र वन जाता है^८; यथा—अग्नि-नेत्राः (वा० सं०, तै० सं०) “जिन (देवों) का नेता अग्नि है ।”

हलन्त शब्दों का अकारान्त में परिवर्तन—बहुव्रीहि समास के अन्त में आने वाले कतिपय हलन्त शब्द अकारान्त में परिणत हो जाते हैं^९; और ऐसे कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं—बृहिलोम- (मै० सं०) “जिस के बाल बाहिर की ओर हैं”; सु-दिव- (अ०) “जिस के लिये अच्छा दिन है”; अनाग- (ऋ०) “पाप (भागस) रहित”; परन्तु अनागस का प्रयोग अधिक है ।

प्राचीनतर वैकल्पिक प्रातिपदिक का प्रयोग—हम चतुर्थ अध्याय में इस बात पर विचार कर चुके हैं कि वैदिक भाषा में समान अर्थ वाले अनेक ऐसे प्रातिपदिक मिलते हैं जो कहीं-कहीं एक दूसरे के पूरक भी हैं और जिन के रूप में विशेष सादृश्य भी है । भाषा के इतिहास की दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि इन वैकल्पिक प्रातिपदिकों में हलन्त प्रातिपदिक प्रायेण प्राचीनतर हैं (दे० अनु० १३६) । जहाँ अनेक वैकल्पिक प्रातिपदिक उपलब्ध होते हैं वहाँ प्रायेण प्राचीनतर प्रातिपदिक बहुव्रीहि के अन्त में मिलता है । उदाहरणार्थ धर्मन् और धर्म प्रातिपदिकों में से केवल धर्मन् प्रातिपदिक जो प्राचीनतर है बहुव्रीहि के अन्त में मिलता है; यथा—सत्यधर्मन्- (सं०) “जिस के धर्म सत्य हैं” । उत्तरकालीन प्रातिपदिकों के आधार पर ऐसे समासों का समाधान करते हुए पाणिनि उत्तरकालीन प्रातिपदिक में कोई आदेशज विकार मानता है अथवा किसी समासान्त प्रत्यय का विधान करता है; यथा—धर्मशब्दान्त बहुव्रीहि के लिये पाणिनि अनिव समासान्त प्रत्यय का विधान करता है^{१०} । इस प्रकार के अन्य प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं—

ऊधस् = ऊधन्—रुपादूधभिः (ऋ० २, ३४, ५) “जिन का आपीन पूर्ण है उन के साथ”; अस्त्रिद्रोघ्नी (ऋ० १०, १३३, ७) “जिस का आपीन छिद्र (या दोष) रहित है” ।

जानु = छु—असित-शु- (अ०) “काले घुटने वाला”; मित-शु- (ऋ०) “दृढ घुटनों वाला” ।

जाया = जानि^{१३}—प्राचीनतर वैदिक प्रातिपदिक जनि है और उस में अकार के दीर्घत्व के कारण जानि बनता है; यथा—युच-जानिः (ऋ० ८, २, १९) “जिस की जाया युवति है”; अजानि- (अ०) “जो जायारहित है।”

दन्त = दन्त् (पा० दत्)^{१४}—शुचि-दन् प्रथ० ए० (ऋ०) “चमकते हुए दांतों वाला (अग्नि)।”

धनुष् = धन्वन्^{१५}—शत-धन्वन्- (वा० सं०) “सौ धनुषों वाला”; अश्वल-धन्वन्- (अ०) “दुर्बल धनुष वाला।”

पाद = पाद्, पद्^{१६}—अपाद्- (सं०, ब्रा०) “पांव रहित”; सहस्र-पाद्- (सं०) “सहस्र पांवों वाला”; उत्तान-पद्- (ऋ०) “जिस के पांव फैले हुए हैं।”

प्रजा = प्रजस्^{१७}—सु-प्रजस्- (ऋ०) “अच्छी सन्तान वाला”; बहु-प्रजस्- (ऋ०) “बहुत सन्तान वाला।”

मेधा = मेधस् (टि० ९७)—सु-मेधस्- (ऋ०) “अच्छी बुद्धि वाला”; पुरु-मेधस्- (सा०) “बहुत बुद्धि वाला।”

शिरस् = शीर्षन्^{१८}—सहस्र-शीर्षन्- (ऋ०) “सहस्र सिरों वाला”; त्रि-शीर्षन्- (सं०, ब्रा०) “तीन सिरों वाला।”

क (पा० कप्) समासान्त प्रत्यय—बहुव्रीहि के अन्त में आने वाले कतिपय हलन्त तथा अजन्त प्रातिपदिकों के पश्चात् क (पा० कप्) समासान्त प्रत्यय जोड़ा जाता है; यथा—अपादक- (तै० सं०) “पांव-रहित”; सहस्रकण्ठिका स्त्री० (अ०) “जो कण्ठ से युक्त है”; विमन्युक- (अ०) “क्रोध-रहित”; अकृर्णक- (तै० सं०) “कान रहित”; अनृक्षिक- (तै० सं०) “आंख-रहित”; अचलन्दस्क- (मै० सं०) “छन्द रहित” बहुवृत्तिका स्त्री० (तै० ब्रा०) “बहुत से हाथियों वाली”; पुण्यलक्ष्मीक- (शत० ब्रा०) “शुभ लक्षणों वाला”; शत-तन्त्रीक- (पं० ब्रा०) “सौ तार वाला।” यद्यपि कल्पसूत्रों की भाषा में ऋकारान्त प्रातिपदिकों के पश्चात् कप् प्रत्यय के उदाहरण

मिलते हैं यथा—अमातृक- (आप० सू०) “माता रहित” और जीव-पितृक- (का० श्रौ० सू०) “जिस का पिता जीवित है”; तथापि संहिताओं में ऋकारान्त प्रातिपदिक के पश्चात् कप् प्रत्यय नहीं आता है^{१००}; यथा—सुप्त-स्वप्- (ऋ०) “सात बहिर्नों वाला”; हुत मातृ- (अ०) “जिस की माता मारी गई है ।”

पूर्वपदप्रधान-समास

१९१. पाश्चात्य विद्वान् Governing Compound के नाम से पूर्वपदप्रधान-समास का पृथक् वर्णन करते हैं और पूर्वपद के रूप के अनुसार इस समास के दो मुख्य उपभेद करते हैं— (1) Prepositional Compounds (अव्ययप्रधान समास), और (2) Participial Compounds (शत्रन्तप्रधान समास)^{१०१} । पाणिनीय व्याकरण के अनुसार, अव्ययीभावसमास और प्रादिसमास में अव्ययप्रधान-समासों (Prepositional Compounds) का समावेश किया जा सकता है और शत्रन्तप्रधान-समास को तत्पुरुष का एक भेद माना जा सकता है । प्रादिसमासों में आने वाले पूर्वपदप्रधान-समास अतिमात्रम् (अ०) “मात्रा से बढ़ कर” इत्यादि का विवेचन पहले किया जा चुका है (दे० अनु० १८८) । अतएव यहाँ पर केवल अव्ययीभावसमास और शत्रन्त-प्रधानसमास का वर्णन किया जायगा ।

(क) अव्ययीभाव समास—जैसा कि हम ने अभी स्पष्ट किया है पूर्वपद-प्रधान अव्ययीभाव समास में पूर्वपद कोई अव्यय होता है और समास में उसी के वर्ध की प्रधानता रहती है । पूर्वपद में आने वाले अव्यय कहीं किसी विभक्ति के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं और कहीं सामीप्य, सादृश्य, आनुपूर्व्य, इत्यादि अर्थों को प्रकट करते हैं^{१०२}, । वाक्य में अव्ययीभाव-समास का प्रयोग प्रायण अव्यय की भाँति होता है^{१०३} । अव्ययीभाव-समास के कतिपय प्रमुख वैदिक उदाहरण निम्नलिखित हैं—अधिरथम् “रथ पर”; अनुकामम् “इच्छा के अनुसार”; पुरोक्षम् (अ०, शत० द्वा०) “आँगों से परे”; अत्रियुजम् “यज्ञ में”; अध्यात्मम् (शत०

ब्रा०) “आत्मा में”; घृहिपुत्रिभि (तै० सं०, शत० ब्रा०) “घरे से बाहिर”; भ्रान्युपम् (अ० ४,५,७) “उषा-काल तक”; आजुर-सम् (शत० ब्रा०, ऐ० ब्रा०) “बुढ़ापे तक”; यथा-स्थानम् (तै० सं०) “अपने स्थान के अनुसार” ।

(ख) शत्रन्तप्रधान-समास- इस समास के उदाहरण मुख्यतया ऋ० में मिलते हैं । इस की विशेषता यह है कि पूर्वपद में सकर्मक धातु का शत्रन्त रूप आता है और उत्तरपद में कर्मवाचक पद होता है; यथा—
 यातयज्जन- “लोगों को प्रेरित या एकत्र करता हुआ”; धारयत्क्षिति- “प्रजा को धारण करता हुआ”; चारयत्कवि- “ऋषियों को धारण करता हुआ”; मन्दयत्सखम् (ऋ० १,४,७) “मित्रों को मुदित करते हुए को”; ऋधद्वार- “वरणीय वस्तुओं (घार) को बढ़ाता हुआ (ऋधत्)”; तरद्-द्वेषाः (ऋ० १,१००,३) “शत्रुओं को पार करता हुआ”; चर्यद्-वीर- “मनुष्यों पर शासन करता हुआ”; आभरद्-वसुः (ऋ० ५,७९,३) “धन लाती हुई (उषा)”; विदद्-सु- “धन को पाता हुआ”; द्राव्यत्सखम् (ऋ० १०,३९,१०) “मित्र को दूर भगाता हुआ”; मंहयद्द्वेषिः “धन देता हुआ”; मन्दद्वार- “मनुष्यों को मुदित करता हुआ” । ऋग्वेदभाष्य में सायण शत्रन्त-प्रधान समासों को अधिकतर बहुव्रीहि मानता है और कहीं कहीं तत्पुरुष^७ मान कर भी व्याख्यान करता है । परन्तु ऐसे समासों को बहुव्रीहि मानने से इन के अर्थ में खींचा-तानी करनी पड़ती है । मेरे मतानुसार, शत्रन्तप्रधान-समास तत्पुरुष का ही एक भेद है और इस के अन्त में द्वितीयान्त पद उसी प्रकार आता है जिस प्रकार पा० २,२,४ “प्राप्तापन्ने च द्वितीयया” के द्वारा प्राप्तजीविकः इत्यादि के अन्त में द्वितीयान्त पद आता है । और मन्दयत्सखम् इत्यादि में तत्पुरुष का समासान्त प्रत्यय आता है (दे० अनु० १८९) । इस समास के पूर्वपद पर प्रकृतिस्वर रहता है, परन्तु उस के लिये कोई पाणिनीय सूत्र मुझे नहीं मज्ञा है (दे० टि० १०४) ।

द्विरुक्त-समास

१९२. द्विरुक्त-समास में एक ही पद को दो बार बोला जाता है । 'अत्यधिक', 'नित्य' 'प्रत्येक' या 'बार बार' के अर्थ को प्रकट करने के लिये द्विरुक्त का प्रयोग किया जाता है । वा० प्रा० में द्विरुक्त के लिये आन्नेद्धित संज्ञा का प्रयोग किया गया है^{१०५} । परन्तु पाणिनि द्विरुक्त के उत्तर पद के लिये आन्नेद्धित संज्ञा का व्यवहार करता है और उसे अनुदात्त मानता है^{१०६} । यद्यपि पाणिनि द्विरुक्त को समास नहीं मानता, तथापि स्वर के विषय में विचार करते हुए वह स्वीकार करता है कि कतिपय द्विरुक्तों का स्वर बहुव्रीहि के तुल्य, कहीं कर्मधारय के तुल्य, और शेष द्विरुक्तों के पूर्वपद पर उदात्त रहता है^{१०७} । पद-पाठ में समास की भांति द्विरुक्त के दोनों पदों के मध्य अवग्रह दिखलाया जाता है । वैदिकभाषा में नाम, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय तथा संख्यावाचक शब्दों के द्विरुक्त उपलब्ध होते हैं और आख्यात के द्विरुक्त के उदाहरण अति विरल हैं । द्विरुक्तों के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं—

नामों का द्विरुक्त—अहरहः, दिवे-दिवे, घर्वि-घवि "प्रत्येक दिन"; गृहे-गृहे, दमे-दमे, विशे-विशे "प्रत्येक घर में"; पर्वणि-पर्वणि "प्रत्येक जोड़ में"; अज्ञादज्ञात् (ऋ० १०, १६३, ६) "प्रत्येक अज्ञ से"; दिशोदिशः (अ०) "प्रत्येक दिशा से"; शत्रोःशत्रोः "प्रत्येक शत्रु से"; यज्ञस्य यज्ञस्य (ऋ० १०, १, ५) "प्रत्येक यज्ञ का"; अग्निर्मग्निम् (ऋ० ६, १५, ६) "बार बार अग्नि को" अन्नमन्नम् (अ०) "अन्न को बार बार ।"

सर्वनामों का द्विरुक्त—त्वंत्वंमहर्षथाः (ऋ० १०, १६, ५) "तुम ने नित्य चाहा"; यद्यद्याग्निं (ऋ० ८, ६१, ६) "जो जो मैं मांगता हूँ"; तत्सदुप्रिर्वयो दधे (ऋ० ८, ३९, ४) "अग्नि उस उस अन्न को प्रदान करता है"; वृयव्ययम् (ऋ० १०, २२, १२) "हम नित्य... ।"

विशेषणों का द्विरुक्त—प्रियग्प्रियम् (ऋ० ६, १५, ६) "अत्यधिक प्रिय को"; पन्त्यग्न्यम् (ऋ० ८, २, २५) "बार बार या नित्य स्तुति करने योग्य"; प्राचीग्राची प्रदिशम् (अ० १२, ३, ७) "नित्य

पूर्व दिशा में"; उत्तरामुत्तरां समां (अ० १२, १, ३३) "प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में ।"

अद्ययों का द्विरुक्त—यथा-यथा "जैसे जैसे"; अद्यार्थ "प्रतिदिन"; श्वःश्वः "प्रत्येक आगामी दिन में"; प्रप्र...शस्यते (ऋ० १, १३८, १) "नित्य स्तुति की जाती है" (दे० अनु० १८८, टि० ६७) उप, परां, सम् तथा उच् का द्विरुक्त भी मिलता है ।

संख्यावाचक शब्दों का द्विरुक्त—पञ्च-पञ्च "पांच पांच"; सप्त-सप्त "सात सात"; एकैकम् (तै० सं०, अ०) "एक एक करके"; एकैकः (ऋ०) "प्रत्येक ।"

आख्यातों का द्विरुक्त—पिय-पिव (ऋ० २, ११, ११) "बार बार पान करो"; यजस्व-यजस्व (शत० ब्रा०) "बार बार यज्ञ करो ।"

अव्यवस्थित-समास

१९३. जिन समासों के लिये कोई निश्चित लक्षण नहीं दिया जा सकता, उन का वर्णन इस श्रेणी में किया जायगा । पाणिनीय व्याकरण के अनुसार, इस प्रकार के अव्यवस्थित समासों का समावेश तत्पुरुष में किया जा सकता है^{१०८} । कतिपय प्रमुख वैदिक उदाहरण निम्नलिखित हैं—

याच्छ्रेष्ठाभिः (ऋ० ३, ५३, २१) "जो सब से श्रेष्ठ (रक्षाएं) हैं उन के द्वारा"; यात्रार्थम् (ऋ० २, ३८, ८) "जहां तक हो सके उतना शीघ्र"; इतिहासः (शत० ब्रा०) "प्राचीन कथा (शाब्दिक-इति 'ऐसा' ह 'निश्चय से' भास 'हुथा था')"; अहुमुत्तर- (अ०) "प्रति-स्पर्धा अर्थात् वह कर्म जिस में प्रत्येक चाहता है कि मैं उच्चतर रहूं"; अहुम्पूर्वः (ऋ० १, १८१, ३) "जो प्रथम रहने का इच्छुक है"; काचित्करम् (ऋ० १०, ८१, १३) "कुछ करने वाले को"; क्तिन्वः (वा० सं० २०, ३८) "जो तिरस्कारपूर्वक कहता है 'तू क्या है'"; मम-सस्येषु (ऋ० १०, ४२, ४) "संग्रामों में (जिन में लोग कहते हैं कि यह धन निश्चय से मेरा ही है)"; ये-यजामहाः (वा० सं०)

प्रधानोऽन्ययीभावः । यथा अनु रूपम् । उत्तरपदप्रधानस्तत्पुरुषः । यथा
अधशंसः... । उभयपदप्रधानो द्वन्द्वः । यथा...मित्रावरुंगौ । अन्य-
पदप्रधानो बहुव्रीहिः । यथा अनमीचाः... ।”

१०. पा० २,१,४—“सह सुपा” पर महाभाष्य—“एवं तर्हि सिद्धे सति
यत्सहग्रहणं करोति । तस्यैतत्प्रयोजनम् । योगाङ्ग यथा विशायेत, सति
च योगाङ्गे योगविभागः करिष्यते—‘सह’ । सुप् च समस्यते । केन सह ?
समर्थेन । अनुव्यचलद् अनुप्राविशात् । ततः ‘सुपा’ सुपा च सह सुप्सम-
स्यते । अधिकारश्च लक्षणं च । यस्य समासस्यान्यलक्षणं नास्ति इदं
तस्य लक्षणं भविष्यति । ‘पुनस्तस्यूतं वासो देयम्’, ‘पुनर्निष्कृतो रथः’ ॥
पा० २,१,४ पर काशि०—“सहग्रहणं योगविभागार्थं तिङ्मापि सह यथा
स्यात् । अनुव्यचलत् । अनुप्रावर्षत्” ॥

पा० २,१,४ पर सि० कौ०—“सह इति योगो विभज्यते । सुबन्तं
समर्थेन सह समस्यते । योगविभागस्येष्टसिद्धयर्थत्वात् कतिपयतिङन्तोत्तर-
पदोऽयं समासः । स च छन्दस्येव । पर्यभूषयत् । अनुव्यचलत् ।
‘सुपा’ । सुप्सुपा सह समस्यते ॥”

११. सि० कौ० का ‘सर्वसमासशेषप्रकरणम्’—“समासश्चतुर्विध इति तु
प्रायोवादः । अव्ययीभावतत्पुरुषबहुव्रीहिविद्वन्धाधिकारबहिर्भूतानामपि ‘सह
सुपा’ (पा० २,१,४) इति समासविधानात् । पूर्वपदार्थप्रधानोऽव्ययीभावः,
उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषः, अन्यपदार्थप्रधानो बहुव्रीहिः, उभयपदार्थ-
प्रधानो द्वन्द्वः, इत्यपि प्राचां वादः प्रायोऽभिप्रायः । सूपप्रति उन्मत्तगङ्गम्
इत्यव्ययीभावे, अतिमालादौ तत्पुरुषे, द्वित्राः इत्यादिवहुव्रीहौ, दन्तोष्टम्
इत्यादिवद्वन्द्वे चाभावात् । तत्पुरुषविशेषः कर्मधारयः । तद्विशेषो द्वियुः ।
अनेकभदत्वं द्वन्द्वबहुव्रीह्योरेव । तत्पुरुषस्य क्वचिदेवेत्युक्तम् । किं च—

सुपां सुपा तिङ्ग नाम्ना धात्वनाऽथ तिङ्गं तिङ्ग ।

सुशन्तेनेति विज्ञेयः समासः पद्विधो वुधैः ॥”

१२. Alt. Gr. II, I, pp. 142 ff.; Ved. Gr., pp. 154 ff.; Skt.
Gr., pp. 480 ff.; Gr. Lg Ved., pp. 123 ff.

१३. पा० २,४,२६—परवत्सिद्धं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः ॥

१४. पा० २,४,२८—हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च छन्दसि ॥
१५. पा० २,४,२९—रात्रात्ताहाः पुंसि ॥
१६. पा० २,४,२५—विभाषा सेनासुराच्छायाशालानिशनानाम् ॥
१७. पा० २,४,१७-१८—स नपुंसकम् । अव्ययीभावश्च ॥ २,४,१-२—द्विगु-
रेकवचनम् । द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाज्ञानाम् ॥ पा० २,४,१७ पर वार्तिक
(काशि०) “अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः रित्रयां भाष्यते” के अनुसार, जिस
द्विगु समास के उत्तरपद में अकारान्त शब्द हो उस का रूप स्त्री० में
बनता है । परन्तु ऐसे रूप का वैदिक उदाहरण मुझे नहीं मिला है ।
१८. पा० ६,३,३४-४२ ॥
१९. अ० प्रा० ४,४९; वा० प्रा० २,४८.५५; ३,१२८; ५,२८.
२०. पा० २,२,२९—चार्थे द्वन्द्वः ॥
२१. यद्यपि पा० ६,३,२६.२९.३०.३१.३३—“देवताद्वन्द्वे च । दिवो चावा ।
दिवसश्च पृथिव्याम् । उपासोपसः । पितरामातरा च छन्दसि ।” के
अनुसार ऐसे समासों में पूर्वपद को आनङ् आदि आदेश होता है और
ऐसा था विभक्ति-प्रत्यय नहीं है, तथापि इन की रूप-रचना पर ध्यान
देने से पाश्चात्य विद्वानों के इस मत की पुष्टि होती है कि पूर्वपद का
अन्तिम आ वास्तव में प्रथ० द्विती० द्वि० विभक्ति का प्राचीन रूप है ।
वा० प्रा० ३,१२८ “पूर्वो द्वन्द्वेष्वायुषु” देवताद्वन्द्व समासों के पूर्वपद के
अन्तिम स्वर को दीर्घ मानता है ।
२२. पा० ६,३,२५—आनङ् ऋतो द्वन्द्वे ॥ इस सूत्र के द्वारा पाणिनि पूर्वपद
के अन्त में आ (आनङ्) आदेश करता है और व्याख्यान के अनुसार
विधावाचक तथा योनिवाचक ऋकारान्त शब्दों के द्वन्द्व में पूर्वपद को ऐसा
आनङ् आदेश होता है ।
२३. पाणिनीय व्याकरण में ऐसे रूपों को एकशेष कहते हैं, यद्यपि इन्हें समास
तो नहीं माना जा सकता । पाणिनि के निम्नलिखित सूत्र इस सम्बन्ध में
द्रष्टव्य हैं— पा० १, २, ६४-७३; विशेषतः— १,२,६८.७०.७१—
आत्पुत्रौ स्वसदुहितृभ्याम् । पिता मात्रा । स्वश्वरः स्वश्रवा ॥

“ये यजामहे” से प्रारम्भ होने वाले मन्त्र”; मास्पुश्य—(अ०) “एक पौदे का नाम (प्रिय के प्रेम को पाने की इच्छुक स्त्री ‘मास्पुश्य’ ‘मुझे देखो’ कह कर इस पौदे से कुछ आर्घवर्ण कर्म करती है) ।”

टिप्पणियां

१. ऋ० प्रा० ९, १-२४, २७, ४६; तै० प्रा० ३, १-७; वा० प्रा० ३, ९८, १०२, १०३, १०५, १०६; अ० प्रा० ३, १-३, ९-१२, २३-२४; पा० ६, ३, ११४-१३१ ।
२. पा० ६, ३, १०९—पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् ॥
३. ऋ० १०, ७१, ७ में आने वाले आदुघ्नासः के व्याख्यान में सायण आ को आस्य का आदेश मानते हुए कहता है—“आस्यशब्दस्य पृषोदरादित्वादाकारादेशः ।” परन्तु पाश्चात्य विद्वान् इस में आस् तथा दघ्न का समास मानते हैं; दे० WZR., s. v.; MWD., s. v.; Alt. Gr. III, p. 57; Ved. Gr., p. 146; Gr. Lg. Ved., pp. 105, 116; अनु० १२२ख ।
४. पा० ६, ३, ५७-६०—उदकस्योदः संज्ञायाम् । पेपंवासवाहनधिषु च । एकह्लादौ पूरयितव्येऽन्यतरस्याम् । मन्थौदनसक्तुविन्दुवज्रभारहारवीवधगाहेषु च ॥ पाणिनि उदक के स्थान पर उद (अकारान्त) आदेश करता है । परन्तु उदन् प्रातिपदिक के रूपों के लिये देखिये अनु० १३०ग ।
५. अनेक पाश्चात्य विद्वान् मुहा, मर्हि, मह तथा महत् को पृथक् प्रातिपदिक मानते हैं और ऋ० २, २२, १; २, २४, ११; तथा ३, ४९, १ के मुहाम् पद को सायण के अनुसार ही महान्तम् के अर्थ में अर्थात् मुहा का द्विती० ए० मानते हैं; दे० MWD., s. v.; Skt. Gr., p. 128; Ved. Gr., p. 146 f. n. 9; Alt. Gr. II, 1, p. 58; WZR., s. v.

परन्तु पाणिनि ६, ३, ४६ “आन्महत्तः समानाधिकरणजातीययोः” के अनुसार, समानाधिकरण उत्तरपद से पूर्व महत् को महा आदेश हो जाता है।

६. Alt. Gr. II, I, pp. 73 ff.; Ved. Gr. p., 148; Gr., Lg. Ved., p. 118.

७. पा० ६, ३, ७८-८२—सहस्र सः संज्ञायाम् । ग्रन्थान्ताधिके च । द्वितीये चानुपाख्ये । अन्ययीभावे चाकाले । वीपसर्जनरथ ॥ पा० ६, ३, ७८ पर काशि० “सादेश उदात्तो निपात्यते ।”

८. पा० ६, ३, ८४-८९—समानस्य छन्दस्यमूर्धप्रमृत्युदकेषु । ज्योतिर्जनपद-
रात्रिनाभिनामगोत्ररूपस्थानवर्णवयोवचनबन्धुषु । चरणे ब्रह्मचारिणि । तीर्थे
ये । विभापोदरे । दृग्दशवत्तुषु ॥

९. पा० २, १, ६; २, १, २०; तथा २, १, ४९ पर महाभाष्य— “इह कश्चि-
त्समासः पूर्वपदार्थप्रधानः । कश्चिदुत्तरपदार्थप्रधानः । कश्चिदन्यपदार्थ-
प्रधानः । कश्चिदुभयपदार्थप्रधानः । पूर्वपदार्थप्रधानोऽन्ययीभावः ।
उत्तरपदार्थप्रधानरत्तत्पुरुषः । अन्यपदार्थप्रधानो बहुव्रीहिः । उभयपदार्थ-
प्रधानो द्वन्द्वः ।” पा० २, १, ६ के महाभाष्य के व्याख्यान में कैयट
कहता है— “अन्यतमप्राधान्यसम्भवे अन्वर्थसंज्ञाविज्ञानात् पूर्वपदार्थ-
प्राधान्य एवाव्ययीभावसंज्ञा भवति । वचनसामर्थ्यात्तु पूर्वपदार्थ-
प्राधान्यासम्भवेऽपि सूत्रप्रति उन्मत्तगङ्गमित्यादौ प्रवर्तत एव ।”

पा० १, २, ५७ पर काशि०— “अन्यदप्येवंजातीयकमशिष्यमिति । तथा
च पूर्वाचार्याः परिभाषन्ते मत्वर्थे बहुव्रीहिः, पूर्वपदार्थप्रधानोऽन्ययीभावः,
उभयपदार्थप्रधानो द्वन्द्व इत्येवमादि, तदशिष्यमिति ।” कात्यायन ने
समास के चार भेद माने हैं । अतएव वा० प्रा० १, २७ में कहा गया
है— “तिङ्कृतद्धितचतुष्टयसमासाः शब्दमयम् ।”

वा० प्रा० ५, १ के भाष्य में उवट समास की परिभाषा तथा समास-भेद
का विवेचन करते हुए कहता है— “द्वयोः पदयोर्वहूनां वा परस्परार्कोक्षया
सम्बद्धानां यत्र द्वित्र्यादिपदसमूहोच्चारणं स समासः । स च समासश्चतुः-
प्रकारो भवति । यथाव्ययीभावतत्पुरुषद्वन्द्वबहुव्रीहयः । तत्र पूर्वपद-

२४. ऋ० १०, १४, ८ के इष्टापूर्तेन का व्याख्यान प्रासमैने ने “इच्छाओं की पूर्ति या आनन्द के साथ” और सायण ने “श्रौतस्मार्तदानफलेन” किया है। वा० सं० १८, ६० पर महीधर ने “श्रौतस्मार्तकर्मफले” व्याख्यान किया है।
२५. Alt. Gr. II, I, p. 160, Ved. Gr., p. 158; Ved. Gr. Stu., p. 270 f.n. 2. (इस ग्रन्थ में मैक्डानल समास के दोनों पदों में द्वि० रूप मानता है, परन्तु यह मत Ved. Gr. में दिये गए स्वयं अपने मत तथा वाकरनागल के मत के विरुद्ध है); Gr. Lg. Ved., p. 125.
२६. पा० २, ४, १४ “न दधिपयआदीनि” में समाहार-द्वन्द्व का निषेध करके “इध्माबर्हिषी” रूप दिया है।
२७. पा० २, ४, २-१३ ॥
२८. पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार, यह द्वन्द्व समास है; दे० Alt. Gr., II, I, p. 161; Ved. Gr., p. 158; Ved. Gr. Stu., p. 270; Skt. Gr., p. 486; Skt. Lg., p. 217. परन्तु पा० २, १, ६० “क्षेन नञ्विशिष्टेनानञ्” और इस पर काशि० तथा सि० कौ० के अनुसार, यह तत्पुरुष समास है।
२९. पा० २, २, ३२-३४ द्वन्द्वे धि । अजायदन्तम् । अल्पात्तरम् ॥
३०. पा० ५, ४, ७७ । ५, ४, १०६- द्वन्द्वाच्चुदपहान्तात्समाहारे ॥
३१. पा० २, १, २४- द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः । इस पर वार्तिक— श्रितादिषु गमिगाम्यादीनामुपसंख्यानम् । दे० पा० २, १, २७-२९. वाकरनागल (Alt. Gr. II, I, p. 199) पृथ्वि-निप्रेपितासः (सं० ७, १८, १०) “पृथिवी में भेजे गये” में द्वितीयासमास मानता है; दे० Ved. Gr., p. 164 f. n.3. परन्तु सायण इस में तृतीयासमास मानता है— “मात्रा...प्रहिताः ।”
३२. पा० २, १, ३०-३५ ॥
३३. पा० २, १, ३६—चतुर्थी तदर्थाधिबलिहितमुत्तरक्षितैः ॥

३४. प्रासमैन प्रमृति पाश्चात्य विद्वान् मनुहितम् को कतिपय प्रयोगों में चतुर्थी-समास और अन्य ऋग्वैदिक प्रयोगों में तृतीया-समास मानते हैं; दे० WZR., s. v.; MWD., s. v.; Alt. Gr. II, I, p. 199; सायण अधिकतर प्रयोगों में इसे तृतीयासमास मानता है, परन्तु कहीं-कहीं भिन्न अर्थ भी करता है; यथा ऋ० १, १०६, ५ परं—“यद्वा मनुष्याणामनुकूलम्”; ऋ० ६, ७०, २ परं—“मनुष्येभ्यो हितम् ।”
३५. पा० २, १, ३७-३९—पद्ममी भयेन । अपेतापोढमुक्तपतितापत्रंस्त्रैरल्पशः । स्तोत्रान्तिकदूरार्थकृच्छ्रणि केन ॥ पा० २, १, ३७ पर वार्तिक—भयभीत-भीतिभीभिरिति वाच्यम् । २, १, ३९ पर वार्तिक (काशि०) शतसहस्रौ परंणेति वक्तव्यम् ॥ यथा— परःशत- , परःसहस्र- ।
३६. पा० २, २, ८-९—षष्ठी । याजकादिभिश्च ॥ २, २, ८ पर वार्तिक—“कृद्योगा च षष्ठी समस्यत इति वाच्यम् ।”
३७. पा० २, १, ४०-४८ ॥
३८. मैक्डानल (Ved. Gr., p. 166) के अनुसार, ऋ० के युवादेत्त-, युवानीत्त-, युष्मादेत्त- तथा युष्मानीत्त- के पूर्वपद में तृतीया का रूप है, परन्तु इन शब्दों का ऐसा कोई स्वतन्त्र रूप तृतीया विभक्ति में नहीं मिलता है ।
३९. पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार इस समास में शुना पद बहुवचन का अर्थ देता है और इधितम् का अर्थ “खींचा गया” है; दे० WZR., s. v.; MWD., s. v.; Ved. Gr., p. 166; Ved. Gr. Stu., p. 273 f. n. 1.
४०. पा० ६, ३, २१ पर वार्तिक ४—शेषपुच्छलाद्गुलेषु शुनः संज्ञायामुप-संख्यानम् । वार्तिक ५—दिवश्च दासे (महाभाष्य) ॥
४१. पा० ८, ३, ९५—गवियुधिभ्यां स्थिरः ॥
४२. पा० २, २, १-२—पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे । अर्धं नपुंसकम् ॥ दे० पा० २, २, ३ ॥ पा० २, २, १ पर काशि०—“संख्याविसायपूर्वस्याहस्येति (६, ३, ११०) ज्ञापकात् सर्वणैकदेशशब्देनाहः समासो भवति ।” ; सि०

कौ०—“सर्वोऽप्येकदेशोऽद्वा समस्यते । ‘संख्याविसाय—’ इति ज्ञापकात् । मध्याह्नः । सायाह्नः । केचित्तु सर्व एकदेशः कालेन समस्यते न त्वहैव । ज्ञापकस्य सामान्योपेक्षत्वात् । तेन मध्यरात्रः, उपारताः पश्चिमरात्रगोचरा इत्यादि सिद्धमित्याहुः ॥”

४३. पा० ३,१,९२—तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् ॥ २,२,१९—उपपदमतिङ् ॥ ६,२,१३९—गतिकारकोपपदात् कृत् ॥
४४. पा० ३,२,५८-६४.६७-६९.७१-७३. ७६-७७.८७-९२ ॥
४५. पा० ३,२,८४.९०.९१ के अनुसार, सोमसुत् तथा अग्निचित् में क्तिप् प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में आता है ।
४६. पा० ३,२,१-२२.४८-५०.५२-५५.६०.७०.७७.९७-१०१ ॥
- ४६क. पा० ३,२,१ पर वार्तिक (काशि०)—“शीलिकामिभक्ष्याचरिभ्यो णः पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं च बहुवच्यम्” से ण प्रत्यय और पा० ६,३,१४—“तत्पुरुषे कृति बहुलम्” से विभक्ति का अलुक् । सायण इस में पा० ३,२,१ से षण् प्रत्यय मानता है । पाश्चात्य विद्वान् इस में तथा पतिकामा में बहुव्रीहि मानते हैं; दे० Ved. Gr., p. 172; Ved. Gr. Stu., p. 277; Skt. Gr. p. 503; Alt. Gr., II, I, p. 277; Gr. Lg. Ved., p. 135. पा० ३,२,१ पर महाभाष्य में यह विचार किया गया है कि ऐसे समासों को बहुव्रीहि भी माना जा सकता है; यथा—“भवति बहुव्रीहिरपि मांसे कामोऽस्य मांसकामः ।”
४७. पा० ३,२,२४-२७ ॥
४८. पा० ३,२,५१.७८-८६ ॥ ३,२,७८ पर वार्तिक—“ब्रह्मणि वदः ।”
४९. पा० ३,१,१०६-१२३ ॥
५०. पा० ३,२,९४-९६ ॥
५१. Alt. Gr., II, I, pp. 201 ff.; Ved. Gr., pp. 164-65; Ved. Gr. Stu., p. 272; Skt. Gr., pp. 491 ff.
५२. पा० ३,२,२८-३७ (सदा); ३८-४७ (सन्); ८३ (स्यात्) । ६,२, ६७ (सुम्); ६८ (अम्); ६९ ॥

५३. इस सम्बन्ध में पा० ३, २, २१ पर काशि० का मत है—“द्विवाशब्दो-
ऽधिकरणवचनः गुपीत्यस्य विशेषणम् ।” इस सूत्र पर सि० कौ० पर
तत्वबोधिनी कहती है—“दिवा दिवसं करोतीति विप्रहः ।” और बाल-
मनोरमाटीका का प्रणेता कहता है—“दिवेत्याकारान्तमव्ययमहीत्यर्थे ।
तस्याधिकरणशक्तिप्रधानस्यापि वृत्तिविषये कर्मत्वं बोध्यम् ।”
५४. पा० १, २, ४२; २, १, ४९-५१. ५७. ५८. ६१ ॥
५५. पा० २, १, ५५-५६ ॥
५६. दे० सायणभाष्य; WZR., s. v.; Whitney, AV.; MWD., s. v.;
Alt. Gr., II, I, p. 252; Ved. Gr., p. 169; Ved. Gr.
Stu., p. 274.
५७. पा० २, १, ५२—संख्यापूर्वो द्विगुः ॥
५८. पा० २, ४, १—द्विगुरेकवचनम् ॥ समाहारद्वन्द्व के लिये, दे० पा० २,
१, ५१ ॥
५९. Skt. Gr., p. 505; Alt.Gr. II, I, pp. 305-306; Ved.
Gr., p. 174; Ved. Gr. Stu., p. 278; Gr. Lg. Ved., p. 135.
६०. कतिपय आचार्य नञ् के निम्नलिखित छः अर्थ मानते हैं—
“तत्साहचर्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता ।
अप्राज्ञस्त्वं विरोधश्च नवर्थाः पट् प्रकीर्तिताः ॥”
६१. पा० २, २, ६—नञ् ॥
६२. पा० ६, ३, ७३—नलोपो नञः । इस पर वार्तिक—नञो नलोपस्तिष्ठि
क्षेपे ॥ ७४—तस्मान्नुडचि ॥
६३. पा० ६, ३, ७५-७७—नभ्राट्-नपात्-नवेदा-नासत्या-नमुचि-नकुल-नख-
नपुंसक-नक्षत्र-नक्र-नाकेषु प्रकृत्या । एकादिश्चैकस्य चाटुक् । नगोऽप्राणिष्व-
न्यतरस्याम् ॥

अनेक पाश्चात्य विद्वान् पाणिनि के मत को पूर्णतया स्वीकार नहीं करते हैं
और उन के मतानुसार—नर्पात्, नवैदस् (ऋ), नासत्या, नकुल, नख तथा

इत्यादि शब्दों में नञ्समास का न नहीं है; दे० SPW., s. v.; WZR., s. v.; MWD., s. v.

पा० ६,३,७६ के लिये, दे० अनु० १५३ और चतुर्थ अध्याय की टि० २३२क।

६४. पा० २, २, १८—कृगतिप्रादयः ॥ पा० १,४,५८-६० के अनुसार, प्र इत्यादि निपात क्रियावाचक शब्दों के योग में उपसर्ग तथा गति-संज्ञक कहलाते हैं, परन्तु पा० १,४,६१-७९ में परिगणित शब्द केवल गति-संज्ञक हैं।

६५. पा० २,२,१८ पर महाभाष्य में सौनागवार्तिक १-६—स्वती पूजायाम्। दुर्निन्दायाम्। आढीषदर्थे। कुः पापार्थे। प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया। अत्यादयः कान्ताद्यर्थे द्वितीयया ॥

६६. पा० २,२,१८ पर महाभाष्य में वार्तिक ६—इवेन विभक्त्यलोपः पूर्वपद-प्रकृतिस्वरत्वं च ॥

६७. पा० २,२,१८ पर महाभाष्य में वार्तिक ७—अव्ययमव्ययेन ॥ पा० ८, १, ६—“प्रसमुपोदः पादपूरणे” पादपूर्ति के लिये इन अव्ययों का द्विरुक्त मानता है।

६८. पा० २,२,१८ पर महाभाष्य में वार्तिक ८—उदात्तगतिमता च तिङ्। इस पर भाष्य—“उदात्तवता तिङ् गतिमता च तिङ्। अव्ययं समस्यत-इति वक्तव्यम्।” दे० अ० प्रा० ४,१-२ (चतुर्थ अध्याय टि० २४)।

६९. पा० ५,४,८६—तत्पुरुषस्याहुलेः संख्याव्ययादेः ॥

७०. पा० ५,४,८७—अहस्तसर्वैकदेशसंख्यातपुण्याश्च रात्रेः ॥

७१. पा० ५,४,८८—अहोऽह एतेभ्यः ॥

७२. पा० ५,४,८९-९१—न संख्यादेः समाहारे। उत्तमकाभ्यां च। राजा-हस्तसिन्धुभ्यश्च ॥

७३. ऋतिपय विद्वाग् इसे बहूमादि समाग मानते हैं; दे० Ved. Gr., p. 154; Ved. Gr. Stu., p. 279; Alt. Gr., II, I, p. 119;

नक्षत्र, (ऋ०) MWD., s. v.; परन्तु समास-स्वर के विचार से तत्पुरुष मानना अधिक युक्तियुक्त है।

७४. पा० ५,४,९२—गोरतद्धितलुकि ॥ इस सूत्र के अनुसार तद्धितलुग्विषयक तत्पुरुष में टच् समासान्त प्रत्यय नहीं आता है, यथा पा० ५,१,२८ द्वारा तद्धितप्रत्यय ठक् का लोप होने पर बने पञ्चगुः तथा दशगुः द्विगुसमासों में टच् प्रत्यय नहीं आता है (काशि०)। परन्तु मुझे इन उदाहरणों के वैदिक प्रयोग नहीं मिले हैं।
७५. पा० ५,४,७७-८६.९३-९७.१०३-१०५ ॥
७६. पा० २,२,२४—अनेकमन्यपदार्यै ॥
७७. पा० २,१,४९ पर काशि०—भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तस्य शब्दस्यैकस्मिन्नर्थे वृत्तिः सामानाधिकरण्यम् ॥
७८. पा० २,२,३५-३६—सप्तमीविशेषणे बहुव्रीहौ । निष्ठा ॥
७९. पा० २,२,३७—वाऽऽहिताग्न्यादिषु ॥ पा० २,२,३६ पर वार्तिक १—निष्ठायाः पूर्वनिपाते जातिकालसुखादिभ्यः परवचनम् ॥ काशि० तथा सि० कौ० पा० २,२,३७ के 'आहिताग्न्यादि.' को 'आकृतिगण' मानते हैं।
८०. मैक्डानल इसे तत्पुरुष समास मानता है (Ved. Gr., p. 163; Ved. Gr. Stu., p. 271) और Ved. Gr. Stu., p. 271 f. n. 6 में कहता है—“An example of the rare use of a past pass. part. in a transitive sense.” परन्तु आश्व० श्रौ० सू० ९, ५,१ के व्याख्यान में नारायण इसे बहुव्रीहि मानते हुए कहता है—“गरो विषम् । गरो गीर्ण (गीर्णो) येन स गरगीर्णः ।” पा० ६,२,१७० के अनुसार, यह बहुव्रीहि समास अन्तोदात्त है।
८१. पा० २,२,२४ के महाभाष्य पर वार्तिक ९—सप्तम्युपमानपूर्वपदस्योत्तर-पदलोपश्च ॥
८२. पा० २,२,२४ पर वार्तिक (सि० कौ०)—प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः ॥
८३. पा० २,२,२४ पर वार्तिक (सि० कौ०)—अव्ययानां च ॥

८४. 'पा० २,२,२८—तेन सहेति तुल्ययोगे ॥
८५. पा० २,२,२४ पर वार्तिक (सि० कौ०)—नवोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः ॥
८६. पा० १,२,४८—गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य ॥ पा० के मतानुसार, उपसर्जन-भूत गो शब्द के ओ का ह्रस्व उ वनता है; दे० पा० १,१,४८ ॥ पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार, स्वरावस्था-विकृति (Vowel gradation) के कारण हासावस्था में गो का गु और रै का रि वनता है; दे० Ved. Gr., pp. 151-52; Alt. Gr. II, I, pp. 99-100.
८७. पा० ५,४,११३—बहुव्रीहौ सक्थ्यक्षणोः स्वाङ्गात् पच् ; ५,४,१२१; दे० बसि के लिये पा० ५,४,१२० ॥
८८. पा० ५,४,११६ पर वार्तिक २—छन्दसि च नेतुरुपसंख्यानम् ॥ दे० तै० सं० १,८,७,१=वा० सं० ९,३५-३६ ।
८९. पा० ५,४,११७-१२०.
९०. पा० ५,४,१२४—धर्मादिनिच् केवलात् ।
९१. पा० ५,४, १३१—ऊर्ध्वसोऽनङ् ॥ कतिपय पाश्चात्य विद्वान् ऋ० १०, ११५, १ के “अनुधा यदि” में अनुधा “आपीनरहित” पद मानते हैं; दे० Alt. Gr. II, I, p. 99 n.; Ved. Gr., p. 150. परन्तु अन्य विद्वान् पदकार के मत को स्वीकार करते हुए “अनुधाः” पद मानते हैं; दे० WZR., s. v.; MWD., s. v.
- पा० ५,४,१२९—प्रसम्भ्यां जानुनोर्भुः ॥ शु का कोई स्वतन्त्र रूप नहीं मिलता है ।
९३. पा० ५,४,१३४—जायाया निङ् ॥
९४. पा० ५,४,१४१-१४५ ॥
९५. पा० ५,४,१३२-३३—धनुपश्च । वा संज्ञायाम् ॥
९६. पा० ५,४,१३८-४० ॥ पाश्चात्य विद्वान् पाद् को पद् का शक्तान् (Strong Stem) मानते हैं ।

९७. पा० ५,४,१२२-२३—नित्यमसिन् प्रजामेधयोः । बहुप्रजाश्छन्दसि ॥
पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि प्रजा का प्रजस् रूप केवल अनुकृति के
प्रभाव से हुआ है, क्योंकि कोई प्रजस् प्रातिपदिक नहीं मिलता है; दे०
Ved. Gr., p. 151.

९८. पा० ६,१,६०—शीर्षश्छन्दसि ॥

९९. पा० ५,४,१५१-५४ ॥

१००. पा० ५,४,१५८—ऋतश्छन्दसि ॥

१०१. Skt. Gr., pp. 511ff; Ved. Gr., pp. 175ff.; Ved. Gr.
Stu., pp. 279-80; Gr., Lg. Ved., pp. 137 ff.; Alt.
Gr. II, I, pp. 308 ff.

१०२. पा० २,१,६-१६ ॥

१०३. पा० १,१,४१;२,४,१८ ॥

१०४. ऋ० १,४,७ के भाष्य में मन्दयत्सखम् का व्याख्यान करते हुए सायण
कहता है—“य इन्द्रो मन्दयति यजमानान् हर्षयति तस्मिन्निन्द्रे सखि-
भूतोऽयं सोमः ।..... । एवं मन्दयच्छब्दोऽन्तोदात्तः । मन्दयतीन्द्रे
सखा । ‘सप्तमी’ (पा० २,१,४०) इति योगविभागात् समासः ।
‘तत्पुरुषे तुल्यार्थं’ (पा० ६,२,२) इति सप्तमीपूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम् ।” सि०
कौ० में पा० ६,२,२ का व्याख्यान करते हुए भट्टोजिदीक्षित भी सायण
का अनुकरण करता है और कहता है—“पतयन्मन्दयत्सखम् । मन्दयति
मादके इन्द्रे सखेति सप्तमीतत्पुरुषः ।” मैं इस प्रकार के व्याख्यान से
सहमत नहीं हूँ ।

१०५. वा० प्रा० १,१४६—द्विरुक्तमाधेडितं पदम् ॥ दे० वा० प्रा० ५,१८;६,३॥

१०६. पा० ८,१,२-३ तस्य परमाधेडितम् ॥ अनुदात्तं च ॥

१०७. पा० ८,१,९-११; दे० टि० १०६ ॥

१०८. पा० २,१,७२—मयूरव्यंसकादयश्च ॥ इस सूत्र पर काशि० कहती है—
“अविहितलक्षणस्तत्पुरुषो मयूरव्यंसकादिषु द्रष्टव्यः :”



षष्ठोऽध्यायः

तद्धित-प्रकरणम्

१९४. नाम, सर्वनाम, संख्यावाचक शब्द तथा अव्ययों से नये शब्द बनाने के लिये जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन के लिये पाणिनीय व्याकरण में तद्धित संज्ञा का प्रयोग किया जाता है और पाश्चात्य विद्वान् इन्हें गौण-प्रत्यय (Secondary Suffixes) कहते हैं। कतिपय समासों के साथ भी तद्धित प्रत्यय जोड़े जाते हैं। ब्राह्मण-ग्रन्थों तथा कल्पसूत्रों की तुलना में संहिताओं की भाषा में तद्धित-प्रत्ययान्त शब्द अल्पतर हैं और विशेषतः ऋ० में अल्पतम हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तद्धित प्रयोगों की प्रवृत्ति क्रमशः संस्कृत में बढ़ती गई है और कालान्तर में कतिपय विद्वान् स्वार्थ में भी (अर्थात् अर्थ-परिवर्तन के बिना भी) तद्धित शब्दों का प्रयोग करने लगे। महाभाष्यकार पतञ्जलि के कथन से प्रतीत होता है कि दाक्षिणात्य विद्वानों को तद्धित प्रयोग अधिक प्रिय था। अतएव पस्पशाह्निक में पतञ्जलि चार्तिककार कात्यायन के सम्बन्ध में कहता है—
“प्रियतद्धिता दाक्षिणात्याः । यथा लोके वेदे च’ इति प्रयोक्तव्ये
‘यथा लौकिकवैदिकेषु’ इति प्रयुज्यते ।”

तद्धित प्रत्यय अनेक अर्थों में जोड़े जाते हैं; यथा—तुलना, भाव, नित्ययोग, सादृश्य, अपत्यत्व, परिमाण, अनुकम्पा, ह्रस्वत्व, विभक्ति इत्यादि अर्थों को प्रकट करने के लिये तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग होता है, परन्तु सब से अधिक तद्धित-शब्दों में सम्बन्ध को दर्शाने के लिये प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और उन में मुख्य अर्थ रहता है “उस से सम्बन्धी या उस से सम्बद्ध।” प्रसङ्ग के अनुसार, सम्बन्ध-वाचक अर्थ में साधारण परिवर्तन हो जाता है। हम सर्वप्रथम अन्य अर्थों के वाचक तद्धित प्रत्ययों पर विचार करेंगे और अन्त में सम्बन्ध-वाचक तद्धित-प्रत्ययों पर विचार किया जायगा। पाणिनि के अनुसार, समासान्त प्रत्यय भी तद्धितों में सम्मिलित हैं।

धैदिक व्याकरण

१९५(क) तद्धित प्रत्ययों से होने वाले विकार—तद्धित प्रत्यय जोड़ने से मूल शब्द में जो विकार होते हैं उन का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है—

वृद्धि—पाणिनीय व्याकरण के अनुसार जिन तद्धित प्रत्ययों में इत् (लृप्त) होने वाला न्, ण्, अथवा क् आए, उन प्रत्ययों से पूर्व आने वाले शब्द के आदि अच् को वृद्धि आदेश हो जाता है^१; यथा—देव+यञ्=दैव्य- (सं०) “देव-सम्बन्धी ।”

शुण—यकारादि तद्धित प्रत्यय से पूर्व आने वाले उवर्णान्त शब्द के अन्तिम अच् को गुण हो जाता है^२ और फिर यकारादि प्रत्यय से पूर्व ओ का अच् वन जाता है^३; यथा—वायु+यत्=वायुव्य- (मै० सं०) “वायु-सम्बन्धी”; मधु+यत्=मधुव्य- “मधु से युक्त ।”

इ तथा अ का लोप—यकारादि तथा अजादि प्रत्यय से पूर्व इवर्णान्त (इ ई) और अवर्णान्त (अ आ) शब्द के अन्तिम अच् का लोप हो जाता है^४; यथा—देव+यञ्=दैव्य-; पृथिवी+ज=पार्थिव- (सं०) “पृथिवी-सम्बन्धी ।”

अन्तिम न् का लोप—कतिपय तद्धित प्रत्ययों से पूर्व नकारान्त शब्द के न् का लोप हो जाता है; यथा—वृषन्+त्व=वृषत्व- “पौरुष ।” परन्तु कतिपय तद्धित प्रत्ययों में पूर्व अन्तिम न् का लोप नहीं होता है; यथा—राजन्+यत्=राजव्य- (सं०) “क्षत्रिय ।”

(ख) पाणिनीय प्रत्ययों का वास्तविक रूप—पाणिनीय व्याकरण में कतिपय तद्धित प्रत्यय साधारण अनुबन्धों के साथ प्रयुक्त किये गये हैं और उन का वास्तविक रूप पहचानना सरल है; यथा—यद्, यञ्, ष्यञ् इत्यादि का अनुबन्धरहित रूप केवल य है और अण्, अञ्, ङण्, ण इत्यादि का अनुबन्धरहित रूप केवल अ है। परन्तु कतिपय प्रत्ययों का वास्तविक स्वरूप सर्वथा भिन्न है। ऐसे प्रत्ययों का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है—यु=अन; दु=अक; ख=ईन; घ=इय; छ=ईय; ङ=एय; फ=आयन^५। साधारणतया ङ=इक, परन्तु जिन शब्दों के अन्त में इस्, उस्, उ, ऋ या द् आए उन से परे ठ का केवल क वनता है^६। प्रत्ययों के अन्त में जुड़े हुए अनुबन्ध- ण्, न्, क्- इत्यादि वृद्धि के

लिये और कुछ स्वर के लिये होते हैं। अतएव उन का लोप हो जाता है।

१९६. तुलना-वाचक प्रत्यय—दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना में जिस का उत्कर्ष दिखलाया जाय उस के विशेषण के साथ 'तर' (पा० तरप्) या 'ईयस्' (पा० ईयसुन्) प्रत्यय जोड़ा जाता है; और दो से अधिक की तुलना में जिस को सब से उत्कृष्ट बतलाया जाय उस के विशेषण के साथ 'तम' (पा० तमप्) या इष्ठ (पा० इष्ठन्) प्रत्यय जोड़ा जाता है^क। तर, तम तथा इष्ठ प्रत्यय वाले तद्धित शब्दों के रूप पुं० तथा नपुं० में अकारान्त प्रातिपदिकों की भांति बनते हैं और आ प्रत्यय जोड़ने से स्त्री० रूप बनता है। ईयस्-प्रत्ययान्त के रूप -यस् अन्त वाले प्रातिपदिकों (अनु० १२८) के समान बनते हैं और इस से स्त्री० बनाने के लिये ई प्रत्यय जोड़ा जाता है।

(क) ईयस् तथा इष्ठ—ये दोनों प्रत्यय प्रायेण विशेषणों के साथ जोड़े जाते हैं^ख; परन्तु वैदिक भाषा में कतिपय ऋकारान्त प्रातिपदिकों के साथ भी इन का प्रयोग मिलता है; यथा—कर्तृ+इष्ठ=कर्षिष्ठ- (ऋ०) "सब से अधिक करने वाला।" पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि ये दोनों प्रत्यय सीधे धातु के साथ जोड़े जाते हैं और धातु के अच् पर उदात्त रहता है; यथा—√तिज् "तेज करना" से तेजीयस् "अधिक तेज" और तेर्जिष्ठ "सब से अधिक तेज"; √जू "शीघ्र जाना" से जर्जीयस् "अधिक शीघ्रगामी" और जर्जिष्ठ "सब से अधिक शीघ्रगामी"; √यज् "यज्ञ करना" से, यर्जीयस् "अधिक अच्छा यज्ञ करने वाला" और यर्जिष्ठ "सब से अच्छा यज्ञ करने वाला।" पाणिनि के मतानुसार ईयस् तथा इष्ठ प्रत्ययों से पूर्व, प्रशस्य का अ तथा ज्य, वृद्ध का भी ज्य, भक्तिक "समीप" का नेद, दाढ "दृढ" का साध, और युवन् तथा अल्प का कन् बन जाता है^ग; यथा—ज्येष्ठ "सब से अच्छा"; ज्येष्ठ "आयु में सब से बड़ा"; नेदीयस् "समीपतर", नेदिष्ठ "समीपतम"; सार्धिष्ठ "सब से अधिक सीधा या अच्छा"; कर्निष्ठ (तं० सं०) "सब से छोटा"; कृनिष्ठ "आयु में सब से छोटा"; कर्नीयम् "दूमेरे से न्यूनतर या आयु में छोटा।"

वैदिक व्याकरण

पाश्चात्य विद्वान् ज्येष्ठ इत्यादि को √ज्या से, कनिष्ठ इत्यादि को √कन् से, तथा सार्धिष्ठ इत्यादि को √साध् से बना हुआ मानते हैं। इन के अतिरिक्त युवन् से यविष्ठ “सब से अधिक जवान” और वृद्ध से वर्षीयस् “अधिक बड़ा” तथा वरिष्ठ “सब से बड़ा” तद्धितान्त शब्द भी बनते हैं (टि० ११ तथा १२)।

पाणिनीय व्याकरण के अनुसार ईयस् तथा इष्ठ प्रत्यय से पूर्व स्थूल, दूर, युवन्, ह्रस्व, क्षिप्र तथा क्षुद्र के अन्तिम अन्तःस्था से प्रारम्भ करके उस से परे आने वाले वर्णों का लोप हो जाता है और इन शब्दों के अच् को गुण हो जाता है^१; यथा—स्वविष्ठ (तै० सं०); दर्वीयस्, दविष्ठ; यविष्ठ; हर्षीयस् (शत० ब्रा०), हर्षिष्ठ; (शत० ब्रा०); क्षेपीयस् (शत० ब्रा०), क्षेपिष्ठ (तै० सं०); क्षोदीयस् (मै० सं०)। और पाणिनि के अनुसार, प्रिय का प्र, स्थिर का स्थ, उरु का वृ, वृद्ध का वरि, तथा दीर्घ का द्राघि वन जाता है^२; यथा—प्रेर्यस्, प्रेष्ठ; स्थेयस् (तै० सं०); वरीयस्, वरिष्ठ; वर्षीयस्, वरिष्ठ; द्राघीयस्, द्राघिष्ठ। ईयस् तथा इष्ठ से पूर्व शब्द के अन्तिम अच् तथा उस से परे आने वाले व्यञ्जनों का भी लोप हो जाता है^३; यथा—वसु “अच्छा, धनी, प्रकाशमान” से वसीयस् (तै० सं०, ब्रा०), वसिष्ठ; अणु “सूक्ष्म” से अणीयस्, अणिष्ठ; लघु “छोटा” से लधीयस्; आशु “शीघ्र” से आशीयस् (ऋ०), आशिष्ठ (ऋ०); स्वाट्टु “मजेदार” से स्वादीयस्, स्वादिष्ठ; नव “नया” से नवीयस्, नविष्ठ; ब्रह्मन् से ब्रह्मिष्ठ (तै० सं०) “सब से अच्छा ब्राह्मण”; धर्मन् से धर्मिष्ठ (तै० आ०) “सब से अच्छा धर्म”। पाणिनि के मतानुसार, ईयस् तथा इष्ठ से पूर्व आने वाले हलादि शब्द के लघु ऋ का र और विकल्प से ऋजु “सरल” के ऋ का भी र बनता है^४; यथा—पृथु “विशाल” से प्रथीयस् (शत० ब्रा०), प्रथिष्ठ (ऋ०, शत० ब्रा०); रजिष्ठ (ऋ०) तथा ऋजिष्ठ (पा०)। पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार, √प्रथ् इत्यादि धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़ कर ऐसे रूप बनाये जाते हैं।

कतिपय शब्दों में तुलनावाचक ईयस् प्रत्यय के स्थान पर यस्

घट्टोऽध्यायः

लिये और कुछ स्वर के लिये होते हैं। अतएव उन का लोप हो जाता है।

१९६. तुलना-वाचक प्रत्यय—दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना में जिस का उत्कर्ष दिखलाया जाय उस के विशेषण के साथ 'तर' (पा० तरप्) या 'ईयस्' (पा० ईयसुन्) प्रत्यय जोड़ा जाता है^{१०}; और दो से अधिक की तुलना में जिस को सब से उत्कृष्ट बतलाया जाय उस के विशेषण के साथ 'तम' (पा० तमप्) या इष्ट (पा० इष्टन्) प्रत्यय जोड़ा जाता है^{११}। तर, तम तथा इष्ट प्रत्यय वाले तद्धित शब्दों के रूप पुं० तथा नपुं० में अकारान्त प्रातिपदिकों की भांति बनते हैं और आ प्रत्यय जोड़ने से स्त्री० रूप बनता है। ईयस्-प्रत्ययान्त के रूप -यस् अन्त वाले प्रातिपदिकों (अनु० १२८) के समान बनते हैं और इस से स्त्री० बनाने के लिये ई प्रत्यय जोड़ा जाता है।

(क) ईयस् तथा इष्ट—ये दोनों प्रत्यय प्रायेण विशेषणों के साथ जोड़े जाते हैं^{१२}; परन्तु वैदिक भाषा में कतिपय ऋकारान्त प्रातिपदिकों के साथ भी इन का प्रयोग मिलता है^{१३}; यथा—कर्तृ+इष्ट=कर्त्रिष्ठ- (ऋ०) "सब से अधिक करने वाला।" पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि ये दोनों प्रत्यय सीधे धातु के साथ जोड़े जाते हैं और धातु के अच् पर उदात्त रहता है^{१४}; यथा—√तिञ् "तेज करना" से तेर्जीयस् "अधिक तेज" और तेर्जिष्ठ "सब से अधिक तेज"; √जू "शीघ्र जाना" से जर्जीयस् "अधिक शीघ्रगामी" और जर्जिष्ठ "सब से अधिक शीघ्रगामी"; √यञ् "यज्ञ करना" से, यर्जीयस् "अधिक अच्छा यज्ञ करने वाला" और यर्जिष्ठ "सब से अच्छा यज्ञ करने वाला।" पाणिनि के मतानुसार ईयस् तथा इष्ट प्रत्ययों से पूर्व, प्रशस्य का भ्र तथा ज्य, वृद्ध का भी उय, धन्तिक "समीप" का नेद, दाढ "दृढ" का साध, और युवन् तथा अल्प का कन् बन जाता है^{१५}; यथा—ज्येष्ठ "सब से अच्छा"; ज्येष्ठ "आयु में सब से बड़ा"; नेर्जीयस् "समीपतर", नेर्जिष्ठ "समीपतम"; साधिष्ठ "सब से अधिक सीधा या अच्छा"; कर्निष्ठ (तं० सं०) "सब से छोटा"; कृनिष्ठ "आयु में सब से छोटा"; कर्नीयस् "दूसरे से न्यूनतर या आयु में छोटा।"

पाश्चात्य विद्वान् ज्येष्ठ इत्यादि को √ज्या से, कर्निष्ठ इत्यादि को √कन् से, तथा सार्धिष्ठ इत्यादि को √साध् से बना हुआ मानते हैं। इन के अतिरिक्त युवन् से चर्धिष्ठ “सब से अधिक जवान” और वृद्ध से वर्णीयस् “अधिक बड़ा” तथा वर्धिष्ठ “सब से बड़ा” तद्धितान्त शब्द भी बनते हैं (टि० ११ तथा १२)।

पाणिनीय व्याकरण के अनुसार ईयस् तथा इष्ठ प्रत्यय से पूर्व स्थूल, दूर, युवन्, ह्रस्व, क्षिप्र तथा धुद्र के अन्तिम अन्तःस्था से प्रारम्भ करके उस से परे आने वाले वर्णों का लोप हो जाता है और इन शब्दों के अच् को गुण हो जाता है^{११}; यथा—स्वर्धिष्ठ (तै० सं०); दर्वीयस्, दर्विष्ठ; यर्विष्ठ; हर्सीयस् (शत० ब्रा०), हर्सीष्ठ; (शत० ब्रा०); क्षेपीयस् (शत० ब्रा०), क्षेपीष्ठ (तै० सं०); क्षोर्दिष्ठ (मै० सं०)। और पाणिनि के अनुसार, प्रिय का प्र, स्थिर का स्थ, उरु का वृ, वृद्ध का वर्धि, तथा दीर्घ का द्राधि बन जाता है^{१२}; यथा—प्रेर्यस्, प्रेष्ठ; स्व्येयस् (तै० सं०); वरीयस्, वरिष्ठ; वर्णीयस्, वर्धिष्ठ; द्राधीयन्, द्राधिष्ठ। ईयस् तथा इष्ठ से पूर्व शब्द के अन्तिम अच् तथा उस से परे आने वाले व्यञ्जनों का भी लोप हो जाता है^{१३}; यथा—वसु “अच्छा, धनी, प्रकाशमान” से वसीयस् (तै० सं०, ब्रा०), वसीष्ठ; अणु “सूक्ष्म” से अणीयस्, अणिष्ठ; लघु “छोटा” से लधीयस्; आशु “शीघ्र” से आशीयस् (ऋ०), आशीष्ठ (ऋ०); स्वाद् “मजेदार” से स्वादीयस्, स्वादिष्ठ; नव “नया” से नवीयस्, नविष्ठ; ब्रह्मन् से ब्रहिष्ठ (तै० सं०) “सब से अच्छा ब्राह्मण”; धर्मन् से धर्मिष्ठ (तै० आ०) “सब से अच्छा धर्म”। पाणिनि के मतानुसार, ईयस् तथा इष्ठ से पूर्व आने वाले हलादि शब्द के लघु ऋ का र और विकल्प से ऋजु “सरल” के ऋ का भी र बनता है^{१४}; यथा—पृथु “विशाल” से पृथीयस् (शत० ब्रा०), पृथिष्ठ (ऋ०, शत० ब्रा०); रजिष्ठ (ऋ०) तथा ऋजिष्ठ (पा०)। पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार, √प्रथ् इत्यादि धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़ कर ऐसे रूप बनाये जाते हैं।

कतिपय शब्दों में तुलनावाचक ईयस् प्रत्यय के स्थान पर यस्

बहोऽध्यायः

प्रत्यय मिलता है; यथा—भूयस् “अधिकतर”^{१५}; ज्यायस् “अधिक बढ़ा”^{१६}; नव्यस् “अधिक नया”; तव्यस् “अधिक बलवान्”; पन्यस् “अधिक आश्चर्यमय”; रभ्यस् “अधिक साहसी”; सद्यस् “अधिक बलवान्”^{१७} ।

(ख) तर तथा तम प्रत्यय—इन तुलनावाचक प्रत्ययों का प्रयोग वैदिक-भाषा में उत्तरोत्तर बढ़ता गया है । इन का प्रयोग नाम, विशेषण तथा अव्ययों के साथ भी मिलता है; यथा—रथी “रथ का सवार” से रथीतर (ऋ०), रथीतम (ऋ०)^{१८}क; वह्नि “ले जाने वाला” से वह्नितम (ऋ०, वा० सं०); प्रियतर “अधिक प्रिय”; त्वस्तर “अधिक बलवान्”; वपुष्टर “अधिक आश्चर्यजनक”; भगवत्तर “अधिक भाग्यशाली”; वृत्रतर (ऋ०) “अधिक बुरा वृत्र”; विदुष्टर “अधिक विद्वान्”; मीढुष्टम “अधिक दयालु”; मावृत्तमा (ऋ०) “सब से अच्छी माता (हित-कारिणी)”; उद् अव्यय से उत्तर “अधिक ऊँचा”; तथा उत्तम “सब से अधिक ऊँचा” । तर तथा तम से पूर्व प्रातिपदिकों के अन्तिम न् का लोप नहीं होता है और कतिपय अजन्त प्रातिपदिकों के पश्चात् न् का आगम होता है^{१९}; यथा—मुदिन् “आनन्दकारक” से मुदिन्तर; वृषन् “पौरुष-युक्त” से वृषन्तम; मधु से मधुन्तम; सुरभि “सुगन्ध” से सुरभिन्तर; रथिन् “धनी” से रथिन्तम । समासों के साथ भी इन प्रत्ययों का प्रयोग मिलता है; यथा—रत्नधा “रत्न देने वाला” से रत्नधातमः (ऋ०); पूभिद् “दुर्गों का भेदन करने वाला” से पूभिन्तम । इष्टप्रत्ययान्त शब्द के साथ भी तम का प्रयोग मिलता है^{२०}क; यथा—श्रेष्ठतम (ऋ०, शत० ब्रा०); ज्येष्ठतम (ऋ०) ।

१९७. भाव-वाचक तथा कर्म-वाचक प्रत्यय—भाव को प्रकट करने के लिये निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है—

त्व^{२१}—अमृतत्वम् “अमरपन”; मृचवृत्वम् “दान-शीलता”; भ्रातृत्वम् “भाई-पना ।” त्वान्त शब्द नपुं० में प्रयुक्त होते हैं ।

ता (पा० तट् टि० १९)—पुन्धुता “रिश्तेदारी”; वसुता “अच्छापन या

धनवत्ता"; पुरुषत्वा "पुरुषपन" । ता- प्रत्ययान्त शब्द का प्रयोग केवल स्त्री० में होता है ।

इमन् (पा० इमन्तिच्)^{२०}—पृथु से प्रथिमन् "विशालता"; स्वादु से स्वादि-
मन् (का० श्रौ० सू०) "स्वादुपन" ।

य (पा० प्यञ्, यत्, य, यक्)^{२१}—ब्राह्मण्यम् (शत० ब्रा०) "ब्राह्मणपन";
स्तेन से स्तेयम् (सं० इत्यादि) "चोरी"; सख्यम् "मित्रता"; गार्ह-
पत्यम् (सं० इत्यादि) "गृहस्थ" ।

अ (पा० अञ्, अण्)^{२२}—अध्वर्यु से आध्वर्यवम् (ऋ०, वा० सं०, शत० ब्रा०)
"अध्वर्युपन"; युवन् से यौवनम् "जवानी"; स्थाविरम् (ला० श्रौ०
सू०) "बुढापा" ।

उपर्युक्त प्रत्यय अनेक शब्दों के साथ जुड़ कर कर्म का बोध भी कराते हैं^{२३}; यथा—उपर्युक्त उदाहरणों में ब्राह्मण्यम् का अर्थ "ब्राह्मण का कर्म" भी है । सख्यम् का अर्थ "मित्रता या मित्र का कर्म"; और आध्वर्यवम् का अर्थ "अध्वर्युपन या अध्वर्यु का कर्म" भी है । स्तेयम् "चोरी" इत्यादि में कर्म का अर्थ ही प्रधान है ।

१९८. "युक्त" (वाला) अर्थ में मतुवादि प्रत्यय—जब किसी व्यक्ति के पास या अधिकार में किसी वस्तु का होना प्रकट किया जाता है, तब उस वस्तु के वाचक शब्द के साथ मतुप् इत्यादि प्रत्यय जोड़े जाते हैं और श्लोकवार्तिक के अनुसार ये प्रत्यय—बहुत्वं, निन्दा, प्रशंसा, नित्ययोग, अतिशयन (बहुत आधिक्य या श्रेष्ठता), तथा संसर्ग (सम्बन्ध) के अर्थों में प्रयुक्त होते हैं^{२४}; यथा—गोमत् "गायों वाला" । ये प्रत्यय मत्, वत्, ल, इल, वल, श, न, इन्, हर, ई, वन्, विन्, र, युस् तथा गिमन् हैं ।

मत् (पा० मतुप् टि० २४)—गोमत् "गायों वाला"; अशनिमत् "वज्र वाला";
ऋतुमत् "बौद्धिक शक्ति वाला" ।

वत् (पा० वतुप्)^{२५}—अश्ववत् तथा अश्वोवत् (पपा० अश्वोवत्) "घोड़ों
वाला"; सखिवत् "मित्र से युक्त", पर्यस्वत् "दूध से सम्पन्न"; मुघवत्
"दानशील" ।

ल (पा० लच्) ^{१५}—जीव-ल- (अ०) “जीवन-युक्त”; बहु-ल- “बहुत्व वाला”;
मधु-ल- (ऋ०) “माधुर्य वाला”; पांसु-ल- (शत० ब्रा०) “धूलियुक्त” ।

इल (पा० इलच्) ^{१६}—तुन्द “तोंद” से तुन्दिल (गृ० सू०) ।

वल (पा० वलच्) ^{१७}—रजस् “धूलि” से रजस्वला (गृ० सू०) “ऋतुमती स्त्री”;
दन्तावल (गो० ब्रा०) व्यक्तिविशेष का नाम” ।

श ^{१८}—रोमन् तथा लोमन् से रोमश- (ऋ० इत्यादि) “रोमयुक्त”; लोमश-
(तै० ब्रा०) “रोम-युक्त” ।

न (टि० २९)—पामन् से पामन- (शत० ब्रा०) “पामन् (खुजली) रोग से
ग्रस्त”; इलेष्मन् “कफ” से इलेष्मण (शत० ब्रा०) “कफ वाला”;
सामन् से सामन- (ऋ०) “शान्तियुक्त” ।

इन् (पा० इनि) ^{१९}—अश्व से अश्विन् “घोड़े वाला”; मनीषा से मनीषिन्
“बुद्धिमान्”; सहस्रिन् (ऋ०) “सहस्र वाला”; माया से मायिन् (सं०)
“कपटी” ।

इर (वार्तिक इरन्, इरच्) ^{२०}क—मेधा से मेधिर्- (ऋ०) “बुद्धिमान्”; रथ से
रथिर्- (ऋ०) “रथ वाला, शीघ्रगामी” ।

ई ^{२१}ख—रथ से रथीः प्रथ० ए० (ऋ०, ऐ० ब्रा०) “रथ वाला” । सुमङ्गलीः
प्रथ० ए० (ऋ०, अ०) “कल्याणवाली” ।

चन् (वार्तिक-चनिप्) ^{२२}ख—मघ से मघवानम् द्विती० ए० (ऋ०) “दानयुक्त
इन्द्र को”; ऋत से ऋतावानम् द्विती० ए० (ऋ०, अ०) “ऋत का पालन
करने वाले को” ।

चिन् (पा० चिनि) ^{२३}—यशस् से यशस्विन् (अ०) “यश वाला”; तपस् से
तपस्विन् (तै० सं०) “तपस्या करने वाला”; मेधा से मेधाविन् (अ०
इत्यादि) “मेधा वाला”; अष्ट्रा “अट्कुश” से अष्ट्राचिन् (ऋ०)
“अट्कुश के संवेत पर चलने वाला” ।

र ^{२४}—पांसु से पांसुर- (ऋ०) “धूलियुक्त”; ऊप से ऊपर- (शत० ब्रा०)
“लवणयुक्त भूमि”; मुक्क से मुक्कर- (तै० सं०, ब्रा०) “साण्ड” ।

युस् ^{२५}—ऊर्णा से ऊर्णायु- (तै० सं०) “ऊन से युक्त”; नाम् से शंयु- (सं०)

“कल्याणमय”; अहम् से अहंयुः (ऋ० १, १६७, ७) “अहंकारवती”; शुभम् से शुभंयवः प्रथ० व० (ऋ० १०, ७८, ७)^{३८} ।

गिमन् (पा० गिमनि)^{३९}—वाच् से वाग्गिमन् (प्रायेण वाग्गिमन् लिखा जाता है; शत० ब्रा०, ला० श्रौ० सू०) “अच्छा वक्ता” ।

१९९. तुल्यता-वाचक वत् (पा० वति) प्रत्यय—किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ तुल्यता, सादृश्य इत्यादि को दिखलाने के लिये उस के वाचक शब्द के साथ वत् (पा० वति) प्रत्यय जोड़ा जाता है^{४०}; यथा—मनुवत् और मनुष्वत् (ऋ०) “मनु या मनुष्यों की तरह”; अङ्गिरस्वत् (ऋ०, वा० सं०) “अङ्गिरा की तरह”; जमदग्निवत् “जमदग्नि की तरह”; पुराणवत्, पूर्ववत् तथा प्रत्नवत् “जैसे प्राचीनकाल में था” । प्राचीन वैदिकभाषा में अकेले उपसर्ग के साथ धातु के अर्थ में वत् (पा० वति) प्रत्यय का प्रयोग मिलता है^{४१}; यथा—उद्भवत् = उद्भवत् “उंचाई”; निभवत् = निवत् “नीचाई” ।

२००. अपत्य-वाचक प्रत्यय—वैदिक भाषा में निम्नलिखित अपत्य-वाचक प्रत्ययों का प्रयोग मिलता है—

अ (पा० अण्, अञ्)^{४२}—भारतः (ऋ० इत्यादि) “भरत का वंशज”; भारद्वाजः (शत० ब्रा० इत्यादि) “भरद्वाज का वंशज”; आष्टिषेणः (ऋ०) “ऋष्टिषेण का पुत्र” ।

आयन् (पा० फण्, फक्)^{४३}—दाक्षायण- (अ०, वा० सं०) “दक्ष का वंशज”; कण्वायनाः व० सम्बो० (ऋ०) “कण्व के वंशज”; अमुष्यायण- (अ० इत्यादि) “अमुक का वंशज” ।

इ (पा० इञ्)^{४४}—आग्निवेशि- “अग्निवेश का वंशज”; पौरुक्कुत्सि- “पुरुक्कुत्स का वंशज”; प्रतर्दनि- “प्रतर्दन का वंशज”; प्राह्वादि- (अ०) “प्रहाद का पुत्र”; सांवरणि- (ऋ०) “संवरण का वंशज” ।

ईय (पा० छ्)^{४५}—स्वस्त्रीय- (तै० सं० इत्यादि) “बहिन का अपत्य” ।

एय (पा० ढक्, ढञ्)^{४६}—आदित्य- (ऋ० इत्यादि) “अदिति का पुत्र”; आत्रेय- (शत० ब्रा०) “अत्रि का वंशज” ।

य (पा० ष्य, यञ्, यत्)^{३१}— आदित्य- “अदिति का पुत्र”; साहद्वेय- (ऋ० ४, १५) “सहदेव का पुत्र”; माण्डव्य- (शत० ब्रा०) “मण्डु का वंशज” ।

२०१. सर्वनामों तथा संख्यावाचक शब्दों के साथ तद्धित प्रत्यय—

(क) सर्वनामों के साथ परिमाण-वाचक प्रत्यय— (वत्, यत्, अति) परिमाण को प्रकट करने के लिये यद्, तद् तथा एतद् के साथ वत् (पा० वतुप्) प्रत्यय जोड़ा जाता है^{३२} और वत् प्रत्यय से पूर्व सर्वनाम को आकार अन्तादेश हो जाता है^{३३}; यथा—यावत् “जितना”; तावत् “उतना”; एतावत् “इतना” । किम् तथा इदम् के पश्चात् यत् प्रत्यय जोड़ा जाता है^{३४} और प्रत्यय से पूर्व किम् का कि तथा इदम् का इ शेष वचता है^{३५}; यथा—कियत् “कितना”; इयत् “इतना” । संख्याविषयक परिमाण के लिये प्रयुक्त होने वाले किम् के साथ अति (पा० इति) प्रत्यय जोड़ा जाता है^{३६} और किम् के अन्तिम इम् का लोप हो जाता है; यथा—कति “कितने” । इसी प्रकार यद् से यति “जितने” और तद् से वने तति “उतने” का वैदिक प्रयोग भी उपलब्ध होता है ।

(ख) सर्वनामों के साथ सादृश्य-वाचक प्रत्यय (वत्)— प्राचीन वैदिकभाषा में सादृश्य को प्रकट करने के लिये युष्मद् तथा अस्मद् के साथ वत् (पा० वतुप्) प्रत्यय का प्रयोग मिलता है^{३७}; यथा—त्वावत्- (ऋ०) “तेरे जैसा”; मावत्- (ऋ०) “मेरे जैसा” । सर्वनामों के साथ दृश् का उपपदसमास (अनु० १८४) बना कर भी सादृश्य को प्रकट किया जाता है^{३८}; यथा—एतादृश्- “ऐसा”; तादृश्- “वैसा”; यादृश् “जैसा”; कीदृश्- “कैसा”; इदृश्- “ऐसा”; तादृशं- (ब्रा०) “वैसा”; यादृशं- (ब्रा०) “जैसा”; इदृशं- (ब्रा०) “ऐसा”; इदृक्षं- (वा० सं०) “ऐसा”; एतादृक्षं- (वा० सं०) “ऐसा” ।

(ग) अन्तर (पा० इतरच्) तथा अतम (पा० इतमच्) प्रत्यय—जब दो में से किसी एक के विषय में निश्चय करना हो तब किम्, यद् तथा तद् के साथ अन्तर (पा० इतरच्) प्रत्यय जोड़ा जाता है^{३९}; और जब बहुतों में से एक के विषय में निश्चय करना हो तब अतम (पा० इतमच्)

प्रत्यय जोड़ा जाता है^{५२}; यथा—कतुर “दो में से कौन रा”; यतुर “दो में से जौन सा”; ततुर “दो में से वही”; कृतम “बहुतों में से कौन रा”; यतम “बहुतों में से जौन सा”; ततम (ऐ० उप०) “बहुतों में से वही” ।

(घ) प्रकारवाचक प्रत्यय था और थम्—“प्रकार” अर्थ को प्रकट करने के लिये सर्वनामों के साथ था (पा० थल्, था) प्रत्यय जोड़ा जाता है और इदम् तथा किम् के साथ थम् (पा० थमु) प्रत्यय जोड़ कर भी शब्द बनाये जाते हैं^{५३}; यथा—तथा “उस प्रकार से”; यथा “जिस प्रकार से”; इत्था (ऋ०) तथा इत्थम् “इस प्रकार से”; कथा तथा कथम् “किस प्रकार से” । “इव” के अर्थ में भी थल् प्रत्यय कतिपय शब्दों के साथ जुड़ता है^{५४}; यथा—प्रुत्थया, पूर्वया “पूर्वकाल की तरह”; विश्वथा “सब की तरह” ।

(ङ) युष्मद् तथा अस्मद् के साथ सम्बन्ध-वाचक प्रत्यय—साधारण सम्बन्धवाचक प्रत्यय अ (पा० अण्) जोड़ने पर युष्मद् से युष्माक्— (ऋ०) “तुम सब का”; तथा तावक्—“तुम्हारा” और अस्मद् से अस्माक्— (ऋ०) तथा आस्माक्— (वा० सं०) “हम सब का” और ममक्— (ऋ०) तथा मामक्— (ऋ०) “मेरा” तद्धितान्त शब्द बनते हैं^{५५} ।

(च) संख्यावाचक शब्दों से बने तद्धितान्त शब्द—संख्यावाचक शब्दों से बनने वाले तद्धितान्त शब्दों का वर्णन चतुर्थ अध्याय में किया जा चुका है (अनु० १५९-१६२) ।

२०२. विभक्त्यर्थक प्रत्यय—बहुत से सर्वनामों के पञ्चम्यन्त तथा सप्तम्यन्त रूप के अर्थ को प्रकट करने के लिये उन के साथ तद्धित प्रत्यय जोड़े जाते हैं और इन प्रत्ययों से पूर्व कतिपय सर्वनामों के रूपों में कुछ विकार भी हो जाते हैं । इन विकारों के सम्बन्ध में पाणिनि तथा पाश्चात्य विद्वानों में कुछ मतभेद है । पाणिनि के मतानुसार, विभक्ति-संज्ञक (टि० ५७) प्रत्ययों से पूर्व इदम् का इ (इश्) तथा एतद् का अ (अन्) बनता है परन्तु रेफादि प्रत्यय से पूर्व इन दोनों का एत और थकारादि प्रत्यय से पूर्व इत् बनता है^{५६} । दकारादि प्रत्यय से पूर्व सर्व

का विकल्प से स बन जाता है^{५५}। तकारादि तथा हकारादि प्रत्यय से पूर्व किम् का कु बन जाता है^{५६}। इन प्रत्ययों से पूर्व यद्, तद्, अदस् इत्यादि सर्वनामों का वही अङ्ग प्रयुक्त होता है जो पञ्चमी तथा सप्तमी विभक्ति से पूर्व आता है^{५७}। सर्वनामों के अतिरिक्त, अभि, परि अव्ययों के साथ भी तस् प्रत्यय का प्रयोग मिलता है। इन तद्धित प्रत्ययों के जुड़ने से बनने वाले सभी शब्द अव्ययों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार, विभक्तिसंज्ञक (टि० ५७) प्रत्यय पञ्चमी या सप्तमी विभक्ति के स्थान पर आदेश रूप में नहीं आते हैं अपितु पञ्चम्यन्त या सप्तम्यन्त रूप से परे स्वार्थ में आते हैं और इन के जुड़ने पर विभक्ति का लोप (पा० लुक्) हो जाता है (दे० पा० ५, ३, ७ तथा १० पर महाभाष्य)। यद्यपि पाणिनीयव्याकरण-प्रक्रिया के औचित्य के विचार से यह मत न्याय्य है, तथापि वास्तव में यह मानना ही स्वाभाविक है कि प्रातिपदिकों के साथ इन विभक्तियों के अर्थ में ये प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं।

(क) पञ्चम्यन्त रूप के लिये तस् प्रत्यय—पञ्चम्यन्त रूप के अर्थ को प्रकट करने के लिये सर्वनामों के साथ तस् (पा० तसिल्) प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है^{५८}; यथा—अर्तः “इस से”; इर्तः “यहाँ से”; तर्तः “उस से”; अमुर्तः “वहाँ से”; यर्तः “जहाँ से, जिस से”; कुर्तः “कहाँ से”। अभि तथा परि के साथ भी इस प्रत्यय का प्रयोग मिलता है^{५९}; यथा—अभित्तः तथा पुरित्तः “सब ओर से”। लगभग इसी अर्थ को प्रकट करने के लिये नामों तथा सर्वनामों के साथ उदात्त तस् (पा० तसि) भी जोड़ा जाता है (टि० ५८); यथा—हृत्तः “हृदय से”; मृत्तः “मेरे से”; ऋभुत्तः “ऋभु से”; मृखत्तः “मुख से”।

(ख) सप्तम्यन्त रूप के लिये त्र, त्रा तथा ह प्रत्यय—सप्तम्यन्त रूप के अर्थ को प्रकट करने के लिये सर्वनामों के साथ त्र (पा० त्रल्) प्रत्यय का प्रयोग मिलता है^{६०}; यथा—अत्र “यहाँ”; यत्र “जहाँ”; तत्र “वहाँ”; कुत्र “कहाँ”; अमुत्र “वहाँ उस दूर स्थान पर”; अन्यत्र “अन्य स्थान पर”; विश्वत्र “सब स्थानों पर”।

कतिपय नामों तथा सर्वनामों के साथ इसी अर्थ में उदात्त प्रा प्रत्यय का प्रयोग भी उपलब्ध होता है और पाणिनि के मतानुसार प्रा प्रत्यय द्वितीयान्त तथा सप्तम्यन्त रूपों के साथ जोड़ा जाता है^{११}; यथा—देवत्रा “देवों में”; मनुष्यत्रा “मनुष्यों में”; पुरुषत्रा “पुरुषों में”; पुरुत्रा “बहुत से स्थानों में”; स्वर्त्रा “मनुष्यों में”; शयुत्रा “पलंग पर”; सुत्रा “समान स्थान पर”; दक्षिणत्रा “दक्षिण (हाथ) की ओर, दक्षिण में”; अस्मत्रा “हम लोगों में” ।

इदम् तथा किम् के साथ इसी अर्थ में इ प्रत्यय भी जोड़ा जाता है^{१२}; यथा—इह “यहाँ पर”; कुह “कहाँ पर”; विश्व से विश्वह तथा विश्वहा “सदा” शब्द बनते हैं । किम् से क (कु + अत्) शब्द भी इसी अर्थ में बनता है^{१३} ।

- (ग) कालवाची सर्वनामों के साथ दा, हिं इत्यादि प्रत्यय—जब सर्वनामों का प्रयोग कालविशेष का बोध कराने के लिये किया जाता है, तब उन के सप्तम्यन्त रूप के अर्थ को प्रकट करने के लिये सर्व, किम्, यद्, तद् के साथ दा प्रत्यय जोड़ा जाता है^{१४}; यथा—सर्वदा तथा सदा; कदा तथा कदा (ऋ०); युदा; तदा । ऋ० में इदम् से बना इदा “अव” शब्द भी मिलता है^{१५} । इसी अर्थ में कतिपय सर्वनामों के साथ दानीम् तथा हिं (पा० हिंल्) प्रत्यय भी जोड़े जाते हैं^{१६}; यथा—इदानीम् “अव”; तदानीम् “तव”; विश्वदानीम् “सदा”; एतहिं (तै० सं०, शत० ब्रा०) “अव”; तहिं (अ० इत्यादि) “तव”; कहिं (ऋ०) “कव”; यहिं (तै० सं०, ऐ० ब्रा०) “जव”; अमुहिं (शत० ब्रा०) “उस समय” ।

- (घ) दिक्शब्दों के साथ तस्, तात् तथा आहि प्रत्यय—दिक्शब्दों के साथ तस् (पा० अतसुच्) तथा तात् (पा० अस्तात्ति) प्रत्ययों का प्रयोग मिलता है । पाणिनि के मतानुसार, दिशा, देश और काल को प्रकट करने वाले दिक्शब्दों के प्रथमान्त, पञ्चम्यन्त तथा सप्तम्यन्त रूपों के साथ अस्तात्ति प्रत्यय स्वार्थ में जोड़ा जाता है और दक्षिण, उत्तर इत्यादि के साथ अतसुच् प्रत्यय का प्रयोग होता है^{१७}; यथा—पुरस्तात्

प्राक्तात् (ऋ०) “सामने, पूर्व में, या पूर्व की ओर से”; अधस्तात्, अधस्तात् “नीचे, या नीचे की ओर से”; पुरस्तात् “दूर, या दूर से”; पश्चात्तात् (ऋ०) “पीछे, या पीछे की ओर से”; उपरिष्ठात् “ऊपर, या ऊपर की ओर से”; उत्तरतः (अ०, वा० सं०) “ऊपर, उत्तर में, या उत्तर की ओर से”; दक्षिणतः “दक्षिण में, या दक्षिण की ओर से” ।

दूरी के अर्थ में उत्तर तथा दक्षिण शब्दों के साथ तात् (पा० अस्ताति) के स्थान पर षाहि प्रत्यय का प्रयोग होता है^{६८}; यथा—
उत्तराहि (शत० ब्रा०) “दूर उत्तर में”; दक्षिणाहि “दूर दक्षिण में” ।

पाणिनि ने कतिपय पञ्चम्यन्त रूपों को तद्धितान्त अव्यय बनाने के लिये आति प्रत्यय^{६९} और तृतीयान्त रूपों को अव्यय बनाने के लिये एनप् तथा षाच् प्रत्ययों का विधान किया है^{७०}; यथा—उत्तरात्, दक्षिणात्, अधरात् पश्चात्, उत्तरेण, दक्षिणेन, दक्षिणा । इस में सन्देह नहीं कि ये शब्द अव्ययों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, परन्तु इस तथ्य का भी अपलाप नहीं किया जा सकता कि ये शब्द मूलतः विभक्त्यन्त थे ।

२०३. समूहवाचक प्रत्यय—वैदिकभाषा में समूहवाचक प्रत्ययों के कुछ प्रयोग मिलते हैं । कतिपय प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं—

अ (पा० षण्)^{७१}—साहस्रम् (तै० ब्रा०) “सहस्रों का समूह”; भैक्षम् (गृ० सू०) “भिक्षाओं का समूह” ।

ता (पा० तल्)^{७२}—ग्रामता (ऐ० ब्रा०) “ग्रामों का समूह”; जनता (अ०, तं० सं० इत्यादि) “जनों का समूह” ।

२०४. ह्रस्वत्व-वाचक क (पा० कन्) प्रत्यय—जब किसी वस्तु की ह्रस्वता, जल्पता, धनुकम्पनीयता या ह्रस्वता के विचार से प्रतिष्ठति (नमूना) प्रकट करना अभिप्रेत हो, तब उस के वाचक शब्द के साथ क (पा० कन्) प्रत्यय जोड़ा जाता है^{७३}; यथा—राजका इदंन्यके युके (ऋ० ८, २१, १८) “जो दूसरे छोटे-छोटे राजा”; कुमारक- (ऋ०, शत० ब्रा०) “छोटा सा लड़का”; कुमारिका- (अ०) “छोटी सी लड़की”; पादक- (ऋ०) “छोटा सा पाव”; शुकुन्तक- (वा० सं०)

“छोटा सा पक्षी”; शुक्रन्तिका- (ऋ०) “छोटी सी चिड़िया”;
पुत्रक- (ऋ० इत्यादि) “छोटा (प्यारा) बेटा”; अश्वकः (वा०
सं० २३, १८) “छोटा सा (या निकम्मा) टट्ट” ।

२०५. ताति (पा० तातिल्) तथा तात् (?) प्रत्यय—ताति-प्रत्ययान्त
रूप प्रायेण ऋ० में मिलते हैं और कतिपय गिने चुने उदाहरण अ०
तथा वा० सं० इत्यादि में उपलब्ध होते हैं । ताति-प्रत्यय के अर्थ के
विषय में अनेक मत-भेद हैं । अधिकतर पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि
ताति प्रत्यय ता (पा० भाववाचक तल् अनु० १९७) प्रत्यय से सम्बद्ध
है और यह भी ता की भांति भाव-वाचक है^१; यथा—देवताति-
“देवत्व”; सर्वताति-“सम्पूर्णता”; अरिष्टताति-“सुरक्षा”; ज्येष्ठ-
ताति-“ज्येष्ठता”; अयक्ष्मताति-“नीरोगता”; दक्ष-ताति-“दक्षता
(चतुराई)” । परन्तु पाश्चात्य विद्वानों में भी ताति-प्रत्ययान्त शब्दों
के अर्थ के विषय में पूर्ण मतैक्य नहीं है और उन्होंने एक ही शब्द के
अनेक अर्थ सुझाये हैं; यथा—मैक्डानल ने Ved. Gr. में सर्वताति-
का अर्थ “completeness” (सम्पूर्णता) दिया है, जबकि Ved.
Gr. Stu. में इसी शब्द का अर्थ “complete welfare (Lat.
salu-tāti-)” (पूर्ण कुशलता) दिया है (टि० ७४) । मोनियर
विलियम्स ने “totality” और “completeness” के अतिरिक्त
“perfect happiness or prosperity” (पूर्ण आनन्द या समृद्धि)
तथा “soundness” (ठोसता) भी इस शब्द के अर्थों में गिनाये हैं
(टि० ७४) । इसी प्रकार देवताति- शब्द के भी अनेक अर्थ सुझाये
गये हैं (टि० ७४); यथा—“divine service” (देवों की परिचर्या);
“the gods collectively” (समस्त देवगण) इत्यादि । इस के
अतिरिक्त, मैक्डानल ने यह भी स्वीकार किया है कि शंताति- “good
fortune” (सौभाग्य) तथा सत्यताति- “truth” (सत्यता) शब्द
विशेषणों के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं और उस रूप में इन का अर्थ
क्रमशः “beneficent” (हितकारक) तथा “truthful” (सत्यपूर्ण) है^५ ।

पाणिनि ने ताति (तातिल्) प्रत्यय के चार अर्थ दिखलाये हैं—

(१) वह सर्व तथा देव के साथ स्वार्थ में (अर्थात् इन शब्दों के अपने

ही अर्थों में) तात्ति का प्रयोग मानता है^{५१}; (२) शिव, शम् तथा अरिष्ट के साथ करने के अर्थ में^{५२}; (३) और भाव के अर्थ में पाणिनि तात्ति का विधान करता है^{५३} यथा—शिवतात्ति- और शंतात्ति-“कल्याण करने वाला, कल्याणत्व”; (४) और ज्येष्ठ (तथा वृक ?) के साथ तात्ति का प्रयोग प्रशंसा के अर्थ में दिखलाया गया है^{५४} ।

सायण प्रभृति भाष्यकार भी तात्ति-प्रत्ययान्त शब्दों के अर्थों का सुनिश्चित समाधान नहीं सुझा सके हैं । देवतात्ति- तथा सर्वतात्ति- इत्यादि कतिपय शब्दों के व्याख्यान में सायण पाणिनि के मतानुसार 'स्वार्थ' में तात्ति प्रत्यय मानता है^{५५}; परन्तु अरिष्टतात्ति- तथा शंतात्ति-इत्यादि कतिपय शब्दों के व्याख्यान में कहीं-कहीं पाणिनि के मत के विरुद्ध भी सायण ने इन में स्वार्थिक तात्ति प्रत्यय माना है^{५६} । कतिपय स्थलों में सायण ने पाणिनि के मत के सर्वथा अनुकूल अरिष्टतात्ति- तथा शंतात्ति-शब्दों में “करने” के अर्थ में तात्ति प्रत्यय माना है^{५७} । कतिपय वैदिक शब्दों के व्याख्यान में सायण, उवट तथा महीधर, पाणिनि के मतानुसार तात्ति प्रत्यय मानने के साथ-साथ, विकल्प से -तात्ति की व्युत्पत्ति √तन् धातु से भी दिखलाते हैं^{५८} । सर्वतात्ति- तथा देवतात्ति- के व्याख्यान में कहीं-कहीं सायण ने तात्ति प्रत्यय को सर्वथा नहीं माना है और इन में आने वाले -तात्ति की व्युत्पत्ति केवल √तन् धातु से दिखलाई है और इन शब्दों का अर्थ 'यज्ञ' इत्यादि किया है^{५९} । तात्ति-प्रत्ययान्त शब्दों के उपर्युक्त विभिन्न व्याख्यानों से स्पष्ट है कि भाष्यकारों के समक्ष कोई निश्चित परम्परा नहीं थी और वे अपनी विद्वत्ता के आधार पर आनुमानिक व्याख्यान करते थे ।

इस में कोई सन्देह नहीं है कि कतिपय शब्दों में तात्ति प्रत्यय ता प्रत्यय (अनु० १९७) की भांति भाव-वाचक है जैसा कि पाणिनि ने भी सीमित रूप में स्वीकार किया है (टि० ७८) । यह भी लगभग निश्चित है कि पाणिनि के व्याख्यानानुसार (टि० ७७) कतिपय शब्दों का तात्ति प्रत्यय “करने” के अर्थ को प्रकट करता है । ऋ० में आने वाले

द्वेषताति- तथा सूर्यताति- इत्यादि शब्दों के प्रासङ्गिक अर्थ पर विचार करने में यह प्रतीत होता है कि कतिपय स्थलों में ताति प्रत्यय ता प्रत्यय (अनु० २०३) की भाँति समूहवाचक भी है ।

पान्चाल विद्वान् कतिपय शब्दों में तात् प्रत्यय मानते हैं और यह अनुमान लगाते हैं कि सम्भवतः अन्तिम इकार के लोप के कारण तात् प्रत्यय उपर्युक्त ताति का ही संक्षिप्त रूप है^{६५} । तात् प्रत्यय से बनने वाले शब्द केवल प्रा० में मिलते हैं और उन के रूप केवल तृ० च० स० ए० में उपलब्ध होते हैं; यथा—द्वेषतात् से तृ० ए० द्वेषताता, च० ए० द्वेषताते; स० ए० द्वेषताति; सूर्यतात् का तृ० ए० सूर्यताता; सत्यतात् का तृ० ए० सत्यताता; वृकतात् का स० ए० वृकताति; और उपरतात् “सामीप्य” का स० ए० उपरताति । पाणिनीय व्याकरण के अनुसार, मुझे तात् प्रत्यय का कोई आधार नहीं सूझा है । सायण अपने ऋग्वेद-भाष्य में अनेक स्थलों पर तात्-प्रत्ययान्त तृ० ए० तथा स० ए० के रूपों को ताति-प्रत्ययान्त मान कर व्याख्यान करता है और कहीं-कहीं —“ताते” तथा —“ताति” इत्यादि की व्युत्पत्ति √तन् से दिखलाता है^{६६} । इस में सन्देह नहीं कि तात्-प्रत्ययान्त का तृ० ए० और ताति-प्रत्ययान्त का स० ए० सर्वथा अभिन्न है; यथा—सूर्यताता । इसी प्रकार तात्-प्रत्ययान्त का स० ए० ताति-प्रत्ययान्त के प्रथ० द्विती० ए० नपुं० के समान है; यथा—द्वेषताति ।

२०६. सम्बन्ध-वाचक प्रत्यय—यद्यपि पाणिनि ने सम्बन्ध-वाचक प्रत्ययों के अर्थों की सूक्ष्मता पर भी प्रकाश डाला है, तथापि हम यहाँ पर प्रमुख सम्बन्ध-वाचक प्रत्ययों का संक्षिप्त वर्णन करेंगे और तत्सम्बन्धी वैदिक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे ।

अ (पा० अण्, अङ्)—मारुत- “मारुत-सम्बन्धी”; दैव- “देव-सम्बन्धी”; मानव- “मनु (मनुष्य)-सम्बन्धी”; सारस्वत- “सरस्वती-सम्बन्धी”; यामुन- (अ०) “यमुना-सम्बन्धी”; वैश्वदेव- (अ०, वा० सं०) “सब देवों से सम्बद्ध”; त्रैककुद- (अ०) “त्रिककुद में उत्पन्न”; मानस-

ही अर्थों में) तात्ति का प्रयोग मानता है^{५१}; (२) शिव, शम् तथा अरिष्ट के साथ करने के अर्थ में^{५२}; (३) और भाव के अर्थ में पाणिनि तात्ति का विधान करता है^{५३} यथा—शिवतात्ति- और शंतात्ति-“कल्याण करने वाला, कल्याणत्व”; (४) और ज्मेष्ठ (तथा वृक ?) के साथ तात्ति का प्रयोग प्रशंसा के अर्थ में दिखलाया गया है^{५४} ।

सायण प्रभृति भाष्यकार भी तात्ति-प्रत्ययान्त शब्दों के अर्थों का सुनिश्चित समाधान नहीं सुझा सके हैं । देवतात्ति- तथा सुर्वतात्ति- इत्यादि कतिपय शब्दों के व्याख्यान में सायण पाणिनि के मतानुसार 'स्वार्थ' में तात्ति प्रत्यय मानता है^{५५}; परन्तु अरिष्टतात्ति- तथा शंतात्ति-इत्यादि कतिपय शब्दों के व्याख्यान में कहीं-कहीं पाणिनि के मत के विरुद्ध भी सायण ने इन में स्वार्थिक तात्ति प्रत्यय माना है^{५६} । कतिपय स्थलों में सायण ने पाणिनि के मत के सर्वथा अनुकूल अरिष्टतात्ति- तथा शंतात्ति-शब्दों में “करने” के अर्थ में तात्ति प्रत्यय माना है^{५७} । कतिपय वैदिक शब्दों के व्याख्यान में सायण, उवट तथा महीधर, पाणिनि के मतानुसार तात्ति प्रत्यय मानने के साथ-साथ, विकल्प से -तात्ति की व्युत्पत्ति √तन् धातु से भी दिखलाते हैं^{५८} । सुर्वतात्ति- तथा देवतात्ति- के व्याख्यान में कहीं-कहीं सायण ने तात्ति प्रत्यय को सर्वथा नहीं माना है और इन में आने वाले -तात्ति की व्युत्पत्ति केवल √तन् धातु से दिखलाई है और इन शब्दों का अर्थ 'यज्ञ' इत्यादि क्रिया है^{५९} । तात्ति-प्रत्ययान्त शब्दों के उपर्युक्त विभिन्न व्याख्यानों से स्पष्ट है कि भाष्यकारों के समक्ष कोई निश्चित परम्परा नहीं थी और वे अपनी विद्वत्ता के आधार पर आनुमानिक व्याख्यान करते थे ।

इस में कोई सन्देह नहीं है कि कतिपय शब्दों में तात्ति प्रत्यय ता प्रत्यय (अनु० १९७) की भांति भाव-धाचक है जैसा कि पाणिनि ने भी सीमित रूप में स्वीकार किया है (टि० ७८) । यह भी लगभग निश्चित है कि पाणिनि के व्याख्यानानुसार (टि० ७७) कतिपय शब्दों का तात्ति प्रत्यय “करने” के अर्थ को प्रवट करता है । ऋ० में आने वाले

द्वेषताति- तथा सुर्वताति- इत्यादि शब्दों के प्रासङ्गिक अर्थ पर विचार करने से यह प्रतीत होता है कि कतिपय स्थलों में ताति प्रत्यय ता प्रत्यय (अनु० २०३) की भाँति समूहवाचक भी है ।

पाश्चात्य विद्वान् कतिपय शब्दों में तात् प्रत्यय मानते हैं और यह अनुमान लगाते हैं कि सम्भवतः अन्तिम इकार के लोप के कारण तात् प्रत्यय उपर्युक्त ताति का ही संक्षिप्त रूप है^{५५} । तात् प्रत्यय से बने वाले शब्द केवल ऋ० में मिलते हैं और उन के रूप केवल वृ० च० स० ए० में उपलब्ध होते हैं; यथा—द्वेषतात् से वृ० ए० द्वेषताता, च० ए० द्वेषताते; स० ए० द्वेषताति; सुर्वतात् का वृ० ए० सुर्वताता; सत्यतात् का वृ० ए० सत्यताता; वृकतात् का स० ए० वृकताति; और उपरतात् “सामीप्य” का स० ए० उपरताति । पाणिनीय व्याकरण के अनुसार, मुझे तात् प्रत्यय का कोई आधार नहीं सूझा है । सायण अपने ऋग्वेद-भाष्य में अनेक स्थलों पर तात्-प्रत्ययान्त वृ० ए० तथा स० ए० के रूपों को ताति-प्रत्ययान्त मान कर व्याख्यान करता है और कहीं-कहीं —“ताते” तथा —“ताति” इत्यादि की व्युत्पत्ति √तन् से दिखलाता है^{५६} । इस में सन्देह नहीं कि तात्-प्रत्ययान्त का वृ० ए० और ताति-प्रत्ययान्त का स० ए० सर्वथा अभिन्न है; यथा—सुर्वताता । इसी प्रकार तात्-प्रत्ययान्त का स० ए० ताति-प्रत्ययान्त के प्रथ० द्विती० ए० नपुं० के समान है; यथा—द्वेषताति ।

२०६. सम्बन्ध-वाचक प्रत्यय—यद्यपि पाणिनि ने सम्बन्ध-वाचक प्रत्ययों के अर्थों की सूक्ष्मता पर भी प्रकाश डाला है, तथापि हम यहां पर प्रमुख सम्बन्ध-वाचक प्रत्ययों का संक्षिप्त वर्णन करेंगे और तत्सम्बन्धी वैदिक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे ।

अ (पा० अण्, अङ्)—मार्सुत- “मरुत्-सम्बन्धी”; दैर्व- “देव-सम्बन्धी”; मानव- “मनु (मनुष्य)-सम्बन्धी”; सारस्वत- “सरस्वती-सम्बन्धी”; यामुन- (अ०) “यमुना-सम्बन्धी”; वैश्वदेव- (अ०, वा० सं०) “सर्व देवों से सम्बद्ध”; त्रैककुद- (अ०) “त्रिककुद में उत्पन्न”; मानस-

षष्ठोऽध्यायः

“मत्तः सम्बन्धी”; शारद- “शरत्सम्बन्धी”; त्वाष्ट्र- “त्वष्टा से सम्बद्ध” ।

इक (पा० ठक्, ठञ्)—वार्षिक- “वर्ष-सम्बन्धी, वर्षा सम्बन्धी, एक वर्ष में किया जाने वाला”; मासिक- “मास-सम्बन्धी, एक मास में किया जाने वाला”; वासन्तिक- “वसन्त-सम्बन्धी”; कैरातिका- (अ०) “किरात-सम्बन्धी” ।

इय (पा० घ)—इन्द्रिय- “इन्द्र-सम्बन्धी”; समुद्रिय- “समुद्र-सम्बन्धी”; अश्रिय- “अश्र (बादल) से उत्पन्न हुआ”; अश्विय- (ऋ०) “अश्व-सम्बन्धी”; अग्रिय- “अग्रिम”; यज्ञिय- “यज्ञ के योग्य”; ऋत्विय- “उचित ऋतु में होने या करने वाला” (पा० घस् प्रत्यय) ।

ईन (पा० ख, खष्)—अर्वाचीन- तथा अर्वाचीन- “सामने की ओर मुड़ा हुआ”; विश्वजनीन- (अ०, मै० सं०) “सब लोगों का, सब के लिये हितकारी” ।

ईय (पा० छ)—गृहमेधीय- “गृह-यज्ञ से सम्बद्ध”; आहवनीय- “आहवन (होम) से सम्बद्ध”; पर्वतीय- (अ०) “पर्वत-सम्बन्धी” ।

एय (पा० ढ, ढक्, ढञ्)—पौरुषेय- “पुरुष-सम्बन्धी”; सभेय- “सभा के योग्य चतुर”; वास्तैय- (अ०) “वस्ति (अङ्गविशेष) में होने वाला”; वासतेय- (अ०) “वसति (निवास) के योग्य”; आग्नेय- (वा० सं० इत्यादि) “अग्नि-सम्बन्धी” ।

म (पा० म)—मध्यम- “मध्य का”; अधम- तथा अधम- “नीचे का”; परम- “दूर का” ।

य (पा० य, यञ्, यत्, यय)—उपस्य- (वा० सं०) “उपा-सम्बन्धी”; ऋतस्य- (तै० सं० इत्यादि) “ऋतुसम्बन्धी”; वायुस्य- (मै० सं०) “वायु-सम्बन्धी”; देवस्य- “देव-सम्बन्धी”; प्राजापत्य- (अ०) “प्रजापति-सम्बन्धी”; अश्वस्य- “अश्व-सम्बन्धी”; पितृस्य- “पितृ-सम्बन्धी”; नथ- “पुरुष-सम्बन्धी, पुरुष के लिये उचित, या पुरुष-सम्बन्धी गुणों वाला”; रथस्य- “रथ-सम्बन्धी”, गथस्य- “गाय यत्र या गाय-सम्बन्धी” ।

टिप्पणियां

१. पा० ७,२,११७-१८—तद्धितेष्वचामादेः । किति च ॥
२. पा० ६,४,१४६—ओर्गुणः ॥
३. पा० ६,१,७९—वान्तो यि प्रत्यये । इस पर चार्तिक—गोर्यूतो ङ्न्दसि; अध्वपरिमाणे च ॥
४. पा० ६,४,१४८—यस्येति च ॥
५. पा० ७,१,१-२ ॥
६. पा० ७,३,५०-५१ ॥
७. पा० ५,३,५७—द्विवचनविभज्योपपदे तरचीयसुनौ ॥
- ७क. पा० ५,३,५५—अतिशायने तमविष्ठनौ ॥
- ७ख. पा० ५,३,५८—अजादी गुणवचनादेव ॥
८. पा० ५,३,५९—तुश्छन्दसि ॥
९. Skt. Gr., p. 173; Ved. Gr. Stu., p. 95; Gr. Lg. Ved., pp. 163-64.
१०. पा० ५,३,६०-६४ प्रशस्यस्य श्रः । ज्य च । वृद्धस्य च । अन्तिक-वाढयोर्नेदसाधौ । युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम् ॥
११. पा० ६,४,१५६—स्थूलदूरयुवहस्वक्षिप्रसुद्राणो यणादिपरं पूर्वस्य च गुणः ॥
१२. पा० ६,४,१५७ ॥
१३. पा० ६,४,१५५-टेः ॥
१४. पा० ६,४,१६१-६२—र ऋतो हलादेर्लघोः । विभाषजोऽङ्छन्दसि ॥
१५. पा० ६,४,१५८—“बहोर्लोपो भू च बहोः” के अनुसार, बहु का भू वनता है और ईयस् के ई का लोप हो जाता है, परन्तु पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार √भू के साथ यस् प्रत्यय जोड़ा जाता है ।

षष्ठोऽध्यायः

१६. पा० ६,४,१६०—“ज्यादादीयसः” के अनुसार ज्य के पश्चात् ईयस् के ई का भा बनता है, परन्तु पाश्चात्य विद्वान् √ज्या के साथ यस् प्रत्यय मानते हैं ।
१७. ऋ० पर सायणभाष्य इत्यादि के अनुसार, इन में से कुछ कृदन्त रूप माने जाते हैं ।
- १७क. पा० ८,२,१७ (टि० १८) पर वार्तिक “ईद्रथिनः” के अनुसार, रथिन् के अन्त में तर तथा तम से पूर्व ई आदेश हो जाता है । इस पर काशि० कहती है—“रथशब्दादेव वा मत्वर्थीयोऽयमीकारः, छन्दसीवनिपाविति” ।
१८. पा० ८,२,१७—नाद् घस्य ।
- १८क. पा० ५,३,५५ (टि० ७क) पर काशि०—“यदा च प्रकर्षवतां पुनः प्रकर्षो विवक्ष्यते तदातिशायिकान्तादपरः प्रत्ययो भवत्येव” ।
१९. पा० ५,१,११९—तस्य भावस्त्वतलौ ॥
२०. पा० ५,१,१२२ ॥
२१. पा० ५,१,१२३-२६.१२८ ॥
२२. पा० ५,१,१२९-३१ ॥
२३. पा० ५,१,१२४—गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च ॥
२४. पा० ५,२,९४—तदस्यास्यस्मिन्निति मत्तुप् । इस पर वार्तिक—भूमनिन्दाप्रशंसाद्यु निल्ययोगेऽतिशायने । संसर्गेऽस्तिविवक्षायां भवन्ति मत्तुपादयः ॥
२५. पा० ८,२,९-१५ के अनुसार, कतिपय अपवादों को छोड़ कर निम्नलिखित प्रातिपदिकों के साथ जुड़ने वाले मत्तुप् प्रत्यय के म् का च् (अर्थात् षत्तुप् प्रत्यय) बन जाता है—(१) जिस प्रातिपदिक के अन्त में या उपधा में मकार वर्ण आए (२) जिस प्रातिपदिक के अन्त में या उपधा में झकार वर्ण आए (३) जिन प्रातिपदिकों के अन्त में षणो के प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्णों में से कोई वर्ण आए (४) कतिपय ऐसे प्रातिपदिक जिन के अन्त में द्यकार, ईकार या रेफ आए (५) कतिपय

संज्ञावाचक शब्दों में तथा उदुन्वत् "समुद्र" इत्यादि में भी मत्तुप् का वतुप् बन जाता है ।

२६. पा० ५, २, ९६-९८ ॥
२७. पा० ५, २, ९९-१००. १०५. ११७ ॥
२८. पा० ५, २, ११२-१४ ॥
२९. पा० ५, २, १०० ॥
३०. पा० ५, २, १०२. ११५-११७. १२८-१३७ ॥
- ३०क. पा० ५, २, १०९. पर वार्तिक ३ (महाभाष्य)—मेधारथाभ्यामिरनिरचौ ॥
दे० काशि० ॥
- ३०ख. पा० ५, २, १०९ पर वार्तिक २ (महाभाष्य)—छन्दसीवनिपौ च ॥ दे०
काशि०; और पा० ५, २, १२२ पर सि० कौ० ॥
३१. पा० ५, २, १०२. १२१-२२ ॥
३२. पा० ५, २, १०७ ॥
३३. पा० ५, २, १२३. १३८. १४० ॥
३४. पा० ५, २, १४० पर काशिका शुभंयु का व्याख्यान "कल्याणवान्" और
सि० कौ० "शुभान्वित" करती है । परन्तु ऋ० १०, ७८, ७ पर सायण
शुभंयवः का व्याख्यान "कल्याणकामा" और प्रासमैन तथा मोनियर
विलियम्स प्रभृति इस का अर्थ "आभूषण चाहने वाले" करते हैं ।
३५. पा० ५, २, १२४—वाचो गिमनिः ॥
३६. पा० ५, १, ११५-१७—तेन तुल्यं क्रिया चेद्वृत्तिः । तत्र तस्येव । तदर्हम् ॥
३७. पा० ५, १, ११८—उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थे ॥
३८. पा० ४, १, ८३-८४. ८६. १०४. ११२-११८. १७० ॥
३९. पा० ४, १, ९८-१०३. ११०-१११ ॥
४०. पा० ४, १, ९५-९७. १५३. १७३ ॥
४१. पा० ४, १, १४३ ॥
४२. पा० ४, १, ११९-१२७. १३५-१३६.

४३. पा० ४, १, ८५, १०५-१०८, १३७, १५१-१५२, १७२ ॥

४४. पा० ५, २, ३९—यत्तदित्थंभ्यः परिमाणे वतुप् ॥

४५. पा० ६, ३, ९१—आ सर्वनाम्नः ॥ इस पर वार्तिक—दक्षे चेति वक्तव्यम् ॥

४६. पा० ५, २, ४०—“किमिदंभ्यां वो घः” के अनुसार इन सर्वनामों से परे वतुप् प्रत्यय के व् का घ् अर्थात् इय् बन जाता है ।

४७. पा० ६, ३, ९०—“इदक्लिमोरीशकी” के द्वारा इश्, दश तथा वतुप् से पूर्व इदम् का इँ और किम् का की बनता है और पा० ६, ४, १४८ (टि० ४) के द्वारा अजादि प्रत्यय से पूर्व इन के अन्तिम ईकार का लोप हो जाता है ।

४८. पा० ५, २, ४१—किमः संख्यापरिमाणे ङिति च ॥

४९. पा० ५, २, ३९ पर वार्तिक- (काशि०)—वतुप्रकरणे युष्मदस्मद्भ्यां छन्दसि सादृश्य उपसंख्यानम् ॥

५०. पा० ३, २, ६०—त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कञ् । इस पर वार्तिक (काशि०)—समानान्ययोश्चेति वक्तव्यम् । दृशेः कसश्च वक्तव्यः ॥ इस सूत्र पर काशि०—“तादृगादयो हि रुढिशब्दप्रकारा नैवात्र दर्शनक्रिया विद्यते” । दृश् इत्यादि से पूर्व सर्वनामों के आकारान्त तथा ईकारान्त आदेश के लिये दे० टि० ४३ तथा ४७ ॥

५१. पा० ५, ३, ९२—कियत्तदो निर्धारणे द्वयोरैकस्य डतरच् ॥

५२. पा० ५, ३, ९३—वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच् ॥

५२क. पा० ५, ३, २३-२६—प्रकारवचने थाल् । इदमस्थमुः । किमश्च । था हेतौ च छन्दसि । दे० टि० ५७ ॥

५२ख. पा० ५, ३, १११—प्रत्नपूर्वविश्वेमात्थाल् छन्दसि ॥

५३. पा० ४, ३, १-३ ॥ श्र० १, ३९, ८ के भाष्य में युष्मत्कार्माभिः के व्याख्यान में सायण कहता है कि छान्दस रूप होने के कारण आदि अच् की शृद्धि नहीं की गई है । श्र० के भाष्य में अस्माक- की रूप-रचना पर विचार करते हुए सायण एक स्थल (१, ९७, ३) पर कहता है—“छान्दसो-

ऽप्रत्ययस्य लोपः । संज्ञापूर्वकस्य विधेरनित्यत्वाद् वृद्धयभावः” और अन्यत्र (५, १०, ६) कइता है— “छान्दसत्त्वादणो लोपः” ।

५४. पा० ५, ३, ३-५—इदम इग् । एतेतौ रयोः । एतदोऽन् (सि० कौ० तथा महाभाष्य); परन्तु काशि० में “एतदोऽन्” पाठ मिलता है । पाश्चात्य विद्वान् छ और इ को पृथक् प्रातिपदिक मानते हैं; दे० अनु० १६८ ।

५५. पा० ५, ३, ६—सर्वस्य सोऽन्यतरस्यां दि ॥

५६. पा० ७, २, १०४—कु तिहोः ॥

५७. पा० ५, ३, १ पर वार्तिक ४—लदादिविधयश्च ॥ इस सूत्र पर काशि०— “तसिलादीनां विभक्तित्वे प्रयोजनं लदादिविधयः, इदमो विभक्ति-स्वरश्च ॥” पा० ५, ३, १ के अनुसार, ५, ३, २ से ५, ३, २६ तक परि-गणित प्रत्यय—तसिल्, त्रल्, ह, दा, दानीम्, हिं, था, थाल् इत्यादि— विभक्तिसंज्ञक हैं ।

५८. पा० ५, ३, ७-८—पञ्चम्यात्तसिल् । तसेश्च ॥ ‘तसि’ प्रत्यय के लिये दे० पा० ५, ४, ४४-४९ ॥ तसि-प्रत्ययान्त के अन्तिम अक्षर पर उदात्त रहता है, परन्तु तसिल्-प्रत्ययान्त शब्द के प्रत्यय से पूर्ववर्ती अक्षर पर उदात्त रहता है ।

५९. पा० ५, ३, ९—पर्यभिभ्यां च ॥

६०. पा० ५, ३, १०—सप्तम्यास्त्रल् ॥

६१. पा० ५, ४, ५६—देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्येभ्यो द्वितीयासप्तम्योर्बहुलम् ॥

६२. पा० ५, ३, ११. १३—इदमो ह । वा ह च च्छन्दसि ॥

६३. पा० ५, ३, १२—किमोऽत् ॥ ७, २, १०५—क्राति ॥

६४. पा० ५, ३, १५—सर्वैकान्यक्रियतदः काले दा ॥

६५. पा० ५, ३, २०—तयोर्दाहिलौ च च्छन्दसि ॥

६६. पा० ५, ३, १६. १८. १९. २१—इदमो हिल् । दानीं च । तदो दा च । अनद्यतने हिल्लन्यतरस्याम् ॥ दे० टि० ६५ ॥

६७. पा० ५, ३, २७-२९—दिक्शब्देभ्यः सप्तमीश्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देश-

कालेष्वस्तातिः । दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच् । विभाषा परावराभ्याम् ॥
दे० पा० ५, ३, ३१. ३९-४१ ॥

६८. पा० ५, ३, ३७-३८—आहि च दूरे । उत्तराच्च ॥

६९. पा० ५, ३, ३४—उत्तराधरदक्षिणादातिः ॥ दे० पा० ५, ३, ३२-३३—
पश्चात् । पश्च पश्चा च छन्दसि ॥

७०. पा० ५, ३, ३५-३६—एनवन्यतरस्यामदूरेऽपञ्चम्याः । दक्षिणादाच् ॥ दे०
Ved. Gr., pp. 428-29; Skt. Gr., pp. 409-10.

७१. पा० ४, २, ३८—भिक्षादिभ्योऽण् ॥

७२. पा० ४, २, ४३—ग्रामजनवन्धुसहायेभ्यस्तल् ॥

७३. पा० ५, ३, ८५-८७. ९६-९७; ५, ३, ७५-८२ ॥

७४. Skt. Gr., pp. 476-77; Ved. Gr., p. 138; Ved. Gr.
Stu., p. 262; Gr. Lg. Ved., p. 172; उदाहृत शब्दों के अर्थों
के लिये दे० SPW., WZR., MWD.

७५. Ved. Gr., p. 138.

७६. पा० ४, ४, १४२—सर्वदेवात्तात्तिल् ॥

७७. पा० ४, ४, १४३—शिवशमरिष्टस्य करे ॥ इस पर काशि०—“शिवं
करोतीति, शिवतातिः ।”

७८. पा० ४, ४, १४४—भावे च ॥

७९. पा० ५, ४, ४१—वृकज्येष्ठाभ्यां तिल्लातिलौ च छन्दसि । इस पर
काशि०—‘प्रशंसायामित्येव । वृकज्येष्ठाभ्यां प्रशंसोपाधिकेऽर्थे वर्तमाना-
भ्यां यथासंख्यं तिल्लातिलौ प्रत्ययौ भवतश्छन्दसि विषये । रूपोऽपवादः ।
वृकतिः । ज्येष्ठतातिः ।’ सि० कौ० में भट्टोजिदीक्षित इन दोनों प्रत्ययों
का प्रयोग स्वार्थ में मानता है और सि० कौ० के “स्वार्थे” के व्याख्यान
में तत्त्वबोधिनी टीका का प्रणेता ज्ञानेन्द्रसरस्वती कहता है—“प्राशस्त्य-
विशिष्टे स्वार्थे इत्यर्थः” । ऋ० २, ३४, ९ के भाष्य में वृकताति का व्याख्यान
करते हुए सायण वृक के साथ भी स्वार्थ में तानि प्रत्यय वा प्रयोग मानते
हुए कहता है—“वृकताति आदाता वृकः । ‘वृक आदाने ।’ ‘वृकज्येष्ठा-
भ्यां तिल्लातिलौ च छन्दसि’ इति स्वार्थिकस्तातिप्रत्ययः ।” परन्तु

दाशिन तथा सि० मौ० के अनुसार, वृक् के साथ ति (तिल्) और ज्येष्ठ के साथ ताति (तानिन्) प्रत्यय का प्रयोग होता है। ऋ० ४, ४१, ४ के भाष्य में मानस भे वृकनिः का व्याख्यान "अतिशयेनादाता" किया है। वा० सं० ७, १२ में आने वाले "ज्येष्ठतातिम्" के भाष्य में महीधर तथा उचट भी इस पाणिनीय सूत्र के ताति प्रत्यय का प्रयोग विकल्प मे प्रशंसा के अर्थ में मानते हैं; तथा महीधर कहता है— "प्रगक्तो ज्येष्ठो ज्येष्ठेषु प्रशंसो वा ज्येष्ठतातिः"।

८०. ऋ० १, ३४, ५; ३, १९, १.२.४ इत्यादि में देवताति- का व्याख्यान। ऋ० ३, ५४, ११ में सूर्वाति- का व्याख्यान। ऋ० ५, २४, १ तथा अ० ६, ३९, १ में ज्येष्ठताति- का व्याख्यान।
८१. ऋ० १०, ६०, ८ में अरिष्टताति- का व्याख्यान। अ० १९, ४४, १ में शंताति- का व्याख्यान। दे० टि० ७७-७८।
८२. ऋ० १०, १३७, ४; १०, ९७, ७ अरिष्टताति- का व्याख्यान। ऋ० ८, १८, ७; १, ११२, २० में शंताति- का व्याख्यान।
८३. ऋ० ६, १२, २; १०, १००, १ इत्यादि में सूर्वाति- का व्याख्यान। ऋ० १०, १११, ४ में सत्यताता का व्याख्यान। वा० सं० ७, १२ में ज्येष्ठताति- का व्याख्यान।
८४. ऋ० १, १०६, २; ५, ६९, ३; ६, १५, १८; १०, ७४, ३; ९, ९६, ४; ६, ५६, ६, इत्यादि में सूर्वाति- का व्याख्यान। ऋ० १, १२८, २; १, ५८, १; १, ९५, ८; ४, ६, १.३.९; १, १४१, १०; ९, ९६, ३; ८, ७४, ३; १०, ८, २; इत्यादि में देवताति- का व्याख्यान।
८५. Skt. Gr., pp. 144. 477; Ved. Gr., p. 138.
८६. ऋ० १०, १११, ४ (सत्यताता); १, १५१, ५ (उपरताति); २, ३४, ९ (वृकताति); ४, २६, ३; ७, १८, १९; तथा ७, ५७, ७ में सूर्वाता; ४, ४, १४ (सत्यताति); ९, ९६, ३ तथा ९, ९७, १९.२७ में देवताति; १०, ८, २ तथा ८, ७४, ३ में देवताति।

INDIA OF VEDIC KALPA SŪTRAS

By

Dr. RAM GOPAL, M.A., Ph.D.

Royal Octavo pp. xvi-504 Cloth bound Rs. 35.00

REVIEWS AND OPINIONS

The Journal Asiatique, Paris (reviewed by Prof. L. Renou) : Dr. Ram Gopal's work is precious on account of abundance of facts, well classified and very well interpreted... Each text quoted is accompanied by a precise reference; many translations have been improved; and concordances with the Arthaśāstra and the Smṛitis have been furnished. In brief, it is a work of reference that completes the Vedic Index of Macdonell and Keith which, as we know, rarely went up to Kalpa.

The Journal of American Oriental Society : The book is a storehouse of information on pre-Buddhistic India.

The Hindu, Madras : The book is a mine of information about the conditions of the people of pre-Buddhistic and post-Vedic periods. The author is a deep and erudite research scholar as will be seen from the extensive quotations given by him from published and unpublished books.

Prof. T. Burrow, Oxford University : You have done a very thorough piece of work and I shall find it most useful as a book of reference.

Dr. P. V. Kane, National Professor of Indology : Your documentation is good and notes are exhaustive. As far as it goes, your work is a creditable performance.

Dr. J. Gonda, University of Utrecht (Holland) : Your book 'India of Vedic Kalpa Sūtras' is a very learned and useful achievement which in my opinion will prove to be of great value, not only to every student of Veda, but also to students of Indian History, Law, and Sociology. It is a worthy complement to Mr. P. V. Kane's famous History of Dharmaśāstra and a modern continuation of such books as Zimmer's Altindisches Leben. It will be a mine of information for many years...

East and West, Rome (reviewed by Prof. G. Tucci) : When the author comes to the contents of the Sūtras, the rituals, the social conditions, the samsakaras, the ornaments, the marriage ceremonies, the system of Government, economic life, etc., he fully shows his mastery of the subject, his very extensive information, his acquaintance with the researches of his predecessors, Indians as well as Europeans. Therefore, to my mind, this is a digest of the Sūtras which is likely to be consulted with great profit.